राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या : 20

सोमवार,

7 मई, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

धौलपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड को जारी थोक व रिटेल लाइसेंस

442. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड का पंजीयन कब हुआ तथा पंजीयन के समय प्रबन्ध समिति में कौन-कौन सदस्य थे और वर्तमान में प्रबन्ध समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त समिति का चुनाव कब हुआ था और उक्त समिति की आम सभा किस-किस तिथि को हुई?

(2) उक्त उपभोक्ता भण्डार को रसद विभाग द्वारा नियंत्रित एवं अनियंत्रित वस्तुओं का थोक व रिटेल लाइसेंस कब जारी किया गया? क्या उक्त संस्था को थोक लाइसेंस जारी किया जा सकता है? उक्त भण्डार द्वारा माल कब से उठाकर वितरण कार्य प्रारम्भ किया गया है? उक्त भण्डार द्वारा प्रतिवर्ष किन-किन नियंत्रित एवं अनियंत्रित वस्तुओं का कितनी राशि का उठाव किया?

(3) उक्त भण्डार में उक्त व्यापार के लिए राशि की व्यवस्था संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पहले किन-किन स्त्रोतों से की गई एवं किन-किन जमाकर्ताओं द्वारा राशि भण्डार में जमा कराई गई? जमा राशि किन-किन व्यक्तियों से किस ब्याज दर पर प्राप्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भण्डार द्वारा माल किन-किन गोदामों में कब-कब कहां-कहां रखा गया? क्या उक्त स्थानों की स्वीकृति प्राप्त की गई? यदि नहीं तो क्यों और हां, तो रसद विभाग द्वारा स्वीकृति कब दी गई?

सहकारिता मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) धौलपुर उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि., धौलपुर का पंजीयन दिनांक 10.8.1961 को हुआ था। यह संस्था न तो सहकारी विभाग द्वारा प्रयोजित है, न ही इसमें राज्य सरकार की भागीदारी है। इस संस्था ने उपलब्ध रिकार्ड अनुसार बैंक से ऋण आदि नहीं लिया है तथा न ही इस संस्था को सरकारी अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। पंजीयन के समय प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची, नाम पते सहित निम्नानुसार थी :—

(सहकारिता मंत्री)

1. श्री रामेश्वर दयाल जैन अध्यक्ष
पुत्र श्री मंगली प्रसाद जैन,
निवासी धौलपुर

2. श्री मुकन्द माधव सिंह दूबे मंत्री
पुत्र श्री प्रताप सिंह दूबे,
निवासी धौलपुर

3. श्री शांतिस्वरूप रस्तोगी कोषाध्यक्ष
पुत्र श्री रामस्वरूप,
निवासी धौलपुर

4. श्री रामगोपाल शर्मा सदस्य
पुत्र श्री पं. करण सिंह,
निवासी धौलपुर

5. श्री मनोहर नाथ सदस्य
पुत्र श्री त्रिभुवन नाथ,
निवासी धौलपुर

ये तो जिस वक्त समिति बनी थी, उस समय ये मेम्बर थे और उसके बाद में इनके चुनाव हुए हैं, उसमें जो अभी चल रहे हैं, वे इस प्रकार हैं। भण्डार के उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रबन्ध समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची, नाम पते सहित निम्नानुसार है :—

1. श्री दुर्गादत्त शास्त्री अध्यक्ष
पुत्र श्री कृष्णदत्त शास्त्री,
निवासी धौलपुर

2. श्री राकेश कुमार गोगना उपाध्यक्ष
पुत्र श्री हरिदेव प्रसाद गोगना,
निवासी धौलपुर

3. श्री कैलाश चन्द्र जैन कोषाध्यक्ष
पुत्र श्री उम्मेदी लाल जैन,
निवासी धौलपुर

4. श्री सुनील भदोरिया मंत्री
पुत्र श्री जगदीश सिंह भदोरिया
निवासी धौलपुर

5. श्री विजेन्द्र कुमार सदस्य
पुत्र श्री मोतीलाल,
निवासी धौलपुर

6. श्री जहांगीर सदस्य
पुत्र श्री जजीदर खां,
निवासी धौलपुर

7. श्री रतन सिंह सदस्य
पुत्र श्री लालाराम,
निवासी धौलपुर

8. श्री राजकुमार सदस्य
पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद,
निवासी धौलपुर

9. श्री मुकेश कुमार सदस्य
पुत्र श्री भीकाराम,
निवासी धौलपुर

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त भण्डार का अंतिम चुनाव दिनांक 13.12.1991 को हुआ था। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उक्त भण्डार की आम सभा दिनांक 13.12.1991 को हुई थी।

(2) उक्त भण्डार को जिला रसद अधिकारी, धौलपुर द्वारा रिटेल नियंत्रित व्यवसाय के लिए दिनांक 22.12.1983 को, थोक नियंत्रित व्यवसाय के लिए दिनांक 18.1.1993 को तथा अनियंत्रित व्यवसाय के लिए दिनांक 15.12.1999 को लाइसेंस जारी किया गया।

(सहकारिता मंत्री)

जी हां। जिला रसद अधिकारी, धौलपुर से प्राप्त सूचनानुसार उक्त भण्डार को थोक लाइसेंस खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है।

भण्डार के उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भण्डार द्वारा थोक वितरण कार्य माह जनवरी, 1993 से अगस्त, 1994 तक एवं मई, 1997 से जनवरी, 2001 तक किया गया है। भण्डार के रिटेल वितरण कार्य का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। भण्डार की उपलब्ध आडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक नक्शे के अनुसार वर्ष 1991-92 से 1999-2000 तक उक्त कार्य किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त भण्डार के व्यवस्थापक द्वारा भण्डार का समस्त रिकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर द्वारा जब्त करना बताया गया है। भण्डार की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1998-99 के अनुसार भण्डार में दिनांक 31.3.1999 को असदस्यों से प्राप्त जमा राशि रुपये 21, 96, 113/- जमा है। रिकार्ड के अभाव में भण्डार में राशि जमाकर्ताओं की सूची एवं ब्याज दर की जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) सम्बन्धित रिकार्ड के अभाव में सूचना उपलब्ध नहीं है। जिला रसद अधिकारी, धौलपुर द्वारा नियंत्रित रिटेल एवं थोक तथा अनियंत्रित व्यवसाय हेतु जारी लाइसेंस के अनुसार निम्नलिखित स्थानों की स्वीकृति दी गई है :—

क्रमांक	लाइसेंस संख्या	थोक/ रिटेल	स्वीकृति स्थान का वितरण
1.	16/83	रिटेल (एफ. पी. एस.)	श्री समेदी लाल जैन की दुकान, निहालगंज, धौलपुर
2.	268/93	थोक (एफ. पी. एस.)	श्री प्रकाश चन्द गोयल की दुकान, फूटा दरवाजे के पास, पुराना शहर, धौलपुर
3.	268/93	थोक (एफ. पी. एस.)	श्रीमती कमलेश पत्नी चन्द्रभान त्यागी बाड़ी रोड, 132 के सामने, धौलपुर
4.	268/93	थोक (एफ. पी. एस.)	हाउसिंह बोर्ड कालोनी, धौलपुर
5.	442/99	थोक (आर. टी. एस.)	त्यागी भवन, बाड़ी रोड, शहर धौलपुर

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि बी.पी.एल. को गेहूं, केरोसीन, चीनी, इनका वितरण हुआ ही नहीं? नम्बर दूसरा, ए.सी.डी. ने जब छापा मारा तो इसमें क्या-क्या जब्त हुआ ? क्या संस्था ने या गवर्नमेंट ने उक्त बैंक खाते और गोदाम सीज किये? सीज किये तो कब और नहीं किये तो क्यों? नम्बर तीसरा, इसकी आडिट कब हुई और गवर्नमेंट और आडिट रिपोर्ट कब प्राप्त हुई?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने उत्तर में 2-3 बार यह कहा है, व्यवस्थापक जो वहां है, उनकी सूचना के अनुसार मैं जानकारी दे रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता को पूछ लेने दीजिये प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है। आप बाद में पूछ लेना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, उनको पूछ लेने दीजिये। कोई बात नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस भण्डार ने चीनी, केरोसीन, गेहूं, चावल सब बेचे हैं। 1991-92 में चीनी इन्होंने 5.36, केरोसीन 2.35, गेहूं 15.77, चावल 0.11 बेचे हैं। 1996-97 में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : यह क्या है? राशि है, क्विंटल है, किलो है? क्या है यह?

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्विंटल है, क्विंटल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्विंटल नहीं, यह राशि है। राशि है लाखों में, रुपया, आना पाई, यह है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आई एम सारी, रीयली सारी। आपने सही कहा, जिसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गलती मानी न आपने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 1997-98 में इसी प्रकार से 238.51 चीनी और फिर 5.29 रिटेल में शक्कर, नियंत्रित व्यवसाय में इन्होंने 2.25 केरोसीन और फिर गेहूं 5.81, 1998-99 में 208.24 चीनी, 4.93 चीनी, 2.38 केरोसीन 2.53 गेहूं और 0.33 चावल, 1999-2000 में 239.03 चीनी, 6.03 चीनी 20.93 केरोसीन, .63 गेहूं। भंडार से इस प्रकार से यह वितरण किया। दूसरा सवाल आपका था, चुनाव तो हुए। पहला चुनाव हुआ 13.12.1991 को, आम सभा भी 13.12.1991 को ही हुई। उसके बाद कोई आम सभा वगैरह हुई नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जो आपने सूची दी है सदस्यों की और अध्यक्ष की, इनमें से कितने जिंदा है और कितने मर गये। नम्बर एक बात तो यह है। जिन सदस्यों की सूची दी है उसमें से ज्यादातर तो मर चुके हैं। दूसरा सवाल...

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां। अब वे जिंदा हैं या मर गये हैं, यह तो मेरे पास में फिगर्स हैं नहीं और न आपने इसमें...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, ए.सी.डी. का छापा पड़ गया, उसके बाद भी लगातार यह संस्था चीनी और तेल बांट रही है।

श्री अध्यक्ष : पंजीयन हुआ है 1961 में, तो मैम्बर्स का स्वर्गवास भी हो गया होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो इतना ही कह सकते हैं...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, जो दोबारा इन्होंने सूची दी है, जो दूसरी सूची दी है इन्होंने, इसमें दुर्गादास शास्त्री जो कांग्रेस का अध्यक्ष है धौलपुर का, जिसको अध्यक्ष बनाया उस सूची की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से आधे लोग मर चुके हैं, आधे लोगों को. वैसे ही फर्जी दिखाया गया है। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, 99 करोड़ का घोटाला है। पहले तो माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, जब इनके पास रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तो सूचना आपको कहां से प्राप्त हुई कि इतनी चीनी बांटी, इतना तेल बांटा, इतना गेहूं बांटा ? जब मैंने इनको लैटर लिखा तो सरकार ने इसकी जांच की। आपकी रिपोर्ट में पाया गया कि चीनी की 124 बोरी इसमें कम पाई गई। जब यह सारा वितरण सही तरीके से होता रहा तो यह चीनी, तेल, शक्कर और गेहूं कहां गया ? जब इन्होंने गोदाम सील नहीं किया, जब एसीडी. ने छापा मारा तो जो तत्कालीन डी.वाई.एस.पी. थे एसीडी. के, उसको दो लाख रुपये खिलाकर उन्होंने ताला खुलवाया और ताला खुलवा कर गेहूं, चीनी और तेल को इधर-उधर कर दिया। और दूसरा सवाल यह है कि जब इन्होंने यह किया तो उनके बैंक खाते सील किये क्या ? या गवर्नमैंट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप बिराजो। अध्यक्ष महोदय, यह 10.8.1961 को तो पंजीकृत हुई थी। हमारा तो इससे इतना ही ताल्लुक है कि को-आपरेटिव डिपार्टमैंट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी मैंने सब पढ़ कर सुनाया है। न तो इससे हमारा कोई लेना-देना है, न इसने कोई हमसे कर्जा लिया है, न कोई हमारे इसका कभी कोई काम पड़ा है। इसलिए हम...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जो तेल और चीनी दे देते थे, गवर्नमैंट की थी या प्राइवेट खरीदता था, आप तो यह बता दो आपका लेना-देना नहीं है तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी रिकमंडेशन पर इसको यह शक्कर, गेहूं और चावल नहीं मिला है। इनको मिला है डी.एस.ओ. की रिकमंडेशन पर हमने कभी भी यह प्रस्ताव नहीं रखा था कि इनको इस तरह का यह सामान दिया जाए। न इन्होंने पैसा लिया, न ये हमारे मेम्बर थे, हम काहे के लिए इस टंटे में पड़े ? वहां के डी.एस.ओ. ने...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वहां के डी.एस.ओ. के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप ? बार-बार शिकायतों के बावजूद भी इतनी मात्रा में गबन पाया गया, चार-चार लैटर मैंने वहां डाले और उसकी प्रति मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय सहकारिता मंत्रीजी को उपलब्ध करवाई, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारा रिकार्ड...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, इसको बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष है। यह गवर्नमैंट भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से एक चीज जानना चाहूंगा। आपने .अपने उत्तर में कहा कि सारा रिकार्ड ए.सी.डी. ने जब्त किया..

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2 मार्च, 2001 को ए.सी.डी. ने छापा मारा। आपके पास रिकार्ड नहीं है तो जरा करैक्ट कर लो, छापा मारने पर ए.सी.डी.ने पाया कि पांच महीने से सारे रजिस्टर खुले रखे गये थे। 124 बोरी चीनी जो .गरीबों में बंटनी चाहिए थी, वह चीनी गोदाम में कम पाई गई इसके अलावा बड़ी मात्रा के अंदर बी.पी.एल. का गेहूं जो गरीबों में बंटना था, वह बी.पी.एल. का स्टाफ रजिस्टर में पाया नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि ए.डी.सी. ने जिस दिन छापा मारा, उसके पश्चात् इसी संस्था को सरकारी दुकानों के अंदर थोक और रिटेल चीनी और गेहूं वितरण करने का पुनः आबंटन कर दिया। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक-दो नहीं, 239 लाख रुपये का व्यापार इस संस्था ने 1999-2000 में किया थोक का चीनी का। और रिटेल का किया 6 लाख 3 हजार का व्यापार। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि ऐसी संस्था जिस संस्था पर शिकायत के आधार पर ए.सी.डी. छापा मारे और जिसके पास रजिस्टर के अंदर गलत इन्द्राज मिलें, चीनी मिले नहीं, आप उस संस्था के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं?

नम्बर दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज का एतराज है, इन्होंने कह दिया कि हमारा काम तो पंजीयन का है। मंत्री महोदय, पंजीयन का काम आपका है, डी.एस.ओ. सरकार का है, जिला रसद अधिकारी सरकार का है, जिला रसद अधिकारी ने इसको लाइसेंस दिया है सारी कार्यवाही होने के पश्चात् भी आज तक इस संस्था ने 1991 के बाद न तो .आम सभा बुलाई, 1991 के बाद न चुनाव हुए। वह संस्था आज भी पूरे जिले के अंदर इसी तरीके का घालमेल करके गरीबों की चीनी और गेहूं नाजायज रूप से बेच रही है। आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मंत्री महोदय, आपका इस संस्था का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसके बाद में जो भी कार्य-कलाप है उसमें को-आपरेटिव एक्ट के हिसाब से आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर चुनाव नहीं कराये तो आप प्रशासक लगाते। सदस्य मर गये और उनकी इत्तिला नहीं है तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। जो भी आवश्यक वस्तुएं उठाई हैं, वे आपके रजिस्ट्रेशन के आधार पर उठाई है। आप यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इत्तिला देते, उनको कोई आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती। इसलिए आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सारी जिम्मेदारी आपके डिपार्टमैंट की है जब तक वह संस्था को-आपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मैं माननीय हरजीरामजी बुरड़क के क्वेश्चन को, एक मिनट। इलेक्शन्स ... मंत्रीजी, आपका यह कहना कि हमने अंशदान नहीं दिया, हमारा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कोई ताल्लुक नहीं, रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने बिलकुल ठीक कहा है। रजिस्ट्रेशन को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत हुआ है तो आपके विभाग का यह कर्तव्य बनता था। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह सोसाइटी नियमों के अनुसार, को-आपरेटिव सोसाइटी के बाई-लाज के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अब, मंत्रीजी, इतना सा बताइये कि एस.ओ.डी. के छापे की जानकारी कब प्राप्त हुई? बाकी सब बातें जाने दीजिये। अगर एस.ओ.डी. के छापे की आपको जानकारी प्राप्त हो गई, जब छापा हुआ, उसके बाद तो आप कार्यवाही करते, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते। रसद विभाग तो तब पिक्चर में आता है जब को-आपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है आपके पास। अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते तो रसद विभाग को कोई अधिकार ही नहीं है कि वह उनको इस तरह से इन चीजों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अधिकृत करें। आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, यह सबसे बड़ी बात है। क्या इसलिए नहीं कार्यवाही की कि आपके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां पर इसके अध्यक्ष, जो आपने बताया उनका नाम?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शास्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, एक बात और बताइये कि एस.ओ.डी. का छापा पड़ने के बाद इनको कितना माल और दिया। दूसरा आपने अपने उत्तर में यह कहा था कि जो सूचना आप दे रहे हैं उसकी जानकारी आपको नहीं है, आप उन फैक्ट्स को वेरीफाई भी नहीं करते, केवल आपको जो व्यवस्थापक ने, जो सूचना दी है उसको आप सदन में बता रहे हैं। तो क्या जो सूचना व्यवस्थापक ने आपको दी, उसको आप ऑन करते हैं कि नहीं करते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एस.ओ.डी. का छापा पड़ा 22.3.2001 को, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर इनको बराबर शक्कर और यह धान देता रहा और इस वजह से यह सोसाइटी काम करती रही। अब इसकी जब शिकायत आई कि इसमें तो बहुत भारी घपला हुआ है और पैसा भी बहुत खुद-बुर्द हो गया, जो मैम्बर्स ओरिजिनल थे मैम्बर्स भी नहीं रहे हैं और ये थोड़े से आदमी वहां मिलकर यह सब कार्यवाही कर रहे हैं, जब यह मालूम हुआ उसके बाद में यह कार्यवाही शुरू हुई अब एस.ओ.डी. के पास सारा रिकार्ड है, एस.ओ.डी. उसमें जांच कर रही है, एस.ओ.डी. की जांच के जो नतीजे आएंगे उसके बाद में उस पर कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ब्लैक लिस्ट तो करो इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने क्या कार्यवाही की 22.3.2001 के बाद? (व्यवधान) एक मिनट, 22.3.2001 को जब आप कह रहे हैं तो उसके बाद तो आपके विभाग का यह कर्तव्य बनता था रजिस्ट्रार के लेवल पर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल पर कि आप इस बात को एग्जामिन करते कि कितने आदमी जिंदा है, कितने आदमी मर गये। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते। ढाई महीने से ऊपर हो गया न इस बात को भी, आपने क्या कार्यवाही की? एस.ओ.डी. की कार्यवाही अलग चीज है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

Society is not working in accordance with the provision of the Act and in accordance with the bye-laws of the Society.

श्री हरजीराम बुरड़क : आपको इसको लिक्विडेशन में लाना चाहिए था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस बात को सुनिश्चित करना तो आपका कर्तव्य था न ?

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एसीडी. की रिपोर्ट हुए ही ढ़ाई महीने हुए हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, माननीय मंत्री महोदय से कैसे आशा करेंगे कि वह कार्यवाही करेंगे ? बहुत सही बात है कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग चीज है, एसीडी. की इन्क्वायरी...

श्री जनार्दन गहलोत : ढाई महीने के अंदर जब तक रिपोर्ट नहीं आये, अगर रिपोर्ट आती तो मंत्री महोदय करते...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एसीडी. ने अध्यक्ष महोदय, पूरा रिकार्ड सीज किया है।

श्री जनार्दन गहलोत : अगर एसीडी. में नहीं जावे तो कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रिकार्ड के आधार पर उसके बाद चीनी कब मिली, गेहूं कब मिला ? उसके बाद भी...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ...(व्यवधान) लगातार गेहूं उसके बाद भी बांट रहा हो वो तो इसमें क्या भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आती ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...उसी में वो कार्यवाही कर रहे हैं। आज ये खुद कह रहे हैं कि 1991 के बाद उसके चुनाव नहीं हुए, 1991 के बाद उसने आम सभा नहीं बुलायी। आपका जो सहकारी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अन्तर्गत इसका आपको अवसायन कर देना चाहिए। आप क्यों बचाना चाहते हैं ? साफ-साफ स्पष्ट है कि एसीडी. ने शिकायत के आधार पर छापा मारा और उससे चीजें जब्त हुई।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें...(व्यवधान) पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एसीडी. का केस से क्या ताल्लुक है ? अगर एसीडी. का छापा नहीं पड़ता तो क्या आप कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है ? एसीडी. अलग चीज है। मान लीजिये कल न एसीडी. का केस तो नहीं बनता तो क्या इसका फार वाट आफ एवीडेंस बियोंड डाउट नहीं पूर्व होता, न ही चालान करते, तो क्या आप इसको चलने देंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, अब तो लाइसेंस जब्त कर लिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिये, सुनिये, एसीडी का मामला है। आपकी जानकारी में तो मात्र यह माना कि...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह लाइसेंस कब जब्त किया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कि ये उप-नियमों के तहत कार्य नहीं कर रहे है आपके अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहे है ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एसीडी. में छापा पड़ा, क्या मरे हुए आदमियों की जांच कर रही है एसीडी.? रजिस्टर्ड संस्था के आदमी जितने मर गये उनके खिलाफ भी क्या एसीडी. जांच कर रही है? उसके खिलाफ तो सहकारिता विभाग करता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो रिक्विजिट नंबर आफ मैम्बर हैं, वो नहीं मौजूद हैं तो वैसे ही अवसायन हो जाना चाहिए।

को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत क्या कार्यवाही की आपने, यह बताइये? आप छोड़िये सप्लाई को, सब को।

श्री अध्यक्ष : अभी मेटर एसीडी. के पास में है, एसीडी. किस कंक्लूजन पर आती है उसके बाद को-आपरेटिव डिपार्टमैंट विचार करेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एसीडी. के अन्दर तो मामला है भ्रष्टाचार का। को-आपरेटिव सोसाइटीज मामले को को-आपरेटिव डिपार्टमैंट को देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : को-आपरेटिव सोसाइटीज में अगर जो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...कि प्रोविजन जो हैं एक्ट के वो फालो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बाई लाज के प्रोविजन फालो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जब रिक्विजिट नंबर आफ मैम्बर ही नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? नामीनेशन कैसे करेंगे? He cann't permit the Society to function. इनका काम ही अलग है, साहब। (व्यवधान) कोई ताल्लुक नहीं है इनका।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : एसीडी. तो भ्रष्टाचार की जांच कर रही है परन्तु जो को-आपरेटिव नियमों का उल्लघंन हुआ है उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय क्यों नहीं बोलते? आखिर में क्या डर है? कांग्रेस अध्यक्ष है इसलिए कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बैठिये। मैं जो कर रहा था वो आपको सुनाता हूं। आपने पूछा कि आप क्या रहे थे, मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो उन्मुक्त हैं, हमारे कई बैंक्स हैं जिनके अन्दर हमारा कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ वो अरबन को-आपरेटिव बैंक नाम लगाते हैं। सारी पूंजी उनकी, सब कुछ वो ही करते हैं, उनका ही लेन देन चलता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्ट तो लागू होता है न, उस पर को-आपरेटिव एक्ट तो लागू होता है, उस पर आपका नियंत्रण भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, को-आपरेटिव एक्ट तो लागू होता है, लेकिन को-आपरेटिव एक्ट लागू होते हुए भी हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, न हमारा वहां कोई अफसर लगा हुआ है। ऐसी कोई भी संस्था इस तरह से गडबड़ कर देती है जैसे कि सिरोही के बैंक में अभी हुआ है, बाद में जब हमको यह मालूम हुआ

(श्री खेतसिंह राठौड़)

तो हमने भी अपनी एक टीम भेजी कि आप जांच करो। लेकिन...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने इसमें टीम भेजी क्या इन्क्वायरी के लिए?

श्री खेत सिंह राठौड़ : अब नये कानून के अंदर यह प्रावधान रख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कि कोई उन्मुक्त नहीं होगा, सभी एस.ओ. को-आपरेटिव डिपार्टमैंट में ही कार्य करेंगे और एक-एक अफ़सर भी हम इस तरह से लगाएंगे इन सोसाइटीज में। नहीं तो ये लोग कहते हैं हमको, कि जब हमारा कोई पैसा नहीं है, आपका कोई लेना-देना नहीं है तो आप क्यों हमको परेशान करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वर्तमान कानून पर्याप्त है, मंत्री जी। वर्तमान कानून के अन्तर्गत आप कार्यवाही कर सकते हैं। आप कार्यवाही इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जिला कांग्रेस का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष है। आपका यह कर्तव्य है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्था अधिनियम, 1963 में..

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह देखें कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उप-नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई समिति चाहे उसमें आपका अंशदान हो या नहीं इन नियमों का उल्लघंन करती है तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इस संस्था के लिए इस भण्डार के लिए आपने अपने विभाग की कोई जांच करवायी क्या 22.3.2001 के बाद?

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जब कांग्रेस में थे तब इनके खिलाफ भी कुछ नहीं करते थे खेतसिंह जी।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय किसी भी रजिस्टर्ड संस्था की आडिट होती है, हर साल आडिट करवाते हैं। जोइंट रजिस्ट्रार के पास हमेशा उसकी आडिट होती है, आडिट रिपोर्ट व अकांउट पेश होता है और ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्था अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं उनको प्रत्येक वर्ष आम सभा बुलानी पड़ती है, उनका एनुअल चुनाव होता है, एनुअल आडिट होती है। नये नियमों से मंत्री जी क्या नया प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, मैं वह बात नहीं कर रहा हूं। मैं वर्तमान नियमों में कह रहा हूं क्या यह सही है कि जिस तरह यह संस्था काम रही है वह सही काम कर रही है? आप इतना ही कह दो कि यह संस्था बिलकुल ठीक काम रही है, इसको खुली छूट है। यह मीटिंग बुलाएं या नहीं बुलाएं, इसका फाउडंर मैम्बर मर जाए या यह 1991 के बाद कोई आम सभा बुलाएं नहीं। और आप कह रहे हैं कि यह उन्मुक्त है। अगर उन्मुक्त है तो इसी तरह की राजस्थान में सारी संस्थाएं उन्मुक्त हैं या सिर्फ एक ही उन्मुक्त है?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह कह दीजिये कि वर्तमान कानून में आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कह दीजिये, बस बात खत्म।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, यों कैसे कह सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आपको अधिकार ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : को-आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत यह पंजीबद्ध है इसलिए को-आपरेटिव का इस पर है ही। अब जो आपने कहा है तो मैं इस संस्था की आडिट भी करवाऊंगा, इनके खिलाफ कार्यवाही जो होनी है वह भी सब कर लूंगा। इसके लिए रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटीज को आदेश दूंगा कि तुरन्त वे स्वयं जाकर जांच करके और आज के हालात मालूम करके उसी अनुसार कार्यवाही करें।

प्रश्न संख्या-443

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री संयम लोढ़ा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-444

श्री अमराराम (धोद)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मांगीलाल डागा।

कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्त प्रशासक

445. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां है? उक्त में से किस-किस मण्डी में कब-कब से कौन-कौन प्रशासक नियुक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचन करवाकर मण्डी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री परसादी लाल) (कृषि विपणन राज्य मंत्री के स्थान पर) : (1) अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से निवेदन है। राज्य में 124 कृषि उपज मण्डी समितियां हैं। वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) मण्डी समितियों के चुनाव कराये जाने के प्रकरण में नियमों में संशोधन किये जाने पर विचार किया जा रहा है, उसके पश्चात् ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव होगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मांगीलाल डांगा : अध्यक्ष महोदय, जो सूची प्रस्तुत की गयी है और उन संस्थाओं में जो प्रशासक लगे हुए हैं, 1965 से कई ऐसी संस्थाएं है जिनमें प्रशासक

(श्री मांगीलाल डांगा)

लगाये हुए हैं और निरन्तर प्रशासक ही कार्य कर रहे हैं। यह संस्था एक लोकतांत्रिक संस्था है और कृषि उपज मण्डी एक्ट बना था तब उसकी भावना यह थी कि किसान नियमित मण्डी में अपनी भागीदारी अदा कर सकें। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इसमें बोर्ड का प्रावधान था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जो आप नियमों में संशोधन कर रहे हैं वो संशोधन कब तक पूर्ण कर लेंगे? और इन संस्थाओं में चुनाव करा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का कब तक विचार रखते हैं, कृपया निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी अपने खंड-2 में बताया, अधिनियम और नियमों में संशोधन की कार्यवाही जारी हैं। जल्दी ही इस प्रक्रिया को पूरा करके जो भी इसमें संशोधन करना है वो केबिनेट के सामने लाकर और माननीय मुख्य मंत्री जी को सदस्य की भावना से अवगत कराते हुए इस पर कैबिनेट का निर्णय होने के बाद अधिनियम और नियमों में संशोधन होने के बाद शीघ्र ही सरकार निश्चित रूप से चुनाव करवा देगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा नियमों में और कानून में चुनाव कराना मना है क्या जो आप संशोधन कराकर चुनाव कराएगें? 1965 से आज तक आपने बराबर चुनाव कराये नहीं। इन समितियों के चुनाव भी नहीं हुए और आपके बोर्ड के चुनाव भी नहीं हुए। अब आप संशोधन करके क्या चुनाव नहीं कराने का निर्णय ले रहे हैं क्या? मौजूदा कानून में चुनाव की सारी व्यवस्था है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार के समय एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी 1.3.1995 को उस कमेटी की रिपोर्ट मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है। अब यह मामला दुबारा मंत्रिमण्डल के समक्ष जाएगा। इस पर फैसला होने के तुरन्त बाद कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करवा दिये जाएंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, वर्तमान कानून में चुनाव में बाधा है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कानून में चुनाव का प्रतिबंध थोड़े ही है?

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल है, मौजूदा कानून में चुनाव कराने की कोई मनाही है क्या जो आप इस रिपोर्ट का इंतजार करेंगे? आप संशोधन करेंगे तो बाद में कर लेना, लेकिन आज के कानून के अनुसार आप चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते, यह बताइये।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कानून में इसमें वोटर कौन होगा, निर्वाचन क्षेत्र कैसे होंगे, कृषकों के कितने सदस्य होंगे, पूर्ववर्ती सरकार की जो मंत्रिमण्डलीय उप समिति थी उसने पहले। इसके बोर्ड के मैम्बर 15 होते थे, 15 की जगह 11 प्रपोज किये। अब यह मामला एक

(श्री परसादी लाल)

तरह से विवादग्रस्त हो गया। इस पर मंत्रिमण्डल का फैसला आना है। नियम, अधिनियम में, कौन वोटर होंगे, सरपंच होंगे, पंच होंगे, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य जो अलग से चुनकर आये हैं क्या वे भी उनके वोटर होंगे, इन सब चीजों पर कैबिनेट का फैसला होने के बाद मैं आपकी भावनाओं से, सदन की भावनाओं से मुख्य मंत्रीजी को अवगत करा दूंगा और इस पर निर्णय होने पर शीघ्र ही चुनाव करा देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हाउस को बिलकुल गुमराह कर रहे हैं। आप इसमें संशोधन चाहते हैं, यह बात कह सकते हैं आप। मौजूदा मैम्बर कौन होंगे, चुनाव कैसे होंगे; यह सारी व्यवस्था है लेकिन आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप। या तो यह कहिए कि मौजूदा व्यवस्था में हम चुनाव नहीं कराना चाहते, इसमें संशोधन जरूरी है। कैबिनेट कमेटी बन गई तो बन गई होगी। आज की तारीख में जो नियम और कानून कायदें बने हुए हैं उसमें चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है। आप या तो यह कहिए कि मौजूदा व्यवस्था से हम चुनाव नहीं कराना चाहते, नई व्यवस्था से चुनाव कराना चाहते हैं। आप सीधा उत्तर दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूर्ववर्ती सरकार तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी, आप भी नहीं कराना चाहते हो क्या?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की मांग के अनुसार और वर्तमान परिस्थितियों में इसको और प्रभावी बनाने के लिये, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृषकों को इसमें जोड़कर प्रभावी रूप कृषि उपज मण्डी के चुनाव को दें। जैसे को-आपरेटिव में परिवर्तन हो रहा है, पंचायती राज में परिवर्तन हुआ तो क्यों नहीं कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव अधिनियम और नियमों में भी संशोधन करके एक प्रभावी तरीके से हो ? किसानों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा इन चुनावों में हो, इस तरह का हम अधिनियम में परिवर्तन करके ही चुनाव कराएंगे, यही सरकार की मंशा है। ज्यों ही परिवर्तन होंगे हम चुनाव करा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्रीजी, माननीय मांगीलाल जी का सवाल है, टाइमफ्रेम आप, कब तक करा लेंगे। यथाशीघ्र तो कोई नहीं होता।

श्री परसादी लाल : मैंने अभी आपको कहा है कि आपकी भावनाओं से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत करा देंगे और ज्यों ही कैबिनेट का फैसला हो जाएगा त्यों ही हम चुनाव करा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मुझे तो यह बता दो कि अधिनियम और नियमों में संशोधन करने का निर्णय आपने कब लिया और आज जो संशोधन की बात आप कह रहे हैं यह किस स्तर पर किये जा रहे है ? किस स्तर पर इन चीजों पर निर्णय किया जा रहा है और आपको कब यह महसूस हुआ कि पुराने अधिनियम और नियमों में संशोधन आवश्यक है और आपने यह निर्णय कब लिया?

श्री परसादी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, आपको तो शायद पता नहीं है। सब कमेटी के आप मैम्बर नहीं थे इसलिए आपको जानकारी नहीं है। सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह छोड़िए। हमारी सरकार ने सब कमेटी बनायी, वह छोड़िए। आपने सदन में कहा है कि आप अधिनियम और नियम में संशोधन करेंगे, यह निर्णय आपने व्यक्तिगत ले लिया? यह कितनी तारीख को लिया, तारीख बता दो आप, और कोई बात ही नहीं है।

श्री परसादी लाल : आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यह मामला मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है। जो रिपोर्ट मंत्रिमण्डल सब कमेटी की आई थी उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका। इसलिए उस पर बहस न होने पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपने नियमों में, उप नियमों में और अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपको मालूम है पुरानी कैबिनेट की सब कमेटी के निर्णय को आप लागू करें या नहीं करें, वह लागू तो हुआ नहीं, विचारार्थ था इसलिए आप उसके बहाने से चुनाव टालना चाहते हैं, यह क्यों नहीं कहते आप?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, सब कमेटी का जो फैसला आया, जो रिपोर्ट आयी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो अपना निर्णय बताओ, आपने क्या लिया।

श्री परसादी लाल : आप पूरी बात सुनें। वह मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है। अभी हमने उस पर फैसला नहीं किया है कि इसको निरस्त करेंगे या विचार नहीं करेंगे। यह मामला अब कैबिनेट के समक्ष विचाराधीन है। इस पर फैसला हो जाएगा त्यों ही हम चुनाव करा देंगे। आपने फैसला क्यों नहीं लिया? आप ही बता दें आपने अपने टाइम फैसला क्यों नहीं लिया? हम इस पर शीघ्र फैसला करके चुनाव कराएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने तो नहीं लिया, आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आपने अधिनियमों और नियमों में संशोधन करने का नीतिगत निर्णय अभी नहीं लिया है? आप एक पुरानी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव टालना चाहते हो, यह क्यों नहीं कह देते आप? आपने लिया है तो तारीख बता दो।

श्री मदन दिलावर : अब तो आपकी सरकार का बुढ़ापा आ गया फिर कब लोगे?

श्री परसादी लाल : हम कोई चुनाव टालना नहीं चाहते। सरकार की चुनाव टालने की कोई मंशा नहीं है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी समय पर कराये और मण्डी समितियों के चुनाव भी हम समय पर कराएंगे। अधिनियम और नियमों में ज्यों ही परिवर्तन हो जाएगा हम इसको ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिये किसानों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी इन चुनावों में हो, इस पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ढाई साल से नींद आ रही थी क्या? कहां सो रहे थे? यदि चेंज करना था तो ढाई साल से नींद आ रही थी क्या? अध्यक्ष महोदय, सरकार का बुढ़ापा आने लग गया और अब तक सरकार सो रही है।

श्री सावंरलाल (भिनाय) : पंचायती राज के चुनाव कराना तो आपकी मजबूरी है। पंचायती राज के चुनाव तो आपको कराने ही पड़ेंगे, संवैधानिक व्यवस्था है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने की आप मंशा रखते हैं कि नहीं, यह बताइए आप। पंचायतों का चुनाव कोई आप अपनी मर्जी से नहीं करा रहे है, यह कांस्टीट्यूशनल बाइंडिंग है इसलिए आपको कराने पड़ रहे हैं। जिसमें आपको डिस्क्रिशन है उसके चुनाव आप टाल रहे हैं, यह हमारा आरोप है।

श्री परसादी लाल : हम कोई चुनाव नहीं टालना चाहते, चुनाव तो आपने टाले हैं कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी हमने तो कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया और आप उलटा हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपने फैसला नहीं किया, चुनाव आपने टाले हैं। (व्यवधान) आपने जानबूझ कर चुनाव टाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने टाल दिये लेकिन आप क्या रहे हो? आप चुनाव टाल रहे हो।

श्री सावंरलाल : लोक सभा चुनाव में हारने के बाद आप हार के डर से हर चुनाव टालते जा रहे हो। लोक सभा चुनाव के बाद कौनसा चुनाव आपने कराया, बता दीजिए हमको? आपको यह भय बैठ गया कि जनता आपके साथ नहीं है। आप हर चुनाव में हारोगें इसलिए चुनाव टालने की आपकी नीयत बन गई। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : आपको यह कहने का अधिकार ही नहीं है।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद पंचायती राज के चुनाव हुए और सही मायने में करौली जिले में तो दो बार पंचायत के चुनाव हुए, जिला परिषद् के चुनाव हुए। आप कैसे कह रहे हैं और आपकी पार्टी उसमें बुरी तरह से हारी है। आप कैसे कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हुए? लोक सभा चुनाव के बाद विधान सभा के बाई इलैक्शन हुए है।

श्री सावंरलाल : पंचायती राज के चुनाव हुए तो कोई एहसान नहीं है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : चाहे सहाकारिता हो, चाहे कृषि उपज मण्डी हो, आपने हर जगह प्रशासक लगा रखे हैं।

श्री नाथूलाल अहारी : दस साल तक तो आपने कुछ किया नहीं, वहां सारे चुनाव करा दिये। (व्यवधान) कुछ नहीं किया आपने। आपने बंटाधार कर दिया, बात कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने नहीं कराये पर आप कराओ ना। कराओ तारीख की घोषणा। हिम्मत है तो कराओ तारीख की घोषणा। अगर आप इतने ही किसानों के हिमायती हो तो तारीख की घोषणा कराओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र के + + + हैं, ढाई साल तक दबा कर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र के + + + आप लोगों को कुछ तो + + +

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये तो शीघ्र से शीघ्र कराने की बात कर रहे हैं, ढाई साल के बाद हम भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव करा देंगे, आप चिंता मत करो। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक एक्ट और रूल्स के संशोधन की कार्यवाही या उसमें जो कुछ भी निर्णय लेने है वे मंत्री मंत्रिमण्डल से निर्णित नहीं हो जाते उसके पहले मंत्री महोदय यहां सदन में तारीख घोषणा कर सकते हैं क्या, आप स्वयं भी सोचिए। इसलिए जो कार्य एक प्रक्रिया के अन्तर्गत चल रहा है, संशोधन की अगर सहमति हो जाती है और निर्णय हो जाता है उसके बाद में आपको तारीख दे देंगे। इतने दिन में हम संशोधन के तहत व्यवस्थाएं कर लेंगे और इतने दिन में चुनाव करा देंगे, तो सम्भव है। लेकिन जब तक उसका निर्णय कैबिनेट से नहीं होता, आज के समय में तारीख देना सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह तो बता दो कि संशोधन करने का नीतिगत निर्णय कब तक लिया जाएगा? (व्यवधान)

श्री सावंरलाल : आपके केवल ढाई साल और बचे हैं, ढाई साल तक आप निर्णय लोगे या नहीं लोगे कैबिनेट में? (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : आपको अच्छी तरह से मालूम है इस तरह के मुद्दों की तारीख तय किया जाना सम्भव नहीं होता। आप खुद जानते हैं इस बात को।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमण्डल ढाई साल तक क्या कर रहा था?

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह डिसाइड कब तक हो जाएगा? इसकी कोई टाइम बाइंडिंग तो होनी चाहिये। 6 महीने में या सालभर में कैबिनेट फैसला करेगी?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता। वह बार-बार खड़े हो रहे हैं, प्रश्नकर्त्ता।

श्री मांगीलाल डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने हमेशा ही इन संस्थाओं में प्रशासक लगाने के प्रावधान किये, आप जो नये संशोधन करके चुनाव कराएंगे उसमें प्रशासक लगाने के प्रावधान को समाप्त करने की इच्छा रखते हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये प्रशासक लगे कब से थे, तारीख भी बता दो आप?

श्री परसादी लाल : मेरे पास सूची है, आप देख लेना। जहां तक प्रशासक लगाने की बात है इसमें दो प्रावधान है कि या तो मनोनयन बोर्ड हो या इनके चुनाव हों। अब यह सारा मामला है, मैं माननीय सदस्य की भावना से और आप सबकी भावना से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत करा दूंगा,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसादी लाल)

जो भी निर्णय लेना है वह सरकार को ही लेना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री जी, यह प्रशासक कौन से सन् से लगे हुए है, यह बता दो ?

श्री परसादी लाल : अलग-अलग मण्डियों में अलग-अलग तारीखों से प्रशासक लगे हुए हैं। (व्यवधान) 123 कृषि उपज मण्डियों में तो प्रशासक हैं। एक सांचौर की कृषि उपज मण्डी में मनोनीत बोर्ड है और इनमें 75 के बाद चुनाव नहीं हुए, आप जानते हैं। आपकी सरकार भी तीन बार आई, आपने भी चुनाव नहीं कराये। हम निश्चित रूप से कहते हैं हम इसका कोई न कोई फैसला करेंगे।

मुख्य मंत्रीजी को आते ही अवगत करा देंगे, सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री प्रभुलाल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) **:** अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, अभी 15 और 16 अप्रैल को रविन्द्र मंच पर को-आपरेटिव कांग्रेस का दो दिन का अधिवेशन हुआ था उसमें मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ने यह घोषणा की थी कि अक्टूबर में राजस्थान की सहकारी संस्थाओं के चुनाव निश्चित रूप से करा दिये जाएंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये कृषि उपज मण्डियां हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यही पूछ रहा हूं, यह सरकार..दूसरी सरकार की आप आलोचना करते थे..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कृषि उपज मण्डी का प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, मैं वही पूछ रहा हूं। आपने सहकारिता और जितनी भी निर्वाचित ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाएं थी उनके चुनाव का चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था लेकिन चुनाव नहीं कराये, तो आप अब के तो चुनाव करा देंगे ना ?

श्री अध्यक्ष : को-आपरेटिव पर चुनाव अलग से प्रश्न है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चुनाव करा देंगे क्या ?

प्रश्न संख्या 446

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रभुलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जैसलमेर स्थित सोनू लाइम स्टोन की परिवहन व्यवस्था

447. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) **:** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के सोनू लाइम स्टोन के खदानों से रेल तक परिवहन में लागत बढ़ रही है ?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) क्या यह भी सही है कि स्टील मिल्स में आयात कर लाइम स्टोन मंगाने का विचार चल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि रेलवे किराया अधिक होने से लाइम स्टोन महंगा पड़ रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सोनू परियोजना पर हजारों श्रमिक काम करते हैं ?

(5) क्या सरकार रेलवे विभाग से संयुक्त रूप से जैसलमेर से सोनू तक रेल पटरी बिछाकर सोनू खदानों को प्रतिस्पर्धा में रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) जी हां। सोनू लाइम स्टोन खदानों से रेल तक परिवहन कार्य ट्रकों द्वारा किया जाता है। विगत वर्षों में डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लाइम स्टोन के परिवहन की लागत बढ़ रही है।

(2) वर्तमान में निजी स्टील संयंत्र जैसे टिस्को, एस्सार एवं जिन्दल आदि स्टील संयंत्र मुख्यतया आयातित लाइम स्टोन का उपयोग कर रहे हैं। टिस्को तथा जिन्दल कुछ मात्रा में सोनू लाइम स्टोन भी उपयोग में लेते हैं। सेल मुख्य रूप से सोनू लाइम स्टोन का उपयोग कर रहा है। केन्द्र सरकार राउरकेला स्टील संयंत्र (सेल) को लाइम स्टोन आयात करने की अनुमति दे चुकी है।

(3) यह सही है कि रेल किराया अधिक होने के कारण स्टील संयंत्रों को सोनू लाइम स्टोन महंगा पड़ रहा है।

(4) जी हां, सोनू परियोजना पर खनन, परिवहन एवं अन्य कार्यों पर प्रत्यक्ष एवं अन्य विभिन्न ठेकों पर अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिक कार्य करते हैं।

(5) सोनू खदानों को प्रतिस्पर्धा से रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा हमीरा (जैसलमेर) से सोनू खदानों तक रेल सर्वे का कार्य करवाया गया है। इसके अनुसार 35 लाख टन लाइम स्टोन की ढुलाई होने पर रेल पटरी बिछाना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होगा। वर्तमान में 12 लाख टन लाइम स्टोन की ढुलाई सोनू लाइम स्टोन से जैसलमेर तक ट्रकों द्वारा की जा रही है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पांचवे में बताया कि 12 लाख टन अभी आयात हो रहा है और स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया भी उसको बंद करना चाहती है, यदि 35 लाख टन हो तो रेल पटरी बिछाई जा सकती है। मैंने स्पष्ट पूछा है इसमें कि राज्य सरकार क्या संयुक्त रूप से जैसलमेर से सोनू तक रेल पटरी बिछाकर सोनू खदानों को प्रतिस्पर्धा में रखने का विचार रखती है ? 12 लाख टन अभी जा रहा है, 35 लाख टन हो तो पटरी बिछाई जा सकती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या राज्य सरकार संयुक्त रूप से उस पर विचार करती है ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि राज्य सरकार को कितनी रायल्टी मिलती है इन खदानों से ? यदि यह बंद हो

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

जाएगा तो क्या राजकीय आय कम हो जाएगी? राज्य सरकार संयुक्त रूप से रेल लाइन बिछाकर हमीरा से जैसलमेर इस लाइम स्टोन का जो नेशनल डिपोजिट है उसका उद्घाटन करने का विचार क्यों नहीं रखती? क्योंकि इम्पोर्ट से बाहर से लाइम स्टोन आ रहा है, यदि इन खदानों को जीवित रखना है तो निश्चित आपको रेल पटरी बिछानी पड़ेगी। राज्य सरकार क्यों नहीं संयुक्त रूप से रेल पटरी बिछाने का विचार रखती, यह मेरा प्रश्न है? आपने कहा कि सर्वे करा दिया, 35 लाख टन हो तो, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार क्यों नहीं संयुक्त रूप से रेल परियोजना को लेना चाहती है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सोनू से हमीरा तक 57 किलोमीटर का सर्वे, पहले 1992 और 1999 में रिपोर्ट आई, तीन कम्पनियों हिन्दुस्तान जिंक, आर.एस.एम एम.एल. और सेल ने इस पर बैठकर विचार किया कि यदि हम 57 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा देते है तो उसमें भारत सरकार रिबेट भी देगी और उसका खर्च हम वहन कर लेंगे। हिन्दुस्तान जिंक और सेल पीछे हट गई और वह मामला अधूरा रह गया। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय, मैं पूछ रहा हूं कि कितनी रायल्टी का नुकसान होगा? मैं राज्य सरकार से कह रहा हूं, सेल और जिंक लिमिटेड को बीच में क्यों उलझा रहे हो? बोर्ड और राज्य सरकार जोइंटली इस योजना को लेना चाहते है कि नहीं चाहते, मैं सीधा-सा प्रश्न पूछ रहा हूं? कितनी रायल्टी का नुकसान होगा यदि माइन्स बंद हो जाएंगी? माइन्स बंद होने के कगार पर हैं। 12 लाख टन जो अभी जा रहा है वह भी बंद हो जाएगा क्योंकि बाहर से लाइम स्टोन आ रहा है। मैं तो सीधा-सा प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा जवाब दीजिए। राज्य सरकार क्या इसको जोइंटली लेना चाहती है या नहीं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : जहां तक सवाल है आयात का, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लाइम स्टोन कम्पनियों को लगभग 1560 रुपये में जाता है और जो लाइम स्टोन बाहर से दुबई से आयात हो रहा है वह 1341 से 50 के करीब पड़ता है। सौ रुपये प्रति टन का मार्जिन है बाहर से लाने में, इसलिए स्वाभाविक है कि जब तक रेलवे का किराया कम नहीं किया जाएगा, रिबेट नहीं दी जाएगी तब तक वहां से ज्यादा लाइम स्टोन निकालना घाटे का सौदा है। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय, मैं पूछ रहा हूं कितना लास होगा रेवेन्यू का? (व्यवधान) आप मुझे नहीं बता रहे कितना लॉस रेवेन्यू का होगा यदि बंद हो जाएगी तो। क्या उस पैसे से आप जोइंटली रेलवे लाइन बिछा नहीं सकते? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं सीधा, जवाब नहीं दे रहे मुझे। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्री महोदय, आपने जो आकंड़े दिये कि "उनको बाहर से मंगाया हुआ सस्ता पड़ता है, वह इसलिए सस्ता पड़ता है कि वहां तक रेलवे लाइन नहीं है, अगर इस माइन्स तक रेलवे लाइन हो तो उनको यह सस्ता पड़ेगा। इसलिए माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जब तक रेलवे लाइन वहां नहीं बिछाएंगे, वहां तक ट्रकों से ट्रासपोर्ट करके ले जाएंगे तब तब उनको महंगा पड़ता है। वे तो ग्राहक हैं, उनको तो बाहर से सस्ता है वे तो लेंगे लेकिन राज्य सरकार को रायल्टी का नुकसान और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वे कितने बेरोजगार हो जाएंगे? आप इस बात का भी साथ में सर्वे करावें कि यदि आपकी रेलवे लाइन होती है तो उनको सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 35 लाख के ऊपर तो आप कह रहे हैं रेलवे लाइन बिछा ही देंगे, 12 लाख और 23 लाख का जो अंतर हो वह पूर्ति भी होने वाली है। माननीय सदस्य का सुझाव सिर्फ यह है कि इसको दृष्टिगत रखते हुए आपको कितनी रायल्टी का नुकसान होगा और कितने मजबूर बेकार होंगे। राजस्थान गर्वनमैंट अपनी तरफ से कुछ कन्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या रेलवे लाइन बिछाने के लिए सीधा-सा सवाल है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पहले भी कहा कि पहले योजना थी और सर्वे भी किया गया था लेकिन आर्थिक दृष्टि से कारपोरेशन की इतनी अच्छी हालत नहीं है। जब तक दूसरे कारपोरेशन सहयोग नहीं करते तब तक 110 करोड़ की स्कीम लाकर खर्च करना व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। जहां तक...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वायेबल नहीं है 110 करोड़...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : 35 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो तभी वह वायेबल है। वर्तमान में 12 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है और डिमाण्ड के आधार पर ही होगा। मान लीजिए आप 35 लाख टन का उत्पान करें और डिमाण्ड ही नहीं हो तब आप कहां लाइन का खर्चा निकालेंगे? (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड है तो प्लस के आधार पर क्यों नहीं हो रही है? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप रेलवे लाइनें बिछा देंगे तब उनको सस्ता पड़ेगा, अपने आप डिमाण्ड बढ़ जाएगी। आपको महंगा पड़ रहा है इसलिए वे बाहर से मंगा रहे है, यहां की डिमाण्ड कम हो रही है, यही माननीय सदस्य कह रहे हैं। हम सभी यही कह रहे हैं जब रेलवे लाइन वहां...(व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आपको रायल्टी कितनी मिलती है? प्रति वर्ष रायल्टी कितनी मिलती है, यह बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : सस्ता पड़ेगा तो वे मंगाएंगे और डिमाण्ड भी बढ़ेगी राज्य सरकार का राजस्व भी रायल्टी के रूप में बढ़ेगा। हम यही बात कह रहे हैं और आप उसको टाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने प्रोडक्शन बढ़ाने की पासिबिलिटी को एक्सप्लोर किया क्या? दूसरा, कारपोरेशन से आपने कोई नेगोशिएट किया क्या? उसका क्या परिणाम निकला? (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष रायल्टी कितनी मिलती है, बता

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

दीजिए? प्रति वर्ष इस माइन्स से रायल्टी कितनी मिलती है, यह बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : रायल्टी कितनी मिलती है, यह बताइये?

श्री हीरालाल इन्दौरा : 50 रुपये प्रति मैट्रिक टन रायल्टी मिलती है, ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पर एनम टोटल कितनी मिलती है, यह पूछ रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बता दूंगा, अभी आंकड़े नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी आंकड़े नहीं.....(व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : इम्पोर्टैंट प्रश्न है कि प्रति वर्ष रायल्टी कितनी होती है। उसके बाद में वायेबल होती है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो उत्पादन है 50 रुपये प्रति टन उसकी रायल्टी हमको मिलती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि रायल्टी कितनी मिलती है? मंत्री जी ने कहा, मुझे पता है, बाद में बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, यह सवाल है। माननीय सदस्य का यह सवाल है कि अगर टोटल रायल्टी का पता पड़ जाए सदन को कि कितनी मिलती है, तो उससे मालूम पड़ेगा कि आप इतना खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खर्चा करने का तो आपने बता दिया कि इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। दूसरी कारपोरेशन से आपने क्या नेगोशियट किया? अगर वहां से आप एक करोड़ रुपये साल का कमाते हैं, तो आप क्यों नहीं खर्च कर सकते? फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने क्या पासिबिलिटी एक्सप्लोर की? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक ही माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, रायल्टी का मालूम नहीं है। ऐसे ही आ जाते हैं, तैयारी करके आते नहीं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : 7.70 करोड़।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में रायल्टी इतनी मिलती है..यदि फुल प्रोडक्शन हो तो शायद आधे भी प्रोडक्शन से या पूरे प्रोडक्शन से आधी कास्ट पर भी यह ले सकते हैं रेलवे की लाइन 110 करोड़ तो आप कह रहे हैं कि टोटल 110 करोड़ की परियोजना है। उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आ चुकी है, दूसरे भी कोई होंगे, केवल इसी लाइम स्टोन पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाती है। जैसलमेर की रेलवे लाइन पहले साल से ही इकोनोमिक बन गई, लाइम स्टोन के आधार पर तो यहां से जाने के बाद वह रेलवे लाइन बिलकुल इकोनोमिक की वायेबल और होगी यह सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष कह रहे हैं रायल्टी का तो हिसाब लगाइये कि वायेबल है कि नहीं है। आप इसका निर्णय दे दीजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आप यह बताइये कि आपकी जो डिमाण्ड है वह रेलवे लाइन होने के बाद बढ़ेगी या नहीं बढेगी ? उसका किराया क्या पड़ेगा और आज ट्रक से क्या पड़ रहा है ? इसलिए वह डिमाण्ड कम हो रही है। आप इस असली बात को तो छिपा रहे हो, आप दूसरे उत्तर दे रहे हो। इस डिमाण्ड के बढ़ने से आपकी रायल्टी बढ़ेगी। वहां पर जो लेबर काम कर रही है उसको काम मिलेगा आज जो हजारों की संख्या में लेबर लग रही है उससे ज्यादा लगेगी। दूसरा, जो वहां पर नहर के कारण से सिंचित क्षेत्र हो गया उसकी दूसरी आमदनी भी आपको मिलेगी। इसलिए आप तो रेलवे लाइन के बारे में यह सारे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रेलवे घाटे में है। रेलवे लाइन नहीं बिछाना चाहती है, सर्वे हुआ है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आप आइडिया ले लो बी.ओ.टी. का। आप प्राइवेट लाइन बिछाकर चार्ज करो एक्स्ट्रा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कह दिया कि चार कम्पनियों में से एक तो हमारी कम्पनी, दो भारत सरकार की कम्पनी हैं, उन्होंने सारा असैसमैंट किया था पांच-छह साल तक पूरे एरिए का सर्वे किया और प्रोजेक्ट लागत 110 करोड़ रुपये थी। हिन्दुस्तान जिंक भी पीछे हट गया, सेल भी पीछे हट गया। अब सिर्फ आर.एस.एम.एम. को यह लाइन डलवानी थी। उसके बिहाफ पर नहीं डाली गई कि 12 लाख मैट्रिक टन की सप्लाई में खर्चा रेलवे का पूरा नहीं होता है। जब तक 35 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन नहीं हो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जिसकी यह चर्चा कर रहे हैं, 700 करोड़ रुपये की एक जोइंट योजना बनी थी जिसमें सीमेंट प्लांट भी था। 10 करोड़ का वहां वेस्ट पड़ा हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। यह सेल वगैरह आ रही थी वह 700 करोड़ की योजना थी जिसमें रेलवे लाइन इन्क्लूड थी। अलग से सर्वे नहीं कराया गया। केवल आर.एस.एम.एम. जो कह रहे हैं, आर.एस.एम.एम., सेल आदि को मिलाकर 700 करोड़ रुपये की एक जोइंट योजना बनाई गई थी जिसमें सीमेंट प्लांट भी इन्क्लूड था। उस योजना की यह चर्चा कर रहे हैं। अलग से रेलवे बोर्ड से कभी इन्होंने सर्वे नहीं कराया और न उसकी योजना बनाई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अलग से सर्वे कराने का विचार रखते हैं क्या ? माननीय सदस्य बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, अलग से विचार रखते हैं क्या या सोच रहे हैं क्या ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : फिर से सर्वे करा लेंगे लेकिन मुझे पासिबिलिटी कम ही लगती है।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या-448

डा. किरोड़ी लाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री केसाराम चौधरी।

जिला पाली स्थित परिवहन कार्यालय में कार्यरत कर्मी

449. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में प्रादेशिक व जिला परिवहन कार्यालय के निरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी राशि वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों वर्षों के राजस्व वसूलने में कितना अन्तर है और अन्तर के क्या कारण है ?

(3) उक्त जिले के उक्त कार्यालय में कितने अधिकारी, निरीक्षक गृह जिले में कब से लगे हुए हैं ? क्या सरकार उनको हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री छोगाराम बाकोलिया) : (1) जिला पाली के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पदस्थापित निरीक्षकों द्वारा निम्नानुसार राशि वसूल की गई :—

क्र. सं.	वर्ष	राशि (लाखों में)
1.	1998-1999	130.60
2.	1999-2000	271.53

(2) दोनों वर्षों की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 140.93 लाख राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्ष 1998-99 में पाली में जिला परिवहन कार्यालय था तथा दिनांक 1.4.1999 से पाली में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की स्थापना कर दी गई जिससे वर्ष 1998-99 में तीन उड़न दस्ते थे तथा वर्ष 1999-2000 में निरीक्षकों के उड़न दस्तों की संख्या पांच हो गई।

(3) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली में निम्न निरीक्षक पाली जिले के रहने वाले हैं :—

क्र. सं.	नाम	पदस्थापन की तिथि
1.	श्री ओमप्रकाश	8.5.1997
2.	श्री सिकन्दर खां पठान	15.12.1999

निरीक्षकों के गृह जिले में पदस्थापन पर कोई रोक नहीं है। प्रशासनिक कारणों से किसी निरीक्षक को किसी जिले में लगाया जा सकता है।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से सीधा और साफ जाहिर होता है कि वर्ष 1998-99 में 130.60 लाख रुपये राजस्व की वसूली हुई थी और मात्र दूसरे वर्ष 1999-2000 में 140.93 लाख राजस्व की अतिरिक्त वसूली वृद्धि हुई। मैं सरकार के ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं और कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक साल में सीधे 140.93 लाख रुपये की राजस्व की वसूली में वृद्धि की। 1998-99 में 130.60 लाख की वसूली की गई और 140.93 लाख का अतिरिक्त राजस्व वसूलना मतलब 1998 में इतनी कम राजस्व वसूली का कारण आप सिर्फ यह बताते हैं कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय खोलने से ही इतनी वृद्धि हो गई, यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव तो हो गया है। 1998-99 में तो आपके 362 करोड़ रुपये का ही केवल मात्र लक्ष्य था जिसके अगेंस्ट में 363 करोड़ रुपये हमने प्राप्त किये। दूसरे साल 450 की जगह 452 करोड़ रुपये प्राप्त किये और इस साल हमने 511.27 करोड़ के लक्ष्य प्राप्त किये हैं पूरे राजस्थान में 240 करोड़ से 241 करोड़ आपके राज के बाद जो बढ़ाया है सवा दो साल में, उसमें पहले भ्रष्टाचार में आप थे, आपकी सरकार थी। हम_(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पाली जिले में 1998 में फिर इतने पैसे कम राजस्व की वसूली क्यों हुई ? वहां पर आपके इंस्पैक्टरों ने किस तरह से गड़बड़ घोटाले किये, वे आपसे छिपे हुए नहीं है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारे इंस्पैक्टरों ने कोई गड़बड़ घोटाले नहीं किये, यह हमारी एफिशिएंसी थी। राज्य सरकार के आने के बाद इफैक्टिव कंट्रोल के कारण से और प्रादेशिक परिवहन कार्यालय खोलने से इफैक्टिव कंट्रोल हुआ जिसके कारण से आय बढ़ी और आय बढ़कर राजस्व से हमारी सरकार का स्ट्रेंथन किया।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। मंत्री महोदय, पाली जिला परिवहन कार्यालय था उस समय आपके कार्यालय का कुल खर्चा कितना था और प्रादेशिक कार्यालय होने के बाद सालभर का कुल एक्सपेंडीचर कितना है? दूसरा, मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में है या नहीं, आप आमदनी तो बढ़ा रहे हो वह तो ठीक है पर लोगों की लूट-खसोट कर रहे हैं, कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। गांव वाले ट्रालियां मण्डी में ले जाते हैं, उनसे वसूली हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिए, पाली जिले का क्वेश्चन है, पाली के बारे में ही पूछिये।

श्री केसाराम चौधरी : पाली के बारे में ही बोल रहा हूं। मैं पाली के बारे में ही बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पाली के बारे में पूछ रहे हैं, साहब, और क्या है? पाली में ही हो रहा है यह सारा का सारा। पहले उसका तो जवाब दे दो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जनरल बात आप मत पूछिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने यह कह दिया कि आपकी आय 140 लाख रुपये बढ़ गई, इसका मतलब पाली जिले में अवैध संचालन भी बढ़ा है ? आप इसको भी स्वीकार करते हैं न? अवैध वाहनों का संचालन बढ़ा तब ही आपने जुर्माना ज्यादा किया। इसको तो आप स्वीकार करेंगे कि अवैध वाहन ज्यादा आपके राज में चल रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : मान्यवर, अगर मेरे प्रशासन को चलाने की अन्दर की बुद्धि आपको दे दूं तो पता नहीं क्या कर जाओ। हमारी सुबुद्धि के कारण से कंट्रोल किया। कोई अवैध वाहनों से यह_(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाकोलियाजी, ज्यादा मत उधेड़ो। ज्यादा मत उधेड़ो। (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने रोडवेज का भट्ठा बैठाया है। रोडवेज को कितने घाटे में ले गये आप।

श्री छोगाराम बाकोलिया : रोडवेज का जो प्रशासन है— (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने रोडवेज का भट्ठा बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अवैध वाहनों का चालान बनाया जाता है। जितनी लूट इस सरकार ने की है कभी नहीं हुई है। जनता को जिस ढंग से लूटा जा रहा है उतना कभी नहीं लूटा गया है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रोडवेज कब से आपकी (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्व में यह वृद्धि हुई ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब दे दें कि खर्चा कितना बढ़ा आपका। आपकी राजस्व 140 लाख बढ़ गई एक साल में। मैंने पूछा कि जिला कार्यालय था उस समय आपका खर्चा कितना था और प्रादेशिक कार्यालय होने के बाद कितना हुआ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो ख़र्चे की बात कह रहे हैं, पूरे राजस्थान में एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिसमें केवल 3 परसेंट खर्चा प्रशासनिक तौर पर होता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इससे कम से कम.... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं पूरे राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप पहले सुनिए मेरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : राजस्थान का, अध्यक्ष महोदय, आपने मना कर दिया। यह केवल पाली का सवाल है, पाली का जवाब दिलवाइये। जब हम पूछते हैं तो आप मना कर देते हैं। पाली का बताइये आप, जिले का कितना खर्चा होता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, यह इनको— (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पाली का नहीं मैं पूरे राजस्थान का बताता हूं। पाली का कोई खर्चा (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप तो पाली का ही बता दीजिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, केवल मात्र 58 तो डी.टी.ओ. हैं, निरीक्षक 262 के करीब उसमें हैं, कुल मिलाकर 850 की स्ट्रेंथ के बाद 450 से 51 करोड़ रुपये कमा कर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, हम पूछें तब तो कहते हैं कि आप केवल पाली का पूछिये और आप जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) हम पूछ रहे हैं तो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जो है, मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप कभी अगर राज में आ जाओ तो 10 साल में पूरी कर दो तो मुझे बता देना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, राजस्थान की आप बात क्यों कर रहे हैं, प्रश्न तो पाली का है। केसाराम चौधरी।

श्री सांवरलाल : आय बढ़ाने के नाम पर लूट-खसोट मचा रखी है, अध्यक्ष महोदय, सुनते ही नहीं किसी को। काश्तकारों की ट्रालियों को लूटते हैं। मैंने सीधा सवाल किया उसका जवाब दिलवाइये अब।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारे यहां कोई लूट-खसोट नहीं होती है।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आपने किस-किस तरीके के और किस-किस वाहन के चालान से यह पैसा वसूल किया है? आपकी 140 लाख की आमदनी किस-किस के चालान से बढ़ी, यह बताइये आप हमको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। एक अनुपुरक प्रश्न पूछ लीजिए बस। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि आपके वहां जो लोकल इंस्पैक्टर लगाये हुए हैं, रात को डेढ़-डेढ़ बजे तक किसी ट्रैक्टर वाले को, किसी ट्राली वाले को जो कोई अपने घर के काम से जा रहा है, उसको भी नहीं बख्शते। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, लूट-खसोट मचा रखी है। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब तो दिलवाइयें। पूरे राजस्थान का बता रहे हैं, हम केवल पाली का पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : गरीब किसानों को लूटकर लूट-खसोट मचा रखी है पाली जिले में, इसलिए आपका 140.93 लाख का राजस्व बढ़ा है, न कि आपकी कोई वर्किंग कैपेसिटी से बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : किसानों को लूट रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चालान करने से आपकी आमदनी बढ़ी है। यह बताइये। + + + ...(व्यवधान) आमदनी को...... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ऐसी लूट मचा रखी है पाली जिले में, इस तरह से एकदम राजस्व डबल कबूल करना, गरीब लोगों का आपने + + + ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों को मारकर वसूल कर रहे हैं। मंडी... (व्यवधान) पैसा वसूल किया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं, लूट-खसोट की बात कर रहे हैं, इंस्पैक्टर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। बैठिये। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : लूट-खसोट करते तो आमदनी नहीं बढ़ती। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आपके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : लूट-खसोट नहीं की तो पैसे कहां से लाये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सांवरलाल : मेरा उत्तर तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। श्री केसारामजी, बैठें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री केसाराम चौधरी : किसानों को लूट रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सिरोही में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

443. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में जिला सिरोही में किस-किस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी से नियम 17 या 16 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगे गए हैं? उक्त स्पष्टीकरण किन-किन मामलों के सम्बन्ध में मांगे गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया गया है? क्या अब कार्यवाही समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण मय निर्णय के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सिरोही में वर्ष 2000-2001 में 31 मार्च, 2001 तक जिले में 107 अधिकारियों/कर्मचारियों से नियम 16 व 17 एवं 18 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। 107 अधिकारियों/कर्मचारियों में से नियम 16 व 18 के अन्तर्गत 14 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एवं नियम 17 के अन्तर्गत 93 अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण चाहे गये हैं। स्पष्टीकरण/ विवरण आरोपों की गई कार्यवाही, सजा आदि का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विभागीय कार्यवाही नियम 16 एवं 17 के निर्णय में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के दण्ड का निर्णय लिया गया है, वे इस प्रकार है :—

दण्डित	42 अधिकारी/कर्मचारी
चेतावनी	23 अधिकारी/कर्मचारी
जांच विचाराधीन	15 अधिकारी/कर्मचारी
कार्यवाही ड्रोप	10 अधिकारी/कर्मचारी
दोषमुक्त	17 अधिकारी/कर्मचारी
कुल	107

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग हेतु भूमि रूपान्तरण की निर्धारित दर

444. श्री अमराराम (धोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासीय भूमि रूपान्तरण में दो वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति वर्ग की दरें सामान्य वर्ग की दर से आधी थी ?

(2) क्या अब शहरी आवासीय भूमि रूपान्तरण की दरें सामान्य व अनुसूचित जाति की एक समान करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रूपान्तरण की दर अनुसूचित जाति वर्ग की सामान्य वर्ग से आधी ही रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5(2)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 27.9.99 के द्वारा जयपुर शहर के सभी वर्गों के लिए तथा पत्र दिनांक 22-1-99 के द्वारा अन्य शहरों के लिए सभी वर्गों के लिए एक ही दर निर्धारित की गई है।

(3) जी नहीं। भू-राजस्व अधिनियम 1(56) की धारा 90 बी (3) के तहत खातेदार द्वारा अपने अधिकार सरेण्डर करने के उपरान्त ही भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है तथा किसी जाति विशेष को नहीं रहती धारा 90 बी(6) के अन्तर्गत इसका निष्पादन राज्य सरकार स्थानीय संस्था द्वारा किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र नैनवां की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

446. श्री प्रभुलाल (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां की किस-किस पंचायत समिति में गत दो वर्षों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की जावेंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के अन्तर्गत पंचायत समिति नैनवां के एक शहर, 172 ग्राम तथा 198 ढाणियां (चिन्हित) व पंचायत समिति-तालेड़ा के 63 ग्राम तथा 36 ढाणियां (चिन्हित) आते हैं। 1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार उक्त सभी ग्राम तथा ढाणियों को पेयजल की विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 में इस क्षेत्र में सम्वर्द्धन हेतु निम्न कार्य सम्पादित करवाए गये :—

(श्री प्रभुलाल)

पंचायत समिति	करवाये गये कार्य	लाभान्वित शहर /ग्राम
नैनवां	4 नलकूप (नये) बनवाकर चालू करना 3300 मीटर नई पाइप लाइन 143 नये हैण्ड पम्प निर्माण कर चालू करना तथा 2 हैण्ड पम्प योजनाओं को पम्प व टैंक योजना में बदलना।	94 गांव
तालेड़ा	एक कुएं को गहरा करना 600 मीटर नई पाइप लाईन 17 नये हैण्ड पम्प निर्माण कर चालू करना।	17 गांव

उपरोक्त के अतिरिक्त पंचायत समिति नैनवां में 18 तथा पंचायत समिति-तालेड़ा में 3 हैण्ड पम्प ऐसे हैं, जिनका वैधन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा माह मई, 2001 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में निम्नानुसार हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए :—

पंचायत समिति	1999-2000	2000-2001	कुल
नैनवां	67	94	161
तालेड़ा	14	9	23
योग	81	103	184

उपरोक्त में से 160 हैण्ड पम्प चालू हो चुके हैं। 21 में वेधन कार्य पूरा हो चुका है जिन्हें मई, 2001 में चालू किया जाना प्रस्तावित है। शेष 3 हैण्ड पम्प माह जून, 2001 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी गांव पेयजल योजना से लाभान्वित है। जहां भी सुविधा में कमी दृष्टिगोचर होती है वहां सम्वर्द्धन कार्य प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार सतत् प्रक्रिया के रूप में करवाये जाते हैं। वर्तमान में निम्न स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रगति में है :—

(अ) ग्राम समिधि व बामनगांव योजनाओं का वर्तमान हैण्ड पम्प योजना से पम्प व टैंक योजना में बदलना।

(ब) 31 नये हैण्ड पम्पों का निर्माण (स्वीकृति वर्ष 2001-2002)

कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण

448. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए विश्व बैंक की एजेन्सी आई.डी.ए.क. एवं जेफ के द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई?

(2) उक्त आबंटित राशि को कितने वर्ष उपयोग कर परियोजना को पूर्ण करने का प्रावधान था?

(3) उक्त परियोजना की प्राथमिक लागत कितनी थी तथा कौन से कार्य करवाये जाने थे और उनमें से किस-किस कार्य में

(डा. किरोड़ी लाल)

कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजना के तीन वर्ष पूरे होने पर इसकी प्रगति का जायजा लेने के लिए विश्व बैंक टीम कब आई तथा उनके निरीक्षण के क्या परिणाम सामने आये?

उत्तर

(1) कैलादेवी अभ्यारण्य को विकसित करने के लिये विश्व बैंक द्वारा पृथक से कोई राशि आबंटित नहीं की गई। पूरे रणथम्भौर बाघ परियोजना जिसके अन्तर्गत कैलादेवी अभ्यारण्य भी सम्मिलित है, को विकसित करने के लिये विश्व बैंक की एजेन्सी आई.डी.ए.एफ. जैफ द्वारा इंडिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 38.38 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई।

(2) इस परियोजना को पूर्ण किये जाने की अवधि छह वर्ष निर्धारित है।

(3) इंडिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिये प्रारम्भ में 38.38 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी। उक्त धन राशि से करवाये जाने वाले कार्य तथा उन पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(4) उक्त परियोजना के तीन वर्ष पूर्ण होने पर इसकी प्रगति का जायजा लेने हेतु विश्व बैंक का मिड टर्म रिव्यू मिशन माह मई, 2000 में आया जिसके द्वारा किये गये निरीक्षण के परिणाम परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर निगम, जयपुर में ठेकेदारों के बिलों का लम्बित भुगतान

766. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1995 से 2000 तक नगर निगम, जयपुर द्वारा कचरा परिवहन, सुरक्षा गार्ड एवं वाहनों पर कुल कितना व्यय किया गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न ठेकेदारों के प्रमाणित शुदाबिल लम्बे समय से पड़े रहने के बावजूद भी उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम में प्रभावी व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है जबकि पहले से विचाराधीन बिलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो निगम में लम्बित बिलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निगम में लम्बित पड़े बिलों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से 2000 तक नगर निगम, जयपुर द्वारा कचरा परिवहन, सुरक्षा गार्ड एवं वाहनों पर किये गये व्यय की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी, हां। विभिन्न ठेकेदारों के प्रमाणित शुदाबिल, बजट एवं अर्थाभाव के कारण लम्बित हैं।

(3) आलोच्य बिलों के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

(4) जी, हां। बजट राशि की उपलब्धता अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड रानी सेशन (पाली) के विरुद्ध कार्यवाही

767. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्यादेश के तहत किसी नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारी को पद स्थापित करने के बाद नगरपालिका बोर्ड को बिना आदेश के अधिशाषी अधिकारी को कार्य मुक्त करने के अधिकार हैं? यदि हां, तो किस अधिनियम के तहत? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगरपालिका बोर्ड रानी सेशन जिला पाली के दिनांक 27 मार्च, 2001 को बिना राज्यादेश के अधिशाषी अधिकारी को कार्य मुक्त कर जयपुर भेजा है?

(3) क्या ऐसे नगरपालिका बोर्ड अध्यक्ष के विरुद्ध सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। अध्यक्ष, नगरपालिका रानी के विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में चुंगी व्यवस्था पर पुनर्विचार

768. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में चुंगी व्यवस्था पुनः लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की गत कई वर्षों से कमी है? क्या सरकार कर्मचारी और बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चुंगी व्यवस्था पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, हां। वर्तमान में नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण नियुक्ति सम्भव नहीं है। प्रतिबन्ध हटने पर नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई नियुक्तियों की कार्यवाही की जावेगी।

नगरपालिका, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़) में कियोस्क आबंटन

769. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़ में कियोस्क आबंटन हेतु समिति की बैठक हुई उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षित बेरोजगारों की आयु प्रमाण-पत्र हेतु विद्यालय के रिकार्ड को ही माना जावे ? क्या जिन प्रार्थना-पत्रों में आयु प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं था उनको पुनः विद्यालय रिकार्ड के आधार पर प्रमाण-पत्र देना निश्चित हुआ था ?

(2) क्या उक्त निर्णय के नीचे एक पंक्ति बाद में इस बात की बढ़ाई की शपथ-पत्र के आधार पर भी आयु का प्रमाणीकरण हो सकेगा ? यदि हां, तो क्या नगरपालिका शिक्षित बेरोजगार आयु प्रमाण-पत्र हेतु विद्यालय रिकार्ड से सत्यापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कियोस्क आबंटन में प्राथमिकता शिक्षित बेरोजगारों को थी ? यदि हां, तो उनका आयु प्रमाण-पत्र विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) प्रकरण में जांच करवाई जा रही है।

(3) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में काफी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं। राज्य सरकार द्वारा आयु प्रमाण-पत्र विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आबंटन समिति, आबंटन सहित समस्त कार्यवाही हेतु अपने विवेकानुसार उपर्युक्त निर्णय ले सकेगी।

अजमेर शहर के पास के ग्रामों का शहरी सीमा में विलय

770. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर शहर के पास की कितनी ग्राम पंचायतों के गांवों को शहरी सीमा में किस आदेश के तहत सम्मिलित किया गया है ? आदेश की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहरी सीमा में सम्मिलित की गई ग्राम पंचायतों के आवासीय मकानों के पट्टे बनाने व नक्शा स्वीकृति के अधिकारों पर रोक सरकार के किस आदेश से लगी है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत अधिनियम व नियमों के विरुद्ध नगर सुधार न्यास, अजमेर बिना ग्राम पंचायतों की सहमति लिये सिवाय/चारागाह भूमि पर आवश्यक कालोनी या नक्शे बनाकर भू-खण्ड आवंटित कर रहे है ? यदि हां, तो क्यों व किस

(श्री हीरासिंह चौहान)

नियम/कानून व आदेश के अन्तर्गत उनको उक्त कार्यवाही हेतु अधिकृत किया है ?

(4) पेराफेरी में सम्मिलित किन-किन ग्राम पंचायतों की भूमि पर नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा आवश्यक कालोनियों के नक्शे बनाये हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर शहर की शहरी सीमा में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.-1(5) टीपी/72 दिनांक 16.8.1976 द्वारा 27 राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये थे तत्पश्चात् संशोधित शहरी सीमा में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.-1(5) नविवि/72 दिनांक 27.9.1995 द्वारा 3 और राजस्व ग्राम शामिल किये गये थे इस प्रकार अजमेर की शहरी सीमा में कुल 30 ग्राम है। इनमें से 22 राजस्व ग्राम 13 विभिन्न पंचायतों के शामिल किये गये हैं। 30 ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। इस प्रकार के आदेश जारी नहीं हुये हैं। किन्तु स्थानीय स्तर पर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अनियोजित विकास रोकने की दृष्टि से आदेश जारी किये है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत अधिघोषित शहरी सीमा में न्यास स्वामित्व की भूमि पर ही योजना तैयार कर भू-खण्ड आबंटित किये जा रहे हैं। अतः ग्राम पंचायत से सहमति लिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) कृषि भूमि रूपान्तर नियम 1981 के अन्तर्गत पेराफेरी सीमा, अजमेर शहर के संदर्भ नगरीय योग्य सीमा से 5 किलोमीटर दूरी तक सीमा तक मानी गई है। इस पेराफेरी में सम्मिलित किसी भी ग्राम पंचायत की भूमि पर नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 5 देखें)

दिल्ली बाई पास (जयपुर) पर बसी कच्ची बस्तियों का नियमन

771. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर (ट्रांसपोर्ट नगर एरिया) में से गुजरने वाले दिल्ली बाई पास के दोनों ओर कुल कितनी कच्ची बस्तियां कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि में, कब-कब से काबिज़ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कच्ची बस्तियों के काबिज होने से अब तक सरकार द्वारा इनका कितनी बार सर्वे, नक्शे, विडियोग्राफी करवाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कच्ची बस्तियों में से ऐसी कौन-कौनसी कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें सड़कें, पानी, बिजली, की सुविधाएं सरकार ने मुहैया करा दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सुविधायुक्त बस्तियों को तत्काल यथास्थान बसाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री कन्हैया लाल)

(5) उक्त क्षेत्र में काबिज कुल कच्ची बस्तियों में से कौन-कौनसी कच्ची बस्ती को फरवरी, 2001 तक यथास्थान बसाया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर (ट्रांसपोर्ट नगर एरिया) में से गुजरने वाले दिल्ली बाई पास पर कुल 8 कच्ची बस्तियां बसी हुई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1. **शक्ति कालोनी क. ब.** (आमागढ़) : यह कच्ची बस्ती देहली बाई पास पर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास कुल 15 बीघा क्षेत्र में स्थित है जिसमें से 10 बीघा क्षेत्र जविप्रा. की स्वीकृत लक्कड पत्थर मण्डी का भाग है एवं शेष 5 बीघा पहाड़ के पास स्थित है। यह बस्ती करीबन 15-20 वर्ष से काबिज है।

2. **नागतलाई भट्टा बस्ती** (कली भट्टा नागतलाई) : यह कच्ची बस्ती दिल्ली बाई पास पर आटोमोबाइल नगर व लक्कड़ पत्थर मण्डी के मध्य स्थित है। यह बस्ती ख.न. 4/3 रकबा 1139 बीघा 18 बिस्वा गैर मुमकीन पहाड़ जामडोली में स्थित है एवं 15-20 वर्ष से काबिज है।

3. **वन विहार कच्ची बस्ती** : यह बस्ती दिल्ली रोड पर ईदगाह के पास हाऊसिंग बोर्ड की योजना के साथ लगती हुई है। क.ब.ख.न. 193/2 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा गैर मुमकीन पहाड़ ग्राम बदनपुरा में स्थित है। एवं 10-12 वर्ष से काबिज है।

4. **रींछ-बन्दर कच्ची बस्ती** : यह कच्ची बस्ती देहली रोड पर ईदगाह के पास स्थित है। इस क.ब. का अधिकांश भाग राज मार्ग सीमा में व कुछ भाग निजी भूमि में हैं। राजस्व रेकार्ड अनुसार यह क.ब. खसरा नं. 384 में स्थित है जो दो बीघा क्षेत्र में बसी हुई है। यह बस्ती गत 2-3 वर्षों से बसी हुई है।

5. **पर्वतीय कालोनी कच्ची बस्ती** : इस कच्ची बस्ती का अधिकांश भाग जविप्रा. की व्यवसायिक योजना लक्कड़ पत्थर मण्डी में आता है। यह बस्ती ख.नं. 4/3 रकबा 1139 बीघा 18 विस्वा गैमु. पहाड़ ग्राम-जामडोली में स्थित है। तथा यह 15-20 वर्षों से बसी हुई है।

6. **गणेशपुरी कच्ची बस्ती** : यह बस्ती दिल्ली बाई पास पर गैस गोदाम के आगे निचले क्षेत्र में स्थित है। यह क.ब.ख.नं. 539/2 रकबा 45 बीघा 9 विस्वा गैमु. पहाड़ ग्राम-बदनपुरा में स्थित है एवं करीबन 15-20 वर्षों से बसी हुई है।

7. **सूर्य नगर कच्ची बस्ती** : यह कच्ची बस्ती दिल्ली बाई पास पर गणेशपुरी कच्ची बस्ती से आगे बसी हुई है। यह क.ब.ख.नं. 539 रकबा 45 बीघा 9 विस्वा गैमु.पहाड ग्राम-बदनपुरा में स्थित है। तथा 15-20 वर्षों से बसी हुई है।

8. **महाराणा प्रताप नगर कच्ची बस्ती** : यह कच्ची बस्ती जविप्रा. की ऋषि गालव नगर योजना के समीप बसी हुई है। यह बस्ती करीबन 1000 वर्ग मीटर में बसी हुई है तथा लगभग 10-12 वर्षों से बसी हुई है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जोन में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार इन कच्ची बस्तियों का सर्वे एवं विडियोग्राफी वर्ष 1999 में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा करवाई गई है।

(3) उक्त कच्ची बस्तियों में से पर्वतीय कालोनी, शक्ति कालोनी (आमागढ़) कच्ची बस्तियों में सड़कें, पानी, बिजली मुहैया करा रखी है।

(4) जी, नहीं। उक्त 8 कच्ची बस्तियों में से एक को छोड़कर शेष सभी कच्ची बस्तियां असुरक्षित स्थानों पर बसी हुई है। महाराणा प्रताप नगर क.ब. को 19 सर्वेधारियों में से 18 व्यक्तियों को बसा दिया गया है। ज.वि.प्रा. की सूर्य नगर ब.ब. एवं गणेशपुरी क.ब. को पालडी मीना में 40 व.मी. के भू-खण्ड आबंटन कर बसाया जा रहा है। शेष कच्ची बस्तियां को भी अयन्त्र बसाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) उक्त कच्ची बस्तियों में से एक महाराणा प्रताप नगर क.ब. को फरवरी, 2001 तक यथा स्थान बसाया जा चुका है। अन्य किसी भी कच्ची बस्ती को यथा स्थान नहीं बसाया गया है।

नगर सुधार न्यास, अजमेर की विचाराधीन आवासीय योजनाएं

772. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा पृथ्वीराज एवं संयोगिता नगर आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त योजनाओं का नोटिफिकेशन कब किया गया? उक्त योजनाओं में किस-किस खसरा नम्बर की कितने बीघा भूमि किस-किस खातेदार की कितनी-कितनी आवाप्ति हेतु प्रस्तावित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में भूमि अधिग्रहण की क्या कार्यवाही की गई और वर्तमान में कितनी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 33 के अन्तर्गत सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गई? यदि हां, तो क्या उनका निस्तारण हो चुका है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर की पृथ्वीराजनगर बहुउद्देशीय आवासीय योजना के नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 32(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.2.1999 को अधिसूचना जारी कर अधिसूचित की जा चुकी है। संयोगिता नगर बहुउद्देशीय आवासीय योजना न्यास बैठक दिनांक 21.11.1999 के प्रस्ताव संख्या-20 के निर्णयानुसार प्रस्तावित की जाकर अधिसूचना कराने हेतु राज्य सरकार को दिनांक 30.7.1998 को प्रेषित की गई है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) पृथ्वीराज योजना की धारा 32(1) की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.2.1999 को जारी की जा चुकी है। इस योजना अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की खसरा नम्बर वार भूमि की धारा 4(1) की अधिसूचना हेतु भिजवाये गये प्रस्तावों की सूची की फोटो प्रति संलग्न प्रेषित है। संयोगिता नगर योजना कुल 2480 एकड़ भूमि में प्रस्तावित की गई है। उक्त योजना नगर सुधार न्यास अधिनियम के तहत धारा 32(1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं होने से वर्तमान में अवाप्ति हेतु खसरा नम्बर वार सूची तैयार नहीं हो पाई है।

(3) उक्त योजनाओं की भूमि अवाप्ति हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना राज्य सरकार से जारी नहीं होने से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

(4) न्यास की पृथ्वीराज बहुउद्देशीय योजना की धारा 32(1) के तहत अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी होने के पश्चात् नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा दिनांक 6.3.1999 को सूचना जारी कर जन साधारण एवं सम्बन्धित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी तथा प्राप्त आपत्तियां का निस्तारण न्यास बैठक दिनांक 14.6.2000 के निर्णयानुसार किया जा चुका है। संयोगिता नगर योजना की धारा 32(1) के तहत अधिसूचना जारी नहीं होने से धारा 33 के तहत आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है।

(छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर नगर कालोनी, उदयपुर में अतिक्रमण

773. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने जवाहर नगर कालोनी में किन-किन नागरिकों को कौन-कौनसा भू-खण्ड किस-किस साइज का आवंटित किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रत्येक भू-खण्ड की साइज क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कई नागरिकों ने अपने प्लाट की साइज बड़ी कर ली है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पटेल सर्किल से किशनपोल के बीच सड़क से लगी हुई जवाहर नगर कालोनी की रिक्त भूमि/सड़क की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अतिक्रमण के लिए नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री कुबेर सिंह)

(7) क्या सरकार अतिक्रमण हटाकर गरीबों के लिए कियोस्क (दुकानों) का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा जवाहर नगर कालोनी में 134 व्यक्तियों को विभिन्न साइज के प्लाट आबंटित किये गये हैं, जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में प्रत्येक भू-खण्ड की साइज का विवरण प्रश्न के भाग संख्या-1 मे संलग्न सूची के अनुसार है, किन्तु उपरोक्त में से 17 व्यक्तियों ने भू-खण्ड की साइज बढ़ा दी है। उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) पटेल सर्किल से किशनपोल के बीच सड़क से लगी हुई जवाहर नगर कालोनी में रिक्त भूमि/सड़क की भूमि पर किये गये कब्जों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया।

(5) जी, हां। यथाशीघ्र जांच करवाई जा रही है।

(6) जी, हां। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(7) नियमानुसार भूमि चयन प्रक्रिया नगर परिषद् द्वारा की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में चिन्हित अवैध निर्माण

774. **श्री जीतमल खांट** (बागीदौरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर निगम की सीमा व जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में वर्ष 1990 से 31 मार्च, 2001 तक कितने अवैध निर्माण दर्ज हुए?

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने प्रयास से कितने अवैध निर्माणों की पहचान की है?

(3) जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर और बाहर कुल कितने तहखाने अवैध रूप से बनाये जा चुके हैं? उक्त के विरुद्ध की गई निरोधक व निवारक कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 31.3.2001 तक जयपुर नगर निगम की सीमा में कुल 16586 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के 7409 अवैध निर्माण के मामले दर्ज हुए।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने प्रयासों से 6201 अवैध निर्माणों की पहचान की है।

(3) जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर व बाहर नगर निगम द्वारा कुल 951 तहखाने सूचिबद्ध किये गये हैं। व निगम द्वारा राज. नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170, 254 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, जिनके विरुद्ध न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया हेतु इस्तगासा पेश किया

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

गया है प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध रूप से बने 742 तहखाने चिन्हित किये गये हैं जिनके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिनके विरुद्ध माननीय विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 32, 33 एवं 75 के अन्दर न्यायिक प्रक्रिया हेतु इस्तगासा पेश किया गया है।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा नगर परिषद्, अजमेर को हस्तान्तरित योजनाएं

775. **श्री ललित भाटी** (अजमेर-पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कौन-कौनसी आवासीय बहुउद्देशीय एवं व्यावसायिक योजनाएं नगर परिषद्, अजमेर को हस्तांतरित की गई है ?

(2) हस्तांतरण के समय योजनाओं की स्थिति क्या थी ? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) क्या हस्तांरित योजनाओं का समस्त सम्बन्धित रिकार्ड नगर परिषद्, अजमेर को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और किन-किन योजनाओं का रिकार्ड नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा नगर परिषद्, अजमेर को निम्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाएं हस्तांतरित की गई :—

क्र.सं.	नाम आवासीय योजना
1.	शास्त्रीनगर, शास्त्रीनगर विस्तार
2.	अजयनगर
3	महर्षि दयानन्द कालोनी
4	नाका मदार
5.	अशोक मार्ग
6.	भगवानगंज
7.	पहाड़गंज
8.	धोलाभाटा
9.	आनासागर सर्क्यूलर रोड योजना

क्र.सं.	नाम व्यावसायिक योजना	
1.	शिवकण्ड	
2.	बाइलैण्ड एवं कोतवाली	
1.	श्रीया मार्केट	
2.	अजमेर ट्रेडर्स	ये योजना न्यास के पास पुनः
3.	कंईएम.	हस्तान्तरित हो गई
4.	गांधी भवन	

(2) नगर परिषद, अजमेर को उपरोक्त योजनाएँ पूर्ण विकसित यथा सड़क, विद्युत, पानी, नाली सभी आवश्यक सुविधाओं सहित मय पत्रावलियों के हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 9826 दिनांक 8.9.1998 को 11 योजनाओं की कुल 3006 पत्रावलियां भिजवाई गई।

(3) जी, नगर परिषद, अजमेर को न्यास द्वारा हस्तान्तरित योजनाओं की सम्बन्धित पत्रावलियां योजनाओं के मानचित्र, लेखा पंजिका, भू-खण्ड आवंटन पंजिका एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पत्रावलियां भी सम्भलाई जा चुकी है। लेकिन जिन योजनाओं की पत्रावलियां सम्बन्धित अन्य शाखाओं में विचाराधीन थी, वे पत्रावलियां हस्तांतरित की जानी शेष है, जो नगर परिषद, अजमेर द्वारा अब प्राप्त की जावेगी। पत्रावलियां प्राप्त करने हेतु न्यास द्वारा अर्द्धशासकीय पत्रांक 19765 दिनांक 5.1.2001 द्वारा सूचित किया जा चुका है।

मानसरोवर, जयपुर सेक्टर नं. 12 में रिक्त विद्यालय भवन का उपयोग

776. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की मानसरोवर कालोनी के सेक्टर 12 के जोन 124 में राजस्थान आवासन मण्डल ने एक स्कूल भवन बनाकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय विद्यालय क्रम संख्या-5 के लिए निःशुल्क आबंटित किया था? यदि हां, तो उक्त भूमि एवं भवन का मालिकाना हक वर्तमान में किसके पास है और वर्तमान में उक्त भवन किसके कब्जे में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 5 का नवीन भवन सेक्टर 7 में बन जाने से उक्त विद्यालय ने उक्त भवन रिक्त कर दिया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 5 ने उक्त भवन का कब्जा राजस्थान आवासन मण्डल को दे दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या मण्डल उक्त भवन का कब्जा आवासन मण्डल को मिलने पर उक्त भवन को किसी राजकीय शिक्षण संस्था को विद्यालय चलाने हेतु निःशुल्क आबंटित करने का विचार रखता है? यदि नहीं, तो मण्डल उक्त भवन का उपयोग किस कार्य में करने पर विचार कर रहा है?

(5) क्या शिक्षा विभाग से उक्त भवन को विद्यालय हेतु आबंटित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो किसका और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त भूमि एवं भवन का मालिकाना हक मण्डल के पास है तथा उक्त भवन वर्तमान में मण्डल के कब्जे में ही है।

(2) केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 5 का नवीन भवन सेक्टर 7 में बन जाने से उक्त विद्यालय ने उक्त भवन दिनांक 6.10.2000 को रिक्त कर दिया था।

(3) जी, हां।

(4) इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नियमानुसार स्कूल के लिए, राज्य सरकार को भूमि व भवन बिना कीमत ही दिए जाने का प्रावधान है। भविष्य में यदि शिक्षण संस्था चलाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उक्त भूमि व भवन के आबंटन पर विचार किया जा सकता है।

(5) शिक्षा विभाग को उक्त भवन को विद्यालय हेतु आबंटित करने का अभी कोई प्रस्ताव मण्डल को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

तहसील क्षेत्र आसीन्द की अपूर्ण पेयजल योजना

777. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में सासंद कोष से पेयजल योजना सुराज चैनपुरा पर कोई राशि दी गई है ?

(2) क्या उक्त पेयजल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 5.00 लाख की जारी की गई है। परन्तु विभागीय नीति में न आने के कारण तकनीकी स्वीकृति जारी न होने से विभाग को राशि हस्तान्तरित नहीं हुई है।

(2) जी, नहीं। विभागीय नीति में न आने के कारण इस योजना पर आगामी कार्यवाही बाबत निर्माण सम्भव नहीं हो सका।

जिला बाड़मेर की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

778. श्री मेघाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष जिला बाड़मेर के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा विभिन्न जल योजनाओं में कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

(2) उक्त जिले हेतु दिनांक 31 मार्च, 2001 तक सरकार द्वारा आबंटित राशि में से कुल कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च, 2001 तक किन-किन योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में बाड़मेर जिले की जल योजनाओं हेतु आबंटित पूंजीगत राशि निम्न प्रकार है :—

शहरी क्षेत्र	रुपये 111.55 लाख
ग्रामीण क्षेत्र	रुपये 1556.88 लाख

(2) वर्ष 2000-2001 में बाड़मेर जिले को आबंटित पूंजीगत राशि के संदर्भ में 31.3.2001 तक खर्च निम्न प्रकार हुआ :—

शहरी क्षेत्र	रुपये 111.55 लाख
ग्रामीण क्षेत्र	रुपये 1375.30 लाख

(3) वर्ष 2000-2001 में 31.3.2001 तक ग्रामीण क्षेत्र में किये गये व्यय का योजनावार विवरण प्रपत्र 'क' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र भादरा की कंटीजेंसी पेयजल योजनाएं

779. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संजीव कुमार)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भादरा में कंटीजेंसी पेयजल की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कंटीजेंसी पेयजल योजनाओं का उक्त क्षेत्र में कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां, स्वीकृत कंटीजेंसी कार्य निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	कार्य/योजना का नाम	स्वीकृत अनुमानित लागत राशि (रु.लाखों में)
1	2	3
	इनलेट चेनल मरम्मत का कार्य	
1.	अनूप शहर श्योराटाडा	1.00
2.	जनाणा	0.91
3.	झांसल	1.00
	स्टोरेज टैंक मरम्मत कार्य	
4.	नेठराना	1.00
5.	आसन-मेहरिया	1.00
	नया डीसीबी निर्मित कर चालू करना	
6.	अनुप शहर श्योराटाडा (भादरा)	1.45
7.	बीरान (उदरान)	1.45
8.	गांधी बड़ी (दो नग)	2.90
9.	जोगीवाला	1.45
10.	करणपुरा-मुन्सरी	1.45
11.	उत्तरादाबास (तीन नग)	4.35
1	2	3
	पुराने डीसीबी चालू करना	
12.	मलखेड़ा	0.70
13.	साहुवाला	0.70
14.	निनाण	0.70
15.	छानी बड़ी (दो नग)	1.40
16.	सागड़ा	0.70
17.	भादरा (डिस्ट्रीब्यूटरी पर तीन भाग)	2.20
	पुराने कुएं चालू करना	
18.	जटान	0.80
19.	डाबड़ी	0.80
20.	मोजाणा	0.80
21.	रतनपुरा	0.80
22.	शेरडा	0.80
23.	मेहरिया	0.80
24.	आसन	0.80
25.	भूकेर	0.80
26.	गढ़रा	0.80
27.	झीलोदा	0.80
28.	अजीतपुरा	0.80
29.	भानगढ़	0.80
30.	रासलाना	0.80
31.	घेउ	0.80
	योग :	35.36

उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्यों पर कुल अनुमानित 35.56 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से क्रम सं. एक व दो का कार्य पूर्ण किया जा चुका है

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तथा चार का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य इसी माह में प्रारम्भ करवा कर एक माह में पूर्ण किये जाने लक्षित हैं।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में खण्ड कार्यालय की स्थापना

780. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में जलदाय विभाग का एक ही उप खण्ड कार्यालय कार्यरत है? यदि हां, तो क्या क्षेत्र की आबादी (शहर एवं देहात) भौगोलिक स्थिति, पेयजल संकट आदि स्थितियों को देखते हुए दूसरे उप खण्ड कार्यालय की आवश्यकता है? क्या सरकार भादरा में दूसरा उप खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब- तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल स्थिति को देखते हुए भादरा उप-खण्ड मुख्यालय पर जलदाय विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि भादरा में एक ही उप खण्ड कार्यरत है। वर्तमान में कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे उप खण्ड के सृजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(2) उपरोक्तानुसार। भादरा में खण्डीय कार्यालय खोलने के कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

केकड़ी के पम्प हाउस की मरम्मत हेतु कार्यादेश

781. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केकड़ी में स्थित पम्प हाउस (बीसलपुर से गांवों को पानी देने हेतु) की मरम्मत के लिए 3 वर्ष हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब, किस-किस वर्ष हेतु किस-किस दर से निविदाएं दी?

(2) क्या न्यूनतम दर वाली निविदा देने वाले को कार्यादेश दिया गया या देने का विचार है? यदि हां, तो सबसे कम दर किसकी है? क्या उसे कार्यादेश दिया गया या देने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। फ्लोराइड नियन्त्रण परियोजना केकड़ी-सरवाड़, तहसील जिला अजमेर के अन्तर्गत केकड़ी हैड वर्क्स व इससे उद्गमित होने वाली क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के रख-रखाव एवं संचालन हेतु मूलरूप से एक वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु निविदा प्रपत्र के क्लाज़ में यह प्रावधान अवश्य रखा गया है कि यदि आवश्यकता हुई तो विभाग एवं ठेकेदार की आपसी सहमति से द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्यावधि बढ़ाई जा सकती है। निविदाओं के नाम एवं उनके द्वारा दी गई दरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों के तहत इन निविदाओं पर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है। अन्य बिन्दुओं पर निर्णय के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट होगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

आसीन्द (भीलवाड़ा) की स्वीकृति हेतु लम्बित जलदाय योजनाएं

782. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) की कितनी जलदाय योजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित हैं?

उत्तर

तहसील आसीन्द क्षेत्र (भीलवाड़ा) की कोई भी जलदाय योजना स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नावां की पेयजल योजनाएं

783. **श्री हरिश चन्द्र** (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां के ग्राम लूपवां में पेयजल आपूर्ति के लिए भादवा स्कीम पर गत वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई व उक्त में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? क्या उक्त योजना से लूपवां ग्राम को पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी गई है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का लाभ अब तक उक्त ग्रामीण क्षेत्र को देने से क्यों वंचित कर रखा है?

(2) ग्राम मारोठ में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या यहां की जलदाय योजना पर्याप्त है? यदि नहीं, तो इसके लिए पुनर्गठित योजना क्यों तैयार नहीं की गई है? अब उक्त योजना कब तक तैयार की जा सकेगी?

(3) ग्राम घाटवां में पेयजल आपूर्ति हेतु यहां की पाइप योजना सरकार के पास कब से विचाराधीन है? क्या उक्त ग्राम के नागरिकों द्वारा दो-तीन माह पूर्व भूख हड़ताल करने पर प्रशासन द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि तीन माह के भीतर यहां की समस्या का समाधान करा दिया जावेगा? यदि हां, तो उक्त कार्य में क्या प्रगति है?

(4) ग्राम मीण्डा की स्वीकृत पाइप योजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या कार्य हो चुका है? क्या उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम ठिकरिया में पेयजल उपलब्ध नहीं है? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत बनाये गये नलकूपों से वहां भी पानी सप्लाई किया जाना सम्भव है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक सप्लाई करा दिया जावेगा?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम मीण्डा के देदीयाबास में पाइप डालने का कार्य विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त काम में अब तक क्या प्रगति है? अब यहां पाइप लाइन डाली जाकर उक्त बस्ती के लोगों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां के ग्राम लूणवा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक क्षेत्रीय जल योजना भादवा-लूणवां की स्वीकृति माह मार्च, 2000 में राशि रु. 6.51 लाख की हुई। इस योजना पर मार्च, 2001 तक रु. 3.54 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। उक्त योजना से ग्राम लूणवां में अभी पेयजल वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस योजना के ग्राम भादवा के स्रोत पर विद्युत सम्बन्ध मार्च, 2001 के अन्त में हुआ है एवं पाइप लाइन डालने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उक्त योजना को इसी गर्मियों मे पूर्ण किया जाकर ग्राम लूणवा को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना लक्षित है।

(2) ग्राम मारोठ में वर्तमान में उपलब्ध पेयजल स्रोतों से 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जो वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता हेतु पर्याप्त है. परन्तु विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य मानदण्डों से कम है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 3 हैण्ड पम्प भी कार्यरत हैं। उक्त ग्राम में मानदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो सके, इस हेतु नये स्रोत के चयन के लिए भू-जल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है। सही स्रोत के चयन के उपरान्त पुनर्गठन योजना के प्रस्ताव बनाये जावेंगे।

(3) ग्राम घाटवां की पुनर्गठित पाइप्ड योजना का प्रारूप फरवरी, 2001 में बना था जो कि वर्तमान में तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। अध्यक्ष, ग्राम विकास समिति, घाटवां, जिला नागौर ने दिनांक 14.1.2001 को ग्राम घाटवां में पेयजल समस्या के निवारण हेतु एक मांग पत्र दिया था एवं भूख हड़ताल भी की थी। मांग पत्र में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' में उपलब्ध है।

(4) ग्राम मीण्डा की स्वीकृत पाइप्ड योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। राइजिंग व वितरण पाइप लाइन डालने का कार्य अभी शेष है। ग्राम पंचायत-मीण्डा के ग्राम ठिकरिया खुर्द में विभागीय स्रोत (एक नलकूप) के सूख जाने के कारण वर्तमान में एक स्थानीय कुएं (प्राइवेट) से पानी सहभागिता के रूप में लेकर वितरित किया जा रहा है एवं वर्तमान सेवा स्तर 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ग्राम मीण्डा की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया खुर्द के लिए पेयजल हेतु कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, ग्राम मीण्डा के नलकूपों से पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित नहीं है। दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत ग्राम ठिकरिया खुर्द में नये पेयजल स्रोत के चयन हेतु भू-जल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है सही स्रोत के चयन के उपरान्त पुनर्गठित योजना के प्रस्ताव बनाया जाना सम्भव होगा।

(5) जी, हां। ग्राम मीण्डा की स्वीकृत पाइप्ड योजना के अन्तर्गत देदीयावास में पाइप लाइन डालने का कार्य प्रस्तावित है। ग्राम मीण्डा में स्वीकृत योजना के तहत बने नलकूपों पर विद्युत सम्बन्ध होने तथा मीण्डा ग्राम के लिए स्वीकृत आवश्यक पाईपों की आपूर्ति होने पर व पाइप लाइन डालने के उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार कार्य किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला राजसमन्द में खनन पट्टों का आबंटन

784. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्बल पालिसी के बिन्दु संख्या-5 के तहत सरकारी भूमि को नीलामी के द्वारा ही आबंटित किया जा सकता है ?

(2) क्या सैलम मार्बल प्रा. लि., उदयपुर ने खनिज अभियंता खण्ड प्रथम, राजसमन्द में दिनांक 19.01.2000 को एक आवेदन पत्र वास्ते गांव पिपलान्त्री कलां, जिला राजसमन्द में सरकारी बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 65 वास्ते मार्बल खनन पट्टा हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो नियम 1994 के तहत उक्त आवेदन पत्र अब तक निरस्त क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकार राजसमन्द जिले में सरकारी भूमि बिलानाम पर खनन पट्टा बिना नीलामी के दिये गये ? यदि हां, तो किस-किस को और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निजी खातेदार को अपनी भूमि का खनन पट्टा प्राप्त करने में प्राथमिकता रहती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रार्थना पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जहां प्लाट की साइज एक हैक्टेयर से कम है, वहां पर आसपास के खनन पट्टाधारियों के बीच नीलाम कर अधिकतम बोली देने वाले पट्टाधारी के खनन पट्टे में सम्मिलित किया जाता है और जहां पर प्लाट की साइज एक हैक्टेयर है या इससे अधिक परन्तु 2.25 हैक्टेयर तक है तो खुली नीलामी द्वारा आबंटन किया जाता है।

(2) सैलम मार्बल प्रा. लि., उदयपुर ने खनिज अभियन्ता खण्ड प्रथम, राजसमन्द के कार्यालय में दिनांक 19.1.2000 को एक खनन पट्टा आवेदन पत्र सं. 8/2000 वास्ते खनिज मार्बल हेतु निकट ग्राम-पिपलान्त्री कलां, जिला राजसमन्द के नाम प्रस्तुत नहीं कर गांव-जूनी आरना, तहसील व जिला राजसमन्द के नाम प्रस्तुत किया, जो मौके पर आराजी नं. 65 सरकारी बिलानाम भूमि मौजा पिपलान्त्री में आता है।

उक्त आवेदन पत्र मार्बल नीति, 1994 के तहत निरस्त नहीं किया गया, क्योंकि उक्त क्षेत्र में अन्य आवेदकों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से स्थगन प्राप्त कर लेने के कारण भूमि की किस्म के सम्बन्ध में विवाद होने, सीमांकन विवाद होने के कारण निर्णित नहीं हो पाया है।

(3) जी, हां। ऐसी भूमि में "8" खनन पट्टे विभिन्न व्यक्तियों को दिये गये हैं। उक्त विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(4) जी, हां। निजी खातेदार अथवा खातेदार की सहमति प्राप्त कर अन्य व्यक्तियों को मार्बल नीति के तहत खातेदारी भूमि में खनन पट्टा स्वीकृत किये जाते हैं। खातेदारी भूमि में विचाराधीन आवेदन पत्रों

(राज्य मंत्री, खनिज)

की सूची संलग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाई गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रूपनगढ़ (अजमेर) थाने के मृतक कांस्टेबल के आश्रित को नियुक्ति

785. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कांस्टेबल श्री देवीसिंह पुत्र श्री खीमसिंह बैल्ट नं. 378 का जिला अजमेर के रूपनगढ़ थाने में कार्यरत रहते दिनांक 18.9.1997 को देहान्त हो गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक उसके वयस्क पुत्र को पुलिस विभाग द्वारा राजकीय सेवाओं में नियुक्ति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या आशार्थी श्री सुखवीर सिंह व उसकी विधवा माता श्रीमती कमला देवी ने उक्त सम्बन्ध में सभी कार्यवाही पूर्ण कर दी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब मृतक के एक मात्र आश्रित पुत्र की श्री सुखवीर सिंह निवासी सीरमा, तहसील रायपुर को नियुक्ति आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) स्व. श्री देवीसिंह की विधवा श्रीमती कमला ने दिनांक 2.12.1997 को अपने पुत्र श्री सुखवीर सिंह को मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति दिये जाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु श्री सुखवीर सिंह की आयु उस समय 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे राजकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई। श्रीमती कमला देवी द्वारा दिनांक 19.10.2000 को उप महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को भेजा गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 17.1.2001 को श्रीमती कमला देवी को उनके गृह पते पर निर्धारित आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए पूर्ति कर अन्य कागजातों के साथ भिजवाने के लिये लिखा गया। इस पर श्रीमती कमला देवी ने दिनांक 12.3.2001 को यह आवेदन कर पूर्ति कर जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है।

(3) श्री सुखवीर सिंह की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्रादि पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर) उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यवधान की जांच

786. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या यह सही है कि 15 अगस्त, 2000 को उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर में अभिनय के बाद दो अध्यापकों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और उस दौरान किसी कारण से साम्प्रदायिक माहौल पैदा हो गया था ?

(2) क्या उक्त विद्यालय में उप जिला कलक्टर व पुलिस उप अधीक्षक (ग्रामीण), सवाईमाधोपुर को मय फोर्स के मलारना डूंगर जाना पड़ा? यदि हां, तो उक्त दोनों अधिकारियों ने वहां पर क्या पाया ?

(3) उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार मलारना डूंगर ने जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को क्या रिपोर्ट दी थी ?

(4) क्या उक्त झगड़े का कारण सांस्कृतिक प्रोग्राम के दौरान एक नाटक का प्रदर्शन था? यदि हां, तो उक्त नाटक में किस अध्यापक ने व्यवधान पैदा किया ?

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में पुलिस ने गणमान्य नागरिकों के बयान लिये होंगे? यदि हां, तो उस बयानों में क्या जानकारी मिली ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां, इन दोनों अधिकारियों ने पाया कि 15 अगस्त, 2000 को राष्ट्रीय पर्व पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, मलारना डूंगर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानाधिकारी, मलारना डूंगर, सरपंच, उप सरपंच एवं गांव के गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। राष्ट्रीय पर्व पर सांस्कृतिक प्रोग्राम के दौरान एक नाटक का प्रदर्शन मंच पर उसी विद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया था। नाटक में एक छोटे छात्र (बालक) जो मुस्लिम समुदाय का था, को आतंकवादियों को शरण देने वाला एवं फौजी कमाण्डर का अभिनय हिन्दु समुदाय के छात्रों को दिया था, जिसमें फौजी कमाण्डर द्वारा आतंकवादियों को शरण देने वाले छात्र के गाल पर मारने का अभिनय था, जिसके द्वारा अभिनय के दौरान गाल पर थप्पड़ मारा। अभिनय के बाद श्री राधेश्याम गुप्ता अध्यापक, श्री शफीक अहमद अध्यापक के बीच कहा सुनी हो गई तथा शफीक अहमद अध्यापक ने श्री राधेश्याम गुप्ता अध्यापक के गाल पर थप्पड़ मार दिया। श्री राधेश्याम गुप्ता व शफीक अहमद अध्यापक को कुछ देर बाद लोगों ने मिलकर शान्त कर दिया। लेकिन पुनः उसी बात को लेकर सायंकाल दोनों अध्यापक श्री राधेश्याम गुप्ता व शफीक अहमद ने अपने-अपने समाज के लोगों को लेकर साम्प्रदायिक माहौल पैदा कर दिया।

(3) इस सम्बन्ध में तहसीलदार मलारना डूंगर ने कानून व्यवस्था बनाये रखने व जनहित में एक रिपोर्ट जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को प्रिंसीपल श्री कल्याण मल मीणा, हाकिम खां, शफीक अहमद तथा राधेश्याम गुप्ता अध्यापकों के स्थानान्तरण करने हेतु लिखा।

(4) जी, हां। उस नाटक में शफीक अहमद अध्यापक ने व्यवधान पैदा किया था।

(गृह मंत्री)

(5) जी नहीं, पुलिस ने गणमान्य व्यक्तियों के बयान नहीं लिखे क्योंकि सम्बन्धित दोनों ही पक्षों ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी, ना ही इस सम्बन्ध में कोई अभियोग दर्ज हुआ।

पुलिस थाना टोडाभीम में विद्युत तार चोरी के प्रकरण की जांच

787. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सितम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक जिला करौली के थाना टोडाभीम में विद्युत तार चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य ग्राम लालाराम के पुरा (थाना टोडाभीम) में करीबन 18 बंडल विद्युत तारों के चोरी किये जाने का जखीरा पुलिस टोडाभीम द्वारा पकड़ा गया था? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रकरण में अब तक मुख्य मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सितम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक जिला करौली के थाना टोडाभीम में विद्युत तारों की चोरी के सम्बन्ध में 4 अभियोग क्रमशः 402/2000, 403/2000, 350/2000 एवं 377/2000 पंजीबद्ध हुये हैं। उक्त सभी अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट "अ-1" से "अ-4" तक संलग्न है।

(2) जी नहीं, ग्राम लालारामकेपुरा (थाना टोडाभीम) में सितम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य विद्युत तारों का कोई जखीरा टोडाभीम पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया है। ना ही विद्युत चोरी के सम्बन्ध में अभी तक ग्राम लालारामकेपुरा का कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया है। थाना टोडाभीम के अभियोग सं. 350/2000, 377/2000, 402/2000, 403/2000 में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त कैलाश, बुद्धाराम, हंसराज, रामकेश, हेमराज ने अनुसंधान के दौरान बतलाया है कि अन्य मुल्जिम धवलेराम मीना, मुकेश मीना, चन्दा, रंगलाल, नेहरू, मीनगान, निवासी लालारामकेपुरा के पास चोरी का शेष सामान होना बताया है। अनुसंधान के दौरान ही उपरोक्त मुकदमों की पत्रावलियां उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, भरतपुर के आदेश से अपर पुलिस अधीक्षक सतर्कता, भरतपुर के पास अनुसंधानाधीन है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला जैसलमेर के पुलिस थानों में दर्ज हिस्ट्रीशीटर्स

788. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना झिझणियांली, खुहड़ी, सम, शाहगढ़, मोहनगढ़, नाचना तथा कोतवाली जैसलमेर में किन-किन असामाजिक तत्वों की हिस्ट्रीशीट पत्रावलियां कब से खुली हैं?

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(2) वर्तमान में दिनांक 20 मार्च, 2001 तक ऐसे कितने हिस्ट्रीशीटर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में बन्द हैं?

(3) सरकार उक्त सक्रिय समाजकंटकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर के पुलिस थाना झिझणियांली, खुहडी, सम, शाहगढ़, नाचना तथा कोतवाली में कुल 113 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में कोई हिस्ट्रीशीटर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बन्द नहीं है।

(3) अब तक जिन हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध सीमा व रासुका में कार्यवाही की गई है का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। वर्तमान में इनकी गतिविधियों पर निगरानी जारी है। किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि प्रकाश में आने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

थाना बरौनी में दर्ज प्रकरण संख्या-290/2000

789. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुकदमा नं. 290/2000 थाना बरौनी का अनुसंधान अधिकारी बदलने का आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2001 को माननीय गृह मंत्री ने दिया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमे के पूर्व अनुसंधान अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक थानाधिकारी, बरौनी व उप अधीक्षक पुलिस, निवाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ है? यदि हां, तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त मुकदमे में थाना बरौनी द्वारा धारा 27 के तहत जब्त वाहन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। मुकदमा नम्बर 290/2000 थाना बरौनी, जिला टोंक में दिनांक 6.2.2001 को परिवादी श्री कानाराम पुत्र श्री गंगाराम गुर्जर निवासी भोजपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण के प्रार्थना पत्र पर माननीय गृह मंत्री के आदेश की पालना पर अनुसंधान अधिकारी बदलकर प्रकरण का अनुसंधान पुलिस अधीक्षक (प्रथम) अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के सुपरवीजन में उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रहलाद सिंह को सुपुर्द किया गया।

(2) जी, हां। प्रश्न में अंकित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने सम्बन्धी परिवाद श्री कानाराम की पत्नी कल्ली द्वारा प्राप्त हुआ था, उक्त परिवाद में अंकित तथ्यों पर आधारित परिवाद पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक एवं शासन प्रमुख सचिव, मानवाधिकार, राजस्थान, जयपुर

(गृह मंत्री)

से प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक से जांच करवाई गई। परिवाद में उल्लेखित तथ्य सही नहीं पाये जाने पर एंवं अभियोग संख्या - 290 / 2000 का अन्वेषणाधीन होने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

(3) जी, हां। यह सही है कि इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरण में बरामद स्कूटर धारा 27 एवीडेंस एक्ट के तहत जप्त न होकर धारा 102 जा.फौ. में पूर्व ही पुलिस थाना जवाहरनगर, जयपुर में जप्त किया गया है। धारा 27 एवीडेंस एक्ट के तहत केवल अभियुक्त कानाराम द्वारा स्कूटर बरामदगी स्थल की निशानदेही की गई है। प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है।

पुलिस थाना बूढ़ादित (कोटा) को आवंटित वाहन

790. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त थानों में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु वाहन उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं तो कौन-कौन से थाने वंचित हैं व कब तक पूर्ति कर दी जायेगी?

(2) क्या कोटा ग्रामीण के बूढ़ादित थाना को आबंटित वाहन उसे न देकर अन्यत्र को आबंटित करा दिया गया है? क्या उक्त थाने को नाकारा वाहन दिया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त थानों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु वाहन आबंटित है। वर्तमान में राज्य में 41 थाने ऐसे हैं जिनको वाहन आबंटित किये गये हैं, लेकिन उनकी समय सीमा पार करने के कारण एवं कार्यक्षमता खतम होने के कारण नाकारा घोषित किया गया है। जिन वाहनों को नाकारा घोषित कर दिया जाता है उनके स्थान पर वित्तीय सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बजट के अनुसार वाहन का रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है।

(2) पुलिस थाना बूढ़ादित को जीप संख्या—आर. जे. 20सी—2272 आबंटित है, को वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा, ग्रामीण के आदेश से अस्थाई तौर पर थाना कैथून को आबंटित की गई है। थाना कैथून साम्प्रदायिकता की दृष्टि से अतिसम्वेदनशील क्षेत्र है तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए एवं मार्च, अप्रैल में नवरात्रा स्थापना, रामनवमी, मोहर्रम पर्व, महावीर जयन्ती, वैशाखी आदि त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये वाहन संख्या- आर. जे. 20 जी-2272 को राज्यहित में थाना कैथून को आबंटित की गई है। फिलहाल पुलिस थाना, बूढ़ादित को राजकार्य हेतु पुलिस लाइन कोटा ग्रमीण से एक मोटर साइकिल अस्थाई तौर पर नं. आर. जे. 20जी-6एम-0738 आबंटित की हुई है।

थाना प्रभारी, बपावर कलां (कोटा) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

791. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन दिलावर)

क्या सरकार ने गत एक वर्ष के अन्दर बपावर कलां थानान्तर्गत वर्तमान थाना प्रभारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने हेतु कोटा के डी. आई. जी. कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो उक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किस-किस शिकायत की कब-कब जांच की? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला कोटा ग्रामीण के थाना बपावर कलां के थानाधिकारी श्री हीरालाल परेवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराने हेतु पुलिस मुख्यालय, सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा कोटा रेंज के डी. आई. जी. को उनके कार्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक से जांच कराने के निर्देश दिये थे। उप महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज के कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने से उक्त जांच अपर पुलिस अधीक्षक, कोटा (ग्रामीण) से करवाई गई जिन्होंने चार परिवाद क्रमशः (1) श्री रमेश मंगल (2) श्री पप्पूलाल धाकड़ (3) श्री द्वारका लाल (4) श्रीमती वहीदन बेगम द्वारा प्रस्तुत परिवादों की जांच की है। उपरोक्त चारों परिवादों की जांच का तारीख वार विवरण इस प्रकार है :—

1. परिवाद द्वारा रमेश मंगल पुत्र मदन लाल निवासी ब्यावरकलां की जांच दिनांक 14.3.2001 एवं 27.3.2001 को की गई।
2. परिवाद द्वारा पप्पूलाल पुत्र छीतर लाल धाकड़ निवासी गांव लदूरा की जांच दिनांक 19.2.2001 एवं 27.3.2001 को की गई।
3. परिवाद द्वारा द्वारकालाल पुत्र प्रभुलाल नागर निवासी डूंगरपुर की जांच दिनांक 26.2.2001 एवं 27.2.2001 को की गई।
4. परिवाद द्वारा श्रीमती वहीदन बेगम पत्नी अब्दुल कयूम मुसलमान निवासी ब्यावरकलां की जांच दिनांक 19.2.2001 एवं 27.2.2001 को की गई। जांच प्रतिवेदन की छाया प्रतियां परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर का गनशाट प्रकरण

792. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुकदमा नं. 368/2000 पुलिस थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर में दर्ज हुआ था? यदि हां, तो क्या दिनांक 26 अगस्त, 2000 को राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर में गनशाट हुआ था?

(2) क्या उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा मुलजिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों?

(3) क्या उक्त प्रकरण में नामजद मुलजिमों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? यदि हां, तो किस कारण?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(4) क्या उक्त प्रकरण में अपराधियों ने मेडिकल रिपोर्ट बदलवा दी थी ?

(5) क्या उक्त मामले में एफ.एस.एल. रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 26.8.2000 को श्री अजरूद्दीन पुत्र कमरूद्दीन निवासी रेलवे कालोनी, सवाईमाधोपुर की लिखित रिपोर्ट पर अभियोग संख्या- 368/2000 दिनांक 26.8.2000 धारा 307, 34 भादसं थाना कोतवाली पर श्री देवनारायण मीणा पुत्र कजोड़ मीणा निवासी विजयपुरा व हेमराज मीणा द्वारा राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर में प्रार्थी के ऊपर गोली चलाने के सम्बन्ध में पंजीबद्ध कराया गया है। अनुसंधान से राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर में उक्त घटना घटित होना नहीं पाया गया।

(2) प्रकरण के अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध दोष प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) प्रकरण में अनुसंधान से मुलजिमानों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाये जाने से दोष प्रमाणित नहीं पाया। अतः उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। एफ.एस.एल. रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(6) अभियोग का अनुसंधान सी.आई.डी (अपराध) द्वारा किया गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण अनुसंधान के आधार पर अभियोग में एफ.आर.अदमवकू (आमदन झूठ) में दी जा चुकी है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थानों में कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम

793. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुलिस थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का विश्राम दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या विश्राम नहीं मिलने से कर्मचारियों पर शारीरिक व मानसिक तनाव नहीं बनता है ?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पुलिस थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का विश्राम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। एवं साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने के कारण थानों में पदस्थापित कर्मचारियों पर शारीरिक एवं मानसिक तनाव के बारे में

(गृह मंत्री)

पुलिसकर्मियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उक्त प्रकार की समस्या सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय लोकप्रिय विद्या मंदिर, रामगढ़ (जयपुर) का फर्जी टी.सी. प्रकरण

794. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक भारतीय लोकप्रिय विद्या मन्दिर, गणेश कालोनी, पुराना रामगढ़ मोड़, जयपुर द्वारा वर्ष 1990-93 में 10-15 पुरानी तिथियों में तहसील सिकराय, हिण्डौन, बांदीकुई, रामगढ़, दौसा आदि क्षेत्र के निवासियों को कक्षा 8 की फर्जी टी. सी. उप जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड-2, जयपुर के फर्जी हस्ताक्षर तथा मोहर लगाकर 10 से 15 हजार रुपये मूल्य में 10-10 वर्ष की उम्र कम कर बेची गई? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्जी टी. सी. प्रकरण की सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा जांच की गई? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच में कुछ व्यक्तियों को जिनके द्वारा फर्जी टी. सी. बनाई गई व जिनके लिए बनाई गई को दोषी पाया गया? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्जी टी.सी. के आधार पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नाजायज रूप से आयुर्वेद विभाग में नौकरी प्राप्त की है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि फर्जी टी.सी. प्रकरण पर सी. आई. डी. (सी. बी.) व अन्य द्वारा न्यायालयों में परिवाद/एफ.आई. आर. दर्ज करवाई गई? यदि हां, तो किस-किस न्यायालय/थाना क्षेत्रों में कब-कब? सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब सरकार उक्त प्रकरणों पर कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में कुछ थानों में अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर.) लगा दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरणों में दोषियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश जारी किये गये? यदि हां, तो कब, क्या उक्त आदेशों की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुनः उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1993 में श्री हरिओम शर्मा द्वारा भारतीय लोकप्रिय विद्या मंदिर, गणेश कालोनी, पुराना रामगढ़ मोड़, जयपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी खण्ड-2, जयपुर के हस्ताक्षरयुक्त एक टी.सी. जिसमें उसने अपनी जन्म तिथि 1.1.1964 दर्शाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर नियुक्ति प्राप्त की। उक्त टी.सी. के संदर्भ में श्री प्रकाश नारायण नाटाणी, एडवोकेट की शिकायत पर बाद जांच से यह टी.सी. फर्जी पाये जाने से अभियोग संख्या-273/12.7.2000 पुलिस थाना मानपुर, जिला दौसा पर दर्ज किया गया तथा वर्ष 2001 में श्री नाटाणी के सीधे परिवाद पर थाना मानपुर में अभियोग संख्या-2/3.1.2001 दर्ज किया गया। चूंकि दोनों प्रकरणों में एक ही टी.सी. को लेकर अभियोग पंजीबद्ध हुये थे। इस कारण अभियोग 2/2001 में दिनांक 12.4.2001 को अंतिम रिपोर्ट अदमवकूआ (गलत फहमी) में दी जाकर अन्वेषण बन्द कर नतीजा दे दिया गया तथा अभियोग संख्या-273/2000 में दिनांक 31.12.2000 को अंतिम रिपोर्ट अदमवकूआ (गैर इलाका) में दी जाकर पत्रावली पुलिस अधीक्षक, करौली को वास्ते आवश्यक कार्यवाही भिजवाई गई। इसी तरह श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के परिवाद पर पुलिस थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग संख्या-191/7.5.2000 दर्ज किया गया था, जिसमें बाद अन्वेषण दिनांक 8.11.2000 को एफ.आर. अदमवकूआ गैर इलाका में देकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला करौली को प्रेषित कर दी गई।

उक्त दोनों पत्रावलियां पुलिस अधीक्षक, जिला करौली को प्राप्त होने पर पुलिस थाना हिण्डौन में अभियोग संख्या-191/2000 पुलिस थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर से प्राप्त पत्रावली पर अभियोग 119/22.2.2001 व अभियोग संख्या-273/12.7.2000 पुलिस थाना मानपुर, दौसा की पत्रावली पर अभियोग संख्या-120/22.2.2001 दर्ज किया गया। चूंकि दोनों प्रकरणों में एक ही टी. सी. को लेकर अभियोग संख्या-पंजीबद्ध हुये थे। इस कारण अभियोग संख्या-120/22.2.2001 में दिनांक 19.3.2001 को एफ.आर. अदमवकूआ (गलत फहमी) में दी जाकर अन्वेषण बन्द कर दिया गया है तथा अभियोग संख्या 119/22.2.2001 अन्वेषणाधीन है। इस प्रकार एक ही फर्जी टी. सी. को लेकर 5 अभियोग अलग-अलग स्थानों पर दर्ज हुये। अभियोग संख्या-119/2000 के अन्वेषण से ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि वर्ष 1990-1993 तक उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मोहर से कितने लोगों को जाली टी. सी. जारी की गई तथा उनसे कितनी राशि इस कार्य हेतु ली गई।

(2) परिवाद श्री प्रकाश नारायण नाटाणी पर सीआईडी (सी.बी.) रैंज सैल, जयपुर द्वारा जांच की गई, उक्त जांच वर्ष 2000 में की गई।

(3) जांच से श्री हरिओम शर्मा, जिनके पक्ष में यह टी. सी. बनाई गई तथा उनके द्वारा

(गृह मंत्री)

इसका उपयोग किया गया, को दोषी पाया गया है, अन्य बिन्दुओं के संदर्भ मे प्रकरण संख्या-119/2001 दिनांक 22.2.2001 थाना हिण्डौन, जिला करौली जो अन्वेषणाधीन है, में साक्ष्य के आधार पर जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) उक्त प्रकार की फर्जी टी.सी. के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। लेकिन श्री हरिओम शर्मा द्वारा दिनांक 6.12.1993 को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौन सिटी, सवाईमाधोपुर के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पाने के बाद दिनांक 5.5.1994 को अपना स्थानान्तरण आयुर्वेद विभाग में करवा लिया था।

(5) यह सही है कि परिवाद श्री प्रकाश नारायण नाटानी के संदर्भ में सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा जांच करने के बाद पुलिस अधीक्षक, दौसा को उक्त परिवाद पर अभियोग पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये गये थे। श्री प्रकाश नारायण की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या-273/12.7.2000 व अभियोग संख्या-2/8.1.2001 थाना मानपुर पर दर्ज हुये थे तथा श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के परिवाद पर अभियोग संख्या 191/7.5.2000 थाना ब्रह्मपुरी में दर्ज हुआ था। इन अभियोगों में एफ.आर. गैर इलाका व अदमवकूआ (गलत फहमी) में दिये जाने के बाद पुनः अभियोग संख्या-119/2001 दिनांक 22.2.2001 व 120 / 22.2.2001 थाना हिण्डौन पर दर्ज हुये। जिनमें अभियोग-संख्या 120/2001 में दिनांक 19.3.2001 को एफ.आर. गलतफहमी में दी जा चुकी है तथा 119/2001 अन्वेषणाधीन है।

(6) यह सही है कि फर्जी टी.सी. के संदर्भ में अभियोग संख्या-273/12.7.2000 व 2/3.1.2001 थाना मानपुर तथा अभियोग संख्या-191/7.5.2000 थाना ब्रह्मपुरी एवं अभियोग संख्या-120/22.2.2001 थाना हिण्डौन में से अभियोग संख्या-273/2000 व 191/2000 में एफ.आर. अदमवकू गैर इलाका तथा अभियोग संख्या-2/2001 व 120/2001 में एफ.आर. अदमवकू (गलतफहमी) में दी गई है।

(7) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 11.8.2000 को श्री हरिओम शर्मा, की अभि. सं. 191/2000 थाना ब्रह्मपुरी में अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई, जिसकी पालना में पुलिस द्वारा श्री हरिओम शर्मा की 10,000 रुपये-10,000 रुपये की जमानत व मुचलके स्वीकार किये गये हैं। गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(8) प्रकरण अन्वेषणाधीन है। किसी भी पक्ष द्वारा अब तक अन्वेषण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की। इस कारण उच्च स्तरीय जांच कराने का कोई विचार नहीं है।

उप निरीक्षक पुलिस की नियुक्ति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

795. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामलाल गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में गृह विभाग के पत्र संख्या-प. 29 (109) गृह 1/90 दिनांक 9-2-2001 के द्वारा 200 उप निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयु वर्ष 1998 में भरे गए आवेदन पत्र से अब 26 वर्ष अधिकतम निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 17 (ए) के तहत महानिदेशक द्वारा खेलकूद में दक्षता प्राप्त खिलाड़ियों को भी यही 26 वर्ष की छूट दी जायेगी ?

(2) क्रमांक 1 पर उक्त पदों के लिए दक्षता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए महानिदेशक पुलिस के पास पदों पर भर्ती हेतु गत 2 वर्षों से कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त खिलाड़ियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? क्या अभी उक्त दक्षता प्राप्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सर्वांगीण विकास के लिए सरकार भर्ती का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को 200 उप निरीक्षक पदों के भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त में से खिलाड़ियों हेतु पद रिक्त रखे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब भी उक्त पदों हेतु स्थान रिक्त रखकर उक्त खिलाड़ियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। 200 उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के पत्र संख्या-प. 2 (22)गृह-1/2000 दिनांक 16.3.2001 के द्वारा उक्त रिक्तियों के लिये आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु में 3 वर्ष की शिथिलन (छूट) की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 वर्ष की शिथिलन उन अभ्यर्थियों को जो कि वर्ष 1998 में उप निरीक्षक पद के लिये आवेदन करने हेतु आयु की दृष्टि से पात्र थे किन्तु 1998 से 2000 तक रिक्ति विज्ञापित नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर सके, की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्रस्तावित सीधी भर्ती में खिलाड़ियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, अतः छूट दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) गत दो वर्षों में दक्ष खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किये गये हैं। जिन खिलाड़ियों के प्रार्थना-पत्र सीधे ही महानिदेशक, पुलिस के कार्यालय को प्राप्त हुये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। आवेदित उक्त खिलाड़ियों को नियुक्ति देने सम्बन्धी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान, लोक सेवा आयोग को 200 उप निरीक्षकों के पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना भेजी गई थी। उक्त पदों में खिलाड़ियों हेतु रिक्त पद नहीं

(गृह मंत्री)

रखे गये। उक्त प्रस्तावित सीधी भर्ती में खिलाड़ियों के लिये आरक्षण नहीं है, क्योंकि आर.पी.एस.एस.आर. के नियम 17 (II-ए) में ऐसा प्रावधान नहीं है। नियम में केवल यह प्रावधान है कि महानिदेशक पुलिस रिक्त पदों के 10 प्रतिशत पदों पर राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ऐसे खिलाड़ियों को भर्ती कर सकते हैं जो नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हों। दक्षता प्राप्त खिलाड़ियों को नियुक्ति देने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों के विरुद्ध जांच

796. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत दस वर्षों में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के कितने चिकित्सकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज किये गये हैं और उक्त में से कितने चिकित्सकों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है तथा शेष का कब तक चालान प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में गत 10 वर्षों में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चिकित्सकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 6 प्रकरण दर्ज किये इनमें से 2 चिकित्सकों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है व 3 प्रकरणों में अन्तिम प्रतिवेदन दिये गये हैं तथा शेष एक प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

अन्वेषणाधीन प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अन्वेषण रिपोर्ट, अन्वेषण के दौरान प्राप्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य का कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण के पश्चात् चालान प्रस्तुत करने/न करने का निर्णय लिया जावेगा।

भ्रष्टाचार जांच में दोषमुक्त पाये गये कर्मचारी

797. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितने कर्मचारी/अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गये ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या उक्त पकड़े गये कर्मचारी/अधिकारियों में से कुछ पकड़े जाने के बाद दोषमुक्त करार दे दिये गये ? यदि हां, तो किस-किस को एवं क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में 116 अधिकारी/कर्मचारी एवं 2000-2001 में 172 अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गये।

(भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री)

(2) उक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध ब्यूरो में अपराध पंजीबद्ध किये गये।

(3) उक्त अवधि में पकड़े गये 6 (छह) अधिकारी/कर्मचारी को पकड़े जाने के बाद न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया है, विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

उनियारा व देवली (टोंक) के वन क्षेत्रों में अवैध खनन

798. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन मण्डल टोंक के अधीन रेंज उनियारा व देवली में खनन किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनियारा रेंज में फुलेना, बिलासपुर पहाड़ियों में आये दिन वन विभाग के और खनन-रायल्टी वालों के झगड़े होते रहते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि रेंज देवली में घाट, टोकरावास, डादून्दा, चांदली क्षेत्र वन विभाग में होने के कारण वहां पर खनन करने वालों को आये दिन वन विभाग परेशान करता है ?

(4) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को जहां वन-सम्पदा बिलकुल नहीं है, और अधिकतर खनन होता है, उसको वन-क्षेत्र से निकाल कर इसके बदले में उतना ही रकबा "बनास नदी" के किनारे लेगी ? क्या उक्त क्षेत्र में वन सम्पदा भी पनपेगी ?

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में जिला स्तर पर एक कमेटी गठित है ? क्या समिति उक्त प्रस्तावों पर अपनी सिफारिश सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन मण्डल टोंक की रेंज उनियारा एवं देवली के अधीन आने वाले वन क्षेत्रों में चोरी छुपे अवैध खनन किया जाना पाया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) वन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम करना तथा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का कर्तव्य होने से उनके द्वारा परेशान किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(4) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी, हां। वन क्षेत्र को खनन हेतु अनारक्षित करने के सम्बन्ध में समिति के द्वारा राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर कानून एवं नियमों के अनुसार उसका परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा।

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु स्वीकृत राशि

799. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998-99 के बजट में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने हेतु कितनी राशि रखी गई थी?

(2) उक्त में से कुल कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 के बजट में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने हेतु पी.पी.एस.एस. मद में रुपये 11,00,000/- (अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र) का बजट आबंटित किया गया था।

(2) उक्त आबंटित राशि में से रुपये 7,31,047/- (अक्षरे सात लाख इकतीस हजार सैंतालीस रुपये मात्र) की राशि व्यय की गई है। व्यय की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

भूमि विकास बैंक, ईटावा (कोटा) के द्वारा ऋण वितरण में अनियमितताएं

800. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक ईटावा जिला कोटा के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में काफी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि बैंक द्वारा दिये जाने वाला ऋण अधिक समय तक पास नहीं करना व पास होने के बाद भी लम्बे समय तक भुगतान नहीं करने व अन्य अनियमितताएं भी होती रहती हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। केवल ट्रेक्टर ऋण के दो मामले विवादित भूमि पर ऋण देने के सामने आये हैं। जिनमें दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जांच प्रारम्भ कर दी गई है एवं सम्बन्धित ऋणी से एकमुश्त ऋण वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(2) जी, नहीं। जिन पत्रावलियों में किसी प्रकार की कमी अथवा एतराज पाया जाता है, उन पत्रावलियों में उन कमियों के दूर होने एवं एतराज की पूर्ति होने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण की कार्यवाही की जाती है। फिर भी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त होती है, तो नियमानुसार जांच करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

जिला जैसलमेर में पशु आहार हेतु घटिया आहार की व्यवस्था की जांच

801. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या जिला जैसलमेर के पशु आहार हेतु 330 मैट्रिक टन सड़ा हुआ गेहूं तथा चावल उपलब्ध करवाये है ?

(2) क्या यह सही है कि चावल पशुओं को खिलाना हानिकारक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकतर गेहूं इतने सड़े हुये हैं जिन्हें पशु भी नहीं खाते ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गेहूं की आपूर्ति के कारण राहत कार्यों में पशु आहार की स्वीकृति नहीं हो रही है ?

(5) क्या जिला प्रशासन द्वारा पच्चीस हजार पशुओं हेतु आहार की मांग आती है ?

(6) क्या सरकार जिला जैसलमेर में पच्चीस हजार पशुओं को डेयरी फेडरेशन व अन्य पशु आहार वितरण की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खाद्य निगम गोदाम से 170 मैट्रिक टन गेहूं तथा 160 मैट्रिक टन चावल पशु आहार श्रेणी के उपयोग का उपलब्ध कराया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

(4) जी, नहीं।

(5) जैसलमेर जिले के लिए माह मई में 25,000 पशु सीमा की मांग आने पर स्वीकृति दी जा चुकी है।

(6) जी, हां। अप्रैल, 2001 के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

सहायता कार्यों में प्राकृतिक आपदा कोष से राशि

802. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1 जनवरी, 1994 के बाद सहायता मद हेतु राज्य प्राकृतिक आपदा कोष से राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी-कितनी ?

(2) क्या सहायता मद में राज्य प्राकृतिक आपदा कोष में नियमित अंशदान के अलावा भी व्यय किया गया? यदि हां, तो कितना-कितना कब-कब किस-किस मद में किया गया ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1994 के बाद सहायता मद में राज्य प्राकृतिक आपदा कोष से राशि निम्नानुसार व्यय की गई :—

वर्ष	व्यय की गई राशि (करोड़ों में)
1993-94	58.38
1994-95	199.08
1995-96	76.86
1996-97	240.25
1997-98	46.23
1998-99	243.75
1999-2000	275.94
2000-2001	530.82(अस्थाई)

(2) राज्य प्राकृतिक आपदा कोष में वर्ष, 1996-97 में 21.00 करोड़ रुपये

(सहायता मंत्री)

एन.एफ.सी.आर. से प्राप्त हुए जो व्यय किये गये थे। वर्ष 1999-2000 में एन.एफ.सी.आर. से 21.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुये जो व्यय किये गये। गत वर्ष सम्वत् 2056 के अभाव में कुल 565.95 करोड़ रुपये व्यय हुये जिसके लिये प्राकृतिक आपदा राहत कोष के नियमित अंशदान के अतिरिक्त निम्नानुसार राशि व्यय की गई :—

(राशि करोड़ों में)

1.	एन.एफ.सी.आर. से प्राप्त राशि का व्यय	102.93
2.	प्रधानमंत्री सहायता कोष व मुख्य मंत्री सहायता कोष से व्यय	21.68
3.	आर.आई.डी.एफ.-6 से प्राप्त राशि का व्यय	54.25
4.	राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से व्यय	180.09
	योग	358.95

ग्राम कटावर, अटरू (बारां) की नदी की क्षतिग्रस्त दीवार

803. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील अटरू (बारां) के ग्राम कटावर में नदी के तेज बहाव के कारण गांव की सुरक्षा दीवार टूट गई ? यदि हां, तो उक्त दीवार कब टूटी थी तथा बाढ़ राहत विभाग द्वारा उक्त दीवार को बनाने हेतु कितनी राशि की स्वीकृति जारी की थी और अब तक उक्त दीवार का निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर पूरा क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या कटावर गांव को सुरक्षा दीवार टूटने से खतरा बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस खतरे से गांव को बचाना चाहती है ? यदि हां, तो अब तक इसका निर्माण क्यों नहीं करवाया गया ? क्या सरकार उक्त दीवार का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम कटावर तहसील अटरू जिला बारां की सुरक्षा दीवार वर्ष 1996 में आई बाढ़ के कारण टूट गई थी। सहायता विभाग द्वारा उक्त दीवार को बनवाने हेतु दिनांक : 16.8.99 को 15.97 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड बारां द्वारा सुरक्षा दीवार की लम्बाई 150 फुट से अधिक होना बताकर उनके द्वारा संशोधित तखमीना वर्तमान दरों से प्रस्तुत किया गया है जो कि 25.09 लाख रुपये का है। संशोधित तखमीना के अनुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) सुरक्षा दीवार टूटने से खतरा बढ़ने के कारण ही सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक निर्माण नहीं करवाये जाने का कारण दीवार का संशोधित तखमीना बनवाया जाना रहा है। सरकार उक्त दीवार का निर्माण शीघ्र ही कराने का विचार रखती है।

विधान सभा क्षेत्र नावां में घटित अग्नि काण्ड

804. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में अब तक कितनी अग्नि दुर्घटनाएं हो चुकी हैं? उक्त दुर्घटनाओं में कितनी पंचायतों में कितने व्यक्ति पीड़ित हुये व उन्हें सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान सहायतार्थ किस एजेन्सी द्वारा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायतों के गांवों में अग्नि दुर्घटना व आकाशीय बिजली गिरने की दुर्घटना होने पर क्या-क्या औपचारिकताएं उक्त क्षेत्र के पटवारी, ग्राम सेवक द्वारा की जाती है व घटना बही में इन्द्राज करने के बाद उसकी सूचना किस अधिकारी को दी जाती है? उक्त तीन वर्षों में ऐसी सूचनाएं कब-कब, किस-किस पंचायत के गांव के लिये दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नांवा में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कुल 55 अग्नि दुर्घटनाएं हुई है। उक्त दुर्घटनाओं में 28 पंचायतों के 55 व्यक्ति पीड़ित हुए। सरकार द्वारा उन पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) अग्नि दुर्घटनाओं की उस क्षेत्र के पटवारी घटना बही में अंकित कर रिपोर्ट तहसीलदार को करते हैं। विगत तीन वर्षों में 28 पंचायतों में 55 अग्नि की दुर्घटनाएं घटित हुई है विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-1)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के अकालग्रस्त ग्राम

805. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ग्राम रींगन, ऊदरासर, समना तहसील लाडनूं जिला नागौर की गिरदावरी सही नहीं होने की शिकायत पर कलक्टर नागौर से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की है? यदि हां, तो कब जांच के लिये लिखा तथा जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर नागौर ने उक्त ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की थी? यदि हां, तो अकालग्रस्त घोषित कब किया तथा नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? उक्त सम्बन्ध में बने नियम व सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि श्री हरजीराम बुरड़क, विधायक से प्राप्त शिकायत पर सहायता विभाग से जिला कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा। जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना से जांच करवाई। जांच के लिए कलक्टर को दिनांक 10.11.2000 को पत्र लिखा गया। जांच रिपोर्ट 17.2.2001 को प्राप्त हुई जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। जिला कलक्टर नागौर से उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त तीनों गांवों में फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम पाया जाने पर इन्हें अभावग्रस्त घोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

(3) गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने के लिए फसल में खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर अकालग्रस्त घोषित किया जाता रहा है। इसका निर्णय प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

प्रतापगढ़ में परिवहन निगम डिपो की स्थापना

806. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात को प्रतापगढ़ होकर प्रतिदिन आती जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) क्या सरकार प्रतापगढ़ में राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन निरीक्षण एवं रख-रखाव के लिये आगामी वर्ष में डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के चारों ओर राज्य पथ परिवहन का सौ किलो मीटर के भीतर कोई डिपो नहीं हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान परिवहन निगम की 6 बस सेवाएं विभिन्न स्थानों से प्रतापगढ़ तक एवं 6 बस सेवाएं ही प्रतापगढ़ से विभिन्न स्थानों के लिये प्रतिदिन प्रस्थान करती है। इसी प्रकार 22 बस सेवाएं प्रतापगढ़ होकर केवल राजस्थान क्षेत्र में 22 बस सेवाएं मध्य प्रदेश क्षेत्र में एवं 8 बस सेवाएं गुजरात क्षेत्र में संचालित हो रही है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में प्रतापगढ़ में केवल 2 बसें रात्रि विश्राम करती है तथा 2 बसें ही प्रातः काल वहां से प्रस्थान लेती है। ऐसी स्थिति में केवल 2 बसों के रख-रखाव के लिये प्रतापगढ़ में पृथक से आगार खोले जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(3) जी, नहीं। प्रतापगढ़ से 90 किमी. की दूरी पर निगम का एक अन्य आगार बांसवाड़ा स्थापित है।

कोटा आगार की बसों के संचालन समय में अनियमितता

807. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा आगार द्वारा कोटा से खातौली, कोटा से गैंता, कोटा से करवाड़, कोटा से मांगारोल के लिए जो बस सेवा चालू है उसमें से अधिकांश बसें समय पर नहीं चलने के कारण यात्रियों को परेशानी होती है? यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु क्या किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा से गुडला, कोटा से नीमोला, कोटा से लुहावद हेतु संचालित बसें बन्द होने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(3) क्या उक्त बसों के संचालन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा समय-समय पर वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के बाद भी उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त बसों को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रातःकाल कोटा से खातौली, गैंसाता, करवाड़ एवं मागरोल मार्गों पर संचालित बस सेवाएं अपने निर्धारित समय पर प्रस्थान करती है परन्तु मार्ग स्थिति ठीक न होने से यातायात जाम हो जाने के कारण ये बसें यदाकदा विलम्बित हो जाती है, फलस्वरूप यह सेवाएं वापस आकर कोटा से उक्त स्थानों के लिये विलम्ब से प्रस्थान लेती है। गत छह माह में इन सेवाओं की समय पाबन्दी निम्नानुसार रही है :—

क्र. सं.	विवरण	नियमितता का प्रतिशत	विलम्ब का प्रतिशत
1.	कोटा-खातौली	76	24
2.	कोटा-गैंता	74	26
3.	कोटा-करवाड़	70	30
4.	कोटा-मागरोल	77	23

निगम द्वारा विलम्बित संचालन को नियमित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया गया है।

(2) जी, नहीं। कोटा से गुडला, कोटा से नीमोला मार्ग पर निगम बसों को निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में पर्याप्त यात्रीभार न मिलने तथा अनार्थिक रहने के कारण बन्द किया गया है तथा कोटा से लुहावद मार्ग पर निगम बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। निगम द्वारा कम आय देने वाली बसों को बन्द करने का निर्णय लिया हुआ है अतः ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैं।

(3) निगम के अनुसार कोटा से गुडला, कोटा से नीमोला एवं कोटा से लुहावद मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ करने हेतु जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई हैं।

(4) जी, नहीं।

जैसलमेर नगर में नव निर्मित असुविधाजनक कृषि मण्डी

808. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में निर्मित कृषि मण्डी मुख्य बाजार से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं ?

(2) क्या उक्त मण्डी में तेरह दुकानों का आबंटन हुआ है जबकि बाजार में 40 व्यापारी पंजीकृत हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नव-निर्मित मण्डी सुनसान में है और कोई आवागमन के साधन नहीं हैं ?

(4) क्या यह भी सही है मार्केट न होने से व्यापारी मण्डी की दुकानों का कब्जा नहीं ले रहे जिसका अधिक किराया होना भी है ?

(5) क्या मंण्डी में व्यापार स्थानान्तरण न होने से सचिव मण्डी समिति ने व्यापार अनुज्ञापत्र 180 दिन के लिए निरस्त कर दिये हैं ?

(6) क्या सरकार किराये में रियायत देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। आबंटन हेतु आवेदन-पत्र मांगे जाने पर 19 व्यापारियों ने आवेदन किया था जिनमें से 7 व्यापारियों ने वरिष्ठता निर्धारण हेतु रिकार्ड का सत्यापन नहीं कराया, इसलिये उन्हें अपात्र कर दिया गया। शेष 12 पात्र आवेदन कर्ताओं को आबंटन कर दिया गया। शेष रही एक दूकान पात्र आवेदनकर्ता नहीं होने की वजह से नहीं की गई।

(3) जी, नही। नवनिर्मित मण्डी प्रागंण रीको क्षेत्र से सटा हुआ है। आवागमन हेतु टैक्सियां चलती हैं एवं कृषक अधिकांश उपज ऊंटगाड़ी, ट्रेक्टर-ट्रोलियों से लाते हैं।

(4) दिनांक 30.8.2000 को राज्य सरकार ने नवीन मण्डी प्रागंण को घोषित कर दिया है। किराया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार निर्माण लागत का 9 प्रतिशत है।

(5) जी, हां।

(6) निर्धारित आबंटन शुल्क (किराया) में रियायत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:—

श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से मै. एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज लि., रामगंजमण्डी द्वारा कई वर्षों से कथित अवैधानिक रूप से खनन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से राज्य में अकाल की स्थिति के कारण उदयपुर जिले में हुई कथित मौतों के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी में दिनांक 23.3.2001 को साधारण सभा की बैठक में जिला परिषद् के एक सदस्य पर कथित हमला करने की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(समय 12.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य की ओर से गंग कैनाल, भाखड़ा व इंदिरा नहर में जल की उपलब्धता दिन-प्रतिदिन कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से जिला बारां में 220 के.व्ही. ग्रिड सब-स्टेशन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला जालौर में हरा चारा योजना में कृषि विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मच्छी दरवाजे को दोनों ओर से आवागमन हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में साबी नदी के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अकाल राहत कार्यों के तहत खड़ीन तथा एनीकट की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) डा. करण सिंह यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम जखराणा में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चार-दीवारी बनाकर उसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना व मुख्य अभियंता (उत्तर) हनुमानगढ़ के अधीन आने वाले सिंचित क्षेत्रों में दिनांक 28-2-2001 से पानी बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से भादरा के एक मात्र बालिका विद्यालय में विज्ञान संकाय (जीव विज्ञान) खुलवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुझे जवाब प्राप्त हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति में एक एस.सी. के—

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आर्डर-आर्डर। अंकित नहीं हो। श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। जो ग्राह्य योग्य नहीं समझा वह समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय ने इसकी रूलिंग दे दी उसके बाद में आप क्यों बोल रहे हो? आप बिराजिये प्लीज। अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी उसके बाद आप बोल नहीं सकते। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नियमों के तहत जो माननीय सदस्य मोस्ट अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट ईवेंट के आधार पर स्थगन प्रस्ताव देते हैं, वही माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव देने के बाद में उसकी उपयोगिता को नकार देते हैं। सदन का पैसा, विधान सभा का खर्चा, टाइम और सदन की मर्यादा, मैं पैसे की बात नहीं करता, सदन की मर्यादा को, विधान सभा को ठप्प कर दिया जाये और मेरे स्थगन प्रस्ताव को पहले लिया जाये। चलो, हम लेने को तैयार हैं लेकिन देने वाले तो रहने चाहिये। यह इतनी अमर्यादित बात है, परम्पराहीन बात है कि माननीय सदस्य विधान सभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं और खुद सदन में हाजिर नहीं रहते। यही स्थिति, मान्यवर, प्रश्न काल की है। प्रश्नकाल में हम प्रश्न दे देते हैं, आपसे अनुमति नहीं लेते कि मैं नहीं उठाऊंगा। आपको सूचना देते नहीं कि मैं स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं करूंगा। यह इस सदन की और आपके आसन की मर्यादा के खिलाफ है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं अथवा स्थगन प्रस्ताव लाते हैं उनकी हमेशा रुचि रहती है कि वह उपस्थित रहें। लेकिन कोई विशेष

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

परिस्थिति उनकी हो जाती है तो उसमें अनुपस्थित हो जायें तो हो जायें, उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। किसी के कुछ कारण हो गया, किसी के क्या हो गया। वरना आम तौर से जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं अथवा जो स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो चेष्टा यही करते हैं कि वह उपस्थित रहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित हों तो भी आप क्या करते हो ? एडजोर्नमेंट मोशन का जो रूल है वह तो रिडंडेंट हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स तो सभी रिडंडेंट हो गये। 131 का मोशन नहीं लगता, 127 का मोशन नहीं लगता, 119 का मोशन नहीं लगता, हाफ एन आवर डिस्कशन नहीं होता।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, यह तो अलग बात है। आप इसको जनरलाइज मत करिये, साहब। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं सुनिये। ठहरिये। मैं तो जब आपने चर्चा उठायी है, आपने एक बात उठायी है— (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, मैंने बात उठायी तो आप इसको जनरलाइज मत करो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आसन से निवेदन करता हूं, मात्र एक पर्ची का माध्यम है कि पर्ची से आप खड़े होकर मर्जी आए जो बोल दें, बाकी नियमों में तो अनुमति देते ही नहीं है। इसलिए हमारा तो, उपाध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है— (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति सबको है अपोजीशन वालों को, मान्यवर, और सारी कार्यवाही ठप्प करवाकर आप सबसे पहले उनको लेते हैं। मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था देते हैं और व्यवस्था देने के बाद में अगर इम्पोर्टेंट हो तो बोलने की अनुमति देते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर जरूरी हो तो तत्काल सदन की कार्यवाही स्थगित करा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल्स में अमेंडमेंट होने के बाद में कोई अनुमति नहीं देते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : पहले दो मिनट बोलने का समय दिया जाता था, लेकिन आजकल दो मिनट भी बोलने की व्यवस्था खतम कर दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगन प्रस्तावों पर कोई अनुमति नहीं मिलती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन पिछले दिनों में आसन ने स्थगन प्रस्ताव पर जो दो मिनट बोलने की व्यवस्था थी, वह बन्द कर दी। आजकल समय मिलता ही नहीं, इसलिए उपस्थित रहने, नहीं रहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरे सत्र में, डेढ़ महीना सत्र को चलते हो गया, एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : (व्यवधान) वही मैं कह रहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : स्थगन प्रस्ताव पेश करके खुद गायब हो जाते हैं, किस बात का समय दिया जायें? माननीय सदस्य खुद गायब हो जाते हैं स्थगन प्रस्ताव देकर। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगन पर्ची वाले से महत्वपूर्ण है। इस पर्ची का बंद नहीं हो, यह महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी, वह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : मैं आसन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां प्रश्न है ढाई साल का, आप आंकड़ा देख लीजिये, हिसाब देख लीजिये, एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लगा। परम्परा रही है इस सदन के अंदर तीन-तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगते रहे हैं, हमेशा एक-दो स्थगन लगते रहे हैं। ढाई साल के अंदर एक भी ध्यानाकर्षण रोजाना नहीं लगता। यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान) माननीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सदन में लाते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पिछले सत्र में दो-तीन तो लगे हैं, को-आपरेटिव वाला लगा है लेकिन इस सत्र के अंदर एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लगा। पिछले बजट सैशन में तो लगे थे दो, लेकिन इस में एक भी नहीं लगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय माहिर साहब, इस सदन को हम 1972 से देखते आये है, कई बार इस सदन के अंदर तीन-तीन ध्यानाकर्षण एक-एक दिन के अंदर लगे हैं। लेकिन ढाई साल के अंदर वह परम्परा धीरे-धीरे खतम होती जा रही है। (व्यवधान) पिछले सत्र में एक-दो लग गये होंगे ध्यानाकर्षण लेकिन इस बार नहीं लगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ग्राह्य नहीं होता है तो भी दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाती रही है, परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया। (अनुपस्थित) श्री वृद्धिचन्द जैन। प्लीज, विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय रामनारायणजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह 6 बजे चलकर 8.30 बजे पहुंचने वाली है अलवर की गाड़ी, पौने ग्यारह बजे आती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। आप किसी से भी निवेदन मत करो, विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और 8 बजे चल कर गाड़ी 2.30 बजे तक आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न के समय कोई अनुपस्थित रहा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हो तो कोई ऐतराज नहीं है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। सारी ट्रेन अब लेट चलती है, ऐसी स्थिति में लेट हुआ जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप नियमों को पढ़ो, परम्पराओं को सीखो केवल मूंछों से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बुजुर्ग हो, हमारे को पढ़ाओ। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बुजुर्ग हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। सब व्यवस्थाएं हैं, परम्परा है। नियमों के अन्दर परम्पराएं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) इसकी क्लास लगाइये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गंग कैनाल भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर में जल की उपलब्धता में कमी

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायणजी, विराजिये। (व्यवधान) श्री मांगीलाल गरासिया। (अनुपस्थित) श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान प्रदेश में गंग कैनाल, भाखड़ा एवं इंदिरा नहरों में जल की उपलब्धता दिनों-दिन कम होने के कारण जो जल 10 हजार क्यूसेक्स उपयोग के लिए प्राप्त होता था, घटते-घटते 3800 क्यूसेक्स पर आने से उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर रहा हूं जो निम्न प्रकार है :—

राजस्थान अपना हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहा है। राजस्थान का रावी, व्यास व सतलज नदी जल में 31.12.1981 के अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार 8.6 एम.ए.एफ. जल का हिस्सा है, जो राजस्थान सरकार प्राप्त करने में विफल रही है।

1966 में जब पंजाब से हरियाणा राज्य का अलग निर्माण हुआ था तो संसद की ओर से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। उसकी धारा 79 में स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि सतलज रावी एवं व्यास नदियों के तमाम हैडवर्क्स हरिके बांध, रोपड़ एवं फिरोजपुर नियंत्रण भाखरा-व्यास प्रबन्ध मण्डल के पास रहेगा जो कि तीन राज्यों की एक प्रतिनिधि संस्था है और जिसका अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा मनोनीत होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 36 वर्ष बीत गये लेकिन पंजाब ने इन हैडवर्क्स का नियंत्रण नहीं छोड़ा और संसद द्वारा पारित कानून की खुली अवहेलना की जा रही है। राजस्थान सरकार उच्चतम न्यायालय के दरवाजे संविधान के अन्तर्गत खटका कर संसद द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत राजस्थान के किसानों को अपना हक दिलाने में असफल रही है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अतः राजस्थान सरकार किसानों के अधिकारों के लिए तुरन्त से तुरन्त उच्चतम न्यायालय में जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, 18 हजार क्यूसेक्स क्षमता में से 12 हजार क्यूसेक्स क्षमता का ही निर्माण हो पाया है लेकिन किसानों के उपयोग के लिए जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। यहां तक कि 10 हजार क्यूसेक्स जल जो पहले उपयोग के लिए प्राप्त होता था, अब घटते-घटते 3800 क्यूसेक्स पर आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में जिन किसानों ने इंदिरा गांधी नहर के कमाण्ड एरिया में मुरब्बों में जमीन की थी, पानी नहीं पहुंचने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गयी हैं। राजस्थान सरकार उनसे किस्तें लेने पर जोर दे रही है, वे देने की स्थिति में नहीं है। उनकी मांग है कि जो कमाण्ड की जमीन है, वह कमाण्ड घोषित की जाये अन्यथा उन्होंने जितनी राशि में जमीन खरीदी है वह उन्हें वापस दे दी जायें। यदि उन्हें सहयोग नहीं दिया गया तो वे आत्महत्या करने की स्थिति में आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण जी। (अनुपस्थित) श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर में हरा चारा योजना के अन्तर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत जालौर जिले में हरा चारा योजना में कृषि विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयानुसार जालौर जिले में इस योजना में कृषि कनेक्शन हेतु किसानों ने फाइल तैयार कर डिमाण्ड नोटिस के पैसे दिसम्बर, 1999 में भरे थे। डिमाण्ड नोटिस की राशि 50 हजार से लेकर 1.50 लाख तक है। गरीब किसानों ने फसल सूखने के डर से जल्दी कृषि विद्युत कनेक्शन लेने हेतु बैंकों से ऋण लेकर भी डिमाण्ड नोटिस भरे। लिये गये ऋण की वसूली हेतु नोटिस तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। जालौर जिले में सैकड़ों कनेक्शन हेतु फाइलें पड़ी हैं। इस हेतु करोड़ों रुपये की राशि विद्युत निगम में जमा है। इस समय जुलाई, 2000 तक की फाइलों का निष्पादन चल रहा है। विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि अतिशीघ्र हरा चारा योजना में विद्युत कनेक्शन दिलवाने की कृपा करें ताकि किसानों को अकाल में राहत मिल सके तथा उनकी फसलों को सूखने से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के मौहल्लों में अधिकतर रोड लाइटें नहीं है, अतः खम्भों (पोल) की व्यवस्था करवा कर उनके मौहल्लों में रोशनी की व्यवस्था करें। पंचायत समिति जालौर एवं पंचायत समिति सायला के किसानों में कनेक्शन नहीं होने से अतिशीघ्र नियमानुसार निष्पादन की कार्यवाही करावें ताकि वे आन्दोलन से बच सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

जयपुर स्थित घाट की गुणी के मच्छी दरवाजे से आवागमन

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत आगरा रोड, घाट की गूणी के ढलान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सरकार द्वारा बंद कर दिये गये ऐतिहासिक मच्छी दरवाजे से आवागमन को जनहित में दो तरफा अतिशीघ्र खोलने के क्रम में ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयपुर जिले की अनेक तहसीलों के हजारों वाहन आते जाते हैं। सब्जी, अनाज, दूध, खाद्य-अखाद्य सामग्री के लिए आम उपभोक्ता से लेकर व्यापारी, व्यवसायियों, नौकरी-पेशा, बीमार मरीजों, गम्भीर डिलीवरी केसेज वाली महिलाओं को ही मच्छी दरवाजा बंद कर दिये जाने से आवागमन में असुविधा नहीं हुई है अपितु यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर सभी प्रान्तों के छोटे-बड़े सरकारी, गैर-सरकारी वाहनों का आवागमन वांछित है। दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, आगरा एवं उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों का यातायात इस मार्ग पर पूरी तरह आश्रित एवं आने जाने का आदी है। कारण स्पष्ट है, जयपुर में प्रवेश के लिए इस दिशा में पहाड़ी श्रृंखला को चीर कर यही एक सीधा एवं शार्ट रास्ता है, इसका उचित अल्टरनेट उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की राजधानी के नजदीक पुराना घाट की गूणी के नीचे दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 को एक टैंकर, जिसमें अति ज्वलनशील प्रकृति का तरल रसायन भरा हुआ था, ढलान में मच्छी दरवाजे से पहले मोड़ पर उलट जाने से वह रसायन सड़क पर पानी की तरह बहना प्रारम्भ हुआ और देखते ही देखते आग के दरिया में बदल गया। 50 फीट से भी ऊंची आग की लपटों से ऐतिहासिक मच्छी दरवाजा जलकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पिछले 5-6 महीनों से राजस्थान सरकार को कोस रहा है। अब उसके पास छोटा दरवाजा जो मुश्किल से 10-11 फीट चौड़ा है, स्थानीय यातायात ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात को भी बर्दाश्त कर रहा है। इस छोटे दरवाजे से एक तरफा यातायात को आर पार होने के लिए सड़क पर लम्बी-लम्बी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। लाल-हरी लाइटों का, पुलिस की सीटी का इंतजार करना पड़ता है। सरकार ने इस दरवाजे को सही कराने के बजाय लगभग 10 पुलिसकर्मी दिसम्बर, 2000 से लगा रखें है, जो एक तरफा यातायात को कंट्रोल करते हैं।

साथ ही कुछ पुलिसकर्मी ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर तो कुछ खानियां चुंगी चौकी पर इसलिए लग रखे हैं कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले भारी यातायात के ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रोलों को लम्बे एवं असुविधाजनक मार्ग मालवीय नगर-खोह

(श्री कन्हैया लाल)

नागौरियान होते हुए जाने को बाध्य करते रहें। उस मार्ग पर जाने से इन वाहनों को महंगे भाव का अधिक डीजल ही नहीं फूंकना पड़ता, अपितु समय भी अधिक लगता है, जो प्रत्येक वस्तु के ट्रांसपोर्ट चार्ज को बढ़ाकर वस्तु को महंगा बना देती है। लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? एक तरफ सरकार फिजूल की इस भारी पुलिस व्यवस्था में जनता का पैसा लगा रही है तो दूसरी तरफ जनता पर ट्रांसपोर्ट चार्जेज बढ़ा कर अधिक मूल्य चुकाने के लिए बाध्य कर रही है।

माननीय का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सरकार ने इस पुलिस व्यवस्था के जरीरे पर आज तक जितना व्यय किया है उसकी मात्र आधे से कम राशि में जयपुर की पूर्व दिशा की शान इस ऐतिहासिक दरवाजे को नया रूप दिया जा सकता था और आम जनता के आवागमन को ही नहीं व्यापारिक, व्यवसायिक, औद्योगिक, नौकरी पेशा, मजदूर, किसान, बीमार एवं इस मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक जरूरतमन्द तबके को राहत प्रदान की जा सकती थी। लेकिन आज भी सरकार इस मामले में सोई हुई है, उसे सरकारी खजाने या जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। अतः सरकार को आदेश जारी किया जाए कि इस मच्छी दरवाजे को शीघ्रातिशीघ्र ठीक करवाकर सभी प्रकार के वाहनों के लिए दो तरफा यातायात खोला जाए।

मुण्डावर में साबी नदी किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में से साबी नदी बहती है। इस साबी नदी के साथ लगते गांव शीतागांव व बासनी में हजारों बीघा जमीन पर राजस्थान से बाहर के लोगों ने पक्का अतिक्रमण कर जमीन पर कब्जा कर रखा है। सरकार की करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन एवं वहां के अधिकारियों ने आंखें बन्द कर रखी हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार भाग चुकी है, यहां सरकार नाम की कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है। यह सरकार आखिर में गयी कहां?

श्री उपाध्यक्ष : सबसे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं यहां।

श्री मदन दिलावर : एक तो 84 वर्षीय सरकार यहां बिराजमान है और तो कोई सरकार दिखाई नहीं देती।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावरजी, प्लीज बिराजें। माननीय सदस्य, क्यों समय जाया कर रहे हो?

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार गायब हो जाए यहां से। किसको सुनाएंगे, किसको कहेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन यह है कि—

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आपका कोई निवेदन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शून्यकाल के अन्दर हम अपने-अपने इलाके के ऐसे-ऐसे विषय यहां रखना चाहते हैं जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। यहां सब गायब हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किसको सुनाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं। ये मंत्री बैठे हैं, वह मंत्री बैठे हैं, वह मंत्री बैठे हैं और ये मंत्री बैठी हैं। माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको कहें तो सही। ट्रैजरी बैंचेज का व्यवहार देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ट्रैजरी बैंजेज पर तो कोई नहीं है। माननीय जोशीजी, आप आगे आ जाओ फिर, यहीं बैठो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय जोशीजी को एक नम्बर पर बैठाओ, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, या तो भीखा भाई हमें खड़े होकर कहें कि यह जो हालत है उससे हम संतुष्ट हैं। आज इस सदन के अन्दर...(व्यवधान) या तो भीखा भाई यह कह दें कि उत्तर देंगे।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय पर्यटन मंत्रीजी को बुला दो आगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सरकार इस सदन को कितनी गम्भीरता से ले रही है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य यहां सवाल उठा रहे थे कि लोग अनुपस्थित हो जाते हैं, यह उपस्थिति है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इसको कहेंगे यह उपस्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सी. पी. जोशीजी यहां बिराज रहे हैं।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय पर्यटन मंत्रीजी को आगे एक नम्बर पर बैठाओ, साहब।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार विपक्ष के डर के मारे मैदान छोड़कर भाग चुकी है।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : हमारे राज में कहते थे एक-एक ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, या तो भीखा भाई कह दें ...(व्यवधान) हम किसको सुनाएंगे ? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ट्रैजरी बैंचेज टोटल खाली हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है, उपाध्यक्ष महोदय ? सदन की गरिमा की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। सुन ली आपकी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कुछ अवशेष बचे हैं, शेष सरकार तो जा चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य। आप कहां बोल रहे हैं? माननीय अमराराम जी, बिराजिए प्लीज। माननीय धर्मपालजी।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, दर्शकों को ठीक नहीं लगता, कम से कम आगे तो बैठाइए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भीखा भाई भील, या तो उत्तर आप दे दें या आश्वस्त कर दें कि आप उत्तर देंगे, तब तो हम अपनी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बहुत हो गया, बिराजिए। धर्मपालजी।

श्री मदन दिलावर : सरकार के अवशेष बचे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं?

श्री मदन दिलावर : मैं तो यह कह रहा था कि अवशेष बचे हैं इस सरकार के।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि शीतागांव एवं बासनी में साबी नदी की हजारों बीघा जमीन जो करोड़ों रुपये की है, उस जमीन पर हुए पक्के अतिक्रमण एवं जमीन पर हुए कब्जे को प्रशासन को आदेश देकर तुरन्त खाली करवाने का कष्ट करें जिससे और जो बीच हुई जमीन है सुरक्षित रह सके और जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है वह जमीन भी तुरन्त खाली हो सके।

एक माननीय सदस्य : अब आये हैं वित्त मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आ जाओ तो शांत हो जाएं। श्री हेमन्त कुमार।

ग्रामीण पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश न देकर बंधुआ मजदूरों के समान कार्य लेने पर विशेष उल्लेख है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित पुलिस स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों की बहुत ही दयनीय बंधुआ मजदूरों के समान स्थिति है। इनसे अनुशासन के नाम पर रात-दिन काम लिया जाता है। सप्ताह में एक दिन का भी अवकाश नहीं दिया जाता। सभी सरकारी कार्यालयों चाहे केन्द्रीय सरकार का हो या राज्य सरकार का या निजी संस्था व उद्योग में सप्ताह में कर्मचारियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश अवश्य दिया जाता है। केन्द्रीय कर्मचारियों को दो दिन का, राज्य सरकार में एक दिन का तथा निजी उद्योगों में क्रमिक एक दिन का अवकाश रखा जाता है। इसके पीछे सरकार की यही भावना रहती है कि कर्मचारी अपनी शारीरिक व मानसिक थकान दूर कर पुनः तरोताजा होकर काम के लिए तैयार हो। साप्ताहिक अवकाश के

(श्री हेमन्त कुमार)

पश्चात् कर्मचारी मानसिक व शारीरिक रूप से पुनः कार्य में जुट जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की कठिन मौसमी परिस्थितियों व समाज कंटकों, अपराध प्रवृत्ति के व्यक्तियों से जूझते हुए काम करने वाले पुलिसकर्मियों को कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता तथा रात दिन काम लिया जाता है। वह अपने बच्चों व परिवार सदस्यों की देखभाल से वंचित रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों के कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं। उसकी कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानसिक तनाव व शारीरिक थकान के कारण वे सम्वेदनहीन हो जाते हैं, जनता में उसकी व विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आम जनता के साथ उचित व्यवहार करने में कठिनाई आती है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि पुलिस के इन छोटे कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का क्रमिक अवकाश अवश्य दिलाने की व्यवस्था करें जिससे सरकारी काम में भी व्यवधान न हो तथा कर्मचारी अपनी कार्य-कुशलता व क्षमता को सही बनाये रखें। इससे विभाग की छवि सुधरेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी, ज़नता के साथ कर्मचारी सम्वेदनशील होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

छबड़ा में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा व छीपाबड़ौद में भीषण गर्मी के बावजूद भी पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही है। छबड़ा छीपाबड़ौद में तीन-चार घंटे एवं सारथल व हरनावदा शाहजी कस्बों में दो-ढ़ाई घंटे ही बिजली दी जा रही है। दिन में बिजली कुछ समय के लिए आती है तथा घंटों गुल रहती है। जो बिजली आती है उसमें भी 10-15 बार ट्रिपिंग आ जाती है। यही हाल रात में है। बाकी गांवों में बिजली कहीं कुछ समय तो कहीं बिलकुल ही नहीं आती है जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी असंतोष व गुस्सा है। विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं मिलते। कभी मिल भी जाते हैं तो पूछने पर बताते है कि बिजली 132 के.वी.,जी.एस.एस. कवाई से नहीं मिल रही है। बातचीत में स्थानीय अधिकारी यह भी बताते हैं कि छबड़ा छीपाबड़ौद में लगभग 90 से 100 ए.एम.पी. बिजली की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में 20 से 25 ए.एम.पी. ही बिजली दी जा रही है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि सरकार ने फसलों के समय भी पर्याप्त बिजली नहीं दी जिससे फसलें बरबाद हो गयीं। क्या सरकार इस भीषण गर्मी में हमें मार ही देना चाहती है? गांवों में बिजली आती तो नहीं जबकि सैकड़ों रुपये के बिल हर महीने पकड़ा दिये जाते हैं। यही नहीं, सन् 1996 में स्वीकृत सारथल 132 के.वी, जी.एस.एस. चालू तो कर दिया गया है पर इन्टर कनेक्शन नहीं होने से 43 गांवों की

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

जगह 10-15 गांवों को ही इसका फायदा मिल रहा है।

अतः मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग करता हूं कि सारथल जी.एस.एस. से होने वाले समस्त इन्टर कनेक्शन शीघ्र करवाये जाएं वहां पर बिल्डिंग नहीं होने की वजह से कोई कर्मचारी नहीं रहता है, अतः वहां बिल्डिंग बनवायी जाए। इसी के साथ 1996 में स्वीकृत मूंडला जी.एस.एस. का काम भी अधूरा पड़ा है, इसे भी शीघ्र पूरा करवाने का श्रम करें। इसी प्रकार मौखमपुरा जी.एस.एस. से भी पूरे इन्टर कनेक्शन नहीं किये गये, वहां पूरे इन्टर कनेक्शन करवाये जाएं। इसी प्रकार कृषि कनेक्शन हेतु इस क्षेत्र की कट आफ डेट दिनांक 31 मार्च, 1991 के अनुसार वर्तमान में 150 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जाने हैं जिनको जानबूझ कर लेट किया जा रहा है। इसमें विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।

अतः मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मांग पत्र शीघ्र जारी किये जाने तथा क्षेत्र की जनता की उक्त समस्याओं का निराकरण करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा सिंह चौहान। (अनुपस्थित) डा. करण सिंह यादव। (अनुपस्थित) श्री मानिकचन्द सुराना। (अनुपस्थित) श्री संजीव बेनीवाल।

भादरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाना

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान श्रीमती गौरादेवी लुहारीवाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादरा में विज्ञान संकाय (जीव विज्ञान विषय) खोलने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती गौरादेवी लुहारीवाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादरा मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक मात्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान विषय) की व्यवस्था नहीं है, अतः छात्राओं को विज्ञान वर्ग के अध्ययन के लिए कस्बा छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए बायोलोजी विषय के अध्ययन के लिए अन्यत्र जाना अत्यन्त कष्टदायक है। अतः क्षेत्र की जनता लगातार जीव विज्ञान विषय खोलने की मांग करती आ रही है। विद्यालय में छात्राओं की संख्या भी पर्याप्त है। विद्यालय अभिभावक समिति के नेतृत्व में "विज्ञान ब्लॉक" भवन मय फर्नीचर तैयार करवाया जा चुका है। अतः निवेदन है कि श्रीमती गौरादेवी लुहारीवाला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादरा में विज्ञान वर्ग (बायोलोजी) खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

इटावा ग्राम पंचायत में भूख से हुई कथित मौत

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की घटना का जिक्र करूंगा। दिनांक 2 मई, 2001 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के समीप की ग्राम पंचायत इटावा, प्रार्थी का नाम मौगा सन आफ धनिया, उम्र 38 वर्ष, गांव बिलड़ी जिसमें परिवार के सदस्य पत्नी कंकू, पुत्री प्रमिला उम्र-10 वर्ष, पुत्री शांति उम्र-एक वर्ष, पुत्र जगजीत छह वर्ष, इस तरीके से परिवार के कुल पांच सदस्य मौजूद थे। लगातार तीन महीने से उक्त परिवार मुखिया मृतक मौगा उधार लेकर अपने पेट का गुजारा चला रहा था। ग्राम पंचायत इटावा जहां अकाल राहत के तहत दो सड़कें चल रही हैं। पंचायत क्षेत्र इतना बड़ा है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार के कार्य नहीं खोले गये हैं। मृतक मौगा पास में एक सार्वजनिक कुआं जो राजीव गांधी योजनान्तर्गत चल रहा था, उस पर 9 अप्रैल, 2000 से 14 अप्रैल, 2000 तक छह दिन काम पर गया। उसके पश्चात् 6 अप्रैल, 2001 से 21 अप्रैल तक काम पर दूसरे पखवाड़े में गया। उसके पश्चात् सार्वजनिक कूप का जो कार्य था वह भी बंद हो गया। होता यह है कि मृतक मौगा 30 अप्रैल से लगातार...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह की घटनाएं आप अनेक दफा बता चुके। अकाल की बहस और होगी। आज माननीय मंत्री जी भी नहीं हैं इसलिए थोड़ी...

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ सदन में लाना चाहता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री सी.पी. साहब बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री जीतमल खांट : मैं सिर्फ उनकी नॉलेज में ही लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस इलाके का दौरा किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इस तरह के मसले अनेक दफा उठा लिये और आज मंत्री जी नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मुझे इस बात पर सिर्फ यही कहना है कि...

श्री मदन दिलावर : यह मामला पहले नहीं उठा है कभी।

श्री उपाध्यक्ष : वह आ जाएं उसके बाद जवाब देने की स्थिति में होंगे ना ?

श्री सांवरलाल : भयंकर गरमी पड़ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा होगी तब तक तो लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष जी, इस सारी घटना से रुब-रु होने के लिए मंत्री जी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो ना ? आप काहे को बीच में, मैं तो उनके हित की...

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सारी घटना का वृत्तान्त नहीं सुनाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलो।

श्री जीतमल खांट : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रभारी मंत्री सी.पी. जोशी जी उस गांव के अन्दर पक्षकार से रु-ब-रु होने के लिए पांच मई को पधारे थे। मुझे इस बात की तो खुशी है कि कम से कम इनको इतना दर्द हुआ कि वहां तक अपना पूरा जमावड़ा लेकर पहुंचे। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है कि सी.पी. साहब की मौजूदगी में वहां पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह कहा और उस विधवा से यह पूछा कि मौगा मृतक कब से बीमार था। तीन दिन से उसको रोटी नहीं मिली थी और सीधा उससे यह पूछा गया कि यह मौगा कब से बीमार था। उसके बाद दूसरे नम्बर का सवाल यह पूछा कि अगर बीमार है तो बता दें, चालीस हजार कलक्टर साहिबान लेकर आयी हैं, हम आज ही आपको चालीस हजार रुपये दिला देते हैं। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : माननीय विधायक जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये दोनों ही कथन मेरे सामने नहीं हुए हैं। आप जो बात कह रहे हैं, न आप मौके पर थे इसलिए वही बात कहें जो वस्तुस्थिति में सही बात है। मैं बातें जो दोनों कही हैं उन दोनों बातों का खण्डन करता हूं। दोनों बातें वहां पर नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : क्या हुई वहां पर, वह बता दो।

श्री सी. पी. जोशी : बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री जी, आप द्वारा नहीं कहा गया है कि लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे उनके मुंह से इस तरीके की बात कही गयी है।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा ना, न मेरी उपस्थिति में, न मेरे सामने यह बात कही है। यह बात मैं कह रहा हूं आपको। बाकी अपनी बात कहें।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य को बोलने दो, बाद में जवाब दे देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में बोलते हो जब तो नहीं देखते। आप भी ध्यान रखा करो। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपको क्या तकलीफ है? उसमें क्या तकलीफ है?

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का आप ज्यादा ध्यान रखा करो। आप अभी क्यों बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय बोलने नहीं दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्यों बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : यह क्या हो रहा है राजस्थान में?

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : एक-एक दाने के लिए लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता। यह हो नहीं सकता इस राजस्थान में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो। वह रोक नहीं रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप मत बोलो। यह थोड़े ही कहा है? आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : अत्याचार किस तरह से बढ़ रहा है और भुखमरी किस तरह से फैल रही है और यह सरकार हंस रही है। + + + तो आये इनको।

श्री सी. पी. जोशी : आप तो + + + करो। बैठो। (व्यवधान) बोलने दो उनको।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार तो बिलकुल + + + हो गयी।

श्री सी. पी. जोशी : आप + + + करो, बोलने दो उनको।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार तो बिलकुल + + + हो गयी।

श्री सी. पी. जोशी : आप + + + करो, बोलने दो उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : और यह पूछ रहे हैं जाकर कि यदि यह बीमारी से मरा हो तो चालीस हजार रुपये दे देते हैं और यदि भूख से मरा हुआ कहोंगे तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है।

श्री मदन दिलावर : आप देखिये + + + की कितनी पराकाष्ठा है, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जीतमल जी, आप समाप्त करिये।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मंत्री जी के दौरे के एक घंटे बाद मैं स्वयं गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह दीजिए।

श्री जीतमल खांट : विधवा से पूछने के जस्ट बाद में उस मृतक के बड़े भाई लालू के घर में माननीय मंत्री जी स्वयं गये। वहां उस लालू के घर में जाकर देखा, निश्चित रूप से उस घर के अन्दर मुट्ठी भर अनाज नहीं था। मात्र वहां पर साढ़े सात किलो आटा और पांच किलो गेहूं थे। बाकी जो भी अनाज की कोठियां थी, सारी की सारी खाली पड़ी थीं। ऐसी स्थिति में मंत्री जी ने इस बात को वहां स्वीकार किया है लेकिन मैं मंत्री जी को नहीं कहना चाहता, मंत्री जी के साथ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उन्होंने पूछा कि जब साढ़े सात किलो आटा पड़ा हुआ है, पांच किलो गेहूं पड़े हुए हैं तो तेरे भाई को तूने कैसे भूख से मरने दिया। तब उसने कहा, मेरा भाई 2 मई को मरा है, कल 4 मई को मरा है, कल 4 मई को मैं यह सारा आटा और गेहूं लाया हूं।

इसके बाद में होता है कि वहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यह भी कहते हैं कि जब तेरे घर में दीवार घड़ी लगी हुई है, खाट और बिस्तर लगे हुए हैं, अच्छा मकान बना हुआ है, बकरियां और कुत्ते हैं, मुर्गे भी पाल रखें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता कहता है कि जब कुत्ते और

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतमल खांट)

मुर्गे साथ-साथ घूम रहे हैं, अगर कुत्ते को भूख लगी होती तो इस मुर्गे को खा जाता। इस तरह की बात हुई। इसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से इस कुत्ते को रोटी मिली है इसलिए इस मुर्गे को यह कुत्ता नहीं खा रहा है।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की बात है कि लगातार असत्य बोलते जा रहे हैं और पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री महोदय के दौरे में हम उनके साथ थे।

श्री मदन दिलावर : आप बीच में कैसे बोल रहे हैं ?

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : यह जितनी बातें बोल रहे हैं उसमें एक बात भी सत्य नहीं है।

श्री मदन दिलावर : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : जहां तक बात भूख से मरने की है, आप भी बैठिये (व्यवधान) आपका विषय नहीं है, आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : आप भी बैठिये। हम बासंवाड़ा से आते हैं हम भी इस बात को जानते हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मैंने स्वयं ने उस परिवार से और उस गांव के लोगों से रु-ब-रु मुलाकात की है.... (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : जिस बात को आप नहीं जानते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, मदन दिलावर जी ? (व्यवधान) आप बिराजें कृपया।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : जिस बात को हम जानते हैं, उतना आप नहीं जानते हो। (व्यवधान) जहां तक भूख और बीमारी की बात है, यह सब इस रिपोर्ट के आधार पर बोली गयी थी कि उसका इलाज हुआ है, टी.बी. का इलाज चल रहा था।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यहां क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : यहां पर फिर यह बात कही जा रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, भूख से मरने वाले लोगों पर राजनीति कर रहे हैं लोग। (व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : राजनीति आप कर रहे हैं भूख के नाम पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह टी.बी. से बीमार था, टी.बी. का इलाज साबित हो जाए तो आप हमें जो भी कहें...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : भूख के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : जो भी आसन से व्यवस्था दें हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह टी.बी. का आरोप पिछली बार भी लगा दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल खांट : इस तरह से बार-बार बीमारी का आरोप लगाकर इन लोगों को बेगुनाह साबित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्री मदन दिलावर।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी कुछ कार्यकर्ता यह बोल रहे थे कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं। इस तरह से पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : असत्य, एक बात भी सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे जहां भी जनता दल के तीनों एम.एल.ए. हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर भेदभाव किया जाता है। जहां भी हमारी जनता दल की आम जनता है उनको भी कार्य पर नहीं लगाया जा रहा है। राहत कार्यों के अंदर बड़े भेदभाव के साथ रखा जा रहा है। मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा कि हम लोगों के साथ में इस भीषण अकाल की त्रासदी में न्याय किया जाए। मैं यह आपके माध्यम से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक भेदभाव के आधार पर नहीं किये जाएंगे। आपने ध्यानाकर्षित किया है हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मानवीय सम्वेदना के समय में बिना राजनीतिक भेदभाव के अकाल राहत में सभी भाइयों को लगाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात समाप्त हो गयी। हो गयी ना, अब क्या कह रहे हैं? अब बिराजो प्लीज, (व्यवधान) अब आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) इन्होंने विश्वास दिला दिया आपको, उसके बाद क्या बचा है? श्री मदन दिलावर।

श्री जीतमल खांट : विधायक कोटे से हमारे जो हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे वह आज तक नहीं खोदे गये हैं। हमारे नाम से जो भी अब तक सार्वजनिक कुएं खोदे थे अब तक उनको चालू नहीं करवाया गया है। इस तरह से हमारे साथ जो भेदभाव की राजनीति अपनायी जा रही है। उसका एक जीता-जागता नमूना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय फतेह सिंह जी मीटिंग में थे और हमने कल ही फैसला करवाया है कि अकाल राहत के वहां पर एम.एल.ए. कोटे से जो बाकी बचे हैं... (व्यवधान) उनको प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार तो + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय फतेह सिंह जी, बिराजें।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री फतेह सिंह)

यह पर्ची के आधार पर बोल रहे थे— (व्यवधान) आप थोड़ा-सा जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात। मंत्री जी ने कह दिया आप मिलकर बात कर लेना अगर कोई प्रोब्लम हो तो कह देना। व्यवस्था दिला दी कि इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि बासंवाड़ा जिले में आदिवासियों की मौत हो गयी, भूख से मौत हो गयी, यह मज़ाक के रूप में या हंसी-खुशी में नहीं कह रहे हैं। दरअसल हमारे यहां पर स्थिति बड़ी गम्भीर है। लोगों के घरों में अनाज नहीं है। रोजगार समय पर मिलता नहीं हैं। अगर रोजगार मिले तो पेमेंट समय पर नहीं मिलता है। इसलिए ये बातें सामने आती है। अगर आदमी बीमार होता है तो वह क्यों होता है? भूख के कारण होता है। पेट भरकर खाना नहीं मिलता है इसलिए उसके शरीर में कोई न कोई बीमारी उपजती है। बीमारी के बाद में वह कमजोर होता है, और इलाज के लिए पैसा मिलता नहीं है या पक्षपात होता है, यह भी बात मैं कहना चाहूंगा। पिछली बार कुशलगढ़ में दो बच्चे मरे थे, बात यहां पर उठी थी। कमिश्नर साहब के मार्फत उसकी जांच करवायी गयी। वहां के एसडीएम., पटवारी, ग्राम सेवक, एनएनएम. सबको दो-चार दिन पहले दोड़ाकर उन लोगों को डराया और यह कहलवाया कि भूख से मरे हैं तुम यह कह दोगे तो जेल में चले जाओगे। इस तरह की बात करें....(व्यवधान) आदिवासियों के साथ जो हो रहा है— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने इनके ध्यान में ला दिया। आपसे बात कर लेंगे, बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : यह हमारे लिये जरूरी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय या राज्य सरकार उस इलाके में व्यवस्था करेगी। पूरे इलाके में सर्वे करें ग्रामवाइज सर्वे करें। दो-दो क्विंटल गेहूं आप दे रहे हैं उनको भी दें और समय पर रोजगार दिलावें। जिस इलाके में रोजगार नहीं खुला है बिना पक्षपात के उस इलाके में रोज़गार खोले और रोजगार खुलवाकर लोगों को जिन्दा रखने की व्यवस्था करें। अभी तो ये भूख से मर रहे हैं, पानी के लिए भी लोग मरने वाले हैं। उस इलाके में पीने के पानी के लिए भी स्थिति इतनी गम्भीर बनी है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अलग से चर्चा होगी, तब बोल लेना आप। बिराजें।

श्री फतेह सिंह : मैं यह चाहूंगा कि पानी की व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री फतेह सिंह : मवेशियों के लिये चारे की व्यवस्था हो, इंसानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो और समय पर पेमेंट हो— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, गंभीर मसला है.... (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : इन्होंने जो कहा है वह गलत नहीं है। एमएलए. साहब के जिले से ही आ रहा हूं। हम एक ही जिले के हैं। यह भी आदिवासी बैल्ट से आते हैं। लेकिन यह

(श्री फतेह सिंह)

इसलिए इस बात को काटना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से मशीनरी के द्वारा या हमारे द्वारा यह प्रमाणित नहीं होने देवें। भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा। भूख से जरूर मरा है, लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सारी मशीनरी वहां पर लगा रखी है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि दो बच्चे शीलाकुंडी में मरे हैं। उसके लिए ए.एन.एम., पटवारी और ग्राम सेवक ने लोगों पर दबाव डाला है। उनको बदलाया है तो उनके खिलाफ जांच की जाएं, कार्यवाही की जाएं क्यों नहीं उन्होंने उस समय व्यवस्था की, सर्वे क्यों नहीं किया? यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, इस ट्राइब्ल एरिये से हम 18 एम.एल.ए. जीतकर आते हैं। तीन जनता दल से आते हैं, एक बी.जे.पी. के हैं, बाकी कांग्रेस के एम.एल.ए. हैं।

श्री मदन दिलावर : तभी तो मरवा रहे हो।

श्री दयाराम परमार : सारे ट्राइब्ल एरिये में आर्थिक दृष्टि से सभी लोग करीब-करीब समान हैं। बासंवाड़ा से तीन विधायक जनता दल से आते हैं, वहां हमेशा आदमी, कभी बच्चे और कभी औरते मरते रहते हैं और ये विधान सभा में मसला उठाते रहते हैं। हम दूसरे जो विधायक हैं हमारे वहां आदिवासी मर रहे हैं तो हम इतने नासमझ हैं कि यहां विधान सभा में हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है।

श्री मदन दिलावर : बंधक हो बंधक।

श्री दयाराम परमार : केवल राजनीतिक आधार पर, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर...

श्री मदन दिलावर : आप बंधक हो... (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : नाम लेकर फिर अपनी राजनीति करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बंधक हो।

श्री दयाराम परमार : आप मेहरबानी करें, आपको इस मसले का पता ही नहीं है। (व्यवधान) आपको इस मसले का पता नहीं है।

श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : एक आदिवासी कभी भूख से नहीं मरता। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : आपको इस मसले का पता नहीं है, आप बीच में मत बोला करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना। सुनिये उनकी बात। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये ना उनकी बात। उन्होंने अपनी बात कह दी... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमको यहां से निकलने की कोई जुर्रत नहीं है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह बंधकों की तरह काम कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम यह पूछना चाहते हैं कि अकाल राहत के नाम पर... (व्यवधान)

(श्री जीतमल खांट)

आज तक कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए, एक भी हमारे इलाके में खोदा नहीं गया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : क्या हमारे साथ में राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता है? (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, अगर आप इस स्थिति को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पधारें, हम आपको ले जाना चाहते हैं। इस तरीके से बार-बार हमें असत्य साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे दुख दर्द को बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता होकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और हम लोगों को असत्य बता रहे हैं, यह गलत बात है, मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जीतमल जी, बिराजें।

श्री जीतमल खांट : मैं यह कहता हूं कि हम लोगों के साथ में जिले के अन्दर भेदभाव... (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : भूख से नहीं मरता... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम लोगों के साथ में भेदभाव की राजनीतिक से देखा जा रहा है... (व्यवधान) हमारे हर विकास कार्य के अंदर भेदभाव किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : इस सदन को आप गुमराह कर रहे हैं, जीतमल जी। आदिवासी कभी भूख से नहीं मरता। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप जाकर देखिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री नानालाल नीनामा : आदिवासी कभी भूख से नहीं मरता है।

श्री जीतमल खांट : उसकी मैं फोटो लेकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : उसके घर में अनाज नहीं होगा.... (व्यवधान) दो क्विंटल अनाज पैदा कर देता है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम लोगों के साथ में हर काम में राजनीति बरती जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : हम सच्ची बात कहते हैं सदन में और हमें गलत साबित किया जाता है, असत्य साबित किया जाता है। (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : आदिवासी कभी भूख से नहीं मरता है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री जी, उस गांव का और घर का मुआयना किया है, आप पूछ लीजिये कि उस घर की परिस्थिति क्या है। (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : यह पूरी रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उस घर की परिस्थिति क्या है, आप जाकर देखिये। (व्यवधान) हम मंत्री जी, आपके साथ में चलने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : आपका अखबार में नाम आ जाता है... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : मैं कह रहा हूं कि हम लोगों के साथ सरे आम राजनीतिक भेदभाव किया जाता है।

श्री नानालाल नीनामा : आदिवासी कभी भूख से नहीं मरता है।

श्री जीतमल खांट : हर काम के अंदर राजनीतिक भेदभाव बरता जाता है। जनता दल के कार्यकर्ता और आम जनता के साथ में भेदभाव बरता जा रहा है। आप यह क्या बात कर रहे हैं और हम सही बात बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह इस सरकार की + + + की पराकाष्ठा है।

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्री जी अगर यह कह दें कि उस परिवार की हालत ठीक थी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जीतमल जी, आप बिराजें।

श्री नानालाल नीनामा : डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आदमी होता ना तो डूबकर मर जाता। (व्यवधान) सरकार होती तो + + + (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : सरकार की छवि को खराब करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सच बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर माननीय सदस्य कोई बात रखते हैं तो वह असत्य और सच बोलने का ठेका इन्होंने ही ले रखा है क्या? (व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : उपाध्यक्ष महोदय, हम सच्ची बात कहें, क्या यह भी गुनाह है? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : भूख से भिनाय में मरा है... (व्यवधान) केवल प्रशासन से लीपापोती करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल : भिनाय में मरने के बाद बीस घरों में अनाज तहसीलदार ने बांटा है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पीने के पानी की समस्या है इसलिए सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समय पर बोलिए आप। बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : इसमें कौनसी गम्भीरता है? आपके टाइम में पांच-छह लाख से ज्यादा मजदूर नहीं लगाये थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सावंरलालजी, बिराजिए प्लीज।

श्री सावंरलाल : आपकी कौनसी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : बीजेपी. के शासन काल में पांच से छह लाख मजदूरों से ज्यादा नहीं लगाये थे जबकि आज उससे ज्यादा आदमी लगाये हैं। इस वर्ष गर्मी भी ज्यादा है।

श्री सांवरलाल : तीन लाख टन गेहूं भारत सरकार ने फिर दे दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया आपने, बहुत कह दिया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : भारत सरकार ने दे दिया, भारत सरकार ने दे दिया, एक ही राग अलापना जानते हो आप लोग। राजस्थान सरकार क्या कर रही है उसके बारे में कोई नहीं। मुख्य मंत्रीजी आज अकाल राहत कार्यों को देखने गांव गांव, ढाणी ढाणी जा रहे हैं। हर जगह मंत्री गये हैं, अधिकारी गये हैं सब जगह। ये बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि अकाल राहत के अंदर मजदूर श्रमिक नहीं लगाये गये हैं। पर्याप्त संख्या में श्रमिक लगाये गये हैं, 14 लाख श्रमिक लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बैठिए। माननीय जीतमल जी, बैठिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप हमारे बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह चिंता जाहिर की है कि भूख से लोग मर गये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कितनी भयावह गर्मी है, लोग भूख से मर रहे हैं और ये लीपापोती करने में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सावंरलाल : 48 डिग्री टैम्परेचर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के समाचार पत्र लिख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय सांवरलालजी, जब आप अकाल राहत मंत्री थे उस समय केवल पांच और छह लाख मजदूर लगे थे, यह आपको ध्यान नहीं है? अब दस से बारह लाख हो गये तब भी आपको पता नहीं है? आप आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार में खबर है कि कोई आदमी भूख से मरा है लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि भूख से मरा है, उनकी बात को क्यों नहीं माना जाए? अखबार वाली तो

(श्री अमराराम चौधरी)

असत्य हो सकती है लेकिन ये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं बात... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलालजी, सदन की कोई गरिमा है, कोई तरीका है, मेहरबानी करिए। आपको हम इतनी लिबर्टी दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप इतनी ज्यादा लिबर्टी लो।

आपने जब प्रश्न उठाया, मंत्रीजी ने तब यह कह दिया कि आपसे कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं बरता जाएगा कोई समस्या होगी उसका समाधान कर देंगे फिर बहस क्या रही? फिर बहस क्या रही? व्हाट इज़ द क्वेश्चन? फिर भी आप बोले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : पीछे वाले मंत्रीजी क्यों बोले, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप जबरदस्ती बोले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनको भी थोड़ा प्रताड़ित करो। वे परमार साहब जबरदस्ती खड़े हो गए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : ये + + + क्यों बने हुए हैं? ये तो विपक्ष है। ये + + + क्यों बोल रहे हैं, हमें यह बताओ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये + + + हैं + + +। मत बोलो + + +

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

राजस्थान में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान में इस वर्ष वर्षा की कमी है। इस वर्ष ही नहीं पिछले तीन वर्षों का यदि हम आकलन करें तो औसत से कम वर्षा हुई है और उसके कारण से फसल बहुत कम हुई। किसानों ने पता नहीं कैसे-कैसे मेहनत करके...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो न।

श्री मदन दिलावर : जमीन से अपना पानी निकाला और फसल पैदा की। बिजली थी नहीं और बिजली न होने के कारण डीजल से अपने खेतों को सींचा और गेहूं पैदा किया। उसके कारण से कई काश्तकार तो अपना गेहूं पैदा कर ही नहीं पाये। लेकिन जिन काश्तकारों ने गेहूं जितना किया है, आज उनकी हालत क्या है, श्रीमान्? राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि आपका गेहूं क्वालिटी में खराब है, इसका कारण यह है कि गेहूं जब पैदा हो रहा था तो खेत और खलिहान में थोड़े छींटे पड़ गए होंगे और उसका बहाना लेकर अब गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। यह गेहूं खरीदता कौन है?

श्री मदन दिलावर : समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन खरीदता है, आपको पता है?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री उपाध्यक्ष : कौन खरीदता है ?

श्री मदन दिलावर : राजफैड खरीदता है, एफ.सी.आई._

श्री उपाध्यक्ष : राजफैड नहीं खरीदता है। राजफैड एजेंट है, एफ.सी.आई. खरीदता है, एफ.सी.आई. जो नमूना देता है उसके आधार पर वह गेहूं खरीदता है। एफ.सी.आई. ने कहा कि गीला मत खरीदो, नहीं खरीद रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एफ.सी.आई. कह दे कि गीला गेहूं खरीद लो, राजफैड खरीद लेगा।

श्री मदन दिलावर : ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन है_ (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : + + + हो, + + + की तरह बोलते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इतना जानकारी मैं भी रखता हूं भगवान की दया से।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जानकारी रखते हो, बोलो ? बोलो, बोलो।

श्री मदन दिलावर : कौन खरीदता है, कौन नहीं खरीदता है, यह जानकारी मैं भी रखता हूं। एफ.सी.आई. खरीदता है, राजफैड खरीदता है। कौन खरीदता है, यह मैं भी जानता हूं। परन्तु यह बहाना लेकर कि इस पर छींटे पड़ गए हैं और यह फसल ठीक नहीं है, इसलिए नहीं खरीदेंगे। राजस्थान के अलावा यही फसल पंजाब में खरीदी जा रही है, हरियाणा में खरीदी जा रही है, मध्य प्रदेश में खरीदी जा रही है, गुजरात में खरीदी जा रही है। राजस्थान में व्यापारियों से गठजोड़ करके सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदा। व्यापारियों से गठजोड़ कर लिया है।

आज 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रति क्विंटल कम पैसा लेकर मण्डी के व्यापारी को गेहूं देना पड़ रहा है। इसके कारण से काश्तकार बिलकुल पूरी तरह से मर चुका है। उसके डीजल का, खाद का सारा पैसा जोड़ें तो उसकी मजदूरी नहीं निकलती, न खाद का पैसा निकलता है, न पिलाई का उसका पैसा निकलता है, न डीजल का पैसा निकलता है। ऐसी स्थिति में इस राजस्थान का किसान कंगाल और कर्जदार हो गया है।

मेरा निवेदन है कि जिस आधार पर गेहूं को खरीदने से ना कर रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, उस कारण को विलोपित करके गेहूं को खरीदना चाहिए ताकि राजस्थान के किसान अपनी पैदावार को समर्थन मूल्य पर बेच सकें। समर्थन मूल्य इसीलिए तय किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। हो गई न बात, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : समर्थन मूल्य इसीलिए तय किया है कि गेहूं का भाव कम हो तो सरकार अपने संसाधनों से सरकारी पैसे खर्च करके उसको खरीदे ताकि किसान को नुकसान ज्यादा न हो।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी लोग अपने स्तर पर गड़बड़ कर रहे हैं। व्यापारी और अधिकारी ही कर सकते हैं। किसान बरबाद हो रहा है। हम तो सरकार की जानकारी में ला रहे हैं केवल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में खरीदा जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : सरकार ने गठजोड़ कर लिया व्यापारियों से।

श्री सांवरलाल : व्यापारी और अधिकारियों की मिलीभगत थी, सरकार को इस बारे में... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारे अलवर जिले में पूरा गेहूं हरियाणा जाकर बिका है।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आज हरियाणा में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है और राजस्थान में नहीं। यह सरकार की जिम्मेदारी है। हर चीज केन्द्र सरकार पर डालने से नहीं होगा कि यह काम केन्द्र सरकार का है, एफ.सी.आई. खरीदेगी। वहां पर भी एफ.सी.आई. खरीदती है लेकिन वहां सरकार सम्वेदनशील है। यहां सरकार सम्वेदनशील और जवाबदेह नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : सरकार बताए कि यह गेहूं खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा?

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। दूसरे स्टेटों में खरीदा जा रहा है, हमारे यहां क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? इतनी सी बात है।

श्री धर्मपाल चौधरी : जो रेवाड़ी से हमारा क्षेत्र लगता है, हरियाणा से लगता है, वहां 50 हजार टन रोज गेहूं खरीदा बेचा जाता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से हरियाणा की सीमा लगती है, गोविन्दगढ़, नौगांव मण्डी से हरियाणा में गेहूं बिकने जा रहा है। गोविन्दगढ़ मण्डी के व्यापारियों ने गेहूं खरीदकर जमींदारों को बरबाद करके महंगे में एफ.सी.आई. को दिया है। एफ.सी.आई. गेहूं खरीद रही है उनसे लेकिन किसान बरबाद हो रहा हैं, जमींदार बर्बाद हो रहा है। किसानों को बचाएं, उपाध्यक्ष महोदय, यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है। मैं माननीय मंत्रीजी बैठे हैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। होता क्या है कि जब किसान वहां बेचने जाता है तो उससे माल खरीदते नहीं है। कह देते हैं कि खराब है, आदि आदि। उससे जो पास में व्यापारी है वह खरीद लेता है, किसान से कम कीमत पर खरीदता है। वह फिर एफ.सी.आई. को बेचकर पूरा पैसा ले लेता है। इसको गम्भीरता से लीजिए। किसान की जिस तरह से बरबादी हो रही है, एक्सप्लायटेशन हो रहा है, आप इसको देखें जरा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ही निर्देश देता हूं इस मामले को दिखवाने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) वह तो कहे लेकिन सुने ही नहीं तो कहें कैसे ?

भीषण गर्मी के कारण अकाल राहत कार्यों के समय में बदलाव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत एक सप्ताह से राजस्थान के अंदर तापमान तेजी से बढ़ रहा है और विशेष तौर पर चूरू और गंगानगर जिले के अंदर सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू, बाड़मेर, गंगानगर में तापमान 48 और 49 डिग्री सैल्सियस पर पंहुच रहा है। चिकित्सकों का यह मत है कि 48-49 डिग्री तापमान में अगर कोई व्यक्ति धूप में काम करें और हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित तौर पर हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल है और अकाल राहत कार्य ऊंट के मुंह में जीरा जितने खोले गए हैं। परन्तु इस काम पर वही व्यक्ति जाता है जिसको अपने परिवार के लालन पालन के लिए दो जून रोटी की आवश्यकता है। यह कैसा मानवीय पक्ष है—

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका सबजैक्ट ही नहीं है। माननीय, भूख और प्यास का था ही नहीं। यह तो बिजली का मामला है, बिजली पर बोलो। उसी पर बोलो।

(13.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 48-49 डिग्री तापक्रम में खुले आकाश के नीचे मजदूर जो काम कर रहे हैं—

अब हमारे प्रभारी मंत्रीजी परसों दौरे पर गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, इनको मजदूरों को देखना था इसलिए 5 बजे तक रतनगढ़ के अंदर काम करते रहे कि इनको धूप न लग जाए। मेरा निवेदन यह है कि 8 बजे से 2 बजे तक जिन लोगों को आप मजदूरी में काम लेते हैं, फेमिन कोड यह कहता है कि उनके लिए छाया की व्यवस्था हो, उनके लिए फर्स्ट एड के लिए दवाइयों की व्यवस्था हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि एक भी जगह छाया की व्यवस्था नहीं है और हालत यह बन गयी कि दवाइयां खरीदी नहीं गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप पढ़कर देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : देख लिया मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने यह लिखा है कि—

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छी तरह से देखा है इसमें, कहीं भूख, प्यास का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं भूख, प्यास की बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर रहे हो आप ?

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी जगह छाया की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : मैं खुद जाकर कल अकाल राहत कार्य देखकर आया हूं और सभी जगह मेडिसन आदि की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका इसमें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा सामान्यजन पर कुठाराघात हो रहा है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : सबकी व्यवस्था है। (व्यवधान) पूरे राजस्थान में है क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बात कर रहे हो आप?

श्री सांवरलाल : गाड़ी फंस गयी, माननीय मंत्रीजी, गाड़ी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे साथ चलो आप और वो प्रभारी मंत्रीजी नहीं है। हमारे साथ चलो और आप अपने माननीय सदस्यों से पूछ लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप कहो उसके साथ चल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने पाइंट पर आओ।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारे पूरे राजस्थान के सारे मंत्री गये हैं।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : कहीं पर भी छाया की, पानी की व्यवस्था नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभी जगह व्यवस्था माकूल देखी गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इसका कोई हल नहीं है। बाड़मेर में आप कहां आये, आप तो जालौर में हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : नहीं, आप फर्जीवाड़ा करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : जहां पर बहुत बड़े पेड़ ही पेड़ हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : फेमिन के काम चल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बाड़मेर में क्या हालत हैं, बाड़मेर से दो किलोमीटर दूर पर क्या हालत है?

श्री कन्हैया लाल : वहां पर छाया की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में मजदूरों का टास्क भी कम किया जाए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : तेज गर्मी है, 49 डिग्री गर्मी है, व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हालत बड़े खराब हैं। (व्यवधान) मैं आपसे कह रहा हूं इस गर्मी के अंदर लोग मरेंगे। आप समय 12 बजे तक ही रखें, दो बजे तक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप तो सबका धंधा बंद कराना चाहते हो, हम रोजगार देना चाहते हैं, आपके कहने से थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री सांवरलाल : सहायता मंत्रीजी बिराजमान हैं, आपकी जरूरत नहीं है, परसादीलाल जी बैठे हैं जवाब देने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए। यह प्रश्न ही नहीं है सहायता का। बोलना किस पर चाह रहे हो? बोले जा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भी बात हम रखें हरेक के पीछे राजनैतिक मन्तव्य नहीं होता, कहीं मानव सम्वेदना भी होती है। मेरी मांग यह है कि 8 बजे से 2 बजे तक जो मजदूरों को काम में ले रहे हैं उसकी बजाय आप समय को प्रीपोन करें। आप टास्क बेसिस पर 100 मन मिट्टी उनसे खुदवा रहे हैं, यह इस गम्भीर कर्मी में सम्भव है क्या? दवाइयों के नाम पर आपने खरीद-फरोख्त की नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के अंदर तापमान इस तेजी से बढ़ा है कि बिजली के तार पिघलने चालू हो गए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आये आप ठिकाने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजली के तारों के कारण, उपाध्यक्ष महोदय, जैतपुरा गांव के अन्दर 11 के.वी. हजार की लाइन जा रही है। गर्मी के कारण 11 हजार के.वी. की लाइन टूट कर एल.टी. लाइन पर पड़ती है और पूरे गांव के अन्दर करंट आ जाता है। उस करंट से एक नौजवान व्यक्ति भरतसिंह की मृत्यु हो जाती है और छह आदमी घायल होते हैं— रमेश धारीवाल, नत्थूराम, कपिल, मंजू, बृजेन्द्र। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी उस गांव के अंदर टेलीविजन थे, जितने भी कूलर थे, जितने भी उस गांव में पंखे थे सारे के सारे फुंक गये एयर करंट आ गया, गांव के अंदर कुएं की जो मोटर चल रही थी उसकी टंकी में करंट आ गया और गांव में जितने भी पोल लगे हुए थे सब में अंगारे निकलने लगे। बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। गांव के लोग भागकर पास के गांव में गये, वहां जाकर किसी तरह लाइन काटी। उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि 29 तारीख की घटना है, जिस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया हो और 6 गम्भीर रूप से घायल हुए हों, आज तक विद्युत निगम का एक भी कर्मचारी वहां नहीं गया। हालत यह है कि वहां लगातार चार दिनों से बिजली की सारी लाइनें बंद पड़ी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बीच के अन्दर एक दिन बिना गांव वालों की जानकारी के बिजली की लाइन जोड़ दी गई उससे दुबारा करंट आया। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं, उस गांव के अन्दर आटा चक्की बंद है और जो व्यक्ति मरा उसको किसी तरह का मुआवजे का प्रबंध भी विद्युत निगम ने नहीं किया। मेरी मांग है, अकाल राहत मंत्रीजी, आपको चूरू जिले में गंगानगर जिले में, धौलपुर जिले में जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मानव सम्वेदना दिखानी चाहिए। आप 8 बजे से 2 बजे तक मजदूरों से काम ले रहे हो, आपको मालूम है कि इतना ज्यादा तापमान बढ़ रहा है कि आज बिजली के तार भी उस तापमान से टूट रहे हैं? आज चूरू जिले के अंदर 84 हजार बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 11 साल की है, ये सारे के सारे बच्चे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां जितने विद्यालय हैं उनमें से 4500 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं है, पंखे चलने की तो बात ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस सदन के अंदर एक घंटा आपका यह एसी. बंद कर दिया जाए तो माननीय सदस्य बैठें, यह सम्भव नहीं है। मंत्रीजी को इसलिए चिंता है कि अकाल राहत काम का निरीक्षण करना है तो 5 बजे जाएंगे और उन मजदूरों को कहें, 5 बजे काम में लगे रहो। परसादी लाल जी, बड़ी सम्वेदना का स्वांग भरते हो, हिम्मत है तो आप यह कहो कि जो 100 मन टास्क लेते हो उसको आप 50 मन करोगे और जो 8 बजे से 2 बजे तक का समय रखा है उसको आप कम करोगे। जैतपुरा गांव की पूरी घटना की आप जांच करवाओगे, मृतकों को मुआवजा दिलाओगे, घायलों की सारी व्यवस्था कराओगे। वहां सारी व्यवस्था दुरूस्त कराओगे। यह मेरी मांग है सरकार से, उस सरकार से जो सरकार अपने आपको सम्वेदनशील सरकार कहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर हालत है, ऊपर से आसमान से आग बरस रही है। 49 डिग्री टैम्परेचर पर खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर से यह अपेक्षा करते हो, कि वह 100 मन मिट्टी ढोये ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, फेमिन कोड के अनुसार दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्रीजी, आप मेरे साथ चलो, यहां पंडितजी बैठे हैं, आज तारकोल के पी.डब्ल्यू.डी. के ड्रमों में पानी भरा पड़ा है। (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पूरी चीज को गम्भीरता से देखें और सरकार की तरफ से विस्तार से वक्तव्य आना चाहिए।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिलकुल गलत कह रहे हैं, 100 मन मिट्टी किसी भी मजदूर से नहीं उठाते हैं। 100 मन मिट्टी किसी भी मजदूर को नहीं देते हैं, ये बिलकुल गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। आप बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : 100 मन नहीं करेगा तो उसका पैसा कट जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। आप बैठिए न।

श्री जीतमल खांट : समय सुबह 7 से 12 बजे का किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप बिराजें।

श्री जीतमल खांट : मजदूर इससे काफी प्रभावित हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप ऐसे जागरूक माननीय सदस्य है— (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप ऐसे जागरूक सदस्य हैं, 27 तारीख के वाकये को आप 7 तारीख को उठा रहे हैं, इतने दिन क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा, यह 27 तारीख का वाकया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं 29 तारीख का वाकया है। मैं यह सोच रहा था...

श्री सांवरलाल : पर्ची पर नम्बर नहीं आता, लाटरी निकलती है, करें क्या बताइए आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह सोच रहा था अपने आपको रोकूं, शायद सरकार खुद सोचेगी।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, लाटरी निकलती है, लाटरी में नम्बर आए तभी तो बोलेंगे माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपके पास जाकर अपना नाम दर्ज कर दिया करते थे, अब आपने व्यवस्था लाटरी की कर दी और लाटरी में नम्बर आता है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बस इसीलिए यह सारी खराबी हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : मेरा एक निवेदन है कि माननीय सदस्य ज्ञानदेवजी ने अभी कांग्रेस के सदस्यों को + + + कहा है। मेरा निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। इन्होंने एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। अगर यह कहा है तो एक्सपंज कर देंगे। बिराजो।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : मेरा निवेदन है कि इस + + + शब्द को निकालिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। माननीय परसादी लाल जी।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के मजदूरों को तो तकलीफ हो रही है। मैं आसन से कहूंगा कि समय सारिणी 7 बजे से 12 बजे कर दी जाए। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पहले भी समय 2 बजे से कम 1 बजे, 12 बजे तक का रहा हुआ है। पहले भी समय कम रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलाल जी। आप बिराजो।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, टास्क भी पहले गर्मी के समय में कम ही हुई है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं इसको कम करें। (व्यवधान) उनकी बुरी हालत हो जाएगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + नहीं तो क्या मालिक कहें? + + + ना भाई पण्ड्या जी। + + + जो खुले हैं वो खुले

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रहेंगे। + + + को एम्प्लायर कहें, सेठ कहें, पूंजीपति कहें, क्या कहें + + + यह बताइए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज। माननीय आहूजा जी, बिराजो आप। (व्यवधान) आप बोल रहे हो। आप बिराजो प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो + + + हैं वो उनको + + + नहीं कहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : क्या माननीय सदस्य + + + हैं, जिस भाषा में आप बोल रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप हो ना + + +।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : कहने से पहले स्वयं के गिरहबान में भी झांक कर देखो।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। परसादीलाल जी। बिराजिए।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : हर मौत व भूख पर राजनीतिक करने के अलावा आप क्या करते हैं, माननीय सदस्य?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लोग मर रहे हैं, कुछ देख लिया करो। सारे राजस्थान में लोग मर रहे हैं। अकाल पीड़ित हैं, लोग मर रहे हैं और आप जिक्र नहीं कर रहे हो इसलिए + + + हो।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : सही बात है, राजनीति आप कर रहे हो भूख की।

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलाल जी, बोलो।

श्री परसादी लाल (सहकारिता राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अकाल राहत कार्यों के समय के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : छाया के बारे में, पानी के बारे में।

श्री परसादी लाल : छाया, पानी और दवाइयों की_

श्री उपाध्यक्ष : उसके जवाब की जरुरत नहीं है। यह इश्यु ही नहीं था इनका।

श्री परसादी लाल : कहीं कोई अधिकारी द्वारा पानी, छाया और दवाइयों के मामले में कोताही बरती गयी_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। प्लीज।

श्री परसादी लाल : तो संबंधित विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी प्लीज। बिजली के तार टूट गये, किसी व्यक्ति की क्षति हुई है उस संबंध में आपको कुछ कहना हो तो कहो।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री परसादी लाल : बिजली के संबंध में मेरा नहीं है। मैं तो समय के बारे में, आपने पूछा है समय परिवर्तन के बारे में, (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्यों हुआ, उपाध्यक्ष महोदय। यह क्यों हुआ ? तापमान इतना बढ़ गया इसलिए हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : तार टूटा है इसलिए मरा होगा।

श्री परसादी लाल : समय के बारे में आपने जो बात की 8 से 2 बजे का समय हो, गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान भी 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ये राहत कार्य हमने जनवरी से शुरू किये थे। जनवरी में 8 से 2 का समय था, मई और जून में सरकार ने गत वर्ष भी 7 से एक का टाइम रखा था। हम शीघ्र निर्णय करके जो हमारी कैबिनेट की हाई पावर कमेटी है उसके सामने एक-दो दिन में इस मामले को ले जाकर समय परिवर्तन निश्चित तौर पर करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। विराजो, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, हो गया।

श्री सावंरलाल : यह हाई पावर कमेटी में ले जाने का मामला ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह मानव सम्वेदना से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही नहीं है, आप विराजो प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और उस गांव के लिए कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस गांव में कोई मौत हुई, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री सावंरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं हाई पावर कमेटी में ले जायेंगे, आपको वहां ले जाने की क्या जरूरत है? मैंने खुद ने किया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत निगम की गलती से गांव में युवक मर गया और 6-6 लोग घायल हो गये, उसके बारे में तो कुछ बतायें। (व्यवधान)

श्री सावंरलाल : यह हाई पावर कमेटी कौन-सी आ गई? उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी काम्पीटेंट हैं। मैं खुद जब मंत्री था तब समय घटाया था मैंने पहली बार राजस्थान के अंदर।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज।

श्री सांवरलाल : कौन-सी कमेटी बनाये जाने की जरूरत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसे मंत्री होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सावंरलाल : अगर आपको गर्मियों में वास्तव में गरीबों को बचाना है तो बचा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री परसादी लाल : इस पर एक-दो दिन में निर्णय करके इसको लागू कर देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस गांव का क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वह जैतपुरा गांव के लिए तो कोई बात हो। जैतपुरा गांव में आज भी बिजली के अभाव में चक्की बन्द पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न-आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोग मर गये उसकी तो बात हो न पहले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहली बार कह रहा हूं खुश रहो। परसादी लाल मीणा साहब, मंत्री महोदय, खुश रहो।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो उसको गौण कर दिया और आप तो फेमिन पर आ गये।

अकाल राहत के तहत अनाज वितरण में अनियमितता

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में मोठड़ा तहसील के वसेउ गांव में नायकों की ढाणी में, नायकों की ढाणी का मतलब शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती है पूरी, दो मई को टी.वी. टीम गई। हर एक पंचायत मुख्यालय पर राज्य सरकार ने दो बोरी गेहूं का इंतजाम किया हुआ है। स्थिति यह है कि दो बोरी गेहूं के बावजूद भी रोजाना अखबार में आता है कि लोग भूख से मर गये, कहीं पर भी गेहूं का वितरण नहीं किया जाता।

आपातकाल के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, पर टी.वी. टीम गई तब तहसीलदार को भेजकर, उनको मालूम पड़ गया कि टी.वी. टीम आ रही है तो बाकायदा गेहूं बंटवाना शुरू कर दिया। दो घंटे टीम रही, कुल 45 आदमियों को गेहूं बांटा, अनाज बांटा। जब टी.वी. टीम चली गई तो उसको बन्द कर दिया, 12 आदमी रह गये। कोई उसका पैमाना नहीं कि आपातकाल के लिए आवश्यकता थी, नहीं थी। पर फोटो खिंचाने के लिए कि हमारा प्रचार हो और उसके बाद गेहूं बंटवाना बन्द कर दिया। उन 12 आदमियों को क्यों वंचित किया गया? अनुसूचित जाति का गांव है वह, उपाध्यक्ष महोदय, या तो बांटना था तो सब को बांटना था या जिसको जरूरत थी उसको सलैक्ट करके। उपाध्यक्ष महोदय उसके बाद एक हिमतसर कोई गांव है, वहां पर गई टीम। वहां पर पिछले पखवाड़े की मजदूरी लोग नहीं ले रहे थे। वह क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि उनको बहुत कम पैसा दे रहे थे। नपती करते हैं आप, अब उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है जिससे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि जो कार्य अकाल राहत के चलते हैं उनकी आप नपती करते हो। अब मान लीजिये 70 आदमी मस्टर-रोल पर लगे हुए हैं उनमें से 20 आदमी फर्जी हैं तो उन 20 आदमियों की कटौती तो 50 आदमियों को भुगतनी पड़ती है या नहीं पड़ती है? राज्य सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका फरमाना बिलकुल सही था, आसन का यह आब्जर्वेशन बिलकुल रेलेवेंट था कि आज इस चर्चा को उठाने का कोई सार्थक परिणाम नहीं आने वाला क्योंकि अकाल राहत मंत्री नहीं थे, परन्तु फिर भी वरिष्ठतम मंत्री हमारे माननीय प्रद्युम्न सिंह जी मौजूद हैं तो सरकार तक यह बात पहुंचाना जरूरी हैं। एक तो यह जो आपने तरीका कर रखा है, आप अगर सरकारी अधिकारी है, एक तहसीलदार लेवल का अधिकारी जब टी.वी. टीम आवे तब गेहूं बांटे और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गेहूं बांटे, यह बहुत आपत्तिजनक है। इसकी आप जांच कराइये और बाकी व्यवस्था यह कीजिये कि जो गेहूं हो उसका सदुपयोग हो, सब जगह सही तरीके से बंटे। एक गांव के अंदर मजदूरी अटक रही है, यह आप अकाल राहत मंत्री जी तक पहुंचा दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस पर बहुत विस्तृत चर्चा होने वाली है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, होने वाली है, मैं मानता हूं। मैं तो अपने इस भाषण में आपके आब्जर्वेशन से बिलकुल सहमत हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वह तो व्यवस्था आपने कर रखी है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आसन के लिए मैं नहीं कह सकता हूं कि बिगाड़ रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्योंकि सिवाय पर्ची के तो आप अनुमति देते ही नहीं है। मुखबन्द तो आप लगायेंगे 8 तारीख को, कल लगा देंगे पर आपने तो वैसे ही बुलेटिन लगा रखा है कि साहब, पर्ची दो और बोल लो। इसलिए कोई माध्यम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अन्यथा आपका आब्जर्वेशन बिलकुल सही था।

लेकिन मैं ये दो बातें निवेदन करना चाहता हूं और फिर एक बात अन्त में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो रोज-रोज चर्चा होती है, यह जो सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं कि साहब, यह राजनीति हो रही है, इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। देखिये, कोई सरकार कभी यह बात मानने को तैयार नहीं है, चाहे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब वे भी नहीं मानते थे कि भूख से कोई मृत्यु हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, सही भी है। डाइरेक्ट काज अगर पोस्टमार्टम कराया जायेगा तो काज आफ डैथ भूख नहीं आयेगा। लेकिन भूख मूल कारण है, गरीबी मूल कारण है। अब उस गरीबी और और भूख से निपटने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में अकाल राहत कार्य खोले और उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करायें। इस मामले में सरकार पूर्णतया विफल रही है। यह मैं आपसे निश्चित कहता हूं, जब तक आप इसकी व्यवस्था अनुकूल नहीं करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, गये साल भी यह परिस्थिति पैदा हुई थी। मैं एक बहुत विनम्र बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब पोलिटिक्स चलती है,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अप्रैल तक चलती है। मई-जून में नहीं चलती है। मई-जून में आपने पर्याप्त मात्रा में खोले थे कार्य। अब तो मई की तारीख आज 7 आ गई। वित्त मंत्री जी, कंजूसी करनी थी जितनी कर ली, अब आप मई-जून में तो जेब खोले आराम से। जून में तो भगवान चाहेगा बरसात आयेगी, इतना भगवान नाराज थोड़े ही है आपसे? अकाल का तो हो सकता है लेकिन आप यह डेढ़-दो महीने के लिए कंजूसी मत कीजिए। जितनी सैक्शन निकाल सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कम से कम इतना रोजगार अवश्य खोले कि बी.पी.एल. के परिवारों में एक-एक आदमी को तो नौकरी मिले। हो सकता है कि आज के दो महीने पहले सम्भव नहीं था तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस पर विचार करके आवश्यक प्रबंध करेंगे। और फर्जीवाड़ा जो गवर्नमेंट के अफसर लोग करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए करते हैं, आंकड़ों में करते हैं, आप उस पर नियंत्रण करें, धन्यवाद।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला जी।

डा. श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास के संबंध मे 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,82,40,53,000 एक अरब 82 करोड़ 40 लाख 53 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या-46 सिंचाई की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या—46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,65,23,59,000 (12 अरब 65 करोड़ 23 लाख 59 हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मांग संख्या-22 बोला आपने या क्या बोला?

डा. श्रीमती कमला : जी।

श्री उपाध्यक्ष : और दूसरे वाला 22?

डा. श्रीमती कमला : एक 46 और एक 22.

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है। श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि पहले विपक्ष को मौका दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : चिन्ता मत करो।

मांग संख्या-22 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-22 मुख्य शीर्षक क्षेत्र का विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. क्षेत्रीय विकास विभाग की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

2. क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के 'लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

3. श्री गंगानगर क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

4. क्षेत्रीय विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

5. राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

6. राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि समतल करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

7. प्रतापगढ़ उप खण्ड हेतु राज्य के वार्षिक बजट के आबंटन में भेदभाव करने से जनजाति विकास विभाग द्वारा आबंटित सिंचाई सुविधा की राशि का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

8. मेज व कुरेल नदी के संगम बास खेड़ा में बांध बनाने, घाट का बराना के पास पाटन ब्रांच में चम्बल नदी से लिफ्ट कर पानी डालने एवं बाजड़ के खाल पर एनीकट बनाकर सिंचाई का पानी ऐबरा, झुवासा, कान्हीहेड़ा तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

9. खारची विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

10. मगरा क्षेत्रीय विकास योजना पर गत बजट में किये गये प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य भर को अलग-अलग भू-भागों में विभाजित कर विकास करने की योजना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. ब्यावर से सिरोही तक अरावली पर्वत मालाओं को हराभरा बनाने के लिये

(श्री हीरासिंह चौहान)

छायादार, इमारती पेड़ों को अधिक से अधिक लगाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा)

13. क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत राज्य में वनों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

14. विधान सभा क्षेत्र करौली में सीवरेज लाइन की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. जल प्रबंधन समितियों को राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र करौली का सर्वांगीण विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा)

17. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में डाग विकास योजना हेतु आबंटित राशि पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

18. आर.एम.सी. व एल.एम.सी. की नहरों व डिस्ट्रीब्यूटरी की सफाई हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. आर.एम.सी. व एल.एम.सी. की नहरों पर सिंचित रहित क्षेत्र में सिंचाई शुल्क माफ करने व ऋण वसूली स्थगित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. गणेशगंज लिफ्ट स्कीम की सफाई हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

21. डूंगरपुर जिले का सर्वांगीण विकास कार्यक्रम हेतु आवश्यक रुप से चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

22. बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष पंचायतों एवं सानि. विभाग द्वारा अकाल के तहत जिन सड़कों का निर्माण करवाया गया उनमें ग्रेवल एवं अपूर्ण को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

24. क्षेत्र के विकास हेतु विधायक एवं सांसद फण्ड से स्वीकृत हैण्ड पम्प, ट्यूब वैल अब तक भौतिक रूप से नहीं लगाये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जितनी टंकियां बनाई गई उनमें से आधी में भी पानी सप्लाई नहीं होने से निरर्थक पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में मृत प्राय: हैण्ड पम्पों के स्थान पर नवीन हैण्ड पम्पों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री अमीन खान (शिव)

1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किसानों को पानी न मिलने पर सिंचाई शुल्क माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. इंदिरा गांधी नहर की गडरा रोड शाखा को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ तहसील नं. दो में 16 बीडी. पर पक्के खाला न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

4. सिंचाई विभाग की नहरों में आपूर्ति सही करने एवं सिंचित क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

5. बीसलपुर का पानी पेयजल के साथ-साथ सिंचाई हेतु भी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कय्यूम खान (मसूदा)

6. बिसलपुर योजना की शीघ्र क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना)

7. बयाना की सीमा में गम्भीर नदी पर एनीकट एवं गांव के बचाव हेतु प्रोटेक्शन बांध का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. बयाना विधान सभा क्षेत्र में ककुन्द नदी की सफाई एवं प्रोजेक्शन बांध निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

9. बयाना विधान सभा क्षेत्र में नवीन एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. बन्द बारैठा के पानी का उपयोग सिंचाई के लिये ही काम में लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. बन्द बारैठा के बांध को ऊंचा उठाने से डूब में आये हुये गांवों का पलायन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

12. खानुवा के महलपुर काछी दाहिना केनाल एनीकट सिंघनिया गजनुवा बंध बारैठा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

13. इंदिरा गांधी नहर से सिल्ट निकलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. श्री गंगानगर शहर के बीचो-बीच बनी "ए" माइनर नहर को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

15. शोभावती में बांध बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

16. लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से एनीकट आदि के निर्माण को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

17. तहसील देवली जिला टोंक की नया गांव सिंचाई योजना का सर्वे होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. बीसलपुर बहुउदेद्शीय परियोजना की दायीं नहरों का कार्य शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बिसलपुर परियोजना की दायीं नहर का सर्वे (जो नगर फोर्ट व बनेठा तहसील देवली व उनियारा) को पूरा कराने उसकी नहरों का कार्य शीघ्र शुरू करने के संबंध मे चर्चा के लिये।

20. बीसलपुर योजना का पानी दायीं नहर जो दूनी ग्राम तहसील देवली तक पक्की निर्मित हो गई है उसमें पानी छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

21. कालख बांध को सिंचाई योग्य बनाने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

22. बारां जिले की बेथली सिंचाई परियोजना का अधिशासी अभियंता कार्यालय बारां की बजाय छबड़ा में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. बारां जिले की बैथली सिंचाई परियोजना का कार्य समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. बारां जिले की बैथली एवं उतावली सिंचाई परियोजनाओं में डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. बारां जिले की उतावली सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. बारां जिले की बैथली सिंचाई परियोजना का कार्य बजट के अभाव में बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (टीब्बी)

27. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में आर.डी.629 राजस्थान फीडर पर बनने वाले इनटैक स्टक्चर के लिए बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में राजस्थान फीडर की बुर्जी संख्या-496 पर बने हुये लिंक से पंजाब में नाजायज पानी ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में राजस्थान इंदिरा गांधी नहर में हरियाणा, पंजाब

(श्री आदराम मेघवाल)

से काला (सेम का पानी) डाले जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

30. ग्राम अकोडिया तालब, तहसील देवली टोंक के पानी के निकास (ओगाल) से ग्राम अकोड़िया में वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

31. राज्य में अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने तथा नई लम्बित योजनाओं का सर्वेक्षण कर स्वीकृत करने एवं एनीकट, तालाबों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

32. विभाग द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र की पुरानी सिंचाई परियोजना, वियापाड़ा, नागदा, सोनारीय, कालीजरा टाडी, गोयफा प्रसाद, चनरा खुटा की कच्ची नहरों को पक्की कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर पहाड़िया क्षेत्र में बरसाती पानी को रोक चेकडैम व स्टापडैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के गोपालपुरा, पीपलोन, कुन्डीया, टिडियां देव अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में अधूरी सिंचाई की परियोजना पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

36. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. तहसील झाड़ोल, कोटड़ा, गोगुन्दा जिला उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसाती पानी एकत्रित कर सिंचाई हेतु उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

38. सिंचाई विभाग द्वारा वृहद योजनाओं की स्वीकृति के साथ-साथ छोटे-छोटे एनीकटों का निर्माण कार्यक्रम हाथ में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. सीकर जिले में पिछले सालों में अकाल राहत तथा अन्य स्कीमों के अन्तर्गत काफी संख्या में एनीकटों का निर्माण हुआ है लेकिन इनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

40. इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर किये जाने वाले आयोजना व्यय में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं को निरंतर नजरअंदाज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

42. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र व भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई हेतु कम पानी दिये जाने व फसल खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. कंवरसेन लिफ्ट कैनाल में उपयोग में आने वाली विद्युत का औद्योगिक दर से चार्ज लिये जाने पर चर्चा के लिये।

44. कंवरसेन लिफ्ट कैनाल में अतिवृष्टि से ध्वस्त हुए खालों का अब तक पुनर्निर्माण न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं
श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

45. पंजाब एवं हरियाणा से राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का पानी नहीं लेने के कारण जैसलमेर जिले में किसानों के कमाण्ड एरिया के खेतों में पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसले नष्ट होने, उनके द्वारा कर्जो की किस्त न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

46. इंदिरा गांधी नहर से गढरा रोड तक पानी नहीं पहुंचने में विलम्ब होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

47. सिरोही जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

48. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा जिला बाड़मेर में टूटी हुई खड़ीनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. लूनी नदी में बीसलपुर बांध का पानी डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. नहर क्षेत्र में आबंटन मुरब्बों में डिगी निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. वरिया व कीटनोद तहसील पचपदरा (बाड़मेर) में एनीकट्स स्वीकृत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. सिंचाई विभाग बाड़मेर द्वारा खडिप एवं डाबली खडीन कार्य की उपयोगिता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

53. पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) के काफी क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा का पानी बहकर जाने से कई स्थानों का सर्वे करवाकर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

54. हरियाणा से भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की अमरसिंह सब ब्रांच में अपने हिस्से का पूरा पानी लेने हेतु सरकार को कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री संजीव कुमार)

55. अमरसिंह सब ब्रांच की झासला वितरिका के टेल पर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना हेतु किसानों की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र दिलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की मलसीसर माइनर, बोसला सब माइनर व राखी माइनर के टेल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. भादरा क्षेत्र में भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की विभिन्न नहरों एवं माइनरों तथा खालों आदि को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

59. इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अधिक राशि देकर गढ्ढ़ा ब्रांच का कार्य पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर)

60. गंग नहर का पुनर्निर्माण अतिशीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

61. सिवाना क्षेत्र में मवड़ी बांध का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. सिवाना क्षेत्र के सिंचाई बांध मेली को ऊंचा उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

63. लखा हाकम माइनर रायसिंहनगर के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

64. समेजा वितरिका का वाटर डिस्चार्ज गंग केनाल सिस्टम के अनुरूप करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. भौमपुरा माइनर रायसिंहनगर का डिस्चार्ज गंग केनाल सिस्टम के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. एल.एन.पी. वितरिकाओं की टेल पर सिंचाई सुविधा सुचारू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

67. सिद्धमुख नहर परियोजना के कच्चे कार्य को अकाल राहत के तहत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. सिद्धमुख नहर परियोजना में राजगढ़ तहसील के गांवों को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सिद्धमुख नहर परियाजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. सिद्धमुख नहर परियोजना को बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. सिद्धमुख नहर परियोजना स्वीकृत न करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़)

72. जिला श्री गंगानगर के किसानों एवं (विशेष रूप से) अनूपगढ़ शाखा के क़िसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

73. पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम रसूलपुरा के तालाब की आव को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम मानुपरा की ढाणी ग्राम पंचायत नरवर के अपूर्ण काजवे एवं रपट को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. पंचायत समिति पीसांगन (अजमेर) एवं पंचायत समिति श्रीनगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण की गई अपूर्ण रपटों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. गोविन्दगढ़ (अजमेर) बांध की पक्की नहरों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

77. हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के 06 बीघा बहाव क्षेत्र पर प्रोटेक्शन बंधा नहीं बनवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

78. चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा की केशोरायपाटन ब्रांच एवं कापरेन ब्रांच सहित समस्त वितरिकाओं के आधुनिकीकरण करने, जल प्रबंधन समितियों को राशि उपलब्ध कराने एवं पानी के अभाव में सूखी फसल के कारण पिलाई वसूल नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

79. राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का पानी पाली जिले तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. खारची विधान सभा क्षेत्र बागोल में दुआरिया बांध सिंचाई विभाग द्वारा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. खारची विधान सभा क्षेत्र में गोडादड़ा बांध अणेवा (पाली) की नहर को 20 चैन के आगे पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

82. ग्राम पंचायत को सुपुर्द किये गये छोटे-छोटे बांधों का रख-रखाव व टूट-फूट की जिम्मेदारी विभाग द्वारा लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. गजनाई बांध का सिंचाई का पानी बीजागुड़ा राजस्व गांव की भूमि को नहर से सिंचित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. झिलमिल बांध से पिछले 5-6 साल से बिराटियाकलां की सिंचित भूमि को कमाण्ड में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरासिंह चौहान)

85. रायपुर, दीपावास बांध के पिछले 15 वर्षों से लिफ्ट योजना से सिंचित की जाने एवं काश्त योग्य भूमि को कमाण्ड क्षेत्र में पूर्व घोषणानुसार सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. दीपावास बांध, झिलमिल बांध, सेमलिया बांध, सीरमा, गिरी नंदा बांध की नहरों की सफाई व जिर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

87. सीकर जिले को नहरी पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. साहबा परियोजना का कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

89. विभाग द्वारा मालपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (तहसील मालपुरा व पीपलू) में स्थित सभी नहरों के पूर्णतया खतम हो जाने के बावजूद सुधारने का कोई प्रयास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. बीसलपुर परियोजना के विभाग के अधीन रहते हुए भी इसके उपयोग का जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्णतया हाइजेक कर लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. राज्य में अकाल को विकास में बदलने की सरकार की घोषणा के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नहरों व छोटे बंधों की मरम्मत के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु नहीं भिजवाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

92. माही परियोजना के एल.एम.सी. की अधिकांश नहरों को पक्का नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. माही परियोजना के एल.एम.सी. के किसानों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. माही बजाज सागर परियोजना के आनन्दपुरी कैनाल के पक्के कार्य पूरे नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. माही बजाज सागर परियोजना की एल.एम.सी. की कोटड़ा माइनर को पूरा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. माही परियोजना के एल.एम.सी. की लालपूरा माइनर को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा)

97. जलदाय विभाग भीमपुरा, माताजी का खेड़ा, रेण टोपा, अखड़, सांगरिया, राजियास, पन्नोतीया, खेड़ा हेतम, गुणषतीय खेड़ा, सरंगारी, ककरोलिया घाटी, छोरली, ढोकलिया की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

98. सिंचाई विभाग के बांध, एनीकट की स्थिति एवं मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

99. उप खण्ड मेड़ता में एनीकट का निर्माण एवं तालाबों की खुदाई के संबंध में चर्चा के लिये।

100. नागौर जिले में नहर का पानी लाकर सिंचाई की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

101. विधान सभा क्षेत्र करौली में सिंचाई सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र करौली के पांचना सिंचाई परियोजना से अन्य गांवों को पानी आपूर्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

103. इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ अन्य जिलों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किसानों को पानी उपलब्ध न होने से सिंचाई शुल्क को माफ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

105. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में घुघा का नाका तालाब पड़ावलीकलां में बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में भंमरियाजी की काटी (तीरोल) में तालाब बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. कोहनी धरासरी का नाका बरावली के नीचे (गोगुन्दा) एनीकट बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपलाल (सलूम्बर)

108. निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में अम्बामाता बांध का कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में प्रस्तावित सभी एनीकटों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर के गिर्वा पंचायत समिति के चोटियां तालाब व जुंनापाति की पाल की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर के गिर्वा पंचायत समिति के परमदा गांव में घोलपाण एनीकट के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

112. चाकल बांध परियोजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. सिंचाई विभाग के माध्यम से नयी लिफ्ट स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

114. हिण्डौन जलसेन तालाब एवं जाट के तालाब की खुदाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरोसी लाल)

115. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के जगर बांध की पुरानी बनी हुई नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जगर बांध की मुख्य नहर शेरपुर के पास चिनायरा होती हुयी जटवाड़ा तक नहर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. जगर बांध को 05 फुट ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. जगर बांध की कच्ची नहरों को सीमेंटेड करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

119. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में काश्तकारों को पानी नहीं दिये जाने के उपरांत भी सिंचाई शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. नहरों के निर्माण में ठेकेदरों व अभियंताओं की मिलीभगत से किये गये घोटालों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या के समाधान हेतु कारगर कदम नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. घग्घर नदी के बाढ़ के पानी का समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. माही सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा की नहरों की क्षमता बढ़ा कर पानी के पूरे उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

124. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष आबंटन के मुरब्बों को पानी देने में सरकार की ओर से अनदेखी करने व किस्तों को स्थगित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों पर दो वर्ष से पक्के खालों का निर्माण कार्य बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहर व पक्के खालों के निर्माण कार्य प्रायः बन्द करने से आयोजित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए नये बांधों के निर्माण में धीमी गति होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

128. मेडा उपरला बांध, भेटाला बांध एवं कोलर बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. जालौर शहर के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जवाई नदी का पानी उपयोग में लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. जालौर शहर में वर्षा के दिनों में झरनों का पानी शहर में आने से रोकने एवं

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

उसके उपयोग हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र जालौर में नर्बदा का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र जालौर में जालौर शहर के परम्परागत कुएं बावड़ियों के बोरिंग करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

133. कालीसिंध नदी पर हरिश्चन्द सागर बांध का पुनः निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. हरिश्चन्द सागर की घानाहेड़ा वितरिका से अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. सावन भादो बांध की नहरों की सफाई व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. चम्बल नहर दायीं मुख्य नहर प्रथम की बड़ौद ब्रांच पर बने दोनों साइफनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा कि लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

137. डूंगरपुर जिले के बोरका भाटड़ा, जलवनियां, बारन्दा, बैड़ावाला आमझरा एवं कुणियावालादरा पिथापुर स्थानों पर सिंचाई हेतु बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर)

138. मैन ड्रेन पर जगह-जगह दीवार बनाकर पानी रोकने एवं जल स्तर को ऊंचा उठाकर सिंचाई उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. चौबे के नगला एवं जघीना पर सिंचाई विभाग के टूटे पुलों का निर्माण शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र को गंगा यमुना का पानी पहुंचाने हेतु आवश्यक नहर का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की समस्त टूटी हुई नहरों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यक पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

142. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के जामसागर, भेवर फ्रीकला, घांघड़ा, खोकी पतलोई कबाड़िया हेतु पूर्व में स्वीकृत बांधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. बेगूं आराई बांध की नहरों को पक्की कराने, रूपारेल बांध की डूब में आये किसानों की जमीनों का मुआवजा दिलाने व आरोई, डोराई, मडेसरा, कालादेह बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा से कुडाल क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

144. बारां जिले के शेरगढ़ में परवन नदी पर बने पिकअप वियर को ऊंचा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

145. चम्बल के पानी को लिफ्ट कर सवाईमाधोपुर जिले को सिंचित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. यमुना कैनाल के पानी को धारूहेड़ा के पास से नहर द्वारा रामगढ़ बांध में डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. पंचायत समिति बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) में स्थित सिंगरोली बांध एवं उसकी नहरों को दौसा जिले के अधीन स्थानान्तरित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. पंचायत समिति बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) के ग्राम बिछौच में निर्माणाधीन गोविन्द सागर एनीकट के कार्य को विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से रोकने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं

श्री मदन दिलावर (अटरू)

149. बीकानेर की गंग कैनाल के आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में सेम की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. हनुमानगढ़ जिले में पर्याप्त सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के वाटर अलाउंस कम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों से होकर गुजरने वाली घग्घर नदी पर हरियाणा क्षेत्र में नये ओटूवियर के निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

154. डूंगरपुर पंचायत समिति में सिंचाई के साधन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में बानरिया तालाब नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. डूंगरपुर पंचायत समिति के जल स्तर को कायम करने के लिये सोम नदी पर एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

157. बंध निर्माण खारली, दामोदरपुरा तहसील चाकसू के डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. आगरा रोड जिला जयपुर में खानियां पुराने बांध को रोके जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल)

159. चारणवास नई का नाथ रोड पर बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. बस्सी निर्वाचन क्षेत्र के रलावता नाले को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. तहसील बस्सी जिला जयपुर में अपूर्ण बांध लालगढ़, भटेसरी, दोपुर का अब तक कार्य नहीं चलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

162. ग्राम पंचायत चीड़वा अन्तर्गत सुनेड़ा गांव की नहर एवं रसगण चेकडैम निर्माण में हुई धांधली की जांच करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. रामगढ़ (अलवर) निर्वाचन क्षेत्र में अतरिया बांध का मुबारिक नौकच अधूरा पुल कम्पलीट करने हेतु बांध से नहरें सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. रामगढ़ (अलवर) निर्वाचन क्षेत्र में एवं केस खाल पर मिलकपुर एवं सिरमौर में दो एनीकट बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. रामगढ़ (अलवर) निर्वाचन क्षेत्र में पिपरोली बांध को गहरा कर सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. रामगढ़ (अलवर) निर्वाचन क्षेत्र में दोहली बांध को गहरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर)

167. विभागीय ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण कार्य करवाये जाने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

168. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये।

169. जिला उदयपुर में डीपलिंग वाटर को लिफ्टिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. जिला उदयपुर में सिंचाई हेतु तालाब एवं बांध बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. जिला उदयपुर के कृषकों को सिंचाई के साधन रियायती दर पर उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर)

172. अमर सिंह ब्रांच में पानी कम आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

173. फलौदी लिफ्ट के निर्माण के लिये अवाप्त की गई भूमि के खातेदार काश्तकारों को मुआवजा की राशि तुरन्त प्रभाव से दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. फलौदी लिफ्ट के निर्माण कार्य में प्रगति रुक जाने से उपजे असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-22 व 46 पर विचार

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में जो डिमाण्ड्स रखी गयी हैं उनके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा। जल जीवन है, यह बात कटु सत्य है लेकिन जल हमारे लिये जी का जंजाल भी बन सकता है और उससे जीवन दूभर भी हो सकता है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र इस राजस्थान के उत्तरी छोर पर बसे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर अन्तरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान तक जाती है। कभी इस नदी के पानी की पूजा किया करते थे, लेकिन सन् 1960 के बाद जैसे जैसे बरसात ज्यादा होने लगी और इस नदी ने कहर ढाना शुरू कर दिया तब सवाल पैदा हुआ कि इस नदी के बहाव को नियंत्रित किया जाये और इस पानी का इसका सदुपयोग किया जाये। पहला प्रयास सरकार से सन् 1966-67 में किया और एक डाइवर्जन

(13.19 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

कैनाल, इसको सेम नाला कहते हैं, उसका निर्माण करवाया और हजारों काश्तकारों की जमीनों को अवाप्त करके नैचुरल सैंड ड्यून्स के बीच 18 डिप्रेशन बनाकर उस पानी को डाला गया। सभापति महोदय, मुझे तरस आता है उन इंजीनियर्स पर जिन्होंने इस बात का आकलन नहीं किया कि कितनी मिकदार उन डिप्रेशनों में आयेगी और उसके नीचे सोइल की जियोलाजिकल फार्मेशन क्या है। अंधाधुंध एक योजना बनाकर पानी को डाला गया, वही पानी हमारे लिये बरबादी का कारण हो गया। इस प्रदेश के लिये अन्न पैदा करने वाली वह नाली की मिट्टी, सभापति महोदय, आज वहां रोना आता है। वहां के काश्तकार बरबाद हो गये हैं। लेकिन कोई ऐसी प्रभावी योजना नहीं बनी कि उस सेम पर कंट्रोल किया जाये या उस पानी का सदुपयोग किया जाये। एक-एक बूंद पानी के लिये जहां संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है वह पानी हमारे लिये बरबादी का कारण बना है। उसके नीचे हार्ड पेन जिप्सम था। आज सेलिनिटी इतनी है उस पानी में कि जो वहां के 25-26 गांवों के काश्तकार वहां रहते हैं वे अनहाइजनिक कंडीशन में रहते हैं। वहां का क्लाइमेट, वहां की वायु सांस लेने के काबिल नहीं है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वे जगह भी नहीं छोड़ सकते।

उसके बाद एक प्रयास और किया गया। इस नाली के बहाव को नियंत्रित करने के लिये एक तुगलकी योजना बनी। मैं तुगलकी इसलिये कह रहा हूं उस योजना को कि कुछ काश्तकार जिन्होंने अपने खेतों के चारों तरफ बंधे बना रखे थे कि वे कुछ पैदा कर सकें, सरकार ने उनका विरोध किया। उस विरोध से डरते हुये काश्तकार माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गये। वहां सरकार की तरफ से एक जवाब आया और उस जवाब में सरकार ने यह कहा कि हम इस टोटल पानी को 6 बीघा के अन्दर तलवाड़ा झील जहां से हरियाणा की सीमा से राजस्थान की सीमा में यह नदी प्रवेश करती है, वहां से लेकर अनूपगढ़ तक 165 किलोमीटर का लम्बा

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

सफर 6 बीघा के अन्दर, सभापति महोदय, एक नक्शा बनाकर उन इंजीनियर्स ने हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया कि हम इस 6 बीघा के अन्दर पानी को ड्रेन करना चाहते हैं। बात समझ में आती है, ड्रेन हो सकता है। दोनों तरफ आप बंधे बनाइये जहां से पानी बह सके। लेकिन नक्शे में लकीरें खींचने से पानी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। आपने कोई योजना नहीं बनाई लेकिन हर रोज उन काश्तकारों को न मरने देते हैं, न उनको जीने देते हैं रोजाना नोटिस देते हैं कि तुम्हारे बंधे तोड़ेंगे। सभापति महोदय, आज भी वहां यह स्थिति है, वह अन्न उत्पादन का सबसे बढ़िया क्षेत्र आज इस उधेड़बुन के अन्दर पशोपेश में पड़ा हुआ है। उन काश्ताकारों की हालत का आप अगर अंदाजा लगायें तो उनको रात को नींद नहीं आती। सभापति महोदय, मंत्री महोदया विराजीं हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पानी को ड्रेन कराइये लेकिन ड्रेन कुछ ऐसी व्यवस्था करके करिये कि वह पानी हमारे लिये बरबादी का कारण न बने। मुझे बंधा नहीं बनाने देते, सरकार बंधा बनाती नहीं, यह कैसी विडम्बना है? अगर सरकार 6 बीघा में ही ड्रेन करना चाहती है, उनके पास कोई योजना है, मैं वैल्युएशन के हिसाब से निवेदन करना चाहूंगा कि 165 किलोमीटर लम्बा और 6 बीघा चौड़ा, अभी टेम्परेरी अलाटमैंट जो हम परमानेंट कर रहे हैं उसके लिए रियायत, रहम की दृष्टि करके 10 लाख रुपये एक मुरब्बे की कीमत तय की गयी है, उस लिहाज से अगर हम उसका आकलन करते हैं तो वह 10 अरब रुपये का क्षेत्र है जिसका एक्वीजीशन करना पड़ेगा। मैंने लगातार निवेदन किया है कि डेढ़ बीघा के अन्दर काश्तकार सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर डेढ़ बीघा में नहर खुदाई जाती है, काश्तकार अपनी मेहनत से उस नहर को खोदेंगे, सरकार पर वजन कम होगा। उस वक्त क्लाइमेक्स पीरियड होता है, जब पानी की हमें जरूरत होती है उसी पीरियड के अन्दर यह पानी आता है। हमको उस कैनाल से आउटलैट दिया जाये, सरकार की आय बढ़ेगी, प्रदेश का अन्न उत्पादन बढ़ेगा। जिस घग्घर को कंट्रोल करने के लिए हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं उससे सरकार को निजात मिलेगी और सरकार की आय बढ़ेगी। लेकिन अफसोस कि सूझ की बात पर कहीं कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि 40 साल से इस समस्या से जूझते हुए उन काश्तकारों को निजात दिलायी जाये।

एक दूसरा प्रयास बीच में हुआ, बी.जे.पी. की हुकूमत थी। ये दोनों 6 बीघा वाला भी और जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह भी, दोनों ही बी.जे.पी. हुकूमत के वक्त की योजनाएं हैं। 340 ट्यूबवैल्स का प्रोविजन किया गया, 8 करोड़ रुपये खर्च किये गये। सभापति महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि वे ट्यूबवैल्स सारे आज नकारा साबित हो गये और सरकार ने खुद ने कबूल कर लिया कि इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। उस डिवीजन को तोड़ दिया, ट्यूबवैल्स की मोटरें निकाल लीं गयीं। उस 8 करोड़ की बरबादी जो जनता की खून पसीने की कमाई थी, उसके

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

लिए कौन इंजीनियर जिम्मेदार है जिसने यह दोषी योजना बनायी? क्यों नहीं उनसे रिकवरी होती? मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने खोदे हैं तो या तो उन ट्यूबवैल्स को चलाएं, उनका पानी सिंचाई के लिए ठेके पर काश्तकार लेने के लिए तैयार हैं। या पी. एच. ई. डी. ठेके पर पानी पीने के लिए उपलब्ध करायें। उस टोटल सम्पत्ति की छीजत नहीं हो इसके लिए आप प्रभावी कदम उठायें। इस बात के लिए मैं हमारी सम्वेदनशील सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने रावतसर एरिया को बचाने के लिए जो सरफेस प्लान अलांग विथ आई. जी. एन. पी. बनाया है, उससे वह इलाका बच जायेगा। सही योजना है, सही दिशा में कदम उठाया गया है, आज उन काश्तकारों के चेहरों पर रौनक आ गयी है। आप मेहरबानी करके ऐसे अच्छे-अच्छे कदम उठाइये जिनकी हम तारीफ करें और हम भी इलाके के लोगों में जाकर बात कहने के लिए खड़े हो सकें।

दूसरा प्रोजेक्ट गंग कैनाल का है। गंग कैनाल हमारी प्रोटेक्टेड कैनाल है। प्रोटेक्टेड कैनाल मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन कोस्ट की पाई-पाई बीकानेर स्टेट ने अदा की हुई है। पंजाब के क्षेत्र से जहां से यह नहर गुजरती थी, इसमें से कोई चिड़िया और जानवर पानी पी जाये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उस में से एक बूंद पानी दूसरी स्टेट नहीं ले सकती थी। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भैरोंसिंहजी साहब, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वे शेर की तरह दहाड़ते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दोनों ही वक्त उनके टाइम के अन्दर हमारी प्रोटेक्टेड कैनाल में से दो नहरें निकाल कर पंजाब बिना स्वीकृति के, बिना हमारी इजाजत के उसका पानी ले रहा है। हां, 1977-78 में फर्स्ट कैनाल निकली और दूसरी अभी 1995-96 में निकली। माननीय सभापति महोदय, रिनोवेशन स्कीम का एक महत्वाकांक्षी कदम इस सम्वेदनशील सरकार ने उठाया, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जितनी भी उसकी तारीफ की जाये, उतनी कम है।

आखिर में इस सरकार ने इस प्रदेश में अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक सही दिशा में कदम उठाया है। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम हमारी जायदाद को नहीं पहचानते हैं, हमें अगर जायदाद का पता नहीं है और दूसरे हमारी जायदाद की लूट मचाते रहे तो, सभापति महोदय, ऐसी अनदेखी अपनी सरकार को भी नहीं करनी चाहिए। पहले तो जो करते गये, करते गये। 18 सम्पत्तियां राजस्थान की जो पंजाब प्रदेश के अन्दर स्थित हैं, अरबों रुपयों की हमारी जायदाद, उसमें से छह प्रोपर्टी अकाली सरकार ने बेच दी और हम सोये पड़े हैं। मैंने सबसे पहले जब इस मुद्दे को गंगानगर में उठाया तो तवज्जोह भी नहीं दी गई। मुझे कष्ट होता है इन बातों से कि हम आपके ध्यान में कोई बात लाये वह राज्य हित में, लोगों के हित की बात हो और उसकी ओर गौर नहीं किया जाये। प्रकाश सिंह बादल किसी शादी में शरीक होने के लिए गंगानगर किसी गांव में पधारे तो मेरे पत्रकार बंधुओं ने जिनका कि तहे दिले से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया,

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

प्रकाश सिंह बादल को पूछा कि आपने हमारी जायदाद बेच दी। तो सरदार बहादुर को कबूल करना पड़ा कि हां, गलती हो गई। मैं यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि क्या उन सम्पतियों की कीमत राजस्थान को मिली? 12 सम्पतियां जो बची हुई हैं क्या उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया या पंजाब के भरोसे छोड़ दिया गया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारे हक के लिए सरकार मुस्तैद रहे, हमारी एक-एक पाई का हिसाब पंजाब सरकार से लिया जाये और हमारी सम्पतियों की लूट पंजाब को करने की छूट नहीं दी जाये। सभापति

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है और आप अभी घंटी बजा रहे हैं। मेहरबानी करके यह...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, करीब 30 माननीय सदस्य आज इसमें भाग लेना चाहते हैं, इसलिए जैसा भी पार्टियों ने तय किया है उसी के अनुरूप मैं यह कार्यवाही कर रहा हूं। आप ठीक है, थोड़ा जल्दी करें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं बहुत जल्दी करूंगा, साहब।

और दूसरा मेरा नम्र निवेदन है सरकार से कि आप रिनोवेशन स्कीम को ला रहे हैं, गंग कैनाल का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, क्या उसके अन्दर दो अवैध नहरों को आप जज कर पायेंगे? उन नहरों का प्रावधान आपकी रिनोवेशन स्कीम में होगा या आप मुस्तैद होकर उससे लड़ाई लड़ेंगे और उनको इंकार कर देंगे कि यह नहर हम यहां से नहीं निकलने देंगे?

दूसरा मैं भाखरा नहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि अच्छा कदम उठाया है इस सरकार ने। उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं क्योंकि सारी भाखरा नहर सैंडी जोन से बहकर आ रही थी। पानी की इतनी छीजत होती थी जिसकी कोई हद नहीं है। यह दूसरा निर्णय सरकार ने इतना महत्वपूर्ण लिया है कि भाखरा के तमाम् सिस्टम को लाइनिंग करके पक्का कर दिया जाये और वह पानी बचाया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप ऐसे कदम बड़ी मजबूती से त्वरित गति से उठायें ताकि इस प्रदेश में अन्न उत्पादन बढ़े और इंटेंसिटी इर्रिगेशन में बढ़े, राजकोष बढ़े। ये सारे बढ़ोतरी की ओर कदम उठायेंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा। भाखरा कैनाल जिसकी आप अभी लाइनिंग करने जा रहे हैं, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, उसमें मेरे तीन-चार सजेशंस हैं, अच्छे सजेशंस हैं, आप अगर गौर फरमायेंगे तो आपको धन्यवाद भी दूंगा। भाखरा नहर का आखिरी छोर जहां उसका टेल होता है, वह भगवानगढ़, भादवा वाली ढाणी, जोणकिया, सरदारपुरा बीका और घमण्डिया का क्षेत्र है। दुर्भाग्य से गंग कैनाल का भी एल.एन.पी. माइनर का टेल एण्ड उसी जोन में हुआ। तीसरा दुर्भाग्य उस इलाके का यह रहा कि जब आई.जी.एन.पी. आई तो उसकी घमण्डिया माइनर का टेल एण्ड भी उसी जगह पर आकर हुआ। लेकिन

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

इंजीनियरों की निगाह उस एक बहुत बड़े भू-भाग पर नहीं गई, वह आज भी वीरान है। फ्लों से पानी लग सकता है। वे लोग यह पूछते हैं कि क्या हम इस देश के काश्तकार नहीं है? हम इस देश के रहने वाले नहीं है? हमें इस सुविधा से क्यों महरूम किया जा रहा है? मेहरबानी करके इस बड़े भू-भाग को जहां फ्लों से पानी लग सकता है, बड़ी उपजाऊ जमीन है, उसको शामिल किया जाये उनको पानी दिया जाये ताकि वे लोग भी खुशहाली महसूस करें और इस प्रदेश के लिए अपनी खून-पसीने की कमाई से अन्न उत्पादन भी बढ़ायें। इससे राजकोष भी बढ़ेगा।

इसी तरह से सूरतगढ़ ब्रांच प्रेमपुरा के पास केवल 13 किलोमीटर की अगर कैनाल खोदी जाती है और पानी पीछे, पानी नया नहीं देना है, पानी का पीछे एड्जस्टमेंट होगा। एस.सी.आर. माइनर, एल.जी.डब्ल्यू. माइनर, डी.बी.एन. और एम.ओ.डी. को वहां से अगर उस कैनाल के जरिये फीड कर दिया जाये तो टेल एण्ड की जितनी भी प्रोब्लम हैं वे तमाम् की तमाम् हल हो जायेगी और वे लोग मजे में अपना जीवन व्यतीत कर पायेंगे।

इसी तरह से बडोपल सेम का इलाका है, उसमें एस.पी.डी. माइनर को 12 बुर्जी और आगे एक्सटेंड कर दिया जाये, जिसके लिए लोग काश्तकार मेहनत करके उसको बढ़ाने को तैयार हैं, तो वह इलाका वह काश्तकार जो सेम की मार के नीचे दबा पड़ा है, वह उस कैनाल को बढ़ाकर बेरन पड़े भू-भाग पर सिंचाई सुविधा मिलने से अपना जीवन बसर कर सकेगा। उसमें सरकार का ज्यादा खर्च नहीं आयेगा।

इसी तरह से कानोर डिस्ट्रीब्यूटरी का मैन कैनाल से एक प्रोविजन है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको मैटीरियलाइज नहीं किया गया। आज जरूरत है क्योंकि कानोर का इलाका भी सेम से प्रभावित है। अगर वह डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है तो उस इलाके के लोगों को भी राहत मिलेगी। सभापति महोदय, कमाण्ड और अनकमाण्ड...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब हम चाहते हैं कि आप समाप्त कर दें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। कमाण्ड और अनकमाण्ड का जहां सवाल है, यह एक और बड़ी प्रोब्लम है हमारी। बड़ी विडम्बना है कि काश्तकार 1970 से पानी ले रहा है, पानी हमको मिल रहा है और हम उस रकबे को कमाण्ड रिकार्ड में देखना चाहते हैं लेकिन सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे नहीं पता। डिफरेंस आफ प्राइस है वह काश्तकार देने को तैयार है। मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी एनोमाली जो रिकार्ड में हैं, उनको डेफिनिटली करैक्ट किया जाये, उनको सुधारा जाये। इससे आय बढ़ेगी। टैक्निकल प्राब्लम है, इसमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है।

दूसरा बार-बार इंजीनियर्स उस इलाके में जाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। वह आरोप का कारण एक ही है कि आउटलैट्स को हर तीसरे दिन जो इंजीनियर जाता है, वह छेड़ देता है।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक फुलप्रूफ योजना बनायें। हर सिस्टम के ऊपर काश्तकारों की कमेटी हो, उनका सहयोग लेकर इंजीनियर्स की टीम के साथ टोटल आउटलैट का एक साथ साइज निर्धारण कर दें। उसके बाद किसी इंजीनियर को यह छूट नहीं होगी कि वह उस आउटलैट को छेड़ सके या उसके साथ छेड़खानी कर सके। अगर कोई ऐसी जरूरत टैक्निकली महसूस हो तो वही कमेटी दोबारा उसका साइज निर्धारण करे। इससे इन लोगों का चेहरा भी साफ होगा, इन पर दाग नहीं उछलेगा और हम भी रोजाना मार से बच जाएंगे।

श्रीमान् सिंचित विकास क्षेत्र, इसमें हमने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली खाले पक्के बनाने की ताकि इंटेंसिटी बढ़े, पानी की छीजत कम हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, सभापति महोदय, मुझे दर्द है इस बात का कि इन पक्के खालों के अंदर इतनी गड़बड़ियां हुई, क्वालिटी आफ वर्क इतना गिरा हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। शेरपुरा एक डिवीजन है उस डिवीजन के अंदर लगातार दो साल से मैं जूझ रहा हूं, इंजीनियर ने अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों के नाम से फर्जी फर्में रजिस्टर करके जितने वाटर कोर्सेज का निर्माण हो रहा है उनके ठेके उन आदमियों के नाम से करवा रखे हैं। उनकी शिकायतें करें तो मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने लैटर लिखे हैं, सूचनाएं चाहीं लेकिन दो साल से मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। एलाइनमैंट चेंज कर दिया। वेपकोस को हमने पैसा दिया, वेपकोस ने हमको नक्शे बनाकर दिये। अगर वह गलत संस्था है तो इसको राजस्थान सरकार के खजाने से इतना पेमेंट क्यों हुआ? और अगर उन्होंने सही किया है तो फिर इसका एलाइनमैंट चेंज नहीं होना चाहिए पत्थर लाइन से। सुरजनसर माइनर का चक नम्बर एक एस.ई.एम. उसके वाटर कोर्स का मामला, उसकी क्वालिटी की शिकायत हुई, एंटीकरप्शन में गया मामला और उसका एलाइनमैंट तीन जगह से बदल दिया। काश्तकार चक समिति ने विरोध किया, उनकी बात नहीं सुनी। उस एस.ई.एम. माइनर पर मिस्टर एम. डी. कंजाणी एक असिस्टैंट इंजीनियर है, उनके किसी परिवार के आदमी के नाम से ठेका है। बुर्जियों के पत्थर नहीं लगे हैं और पेमेंट उठा लिया। उसकी शिकायतें हुई लेकिन उन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ। इस तरीके से अगर राजकोष की छीजत होगी, क्वालिटी आफ वर्क गिरेगा तो यह हम और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हम यह अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, अपनी सम्पत्ति को ही बरबाद कर रहे हैं। मैं इंजीनियर्स का साधुवाद करना चाहता हूं, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस देश के निर्माण में उनकी एक बहुत अहम् भूमिका है लेकिन मेहरबानी करके वे लोग अपने ऊपर दिन-रात जो कीचड़ उछल रहा है उससे अपने आप को बचायें और अपनी नेकनियति प्रमाणित करें ताकि हमको भी फख्र हो, हम आपके पीछे खड़े हो सकें। आप अच्छा काम करेंगे, हम मजबूती से आपका साथ देंगे, आपकी तारीफ करेंगे। हम नहीं चाहते कि आड कंडीशन्स में

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

काम करने वाले लोगों पर गलत आक्षेप लगें।

एक, सभापति महोदय, मेरा आखिरी निवेदन है। वाटर अलाउंस इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अंदर कम करने की बात की गई। उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि अगर आप वाटर अलाउंस कम करते हैं तो उसके साथ-साथ स्प्रिंकलर सिस्टम की इंट्रोड्यूज करिये। उस एरिया में गंग कैनाल में, भाखरा में, तीनों सिस्टम में काश्तकारों को यह सुविधा दी जाये ताकि बूंद-बूंद पानी से हम ज्यादा उत्पादन कर सकें। उसके लिए सरकार को अनुदान भी देना पड़े तो सरकार अनुदान दे। उसमें जो सिस्टम ढाई इंच पाइप का दिया हुआ है, वह हमारे इलाके में कामयाब नहीं इसलिए इस सिस्टम को बढ़ाकर इसकी साइज को भी बड़ा किया जाये। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम को हमारे तीनों सिस्टम में इंट्रोड्यूज करके हमको यह लाभ दिया जाये। आपने मुझे वक्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-22 और 46 पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गंगानगर जिले के किसानों को और आम अवाम को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य सरकार को लगातार तीन महीने तक प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करके इस बात के लिए मजबूर किया कि गंग कैनाल का माडर्नाइजेशन किया जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पिछले सत्र के प्रश्न के जवाब में सरकार ने मुझे यह जवाब दिया कि आठ से दस साल में इसका माडर्नाइजेशन करने का सरकार विचार रखती है लेकिन जनता के दबाव के आगे मुख्य मंत्रीजी शायद 3 जनवरी को गंगानगर पधारे और उन्होंने वहां एक पैकेज की घोषणा की थी जिसमें सन् 2000-2001 के अंदर...

डा. श्रीमती कमला : बात को तथ्यों के हिसाब से प्रस्तुत करो। इस तरह से उसको तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत मत करो।

श्री रामप्रताप : मंत्रीजी, मैं बिना तथ्य के बोलने वाला कभी हूं ही नहीं। यह शायद आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें तथ्य वाली बात अगर आप पूछती हैं, आपने मुझे इन्टरप्ट किया है, वैसे यह टाइम कम देंगे, मैंने लास्ट में पूछा है कि अब सरकार इस महती परियोजना को कितने समय में पूर्ण करने का विचार रखती है। आपने फरमाया कि आठ से दस साल में। जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो आठ से दस साल में करेंगे। यह तथ्य है, यह बिना तथ्य की बात नहीं है।

डा. श्रीमती कमला : बिना संसाधन थोड़े ही होता है।

श्री रामप्रताप : तो यह किस ने कहा कि बिना संसाधन होता है? अब कैसे कर दिया आपने? आठ से दस साल का आपने कहा था और इसी बात को लेकर जनता ने एजीटेशन किया उससे मजबूर होकर आपको इस मांग को मानना पड़ा।

श्री सभापति : अच्छा है, आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री रामप्रताप : धन्यवाद तो उस जनता को देना चाहिए।

डा. श्रीमती कमला : न तो आठ-दस साल कहा। संसाधनों की व्यवस्था की है, मंजूर कराया है। बहुत अरसे से पड़ा था सी.डब्ल्यू.सी. में, बताइये, आपको मालूम है ?

श्री रामप्रताप : सी.डब्ल्यू.सी. में पड़ा था, वह तो मुझे मालूम है लेकिन सरकार को मजबूर किया, इसमें जनता को धन्यवाद देने में कोई बुराई की बात नहीं है। और यह हकीकत है, आप भी अपने अन्तर्मन से इस बात को समझती हैं।

डा. श्रीमती कमला : हम चूंकि यह प्रस्ताव ला रहे थे और योजना मंजूर करा लाये थे। अच्छा है आपने भी उसको देखते हुए अपना प्रदर्शन किया और उसको सहमति दी।

श्री रामप्रताप : अच्छा, उसके बाद में, सभापति महोदय, यह पैकेज की जो घोषणा की थी उस घोषणा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर इसको शायद दो साल में तो पंजाब पोर्शन को पूरा करने का कहा था और 2000-2001 में आपने फरमाया था कि हम 15.40 करोड़ रुपये देंगे इस योजना के लिए। मार्च के आखिर में आपने दो करोड़ रुपये भेजे, उन दो करोड़ में से ही पुरानी देनदारियां चुका कर आपके पास में 20 से 30 लाख रुपये मात्र बचे। आपने जो नौ करोड़ रुपये पंजाब को देने थे, जो घोषणा थी उसकी बात कर रहा हूं, उसमें आपने एक करोड़ रुपये दिये और वह भी मार्च के आखिर में जाकर दिये। उसमें भी मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि जो 20 से 30 लाख रुपये आपने दिये हैं, क्योंकि बाकी की तो पुरानी देनदारियां चली गईं आपकी, उस 20 से 30 लाख में भी जो फिजिकल टारगेट्स थे और जो फाइनेंशियल टारगेट्स थे, वे उन्होंने एचीव किये या नहीं किये ? यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका 15 करोड़ का जो पैकेज था उसका घाटा तो गया। अब आप 110 करोड़ जो इस साल में देने वाले थे, उसके खिलाफ आप 48 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। इस तरीके से, सभापति महोदय, यह आपकी परियोजना लम्बे समय तक खिंचती चली जाएगी और जिससे जो फायदा मिलना चाहिए वह मिलेगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्रकार सम्मेलन वगैरह में चर्चा की कि 8-9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 8 साल के अन्दर जब तक सी.डब्ल्यू.सी. से योजना क्लियर नहीं हुई थी, ढाई सौ किलोमीटर के करीब लाइनिंग की थी। माननीय सभापति महोदय, उस पोर्शन की लाइनिंग की थी टेल पोर्शन की जिसकी लाइनिंग का सबसे ज्यादा लाभ होता है। और सी.डब्ल्यू.सी. से क्लियर कराने की जहां तक बात है, काम को शुरू करने वालों को भी क्रेडिट जाना चाहिए। यह गंग कैनाल लाइम और कंक्रीट की बनी हुई है जिसकी उम्र होती है 30 साल के करीब 27 में यह बनी थी

(श्री रामप्रताप)

और 60 के आस-पास यह टूटनी शुरू हो गयी थी। वहां के किसानों की लगातार यह मांग थी कि इसको पक्का दुबारा बनाया जाये, हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकारें तो बहुत आयीं 60 के बाद में, पर 1979 में जाकर ये भैरोंसिंह ही थे जिन्होंने इस योजना को तैयार करवा कर केन्द्र सरकार को भेजा। मुख्य मंत्री के स्तर के आदमी को इस तरह से वहां जाकर ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है। 1983 में सी.डब्ल्यू.सी. से पार्टली जब क्लियर हुई उसमें आपने लिंक बनाया। लेकिन बनाकर 1986 में उसको अधूरा छोड़ दिया। ये भैरोंसिंह ही थे जिन्होंने आकर 1993 में उस उग्रवाद के समय में जब पंजाब की तरफ कोई मुंह नहीं करना चाहता था, इसको आई.जी.पी. से जोड़ा और जोड़ने के बाद लगातार 8 साल उस लिंक के माध्यम से पानी दिया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इनकी सरकार चली गयी उसके बाद में भैरोंसिंह जी का राज आया तो इनकी तो सी.डब्ल्यू.सी. में वैसी ही पड़ी रही, 1993 में फिर से भैरोंसिंह जी ने इसका तखमीना बना करके फिर इसको सी.डब्ल्यू.सी. में भेजा। 1998 तक मंजूर नहीं हुआ, 1998 में भेजा गया। मैं ये तथ्य आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे सवाल के जवाब में तथ्यों को छुपाते हुए आपने मुझे जवाब दिया है कि पहले वाली योजना तो 83 में भेजी गयी थी 79 के बी.एस.आर. की रेट्स पर, जबकि यह 79 में ही भेजी गयी थी। दुबारा आपने जवाब दिया है कि 98 की बी.एस.आर. पर पिछले साल भेजी गयी है, जबकि यह 98 में भेजी जा चुकी थी। आपकी वहां केन्द्र में सरकार थी उसने क्लियर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आयी और इसको सी.डब्ल्यू.सी. ने हाथों-हाथ क्लियर किया। जब ये क्लियर हो गया और इस पर पैसे नहीं लगे तो इसके बाद में लोगों ने एजीटेशन किया।

माननीय सभापति महोदय, लाइनिंग होने के बाद में पिछले साल बजट के टाइम में मैंने एक मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री जी ने मेरी बात से सहमति व्यक्ति की थी। किसान को सबसे ज्यादा लूटा जाता है आउटलैट्स को अमैंड करने के नाम पर। पिछले दफा मैंने सवाल पूछा था कि गंग कैनाल में कितने आउटलैट्स रैक्टिफाई किये गये हैं और उनको रैक्टिफाई करने का आधार क्या है? तो मुझे जवाब दिया गया कि नहर की लाइनिंग होने की वजह से एफ.एस.एल. में वेरियेशन आया उस वजह से अमैंड किया गया है। ठीक है। उसके बाद दुबारा मैंने इनसे यह सवाल किया कि लाइनिंग करने के बाद कितना एफ.एस.एल. में फर्क आया? तो मुझे पूरा जवाब तो नहीं दिया गया, अधूरा सिर्फ 18 माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज का जवाब दिया गया है। माननीय मंत्री महोदया, यह आपकी विशेष जानकारी के लिए कि 18 में से हैड और टेल दोनों की एफ.एस.एल. लाइनिंग करने से पहले और बाद में सिर्फ 4 माइनर्स में वेरियेशन आया। यह गम्भीर विषय है। बाकी की 14 में कोई वेरियेशन नहीं आया, जबकि सैकड़ों की तादाद में आउटलैट्स अमैंड किये गये थे। वहां पर दो

(श्री रामप्रताप)

डिवीजन हैं नार्थ और साउथ, दोनों में लाइनिंग बराबर हुई और अमैंड किये गये सैकड़ों की तादाद में वे सिर्फ नार्थ डिवीजन के हैं। अगर एफ.एस.एल. में वेरियेशन होता तो साउथ और नार्थ में तकरीबन बराबर होना चाहिए था। सैकड़ों की तादाद में अमैंड किये गये और अमैंड करने के पीछे करोड़ों रुपये लिये गये। मैं यह स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाना चाहता हूं कि एक आउटलैट में, ईमानदारी की बात है, एक से लेकर डेढ़ दो-दो लाख रुपये लिये गये। माननीय सभापति महोदय, अब मंत्री महोदया फरमाएं। मुझे इनकी नीयत पर कतई शक नहीं है। ये यही कह सकती हैं अपने जवाब में कि मैं इसकी जांच करवाऊंगी। आप जांच करवाएंगी तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत लाभ किसानों को मिला होगा तभी उन्होंने पैसा दिया। जांच में कोई आदमी, मंत्री महोदया, यह नहीं कहेगा कि हमने पैसे दिये हैं और आपकी जांच बेकार चली जायेगी। जांच यह आपके सामने हैं, अपने जवाब में खुद अधिकारियों ने जवाब दिया है कि लाइनिंग करने की वजह से एफ.एस.एल. में वेरियेशन आया, इसकी वजह से इनके अमैंड किये गये। दूसरा जवाब में आप एफ.एस.एल. खुद देख लेना, वेरियेशन सिर्फ 4 में है और एक-एक, डेढ़-डेढ़ इंच का है। तो यह जांच रिपोर्ट तो आपके सामने है, अगर आप कार्यवाही करना चाहे तो इससे बड़ा सबूत आपके पास में हो नहीं सकता। मंत्री महोदया, इसलिए इस पर आप कार्यवाही करें।

इसके बाद में, सभापति महोदय, सार्दुल ब्रांच भाखड़ा सिस्टम की बात करना चाहूंगा। मैंने कैपेसिटी रिवीजन की बात की थी, पूर्व में जवाब मिला कि कैपेसिटी रिवाइज करेंगे। इस बार मुझे जवाब दिया गया कि 45-50 क्यूसेक्स का फर्क पड़ रहा है इसलिए इसमें रिवीजन की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, इसकी शुरू में कैपेसिटी में गड़बड़ी रही है। 5 क्यूसेक्स लासेज के आधार पर इसकी कैपेसिटी बनायी गयी थी जबकि जितनी भी वर्ल्ड बैंक स्पानसर्ड स्कीम्स हैं या आर.डब्ल्यू.आर.सी.पी. के माध्यम से हैं वह 8 क्यूसेक्स के हिसाब से होती हैं। तो कम से कम सौ-डेढ़ सौ क्यूसेक्स पानी इसमें और होना चाहिए और यह आपको हण्ड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर चलानी चाहिए। हण्ड्रेड परसेंट कैपेसिटी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि माडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नहर की लाइनिंग करना नहीं होता। माडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि आज की तारीख में किसान हाई ब्रीड सीड्स का उपयोग करता है और हाई ब्रीड सीड्स के लिए, सभापति महोदय, पर्टीकुलर पीरियड होता है, उसमें हण्ड्रेड परसेंट पर अगर आप नहरों को नहीं चलायेंगे तो सभी को पानी नहीं मिलेगा और उसके बाद में उसकी उपज पर फर्क पड़ेगा। सभापति महोदय, यह बात नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं है, मेरे पास आपका यह चार्ट है वेस्टेज आफ वाटर डाउनस्ट्रीम फिरोजपुरा एण्ड डाउनस्ट्रीम माधोपुरा जो पानी हमारा पाकिस्तान में जाया जाता है। अगर कैपेसिटी रिवाइज करके हण्ड्रेड परसेंट करें तो कम से कम हमारे पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सभापति महोदय, 81 से लेकर के 88

(श्री रामप्रताप)

तक का इनका जो औसत आता है, वह 23 लाख एकड़ फीट तो पानी पाकिस्तान गया और 1988 से लेकर ये मेरे पास आंकड़े हैं 1997-98 तक के, उसमें हमारा 73 लाख एकड़ फीट पानी पाकिस्तान जाया गया। माननीय सभापति महोदय, 73 लाख एकड़ फीट बहुत बड़ा अमाउंट है कि गंग कैनाल और भाखड़ा दोनों मिला कर 28-29 लाख एकड़ फीट है। तो आप ढाई गुना पानी ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। अगर इसकी कैपेसिटी आप रिवाइज कर दें तो हमारा फालतू पानी जो बाहर जा रहा है उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं।

सभापति महोदय, यहां यह भी सवाल पैदा होता है कि 1987-88 तक तो पानी कम जा रहा था पाकिस्तान, 1988 के बाद में पानी ज्यादा क्यों गया इतना? इतना फर्क क्यों आया? इसके पीछे भी एक कारण है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह विशेष निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर सवाल यह नहीं है कि किसका राज है और किसका नहीं है। एक दुर्घटना घटी थी पंजाब में, उस वक्त जो थे बी.बी.एम.बी. के, उनको मारा गया था। दोनों डेम्स को 10 फीट नीचे तक खाली रखा जाता है, माननीय सभापति महोदय, ऊपर एक डैम का पोर्शन है वह 10 फीट आप भरोगे तो एक रणजीत सागर डैम जितना पानी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पंजाब उस 10 फीट को जबरदस्ती खाली रखता है, उसका नुकसान पंजाब व हरियाणा को भुगतना पड़ता है। पंजाब तो अपनी कमी पूरी कर लेता है, नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि कम से कम अधिकारियों से जानकारी करें कि किसी स्तर पर हमने कोई कमिटमैंट दिया है या वह जबरदस्ती करके ही 10 फीट डैम को खाली रखता है जिससे कि इतना पानी जाया नहीं जाये।

सभापति महोदय, आपने भी कभी ओटू के बारे में चर्चा सुनी होगी। घग्घर नदी जो हरियाणा से होकर राजस्थान में एन्टर होती है, सौ साल पुराना उसमें वीयर बना हुआ था जिसकी कैपेसिटी 20 हजार थी। चूंकि हम उस नदी की राइपेरियन स्टेट हैं इसलिए उसमें अगर कोई एक ईंट का भी आल्टरेशन किया जाता है तो हमारी सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए उस 20 हजार के स्ट्रक्चर को उठाकर 65 हजार का कर दिया। करने के बाद में आश्चर्य की बात, माननीय सभापति महोदय, यह है 6.5.99 को चीफ इंजीनियर (नार्थ) ने एक पत्र लिखा टू दी सैक्रेटरी इर्रिगेशन डिपार्टमैंट, राजस्थान, जयपुर और उन्होंने आगाह किया कि हरियाणा एकतरफा कार्यवाही करते हुए यहां पर नये ओटू वीयर का निर्माण करा रहा है, उसमें हमें बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। "It is, therefore, requested that the matter may kindly be taken up with the Haryana Government and the proposal under...got dropped."

(14.00 बजे)

इसके बाद यहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, 6.11.99 को पुनः पत्र लिखा [illegible] पत्र में उन्होंने चुराकर ड्राइंग का एक [illegible] भी भेजा कि इससे हमारा बड़ा

(श्री रामप्रताप)

भारी नुकसान हो जायेगा। जिसमें से दो-एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :—

"The work has already been allotted in October, 1999 and is likely to be completed by 31st October, 2001. Any increase in water in down-stream otu weir is definitely going to affect Rajasthan adversely as in the past also when there was a discharge of around 40,000 cusecs from otu weir, all the structures on Ghagghar Flood Control Scheme were under heavy stress. And Rajasthan had faced a lot of stress on this account." यह उन्होंने लैटर लिखा और लास्ट में एंडोर्स किया उसमें लिखा है :—

"Copy forwarded to the Special Assistant to the Hon'ble Irrigation Minister, Government of Rajasthan, Jaipur with the request that the matter may be brought to the knowledge of the Hon'ble Irrigation Minister." माननीय मंत्री महोदय, यह आपकी नोटिस में आया कि नहीं आया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद में मुख्य मंत्री जी के ध्यान में जरूर आया। लेकिन यह बहुत देरी से आया। 1 नवम्बर, 1999 को हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने इसका शिलान्यास कर दिया। हमारे मुख्य मंत्री जी 28.12.1999 यानी जब यह काम चालू हो जाता है उसके तकरीबन 2 महीने बाद में एक पत्र लिखते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को। उसमें सम्बोधन के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह मेरे पास में उनका पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है "माई डीयर श्री चोलाटा जी"। मेरे ख्याल से "चोलाटा" नाम का तो कोई हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। सभापति महोदय, आप मेरे से बड़े हैं, आप मुझे सम्बोधन करते हैं तो मुझे आप लिखेंगे "प्रिय रामप्रताप", अगर आप मुझे लिखते हैं "प्रिय रांड प्रताप" तो मैं उस पत्र की काग्नीजेंस लूंगा क्या? यह पत्र हमारे लिये शर्म की बात इसलिए है कि शायद यह पत्र आपके कितने ही अधिकारियों के हाथों में से होकर निकला होगा। सभापति महोदय, इतना बड़ा मसला, यह तो मुख्य मंत्री जी की आदत है कि पत्र लिखकर वह अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते हैं। अन्यथा इंटर स्टेट मैटर के ऊपर ही इस बात पर चर्चा हो जाये और हरियाणा के मुख्य मंत्री जी कहें कि आपने कहीं आब्जेक्शन नहीं किया, न आपने मेरे से सम्पर्क किया, न आपने मुझे पत्र लिखा तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि मैंने तो पत्र लिखा था। तो चौटाला साहब तो कहेंगे कि वह तो चोलाटा को लिखा है, मुझे तो नहीं लिखा। कोई जवाब है क्या हमारे पास? सभापति महोदय, इसकी लैंग्वेज इतनी डिफेक्टिव है कि कई जगह इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जबकि एक मुख्य मंत्री का दूसरी स्टेट के मुख्य मंत्री को पत्र है तो उसकी एक कामा, फुल स्टाप का मायना होता है। आपको अच्छी तरह से याद है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, शायद 1985 में आप इस

(श्री रामप्रताप)

सदन के सदस्य थे कि नहीं थे, जब पंजाब का समझौता हुआ था उसमें कामा, फुल स्टाप के इंटरप्रिटेशन पर यह हाउस 6 दिन तक सीज रहा था। तो एक मुख्य मंत्री के पत्र का इस तरीके से लिखना, हमारे लिये इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, फिर भी राजस्थान सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं हुई। मई में भारतीय संघ ने अपनी तरफ से_

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इनको बोलने दीजिए।

श्री सभापति : मैं इनको बंद नहीं कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं।

डा. श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, यह लैटर आप हमारे कार्यालय से लाये हैं या मुख्य मंत्री, हरियाणा के दफ्तर से लाये है?

श्री रामप्रताप : मुझे तो अवेलेबल हुआ है, मैं इसको आपको समर्पित कर दूंगा, आप देख लेना।

डा. श्रीमती कमला : इसकी कापी मुझे दीजियेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वह पढ़ने में गलती है या लिखने में गलती है।

श्री रामप्रताप : यह आप ले लेना और अगर यह सही हो तो एक पत्र मेरे पास और है, वह थोड़ा और ही किस्म का है, वह भी आपको दे दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद भारतीय किसान संघ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया। राजस्थान की तरफ से कोई नहीं गया, बाकी के सब वहां प्रजेंट थे। जाने के बाद जब नैक्स्ट तारीख पेशी है तो भारतीय किसान संघ ने मेरी सूचना के मुताबिक चीफ सैक्रेटरी राजस्थान को फैक्स भेजा कि फलां तारीख है तब यहां से आपका कोई अधिकारी गया। अधिकारी के जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने शायद दो दिन का समय दिया कि तीनों-चारों पार्टियां बैठकर आप सर्वसम्मति से इस बात पर आ जाओ। तो आपके अधिकारियों ने लगभग 45000 समर्थिंग पर एग्री कर लिया। मैं इस बारे में विशेष तौर से आपसे जानकारी चाहूंगा कि आपका अधिकारी वहां गया हुआ था, उसको 45000 के लिये आपने अधिकृत किया था क्या? किस आधार पर उस आदमी ने अकेले ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? सभापति महोदय, राज्य सरकार की गम्भीरता के बारे में आप देखिए।

डा. श्रीमती कमला : आप कई मामलों के कैसे रेफरेंस दे रहे हैं? गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने या गवर्नमैंट के किसी लेवल पर अभी तक ओटू वीयर की क्षमता बढ़ाने बाबत हमने कोई सहमति नहीं दी है। कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बावजूद भी हमने एतराज किया उसका। इसलिए आप कैसे क्या विवरण दे रहे हो? हर बात को आप ही इधर-उधर डीरेल करके बता रहे हैं। वह तो बाद में मैं जवाब दूंगी लेकिन हर एक मामले को आप दूसरी तरह टिवस्ट कर रहे हो।

श्री रामप्रताप : सभापति महोदय, सरकार की गम्भीरता के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि हरियाणा की तरफ से तो डिप्टी एडवोकेट जनरल और सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से

(श्री रामप्रताप)

कंसेलर और राजस्थान की तरफ से पंजाब के डिप्टी एडवोकेट जनरल को हमने कहा कि आप वहां खड़े हो जायें थोड़ी देर के लिये। पंजाब का डिप्टी एडवोकेट जनरल आपकी वहां पैरवी करेगा? कहीं समझ में आने वाली बात है क्या? वह हमारी समस्या को समझ सकता है क्या? सभापति महोदय, शायद आपने यह फैसला पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा होता तो आप ऐसा नहीं कहतीं। फिर आप फरमा रही हैं, पिछली दफा भी आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज आप सुप्रीम कोर्ट में में चले गये, सभापति महोदय, अगर मैं सही हूं तब तो आपने अपना राइट है वह फोरफिट कर दिया आगे जाने का, सहमति व्यक्त कर दी, अगर कर दी तो। जैसा आप फरमा रही हैं, अगर नहीं की तो आपको भारतीय किसान संघ ने जो गोल्डन अपर्चुनिटी दी थी उस वक्त आपको इमीजिएटली जाना चाहिये था। अब आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में चले गये। आप इतनी वरिष्ठ हैं, आपको जानकारी है कि ऐसे मामले में इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल में आपको जाना चाहिये। आपको अपने एवेन्यूज को एगजास्ट करना चाहिये फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये था। आज मैं भी दावे के साथ कहता हूं, आपको आखिर में जवाब यही मिलेगा कि please, go to the inter-State tribunal. और आप वहां से भाग कर वापस आयेंगी।

अब आप जाकर करोगे क्या? जब वह स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, आपने मुझे मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि वह स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब तैयार हो गया तो आप क्या करोगे? 35 करोड़ के स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुड़वा दोगे क्या? उसको ओमप्रकाश चौटाला कहते हैं, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि हरियाणा को मैं बाढ़रहित बनाऊंगा। और यह उसी की तरफ एक कदम है उस आदमी का। जो हरियाणा बाढ़ग्रस्त था वह तो बाढ़रहित हो जाएगा उसकी वजह से लेकिन राजस्थान जो थोड़ा बहुत बाढ़रहित था उसको आपने बाढ़ग्रस्त कर दिया। सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं जब ओटू में पीछे नदी से कम पानी आता था तो हमें भी कुछ हिस्सा मिलता था। वहां पैडी की बैल्ट थी, हमारा किसान भी इससे सिंचाई करके पैडी पैदा करता था। जब कम पानी आयेगा तब तो उसको रोकोगे क्योंकि वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला है। पीछे जो लेक है उसकी कैपेसिटी इन्क्रीज कर रहे हैं, थोड़ा पानी रोक कर माइनर वगैरह से पानी लेंगे। और जब पानी आयेगा, पानी की बड़ी गोठ आयेगी वह आपके हवाले कर देंगे। वह आपसे काबू में नहीं आयेगी। आप तो कह रही हैं मुख्य मंत्री जी का पत्र नहीं है लेकिन जो सज्जन आपके वहां गये उन्होंने भी इस बात को माना है, चीफ इंजीनियर ने भी कहा है कि इससे हमारा सारा स्ट्रक्चर टूट जायेगा, राजस्थान कैनाल भी टूट जायेगी अगर राजस्थान कैनाल टूट जायेगी। तो पश्चिमी राजस्थान के जो 7 जिले हैं वे पीने के पानी के लिये तरसेंगे। ऐसी भयंकर स्थिति के लिये आपने प्रेरित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा मैं आपसे गम्भीर सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 45000 का हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो

(श्री रामप्रताप)

आपकी तरफ से जो वहां स्ट्रक्चर बन रहा था क्या आपके किसी अधिकारी ने उसको मानिटरिंग किया कि यह कैसे बन रहा है, कितनी कैपेसिटी का बन रहा है? वहां आपका एक एईएन. पोस्टेड है, एईएन. ने कभी आपको इस बारे में चेताया है क्या? सभापति महोदय, मैं उसको देखकर आया था, मैं आपको बता दूं उसमें 10 स्पान हैं। दो स्पान हाई कोर्ट में जाने के बाद बंद किये गये। वह मुद्दा उठाया उसके बाद बंद हुए हैं। 8 स्पान हैं। दोनों साइड में चार सिल्ट इजेक्टर्स हैं। स्पान की चौड़ाई साढ़े पांच फीट है, 20 फीट ऊंचाई है। इसी तरीके से सिल्ट इजेक्टर्स की चौड़ाई 22 फीट है और 32 फीट ऊंचाई है। तीन-तीन फीट आप इनसे फ्री बोर्ड छुड़वा लेना, और इसको कैलकुलेट करना कि यह 45 का है, 65 का है कि एक लाख का है, कितने का है स्ट्रक्चर। ये आपके अधिकारी बैठे हैं उनसे भी पता कर लेना।

माननीय सभापति महोदय, इसी संदर्भ में मेरे से पूर्व में भी पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अभी हमारे यहां पर एक सिलसिला चल रहा है इस घग्घर नदी का। अभी नोटिस दिये जा रहे हैं, किसानों के बंधे हटाओ। यह कोई सीजन होता है क्या आपका? बंधे हटाने के लिए आप अप्रैल-मई में जाकर उस किसान को परेशान करते हो? अगर आप इस बारे में गम्भीर हो तो आपको फ्लड के बाद या बरसात के बाद में प्रयास करना चाहिए। बंधा आज यूं तो है नहीं कि कोई बटन दबाया और बंधा बन गया। बंधे का कम्पैक्शन करना है। बंधा एकाध बरसात को झेले, उसके बाद में वह मजबूती पकड़ता है। माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं हाई कोर्ट के एक फैसले को, मेरे हिसाब से शायद कमिटमैंट किया, फिर मंत्रीजी कहेंगी कि आप तोड़-मरोड़ रहे हो, मैं उसकी तीन-चार लाइन पढ़ता हूं : "The circumstances warranted taking of a serious view" यह राजस्थान हाई कोर्ट का है : "But looking to the fact that the learned Counsel for the State on instructions from these respondents have assured the court that illegal "bandha's will be removed within one month..." यह आपके काउन्सेल ने कमिट किया है हाई कोर्ट में और इसी के पेटे आपने पिछले साल, आपके पास पैसे नहीं थे तो भी पैट्रोल पम्प वालों से डीजल उधार लेकर आपने कुछ बंधे तोड़ने की कोशिश की थी। उसका अभिप्राय यह है कि आप अपनी कॉस्ट पर उनको तुड़वा रहे हो। और आज आप किसानों को नोटिस दे रहे हो। किसानों ने जो बंधे 20-20, 30-30 साल पुराने बनाये हुए हैं, अभी माननीय सदस्य ने बिलकुल वाजिब कहा था कि बंधे टूट जाएंगे और सैकण्ड डिफेंस आपके पास में है नहीं। उसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, 165 और 165, 325 किलोमीटर लम्बे एरिए में जहां सरकार नहीं बना सकती तो किसान कैसे बना लेगा? पूरी आबादी को आप बिलकुल ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि तबाह हो जाएगी।

(श्री रामप्रताप)

माननीय सभापति महोदय, अभी पानी के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब, अब यह किसने बनाई, किसके टाइम में बनाई, यह तो बहुत ही लम्बा-चौड़ा विषय है, लेकिन हरियाणा हमारे से कितने पानी की चोरी कर रहा है? हमारे अधिकारी आपको कोई पत्र लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, कोई रिटन में आपके पास सूचना आती है या नहीं आती है, सब लोग देख आते हैं, बोलते क्यों नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

अभी इन्होंने, माननीय सभापति महोदय, एक तो गंग कैनाल लिंक के पास में एक माइनर बनाई हुई है। एक टी.एस.एफ. अप स्ट्रीम में, एक टी.एस.डी. और सार्दुल ब्रांच के बीच में, तीन माइनर्स ये चल रही हैं। 400 क्यूसेक्स पर डे हमारा शेयर है, खारा सब ब्रांच का एस.डी.सी. का, जसाना डिस्ट्रिब्यूटरी और अमर सिंह ब्रांच का 400 का। 12 हजार क्यूसेक्स हमारा शेयर बनता है, पर हरियाणा हमें तीन से चार हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं देता है। ये जो माइनर्स हैं, यह स्ट्रक्चर तो, माननीय सभापति महोदय, देखने में डिजाइन में तो है आठ-आठ क्यूसेक्स, 10-10 क्यूसेक्स लेकिन पानी वे ड्रा करते हैं 30-35 क्यूसेक्स। इस तरीके से महीने में हमारा 600-700 क्यूसेक्स पानी तो अकेला खा रहा है हरियाणा। ऐसी स्थिति के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, जब एक-एक बूंद पानी के लिए पूरा राजस्थान तरस रहा है और अधिकारी आपको शायद सूचना नहीं देते तो इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

इतना कुछ करने के बाद में भी, माननीय सभापति महोदय, दशमलव 05 एम.ए.एफ. कोई शेयर पुराना बचा हुआ था, उसके लिए उधर से तो चोरी और इधर से चतुराई कर रहे हैं। यह दशमलव 05 एम.ए.एफ. के लिए राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा कि हमें राजस्थान कैनाल से यह पानी लेने के लिए माइनर्स बनाने की इजाजत दी जाए। हमारे यहां पर अधिकारी बैठे हुए हैं इन्होंने बिना देखे एग्रीमेंट के ऊपर फटाफट मंजूरी दे दी। राजस्थान कैनाल कोई मिट्टी का घड़ा नहीं है, लेकिन जगह-जगह से पंक्चर करने से इसके कांसीक्यूवेंसेज भयंकर हो सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, जहां मंजूरी मांगी गई है वहां पर जब इनका खुद का सिस्टम है, भाखड़ा सिस्टम से ये सिंचाई कर रहे हैं और वह तो पांच-सात फुट राजस्थान कैनाल से ऊंची है तो फिर हमारे राजस्थान कैनाल से क्यों पानी लेना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस मामले में इन्होंने एक हवाला दिया है 31.12.1981 के फैसले का और उसमें उस वक्त के आपके जो इर्रिगेशन सैक्रेटरी थे उनका हवाला देकर हमारे से पानी मांगा है। मैं इर्रिगेशन सैक्रेटरी की यहां पर वे दो लाइन पढ़कर आपको सुना दूं, माननीय मंत्रीजी, थोड़ा ध्यान से सुनना। वह रोळा पड़ गया यहां पर। मंत्रीजी, यह मैं पंजाब, अपने जो सरप्लस शेयर का फैसला है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं और आपसे ठगी हुई है वह बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो। मैं कोट कर रहा हूं सी.सी. पटेल का लैटर है 15 जनवरी, 1982 का उसमें उन्होंने

(श्री रामप्रताप)

लिखा है : "Haryana shall draw the remaining .05 MAF ex-Harike through Rajasthan Feeder from an appropriate point upstream of the link channel at RD 496." Upstream of RD 496. मतलब 496 से ऊपर लेंगे। और आपने इनको इजाजत फरमाई है। कहां पर फरमाई है? 603 आरडी. पर। 10 क्यूसेक्स का है। दूसरा 603 आरडी. का 10 क्यूसेक्स है। तीसरा 560 आरडी. फिर 10 क्यूसेक्स का है। तीन माइनर्स से आपने इस एग्रीमेंट के हवाले से पानी दिया तो इनको यह क्यों नहीं कहा कि आप 491 के अप-स्ट्रीम में से लीजिए? 150-200 आरडी. आप डाउन-स्ट्रीम में क्यों दे रहे हैं। उनका क्या मतलब है इसका देने का? और पहले उनसे हिसाब लीजिए कि 600-700 क्यूसेक्स तो आप हमारे से ले रहे हो, चोरी कर रहे हो और 70-80 क्यूसेक्स आप हमारे से इस तरीके से लेना चाहते हो। माननीय सभापति महोदय, यह तो एग्रीमेंट इण्डिया गवर्नमेंट के लेबल का है, हमारे हाथ का नहीं है, इसमें मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताना चाहूंगा। यहां पर इसमें जो इन्होंने इनको लैटर भेजा है उसमें सूखेरा वाला माइनर लिखा है। माननीय सभापति महोदय, यह सूखेरा वाला माइनर जिसके बनाने के लिए इन्होंने इजाजत मांगी है, यह मेरे पास में फोटो आया है, मंत्री महोदय, सूखेरा वाला माइनर आज की तारीख में चल रहा है और यह राजस्थान कैनाल से नहीं चल रहा है इसलिए उसमें उसकी आरडी. नहीं लिखी। यह आपके भाखड़ा से चल रहा है। यह इन्होंने बना लिया। आज से दो साल पहले से बना लिया। इजाजत आपसे किस चीज की मांग रहे हैं? आपके अधिकारी आपको क्यों नहीं बताते? माननीय सभापति महोदय, अकेले इतने ही नहीं, यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं भूल गया, आपका जो ओल्ड भाखड़ा है और सरहिन्द आकर जहां से सार्दुल ब्रांच की और पी.एच.ई.डी. की जीरो आरडी. शुरू होती है, वहां से बैक फ्लो से 150 क्यूसेक्स पानी लेते हैं। कम से कम 150 क्यूसेक्स पानी लेते हैं और लठ के जोर पर अगर वहां पर बैठा हो आपका गेज रीडर और कहे कि मैं इसका पाइंट जरा नीचे कर दूं तो गाली के बिना वे बात नहीं करते। एक बड़ी अजीब स्थिति है। नहर हमारी, पानी हमारा, जमीन हरियाणा की, और कंट्रोल किसका? पंजाब का। पंजाब वाला तो हमारे चीफ इंजीनियर तक को नहीं गांठता, लेकिन वहां एक अदना-सा आदमी आता है उसके डर के मारे वहां से वह बैक फ्लो से पानी देता है। माननीय सभापति महोदय, इस विचित्र स्थिति के लिए आपको ये सूचना नहीं देते। इसी तरह से पंजाब जब सरहिन्द बंद होती है आपकी तो बैक फ्लो से पानी ले जाते हैं। वहां पर इसकी नहरों का डिजाइन ही इस किस्म का है कि बैक फ्लो से वह पानी अपनी नहरें चला कर ले लेता है। पानी हमारा होता है। यह उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, मेरे पास में डेट नहीं है, माननीय सभापति महोदय, 8 या 9 मार्च की बात है, मैं खुद वहां पर गया था उस दिन आपकी सरहिन्द बंद पड़ी थी। आई.जी.एन.पी.

(श्री रामप्रताप)

के लिंक से हमें पानी मिला 650, जैसा मुझे गेज रीडर ने बताया। वहां से चलकर आगे टेल सरहिन्द के, हार्डली कोई दो या तीन आर.डी. होगी, दो-तीन आर.डी. कोई ज्यादा फासला नहीं होता है। माननीय मंत्री महोदय, 9 मार्च की बात हो सकती है, यह आप अपने अधिकारियों से पूछना, वहां से चला हुआ पानी 650, पी.एच.ई.डी. आपकी बंद पड़ी है, एक नहर चल रही थी सार्दुल ब्रांच उसमें पानी मिल रहा था, उसकी गेज कह रही थी 417. दो आर.डी. चलने के बाद आपका 417 और 650 का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहां चला गया पानी? दो आर.डी. में नहर तो पी नहीं सकती है इतना पानी। बीच में एकाध उनकी माइनर जरूर है, तो इतना पानी आपका कहां गया? शायद मंत्रीजी नाराज हो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गई मेरी बात से इसलिए ध्यान से सुन नहीं रही हैं। पंजाब का अभी अधूरा रह गया।

सरहिन्द टेल से पानी लेते हैं, फिर आपके हरि के बैराज से, माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय वहां पर पधारे थे तो यह बड़ी चर्चा हुई थी। तो पंजाब वालों ने कहा कि हम चोरी नहीं करते हैं, आपके गेट्स लीक कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर यह आरोप लगाता हूं और इनके ऊपर भी आरोप लगाता हूं कि वे डेलीबरेटली हरिके बैराज से लीकिंग करते हैं पानी। लीकिंग इसलिए करते हैं कि आगे जाकर उस सतलज दरिया के साथ में उनके ट्यूबवैल्स बने हुए हैं, वे पानी लिफ्ट करते हैं। उनके ट्यूबवैल्स रिचार्ज होते हैं। हुसैनी वाला हैडवर्क्स से जहां से ईस्टर्न कैनाल इनकी अवेंडेन पड़ी है, उस ईस्टर्न कैनाल में 45 आर.डी. तक तीन-चार माइनर्स हैं उसमें इल्लीगली फीड करते हैं। शेयर हमारा, पानी पंजाब ले रहा है और साथ में हमारे से पैसे मांगता है कि आप इन गेट्स को रिपेयर करो। वहां पर हमारा हाट डिस्कशन हुआ इस बात को लेकर। आपके अधिकारी थे वहां पर, वे कहने लगे कि नहीं, साहब, जीरो से 45 आर.डी. के बीच में कोई माइनर नहीं है। अगर इनको जानकारी नहीं है तो आज मैं उन्हें बता दूं, सभापति महोदय, नाम लिख लें, एक तो बुटेवा डिस्ट्रीब्यूटरी, एक बनेसवा डिस्ट्रीब्यूटरी है और एक शायद यह मम्डोर डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये तीन-चार डिस्ट्रीब्यूटरी वहां से निकलती है। ईस्ट कैनाल जब आपकी नान-पेरेनियल कैनाल है और वहां से अबंडन कर रखी है पंजाब ने, तो वह फीड कहां से होती है? फीड उससे होती है जो हरिके से पानी लीकेज होकर आता है, हुसैनी वाला हैड से उसको वे फीड करते हैं। पानी हमारा है। इस तरीके से, सभापति महोदय, जगह जगह पर लिफ्टिंग कर रखी है या ट्यूबवैल अपनी टैरिटरिज में लगा रखे हैं। ये तो बहुत छोटे मामले हैं। गम्भीर विषय यह है, सभापति महोदय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप : थोड़ा-सा और निवेदन कर दूं। सेम के बारे में, यह तो मेरा गम्भीर मसला रह गया।

सभापति महोदय, इन्होंने सेम के लिये दोषी माना वाटर अलाउंस को। 5.23 का जैसा माननीय सदस्य ने बताया, माननीय सभापति महोदय, आपके कोई भी सिस्टम इतना बड़ा इर्रिगेशन का होगा, आपके एक्ट का नाम ही इर्रिगेशन और ड्रेनेज एक्ट है, जब आप ड्रेनेज साथ में नहीं करोगे, अकेला इर्रिगेशन करोगे तो सेम पैदा नहीं होगी तो क्या होगा? सभापति महोदय सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हैण्ड बुक है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जब तक आप ड्रेन्स का सिस्टम साथ में डवलप नहीं करते, आउटलैट से पानी नहीं दिया जाए। आउटलैट छोड़कर, यहां तो दरिया के दरिया भरे पड़े हैं। जब आपने व्यवस्था नहीं की, पंजाब व हरियाणा पोर्शन में जगह-जगह साइफन बने हुए हैं राजस्थान कैनाल के नीचे से और हमारी टेरिटरी जैसे ही आती है उसके बाद में आपने एक भी साइफन नहीं बनाया, साइफन नहीं बनाया। तो सेम सिर्फ रावतसर के एरिये में ही क्यों पैदा हुई? आप अनूपगढ़ साइड में तो 5.23 दे रहे हैं, वहां सेम क्यों नहीं पैदा हुई? वहां तो वाटर टेबल 60-70 फीट नीचे है। और यहां सेम पैदा हुई है। अपनी कमजोरी को छिपाकर केवल आपको पानी लेना है तो आप 5.23 से कम करके आगे दीजिये। दीजिए, जैसलमेर, बाड़मेर या नागौर किसी से हमारी कोई एतराजगी नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं बीच में इन्टरप्ट करूंगा। 5.23 आपके है क्या? 5.23 इसलिए दिया गया था कि सैकण्ड फेज खुलने के बाद आपका 3.5 रहेगा। सैकण्ड फेज नहीं खुले तब तो 5.23 था आपका। आप 5.23 की क्लेम कैसे करते हैं?

श्री रामप्रताप : ऐसा है, सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कहिये। (व्यवधान) नहीं, आप तो अपनी बात कहिये।

श्री रामप्रताप : माननीय सदस्य ने मुझे इन्टरवीन किया, मेरी गलती यह रह गयी कि एक दफा आपके सेंट्रल से कोई कमीशन था, उन्होंने कहा था कि लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी दिया जाए नागौर को, चूरू को, इसलिए यह वायबिलिटी देखी जाए। यह एरिया प्यासा पड़ा है इसको भी पानी मिलना चाहिये। तो एक कमेटी का गठन हुआ था। गठन के बाद उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि चूंकि फर्स्ट स्टेज में आपका टोटली इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप्ड है, आपकी कैनाल्स डवलप्ड हैं इसलिए फर्स्ट स्टेज का पानी घटाना अनइकोनोमिकल होगा, सुसाइडल होगा। इसलिए सैकण्ड स्टेज का उन्होंने कम किया है। फर्स्ट स्टेज में अगर आप पानी कम कर रहे हो तो आपने सीलिंग सीमा क्यों 42 बीघा रखी? आपने जब श्रीगंगानगर जिले में गंग कैनाल और भाखड़ा के अंदर सीलिंग सीमा 62 बीघा रखी, तो राजस्थान कैनाल में आपने फर्स्ट स्टेज में इसलिए रखी थी कि वहां पर 110 प्रतिशत इंटेन्सी है। 42 बीघा जमीन की आपने सीलिंग सीमा इसलिए रखी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के

(श्री रामप्रताप)

खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरे पास में आज सबूत भी हैं, मैं इनको ये सबूत दिखाऊंगा। यह भी मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आप 5.23 कर रहे हो, सीलिंग के पेटे उन किसानों की जमीन काट दी गयी और जमीन काटकर हिसाब लगाया कि 42 क्यूसेक्स पर इतने सदस्यों का परिवार है, वह भरण-पोषण अपना कर सकता है। आज आप 42 बीघा उसको जमीन दे रहे हो, वाटर अलाउंस उसका कम

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कर रहे हो तो वह बिलो पावर्टी लाइन आएगा। सरकार इनको बी.पी.एल. से ऊपर ले जाना चाहती है या बी.पी.एल. के नीचे ले जाना चाहती है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये।

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो 42 बीघा सीलिंग सीमा रखी थी, मैं माननीय सदस्य से इत्तेफाक रखता हूं कि वह 5.23 से कम कर दें। लेकिन 62 से जो 42 बीघा जमीन दी गयी थी, उनको और जो सरप्लस लैण्ड थी, वह लैण्डलैस को दे दी गयी। क्या वह रिवर्सिबल चीज है क्या? आप उनको वापस 62 बीघा जमीन दीजिए ना। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको कम करना है तो कीजिये, लेकिन आप इस सेम का बहाना क्यों बनाते हैं? सेम ही कारण है तो अनूपगढ़ में क्यों नहीं हुआ? घड़साना में क्यों नहीं पैदा हुआ? आपका यह कन्टूर कैनाल है, बिलकुल बाउण्डरी पर चलती है। राइट साइड में इर्रिगेशन होता है, लैफ्ट साइड में जो मेरे पास है वह इमेजरी नहीं है, मैं वह आपको दिखा सकता हूं। जहां से गंधेली से लेकर कनवानी और जीवन नगर, रावतसर और आपके लास्ट में जाकर राजस्थान कैनाल के ऊपर खेतवाली के पास में 100 आर.डी. के ऊपर यह एक सरस्वती नदी का बैल्ट था। मैं खतम कर रहा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हूं। उस सरस्वती नदी के बैड के अंदर जब नदी थी तो नैचुरली स्लोप होगा, वहां गहराई होगी। उसी एरिये में सेम है। अब उसको आपने राजस्थान कैनाल पर आकर बन्द कर दिया। आपने एक चोक बेसिन बना दिया। गलती आपकी आगे यह है कि आपने डिप्रेशन में लाकर खड़ा कर दिया। अभी समय ही नहीं दे रहे हो आप, मेरे पास वह चीज भी है जिसमें इन्होंने सेम के मुझे गांव बताये थे।

श्री सभापति : बहुत मौके आएंगे। आपको कहने के लिये बहुत मौके आएंगे।

श्री मदन दिलावर : अब तो मंत्री महोदय भी नहीं रुकीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बिराजो।

श्री मदन दिलावर : मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, सेम के लिये मैंने इनसे पूछा.....

श्री सभापति : अब तो बिराजो।

श्री रामप्रताप : यह आखिरी है। सेम के लिये आपने फरमाया है। इनके सवाल का जवाब ही मैं वही पढ़ रहा हूं कि टोटल 17,476 हैक्टेयर जमीन इन्होंने सबमर्ज बतायी और उसमें जो गांव लिखे हैं, ऊपर के

(श्री रामप्रताप)

गांव हैं छह और उनका रकबा है 6,560 हैक्टेयर। टोटली डिप्रेशंस की वजह से, इसको कोई आदमी इंकार नहीं कर सकता। इसी तरीके से दूसरे गांव इन्होंने बताये हैं मेरे को, ये चार-पांच केस हैं बछीर दो, पांच, छह, सात जी.जी.आर.। यह एरिया आई.जी.एन.पी. का नहीं है। आई.जी.एन.पी. का जो 17,476 हैक्टेयर आपने सबमर्ज बताया उसमें से 10,300 तो दूसरी नहरों का है। आई.जी.एन.पी. के अण्डर में नहीं आती। क्या आप उनका भी वाटर अलाउंस कम करोगे? इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वाटर अलाउंस इसका बहुत माइनर कारण है।

सभापति महोदय, पूना से एक टीम आयी थी उसने यहां पर जांच की थी। 40 आर.डी. जिसका मैं निवेदन कर रहा हूं, इनके 15 गुना लोसेज वहां थे। कैनाल के 15 गुना ज्यादा लोसेज, इनको इन्होंने लॉक में रख रखा है। उसको बाहर क्यों नहीं निकालते? उसे आज बंद करने से कितने दिन काम चलेगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अन्त में मैं एक और निवेदन करूं। यह पूरे राजस्थान का ही मामला समझो आप कि आप गंग कैनाल का माडर्नाइजेशन कर रहे हो तो वह भी आई.जी.एन.पी. से चलेगी। भाखड़ा में आपको सरहिन्द से वे पानी देते नहीं आज भी वह आई.जी.एन.पी. से फीड हो रही है। आज, सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. की कंडीशन आप देखें तो गंग कैनाल से भी बदतर हालत में पहुंची हुई है। इसलिए आप रख-रखाव का जो पैसा देते हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इसकी स्पेशल मेंटीनेंस के लिये पैसा देना चाहिये, जैसे 1998 में हमारी सरकार ने सात करोड़ दिये थे। इसके बिना आपको जरूरत होगी और पानी होगा तो भी पंजाब इस बात पर पानी नहीं देगा कि बिना मेंटिनेंस के अगर हम पानी ज्यादा छोड़ेंगे तो हमारे यहां पर बरबादी कर सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि आई.जी.एन.पी. की स्पेशल मेंटीनेंस करवाकर इसको दुरूस्त करवाया जाए। आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का सिंचाई की मांग पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में तो सिंचाई की न कोई नहर है, न कोई बांध है। थोड़ी बहुत सिंचाई कुओं से होती है और वह भी बिजली नहीं मिल पाने के कारण किसान सिंचाई सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर जो जैसलमेर जिले में आयी है, आगे गडरा तक उस नहर को ले जाना है। इन्दिरा गांधी नहर के ऊपर बाड़मेर जिले के काश्तकारों ने विशेष आबंटन के जरिये जमीन खरीदी। किन्तु, सभापति महोदय, जो विशेष आबंटन में बाड़मेर के और राजस्थान के दूसरे काश्तकारों ने मुरब्बे खरीदे, उनमें इस साल सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलने की वजह से काश्तकार बरबाद हो गये। जिन मुरब्बों में पानी बिलकुल ही नहीं लगा तो कम बरबाद हुए और जिन मुरब्बों में पानी थोड़ा बहुत लगा वे ज्यादा बरबाद हुए।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, पहली बुवाई जब शुरू हुई तो उस समय नहर वालों ने कुछ पानी दिया जिससे काश्तकारों ने वन चौथाई या वन थर्ड हिस्से में बुवाई कर दी। उसके बाद में फिर पानी बंद कर दिया, पानी आना ही बंद हो गया तो बोई हुई फसल भी जल कर नष्ट हो गयी। उनका फसल की बुवाई में खर्चा और लग गया। जिन मुरब्बों में बिलकुल पानी नहीं लगा उनके बुवाई का खर्चा तो नहीं आया और जिनमें एक बार पानी दिया तो उन पर बुवाई का खर्चा एक बार और पड़ गया।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले के निवासियों के अलावा दूसरे जिले के काश्तकारों को विशेष आबंटन के जरिये मुरब्बों का आबंटन किया और उसकी कीमत दो तरह से ली, जमीन को दो तरह से क्लासिफाई किया एक कमाण्ड और एक अनकमाण्ड। जिस भूमि मे पानी लगेगा वह कमाण्ड कहलाएगी और जिसमें नहीं लगेगा वह अनकमाण्ड। कमाण्ड की कीमत अलग है और अनकमाण्ड की कीमत अलग ली गई। अब, सभापति महोदय, पानी तो जमीन में जिसके आपने पैसे कमाण्ड के लिये, उसमें भी नहीं लगा, तो फिर कमाण्ड भूमि की कीमत कैसे ले सकते हैं? इसलिए या तो आप भूमि की कीमत अनकमाण्ड के हिसाब से करें, क्योंकि पानी तो आप दे नहीं रहे हो या आप उसमें पानी की व्यवस्था करें। पैसे भी आप कमाण्ड के हिसाब से लो और पानी भी उस भूमि में नहीं दो तो यह किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है।

सभापति महोदय, जिस समय यह विशेष आबंटन जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में शुरू हुआ था, वहां राजस्थान के सभी जिलों के काश्तकार मुरब्बों के आबंटन के लिए पहुंचे थे, उन्होंने आवेदन किया था। मैं भी वहां दो तीन बार गया था। सभापति महोदय, वहां जमीन लेने के लिए काश्तकारों का मेला लगा हुआ था, पावं रखने की जगह नहीं थी मोहनगढ़ की उन तहसीलों में। परन्तु सभापति महोदय, करीब डेढ़-दो साल से उन तहसीलों में कोई काश्तकार नजर ही नहीं आता है। क्या कारण है? क्यों अब जो शेष बचे हुए मुरब्बे हैं उनको काश्तकार लेने के लिए तैयार नहीं? वे इसलिए नहीं लेना चाहते कि काश्तकारों ने आगे मुरब्बों का अलाटमैंट करवा लिया है उनको पानी नहीं मिला और वे बरबाद हो गये, तबाह हो गये। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो कुछ जीवन में कमाया हुआ पैसा और अपना गहना बेच कर, गिरवी रख कर पैसा इकट्ठा किया और किस्त जमा करा कर अलाटमैंट कराया। उसके बाद में पानी का पता ही नहीं और सरकार दूसरी किस्त, तीसरी किस्त की ताईद कर रही है। अब, सभापति महोदय, यह बताएं कि वे किस्त कहां से जमा कराएं, और कैसे जमा कराएं? इसलिए यदि सरकार की मजबूरी हो कि वह पानी नहीं दे सकती, पीछे डैम में पानी नहीं है या पंजाब सरकार से निपट नहीं सकती, बी.बी.एम.बी. पर नियंत्रण नहीं है सही ढंग से या कोई भी वजह रही हो जिसके कारण उन काश्तकारों को पानी आप नहीं दे पाये तो आप मेहरबानी करके उन काश्तकारों के बिना ब्याज के पैसे वापस दे दें। या आपने कमाण्ड के हिसाब से जमीन के पैसे लिये, वह अनकमाण्ड के हिसाब से तो कर दें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, अभी श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य सिद्धू साहब कह रहे थे कि हमारे मुरब्बों में पानी लग रहा है, बराबर सिंचाई हो रही है फिर भी वह रिकार्ड में अनकमाण्ड है इसलिए उनको कमाण्ड घोषित किया जाए, रिकार्ड में कमाण्ड दर्ज किया जाए। और हम कह रहे हैं कि हमारे यहां रिकार्ड में तो कमाण्ड है परन्तु पानी का कहीं पता ही नहीं है, इसलिए कमाण्ड है उसको अनकमाण्ड दर्ज करो। तो, सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। आपने 5 लाख से 6 लाख रुपये के बीच में एक मुरब्बे की कीमत ली है और वह कमाण्ड के हिसाब से ली है। पानी देने का आपने वायदा किया है कि हम आपको पानी देंगे जिससे किसान फसल लेकर बाकी की किस्तें भी जमा कराएगा और अपना भी गुजारा चलाएगा। सभापति महोदय, यह कहते हुए मुझे बड़ा दुःख है कि काश्तकार ने जो कुछ उसके पास था, वह ले जाकर नहर के ऊपर लुटा दिया और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है सिर्फ चमड़ी। यदि आप वसूली करना चाहे शेष किस्तों की तो वो तो किसी भी सूरत में हो नहीं सकती, चाहे आप मुरब्बे खारिज कर दें। आप चाहे जो कर सकते हैं। सरकार के लम्बे हाथ हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। परन्तु उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको सरकार को देखना चाहिए। अगर सरकार उस पर विचार नहीं करेगी तो वह किसान जैसा अभी 295 के विशेष उल्लेख के जरिये बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो उससे पहले ही सरकार इसके बारे में विचार करे, सोचे और निर्णय ले।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि जिसके भी पीड़ा होती है कष्ट उसी को होता है। पास में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को उस पीड़ा का वह अनुभव नहीं हो सकता जो जिस व्यक्ति के खुद के पीड़ा है, उसको होता है। किसी के पेट में दर्द होता है तो कहते हैं कि पेट के जैसा कोई दर्द नहीं होता। आंख में दर्द है तो कहते हैं कि आंख जैसा कोई खतरनाक दर्द नहीं, कान में है तो कान का सबसे खतरनाक दर्द है। जिसके दर्द है वही जानता है कि सबसे खतरनाक दर्द क्या है। तो किसानों का जो दर्द है उसको मैं सरकार के सामने निवेदन करना चाहता हूं, इस पर आप गौर करें। वहां जाएं, नहर को देखें। मैंने मंत्री महोदया से भी निवेदन किया कि आप एक बार नहर पर पधारें और वहां देखें। इस साल की बुवाई हुई है, बाद में फसल का समय था, देखें कि वहां पर वास्तव में किसानों को मुरब्बों पर कोई फसल मिली है या नहीं मिली। अगर मंत्री महोदया वहां पधारतीं और देखतीं तो मुझे यहां पर यह बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां पर पानी की व्यवस्था करें। आप आगे से आगे बढ़ाये जा रहे हैं, नहर का विस्तार किये जा रहे हैं। जो मुरब्बे अभी अलाट नहीं हुए उनको भी अलाट करना चाहते हैं, लेकिन जिनको आपने पहले अलाट कर दिया है, आपके पास पानी तो उनको ही देने को नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

है। फिर भी आप आगे से आगे अलाटमेंट किये जा रहे हैं, नहर को आगे से आगे बढ़ाये जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। आपको केवल पैसे ही लेने हैं तो पैसे तो जो आपने ले लिये वे ले लिये। मैं समझता हूं कि हम भोले भाले किसान फंस गये, अब आपकी इस चाल में कोई आने वाला नहीं है। आपने राजस्थान में मोहनगढ़-जैसलमेर में क्या दूसरे जिले में जा-जाकर इस जमीन को बेचने के लिए प्रयास किये, आप दूसरे जिले में गये लेकिन कोई इस जमीन को लेने को तैयार नहीं है। आपने मुरब्बों की कीमत भी कुछ कम की है लेकिन कम कीमत में भी आपके मुरब्बे अब कोई लेने वाला नहीं है। सभापति महोदय, आप पानी की व्यवस्था करेंगे तो जो किसान फंस गये हैं वे भी बरबाद नहीं होंगे और जो पीछे जमीन बची है, वह भी बिक जाएगी और दूसरे काश्तकार उसको लेने के लिए आ जाएंगे।

दूसरा, सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि पानी की बहुत कमी को देखते हुए फव्वारा पद्धति की जो बात की गयी है, तो आप डिग्गी के लिये अनुदान की व्यवस्था करावें। यदि सभी मुरब्बों में डिग्गियां बना देंगे तो थोड़ा बहुत पानी आएगा वह डिग्गी में ले लेगा और डीजल का छोटा फव्वारा लगाकर सिंचाई कर लेगा। तो बहुत कम पानी की जरूरत होगी। थोड़ी बहुत तो सिंचाई कर सकते हैं। जीरे की फसल होती सबसे कम पानी मांगती है, पर उसके लिए बुवाई के सात दिन बाद दूसरा पानी देना पड़ता है। इस नहर की मौजूदा व्यवस्था से तो 15 दिन-महीने बाद में दुबारा बारी आती है। डिग्गी में यदि वह पानी स्टोर कर लेगा तो दुबारा सात दिन के बाद फव्वारे से जिसको पानी देते हैं, पड़का कहते हैं, दे देंगे तो उससे जीरे की फसल थोड़ी-बहुत, चौथाई हिस्से में भी अगर वह पैदा कर लेगा तो उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जीरा बहुत ही कीमती फसल है इसलिए इसके बारे में सरकार विचार करे और सभी मुरब्बों में डिग्गियां बनाने के लिए अनुदान की व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, इसके अलावा खाले भी बहुत डिफेक्टिव बने हुए हैं, उन खालों से टेल में पानी जाता ही नहीं है। जो आउटलैट लगा हुआ है अगर उसका पूरा का पूरा पानी खाले में आवे तो शुरू में जो खाले हैं, मुंड के खाले, वहां तो पानी पूरा का पूरा आउटलैट से आ जाता है, मगर टेल में अगर पानी जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है पीछे से खाला, और वह पानी उसके ऊपर चलकर खाला फूट जाता है। तो ऐसे डिफैक्टिव खाले हैं उनको ठीक करवाया जाना चाहिए। जो खाले बने ही नहीं हैं उनको दूसरी जगह परिवर्तन करने का सरकार ने निर्णय ले रखा है कि जहां खाले बने हुए नहीं हैं, अलाटमैंट हो गये तो जहां खाले-पड़े हैं वहां चेंज कर देंगे। वह भी अभी तक नहीं हो रहा है, मामला जहां का तहां ही पड़ा है। इसके अलावा, सभापति महोदय, आखिरी जो मुरब्बा है उसके लिए पक्का खाला नहीं है, कच्चे खाले से पानी की व्यवस्था है सब जगह। जब आप कीमत, पक्का खाला जिस मुरब्बे में बना हुआ है उसके बराबर ले रहे हो तो आखिरी में टेल में

(श्री हेमाराम चौधरी)

मुरब्बा जिसका भी है उस काश्तकार ने गुनाह क्या किया है कि उसके लिए कच्चे खाले की व्यवस्था कर रखी है और पक्का खाला नहीं बन रहा है? उलटा टेल में होने की वजह से पक्का खाला भी है उसके, तो भी पानी जो शुरू में नहर के पास मुंड का मुरब्बा है उससे कम ही मिलना है, ज्यादा मिलने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आप ये सब चीजें देखें, व्यवहारिकता को देखें कि जब सबने पैसे बराबर दिये हैं तो सबमें बराबर पानी मिलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, नर्मदा नहर से भी राजस्थान में सिंचाई के लिए अभी व्यवस्था करनी है। पहले हाइट के मामले में विवाद था, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका है इसलिए राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी राशि दी जानी है, देने की व्यवस्था करके उसकी हाइट बढ़ाकर हमारे जालौर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधा के लिए विशेष ध्यान दें। हमारे बाड़मेर जिले में ये दो ही नहरें हैं जो दोनों टेल में हैं लेकिन फिर भी हमें उनसे सिंचाई की सुविधा का लाभ मिल सकता है, यदि सरकार इसके ऊपर विशेष ध्यान देगी। और नर्मदा के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है इसलिए कि सांचौर और मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में उसका पानी आएगा तो उसका हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद, जय हिन्द। समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-46 और 22 के सम्बन्ध में इस चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को प्रस्तुत करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिना भूमिका के कहोगे तो ज्यादा कह पाओगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जी, बिना भूमिका के कहेंगे और आपसे इजाजत भी लेंगे कि कुछ समय आप दें क्योंकि दो मिनट पांच मिनट देंगे फिर तो कोई जरूरत नहीं है बोलने की।

श्री सभापति : आप फरमाओ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सभापति महोदय, निवेदन है कि 1927 के अन्दर महाराजा गंगासिंहजी ने गंग कैनाल का शिलान्यास किया, शुरूआत की जिसको तकरीबन 75 वर्ष हो गये। उसकी 50 साल की आयु थी, वह जर्जर हो गयी। बड़े लम्बे अरसे से गंगानगर के समस्त जनप्रतिनिधियों ने, समस्त पत्रकारों ने और किसान संगठनों ने समय-समय पर इसकी पुकार की क्योंकि गंग कैनाल गंगानगर के लिए लाइफ लाइन है। इसमें मैं समस्त पार्टियों का भी आभारी हूं और समस्त संगठनों का भी आभारी हूं। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसके बिना गंगानगर के लोग जी ही नहीं सकते। मैं खासकर हमारे युवा मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और डाक्टर कमलाजी के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर का एक-एक नागारिक जब तक दुनिया रहेगी इनका ऋणी रहेगा। हम

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लोगों का एक निवेदन था, जनता की पुकार थी वह आपने सुनकर और वह भी इस अकाल की स्थिति में, तीन जनवरी को कैबिनेट को गंगानगर ले जाकर 446 करोड़ रुपये की घोषणा की। उसको शब्दों में कहना कई बार शब्द छोटा पड़ जाता है, डिक्शनरी में शब्द तारीफ के लिए मिलता नहीं।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व हनुमानगढ़ से आने वाले मेरे मित्र कह रहे थे कि पूर्व की सरकार ने इनके लिए क्या कुछ कार्य किया, बहुत किये। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय और आज के अपोजीशन के नेता गंगानगर पधारे थे, पांच-सात दस हजार आदमियों को उन्होंने धरने पर बिठाया था और यह कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा तो सबसे पहला काम मैं चुटकी में बना दूंगा। वह आठ साल तक निरन्तर हम रोते रहे। इसी विधान सभा का मैं भी सदस्य था, हम बार-बार निवेदन करते रहे, धरना हुआ। कह रहे थे कि मैं छुट्टी पर आया हूं, गर्वनर राज है, मेरी छुट्टी समाप्त होने वाली है और जाते ही सबसे पहला मुद्दा अगर कोई होगा तो गंग कैनाल का होगा। मेरे मित्र कह रहे थे कि बहुत कुछ हमने किया, क्या किया वह आपके सामने है।

उससे पहले सी.डब्ल्यू.सी. में कैसे गया यह मुद्दा? 1980 के अन्दर शिवचरणजी माथुर की सरकार थी उस वक्त गंगानगर के तमाम किसानों ने, तमाम् संगठनों ने और तमाम् जनप्रतिनिधियों ने बार-बार सरकार के सामने अपना प्रतिवेदन किया। उस वक्त सरकार ने इस संजीदगी को समझा और प्रोजेक्ट बना। सी.डब्ल्यू.सी. में वह प्रोजेक्ट चला गया। उसके साथ ही लिंक चैनल के निर्माण के लिए पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर की पूरी कैबिनेट गंगानगर में गयी और उस पूरे इलाके में उन्होंने सर्वे किया, देखा और यह पाया कि वास्तव में यहां इस बात की आवश्यकता है। उस वक्त सिंचाई मंत्री आज के विधान सभा के अध्यक्ष श्री परसरामजी मदेरणा थे और पूरी कैबिनेट वहां गयी थी। उस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए वहां कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि तुरन्त इस गंग कैनाल का कार्य शुरू किया जाए। उस वक्त उस पर कॉस्ट 87 करोड़ के करीब आंकी गयी थी। वह 87 करोड़ आज 446 करोड़ बन गयी। सभापति महोदय, अगर संजीदा सरकार होती तो इस कदम को आगे बढ़ाती। केवल मात्र धरने देने से नहर नहीं बनती, केवल मात्र विधान सभा में बोलने से नहर नहीं बनती। मेरे को याद है, महाराजा गंगासिंह का एक सोच था। और जब तक सूरज चांद रहेगा, लोग उनका नाम नहीं भूल सकते, उन्होंने उपकार किया। काली, पीली, नीली कई तरह की आंधियां आया करती थीं और आठ-आठ दिन तक लोग अपने घरों में रहते थे। उस महान व्यक्ति की सोच थी-पांच-पांच अकाल पड़े उन्होंने सपना लिया कि जब तक गंगानगर के अन्दर इस तरीके की कोई प्रणाली, लोगों के लिए सिंचित क्षेत्र नहीं बनाया जाएगा तो ये आंधियां चलती हैं, इनसे सारा इलाका बरबाद हो जाएगा। उन्होंने बैठकर त्रिपक्षीय बात की। भावलपुर स्टेट थी, हमारी बीकानेर स्टेट थी और अंग्रेज सरकार

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तीनों ने मिलकर यह योजना बनायी। उस वक्त इतनी कठिनाई थी, पैसा देखने को नहीं मिलता था, उस महान महाराजा ने पता नहीं कहां-कहां से पैसा लाकर इस गंग कैनाल की जो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने जो सपना लिया था उसको साकार किया। चार-साढ़े-चार लाख एकड़ भूमि उस वक्त सिंचित होती थी। ठीक उसी तरह आज फिर एक इतिहास लिखा गया है। एक इतिहास वह था। एक डाक्टर कमला बेनीवाल, हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे अधिकारियों और सारे ऐसे लोगों ने जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर, पब्लिक की बात सुनकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया, एक इतिहास यह लिखा गया है। इस इतिहास को आने वाला समय याद रखेगा। सभापति महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। तीन साल तक निरन्तर अकाल हो, सरकार के पास साधन न हों और सरकार हमारी बात को इतनी भारी तवज्जोह दे हम तो सरकार के ऋणी हैं। अधिकारियों ने, हमारी पूरी सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने यह जो काम किया हमें वास्तव में कोई शब्द नहीं मिलते कि किस तरह इस बात की तारीफ करें। आने वाला समय, हमारी औलाद और आगे जो लोग आएंगे, जैसे आज हम महाराजा गंगासिंह को याद कर रहे हैं, ठीक इसी तरह कांग्रेस सरकार को, आज के अधिकारियों को और खास कर डाक्टर कमला को याद करेंगे। डाक्टर कमला का मैं इतना आभारी हूं कि सी.डब्ल्यू.सी. के अन्दर अधिकारियों को भेजा निरन्तर, खुद गयीं। अभी रामप्रतापजी कह रहे थे हमने करवा दिया, आपने आठ साल तक क्यों नहीं करवाया? उस वक्त क्या हो गया था? धरना दिया, सब कुछ किया लेकिन किया कुछ नहीं, केवल मात्र भाषण ही करते रहे। हमारी सरकार जो खास कर किसानों के लिए हमेशा जागरूक रहती है, उस सरकार ने अधिकारियों की ड्यूटी लगायी। अधिकारी वहां पहुंचे, पहुंचकर धरना दे दिया। धरना दिया तो 446 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां से क्लियर हुआ।

सरकार किसी की हो, बी. जे. पी. की सरकार हो सेंटर में या कांग्रेस की हो, नीति के आधार पर चलती है सरकारें। केवल मात्र यह नहीं कि कांग्रेस की सरकार वहां सेंटर में थी तो नहीं किया। उस वक्त प्रोजेक्ट पेश हुआ और वह खतम हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। डाक्टर कमला की सोच थी। माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा, पिछले बजट सत्र में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, उस क्वेश्चन के बाद यही घोषणा की थी डाक्टर कमलाजी ने कि मैं खुद जाऊंगी वहां गंग कैनाल पर, एक एक बुर्जी देखकर पूरी ठेठ तक आऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर पुनः अपने विचार करूंगी। उस गंग कैनाल के लिए क्या कहने डाक्टर कमला के, चलती विधान सभा में जाकर ठेठ हुसैनीवाला तक जहां भगत सिंह की समाधि है, उसकी एक-एक बुर्जी का निरीक्षण किया और पाया कि वहां नहर नाम की कोई चीज नहीं है। वह तो जैसे कोई तालाब बन जाता है, तालाब बन गया। जिस नहर से चिड़िया पानी नहीं पी सकती थी उसमें भैंसे नहा रही थीं। बहुत बुरी हालत थी। जगह-जगह से पंजाब वाले उसका पानी उठा रहे थे। जब डाक्टर कमला

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा तो आकर यहां विधान सभा में उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में स्थिति बहुत खराब है और सबसे प्रथम अगर कोई प्रायोरिटी है राजस्थान में तो वह यह होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी हुई, सी.एम. साहब ने कहा कि आप इसमें कार्य कीजिए, अपने अधिकारियों को दिल्ली भेजिये। भेजा गया, समय-समय पंजाब वालों से मीटिंग की गयी और उसके ये परिणाम आये कि 446 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तीन साल अकाल होने के बाद भी गंगानगर के किसानों के लिए, गंगानगर की जनता के लिए एक ऐसी चीज दी जिसको हम कभी भुला नहीं सकते।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इसका हमारी राजस्थान सरकार को कितना भारी लाभ मिलेगा। जहां पहले छह-सात लाख एकड़ भूमि सिंचित होती थी, वहीं इस कैनाल के बन जाने पर हमारी भूमि सिंचित होगी आठ-साढ़े आठ लाख एकड़। किसानों को तो लाभ होगा सो होगा, राज्य सरकार को भी दस हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले देते हैं, उसमें और वृद्धि होगी और योजनाएं हम आगे लोगों के लिए बना सकेंगे।

सभापति महोदय, गंग कैनाल के बारे में पहले एक मोतीराम कमीशन बैठा था। 2750 क्यूसेक्स की कैनाल जिसमें 2000-2200 से ज्यादा पानी कभी नहीं चला। उसका लॉस अगर हम गिनें तो पता नहीं कभी का यह पैसा पूरा हो गया होता अगर समय रहते हम इस बात को सम्भाल लेते। इसमें हमारी सरकार की भी, पूर्व सरकार की भी कमी रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अगर हम समय रहते करते तो हमारी और ज्यादा उपज बढ़ती, 780 एकड़ भूमि उससे और सिंचित होती और हमारी इनकम भी बढ़ती, हमारा किसान खुशहाल होता।

इसके साथ, गंग कैनाल और इन्दिरा गांधी कैनाल पर रैगुलेटर बनाये हुए करीब पच्चीस वर्ष हो गये। उस रैगुलेटर को आज तक चालू नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह टैक्निकल साथियों से पूछें कि किसलिये वह बनाया गया था, उसकी जरूरत क्या थी और अगर जरूरत थी तो उसको चालू क्यों नहीं किया गया? लाखों रुपये किसी चीज पर लगे और वह बेकार पड़ी रहे, हम उसको चालू न कर पाएं, इसका फिर औचित्य क्या था? हमने क्यों बनाया? उसकी जरूरत नहीं थी तो बनाया क्यों? और जरूरत थी तो चालू क्यों नहीं किया? उसकी जरूरत थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर वह चलता तो हमें कम से कम चार सौ क्यूसेक्स पानी ज्यादा मिल जाता। आगे वह इन्दिरा गांधी कैनाल से चला जाता तो जी.बी. माइनर उससे सिंचित हो जाता। हमारे यहां पानी की और बचत होती। इन कारणों की जांच करने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ गंग कैनाल के अलावा, भाखड़ा का आपने निर्णय लेकर एक इतिहास कायम किया। उसकी लाइनिंग कराने से कम से कम 500 क्यूसेक्स पानी की आपको बचत होगी। किसान उसमें और ज्यादा खुशहाल होंगे। यह निर्णय भी सराहनीय है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इसके साथ साथ इन्दिरा गांधी कैनाल मेरे खयाल से 18,400 क्यूसेक्स पर डिजाइन की गयी थी, लेकिन आज तक उसमें चौदह हजार क्यूसैक्स से ज्यादा पानी कभी नहीं चला। और अगर उसमें सौलह हजार क्यूसैक्स पानी भी चला दिया जाए तो वह नहर ले नहीं सकती। आज उसकी हालत इतनी दयनीय है। अगर उसका मेंटीनेंस का पैसा वाकई नहीं मिला तो क्या करेंगे, पानी आएगा कैसे? आज उसकी हालत यह है कि पशु उसके अन्दर चर रहे हैं और 12-12, 14-14 फीट सिल्ट जमा हो गयी है। जब हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी साहब थे, मैंने यह सवाल उठाया था। उस वक्त जवाब में इरिगेशन मिनिस्टर ने यह फर्माया था कि जापान से बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें मंगवायी गयी हैं और उसकी सिल्ट अगले सैशन से पहले हट जाएगी। अब वह पता नहीं। जैसे बिजली का रोज रखते थे ना अपनी जेब में इंडेन्ट, रोज दिखाते थे, लेकिन बिजली का एक यूनिट पैदा नहीं किया। ठीक उसी तरह वे जापान की मशीनें कहां गयीं और वह सिल्ट कहां गयी? वैसी की वैसी पड़ी है। आज हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल की हालत वास्तव में दयनीय है और हमारे मंत्री महोदय या हमारी सरकार नहीं चेतती तो, सभापति महोदय, गंग कैनाल जिन्दगी में कभी नहीं बनती चाहे आपके पास कितने ही पैसे होते। उसका कारण यह है कि आप इन्दिरा गांधी कैनाल से पानी अब ले सकते हो, जब वह ठेठ तक पूरी बन जाएगी फिर आप पानी ले सकते थे। ना नौ मण तेल होता ना राधा नाचती, कभी नहीं बनती। यह हमारी कांग्रेस

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार का बड़ा भारी सोच है कि इन्होंने मौका रहते इस चीज को सम्भाला।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया, इस तरह कैसे काम चलेगा?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसलिए मैंने निवेदन किया था, विभिन्न दलों की आपसी सहमति के आधार पर जो निर्णय हुआ है......

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : अभी सेम की समस्या...

श्री सभापति : मैं उससे पाबन्द हूं। इसलिए, माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : मैं मंत्री महोदय, डाक्टर कमलाजी का और भी आभार प्रकट करूंगा। सिद्धमुख नहर जिसका प्रिय नेता राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था, उस सिद्धमुख नहर का अगर किसी को श्रेय जाता था ना तो पहले बनी थी ना बाद में बन सकती थी, पता नहीं इन्होंने क्या जादू फेरा ओम प्रकाश चोटाला पर, कैसे उस भले आदमी पर, वह अपने आप में बहुत ही होशियार और बहुत तगड़े चीफ मिनिस्टर रहे लेकिन कमलाजी के आगे तो बहनजी, जो आप आदेश करो। वाह कमलाजी, क्या

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कहने, किसानों की रहनुमा। मैं कहता हूं किसान इनको अपनी आंखों की पलकों पर बिठाएं तो भी कम है। इस तरह का व्यक्तित्व, नेक और ईमानदार किसानों के प्रति जागरूक, कोने कोने में एक एक बात का ध्यान रखना, चाहे वह भादरा का इलाका हो, चाहे वह बीकानेर का इलाका हो, चाहे वह कोटा का इलाका हो और चाहे वह गंगानगर का इलाका हो, काम करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता।

(15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : परन्तु जिस गंग कैनाल के माडर्नाजेशन की आप बात कर रहे हैं, आप स्तुति गान कर रहे हैं डाक्टर कमला का आपने तो + + + पूरा बखान ही कर दिया। 446 करोड़ में से 48 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। पिछले वित्तीय बजट में आपको दिये हैं 2 करोड़ रुपए, वह भी मार्च में।

श्री सभापति : यह "भाण्ड" शब्द निकाल दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सपना मत दिखाओ। आप जो भाषण दे रहे हैं, गंगानगर के लोग सुन रहे हैं उसको अखबारों के माध्यम से पूछेंगे आपसे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सम्माननीय राठौड़ साहब, शायद आपको पूरा ध्यान नहीं है कि गवर्नमैंट ने पूरा प्रोग्राम दिया है। तीन साल में गंग कैनाल पूरी हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फाइनेंसिंग कहां है? पैसा कहां है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : आप कहां आठ-दस साल की बात कर रहे हो? पैसे की कमी से.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बजट की पुस्तिका देखी क्या आपने? राधेश्यामजी, बजट की पुस्तिका को पढ़ लो, तभी आपको पता चलेगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : मैंने पढ़ा है, मुझे अगर नहीं पढ़ना आएगा तो आपसे मैं पढ़वा लूंगा, आप मेरे पड़ोसी हो।

डा. श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, नहर के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम निर्धारित है, उसमें चाहे 48 करोड़ रुपए लगे, चाहे 98 करोड़ रुपए। साल दर साल जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हम इसके लिए फण्ड्स प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जो हमने कहा कि हमें किसी की दया पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, लगे हाथ यह भी थोड़ा बता दो कि कितने साल में पूरा करेंगे? क्या 2007 तक पूरा करेंगे? आप यह क्यों नहीं कह देतीं आपने जो फाइनेंसिंग की है, बजट का प्रोविजन जिस तरह आप कर रही हैं, अगर 2007 से पहले नहर का माडर्नाइजेशन का काम पूरा हो जाए तो जो आप कहें मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।

डा. श्रीमती कमला : यह बजट प्रोविजन 48 करोड़ रुपए का सिम्बोलिक प्रावधान है, जैसे-जैसे काम बढ़ता जाएगा और प्रावधान की हमने व्यवस्था कर रखी है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहां से लाएंगी, मंत्री महोदया ? आप तो...

डा. श्रीमती कमला : हम कहां से लाएंगे, हमारा शेयर मण्डियों में हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : यह आपको कोई सोच करने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई आपका फार्म नहीं है।

डा. श्रीमती कमला : सुनिए आप, मैं बता रही हूं कहां से लाएंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सरकार का काम है कि कहां से लाएंगे।

डा. श्रीमती कमला : हमने मण्डियों के पैसे तय कर रखे हैं, गवर्नमेंट का शेयर है, वहां से दे रही हैं और बाकी पैसा हमें ए. आई. बी. पी. से मिल रहा है। कहीं से हमें और हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मण्डियों का पैसा आप सड़कों में भी ले रही हैं।

डा. श्रीमती कमला : अब क्या बार-बार पूछ रहे हो ?

श्री सभापति : राजेन्द्र राठौड़ साहब, माननीय सदस्य विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : छह सौ करोड़ रुपये की सड़कें बनाने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी के मुंह से करवा दी, उसमें मण्डियों का पैसा ले रहे हैं, मण्डियों के पैसे से गंग कैनाल का माडर्नाइज़ेशन भी कर रहे हैं। क्यों इस तरह की बात करते हो ?

डा. श्रीमती कमला : पिछले साल में जो दिया था, उसमें समय बचा था क्या जो हम जबरदस्ती सैंक्शन जारी करते और समय खतम हो रहा था। इसलिए इस साल में जितनी जरूरत है उतना देंगे, आगे के सालों में जितनी जरूरत पड़ेगी उतना देंगे, पैसे की कोई कमी आने वाली नहीं है।

श्री रामप्रताप : जब समय नहीं बचा था तो आपको 15.40 की घोषणा करने की क्या जरूरत थी ? पहला सवाल तो यह...

डा. श्रीमती कमला : इसलिए कि उसकी फार्मेलिटीज होने में समय लग गया इसलिए पैसे नहीं आए उस समय।

श्री रामप्रताप : जनता का पेट फार्मेलिटी के धोखे से नहीं भरता।

डा. श्रीमती कमला : यही नहीं आप जानबूझकर उलटा मैनीपुलेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिस रिप्रजेंटेशन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है।

श्री रामप्रताप : दूसरे दो करोड़ भी आपने दिए, वे कृषि उपज मण्डियों के थे, आपने क्या दिया ? मार्च में देते तो 15.40, कहने का तात्पर्य क्या था ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सर्वोच्च सदन है, इस सदन में मंत्री महोदया का एक-एक वक्तव्य पूरा राजस्थान सुन रहा है। इन्होंने पहले भी राजस्थान की जनता को धोखा दिया...

डा. श्रीमती कमला : आप अपनी झेंप इतना-सा मुद्दा उठाकर ही मिटाना चाहते हैं क्या। आप कितने ही कह लें, कितने ही

(डा. श्रीमती कमला)

उलट-पुलट कह लें लेकिन आपकी झेंप नहीं मिट सकेगी क्योंकि आप इस काम को नहीं कर सके।

श्री रामप्रताप : हमारी कोई झेंप नहीं है, हमारा सीना तना हुआ है। 1979 में भैरोंसिंहजी सी.डब्ल्यू.सी. में लेकर गये थे। आपके राज में केन्द्र से मंजूर नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राज में क्लियर हुई।

डा. श्रीमती कमला : पड़ी रही वहां आठ वर्षों तक।

श्री रामप्रताप : एक आपके, घग्घर की फ्लड की भी हमने भेजी थी, और हमारे राज में केन्द्र क्लियर हुआ है जिसमें आप पैसा नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : आपको जो बात कहनी थी आपने कह दी, बाकी क्या बचा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गंगानगर से आने वाले मेरे मित्र हैं, मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है।

श्री सभापति : आप सुनिये तो सही।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। मैंने महाराजा गंगासिंहजी को दिया, उसका बखान किया है।

डा. श्रीमती कमला : सभापति महोदय, कोई काम किसी गवर्नमेंट के समय में होता है, कोई काम किसी गवर्नमेंट के समय में होता है उसमें परेशान होने की क्या बात है ? कोई काम हमारे समय में होता है कोई काम आपके समय में, उससे परेशानी क्यों हो रही है आपको ?

श्री राधेश्याम गंगागर (श्रीगंगानगर) : आज तो सरकार कर रही है, आप कहते रहे और कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने।

श्री रामप्रताप : उससे हम इतफाक करते हैं लेकिन झूठा 15 करोड़ का आपने आश्वासन क्यों दिया जब आप खर्च नहीं कर सकते थे तो ?

डा. श्रीमती कमला : झूठा नहीं था, वह अगर उस वक्त इतना काम हाथ में लिया जा सका होता तो हम जरूर खर्च करते लेकिन समय इतना नहीं रहा, कि हम उसका उपयोग करते। जबरदस्ती 15 करोड़ रुपये सैंक्शन कर देते ? आप अच्छी तरह से जान रहे हो फिर भी गोल-मोल बोल रहे हो।

श्री रामप्रताप : क्यों कहा आपने जब आपको पता था ? आपके अधिकारी आपके पास बैठे थे, आप 15 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते, क्यों झूठी घोषणा की ?

श्री सभापति : कुछ रिकार्ड पर तो आ नहीं रहा है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राधेश्यामजी, थोड़ा बचो आप। वरिष्ठ आदमी हैं, आपके साथ पहले ही अन्याय हो गया, आपको मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया। दूसरा अन्याय आपके साथ इसलिए हो जाएगा कि आप इस तरह की थोथी घोषणाएं करवा रहे हो, वाहवाही लूट रहे हो। जनता [illegible]।

श्री सभापति : अब, राठौड़ साहब, विराजिए आप सम्माननीय राधेश्यामजी, खतम कीजिए।

डा. श्रीमती कमला : एक भी झूठी घोषणा नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : सम्मानीय राठौड़ साहब, शुक्र है कि आप मेरी इतनी ज्यादा चिन्ता करते हैं, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन सरकार ने जो घोषणा की उसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। आपने कुछ किया ही नहीं, आठ साल तक केवल धरने ही दिये। क्या किया था? देखो, डाक्टर साहब, आप बोले थे, मैं कभी खड़ा नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको अपनी बात कहने के लिए समय दिया गया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : आपका पता है, घंटी बज रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सी.ए.डी. स्कीम गंग कैनाल पर लागू नहीं होगी तो पानी का जो काफी सीपेज होता है बहुत लोस होता है, सी. ए. डी. स्कीम को आप गंग कैनाल के अंदर भी लागू करने की कृपा कीजिए।

मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी कैनाल के अंदर लुधियाना-रोपड़ में सीवरेज का पानी और शहर की गंदी इण्डस्ट्रीज का गंदा पानी, मैं खुद देखकर आया हूं, मेरी जानकारी में है। मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप अधिकारियों की टीम भेजकर उसको चैक-अप करवाइए समय रहते, नहीं तो उस पानी से भयंकर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हमारे पानी को तो वे और ले रहे हैं, जो पानी हमें स्वच्छ मिलना चाहिए उसके बदले में सीवरेज का पानी देते हैं जो आगे आकर हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को पीते हैं। इससे कोई ऐसी घटना न घटे, समय रहते हमको इसका चिन्तन करना चाहिए। अधिकारियों की टीम भेजकर तुरंत इस बात का पता लगाना चाहिए और उसको रोकना चाहिए कि आगे कोई घटना नहीं घटे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : हां जी, अभी समाप्त कर रहा हूं।

गंगानगर शहर और रामनगर, दोनों की आबादी डेढ़-डेढ़ लाख की है, इनके बीच में एक "ए" माइनर गुजरता है। वह "ए" माइनर आगे जाकर कोई चक आता है उसके ऊपर जाता है। उन चकों की हालत यह है कि माननीय मंत्री महोदया, कि मेरे खयाल से 1980 से लेकर निरन्तर गंगानगर से आने वाले हमारे जितने भी विधायक साथी हैं, हर वक्त किसी न किसी रूप में यह बात उठाते रहे हैं। मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर, होटलों की गंदगी, कटे हुए मुर्गे, दुनियाभर की गंदगी उसमें डाली जाती है और वही पानी आगे के लोग, किसान पीते हैं। उससे हुआ यह कि पिछले से पिछले साल पीलिया फैला और उस पीलिया में कम से कम 48 आदमियों की जानें गईं। आज भी वह कार्यवाही निरन्तर चल रही है। कभी हमारे यहां सम्माननीय

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सिंचाई मंत्री देवीसिंह जी होते थे, उन्होंने योजना बनाई कि उसको बाई पास कर दें। हमारी एक मीटिंग की और पक्की बात हो गई कि अगले साल तक कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन वह कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ। आप गम्भीर हो, डाक्टर साहब, आपसे मेरी प्रार्थना है। हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, किसानों को पीने का अच्छा पानी मिल नहीं रहा है, आप कृपा करके तुरन्त कार्यवाही करके सबसे पहले उस "ए" माइनर जिसको कुत्ता लखानी भी कहते हैं, उसको शहर से बाहर निकलवाइये। अन्यथा आपके इंजीनियर्स और सचिव महोदय से मेरी एक बार बात हुई है, पाइप लाइन लगाकर हम उसको बिलकुल बंद कर देंगे ताकि आगे किसानों को पानी पूरे फ्लो से मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कुछ तो तरस करो, कुछ भी तो नहीं कहा, अभी तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पर तरस खाओ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : इर्रिगेशन की डिमाण्ड का मतलब ही गंगानगर जिला है।

श्री सभापति : आसन पर तरस खाओ, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : मैं निवेदन करना चाहूंता हूं कि इस डिमाण्ड का मतलब केवल गंगानगर जिला है।

श्री सभापति : बहुत है, माननीय सदस्य, विराजिए। आधा घंटा हो गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : आधा घंटा कैसे हो गया, पांच मिनट हुए हैं, साहब।

श्री सभापति : हां, तो माननीय सदस्य विराजिए। माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, इस सिंचाई की मांग पर जो बहस चल रही है, अभी गंगानगर से आने वाले माननीय महानुभव ने गंग कैनाल के माडर्नाइजेशन पर अपनी सरकार की निष्ठा बहुत अच्छी भाषा में व्यक्त की और यह कहा कि कुछ भी हो, हम इन आने वाले 3 सालों में, 4 सालों में गंग कैनाल का आधुनिकीकरण कर देंगे। सभापति महोदय, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी कह चुके हैं कि चार साल में हम साढ़े चार सौ करोड़ रुपये इस आधुनिकीकरण में खर्च करेंगे। सभापति महोदय, 2001-2002 चल रहा है, इनको 110 करोड़ रुपये खर्च करने थे और अभी तो साल शुरू ही हुआ है तो यह कह रहे हैं कि हम 48 करोड़ रुपये इस साल खर्च करेंगे। कुल प्रावधान में साढ़े चार सौ करोड़ यदि खर्च होने हैं तो 110 करोड़ 2001-2002 में खर्च होने चाहिए। खैर, माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि हम लाएंगे, कहीं से लाएंगे, कुछ करेंगे, इसका आधुनिकीकरण करेंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि यह करेंगे।

सभापति महोदय, इनकी जो निष्ठा है योजनाओं के प्रति मैं उसका एक छोटा-सा

(15.10 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उदाहरण दूं जो कि मेरे द्वारा प्रतिपादित किया हुआ नहीं है। राज्य सरकार ने अपना उत्तर जो मुझे भेजा है और जो इस सदन के रिकार्ड पर है, वह यह है कि 2000-2001 की योजना में 4146 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया था इसमें उन्होंने 599.63 करोड़ की कटौती की, गत योजना में। मैंने यह भी पूछा था कि किन-किन विभागों में कितनी कटौती की तो इन्होंने दिया कि इन्दिरा गांधी स्टेज एक और दो में 120 करोड़ का प्रावधान था, 30 करोड़ की कटौती की। सी.ए.डी. में 64 करोड़ का प्रावधान था, इन्होंने 24 करोड़ की कटौती की। अब जो सरकार इन्दिरा गांधी नहर पर 30 करोड़ की कटौती कर रही है, जिसको गडरा रोड जाना है, 120 करोड़ की बजाय 90 करोड़ खर्च कर रही है, वह सरकार कैसे 450 करोड़ रुपये आधुनिकीकरण में खर्च कर देगी यह इस सदन के विचारने का विषय है।

सभापति महोदय, गंग कैनाल की जो आज हालत है, राजस्थान कैनाल की हालत भी करीब-करीब उसी तरह की हो रही है। गंग कैनाल तो खैर चूने से बनी थी, बजरी से बनी थी। हमारी कैनाल तो लाइम से बनी है, सीमेंट की लाइनिंग है ऊपर से नीचे तक। उसमें राइट और लैफ्ट दोनों तरफ की लाइनिंग में कोई आर. डी. ऐसी नहीं है जिस आर. डी. में आप चले जाएं मुख्य नहर में और उसमें बहुत बड़े गढ्ढे नहीं पड़े हों। उसके रखरखाव की चिन्ता यह सरकार आज भी नहीं कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि आप सैकण्ड स्टेज का निर्माण तेजी से कराएं, पर यह जो प्रथम स्टेज है, गोद का बच्चा है जिसमें अधिकाधिक सिंचाई हो रही है, अधिकाधिक उत्पादन हो रहा है, यदि हमने उसकी देखरेख नहीं की तो उसकी स्थिति गंग कैनाल जैसी हो जाएगी। यहां तो 450 करोड़ से काम चल रहा है, इस नहर पर अभी तक 2100 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, 400-500 करोड़ का बजट इस लम्बी-चौड़ी इन्दिरा गांधी नहर के फर्स्ट और सैकण्ड स्टेज में मरम्मत और मेंटीनेंस में लगाने में देर नहीं लगेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट का प्रावधान मरम्मत का है या नहीं है, अब आप मेंटीनेंस में दे क्या रहे हैं इन्दिरा गांधी नहर में? माननीय मंत्रीजी बताएं अपने जवाब में कि मेंटीनेंस के लिये कितना करोड़ रुपया दे रहे हैं। जो हमारी कास्ट है उसका यदि आपने 3-4 परसेंट, साढ़े 3 परसेंट रुपया नहीं दिया तो इसकी मेंटीनेंस नहीं हो सकती है। 70-75 करोड़ रुपये लगाकर इसकी मेंटीनेंस जहां से इसका उद्‌गम है वहां से लेकर गडरा रोड तक खास तौर से फर्स्ट स्टेज जहां समाप्त होती है 620 पर, वहां तक इसकी मेंटीनेंस हर तरह से कराई जानी जरूरी है।

अभी माननीय राधेश्यामजी कह रहे थे कि इन्दिरा गांधी नहर में पशु चरते हैं, और उसमें मिट्‌टी भर रही है, सिल्ट भर रही है, घास उग रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर चिन्ता राज्य सरकार के मंत्रीजी को होनी चाहिए। बहुत बड़ा अमला इन्दिरा गांधी नहर विभाग का है और सिंचाई विभाग का भी बहुत बड़ा अमला है, इसकी चिन्ता सदन तो कर ही रहा है लेकिन इसकी चिन्ता राज्य सरकार को करनी चाहिये कि इसकी मेंटीनेंस का प्रॉपर प्रावधान होना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहिए। हम यदि आज इग्नोर करेंगे तो वही स्थिति आएगी, जो 450 करोड़ का प्रावधान चार साल से करने की नौबत आ रही है, उसी तरह की स्थिति इन्दिरा गांधी नहर में पैदा हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर अनूपगढ़ शाखा का जिक्र किये बिना नहीं रह सकता हूं। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुपगढ़ शाखा का बहुत बड़ा भाग है। खाजूवाला क्षेत्र पूरा का पूरा अनूपगढ़ शाखा से सिंचित है और अब तो पूंगल का क्षेत्र भी अनूपगढ़ शाखा के चीफ इंजीनियर (नार्थ) के तहत चला गया है, चाहे उसमें अभी कुछ फार्मेलिटी बाकी होगी, लेकिन वह क्षेत्र चला गया है। अनूपगढ़ शाखा की केजेडी. नहर, मैं माननीय मंत्रीजी को नियंत्रित करना चाहता हूं कि आप एक दिन का समय निकाले और कम से कम केजेडी. नहर को देखे, खाजूवाला वितरिका को देखे। शुरू से लेकर आज तक इस वितरिका के 38 आरडी. के बाद में कोई पानी चलता नहीं है। 15-16 आरडी. में कभी पानी नहीं चला है और उस पर जो चक बसे हुए हैं उनकी स्थिति बारानी क्षेत्रों से भी बदतर है। वे पीने के पानी को तरसते हैं, नहर से सिंचाई के पानी का तो सवाल ही कहां है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केजेडी. नहर के कंस्ट्रक्शन में भी जो डिफैक्ट है, चीफ इंजीनियर (नार्थ) के क्षेत्र से यह थोड़ा-सा दूर रह जाता है। चीफ इंजीनियर, हनुमानगढ़ में बैठते हैं और विजय नगर में एस. ई. बैठते हैं, घड़साना में एक्स. ईएन. बैठते हैं इसलिए डायरेक्ट सुपरविजन की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्स. ईएन. साहब घड़साना में बैठने हैं इनको और निकट लाया जाए और हो सके तो खाजूवाला में कोई उच्च अधिकारी बैठाएं। यह जो के. जे. डी. नहर है, इसकी मेंटीनेंस पूरे सिंचित क्षेत्र के लिए एक चुनौती है। कुछ दिनों पूर्व सूरज पूनिया, चीफ इंजीनियर वहां पर थे, अब शायद कुछ फेरबदल किया गया है। जो भी आएं हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उस काम का हल होना चाहिए, चीफ इंजीनियर कोई भी हो। उनसे मेरी चर्चा हुई थी और वह कुछ सीरियस भी थे। पर माननीय मंत्रीजी को सीरियस होना पड़ेगा केजेडी. नहर के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी नहर है, उसकी मेंटीनेंस खाजूवाला क्षेत्र में जो सिंचित भूमियां हैं उन सबकी दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इसलिए आप के. जे. डी. नहर को एक बार खुद आकर खाजूवाला में देखे और इसके विस्तृत आदेश आप जारी करें।

सभापति महोदय, सिंचाई पर चर्चा हो रही है, सिंचाई का काम सी.एडी. कमिश्नर देखते हैं। रैगुलेशन वह बनाते हैं, पानी की बारियां वह बनाते हैं। इस बार आपने रबी की फसल में सब काश्तकारों को कहा कि पानी हम कम देंगे, आप जौ की फसल बीजना, चना बीजना, सरसों बीजना, गेहूं मत करना। लोगों ने जौ बीज दिया, सरसों बीज दी और चना बीज दिया। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, आपने कहा कि हम आपको पानी देंगे और पानी 32 दिन से देंगे, उसके बाद आपने वही उपलब्ध पानी की बारियां 32 दिन की बजाय साढ़े तीन दिन की बनायीं? 22 दिन से पानी देने का काश्तकारों को कहा कि हम साढ़े तीन दिन से पानी देंगे और वह पानी आपको 21 या 22 दिन के बाद मिलेगा, आपने 28 फरवरी को अचानक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यह घोषणा कैसे कर दी कि अब आपको पानी नहीं मिलेगा? आखिर तो उस डैम में जो फाउण्ड डैम है, उसमें कोई पानी बरसने की उम्मीद नहीं थी। उसका लेवल वही था जो पहले था। आपने कैसे गलत केलकुलेशन कर लिया? यह गलत कैलकुलेशन का नतीजा नहीं है तो क्या है कि 28 फरवरी को आपने पानी बंद कर दिया? एक पानी लगने के अभाव में सारी की सारी फसलें अनूपगढ़ शाखा में, इन्दिरा गांधी नहर में और भाखड़ा में बरबाद हो गयीं। एक अप्रैल को एडिशनल चीफ इंजीनियर इन्दिरा गांधी नहर श्री भाटी, एसई. हरदर्शन सिंह, वहां के एक्सईएन. रजनीकांत तीनों को मैंने निवेदन करके लिफ्ट कैनाल क्षेत्र का दौरा कराया, किसी खेत में कोई भी फसल उनको नजर नहीं आयी। इस पर भी विभाग कहता है कि हर काश्तकार को अलग-अलग दरखास्त देनी पड़ेगी। हर काश्तकार दरखास्त देगा? खैर, हम तो बहुत ला-अबाइडिंग हैं, हमने हजारों दरखास्त काश्तकारों को पहुंचवा दीं और उन्होंने अधिशासी अभियन्ताओं के दफ्तर में जमा भी करवा दी कि मामला माफ कर दिया जाए, सिंचाई का चार्ज माफ कर दिया जाये। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपके ध्यान में है कि फसले फेल हो गयीं, आपने पानी नहीं दिया और उस लास्ट वाटरिंग के अभाव में फसले फेल हो गयीं तो राज्य सरकार के स्तर पर आप मामला माफ करने की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? चीफ इंजीनियर साहब को जिस बात की जानकारी है, जिसकी जानकारी हर एक्स. ईएन. को है, उस मामले को माफ करने में देर क्यों हो रही है? न सिर्फ यह बल्कि कम्पनसेट करें। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग गलत सलाह दे दे तो इर्रिगेशन और ड्रेनेज एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है कि आपने जो नियोजन में बरबादी कर दी, उसका कम्पनसेशन दिया जाएगा।

मैं यह नहीं कहता कि जितनी फसल होने वाली थी उतना रुपया दो। लेकिन आपकी गलत सलाह से हर काश्तकार को 10 हजार रुपये का नुकसान हो गया। उसको कौन भुगतेगा? अन्यथा आप पहले ही कह देते कि हम तो पानी देने की स्थिति में नहीं हैं, तो 10 हजार के नीचे एक काश्तकार नहीं आता ऐसे 70-80 हजार काश्तकार 10 हजार रुपये जो गंवा चुके उनका 800 करोड़ का विनियोजन आपकी सलाह ने बरबाद कर दिया। उससे तो अच्छा था आप कह देते कि हम कोई पानी देने वाले नहीं हैं और आप फसल करे तो सोच-समझकर करे। मैं बहुत पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सारी अनूपगढ़ शाखा की इन्दिरा गांधी नहर की भांखड़ा कैनाल से जो भी सिंचित क्षेत्र है जहां 28 फरवरी को आपने पानी बंद कर दिया उसका मामला माफ करें।

माननीय मंत्रीजी, इस अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में 40 हजार ट्यूबवैल बने हुए हैं। इसकी इंटेंसिटी भाखड़ा की 62 परसेंट है। इंटेंसिटी 62 परसेंट है लेकिन आपके रिकार्ड में उस ट्यूबवैल के माध्यम से जो सिंचाई हो रही है उसकी इंटेंसिटी 200 परसेंट दिख रही है। आपकी रिकार्डेड और मान्यता प्राप्त क्षमता है 62 परसेंट और ट्यूबवैलों की सिंचाई हो रही है उसके कारण 200 परसेंट। आप 62 परसेंट पर ही रुकना नहीं चाहते,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप तो खराबा भी माफ नहीं करना चाहते, आप तो 200 परसेंट पर आबियाना वसूल करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अन्याय की पराकाष्ठा को माननीय मंत्रीजी तो देखें, माननीय मंत्रीजी तो खुद किसानों के परिवार से है। जब ट्यूबवैल से सिंचाई कर रहा है और बिजली की रेटें क्या हैं, डीजल के भाव क्या हैं? उस ट्यूबवैल से सिंचाई में 400 रुपया प्रति बीघा से कम कॉस्ट नहीं आती। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य भी शायद इसकी ताइद करेंगे। क्यों, साहब, 400 रुपये से कम आती है क्या प्रति बीघा ट्यूबवैल से सिंचाई की लागत? जब 400 रुपये से कम एक बीघा में सिंचाई नहीं हो सकती तो बिना मतलब आप उनसे 70-80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये जो वसूल कर रहे हैं, इस ट्यूबवैल से सिंचित क्षेत्र की वसूली आप बंद करें और इसके लिए प्रापर प्रावधान इर्रिगेशन व ड्रेनेज एक्ट में बनाएं। इर्रिगेशन-ड्रेनेज एक्ट में आपने जो प्रावधान कर रखा है, माननीय सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी तो आप हंसेंगे कि यदि ट्यूबवैल बनाया है तो उसके साथ वाटर कोर्सेज बनाओ। अब 25 बीघा का खेत है, ट्यूबवैल के साथ-साथ वाटर कोर्स कैसे बनेगा? कैसे अलग से उसका खाला बनेगा? यदि खाला बनाने की उसमें ताकत होती तो शायद उसको ट्यूबवैल बनाने की जरूरत नहीं थी। ट्यूबवैल के साथ अलग से खाला नहीं बन सकता। जो रूटीन वाटर कोर्स है खेत का, वही काम आएगा, चाहे उसने ट्यूबवैल बना लिया हो। इसलिए आपने यह जो प्रावधान बना रखा है यह बेमानी है, अविवेकपूर्ण है और इसलिए इस प्रावधान को बदलें। जहां ट्यूबवैल लग गया, आपको आकलन करना चाहिए। अलग-अलग क्षेत्रों का आकलन हो सकता है कि ट्यूबवैल से कितनी सिंचाई हो रही है, उस सिंचाई को देखकर आप अपना आबयाना वसूल करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, यह तो किसानों के साथ अन्याय की बात अभी मैंने आपसे कही ट्यूबवैल के मामले में। माननीय सभापति महोदय, पूरी इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल विद्युत विभाग की बिजली से चलती है और विद्युत विभाग इस इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल पर उद्योग की बिजली दर चार्ज करता है। खेती हो रही है, सिंचाई हो रही है, 95 परसेंट सिंचाई हो रही है उस लिफ्ट कैनाल से और आप चार्ज कर रहे हो उद्योग का। वहां उद्योग का नामोनिशान नहीं है। उद्योग होगा कहीं बीकानेर में। बीच में 10-20 तेल के कारखाने लग गये, पर उद्योग का चार्ज करने के लिए मैं पूछता हूं कि इसका तर्क संगत आधार क्या है? लिफ्ट कैनाल चलेगी, किसानों को पानी देना है आप उसका एग्रीकल्चर का चार्ज क्यों नहीं करते हैं? माननीय मंत्री महोदय के यह बात ध्यान में नहीं आयी क्या? 18 करोड़ रुपया लिफ्ट कैनाल पर देना पड़ता है। अभी बहुत लिफ्टों का चार्ज देना पड़ेगा। फलौदी की लिफ्ट चल रही है और अभी तो वह सिर्फ पानी देने की चल रही है, आगे वह सिंचाई की भी चलेगी। गजनेर की लिफ्ट चलेगी, कोलायत की लिफ्ट चलेगी। आज आप ध्यान नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

देंगे तो 6-7-8 लिफ्टों में आपका 125 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। आज इस मुद्दे को तय कराने की जरूरत है कि लिफ्ट कैनाल पर जो पानी दिया जा रहा है वह कोई 2 परसेंट, 3 परसेंट पीने में काम आता है और कोई आधा परसेंट उद्योग के काम में होगा। आप आकलन करा लें, आधा परसेंट उद्योग में जा रहा है या पाव परसेंट जा रहा है। उतना तो ले लीजिए उद्योग का चार्ज पर बाकी जो सिंचाई के काम में जा रहा है उसका चार्ज तो उसी हिसाब से लें। चाहे विद्युत कम्पनियां बन गई, चाहे आर.एस.ई.बी. थी, इस मुद्दे को तय कराने की आवश्यकता है ताकि जो बजट इन्दिरा गांधी नहर विभाग के पास में है वह अनावश्यक रूप से विद्युत विभाग की बेहतरी में न चला जाए। काश्तकारों को 18 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ ही इस विभाग का जाना है। जो 14 करोड़ बचे वे काश्तकारों के हित में, उनके खालों को ठीक करने में, उनके दूसरे विकास के कार्यों में आगे छोटे-मोटे वाटर कोर्सेज बढ़ सकते हैं, कुछ और चकों में सिंचाई हो सकती है, उसका उपयोग किया जाना बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापतिजी, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किये बिना नहीं रह सकता कि सूरतगढ़ के पास जो 18 डिप्रेशंस हैं उन डिप्रेशंस का लिंक आपने अभी 16 नम्बर डिप्रेशन से बना रखा है। करणीजी लिंक को जो भी पानी जाता है वह 16 नम्बर डिप्रेशन से जाता है। 16 नम्बर डिप्रेशन में से जाने का कारण यह है कि जो सूरतगढ़ से बीकानेर ट्रेन जा रही है उसमें जो बीच में रेलवे लाइन क्रास होती है उसकी ऊंचाई के कारण पानी 16 नम्बर की बुर्जी से उसमें जा ही नहीं पाता करणीजी की लिंक में इस लिंक को यदि आप 12 नम्बर डिप्रेशन से कर दें तो निश्चित रूप से पानी का बहाव करणीजी की लिंक में होगा। माननीय मंत्रीजी, इस योजना को खड्डे में क्यों डाल रखा है? इतना ही नहीं, अनूपगढ़ शाखा के सारे डिप्रेशंस में जो दशमलव 7 एम.ए.एफ. पानी है वह सारा का सारा पानी अनूपगढ़ शाखा में उपयोग में लिया जा सकता है। यह लम्बी-चौड़ी योजना नहीं है, साढ़े तीन-चार करोड़ की योजना है। उस योजना को बिलकुल खटाई में डाला हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भी डिप्रेशंस का पानी है, पहले तो करणीजी लिंक को 16 की बजाय 12 से करें और उसके बाद में इसके 0.7 एम.ए.एफ. पानी का बहाव यदि अनूपगढ़ शाखा में हो सकता है तो निश्चित रूप से अनूपगढ़ शाखा को इसका पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि टेल एण्ड का किसान जो आज बिलकुल पानी के बिना रह जाता है, उस टेल के किसान की स्थिति में कुछ परिवर्तन आए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचित क्षेत्र की बारियों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 25 परसेंट क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। कोई ऐसा चक नहीं है जहां सिंचित क्षेत्र की बारियों में 10-15 किसान एक बारी न रह जाएं। सरकार कम्प्यूटर की बात करती है कि शिक्षा में दसवीं क्लास, आठवीं क्लास के लड़के को कम्प्यूटर पढ़ना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले इसका तो कम्प्यूटीकरण करिए। जिस चक की बारी चल रही है उसके आखिरी किसान को पानी नहीं मिलेगा तब तक उसका पानी दूसरी जगह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नहीं जाएगा। आखिर यह क्या तमाशा है कि 10 किसान बच गये, 15 बच गये, 20 बच गये और वो फिर रोते फिरे एक्स. ईएन. के पास चूंकि सिस्टम यह है कि एक बार बारी निकल गई तो वह तो 20 दिन बाद आएगी या 15 दिन बाद आएगी या 32 दिन बाद आएगी, जिस तरह का दौर चल रहा है पानी का सिंचाई विभाग के जो भी तकनीकी जानकार है, आखिर तो चीफ इंजीनियर हैं और फिर चेयरमैन बोर्ड भी है इन्दिरा गांधी नहर में, आप इसका तो हल करिए पानी जिस चक को मिलेगा बराबर मिलेगा, आखिरी किसान को मिलेगा और उसके बाद ही वह बारी दूसरी चलेगी। आप जो तारीखें फिक्स करते हैं उसमें कुछ इलास्टिसिटी रखिए जरूरी नहीं कि किसान को पानी मिला ही नहीं और आपने बारी बंद कर दी और दूसरी तरफ मोड़ दी। इससे जो किसान का और सिंचित क्षेत्र का अहित हो रहा है उस अहित का कोई वर्णन रुपये-पैसों में नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचित क्षेत्र के किसान को उसकी बारी का पानी एश्योर करने के लिए जो भी कदम राज्य सरकार को उठाने हैं, टेल एण्ड तक पानी पहुंचाने के कारगर कदम राज्य सरकार को उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, अभी गंगानगर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि हमारे यह माडर्नाजेशन बनेगी, यह बनेगी। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मुझे यह तो बताएं माननीय मंत्रीजी कि सीमेंट की खरीद का क्या करेंगे? आपका सी.एस.पी.ओ. अभी तक तय नहीं हुआ। भारत सरकार के डी.जी.एस. एण्ड डी. में जो रेट तय होती थी सीमेंट की वह तय नहीं हुई। तो क्या जब भी 5-10 हजार बोरी चाहेंगे तो आप टेंडर निकालेंगे? आप सी.एस.पी.ओ. से रेट तय कराइए। सी.एस.पी.ओ. से रेट तय करना उदारीकरण के युग में आवश्यक नहीं रह गया हो तो कोई बात नहीं, आपका विभाग तो तय कर दें कि सीमेंट की रेट यह है और इस रेट पर आप बिना टेंडर मंगाए खरीद सकते हैं, बड़ी कम्पनी हो, चाहे छोटी कम्पनी हो, जो भी खरीदनी है। बहुत बड़ी कम्पनियां हैं-बिडला भी है, टाटा भी है, ए.सी.सी. का ग्रुप भी है, जो भी मान्यता प्राप्त सीमेंट उत्पादक हैं, आप इसकी रेट तो तय करिए।

इसकी रेट तय हुए बिना चाहे गंग नहर का माडर्नाइजेशन हो, चाहे इन्दिरा गांधी नहर सैकण्ड स्टेज में जो मूल नहर का चल रहा है उसका हो, बड़ी परेशानी आने वाली है। पहले डी.जी.एस. एण्ड डी. और सी.एस.पी.ओ. दोनों तय होते थे, अब ये दोनों प्रक्रिया बहुत ढीली-ढाली हैं। सी.एस.पी.ओ. तो तय ही नहीं हुआ है राजस्थान में इसलिए वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, आप अभी इस बात का ध्यान करें कि सीमेंट की खरीद के बारे में कोई पुख्ता चाहे सी.एस.पी.ओ. से तय कराएंगे, राज्य सरकार से तय कराइये लेकिन नहरों के निर्माण में जो सीमेंट उपयोग आती है उसकी रेटें तय कराने का काम करिये आपसे नहीं हो रहा है तो डी.जी.एस.एण्ड डी. से करा दें, भारत सरकार को कहकर वहां से तय करा दें ताकि नीचे अभियन्ताओं को उसकी खरीद में और मुख्य अभियन्ता को उसकी ख़रीद में कोई किसी तरह का अवरोध न हो और उस कारण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

से जो सिंचाई योजनाओं की प्रगति है उस प्रगति में अवरोध पैदा नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सेम के लिए कह रहे थे, वाटर अलाउंस के लिए कह रहे थे और जैसलमेर के माननीय विधायक खड़े हो गये कि आपका हिस्सा 5.23 नहीं है, आपका हिस्सा तो साढ़े 3 है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कैनाल पूरी 5.23 के लिए फर्स्ट स्टेज में डिजाइन हुई है, आप उस डिजाइन को किस तरीके से मोडीफाई कर लेंगे? आखिर तो इस कैनाल में जो भी डिजाइन बनी है उसके आधार पर मोगा लगेगा, पानी फ्लो होगा और उससे क्षेत्र की सिंचाई होगी। यह सब तय है। आप 5.23 की कैनाल को शुरू से लगाकर आखिर तक 3.50 वाटर अलाउंस के लिए रेनोवेट नहीं कर सकते। कोई साढ़े चार सौ करोड़ कुल योजना में अभी मैंने अर्ज किया कि 110 करोड़ के तो 48 करोड़ खर्च करने जा रहे हो और इस माडर्नइजेशन में चाहिए हजार करोड़ रुपये ऊपर से नीचे तक, तो कहां से आएंगे हजार करोड़ रुपये न माडर्नाजेशन सम्भव है न इसको पुर्ननिर्माण या इसकी डिजाइन को रिकंस्ट्रक्ट करना सम्भव है। इसलिए आप चाहे कागजों में कैबिनेट फैसला कर लें, और माफ करेंगे, चाहे यह सरकार, चाहे पुरानी सरकार ने किया हो कि 5.23 की जगह साढ़े तीन देंगे, यह फैसला कागजों में रहेगा। आप जिस दिन उसको इम्प्लीमैंट करेंगे, मैं राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसा किसान आन्दोलन होगा फर्स्ट स्टेज में कि जिससे आपकी सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो तो उसके घुटने टिक जाएंगे। इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र का काश्तकार 5.23 से साढ़े 3 का वाटर अलाउंस बरदाश्त करने को तैयार नहीं है। आप सोच समझकर काम करें और यदि आन्दोलनों को निमंन्त्रित करना है तो निश्चित रूप से साढ़े 3 तक वाटर अलाउंस घटाएं। यदि डैम्स में पानी की कमी हो तो काश्तकार समझता है कि पानी नहीं मिल सकता। लेकिन डैम्स में पानी भरा हो उस वक्त आप यदि साढ़े 3 को एक्जीक्यूट करेंगे तो यह बरदाश्त नहीं किया जाएगा। उसका प्रतिरोध भी होगा, आन्दोलन भी होंगे, हजारों लोग जेल जाएंगे और जो नतीजा भुगतना है वह नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से—

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा नहीं है। आपको पानी 3 फीसदी दें तो हमें खुशी है, साढ़े 3 दें तो खुशी है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो सदन को मेरा अधिकार है, कह रहा हूं आप अपना जवाब दे दें बाद में।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप जो कह रहे हैं....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ऐसे नहीं हो सकता। जैसलमेर के विधायक बोलें और बोलकर जो बात कहनी है....

श्री सभापति : आप विराजें। आप जारी रखें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : और जारी के साथ साथ समय का भी आप ध्यान रखें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं सभापति महोदय, मेरी पार्टी का टाइम ही यूज कर रहा हूं, मेरी पार्टी के टाइम में यदि....

श्री सभापति : नहीं, वह तो आप ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह तो आपकी पार्टी का मामला है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कुछ बचेगा तो दूसरे।

श्री सभापति : मैं तो आपको वैसे ही याद दिला रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं वह सही है, आपका मैं बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, हमें अभी पंजाब जाने का एक अवसर मिला। माननीय प्रतिपक्ष के नेता जब हरिके बैराज गये तो हम लोग उनके साथ गये थे। हमने देखा कि वहां पंजाब में तो ट्यूबवैल की बिजली मुफ्त हैं, राज्य सरकार की तरफ से कर रखी है। मैं यह मांग यहां नहीं कर रहा हूं कि आप ट्यूबवैल की बिजली मुफ्त कर दें। मैं राजस्थान की आर्थिक स्थितियों से वाकिफ हूं। जहां ट्यूबवैल की बिजली मुफ्त हो और जहां बहुत नीचे 20-25, 40-50 फीट पर पानी है वहां सेम की समस्या का समाधान पंजाब की सरकार ने किया है और बड़े-बड़े सेम नाले बनाये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम रावतसर, लखुवाली, सूरतगढ़ के पास स्थित माणकखेड़ी और बड़ोपल, यह सारा इलाका जो सेम में बरबाद हुआ है, हम इसका क्यों नहीं समाधान कर सकते हैं? माफ करेंगे, यदि पिछली सरकार नहीं कर पायी, वह चाहे हमारी सरकार थी यदि उसमें हमको श्रेय नहीं मिल सकता है तो आपको अब कौन-सा श्रेय मिलने वाला है? हमने गलतियां की तो हम तो सजा को भुगत भी रहे हैं आप भी वही गलतियां रिपीट करना चाहते हैं और सेम समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं तो शायद हमारी गलती को आपको दोहराना जरूरी लग रहा है लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज के वैज्ञानिक युग में जबकि पड़ौसी प्रांत ने उस समस्या के बावजूद ज्यादा पानी होने के समाधान कर दिया है, अंडर ग्राउंड पाइप्स लगा दिये हैं खेतों में और सारा पानी निकाल दिया है तो आप इसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? इस समस्या का समाधान किया जाना इस राज्य सरकार के लिए बहुत आवश्यक है।

मैं अन्त में राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि अभी सिंचाई का पानी हमें नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, पानी है नहीं तो मिलेगा कहां से? पीने का पानी जो आप देने की बात कर रहे हैं, पीने का पानी बहुत दूषित है। पंजाब के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

क्षेत्र से, हरियाणा के क्षेत्र से उसमें इतना खराब पानी आ रहा है कि लोग परेशान हैं। जिनको भी पानी लेना पड़ रहा है वे परेशान हैं उनकी डिग्गियां गंदी हो गयी हैं कितना ही ब्लीचिंग पावडर उसमें डलवाइये। रुटीन में नहाने का जो पानी आता था डिग्गियों में उससे स्थितियां बहुत खराब हैं और पानी की बहुत कमी है। यह पीने का पानी जो हम चला रहे हैं, पीछे से उसके शुद्धिकरण की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं पंजाब-हरियाणा तो टोक नहीं रहे हैं। सारा का सारा खराब पानी जो भी इधर-उधर पड़ा है वह ड्रेन करके उस पानी में डाला जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है कि वह गंदे पानी को डालने से पंजाब और हरियाणा सरकारों को रोके और राजस्थान के किसानों को नहरों से शुद्ध पानी दे, सिंचित और पीने का पानी तो निश्चित रूप से शुद्ध उपलब्ध कराये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का हिस्सा जिसके बारे में माननीय हनुमानगढ़ के विधायक ने काफी कुछ कहा है, यह पंजाब का हमको बहुत अनुभव हो गया है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : उनको आप आ जाने दो, मंत्री जी नहीं हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मंत्रीजी न हों, सरकार कोई तो चला रहे हैं। मंत्री जी तो कह देंगे कि हम सुन रहे थे कहीं भी बैठे हुए सुन रहे थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1.6 एम.ए.एफ. का जो हमारा हिस्सा है, यह हिस्सा मिलने में आपने तो अपनी सरकार को बचाने के लिए 8 इंजीनियर्स को सस्पैंड कर दिया। 8 इंजीनियर्स को यह कहकर सस्पैंड कर दिया कि ये पंजाब का गेज नहीं देख पाये। गेज देखने में इनकी कमी रही और पूरा पानी लेना था वह पानी यह उपलब्ध नहीं करा पाये पंजाब से इसलिए क्या करें, इनको सस्पैंड कर दिया। खैर, आप 8 को सस्पैंड करे, 80 को सस्पैंड करे, जिम्मेदारी पंजाब सरकार से पानी लेने की सरकार की है, आपकी है। उसमें सरकार कितना समय लगाती है, माननीय मंत्री महोदया डा. कमला जी, कितना समय लगाती हैं यह इनके खुद के सोचने की बात है। पंजाब तो यह मानकर बैठा है कि कोई कितनी ही गालियां दे, कोई कुछ भी कहे, हमें तो पानी अपने किसान को देना हैं, राजस्थान का हिस्सा मरता है तो मरे। कई बार ये कहते हैं कि माननीय भैरोंसिंह जी के बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और रहेंगे, पर सवाल तो स्टेटस के सम्बन्ध का है, और स्टेट्स का सम्बन्ध आपको देखना हैं। अभी राज में आप हैं जिम्मेदारी अभी आपकी है, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की नहीं है कि पंजाब से पूरा पानी लें। वे आपको सहयोग दे सकते हैं लेकिन राजस्थान सरकार की भी कोई दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि हम पंजाब से पूरा पानी लेंगे। आपके इंजीनियर्स भी तो आकलन करते होंगे कि कितना पानी उस डैम में इकट्ठा हुआ हैं, आपका हिस्सा क्या है और पर डे आपको क्या हिस्सा मिलना चाहिए। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो भी व्यवस्था है वह व्यवस्था राजस्थान

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के किसानों के हितों के विपरीत साबित हुई है सभापति महोदय, इसमें यदि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स में जाना है, ट्रिब्यूनल में जाना है तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है। राजस्थान के हिस्से के पानी के लिए हमको चाहे अन्तरराज्यीय रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाना पड़े और चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, राज्य सरकार को बहुत गम्भीरता से इस मसले पर विचार करना है। अन्यथा जो पंजाब की दया के ऊपर राज्य सरकार को निर्भर रहना पड़ता है, पंजाब और हरियाणा से यह दया चलने वाली नहीं है। इस दया को यदि आप चलने देंगे तो इसमें हमें यह कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि आप अपनी कर्तव्यपरायणता से हट रहे है।

माननीय सभापति महोदय, एक चक है राजस्थान में चक बादलवाला, गंगानगर के पास। उस चक बादलवाला में जब मरजी आती है, जितनी मरजी आती है, पानी फीडर से राजस्थान के फीडर में डाल लिया जाता है।

हमारे चीफ इंजीनियर भी हतप्रभ हैं, असहाय है। वे कहते है कि क्या करे, डाल दिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि उसको रोक लें। ये चक बादलवाला एक नहीं अनेक बन जायेंगे। यदि राज्य सरकार असहाय बनी रही तो राजस्थान में ही अनेक चक बादलवाला बन जायेंगे जिसकी मिल्कियत पंजाब के लोगों की—

एक माननीय सदस्य : यह है कहां ?

श्री मानिक चन्द सुराना : चक बादलवाला गंगानगर में है। उन्होंने वे जमीनें खरीदी हैं या अलाट हुई हैं, जो भी हुई हैं जैसे भी हुई हैं, उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरह के अनेक चक बादलवाला बन जाएंगे। मुझे इसमें सख्त आपत्ति है कि राजस्थान के हिस्से का पानी मनमर्जी से जिन नहरों में नहीं डाला जाना है उन नहरों में डाल दिया जाये और उसका उपयोग चाहे जो आदमी अनधिकृत रूप से करें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कब बनी यह चक बादलवाला, बता दें आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : 40 साल से बना हुआ है, 40-50 साल से चल रहा है और उसमें मनमर्जी से पानी डाला जाता है। चीफ इंजीनियर, राजस्थान की इच्छा हो न हो, पानी पूरा उसमें आ जायेगा। चाहे राजस्थान में 28 फरवरी के बाद पानी नहीं हो लेकिन चक बादलवाला में सिंचाई का पानी उपलब्ध है। इसी निवेदन के साथ कि राज्य सरकार पंजाब से पूरा पानी लेने के गम्भीर प्रयास करें, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्रीमती पूनम गोयल।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग की मांगों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं।

मान्यवर, पिछले ढाई वर्ष से मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की एक विशेष योजना बालापुरा लिफ्ट इरिगेशन योजना की ओर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करती रही हूं। माननीय मंत्री महोदया, मैं जब से इस

(श्रीमती पूनम गोयल)

विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आयी हूं तब से लेकर कभी तो प्रश्न के माध्यम से, कभी 295 के माध्यम से, कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, बजट पर चर्चा के दौरान था सिंचाई विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान लगातार एक ही मांग करती आ रही हूं परन्तु बहुत दुःख का विषय है कि मेरे क्षेत्र की इस महत्वाकांक्षी योजना की वित्तीय स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

महोदय, बालापुरा लिफ्ट इर्रिगेशन योजना नई योजना है जिससे 602 काश्तकार लाभान्वित होंगे जिसमें 132 अनुसूचित जाति और 97 अनुसूचित जनजाति के हैं। ये सभी परिवार अत्यंत गरीब परिवार हैं। इस योजना की लागत 414 लाख रुपये है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति आपके आदेश क्रमांक एफ3/10 सेल/आई/सेल/95/649 दिनांक 24.7.1999 को जारी हो चुकी है। अब सिर्फ वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। माननीय, यह एक ऐसी योजना है जिसमें 20 प्रतिशत हिस्सा राशि काश्तकारों द्वारा दी जायेगी। इस हेतु भूमि विकास बैंक, कोटा और सैंट्रल बैंक, कोटा से आवश्यक पत्रावलियां भी तैयार कर ली गई हैं। यही नहीं, मंत्री महोदया, इसको चलाने के लिए 30.8.1993 को ही बालापुरा के काश्तकारों ने बालापुरा लिफ्ट सिंचाई सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करा लिया है परन्तु इस योजना को आज तक स्वीकृति नहीं दी गई। मान्यवर, इस योजना के बन जाने पर 292.20 एम.सी.एफ.टी. पानी उपलब्ध होगा और रबी की फसल में 1520 और खरीफ की फसल में 760 हैक्टेयर जमीन सिंचित हो सकेगी। यह लिफ्ट कैनाल चम्बल प्रोजेक्ट के राइट फलैंक से आर. डी 72 हजार से निकाली जायेगी।

यह मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जा सकती हैं। मान्यवर, इस योजना की महत्ता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह वह योजना है कि पिछला विधान सभा चुनाव सिर्फ इसी योजना की स्वीकृति के आधार पर लड़ा गया था। मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से इस योजना की तत्काल स्वीकृति का वादा किया था। उस वादे को पूरा करने के लिए मैं लगातार ढाई वर्ष से कोटा से जयपुर तक हर दरवाजे पर गुहार लगा चुकी हूं परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति से आगे बात नहीं बढ़ पायी है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से आग्रह करुंगी कि अब जब मांगों के पारण के समय आप जवाब दें तो इस योजना की वित्तीय स्वीकृति इसी वर्ष जारी किये जाने की घोषणा करें। मैं और मेरे किसान भाई सदा आपके आभारी रहेंगे। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम जी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सम्मानीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-46 सिंचाई के बारे में मैं आपने विचार रखूंगा। हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि सिंचाई पर निर्भर है और सिंचाई बरसात पर। पहले हर साल, दूसरे साल पानी गिरता था लेकिन विगत तीन साल से पानी नहीं गिर रहा है, उससे जो समस्याएं सामने खड़ी हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को ध्यान देना है।

(श्री नाथूराम अहारी)

विधान सभा में जब जब भी कोई बोलने का मौका आता है तो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बराबर कहते रहते हैं कि ये किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल में कितने बांध बनाये? कोई बड़ा बांध आपने बनाया है क्या? अभी बीच में कह रहे थे कि भूखों मर रहे हैं, काफी आदिवासी लोग भूखे मर रहे हैं, पर इनके कार्यकाल में 5 और 6 लाख से ज्यादा मजदूर नहीं लगाये गये थे, उस समय तो ये बोलते ही नहीं थे। जब कि कांग्रेस शासन में आयी है तब से 12 से लेकर 20 लाख तक मजदूर लगाये गये हैं। (व्यवधान) मैं सिंचाई पर ही कह रहा हूं, यह तो बीच बीच में आप इंटरफियर करते हो इसलिए कह रहा हूं। मैं इनको चेतावनी देता हूं कि आप जो ये घड़ियाली आसू बहाते हैं यह बिलकुल गलत है और आपको हर समय अपने खुद में झांक कर देखना चाहिए तभी बोलना चाहिए।

मैं सिंचाई के बारे में कहता हूं कि हमारे जो बांध हैं उनमें सीपेज ज्यादा हो रहा है। बहुत पुराने बांध बने हुए हैं उन बांधो में मेंटीनेंस का पैसा नहीं आता है और सीपेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। सोम फीडर में डाबड़ी, मौथ, गडरा, बाराचौबीसा, रायणी, सलावट, बागल, घुड़ियामली, देशोणा, तड़िया और इसी तरह मारिण्या में आंतरी, पालागोकलिया, पालामोरु बिलिया, बड़गामा, ये सारे एरिया सीपेज के हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इस सीपेज के बारे में ज्यादा ध्यान दें। इस सीपेज को अगर हम नहीं निकालेंगे तो जैसे चौमासे में पानी भरा रहता है वैसे उस जमीन पर गर्मी के दिनों में भी पानी भरा रहता है और काफी जमीन बरबाद होती है। इस बारे में मैं विधान सभा में बोल चुका हूं और विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से भी कहा है लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरे यहां मारिग्या बांध है और सोम कमला अम्बा है। दोनों बांधों में जो किसान डूब में गये हैं उन किसानों में काफी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इस बारे में मैंने प्रश्न भी उठाया था लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस बारे में मेरी मांग है कि जो भी काश्तकार मुआवजे से वंचित रह गये हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा दिया जाये। एक मापदण्ड है कि जो भी बांध बनता है उस बांध में उनको मुआवजा देकर छुट्टी दे दी जाती है। काश्तकारों की आजीविका के लिए तो केवल जमीन है और जमीन में मुआवजा भी बिलकुल न्यूनतम मुआवजा देते हो, कम से कम देते हो। उसके बाद उसके जीवन को पूरा का पूरा उस मुआवजे पर छोड़ देते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनको मुआवजा तो दिया ही जाये, बदले में उनको जमीन भी दी जानी चाहिए क्योंकि काश्तकार के लिए तो दूसरा कोई सहारा है नहीं, उसकी नौकरी तो है नहीं। मामूली मुआवजा दे देने से काश्तकारों की आजीविका का पालन हो जाये, यह हो नहीं सकता है। मेरे यहां जैसे मारिग्या बांध है, उस मारिग्या बांध पर सारे के सारे काश्तकार आदिवासी हैं, वह पहाड़ी एरिया है। अब जो बचा हुआ एरिया है उसमें ये

(श्री नाथूराम अहारी)

टेकरियों पर मकान बनाकर रह रहे हैं। जब पानी खाली हो जाता है उस समय उनको काश्त करने के लिए जमीन मिलती है। मैं इसमें यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जिनकी जमीन डूब जाती है उनको मुआवजा दिया जाये, लेकिन उसमें जो खाली जमीन हो जाती है उसमें काश्त करने का उनको हक होना चाहिए।

बांधों और तालाबों में भरने वाली मिट्टी के बारे में अभी तक सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। जो भी बांध बने हैं, अभी मिट्टी से भरे हुए हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। ऊपर से जितना पानी आता है, वह सारा पानी निकल जाता है तो कोई इस तरह की योजना बनानी चाहिए। वह मिट्टी निकालने के लिए या तो काश्तकारों को अनुदान देना चाहिये। आधा अनुदान देकर जितने भी बांध और तालाब हैं, उन तालाबों और बांधों से मिट्टी निकलवा देते हैं तो एक तो जमीन बनेगी, जमीन में बांध की मिट्टी आयेगी, वह खाद है। इसलिए मेरी मांग है कि इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए, इससे तालाबों की भराव क्षमता बढ़ जायेगी और हमको इसका फायदा होगा।

जल स्तर कायम करने के बारे में मैं वैसे विधान सभा में कई बार बोल चुका हूं। जल स्तर कायम करने के लिए हमें जहां भी नदी-नाले हैं, हर 15 किलोमीटर के अन्दर तालाब, बांध या एनीकट बनाने चाहिए। उसमें अगर पानी रुकता है तो वह जमीन में जाएगा और जमीन में जायेगा तो जल स्तर कायम होगा। इसलिए मैं मेरे यहां निम्न स्थानों पर एनीकट, बांध और तालाब के प्रस्ताव रखता हूं, इस बारे में भी आप गम्भीरता से सोचिये और इसे बनवाने के लिए विभाग को पाबंद करिये। सोम नदी के ऊपर श्मशान घाट पर, दो नदी पर पाउड़ी और मजोला, दो नदी के पुल के ऊपर, धरती माता का नाका, बोखला, बाजरिया, देवलपाल बीकासोन, पंचायत भोजातका ओड़ा, ये बांध और जहां-जहां भी आवश्यकता हो तालाब बनाये जायें, एनीकट बनाये जायें जिससे कि जल स्तर कायम हो सके।

मैं यहां एक मांग और करता हूं। सोम कागदर का पानी डूंगरपुर पंचायत समिति को देना है। सोम कागदर की समुद्र तल से ऊंचाई है, सोम कागदर की जो नहर निकली है उसकी ऊंचाई अगर मैं सही हूं तो 295 मीटर है और डूंगरपुर में 260 मीटर है, तो वह पानी डूंगरपुर को दिया जा सकता है। इन्दिरा गांधी नहर का पानी राजस्थान के छह जिलों को दिया जा सकता है तो केवल 30 किलोमीटर नहर निकालकर सोम कागदर का पानी डूंगरपुर को क्यों नहीं? वह लेवल पर है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको अगर 5 मीटर तक बढ़ाया जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है। पानी ही तो जीवन है, पानी के लिए क्या नहीं किया जा सकता है? इसलिए मेरी मांग है कि इसको ऊंचा लेकर डूंगरपुर पंचायत समिति को पानी दिया जा सकता है। डूंगरपुर पंचायत समिति में कोई बड़ा बांध भी नहीं है, एक भी बांध में पानी नहीं है, इस बांध से पानी दिया जा सकता है। कांग्रेस के शासन में पहले माही कैनाल निकाली गई थी, बांसवाड़ा में माही है। माही

(श्री नाथूराम अहारी)

का पानी डूंगरपुर को देने के लिए सर्वे पर लाखों रुपये खर्च किये गये, सागवाड़ा तक वह नहर पहुंचाई गयी लेकिन बीजेपी के शासन में इसमें एक धेले का भी काम नहीं किया गया। बल्कि यहां तक हुआ कि कागजों में से उस नहर को निकाल दिया गया। हमारी कांग्रेसी की सरकार ने वापस गत साल इन कैनाल को लाने के लिए कोशिश की है। मैं यह मांग करता हूं कि इस माही कैनाल पर लाखों रुपयों का काम हुआ है और अधूरी पड़ी हुई है, उसको चालू किया जाए, युद्ध स्तर पर किया जाये। यह अभी तक किया जा सकता था लेकिन सिंचाई विभाग और अकाल विभाग की आपस की रस्साकशी में यह काम नहीं किया जा सका है। मेरी आपसे मांग है कि इस माही कैनाल का डूंगरपुर में सर्वे किया गया है वह पूरा किया जाये। अधिकांश भाग आसपुर और सांगवाड़ा का इसमें आ जायेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी अकाल है, अकाल में जितना भी हो सके, जिन तालाबों और नहरों का काम है, सीपेज है, उसको आप मेंटीनेंस का पैसा देकर पूरा करेंगे। इन नहरों को तो उससे काफी फायदा होगा ही काश्तकारों की सीपेज से जो जमीन खराब हो रही है, उनको भी फायदा मिलेगा। आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए आपको धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा, समय का ध्यान रखना आप। ताली पहले ही बजा दी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई पर बहस चल रही है, मैं चार पंक्तियों से शुरू करता हूं :

"ये सरकार के लोग सिंचाई की बात करते हैं,

पीने का पानी तक तो देते नहीं हैं,

ए. सी. में बैठकर सरकारी बयान देते हैं

+ + + +

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बात है, क्या बात है।

एक माननीय सदस्य : जमा नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जमाएंगे। माननीय सभापति महोदय, अब तक काफी माननीय सदस्य बहस में भाग ले चुके हैं सिंचाई पर और सिंचित क्षेत्र पर, पर मैं एक ऐसे विषय पर बोल रहा हूं जिस पर अभी तक कोई भी माननीय सदस्य बोले नहीं हैं। वह विषय है सिंचाई विभाग का प्रशासनिक ढांचा। सभापति महोदय, कभी राजस्थान में एक मुख्य अभियन्ता हुआ करता था और दो लाख श्रमिक/कर्मचारी हुआ करते थे और आज दुर्भाग्य है कि सात मुख्य अभियन्ता हो गये हैं, एडिशनल चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ताओं की बहुत बड़ी फौज हो गयी है और मजदूर सिर्फ 26,000 रह गये हैं। यह बहुत ही दुःखद बात

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव अहूजा)

है, बेरोजगारी के समय में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था "देशभक्तों का तिरस्कार और गद्दारों को पुरस्कार" अब अधिकारी गद्दार तो नहीं है यह तो मैं नहीं कहूंगा, न सरकार को गद्दार कहूंगा लेकिन इतना निश्चित है, इसमें मैंने पंक्ति बनाई है,

"ये कोई बात हुई? कि गरीबों का तिरस्कार

और अधिकारियों और पूंजीपतियों को

दिया जा रहा पुरस्कार।"

यह जो प्रशासनिक ढांचा है उसके अन्तर्गत मैंने आपको निवेदन किया है। अभी इर्रिगेशन में राजस्थान सरकार ने शायद राज्य सरकार की नीति के अनुसार कुछ एईएन. और जेईएन. को सरप्लस किया। एईएन. को सरप्लस किस प्रकार से किया है? जिस एईन. ने मोटी रकम दे दी उस अधिकारी को तो हटाया नहीं और जिस एईएन. ने एप्रोच नहीं की या मोटी रकम नहीं पहुंचाई या सिफारिश नहीं पहुंचाई, उन एईएन. को क्रमांक (1) को हटाया, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़ दिया, क्रमांक (8) को हटाया। उसके बाद फिर 17 नम्बर को हराया फिर बाकी छोड़ दिये। फिर 29 नम्बर एईएन. को हटाया सरप्लस करके। एक एईएन. जो बहुत मेहनत करके सिविल इंजीनियर बनकर आया, उसको दाल-दलिया बांटने के लिए सीडीपीओ. बनाकर आंगनबाड़ी में भेज दिया गया। इसी प्रकार 29 को लिया, फिर 35 को ले लिया, फिर छोड़ा, फिर 47 नम्बर के एईएन. को ले लिया। इस प्रकार से आपके इर्रिगेशन एईएन. की सूची है और जेईएन. की सूची है। क्रमशः जो सीनियोरिटी थी या जूनियर किसी को भी हटाने के बजाय अपनी मनमर्जी से अधिकारियों को हटाया गया है ये जो दाल-दलिया बंटवा रहे हैं, अब वे + + + दाल-दलिया भी गांवों में नहीं बेच पा रहे हैं। हमारे यहां एक महिला एईएन. पहुंच गई है, बहुत रोती है। बच्चे हैं जयपुर में, + + + हैड आफिस में बैठी हुई थी बिना कुछ खाये-पिये, रिश्वत लिए आराम से अपना काम कर रही थी, उसको भी दाल-दलिया बांटने के लिए मेरे क्षेत्र रामगढ़ में लगा दिया। वह रोती रहती है। हमने कहा, अच्छा ड्यूटी करो, आकर चली जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

(16.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, गम्भीर बात यह है, रोती भी रहती है और मुंह भी धोती है। यह है गम्भीर बात। मंत्रीजी, नोट करो आप।

श्री सभापति : इस गम्भीर बात को आप ही नोट करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो कर ही रहे हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, इस प्रशासनिक ढांचे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरे विचार से जितना बजट मैंने देखा है, आंकड़ों में नहीं जायें तो आधा बजट तो इनकी तनख्वाहों पर, इनके भत्तों पर, इनके यात्रा भत्तों पर और स्टेशनरी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में ही खर्च हो जाता है। तो सिंचाई का काम तो आगे कितना होगा? और बाकी सब काम ठेके पर। मैं एक ऐसा प्रकरण आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री बैठे हैं, सिंचाई मंत्रीजी तो है नहीं, संस्कृत देववाणी मंत्री भी चली गई। कृषि का तो कल है, कृषि मंत्री माननीय तैयब हुसैन साहब कृषि का अभ्यास आज कर रहे हैं। मैं एक ऐसा प्रकरण रख रहा हूं, माननीय तैय्यब हुसैन साहब, कृषि मंत्रीजी, आप नोट करें, कि कर्मचारियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, मजदूरों को किस प्रकार से तड़पा-तड़पा कर अधिकारी मार रहे हैं।

एक कर्मचारी चालीस साल तक इरिगेशन की सर्विस में रहा, ऐसे कर्मचारी राजस्थान में कम से कम डेढ़-दो हजार हैं। उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े आये हैं वे अभी पूरे नहीं हैं। वह कल ही मेरे पास रोता हुआ आया। 1.5.1960 को वह सर्विस लगा, लगभग चालीस साल सर्विस की और लगभग 15 महीने हुए उसे रिटायर हुए। 15 महीनों से उसको न पेंशन मिल रही है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न उसका जी.पी.एफ. उसको मिला। पेंशन का कोई लाभ नहीं मिल रहा उसको। आदेश दिनांक 1.9.1972 के तहत वह नियमित हो गया। एईएन. ने नियमित करने का आदेश निकाल दिया,

(16.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक्स.ईएन. ने नियमित करने का आदेश निकाल दिया। उसका नाम है बहादुर सिंह शेखावत, बड़े दुःखी होकर कल उसने मुझे बताया कि अगर मेरे साथ कोई न्यायसंगत निर्णय नहीं हुआ-उसने कम से कम 15-16 पत्र चीफ इंजीनियर और सचिव महोदय को लिखे हैं। बहादुर सिंह शेखावत एक कर्मचारी है जो हमारे अलवर में ड्राइवर था, इस समय वह चूरू में, अपने गांव में चक्की चला रहा है, 15-17 पत्र लिखने के बाद भी कार्यवाही करना तो अलग बात है, कार्यवाही तो चीफ इंजीनियर और सचिव महोदय ने की नहीं, सिंचाई विभाग ने की नहीं, उलटा उसको उत्तर भी उस पत्र का नहीं दिया। ऐसे लगभग डेढ़-दो हजार कर्मचारी हैं जिनको यह प्रताड़ना मिल रही है। इस कर्मचारी को नियमित किया गया और नियमित करने का जो उसने लाभ लिया सिंचाई विभाग से, अब उसको एक पत्र मिला है कि आपकी तनख्वाह में से पेंशन की बजाय, वह रिकवरी करके काटा जायेगा। 1.9.1972 को नियमित करने के बाद में ऐसे मजदूरों को तड़पा-तड़पा कर आपके राज में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके शासन में जैसे कीट-पतंगों को मारा जाता है, तड़पा-तड़पा कर, उसका गला घोंट कर इन मजदूरों को आप मारना चाहते हैं। यह आपका प्रशासनिक ढांचा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक शेर और सुनाऊंगा। हमने तो रो-रो कर आसुंओं से टब भर दिये और यह राज्य सरकार के लोग इतने + + + निकले कि उसमें नहा कर चल दिये। उपाध्यक्ष महोदय,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

यह प्रशासनिक ढांचा और श्रमिकों, मजदूरों और कर्मचारियों के साथ जो अन्याय है, इसके साथ एक अन्याय और है।

श्री आर. पी. शर्मा : सच्चाई को बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आर. पी. शर्माजी, आपकी बात भी कह रहा हूं। आप तो रखते नहीं हैं भरतपुर की बात, मैं रख रहा हूं अलवर, भरतपुर की बात। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, कर्मचारियों के साथ अत्याचार हुआ, वैसे ही मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। करोड़ों-अरबों रुपयों की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं चाहे कमला सोम अम्बा हो, माही हो, राजस्थान नहर हो या दूसरी बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हों-पूरी सूची पढूंगा तो बहुत समय जायेगा, चूंकि मुझे समय की सीमा है, इसलिए पूरी सूची मैं पढ़ना नहीं चाहता-चाहे कोई बहुद्देशीय परियोजना हो, बांध सुरक्षा हो, वृहत् परियोजना हो, चाहे मध्यम परियोजना हो, चाहे लघु परियोजना हो, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, करोड़ों नहीं अरबों रुपयों की योजनाएं पश्चिमी राजस्थान में चल रही हैं, दक्षिणी राजस्थान में चल रही हैं, उत्तरी राजस्थान में चल रही हैं, लेकिन क्या अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली ये जिले आपके सौतेले बेटे हैं? माननीय देववाणी संस्कृति मंत्री महोदया, सिंचाई मंत्री महोदया, ये क्या आपके सौतेले बेटे हैं। यहां कोई प्रोजेक्ट नहीं? स्टेट टाइम के जो 52 बांध राजा ने बनाये थे, लगभग 23 बांध भरतपुर स्टेट ने बनाये थे, वे अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनका मेंटीनेंस भी आप नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अलवर के महाराजा ने आजादी से पूर्व बनाया था जयसमंद बांध, सीलीसेढ़ और मंगलानसर या दूसरे-दूसरे बांध, उनकी नहरें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। सिंचाई का कोई इस समय साधन नहीं है, बड़ी कठिनाई आ रही है। वहां कोई प्रोजेक्ट आप नहीं खोल रहीं, कोई पैसा आप अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में नहीं लगा रहीं। माननीय मंत्री महोदया, ये जो पांच जिले पूर्वी राजस्थान के, यह ब्रज का क्षेत्र है, यह भर्तृहरि की तपस्या स्थली है। यह हमारी धरती है पांडवों के अज्ञातवास का स्थान, पांडवों का 13 वर्ष और डेढ़ वर्ष मिलाकर अज्ञातवास का स्थान। यह पवित्र भूमि है जहां पर सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहां आज राजस्थान में टाइगर उपलब्ध हैं बहुत बड़ी संख्या में, और भी बहुत सारे जीव-जन्तु उपलब्ध हैं। ऐसी धरती जो पौराणिक है, ऐसी धरती जो ऐतिहासिक है, ऐसी धरती जो श्रीकृष्ण की है, ब्रज भूमि है, ऐसी धरती को आप क्या सूखा रखना चाहती हैं? आप कोई प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग से वहां खोलना नहीं चाहतीं, आप किसी प्रकार की कार्यवाही भरतपुर, अलवर, धौलपुर में करना नहीं चाहतीं। मैंने जितनी भी आपकी बुक्स देखी हैं सिंचाई और सिंचित क्षेत्र की, उनमें अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। यहां तक कि यमुना नहर का पानी जो माननीय भैरोंसिंह जी ने प्रयास किया था, उस यमुना नहर के पानी के बारे में भी आपकी ओर से कोई योजना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चाहूंगा कि ये वे जिले हैं जो हमेशा हरा-भरा आप देखते हैं। ये वह जिले हैं जो पूरे राजस्थान की भूखी मरती हुई भेड़ों को चराते हैं। ये वे जिले हैं जो पूरे राजस्थान के जानवरों को, गौवंश को, बाकी ऊंट और सब जानवरों को चराते हैं। ये वे जिले हैं जो आपके जानवरों को तूड़ा भेजते हैं। ये वे जिले हैं जो राजस्थान को अनाज की सप्लाई करते हैं। ये पांच जिले हैं, उन जिलों को आप बिना सिंचाई के रखना चाहते हैं? मंत्री महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूर्वी राजस्थान के बारे में सोचें अन्यथा ऐसा नहीं हो कि पूर्वी राजस्थान के विधायकों को मिलकर कोई बहुत बड़ा आन्दोलन या संघर्ष करना पड़े। बोलिये, आर.पी. शर्माजी, आप सहमत हैं कि नहीं हैं? सहमत हैं? ठीक है। इसमें तो कम से कम सहमति हुई पक्ष-विपक्ष की। मेरा निवेदन बिलकुल मार्मिक है, मेरा निवेदन बहुत सम्वेदनापूर्ण है, आप इसको देखें।

मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, अपने क्षेत्र की बात रख कर खतम करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र रामगढ़ में छोटे और बड़े आठ बांध हैं। उनमें एक है आतरिया बांध। वैसे कल कृषि पर बोलूंगा आतरिया बांध के बारे में, वहां बहुत बड़ा अतिक्रमण हुआ है। आतरिया बांध पर पहले बी.जे.पी. के समय लगभग तीन करोड़ रुपये का मेंटीनेंस का काम हुआ, उसके बाद में कोई भी मेंटीनेंस का काम नहीं। उसकी नालियां और जो उसकी नहरें निकल रही हैं, इस समय जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं उसी के पास एक चैक डैम बना सुनेला में और अजगण में नहर बनी, उसमें आठ लाख में से अगर एक लाख भी लगा हो। आपके शासन में यह हुआ, चूंकि बी.जे.पी. शासन जा चुका था। इसके साथ में एक छोटा-सा (व्यवधान) बी.जे.पी. शासन जा चुका था उसके बाद के घोटाले हैं।

एक है घोली का बांध, कंसखाल। घोली का बांध, आतरिया का बांध, पिपरोली का बांध, इन तीन-चार बांधों का पानी जब टूटता है वहां फ्लड बहुत बड़ी मात्रा में आता है। आपके राज में तो फ्लड आया ही नहीं। इस पर भी मुझे एक शेर याद आया, वह मैं जरूर सुनाऊंगा। हमारे समय में तो बाढ़ आई, पानी बहुत आया, लेकिन आपके समय में ? क्यों देते हो आश्वासन, माननीय मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, क्यों देते हो आश्वासन, क्यों बोलते हो + + + देखो तुम्हारे राज में पड़ गया अकाल, ईश्वर भी तुमसे गया है रूठ।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न बहुत अब, माननीय सदस्य। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में दो शब्द निवेदन कर दूं।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : शेर के बाद बात समाप्त हो जाती है।

श्री रतना राम चौधरी : आप रामजी के नाम से + + + बोले, पूरे देश को धोखा दिया। रामजी के नाम से वोट प्राप्त करके रामजी को धोखा दिया गया और आप हमारी सरकार को + + + बोलने की बात कहते हो। आप तो रामजी को धोखा कर गये, रामजी के मन्दिर का धोखा कर गये और पूरे देश से धोखा कर गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जमा नहीं। + + +

डा. किरोडीलाल : शेर में कहो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : देखो, माननीय सदस्य राजेन्द्र जी, कानून बनकर जिसकी इबादत खुदा करे, वह शमां क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रोशन तो हो ही नहीं। अगर कुछ कहना है मेरी तरह मूंझों वाले माननीय सदस्य, तो कहिये शेर, नहीं तो हो गये सियार आप। या तो शेर बोलिये, नहीं तो हो गये सियार।

श्री रतना राम चौधरी : हम न तो कभी सियार की भाषा बोलते हैं और वास्तविकता से हट नहीं सकते। आप अपने-आपको शेर समझ रहे हैं लेकिन लोग शेर कहेंगे तब शेर मानेंगे, इसलिए अपने-आपको शेर मत मानो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोलना नहीं जानते आप। ऐसा है, नहीं बोलना जानते तो बैठ जाइये आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये बोलना ही नहीं जानते तो इनको खड़ा नहीं होना चाहिए। रामगढ़ में इसी प्रकार से_

श्री रतनाराम चौधरी : बोलना नहीं जानते तो आपकी तरह हम फालतू की + + + करना जानते है ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं बोलना जानते तो क्या आपकी मेहरबानी से यहां आये हैं क्या ? मैं यहां आपकी मेहरबानी से आया हूं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं और ये बीच में खड़े होकर धमका रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि + + + करना चाहते हैं।

श्री रतना राम चौधरी : क्या है, यह क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

डा. किरोड़ीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सामने वाला शेर बोलने पर आप सदस्य को धमका रहे हैं, यह गलत बात है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्लीज सिट डाउन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, साहब, मेरा निवेदन यह है कि + + + शब्द इनके मुंह से मैं निकलवाना चाहता था वो निकल गया। + + + ही करते हो और कुछ करते आप नहीं हो।

श्री रतना राम चौधरी : ऐसा है, यह फर्जी मूंछ बना कर आये हो। क्यों सफेद को काली करके आये हैं, इसमें भी फर्जीपना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मूंछो की लड़ाई हो रही है यहां पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा मेरी + + + मर्जी, करूंगा जो मेरी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, कम से कम आप उनकी सफेद मूंछों का तो खयाल करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, ठीक है, साहब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये इनकी मूंछों के आगे अपनी मूंछे उखाड़ कर रख दें क्या? क्या खयाल रखें, बताइये आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, पारीक साहब, वो आज आये नहीं मेरे दोस्त जगत, मेरे जिले के आपको मनुवादी कहते, आप क्या जवाब देंगे, बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आहूजा जी, बहुत लोग बोलने वाले हैं, समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह भी सुन कर खूब अच्छा लगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बस दो मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अतरिया बांध, पिपरोली बांध, भोली बांध और इसके साथ में कंसखाल है, जिसके कारण लगभग डेढ़ हजार बीघा जमीन बरबाद हो गयी और 6 हजार बीघा जमीन भी कटती जा रही है। पानी बहुत आने का है। मैं इतना ही माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इन बांधो की देख-रेख हो। उसके लिए लिख कर भी इर्रिगेशन के माननीय अधिकारियों को दिया है कि उस पर एनीकट बनाया जाये। एक एनीकट बनाया है जिस पर लगभग 40 लाख लगाये। शायद वहां पांच लाख भी लगे नहीं हैं, उसकी पूरी जांच हो। जो एनीकट ललावंडी गांव के पास कंसरवाल बना है उसकी जांच हो, साथ में इन बांधों पर मेंटीनेंस हो, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं संक्षिप्त शब्दों में। जयहिन्द, जयभारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमर सिंह ब्रांच में पानी कम होने के बारे में मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ढाई साल से भयंकर अकाल की चपेट में है और पानी की भी कमी आयी है। इसके बारे में आपने सरकारी तौर से एक नोटिस भेज कर एम.एल.एज. को और काश्तकारों को भी बताया और वर्ष 2001 के लिए जल वितरण समिति की बैठक में दिनांक 15.1 को यह जानकारी दी गयी कि पोंग बांध में जल की

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

मात्रा कम उपलब्ध होने के कारण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के लिए रबी के लिए समस्त नहरों को चार ग्रुपों में विभक्त कर एक ग्रुप में ही जल उपलब्ध हो जाएगा। सीमित जल के बारे में आपने बता दिया था इसलिए काश्तकारों द्वारा भी पानी न होने के कारण जींस नहीं बीजी गयीं। उसके बावजूद भी वहां किसानों के ऊपर मामला लगाया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि खेती ट्यूबवैलों से पकायी गयी और उस पर आबियाना लगा दिया गया। बिजली इतनी महंगी हो गयी, बिजली का बिल ही इतना आता है कि किसान उस पैदा से अपने बिल जमा नहीं करा पाते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस आबियाने के पैसे को वापस लेने का कष्ट करें।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अमर सिंह ब्रांच जो भादरा से नोहर की टेल भुखरका तक आती है, उसमें से सिल्ट नहीं निकालने के कारण से पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमेशा ही काश्तकारों को परेशानी उठानी पड़ती है। ढाई साल में तो सिल्ट निकली नहीं, अब अगर निकलवा दें तो किसान को पानी मिल सकेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं अमर सिंह ब्रांच के अन्दर पक्के खाले बनाने के बारे में बताना चाहती हूं कि वहां कच्चे खाले होने के कारण बीच में ही पानी सुस जाता है, टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। सिंचाई प्रणाली के अभाव में बुरी तरह से जो माइनर प्रभावित हैं, वहां पानी नहीं पहुंच पाता। इस प्रश्न को लेकर भी किसान वर्ग में बहुत बड़ा असंतोष है।

नोहर फीडर और सिद्धमुख कैनाल के बारे में भी बताना चाहती हूं कि नोहर फीडर और सिद्धमुख कैनाल बन कर तैयार हो गयी है, अब तो केवल हरियाणा के अंदर बीच का भाग बनना बाकी रहा है, वह भी मई के लास्ट तक बन कर पूरा हो जाएगा। उसके अन्दर भी समय रहते हुए चकबंदी करवा कर अगर सी.ए.डी. से पक्के खाले बनवाना चालू कर दें तो अमर सिंह ब्रांच की तरह उसकी बुरी हालत नहीं हो। समय रहते ही काश्तकारों के लिए यह योजना बनायी जानी चाहिए। काश्तकार पैसा खालों का दे देंगे टाइम पर। इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए।

मैं आपको साहवा लिफ्ट कैनाल के बारे में बताना चाहती हूं। नीमला माइनर व लेगा माइनरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम चिराना, नीमला, खुड्या, कोलासर, सुरजनगर, रानीसर, बाछूसर, मावलदेसर, नरनऊ और कानसर, श्रगंसर, धानसिर, मंगरपुरा के गांव पिछले वर्ष भी अकाल की चपेट में थे और अबकी बार भी अकाल की चपेट में हैं इसलिए इन गांवों में पक्के खाले बने हुए हैं, 38 किलोमीटर की एक लिफ्ट से माइनर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ दें तो लोग पशुधन को बचा सकते हैं और चारा उगा सकते हैं। किसान इससे बच सकता है। इसी तरह से साहवा लिफ्ट कैनाल के चांदड़ी और हमीरदेशर माइनर में भी मात्रा बढ़ाने के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि इन माइनरों में सवा क्यूसेक्स पानी चलता है जो

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

इस अकाल में सिंचाई व पेयजल हेतु कम पड़ेगा है। इस मात्रा को बढ़ाकर तीन क्यूसेक्स कर दिया जाए तो वहां का किसान बच सकता है, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं व्यास परियोजना में राजस्थान का हिस्सा सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में बताना चाहती हूं, खोसला समिति की सिफारिश किये जाने के सम्बन्ध में बताना चाहती हूं कि खोसला समिति का सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने इस परियोजना के यूनिट में राजस्थान का इरिगेशन कंपोनेंट 15 प्रतिशत निर्धारित किया था। इस यूनिट में राजस्थान ने बहुत बड़ी धनराशि भी लगायी, लेकिन यह पानी की मात्रा सिंचाई हेतु हमें नहीं मिल रही है। इस पानी का उपयोग हम नोहर-भादरा तहसील के बारानी क्षेत्र में बखूबी कर सकते हैं। निर्धारित मात्रा के अनुसार लगभग 1350 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए था क्योंकि यह भारत सरकार ने तय किया था। नोहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के लिए अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार भाखड़ा-नांगल कांट्रेक्ट नं. 3 से 286 क्यूसेक्स एवं कांट्रेक्ट नं. 4 से 205 क्यूसेक्स, इस प्रकार कुल 491 क्यूसेक्स नया पानी, कांट्रेक्ट नं. 5 पर 240 क्यूसेक्स एवं 6 पर 600 क्यूसेक्स इस प्रकार 5 व 6 पर 840 क्यूसेक्स मिलता है। 491 क्यूसेक्स राजस्थान ने अपना शेयर डाइवर्ट भी करवाया है। शेष पानी यूनिट-I का 1350 क्यूसेक्स में से 449 क्यूसेक्स ले लिया गया है, इस प्रकार 1350, 349, 101, क्यूसेक्स पानी हमारा शेयर और बचता है जो लिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अन्तरराज्यीय जल समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार ने जो निर्णय 15 जनवरी, 1982 को जारी किया उसके अनुसार हमें इस सिंचाई परियोजना के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। यह राजस्थान के हिस्से का प्रश्न है, कहीं अपन अपना वाजिब हक नहीं छोड़ दें या अन्य राज्य इसे हड़प नहीं जाए इस हेतु पूर्ण प्रयास करने की जरूरत है। हमारा वाजिब हिस्सा जो भी अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार निर्धारित है, हमको सम्पर्क बिन्दुओं पर निश्चित तौर से मिले। नोहर-भादरा तहसील की धरती को यह पानी मिल सके, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 और 22 के सम्बन्ध में मैं अपने को सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग की बात करने से पहले हमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति सिंचाई के सम्बन्ध में समझनी होगी। जहां भारत में 32 लाख 76 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि हैं, उसमें राजस्थान में 3.42 लाख किलोमीटर भूमि पाई जाती है, जो पूरे भारत का लगभग 10.45 प्रतिशत है। सिंचाई क्षेत्र में अगर देखे तो राजस्थान में भारत की सम्पूर्ण सिंचाई सुविधा का लगभग एक प्रतिशत पानी ही हमको मिलता है। जो हमारी भूमि है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें केवल 9.9 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य भूमि है और उसमें से भी मात्र 32 प्रतिशत क्षेत्र ही हम सिंचित कर पाये हैं।

(श्री आर. पी. शर्मा)

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई का सीधा सम्बन्ध किसानों से है, प्रदेश के विकास से है, प्रदेश की गरीबी मिटाने से है। इसलिए हम आज की उदारीकरण की नीति के हिसाब से भी सोचे तो सिंचाई का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हम साइंस एण्ड टैक्नोलोजी में तो इतने आगे नहीं है, हिन्दुस्तान का ट्रेडिशनल सोर्स आफ इनकम माने, चाहे ट्रेडिशनल जरिया माने, वह केवल कृषि है। राजस्थान में भी कृषि है। आज भी 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तम कृषि के लिये जरूरी है उत्तम खाद, बीज, बिजली और पानी। इन सब में भी पानी को महत्वपूर्ण पाते हैं। और जहां पानी की कमी हो वहां तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है।

हमारे देश की आजादी के बाद, राजस्थान प्रदेश के बनने के बाद हमारे कर्णधारों ने, नेताओं ने इसमें दो राय नहीं है कि प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किये। हमारी प्रथम योजना कुल 54 करोड़ रुपये की थी उसमें सिंचाई के लिये 31 करोड़ रुपये का प्रावधान था। कांग्रेस की जो सरकार शुरू-शुरू में बनी, जैसा मेरे एक साथी कह रहे थे कि आजादी के बाद इस प्रदेश को हम कैसे तरक्की की ओर ले जाएं, कैसे हम किसानों की गरीबी दूर करें, किसानों को आगे बढ़ाएं, उसके लिये अगर कोई महत्वपूर्ण काम सिंचाई के क्षेत्र में किया गया है तो वह कांग्रेस की सरकार के समय जिन्होंने फाइव ईयर्स प्लान के माध्यम से महत्वपूर्ण राशि खर्च करके भी सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जैसा मैंने कहा, प्रथम योजना 54 करोड़ रुपये की थी उसमें 31 करोड़ का सिंचाई के लिये प्रावधान किया गया जो लगभग 58 प्रतिशत होता है। उसी तरह से द्वितीय योजना जो लगभग 102 करोड़ रुपये की थी, उसमें लगभग 28 करोड़ रुपया सिंचाई पर खर्च किया गया जो 27 परसेंट होता है। इसी तरीके से तृतीय योजना 212 करोड़ रुपये की थी जिसमें 88 करोड़ रुपये खर्च किये गये जो लगभग 41 परसेंट होता है। सिंचाई क्षेत्र में इतना काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बहुउद्देशीय और अन्तरराज्यीय जल सिंचाई योजनाएं हैं जिसमें माही योजना, चम्बल योजना, रावी-व्यास योजना, भाखड़ा-नांगल योजना महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इन योजनाओं में महत्वपूर्ण काम कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ा। फाइव ईयर प्लान में हमने केवल बहुउद्देशीय वृहत् जल सिंचाई योजनाओं को ही हाथ में नहीं लिया बल्कि हमने मिडियम योजनाएं और स्माल योजनाएं भी हाथ में ली। बहुउद्देशीय योजनाओं के अन्तर्गत आई.जी.एन.पी. राजस्थान की बहुत बड़ी योजना थी....(व्यवधान) आई.जी.एन.पी., नर्मदा, सिद्धमुख ये कई योजनाएं हैं जिनके ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी ने फाइव ईयर प्लान के माध्यम से खर्चा करके कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है।

(श्री आर. पी. शर्मा)

जैसा मैंने अभी कहा, राजस्थान में केवल 9.9 परसेंट भूमि ही कृषि योग्य है, 61 परसेंट भूमि रेगिस्तान से प्रभावित है। रेगिस्तान से प्रभावित एरिया लगभग 2/3 होता है उसमें बरसात की अनिश्चितता रहती है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने फाइव ईयर्स प्लान में सिंचाई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हाथ में लेकर निश्चित रूप से बड़ा कदम उठाया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जहां जनसंख्या बढ़ रही है, उदारीकरण के कुप्रभाव की वजह से वहां आज हमको एक-एक बूंद पानी के लिये तरसना पड़ता है, सिंचाई के क्षेत्र में सरकार काम करें; बहुत जरूरी है। उसकी वजह से 2001-2002 के बजट को आप देखेंगे तो पहली बार पिछले वर्ष के मुकाबले 26 परसेंट अधिक राशि 271 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि आपको मालूम है कि हम अकाल से पीड़ित हैं। फिर भी सिंचाई का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, सिंचाई के क्षेत्र में हम तरक्की करें, किसानों की तरक्की हो उसके लिये इस बजट में भी 271.80 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वह पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 26 परसेंट अधिक है। इसके साथ-साथ कोटा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने के लिये चम्बल एरिया में पैसा लगा है, खालों के निर्माण के लिये भी पैसे का प्रावधान किया गया है। इसके साथ हर गांव में जो परम्परागत सोर्स है जैसे पोखर, तालाब, उनके पुनः सुदृढ़ीकरण के लिये, उन्नयन के लिये भी इस सरकार ने 58 करोड़ रुपये की एक बहुत महती योजना बनाई है जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपये तो इसी वर्ष व्यय होना प्रस्तावित है। मैं कहना यह चाहता हूं कि राज्य की सरकार चिंतित इस बात से है कि हम किस तरह से इस प्रदेश की तरक्की के लिये काम करें, इस प्रदेश का आधारभूत ढांचा मजबूत बनाएं।

चूंकि समय का अभाव है जैसा कि हमारे मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं, मैं आज के इस मौके पर भरतपुर के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। भरतपुर क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, वहां के किसान मेहनती हैं, वहां की जमीन उपजाऊ हैं। जैसा कि रामगढ़ से आने वाले विधायक कह रहे थे इसमें कोई दो राय नहीं है कि भरतपुर और अलवर इन दो जिलों को अगर हम कृषि के क्षेत्र में सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध करा दें तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम पूरे राजस्थान को चाहे अकाल हो, चाहे सूखा हो, खाने का अन्न देंगे, चारा देंगे और राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से गरीबी को भी दूर करने में सक्षम होंगे। आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि भरतपुर का जो धरातल है वह एक कटोरी की तरह बसा हुआ है। बाण गंगा नदी जयपुर से निकलती है, करौली क्षेत्र से गम्भीरी नदी और अलवर से रूपारेल नदी निकलती है, रियासत के राजा-महाराजाओं ने सिंचाई सिस्टम को इस ढंग से बनाया था कि इन तीनों नदियों के पानी का बाढ़ के समय में पेयजल हेतु और सिंचाई हेतु मैक्सिमम यूज करें। श्रेणीबद्ध तरीके से बांध बने, उन बांधो पर नहरें बनाई गई। 15 जून से जब तक बरसात होती है, 15 सितम्बर तक इस पानी को स्टोर किया

(श्री आर. पी. शर्मा)

जाता था विभिन्न बंधों के माध्यम से, विभिन्न नहरों के माध्यम से। स्टोर करने के बाद पिलावन सिस्टम के माध्यम से भरतपुर जिले की कृषि के क्षेत्र में लगभग 61 हजार हैक्टेयर भूमि का सिंचित करते थे। हम जानते हैं कि भरतपुर में कोई अलग से नहरें नहीं थीं, फिर भी बढ़िया सिस्टम था लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा कि भरतपुर के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया। करौली से पानी निकलता था, गम्भीरी नदी का पानी पांचना बांध में रोक दिया। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी बहुत बड़ी साजिश भरतपुर के साथ की जा रही है। महावीरजी के ऊपर एक एनीकट बनाकर गम्भीरी नदी के पानी को रोकने की प्लानिंग की जा रही है। उसके साथ ही बाणगंगा का जो पानी है रामगढ़ बांध पर, उसको रेंज में ऊंचा उठाकर पानी को रोकने की योजना बनाई जा रही है। उसी के साथ-साथ एनीकट बनाकर बाण गंगा के तले पर भी भरतपुर के पानी को रोकने की योजना बनाई जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह योजना बनाई गई तो भरतपुर के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। जो क्षेत्र बिना किसी सहायता के तरक्की कर सकता है, वह तरक्की तो हमारी रुकेगी नहीं लेकिन इसमें भरतपुर के किसानों का दुर्भाग्य होगा। इसमें दो राय नहीं कि हमारे पूरे किसान संघर्ष भी करें तो कोई ताज्जुब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भरतपुर के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। रूपारेल नदी जिसका पानी अलवर से निकलता है, उस घाट-कुठाठा पर भी एक बांध बनाकर उस पानी को रोकने की प्लानिंग की जा रही है।

एक वैपकोर्स नामक संस्था है, इस बाढ़ के सिस्टम को भरतपुर, अलवर में कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए पिछली भाजपा सरकार के समय दो करोड़ में उस संस्था को ठेका दिया गया। उस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रपोज किया कि भरतपुर में बाढ़ को रोकने के लिए अलवर में घाट-कुठाठा में बंध बनाकर बाढ़ से बचाया जा सकता है। हमें बाढ़ की परवाह नहीं है, बाढ़ भरतपुर के लिए रामबाण हैं, लेकिन उसमें क्या सुझाव दिया है कि गंगा-यमुना का पानी मिलेगा तब जाकर हम इसको कम्पनसेंट कर देंगे। जैसा अभी सुराणा साहब कह रहे थे, इसमें दो-राय नहीं है कि जिस प्रदेश से नदी बहती है उस प्रदेश का पूरा कब्जा उस पानी पर होता है। वह दूसरे प्रदेश को पानी दे, यह बहुत मुश्किल है। इसमें कोई दूसरी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। पुरानी कहावत है गांव में कहते हैं कि हमारे घर गोदी में बच्चा खेल रहा है, हम पेट की नहीं सोचेंगे। हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे हमें उपलब्ध करायी जाएं। हमें जरूरत नहीं गंगा-यमुना का पानी कब मिलेगा, लेकिन बिलकुल नैचुरल फ्लो आफ वाटर है उसको मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हैं, उसका मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, भरतपुर के सिस्टम्स के सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास तीन प्रोजेक्ट हैं-एक तो गुड़गांव मेन कैनाल है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए छह करोड़ रुपए

(श्री आर. पी. शर्मा)

की योजना प्रस्तावित है। उसके साथ-साथ हमारे पुराने बांध, क्योंकि एक 1977 में बाढ़ आयी थी उसके बाद 1995-96 में बाढ़ आयी। जल प्लावन योजना, भरतपुर इनन्डेशन सिस्टम जो है उसमें 1977 के बाद 1995 और 1996 में बाढ़ आयी है जिसमें लगभग हमारे 337 बांध हैं-157 इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास हैं, 86 बांध पंचायत समितियों के पास हैं और 53 बांध हमारे जागीरदारों के पास थे वे खतम हो गये, उन बांधों की आज हालत बहुत खराब है। इसके साथ-साथ हमारी नहरें टूट गयी हैं। इन सबके सुदृढ़ीकरण के लिए 1108 लाख रुपये की एक योजना भेजी हुई है। मैं इस मौके पर निवेदन करूंगा कि उस योजना को स्वीकृत कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से भरतपुर में पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या भी हल हो जाएगी।

इस मौके पर मैं जिक्र करना चाहूंगा यमुना वाटर के सम्बन्ध में। स्वर्गीय राज बहादुरजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका एक सपना था कि भरतपुर में गंगा-यमुना का पानी मिले। उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद 1956 से 1960 में हमारी भरतपुर फीडर का निर्माण हुआ, 1966 से 1970 तक गुड़गांव कैनाल का निर्माण हुआ। उसके बाद यह योजना बिलकुल ठप्प हो गयी। 12-5-1994 में एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत भरतपुर को 1.119 मिलियन क्यूसेक्स पानी मिलने का तय हुआ। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि वह पानी भी हमको नहीं मिला। आज इस सदन में मैं किसी की बुराई नहीं करता लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे, यह समझौता 12.5.94 को हुआ, 28 अप्रैल, 1995 को जाते हैं, डीग में जाकर घोषणा करते हैं कि यमुना के बाद अब गंगा का पानी भी मिलेगा। आप देखिये, वहां बड़े लम्बे-चौड़े, गीत बाजे हुए बड़े जोश से गये। वहां जाकर घोषणा करते हैं कि यमुना का नहीं, गंगा घाट का पानी मिलेगा। वहां जाकर उन्होंने थोथी घोषणा की, उसके बाद भी पानी नहीं मिला। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके पर हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को और माननीय कमलाजी को कि इन्होंने कोई घोषणा नहीं की, आज से तीन दिन पहले पहाड़ी में जाकर गंगा के पानी का उद्घाटन किया जो आज भी मिल रहा है।

मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमारे रामगढ़ के विधायक बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता क्योंकि दोनों पक्षों की बात मैं कहना चाहता हूं। यह नहीं कि कांग्रेस का मामला है या बी.जे.पी. का मामला है, जो अन्तरराज्यीय जल समझौते राजस्थान के हुए हैं चाहे वह भाखड़ा का मामला हो, व्यास का मामला हो, चम्बल का मामला हो, माही का मामला हो, आज जरूरत इस बात की है कि अगर हम वास्तविक रूप से राजस्थान की जनता के हितैषी हैं जिस परपज से जनता ने हमें जिता कर भेजा है उसके लिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अन्तरराज्यीय जलों पर राजस्थान का जो हिस्सा है उसके लिए हर स्तर पर एक-दूसरे की मदद करें। मैं सुराणा साहब की इस बात की तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने

(श्री आर. पी. शर्मा)

बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमको पानी नहीं मिले तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो राजस्थान के हित के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता। अगर हम आज पानी के लिए सोचते रह गये तो समय निकलने के बाद समय किसी के पास नहीं रहता। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि हमें जागरूक होना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हमें अन्तरराज्यीय जलों में पूरा हिस्सा मिले। उसके साथ-साथ हम प्रशासन पर भी इस बात की पकड़ रखें, आज वाटर मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। श्री प्रताप सिंहजी।

श्री आर. पी. शर्मा : केवल सिंचाई के सम्बन्ध में नहीं, वाटर का मैनेजमेंट हो, उसके लिए हमको कारगर—

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री आर. पी. शर्मा : एक मिनट, दो चीज और कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत मिनट हो गये आपको, अब समाप्त कीजिये। श्री प्रताप सिंहजी।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री आर. पी. शर्मा : जैसा मैंने कहा कि 1977 में बाढ़ आयी फिर 1995 और 1996 में बाढ़ आयी। बाढ़ का एक्स्ट्रा वाटर किसानों के खेतों में गया, उसके लिए राज्य सरकार आबपाशी ले रही है, उसके लिए सिंचाई मांगती है। जब पानी कम होता है, पानी मिलता नहीं है। पानी ज्यादा होता है, किसानों के खेतों में जाता है जो खेत सिंचित नहीं हैं, जिनका कोई रिकार्ड भी नहीं है, लेकिन बाढ़ की वजह से एक्स्ट्रा वाटर जो वहां गया है उसकी वजह से किसानों से जो पैसा वसूला जा रहा है, उसे बन्द किया जाए।

इसके साथ ही साथ भरतपुर के विकास के लिए मैंने आपसे कहा, बहुत कम पैसे से हमारी भरतपुर की सिंचाई सुविधाएं ठीक हो सकती हैं, उसके लिए भी आप अतिरिक्त धनराशि देकर सहयोग करें, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सतही जल की कुल मात्रा 158.60 लाख एकड़ फीट का उपयोग निम्न प्रकार किया जाना प्रस्तावित है :—

प्रस्तावित, निर्मित या निर्माणाधीन योजनाओं द्वारा 52 प्रतिशत प्रस्तावित चिन्हित योजनाओं द्वारा जिन्हें निर्मित किया जाना शेष है 29 प्रतिशत, योजनाएं जिन्हें चिन्हित किया जाना शेष है 19 प्रतिशत। इसमें 35 से 40 प्रतिशत पानी हाड़ौती की नदियों का बह कर बेकार जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पचास सालों से सिंचाई योजनाओं के मामले में हाड़ौती के साथ अन्याय हो रहा है। हाड़ौती क्षेत्र में बहने वाली चम्बल और उसकी दूसरी सहायक नदियों के पानी का उपयोग कैसे हो, उसके लिए अभी तक कोई

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

सार्थक प्रयास नहीं किये गये हैं। हाड़ौती की नदियों पर तीन बड़ी, तेरह मध्यम और 351 लघु सिंचाई परियोजनाओं पिछले 25 वर्षों से चिन्हित होने के बावजूद भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह हाड़ौती के किसानों के साथ अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई बार सिंचाई के लिये मास्टर प्लान बनवाये लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। सिर्फ प्लान बनाने पर ही जनता का धन बरबाद करते रहे। मेरे क्षेत्र की बेहतरीन परियोजनाओं के लिए इस वर्ष 6 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्रीजी अपने जवाब में बताएं कि इसका काम कब पूरा हो जाएगा, कब पूरा होना था तथा किसानों को इसका लाभ कब तक मिलने लगेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की दो और माइनर स्कीम्स उतावली और कलिया जिसका काम अधूरा पड़ा है, काफी दिनों से बन्द हैं। मैं मंत्री महोदया से यह भी चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देकर इन लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य जिन पर सरकार का काफी रुपया खर्च हो चुका है, शीघ्र चालू कराएं ताकि क्षेत्र के किसानों को इसका फायदा मिल सके। इसी प्रकार झालावाड़ जिले की छापी परियोजना 23 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है, उसकी तरफ भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें।

सरकार तो राज्य में सतही पानी कम होने का नाम लेकर लोगों की सहानुभूति बटोर रही है, लेकिन हकीकत में प्रशासन के गैर जिम्मेदार एवं नाकारा होने की वजह से आज मध्यम सिंचाई परियोजनाएं दस से पन्द्रह वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। इस कारण इन योजनाओं की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है जिस पर हमारे राज्य पर अधिक भार पड़ा है। मैं चाहूंगा कि इन योजनाओं में क्यों देरी हुई, इनके कारणों का पता लगाकर किसी न किसी की लायबिलिटी फिक्स करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में उपलब्ध पूर्ण सतही पानी के उपयोग से लगभग 50 लाख हैक्टेयर सिंचाई सम्भावित है जबकि वर्तमान में मात्र 28.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई उपलब्ध हो सकी है। सिंचित क्षेत्र विकास की वर्तमान दर लगभग 0.20 लाख हैक्टेयर प्रति वर्ष है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1950 में जहां राज्य के बजट का 43 परसेंट सिंचाई साधनों को समर्पित था, अब यह घटकर मात्र 8 परसेंट से भी कम रह गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने भी सिंचाई जैसे विभाग को विकसित करने हेतु अपने स्टेट बजट का 20 परसेंट बजट आबंटन की सिफारिश की है लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई साधनों से भूमिगत जल में भी वृद्धि होती है। आज राज्य में लगभग सभी स्थानों पर ग्राउण्ड वाटर नीचे जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भूमिगत एवं सतही जल के उपयोग हेतु एक समन्वित योजना बनानी चाहिए।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सिंचाई विभाग 104 बड़ी और मध्यम तथा 4700 के करीब छोटी सिंचाई योजनाओं का संधारण एवं देख-रेख कर रहा है लेकिन मुझे अफसोस है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इनकी देख रेख एवं इनकी मेंटीनेंस के लिए बजट आबंटन की कोई नीति नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदया का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग का जो प्रगति विवरण है, देखें। उसकी तालिका सात में जहां सृजित सिंचाई क्षमता 28.12 लाख हैक्टेयर दर्शाई है वहीं तालिका आठ में यह 24.26 लाख हैक्टेयर दर्शाई है। इसमें 3.87 लाख हैक्टेयर सिंचाई सृजित आंकड़ों का अन्तर समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करें। इसी प्रकार वास्तविक सिंचाई 17.74 लाख हैक्टेयर बताई है, अतः लगभग 10.39 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में जल प्रबन्धन की अविवेकपूर्ण नीतियों के अनुसार कृषि नहीं हो रही है। मंत्री महोदय जब अपना जवाब दें तो इसके बारे में भी बताये।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से सिंचाई विभाग से सम्बन्धित तीन-चार बातें और प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहूंगा और चाहूंगा कि वे अपने जवाब में इनकी स्थिति स्पष्ट करें। पहला, सरकार आन्तरिक सतही जल के उपयोग हेतु समस्त प्रस्तावित तथा चिन्हित योजनाओं को कब तक पूरा करने का इरादा रखती है? इसकी वर्षवार योजना क्या है?

नम्बर दो, क्या सिंचाई विभाग का वर्तमान संगठनात्मक संगठन जनता तथा सरकार को जल विकास एवं उपयोग की सेवाएं प्रदान करने हेतु सक्षम है? यदि नहीं तो संगठनात्मक पुनर्गठन कार्य कब पूरा कर लिया जाएगा?

नम्बर-तीन, पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

नम्बर-चार, चम्बल की नदियों के बहते पानी के पूरे उपयोग हेतु योजनाएं बनाने हेतु क्या वर्तमान संगठन पर्याप्त है? यदि नहीं तो उचित संगठन बनाकर इन कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? इन बातों का मंत्री महोदय अपने जवाब में उत्तर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-46-सिंचाई पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। बिना भूमिका के मैं बांसवाड़ा जिले में माही बांध परियोजना और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कई अन्य सिंचाई संसाधनों के सम्बन्ध में कुछ बातें बिन्दुवार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

जहां तक माही बांध का सवाल है, महोदय, माही बांध ने बांसवाड़ा के सम्पूर्ण भूगोल को बदल कर रख दिया है, किन्तु आज भी बांसवाड़ा के कई क्षेत्र पानी की प्रतीक्षा के अन्दर आश्वासन में बंधे हुए हैं। आनन्दपुरी सुदूर क्षेत्र जहां हमारे नेता राजीव

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

गांधीजी ने नहर का शिलान्यास किया था, बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस का शासन आने के बाद जो अधूरी नहरें थीं, जो अधूरे काम थे परियोजनाओं के उनके ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया गया। अभी फिलहाल अकाल राहत के अन्तर्गत अधूरी योजनाओं के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। खुशी इस बात की है कि पिछले साल माननीय मंत्री महोदया बांसवाड़ा जिले के दौरे पर थीं उस वक्त माही के उस पूरे सिस्टम को आपने बहुत करीब से देखा, समझा, परखा और जो कमियां और खामियां थीं उनसे भी आप रूबरू हुई थीं। और उस वक्त भी हमारे वहां पर अकाल राहत कार्य चल रहे थे, उन चलते हुए अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो काम माही परियोजना के अन्तर्गत होने चाहिये थे और जो नहीं हो पाये थे, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदया ने सख्त निर्देश भी दिये थे आज हमें इस बात की खुशी है कि माही परियोजना के अधिकांश काम, चाहे नई नहरों की खुदाई का काम हो, डीसिल्टिंग का काम हो, चाहे अन्य कोई छोटे-बड़े माइनर्स के काम हों, धोरों के काम हों, अकाल राहत के अन्तर्गत हो रहे हैं। माही बांध आज अकाल से जूझ रहा है, वहां का पानी अपना पेंदा पकड़ चुका है, किन्तु मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले साल में माही का बांध फिर लबालब भरेगा। हमारा किसान प्रतीक्षारत है। जब उन नहरों में पानी पहुंचेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो किया हुआ हमारा काम है, वह आने वाले समय में हमारे किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के हमारे संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा।

महोदय, मगर मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर जब भी नहरें बनी थीं, उस वक्त जिस सिंचाई क्षेत्र को मानकर, जिस कैचमैंट को मानकर नहरों का मॉडलिंग हुआ था, माही परियोजना के निर्माताओं ने, उसका मॉडल तय करने वाले लोगों ने भी यह तय नहीं किया होगा कि इतनी सारी जमीन सिंचाई के योग्य हो जाएगी। मान्यवर, जहां पर पानी पाया, किसान के खेत आसपास तो जो जमीन कभी उपजाऊ नहीं रही थी, वह जमीन भी आज उपजाऊ बनकर उसके अंदर सिंचाई हो रही है। वे नहरें आज छोटी पड़ने आ गयीं हैं। यहां पर एल.एम.सी. और आर.एम.सी. की स्थिति यह है कि हैड के ऊपर पानी जब लबालब चलता है उसके बावजूद भी टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उसके पीछे कारण है कि हमारी वे नहरें छोटी पड़ गयी हैं। एक एल.एम.सी. रेजिंग का काम, हाथ में लिया भी है मगर मेरा निवेदन है कि उस सम्पूर्ण परियोजना की नहरों का एक बार पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। जहां पर भी रेजिंग की जरूरत है, वहां अगर समय रहते रेजिंग का काम हो जाएगा तो मैं सोचता हूं कि माही बांध के उस सम्पूर्ण पानी की उपयोगिता कहीं हम सिद्ध कर पाएगें। इसलिए मेरा निवेदन है कि रिमॉडलिंग का काम हमारे वहां पर हाथ में लिया जाना चाहिये। एक बिन्दू हमारे सामने वहां पर बार-बार उठ खड़ा होता है प्रश्नचिन्ह बनकर वन विभाग और सिंचाई विभाग का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-सी नहर

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

निकालने का काम भी जब आता है और उसका छोटा-सा भी हिस्सा अगर कहीं वन विभाग के अंदर आता है तो, मान्यवर, उस पूरी नहर का काम बन्द हो जाता है। किसान जिसको अपने पानी की प्रतीक्षा थी, जहां किसान उस नहर का इन्तजार कर रहा था कि वह मेरे खेत तक आएगी, वन विभाग के एक छोटे-से अड़ंगे की वजह से आज लाखों रुपये का काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और किसान उस पानी के इन्तजार में खड़ा हुआ है।

महोदय, ऐसी कई जगह पिन-पाइंटेड मैं आपको बता सकता हूं जहां नहरें भी पड़ी हैं और तालाबों के काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। जहां कुछ छोटी-बड़ी माइनर्स वन विभाग से प्रभावित हो रही है, वहीं पर तालाबों के लिये भी मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। पीपलखूट एरिये के अंदर बोडीबोड भाणघाटी तालाब का निर्माण हो रहा है, लगभग तीन करोड़ रुपया इसके ऊपर स्वीकृत है। किन्तु वन विभाग की वजह से वह काम नहीं हो पा रहा है और वह तालाब अधूरा पड़ा हुआ है। उसकी फाइल भी वन मंत्रालय, दिल्ली में निर्णय के लिये पड़ी हुई है। मैं यह चाहूंगा कि हमारी सरकार और हमारी मंत्री महोदया इस फाइल को निकलवाने में उस क्षेत्र को सहयोग करें।

मैं छोटी-सी बात कमाण्ड और नान-कमाण्ड की फिर करना चाहूंगा, क्योंकि आज फिर परिभाषित करने की जरूरत पड़ गयी है कमाण्ड और नान-कमाण्ड को। कमाण्ड क्षेत्र से हम आते हैं, किन्तु कई एरिये ऐसे हैं जहां नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी उनको न तो हम नहर का पानी दे पा रहे हैं और न उनको नान-कमाण्ड घोषित कर पा रहे हैं। नान-कमाण्ड नहीं होने की वजह से वहां का छोटा-सा किसान दूसरे लाभ जो उसे मिलने चाहिये नान-कमाण्ड के, वह भी नहीं ले पा रहा है। पहली बात तो हम यह कहना चाहेंगे कि परियोजना की नहरें जहां-जहां पर पहुंच सकती हैं, जितनी तेजी के साथ पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमको डिकमाण्ड की बात नहीं करनी पड़े। बल्कि हम चाहेंगे कि माही का पानी उस क्षेत्र तक पहुंच जाएं और हमारे लोगों को लाभ मिले। इस कमाण्ड और नान-कमाण्ड को एक बार मैं, मेरे पास विस्तृत रिपोर्ट है, आज समय नहीं है, मैं मंत्री महोदया को प्रस्तुत करूंगा। किन्तु मेरा निवेदन है कि इस कमाण्ड और नान-कमाण्ड के ऊपर एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा किसानों की तरफ से। मुआवजे की हमारे बड़ी समस्या है। जहां पर नहरें निकली हैं, जहां पर तालाब बने हैं, बरसों से उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि उनको मुआवजा दिलवाइये। हमारे कुछ लोगों ने अगर गति से काम किया, तेजी से काम किया, सरकार से लड़ाई-भिड़ाई कर ली, उन लोगों को तो मुआवजा मिल गया और जो लोग आज भी प्रतीक्षा में हैं और जो लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

निवेदन है कि जो भी वहां पर मुआवजा बाकी है, माननीय मंत्री महोदया, अगर आप इस काम को हाथ में लेंगी तो हमारे वहां के किसानों को बहुत बड़ा भला हो जाएगा। राहत कार्यों के अन्तर्गत बहुत काम हमारे यहां हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमारे यहां पर आनन्दपुरी की मैंने बात कही, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टाइम। विराजो, टाइम बढ़ा रहे हैं टाइम। विराजो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तीन घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : तीन घंटे। सदन का समय तीन घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका जवाब सम्मिलित हैं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

मांग संख्या-22 व 46 पर विचार

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : हमारे मित्र और बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र से विधायक हैं उनकी भी कुछ बात थी, मैं उनकी ओर से कहना चाहूंगा कि भूंगड़ा कैनाल, नरवाली कैनाल, जगपुरा कैनाल और मदनपुरा कैनाल पर लगभग 60-70 प्रतिशत पक्का काम हो चुका है, किन्तु कुछ खर्चे के कारण 30 प्रतिशत-40 प्रतिशत काम बाकी होने से वह सम्पूर्ण योजना अभी अधूरी कही जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन नहरों को जो अधूरी हैं, पूरा कराएं और उस असिंचित क्षेत्र के हजारों किसानों को लाभान्वित करने के लिये प्रयास करें। भूगंड़ा, जगपुरा, नरवाली, नहरों को पक्का कराने के काम स्वीकृत हुए हैं।

मैं ठेका पद्धति की एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। ठेका पद्धति को मूल रूप से मैं हतोत्साहित करने की बात करना चाहूंगा कि ठेका पद्धति को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। बी.एस.आर. की जहां आज हम बात करते हैं, जो सरकार द्वारा प्रतिपादित रेट्स हैं उससे एबव और लो जाकर हम कोई काम करवाने की बात करते हैं तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम एबव रेट के अंदर ठेका पद्धति द्वारा काम करवाना भी चाहते हैं? हमारे वहां पर लोग ठेका ले लेते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं। इन्हीं ठेकों की वजह से कई लाखों रुपयों के काम से हजारों किसानों को लाभान्वित किया जा सकता था, परन्तु ऐसे काम हमारे वहां पर अधूरे पड़े हुए हैं। ठेका

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

पद्धति में अगर एबव में काम होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की ही हानि है। और अगर लो में काम होता है तो निश्चित रूप से उस वर्क की क्वालिटी क्या होगी, वह भी हम महसूस कर सकते हैं।

मैं इसके अंदर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी यही भूंगड़ा, जगपुरा, नरवाली नहरों को पक्का कराने के काम ठेके पर दे दिये गये, स्वीकृति उनको मिल गयी। इसके बाद 30 प्रतिशत एबव उसका ठेका दिया गया था, उसको हतोत्साहित किया गया। उसको 22 प्रतिशत किया गया। 22 प्रतिशत में भी उस ठेकेदार ने काम यस कर लिया। फिर उसको और हतोत्साहित करके 17 प्रतिशत पर लाया गया। उसको भी यस कर लिया गया। मगर अभी तक उसको उस बात की स्वीकृति नहीं मिली है और न वह काम पूरा हो रहा है। ऐसे कारणों की वजह से हमारे वहां कई सैकड़ों बीघा जमीन और हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं। इन बांधों की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं, छोटी-छोटी लिफ्ट इर्रिगेशन हैं, वहां पर तालाब हैं, माही बांध की वजह से आज हमारे वहां का वाटर लेवल ऊपर है, हमारा सम्पूर्ण क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है।

(17.00 बजे)

आज अकाल की विभीषिका जरूर हो सकती है किन्तु सीपेज की वजह से कितना ही पानी व्यर्थ बह कर नदी-नालों के मार्फत फिर उसी माही नदी के अन्दर और कडाना होता हुआ महासागरों के अन्दर जाकर मिल जाता है। मेरा निवेदन है कि सिंचाई के इन छोटे मोटे साधनों पर ध्यान दिया जाये, चाहे वे एनीकट्स हों। हमारे यहां कई ऐसे तालाब हैं जिनके ऊपर छोटे-मोटे एनीकट्स बनाये जा सकते हैं, उन पर पानी रोका जाये। क्योंकि आपकी योजना भी है कि जितना पानी उस क्षेत्र का है वह उसी क्षेत्र की जमीन में जज्ब होना चाहिये। तो मेरा निवेदन है कि चाहे एनीकट्स की बात है, चाहे भू-संरक्षण का काम है, ऐसे कामों के द्वारा हमारे वहां के पानी को हम सुरक्षित भी रख सकेंगे, वहां की उपजाऊता को भी बचा सकेंगे और वहां के किसानों का भला कर सकेंगे।

माही परियोजना, जैसा कि बार-बार कहा जाता है, और मैं फिर कहना चाहूंगा कि गंग नहर और इन्दिरा नहर अगर राजस्थान की जीवन रेखा है तो माही भी हमारे बांसवाड़ा और बागड़ की जीवन रेखा है। उसको हमारे किसान के हित में जितना भी आप बढ़ा सकें, उसका लाभ हमारे किसान के खेत तक पहुंच सके, तो वह समाप्त जनमानस सरकार का आभारी रहेगा जो आज पानी की प्रतीक्षा के अन्दर बाट जोह रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नगराज। (अनुपस्थित) श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या-46-सिंचाई और मांग संख्या-22-सिंचित क्षेत्र विकास के ऊपर चर्चा चल रही है, मैं भी इसमें अपने आपको सम्मिलित करता हुआ

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहता हूं और साथ में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके अन्तर्गत जितने भी हमारे गांव के किसान हैं वे कृषि पर आधारित हैं। और कृषि सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। आज राजस्थान में जो कृषि योग्य भूमि है और जो हमारे कृषि के संसाधन हैं, सिंचाई के संसाधन हैं, उस अनुपात को देखते हुए आज हमारे सिंचित साधनों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्री महोदया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नये संसाधनों के साथ साथ जो वर्तमान संसाधन हमारे पास सिंचाई के मौजूद हैं, उनको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उनका किस तरह रख-रखाव कर सकते हैं, वह हमारे लिये ज्यादा आवश्यक है। इसके चलते हुये सर्वप्रथम मैं चम्बल क्षेत्र विकास योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

कोटा बैराज बांध कर राइट मैन कैनाल और लैफ्ट मैन कैनाल की सैकड़ों किलोमीटर वितरिकाओं के माध्यम से जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया, वर्षों से चलते हुए उन नहरों की भराव क्षमता कम हो गयी मिट्टी के भर जाने के कारण, बैड कटिंग हो जाने के कारण समय-समय पर उनकी सफाई नहीं होने के कारण से और कई कारणों के आज किसान के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। प्रति वर्ष दो-तीन किलोमीटर एरिया कम सिंचित होता है। इतनी बड़ी परियोजना के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर जो बजट दिया जाता है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इतनी बड़ी योजना में पर्याप्त सफाई के अभाव में, पर्याप्त बैड कटिंग के अभाव में किसानों के सामने एक समस्या पैदा होती जा रही है। यदि समय रहते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो चम्बल की योजनाएं हाडौती के कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र के लिये वरदान साबित हुई थीं, वे हमारे लिये काफी गलत सिद्ध हो सकती है। आपने जो वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, उसमें इस बात से अवगत कराया है कि विगत कई वर्षों से अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकने से नहरों की हालत में गिरावट आयी है। आपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस बात को लिखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन नहरों की हालत दयनीय है। मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की जो राइट मैन कैनाल और लैफ्ट मैन कैनाल हैं, उनके लिये पर्याप्त बजट दिया जाये ताकि समय पर उनकी सफाई और व्यवस्था हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने गत दो वर्षों में जो बजट इस परियोजना के लिये दिया, एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाते हुए उस राशि का सही उपयोग हुआ, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है। लेकिन वह राशि कम पड़ती थी, उसके लिये और अधिक बजट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में किसानों की भागीदारी हो इसके लिये एक कमेटी

(श्री रामगोपाल बैरवा)

बनाकर तीन स्कीमों के माध्यम से इसमें राशि का वितरण किया गया। आर.आई.डी.एफ. योजना नाबार्ड की योजना और राजाद के अन्तर्गत किसानों की कमेटियों के माध्यम से इस योजना पर नहरों की सफाई के लिये राशि खर्च की गयी। लेकिन आज नहरों की सफाई के लिये जो किसानों की कमेटियां बनायी गयी हैं उनके लिये और अधिक बजट उपलब्ध कराकर उनको मजबूत करने की जरूरत है ताकि योजना की सफल क्रियान्विति हो सके।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ योजनाएं सरकार के पास लम्बित हैं उनके लिये भी निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चांगल बांध परियोजना जो बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत है, लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन है। लगभग लगभग सारी फार्मलिटीज उसकी पूरी हो चुकी है। इस मौके पर मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि चांगल बांध परियोजना को स्वीकृत कर उसका कार्य चालू करवा दिया जाता है तो इन्द्रगढ़ क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता को उसका लाभ मिल पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी मेरे विधान सभा क्षेत्र की रगसपुरा लिफ्ट स्कीम है, वह भी लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन है। इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, विभाग के पास एक व्यवधान पैदा हुआ था कि राइट मैन कैनाल से हम किसी भी लिफ्ट स्कीम की स्वीकृति नहीं देंगे। मंत्री महोदया जब कोटा पहुंची थी और काडा की जो मीटिंग वहां पर हुई थी उसमें सभी जन प्रतिनिधियों ने एक सुझाव दिया था कि यदि अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता है तो राइट मैन कैनाल जहां से निकलती है राइट मैन कैनाल परवन नदी और काली सिंध नदी के पास से होकर निकलती है, परवन नदी और काली सिंध नदी में से हम पानी को लिफ्ट करके दायीं मुख्य नहर में डाल देते हैं तो टेल क्षेत्र में भी उससे पानी पहुंच सकता है और जो दिनों दिन हमारी नहरों की कैपेसिटी घटती जा रही है उसकी पूर्ति हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के माध्यम से राइट मैन कैनाल से गणेशगंज लिफ्ट स्कीम के नाम से एक योजना चालू की गयी थी। वह गणेशगंज लिफ्ट स्कीम जब से शुरू की गयी, पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण से उसकी भी समय पर सफाई नहीं हो पाती और आज टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता है। उसके लिये भी पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल मानसून कम होने के कारण से कोटा बैराज और गांधी बैराज में कम पानी उपलब्ध हुआ और उसके कारण से राइट मैन कैनाल और लैफ्ट मैन कैनाल के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच पाया। विधान सभा में एक प्रश्न लगा था, उसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा जो आंकड़े पेश किये गये उसमें 1,27,000 हैक्टेयर जमीन में से 1,05,000 हैक्टेयर जमीन को सिंचित करना बताया है और मात्र 22,000 हैक्टेयर को ही असिंचित बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामगोपाल बैरवा)

कि यह वर्ष तो हमारे लिये पानी के अभाव का रहा है, गांधी सागर डैम में पानी नहीं है, कोटा बैराज बांध में पानी नहीं है लेकिन पिछले सालों में जब कोटा बैराज और गांधी सागर बांध में पर्याप्त पानी रहता था तब भी हम राइट मैन कैनाल और लैफ्ट मैन कैनाल कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, इटावा ई.बी.सी. की टेल है वहां हम पानी नहीं पहुंचा पाते थे। जब हमें पानी सौ दिन मिलता था तब भी हम मात्र 80 प्रतिशत पानी पहुंचा पाते थे। इस साल हमने मात्र 50 से 55 दिन पानी उपलब्ध करवाया है। 50 से 55 दिन पानी उपलब्ध करवाने के बाद भी यदि आंकड़े इस तरह से पेश किये जायें तो यह किसानों के साथ एक तरह से कुठाराघात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों के खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंचा है और सरकारी तंत्र ने किसानों के खेतों में जो टीप कर ली है उस पर रूकावट की जाये। जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा है वहां का सिंचाई शुल्क माफ किया जाये और ऋण वसूली स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ राइट मैन कैनाल और लैफ्ट मैन कैनाल का इतना बड़ा सिस्टम लेकिन इसमें कर्मचारियों की लगातार छंटनी की जा रही है, कर्मचारियों को कम किया जाता है। हम सब कार्य किसानों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। हम मानते हैं कि आज किसानों की सहभागिता हर क्षेत्र में जरूरी है, जनता की सहभागिता हर क्षेत्र में जरूरी है लेकिन सरकारी तंत्र में भी आवश्यक है। आज हमने किसानों की कमेटियां बनायी हैं, किसान वसूली के लिये जब जाता है तो किसान को किसान वसूली नहीं दे पाता है। यह समस्या हमारे सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आज किसान उसके लिये परेशान है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं दो मांगों के लिये। हाड़ौती का यदि हमें उद्धार करना है तो राइट मैन कैनाल और लैफ्ट मैन कैनाल जो हमारे हाड़ौती के किसानों के लिये वरदान साबित हुई थी उसका सही रखरखाव हो, उसके लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाये। आपने मुझे समय दिया बोलने के लिये धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग की मांग संख्या-46 और 22 पर माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं व मांग करना चाहता हूं। (व्यवधान) हां, बोल जायेंगे यह चिन्ता आप मत करो। हम पहले यह देख रहे हैं कि कौनसा हैडिंग पहले लें, बाकी यह हमारा विषय है, हम बोल देंगे इसमें।

सबसे पहले मैं यह मांग करना चाहता हूं कि आपने जो सिंचाई विभाग के तालाबों को पंचायत समिति में दिया है यह गलत है क्योंकि पंचायत वाले तालाबों पर देख-रेख नहीं हो पाएगी और सिंचाई की जो सुविधा वास्तव में काश्तकारों को इस समय मिल रही है वह मिलने में दुविधा हो जाएगी। तो यह तालाब का काम सिंचाई विभाग के जिम्मे ही रखा जाये।

(श्री रामलाल गुर्जर)

दूसरी बात सिंचाई विभाग की दरें समय-समय पर बढ़ती रहती हैं, राज्य सरकार द्वारा सिंचाई विभाग की दरें बढ़ाई जाती हैं लेकिन यह किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक बार सिंचाई हो जाती है तो भी पूरा शुल्क वसूल किया जाता है, जब कि पूरा शुल्क वसूल नहीं करना चाहिये क्योंकि पूरी फसल के पकने तक सिंचाई करने का जिम्मा सिंचाई विभाग का ही है। एक बार पानी दें तो सिंचाई की दर भी कम होनी चाहिये।

जैसे कुछ डिपार्टमेंट में कर्मचारी घटाये हैं, सिंचाई विभाग में भी कर्मचारियों को घटाया गया है। जबकि सिंचाई विभाग में कर्मचारियों को घटाना नहीं चाहिये, इसमें तो और बढ़ोतरी करनी चाहिये। कारण कि सब सिंचाई के पीछे हैं, सिंचाई नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ज्यादा कर्मचारी होंगे तो व्यवस्था भी ज्यादा मेन्टेन हो पाएगी, इसलिये सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की बढ़ोतरी की जाये।

दूसरी बात, कुओं द्वारा भी सिंचाई होती है, अतः राज्य सरकार द्वारा कुओं पर कुछ सब्सिडी देकर कुओं को गहरा कराने के लिये भी योजना बनायी जाये। नहर, तालाब जोहड़, कुएं जो भी हैं उनको पक्का कराने की व्यवस्था की जाये क्योंकि जोहड़ और नहरें जब पक्की हो जायेंगे तो पानी की बचत भी होगी जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है, पानी की कितनी कमी महसूस हो रही है, तो पानी की बचत होगी।

दूसरी बात जो नहरें वगैरह हैं नहरों पर सर्विस रोड बनायी जाये ग्रेवल और डामर की ताकि नहरों की देखरेख ईजी रहे।

हमारे यहां क्षेत्र में कंटेला बांध है, कंटेला बांध की एक नहर जाती है। इस वर्ष भी तालाब भरा है जबकि पूरे जिले में सब जगह बांध खाली रहे हैं। लेकिन उसमें खाली आधा किलोमीटर पाइप लाइन लगा दी जाती है तो नहर दूसरी ओर निकल जाती है और पूरा चैनपुरा भी सप्लाई हो जाता है। तो यह आधा किलोमीटर बनने के बाद मोटर पाइप लगाकर क्रासिंग बना दिया जाये तो पानी का सही उपयोग हो पाएगा। खारी बांध जो बना हुआ है, बनने के बाद आज दिन तक नहरों से कोई विशेष कम नहीं हुआ है, इसलिए लम्बे समय से नहरों की रिपेयर की जरूरत है, पक्का कराना भी नैसेसरी है ताकि पानी की बचत हो सके। खारी बांध का पानी हुरड़ा तहसील और आसीन्द को सप्लाई होता है लेकिन नहरें पक्की नहीं होने की वजह से थोड़ी समस्या रहती है। लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं लेकिन नहरों का पानी आगे नहीं पहुंच पाता है, खाली खर्चा होता रहता है। तो ऐसी नहरों का भी कोई उपयोग नहीं।

जल ग्रहण के लिये सिंचाई विभाग ने लिये हैं छोटे एनीकट मोटे एनीकट लिये जायें तो सिंचाई के लिये सुविधा हो सकती है। मोटे एनीकट बन सकते हैं, तालाब बन सकते हैं तो तालाबों की भी व्यवस्था की जाये, तालाब बनाये जाये। मोटे एनीकट का तालाब भी हो सकता है। हमारे यहां एक पटियों का खैड़ा है ईरास पंचायत में और एक बागमाली रूपपुरा पंचायत में हैं, दोनों अच्छे तालाब हैं,

(श्री रामलाल गुर्जर)

कम खर्च में मोटे तालाब बन सकते हैं। तो यह भी व्यवस्था करवायी जाये।

दूसरी बात, किसानों के लिये एनीकट देते हैं। अभी जैसे एनीकट के काम चलते हैं तो 100 प्रतिशत पेमेन्ट राज्य सरकार करती है, लेकिन मेरा सुझाव है कि ग्रुप के द्वारा एनीकट निर्माण का कार्य कराया जाये, जैसे पांच-सात काश्तकार मिलकर अगर एनीकट बनाना चाहें तो गवर्नमेंट करीब पचास प्रतिशत सब्सिडी दे दें और 50 प्रतिशत सामूहिक रूप से काश्तकार मिलकर वहन कर लें। जब काश्तकार 50 प्रतिशत वहन कर लेंगे तो अपने को भी फायदा हो जाएगा।

एक कमाण्ड एरिया है तथा एक नान कमाण्ड लेकिन जो पास का सर्किल है वहां किसान पानी हमेशा पिलाई करते हैं, फिर भी उनको नान कमाण्ड माना जाता है। तो नान कमाण्ड एरिया को कमाण्ड एरिया घोषित किया जाये।

दूसरी समस्या यह आती है कि जब नहरें चलती है तो डीजल पम्प सैट वगैरह कोई नहरों पर रखता तो उठाकर उनको ले जाते हैं। तो उनको नहीं ले जाना चाहिये, छूट होनी चाहिये। काश्तकार जिसके खेत में होकर नहर निकली है और उसका खेत चढ़ाई पर है, वहां पानी नहीं पहुंच पाता है तो इंजनों से ही पिलायेंगे और किससे पिलायेंगे? नहीं तो वे महरूम रहते हैं। यह डीजल इंजन वाली छूट दी जाये बेरी जो बैलों द्वारा होता है, बेरी पर भी डीजल इंजन द्वारा काम होने लगा है, क्योंकि बैल तो गये अब, बैल वैसे ही बहुत कम हैं। नयी तकनीक से काम होगा। लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिये। जहां लिफ्ट सिंचाई योजनाएं हैं वहां ठीक है, लेकिन जहां लिफ्ट सिंचाई योजना नहीं है और वहां बन सकती है वहां ये योजनाएं बनायी जायें ताकि काश्तकार को ज्यादातर लाभ मिल सके।

सिंचाई के लिये जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद पानी का भण्डार करने के लिये या तो टांका या जो खाळा वगैरह है उसको पक्का करने के लिये सरकार की तरफ से छूट मिलनी चाहिये। 50 प्रतिशत या 70 प्रतिशत ज्यादा सब्सिडी मिले तो सब काश्तकार इस ओर प्रेरित होंगे और पानी की सिंचाई के लिए उनको लगन लगेगी। फिर उनमें इंजन वगैरह लगाकर फव्वारा सिस्टम द्वारा हम पानी से भी अच्छी खेती कर सकते हैं, इसलिए यहां पर लागू करना है।

—पाइप वगैरह नहरों पर लगते हैं, लेकिन जहां डिमाण्ड हैं पिलाई की वहां पाइप नहीं लगे। अगर कोई पाइप लगवाना चाहता है तो एक्स. ईएन. या एस. ई. एडीशनल चीफ इंजीनियर तक के पास पावर नहीं है। हमारे यहां सीढ़ी का मामला था मैं एडीशनल चीफ इंजीनियर के पास दो बार आया था लेकिन वह पाइप नहीं लगाया। कितनी छोटी बात है। खाली एक पाइप लगाना और उसके लिये एडीशनल चीफ इंजीनियर तक पाइप नहीं लगा सकते तो यह बहुत ही छोटी बात है, लेकिन उतनी ही मोटी भी है। इस ओर काश्तकारों के हित में थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिये राज्य सरकार को।

(श्री रामलाल गुर्जर)

कृषि के लिये जो बजट है वह बजट सिंचाई के लिये भी बढ़ाना चाहिये। सिंचाई ज्यादा होगी तो काश्तकारों की आमदनी अच्छी होगी और जब काश्तकारों की आमदनी अच्छी होगी तो सबकी प्रोगेस होगी।

सभी माननीय सदस्यों ने मेरे से पूर्व बतायी बांधों और नहरों वाली बात सिंचाई के जो अभी अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं-बांधों वाले काम तालाब वाले काम, एनीकट और तालाबों की आय वाले जो भी काम हैं, पहली प्राथमिकता सिंचाई विभाग देकर...

डा. किरोड़ी लाल : सिंचाई जैसा गम्भीर यहां पर मुद्दा हो रहा है और सम्बन्धित मंत्री यहां पर हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी नोट कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : कौन नोट कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह आदत पड़ गयी है सरकार की। ट्रेजरी बैंचेज सारी खाली रहती हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मंत्रीजी पानी पीने गये हैं, मैं बैठा हूं। (व्यवधान) सब नोट कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अभी तैय्यब हुसैन नोट कर रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई नोट नहीं कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपके सब सुझाव नोट किये जा रहे थे।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड से कौनसा बड़ा महत्वपूर्ण काम है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, जो भी पाइंट हैं सब नोट किये जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : भीखा भाई कह रहे हैं कि मैं नोट कर रहा हूं, फिर क्या चाहिये आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आफिसर्स गैलेरी में भी कोई नोट नहीं कर रहे। मंत्रीजी के साथ-साथ, हमेशा यह परम्परा रही है, चाहे विभाग का सचिव लिखे, चाहे दूसरा कोई अफसर नोट करे। आफिसर गैलेरी में आप देख लें, एक अफसर नोट नहीं कर रहा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हम इतनी दूर से आते हैं, हम आये हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब नोट हो रहा है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, यह सब नोट किये जा रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं...(व्यवधान) यह नहीं चलेगा...(व्यवधान) आप मंत्री नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थोड़ा तो हाउस गम्भीर हो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहिए, हमें आपसे संरक्षण चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। गम्भीरता आपकी उपस्थिति भी बता रही है और उधर भी बता रही है गम्भीरता। आप बन्द करो, उनको बोलने दो।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, हमारे बीच में तो हमेशा ज्यादा रहती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अनुपात की दृष्टि से देख लो, आनुपातिक दृष्टि से हम तीन गुना ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया को बुलाओ तो सही।

डा. किरोड़ी लाल : हम बिराज तो जाएंगे लेकिन मंत्री महोदया को बुलाओ तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे देंगी। आप चिन्ता क्यों कर रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक कागज लेकर पहले तैय्यब हुसैनजी बैठे थे, अब बनवारी लालजी बैठे हैं, फिर हरिसिंहजी बैठ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब यह लेकर बैठे हैं, यह कोई बात है क्या?

डा. किरोड़ी लाल : एक आदमी तय नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : एक आदमी भी कह सकता है यह बात तो। माननीय किरोड़ी लाल जी, यह बात एक आदमी भी कह सकता है, तीन आदमियों को खड़े होने की क्या जरूरत है? एक आदमी कह सकता है. You are very intellegent. You are a doctor, not + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) : राठौड़जी को भरोसा नहीं है कि ये अपनी बात कह पाएंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : + + + (व्यवधान) + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिराजो अब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी सीट से नहीं बोल रहे है पिलानी से आने वाले सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : ज्यादा पढ़ने का गरूर मत रखो कि कौन पढ़ा हुआ और कौन नहीं पढ़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : श्रवण कुमारजी जो बोल रहे हैं उनको कह रहा हूं मैं।

श्री श्रवण कुमार : एक आदमी बोल सकता है, तीन आदमियों को खड़े होने की क्या जरूरत है?

श्री धर्मपाल चौधरी : ज्यादा पढ़े-लिखे हैं न वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहां से बोल रहे हैं? आपकी सीट कहां है? कुछ तो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परम्परा होगी...(व्यवधान) माननीय सदस्य की वहां सीट है ?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप खुद ही गलत बैठे हो...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, लगता ऐसा है कि दो दिन से आप कोई + + + नहीं कर पाये तो आपके + + + तो कोई न कोई बहाना आपको चाहिए...(व्यवधान) कभी सदन में यह प्रश्न नहीं उठाये गये कि कर्मचारी या अधिकारी नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह तो कभी इसमें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गम्भीर कहां हैं? सरकार गम्भीर कहां है? न इधर कोई गम्भीर है न उधर आफिसर्स गैलेरी में कोई गम्भीर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नोट करने का काम मंत्रीजी का है। आप भी मंत्री रहे हैं, आप भी हमेशा नोट किया करते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो। माननीय बाबूलालजी, आप चालू रखो।

डा. किरोड़ी लाल : आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप अपनी स्मार्टनैस की थोड़ी सक्रियता दिखाए ताकि मंत्रीजी यहां सदन में आ जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. साहब, बिराजें, अभी आ जाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : सिंचाई जैसा गम्भीर मामला है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन इतना लम्बा चलता है, आप भी सोचिये, मंत्री आप भी रहे हैं, एक मंत्री लगातार आठ घंटे बैठे...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमने मंत्रीजी को देखा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी निरन्तर जब से यहां बैठी हुई हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आधा घंटा बैठने के बाद मंत्रीजी वापस चली गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब से मंत्रीजी यहां बैठी हुई हैं। मंत्रीजी गयी हैं, माननीय दूसरे कैबिनेट मंत्री नोट कर रहे हैं, उनसे कहकर गयी हैं। माननीय सदस्य बहुत बढ़िया सुझाव दे रहे हैं, उन सुझावों को हर आदमी दिमाग में नोट कर रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि मंत्री महोदया अगर बाहर जाएं तो उनके रूलिंग दूसरे मंत्रीगण नोट करें, पर यहां तो मजाक हो रहा है। कोई नोट अगर गम्भीरता से करते...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप खुद भी मंत्री रहे हैं, अब आपको तो खाना नहीं पचता न जोर-जोर से बोले बगैर।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्षजी, जो अभी यह अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं, सिंचाई विभाग वालों को ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़े, अपने को प्राथमिकता देकर अकाल राहत में छोटे एनीकट, मोटे एनीकट, छोटे तालाब, बड़े तालाब जो भी कार्य हैं, ज्यादातर सिंचाई विभाग के ही करवाये जाएं, पी.डब्ल्यू.डी. व दूसरे विभागों के कार्य कम करवाये जाएं। आपने समय दिया इसके लिए हार्दिक आभार, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा कटौती प्रस्ताव था सिंचाई के ऊपर और पेयजल की समस्या पर।

श्री उपाध्यक्ष : आपका हो तो आप आ जाओ, बात करो।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-46 और मांग संख्या-22, सिंचाई से सम्बन्धित किसानों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरे क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई मुद्दों पर निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र के एक बहुत बड़े भू-भाग एवं चूरू जिले के कुछ गांवों के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए वर्ष 1989 में हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ी जीवनदायिनी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ही भिवाणी गांव में शुभारम्भ करते हुए शिलान्यास किया था। किसानों के हित में वास्तव में यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम था। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते उपरोक्त सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की दो महत्वपूर्ण वितरिकाओं-सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका को इस बड़े प्रोजेक्ट से काट दिया गया। पिछली सरकार के समय इलाके के किसानों ने इन दोनों वितरिकाओं की स्वीकृति के लिए कई ओर आंदोलन किये और लम्बा संघर्ष किया। कई बार क्षेत्र के किसान वहां से बसों में भरकर तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के समक्ष पेश हुए लेकिन पिछली सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते उन दोनों वितरिकाओं का सूत्रपात नहीं हो पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद माननीय अशोक गहलोतजी एवं माननीय कमलाजी ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए दोनों वितरिकाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए 30 जून, 1999 को स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने उपरोक्त वितरिकाओं का शिलान्यास किया।

उपाध्यक्ष महोदय, 1999-2000 और 2000-2001 में अकाल की स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते इसका काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में दस करोड़ का प्रावधान करके हमारी सरकार ने इन दोनों नहरों के लिए कार्य प्रारम्भ करने के वर्क आर्डर हाल ही में जारी किये हैं। मैं इसके लिए भादरा क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रदेश के लोकप्रिय और किसानों के हितैषी मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत साहब का और हमेशा

(श्री संजीव कुमार)

किसानों के हितों की बात करने वाली अनुभवी सिंचाई मंत्री डाक्टर कमलाजी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की तरफ माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के जिस प्रोजेक्ट की अभी हम बात कर रहे थे इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट के क्षेत्र में किसानों की भूमि अवाप्त की गयी है। अभी तक 1500.46 हैक्टेयर भूमि जो सरकार ने अवाप्त की है उसमें से करीब 1153.83 हैक्टेयर भूमि का ही मुआवजा अभी तक किसानों को मिल पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तीन साल से लगातार अकाल की स्थिति है और अकाल की स्थिति के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हुई है। उपरोक्त प्रोजेक्ट में जो भूमि अवाप्त हुई है उसके मुआवजे सम्बन्धी कुछ मामले में अवार्ड भी स्वीकृत हो चुके हैं, कुछ के भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर अवार्ड जारी करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। कुछ मामले विवादित हैं और कुछ में धारा चार, छह और धारा नौ की कार्यवाही बाकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त मामलों की तरफ शीघ्र ध्यान देकर किसानों की जो भूमि अवाप्त की गयी है उसका मुआवजा शीघ्र दिलवाया जाए ताकि किसानों को इस अकाल के टाइम में तुरन्त लाभ हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की बात चल रही थी, इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो अनुबंध था उसकी अवधि एक वर्ष बढ़ा दी गयी है। ऐसे में मैं आपके माध्यम से इसी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की कुछ सब माइनरों का जिक्र करना चाहता हूं। इस प्रोजैक्ट से सम्बन्धित मलसीसर सब माइनर की टेल को पीछे रोक देने की वजह से किसानों की काफी भूमि सिंचाई से वंचित कर दी गयी थी। इस मलसीसर सब माइनर के टेल एक्सटेंशन की मांग क्षेत्र के किसान काफी लम्बे समय से कर रहे हैं। किसानों की इन जायज मांगों को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मलसीसर सब माइनर के टेल को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है, सरकार के पास विचाराधीन है, यदि इस सब माइनर की लम्बाई को 2.8 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाता है तो करीब 800-850 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्रफल में सिंचाई होना सम्भव होगी। दो-तीन गांवों के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इसकी अनुमानित लागत 35 लाख रुपये है। यह कार्य पूर्ण हो जाता है तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और बहुत बड़े भू-भाग में सिंचाई होगी। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदया से कि इसकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें, इसके लिये कार्य शुरू करवाये।

(श्री संजीव कुमार)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की राखी सब माइनर जिसका भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, उसकी मांग भी किसान लम्बे समय से कर रहे हैं। अगर इस सब माइनर का निर्माण कार्य करवा दिया जाता है तो कई गांवों के किसानों को फायदा होगा। प्रस्तावित राखी सब माइनर की लम्बाई 1.9 किलोमीटर है जिसके बनने से करीब 850 एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होगी। इसकी अनुमानित लागत 15 लाख के करीब है। अतः निवेदन है कि इस राखी सब माइनर का भी काम शुरू करने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाये ताकि इस क्षेत्र के किसानों का लाभ हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की अमर सिंह सब ब्रांच में जो किसानों का पानी का हिस्सा है, उसमें हरियाणा सरकार राजस्थान के किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को पूरा हक नहीं देकर लगातार हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वर्तमान में भी हरियाणा में जो चौटाला की सरकार पदासीन है, अमर सिंह सब ब्रांच और जस्साना सिस्टम में जो निर्धारित पानी हमें मिलना चाहिये उसमें लगातार कटौती करके अकाल की इस स्थिति में हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अमर सिंह सब ब्रांच में प्रथम वरीयता में 335 क्यूसेक्स निर्धारित पानी के विरूद्ध पिछले कई महीनों से 200-250 क्यूसेक्स के करीब भी पानी हमें नहीं मिल रहा है। इसी तरह से द्वितीय वरीयता में भी 270 क्यूसेक्स निर्धारित है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, मैं पांच मिनट का समय चाहता हूं, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अमर सिंह सब ब्रांच की द्वितीय वरीयता की बात चल रही थी, उसका 270 क्यूसेक्स पानी निर्धारित है। द्वितीय वरीयता में तो हमें पिछले कुछ महीनों से इस रबी की फसल में बिलकुल भी पानी हरियाणा सरकार ने नहीं देकर हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसी तरह से जस्साना सिस्टम में भी 106 क्यूसेक्स के विरुद्ध केवल 60-70 क्यूसेक्स पानी हरियाणा की सरकार ने दिया है। पेयजल संकट की स्थिति भी हमारे क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी है। पीने के पानी की मांग हम लगातार कर रहे हैं, इसमें भी हरियाणा ने पूरे टाइम में केवल दो दिन के लिये या तीन दिन के लिये पानी दिया है। वह भी पर्याप्त पानी हमें नहीं दिया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिकारी स्तर पर और सरकार के स्तर पर हरियाणा सरकार से पूरा पानी लेने के लिये प्रयास किये जायें। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको पाबंद किया जाये कि हरियाणा सरकार से पानी लेने के संबंध में निरंतर निगरानी बनाये रखें, निरंतर उनसे सम्पर्क बनाये रखें, निरंतर अपना दबाव बनाये रखें।

(श्री संजीव कुमार)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाखड़ा प्रणाली की एक वितरिका है जांसल वितरिका जिसकी टेल के किसानों को पिछले 4-5 सालों से पानी नहीं मिल रहा है। इसका टैक्निकल कारण यह है कि सिद्धमुख फीडर के हैड आर.डी.0 से लेकर आर.डी. 43.200 तक जांसल वितरिका के बिलकुल समानान्तर यह नहर बनाई गयी है। सिद्धमुख फीडर के उक्त प्रसार में, बंधाई की वजह से वर्षा ऋतु में अथवा आंधियों की वजह से जो कटाव हो जाता है उससे जांसल वितरिका मिट्टी से पूर्णतया भर जाती है जिसका सीधा प्रभाव टेल के काश्तकारों पर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस नहर में मिट्टी आ जाने की वजह से लगातार पिछले 4-5 सालों से जांसल वितरिका के टेल पर पानी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। जांसल वितरिका में आर.डी. 41 तक ही पानी मिलता है लेकिन इसकी टेल आर.डी. 56 तक स्थित है इस समस्या के निदान के लिये सिंचाई विभाग ने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित को देखते हुए यह जो प्रस्ताव आया है इसको शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरों का सवाल है, इन्दिरा गांधी कैनाल की बात हो, चाहे अभी गंग कैनाल की बात माननीय सदस्य कर रहे थे, चाहे भाखड़ा सिस्टम में अमर सिंह सब ब्रांच है, उसकी जितनी भी माइनर हैं वे अभी तक कच्ची हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। कभी नहरें टूटने की वजह से, कभी आउटलैट जो किसान ओवरसाइज कर लेते हैं उसकी वजह से, तो कभी सिल्ट आ जाने की वजह से टेल के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। इन वितरिकाओं को यदि पक्का करवा दिया जाये तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस सम्बन्ध में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें सरकार का जवाब आया था कि नाबार्ड द्वारा आर.डब्ल्यू.एच.आर.पी. स्कीम प्रस्तावित है। माननीय मंत्री महोदया ने सवाल के जवाब में भी मुझे अवगत कराया था कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, किसान इसमें अपनी पूरी सहभागिता देंगे। यदि इस आर.डब्ल्यू.एच.आर.पी. स्कीम की स्वीकृति सरकार करती है तो किसानों का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा और टेल के किसान जो पानी के लिये तरसते हैं, टेल के किसानों की पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खालों की बात करें तो किसानों के जो खाले बने हुएं हैं वे भी अधिकतर कच्चे हैं। यदि खाले पक्के कर दिये जाएं तो पानी का जो रिसाव है या वाष्पीकरण में कमी होने की वजह से पानी का कम वेस्टेज होगा। पानी की बहुत बचत होगी, किसानों को पूरा पानी मिलेगा। भादरा क्षेत्र की भाखड़ा प्रणाली में अमर सिंह सब ब्रांच व जस्साना वितरिका के सी.ए.डी. के तहत खालों को पक्का कराने की योजना भारत सरकार से अनुमोदित हो चुकी है, कृपया सी.ए.डी.के कार्य पूरे भादरा क्षेत्र में शीघ्र शुरू करवायें। खालों को पक्का करवाने का किसानों के हित का जो काम है उसको करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराजें।

श्री संजीव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। भाखड़ा सिस्टम की अमर सिंह सब ब्रांच के नीचे मेरे क्षेत्र में मूलसरी वितरिका के बुर्जी नम्बर 15.500 पर बिना हैड रेगुलेटर के बिहारीपुरा माइनर को बनाना वर्ष 1990 से प्रस्तावित है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट 1998 में सिंचाई विभाग ने राजस्थान सरकार को भेज दी है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि लम्बे समय से प्रस्तावित भाखड़ा सिस्टम की अमर सिंह सब ब्रांच के तहत इस बिहारीपुरा के निर्माण कार्य को शीघ्र चालू करवाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्री देवीलालजी।

श्री संजीव कुमार : अभी मेरे से पहले किसानों के लिये—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। श्री देवीलालजी, आप बोलें।

श्री संजीव कुमार : रबी की फसल में पूरा पानी नहीं मिलने से किसानों की फसलें चौपट हुई हैं। मेरे से पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि इस साल रबी की फसल में जो खराबी हुई है, एक बार भी बिजाई के बाद में किसानों को पानी नहीं मिला है तो जो इसका नहरी टैक्स है उसमें कमी करवाने की या हो सके तो उसको पूर्णतया माफ करवाने की या उसको स्थगित करवाने की कृपा करें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें उसके लिये धन्यवाद। श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय सिंचाई पर चर्चा हो रही है। किसानों के लिये खेती में पानी की व्यवस्था के बारे में तो आपके मार्फत सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कृपा हो, सिंचाई में कोई भी कमी नहीं है। आपकी सूझबूझ हर बात में आगे से आगे चलती है और आप व्यवस्था भी अच्छी करवा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई पर चौकीदारी को हटाकर जो पंचायतों में दिया है, मेरी समझ के अनुसार यह तालाबों की देखरेख और इसकी व्यवस्था सरपंचों से नहीं होगी।

आप स्वयं ही जानते हैं कि चौमासे में 215 बीघा की जो पिलाई होती है और आपके जो तालाब भर जाते हैं, सिंचाई विभाग के एईएन., जेईएन., चौकीदार, रात को सब लालटेन लेकर, बत्तियां लेकर, गैस लेकर तालाबों की पाल पर फिरते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। पहले 1980, 1985, 1986, 1987 में भी अकाल था और तालाबों पर मिट्टी डलवाई गई थी। हमारे शाहपुरा में भी उस वक्त तालाबों पर एक बोरी बबूल के बीजों को छंटवाकर पौध तैयार करवाई थी, वे बबूल उग गये और पूर्ण वृक्ष हो गये। मंत्री महोदय, आप इसकी जांच करा लो। उगने से पहले ही एक-एक तालाब पर पापड़ियां बिक गई थी। उन पापड़ी और बबूलों की देखरेख पंचायत से नहीं हुई। इससे पहले कि घोषणा होती, कितने ही बबूल काट कर लोग ले जा रहे थे। चौकीदार यह कहते हैं कि वह बबूल

(श्री देवीलाल बैरवा)

काट कर ले जा रहे हैं, सरपंच साहब को वह रिपोर्ट कर देते हैं। काटने वाले की रिपोर्ट करें तो काटने वाले उनको धमकी देते हैं संरपच को, संरपच कई जगह औरतें और गरीब आदमी भी बने हैं, वे उनकी रिपोर्ट नहीं कर सकते।

उन बबूल के बारे में मेरा निवेदन है कि एक साल में एक बबूल नहीं रहा उन तालाबों पर। दूसरी बात, रात को कौन जाएगा उन तालाबों की देखरेख करने के लिए? सिंचाई विभाग के रेत के भरे हुए कट्टे उन तालाबों की पाल पर पड़े रहते हैं। जहां वे कमजोर होते हैं और फूटने को होते हैं, वहां कट्टे भर-भर कर जमाते हैं। वहां बाकी पानी भरा रहे, इसकी आप व्यवस्था करायें। यह व्यवस्था सरपंच साहब और पंचायत समिति से नहीं होगी।

आपसे निवेदन है कि 250 बीघा की पिलाई पहले नाड़ियों और तालाबों से होती थी और वे पंचायतों में थे। वे तालाब भी यूं मान लीजिये, पंचायत में कोई 100 थे, किसी में 60 थे, किसी में 70 थे, किसी में 50 थे। उनकी पिलाई का हिसाब पूछो तो रिकार्ड मंगवा लो, कहीं भी नहीं मिलेगा। सिंचाई विभाग के चौकीदार को तनख्वाह तो आप अपने बजट से देते हैं, पंचायत समिति वाले उसका भुगतान करते हैं तो तीन महीने यूं ही लग जाते हैं। बजट तो आपने दिया और चुकाया उन्होंने, और वे कुछ भी काम नहीं करते। न तो तालाबों पर जाते हैं और न और कहीं। पंचायत समिति पर बैठे रहते हैं। आप इनकी भी व्यवस्था करायें। आप कितने भी बुद्धिमान हों पर मेरी सोच में यह अवस्था कि बड़े तालाबों को आपने पंचायतों को दिया है तो पंचायतें इनकी देखरेख, सिंचाई व्यवस्था और इनकी पिलाई और दरख्तों की व्यवस्था नहीं कर सकतीं।

नहरों के बारे में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में भी पांच बड़े तालाब हैं, बांधो के जैसे हैं। अरवड़ बांध है, नाहरसागर है, महेशसागर है, झाड़ौल है, नंदराय बांध है। आपने 1982, 1983, 1984, 1985, में जो मिट्टी डलवाई थी, इन आठ-नौ सालों में न तो इनकी मिट्टी निकाली, बल्कि मिट्टी से बड़ी समस्या गांवों में विलायती बबूल की हो गई है। नहरों में भी उगते हैं, पटरी पर भी उगते हैं, अंदर भी उगते हैं। दो साल में विलायती बबूल बड़ा हो जाता है। वह पानी आने नहीं देता है पानी को रोक लेता है। वे पक्की न हो तो नहरों की और तालाबों की पिलाई में आधा पानी निश्चित रूप से खराब हो जाता है, खेतों को नहीं मिलता है।

नहरों में बबूल आ गये हैं, मिट्टी पड़ी है, ज्यादा पानी छोड़ देते हैं तो टूट जाती है। नहर टूट गई तो आधा पानी रास्ते में खराब हो जाता है, खेतों में नहीं पहुंचता है। जैसे ही नहर टूटती है अरवड़ बांध की लोगों को पानी नहीं मिलता है। पानी को थोड़ा तेज करते हैं तो टूट जाती है हर साल। किसी भी साल का सिंचाई विभाग का रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिये, मेरे हिसाब से पन्द्रहों बार टूट गई है। वह टूट जाये तो खेतों वाले फावड़े लेकर खड़े हो जाते हैं। और बाकी का पानी वहां नाले-खोले से जाता है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों की पूरी

(श्री देवीलाल बैरवा)

व्यवस्था करायें, थोड़ी पक्की बनवा दो। बार-बार पैसा लगता है और बार-बार टूट जाती है, बार-बार फूट जाती है। पूरा बजट आप देते नहीं है तो तैयार होती नहीं है। नहरों की ही बात मैं नहीं कहता, सभी तालाबों पर इस साल, मेरी प्रार्थना है, आपकी कृपा होगी कि अकाल राहत में मिट्टी खुदवाकर उनसे निकलवाई जाये। हमारे करीब आधा महीना पहले भी निकाली थी, तो ठीक हो गया है। भगवान की दया से बरसात हो जाएगी तो नहरों से पानी अच्छी तरह खेतों में पहुंच जाएगा और लोगों को सुविधा हो जाएगी।

दूसरा निवेदन है कि हमारे नाहरसागर बांध तीन-चार साल पहले टूट गया था उस दिन सारा तो नहीं लेकिन बूंदाबांदी में भी उसकी कच्ची पाल पर पिचिंग हो रही थी। वह बांध बहुत पुराना है, उस बांध के बारे में पिछले साल भी निवेदन किया था। आपने बजट भी पास किया था मगर नाहर सागर का बजट तो आपके यहीं रह गया दिखता है, वहां तो लगाया नहीं तो उसके ऊपर पिचिंग नहीं हुई। वहां क्या हुआ कि सिंचाई विभाग वाले रेत के दो-चार सौ कट्टे भरकर रख देते हैं, वे यूं के यूं बरसात तो हुई नहीं, वहीं पर पड़े-पड़े गल कर बिखर गये। वहां थोड़ा पक्का बन जाये, पिचिंग हो जाये तो ठीक रहेगा।

दूसरी बात.....

श्री उपाध्यक्ष : आठवीं बात।

श्री देवीलाल बैरवा : तीसरी मान लो, हुकूम। मैं किसानों की समस्या पर बोल रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कभी-कभी बोलता हूं, आप यह भी देख लें, थोड़ा ज्यादा समय दे दें।

पानी का मैं क्या बखान करूं, पानी की ही तो माया है। जितने भी तालाब, पाले, एनीकट है, इनके ऊपर सुविधा करता हो धरती पर पानी हो तो सारी फसल अच्छी होगी। पानी की क्यों कठिनाई हो रही है, क्यों समस्या हो रही है, आप स्वयं ही जानते हैं। मैं तो यह सोचता हूं कि पानी की आपने जो संस्कृत में बात बताई, पानी की ही माया होती है। पानी के बारे में महापुरुषों ने भी कहा है :—

कौन रंग जीव का, कौन रंग से पानी हुयो,
कौन रंग दरसे नहीं, पानी से सब रंग हुयो,
सब रंग पानी माय, उण रंग से पानी हुयो,
पण ऊं रंग दरसे नाय,
पानी अम्बर पुरूष से भाई।

तो पानी की माया आपने संस्कृत में बताई। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पानी से 84 लाख जीव योनियों की उत्पत्ति हुई है। जीवों की 4 खानें हैं जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है,-अण्ड खान, बण्ड खान, जड़ खान, गडबड़ खान। पानी की व्यवस्था के बारे में मैं आपसे क्या निवेदन करूं? पानी की व्यवस्था कौन कर सकता है? आकाश से बरसात न हो तो पानी की व्यवस्था न तो आप कर सकते हैं और न ही कोई दूसरा व्यक्ति। पानी की ज्यादा सप्लाई और ज्यादा इसको धरती पर लाने की शक्ति कौन रख सकता है? मेरी सोच में न तो देवता कर सकते हैं न डाक्टर कर सकता है, न पण्डित कर सकता है, न शास्त्र कर सकता है। इसकी शक्ति, आकाश से खींचने की शक्ति दरख्तों

(श्री देवीलाल बैरवा)

के पास है। औरों के बस की नहीं है। इन दरख्तों की कटाई, खेतों की मेड़ हो, चाहे तालाब हो, चाहे जंगल हो, लेकिन कटते हैं। इसके कानून में थोड़ी सख्ती करिए जिससे दरख्तों की थोड़ी व्यवस्था हो।

इन दरख्तों के लिए महापुरुष कह गये :—

तरुवर सरवर संत जन अर चोखा बरसे मेह।
परमार्थ के कारणे ये चारों धारी देह ॥

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली हो गई आपको या और सुनना है ?

श्री देवीलाल बैरवा : यह संस्कृत की बात भी इन दरख्तों में है। मैं दरख्त का क्या बखान कर सकता हूं ? दरख्त की ऐसी माया है जितनी भी व्यवस्था कर सकते हैं ये दरख्त कर सकते हैं। देवताओं के लिए, देवताओं के माथे पर पानड़ा व पूलड़ा इन दरख्तों के द्वारा ही रखे जाते हैं। जो आदिदेव हैं देवनारायण और माताजी, ये आदिदेव इन दरख्तों की वजह से ही हैं। अगर उनकी शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये दरख्तों की वजह से ही हैं। ये प्यारे-प्यारे मेहमान हैं। मेहमानों से भी ये दरख्त हमें प्यारे हैं। जैसे अपने कोई भी मेहमान आता है, चाहे नेताजी हो, चाहे प्यारे मेहमान हो तो उनके माथे पर भी पानड़े और फूलड़े बांधते हैं। उनसे भी ये प्यारे हैं। इनके लिए पानी की व्यवस्था तो जितनी भी करें वह ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम भी हो रहा है। मेरी थोड़ी कही हुई ज्यादा मान लेना। नहरों को पक्की कराने, खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करा दो। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमंत कुमारजी।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-46 और 22 के ऊपर आपके माध्यम से अपने विचार सदन को देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और हमारी सिंचाई मंत्री दोनों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले टाइम चम्बल नहरों में पानी की कमी होते हुए भी इनके सतत् प्रयत्नों से और जो हमारे सरकारी हैं उन लोगों के प्रयत्नों से टेल एण्ड पर पानी पहुंचाने का काम हुआ। हो सकता है पानी की कमी थी, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही है। झाड़गांव, मदनपुरा, लाखसनिजा, कोटड़ा दीपसिंह, गुढ़ादीप ये कुछ ऐसी पंचायतें रह गई जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया, लेकिन सरकार के प्रयत्नों में किसी तरह की कमी नहीं रही। इसके साथ जोड़ी दुःख

(17.53 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

वाली बात यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रात-दिन एक करके रात के दो-दो, तीन-तीन बजे तक नहरों पर घूमकर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था में पूरा प्रयत्न किया। उनको प्रोत्साहित तो नहीं...

श्री मदन दिलावर : सच बोलना।

श्री हेमन्त कुमार : सच ही बोलूंगा, आप निश्चित रहो। मैं जो बोलूंगा सच ही बोलूंगा, असत्य बोलने की मेरी आदत नहीं है। आप स्वयं जानते हैं, आपका मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता। (व्यवधान) आपका मुकाबला असत्य वचन में मैं कर नहीं सकता।

श्री मदन दिलावर : आप तो नहरों के बारे में सच-सच बता देना।

श्री हेमन्त कुमार : मैंने बताया कि उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है किन्तु टेल एण्ड पर कुछ पंचायतें रह गई जिनमें पानी नहीं पहुंच पाया। मैंने स्पष्ट कहा है, उन पंचायतों के नाम भी बोले हैं। लेकिन जिन लोगों ने रात-दिन एक करके किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी, रात-रात भर अधिकारी लोग घूमते रहे कम से कम उनको प्रोत्साहन तो देना चाहिए, उनको थैंक्स तो दे दो।

श्री मदन दिलावर : एक भी नहर की सफाई नहीं हुई, सब में पेड़ उगे हुए हैं।

श्री हेमन्त कुमार : सफाई का कारण है— (व्यवधान) मैं सब पर आ रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। सफाई में तो जिन्होंने प्रयत्न किया है, जिन अधिकारियों ने काम किया है उनके लिए कम से कम दो शब्द तो हमें बोलने चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? इसके अंदर मुझे थोड़ा दुःख यह हुआ कि सुल्तानपुर पंचायत समिति के अन्दर जो एईएन. थे कई दफे मैं रात को नहरों पर घूमा तो मुझे वे कई जगह साइट पर मिले, लेकिन उनको वहां से स्थानान्तरण करके यहां जयपुर लगा दिया गया। उनको प्रोत्साहित तो नहीं किया और पता नहीं किस कारण से यह सजा दी गई, मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम जो ऐसे अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। (व्यवधान) उनको हतोत्साहित नहीं किया जाये। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, चम्बल की नहरों में आर.एम.सी. का जो हिस्सा है उसके तहत डाबर ब्रांच है जहां पर मेरा क्षेत्र आता है। डाबर ब्रांच के अन्दर नहरों की जो सफाई हुई उस सफाई के अन्दर कुछ कमियां रही। एक टैक्निकल कमी यह रही कि वहां पर दो साइफन हैं, बड़ौत सब ब्रांच के उन दोनों साइफनों के अन्दर थोड़ा-सा भी अगर कूड़ा आ जाता है तो साइफन चोक हो जाती है। साइफन चोक होने से पानी ब्रीच होने लग जाता है अपस्ट्रीम साइड में और डाउन-स्ट्रीम साइड में पानी नहीं पहुंच पाता। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और कई वर्षों से हम इसको भुगत रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से भी हमने कई दफे जब आप कोटा पधारीं तो निवेदन किया। उस समय इन्होंने पैसे की कमी बताई, लेकिन अब मेरा आपसे निवेदन है कि उन दोनों साइफन की जगह ओपन साइफन किया जाए। थोड़ा-सा भी कोई कचरा या घास-फूस आ जाता है तो वे साइफन चोक हो जाते हैं और चोक होने से टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है, इन नहरों के साथ जो पानी हमें दिया जा रहा है उस पानी का पूरा सदुपयोग हो सके इसके लिए ड्रेनें बनायी गयीं। पहले तो ड्रेनें खुदीं, ड्रेन खुदकर जो सरप्लस पानी था, जिससे जमीन ऊसर हो रही थी, उसकी रुकावट हुई। आज वे सारी ड्रेनें चोक हो गई हैं। ड्रेन चोक होने से किसान जो पानी देता है वो पानी ड्रेन में न जाकर वहीं खेतों में भरा रहता है और वापस ऊसर होने वाली स्थिति हो गई है। ड्रेनों की सफाई करने के लिए

(श्री हेमन्त कुमार)

वर्षों से हम इस विषय पर निवेदन कर रहे हैं, गत वर्ष भी हमने कई दफे निवेदन किया, लेकिन पैसे की कमी के कारण हमें यह बताया गया कि बिना पैसे के हम नहरों की सही तरीके से मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। नहरों की ही जब सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो ड्रेन तो दूसरी चीज है, लेकिन नहर के साथ-साथ ड्रेन की सफाई होना भी बहुत आवश्यक है। पैसों की कमी के बारे में तो मुझसे पूर्व पीपल्दा से आने वाले विधायक महोदय ने भी बताया और आपकी सिंचाई क्षेत्र की उपयोगिता की जो पुस्तक है इसमें भी लिखा है :—"आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं होने से, विगत कई वर्षों से अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं होने से नहरों की हालत में गिरावट आयी।" आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अब कम से कम पैसे की व्यवस्था करें और पैसे की व्यवस्था करके नहरों की मरम्मत का काम पूरा कराया जाए जिससे कि टेल एण्ड पर पानी पहुंच सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो सिंचाई योजनाएं हैं उसमें एक सावन भादों योजना है। सावन भादो योजना के अंदर भी यही दिक्कत है कि वहां नहरों की सफाई नहीं हो रही है। मैं कई दफे मौके पर गया तो जो हैड पोर्शन है उस हैड पोर्शन में तो नहरों में इतनी सिल्ट आयी हुई है कि पानी ज्यादा छोड़ नहीं सकते। अगर पानी ज्यादा नहीं छोड़ेंगे तो टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंचता है और टेल एण्ड वाले चिल्लाते हैं। पानी छुड़ाते हैं तो हैड पोर्शन पर पानी ब्रीच होता है, नहरें ब्रीच होती है और आसपास के खेतों में पानी फैल जाता है, किसान चिल्लाते हैं पानी बंद करो। तो यह ऐसी समस्या है कि इन नहरों की सफाई होना बहुत आवश्यक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन नहरों की सफाई करायी जाए। अगर सफाई नहीं हुई तो फिर हमें इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, चम्बल के अन्दर, खरपतवार की समस्या है। कई मशीनें पिछले वर्षों में सरकार लाई, लेकिन उससे कामयाबी नहीं मिली। जलकुम्भी की एक जबरदस्ती समस्या है और जलकुम्भी से पानी के बहाव में रुकावट आती है। यह जलकुम्भी बहकर अच्छी नहरों में जाती है और वहां भी पानी को रोकती है। जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, साइफनों को चोक करने में भी इन जलकुम्भी का, इन खरपतवार का बहुत

(18.00 बजे)

हाथ रहता है। अगर सफाई नहीं करें, जलकुम्भी के बारे में भी सरकार ने विचार नहीं किया और इसको नष्ट करने के बारे में अगर किसी तरीके की सरकार ने योजना नहीं बनाई तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और हमारे पानी का जो उपयोग होना चाहिए वह उपयोग नहीं हो पाएगा। बांध में पानी रहेगा लेकिन नहरें पानी बिना सूखी रह जाएंगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध है कि खरपतवार, जलकुम्भी को नष्ट करने, समाप्त करने के बारे में सरकार कोई योजना बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय माननीया जो हमारी सिंचाई मंत्री हैं और जो

(श्री हेमन्त कुमार)

हमारे सिंचाई सचिव महोदय हैं, ये दोनों चम्बल कमाण्ड क्षेत्र से काफी परिचित हैं। मंत्री महोदया ने अभी कई दफा इस क्षेत्र में जाकर दौरा किया। खुद मौके पर पहुंची और इन्होंने तत्परता से काम कराया। सचिव महोदय से भी अच्छी जानकारी है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह एक अच्छा अवसर है, चम्बल में नहरों की कोई समस्या नहीं रहे, सरकार अधिक से अधिक ध्यान देकर हमारी समस्याओं को दूर करने में सहयोग प्रदान करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डा. कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सम्मानीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत कम बजट का प्रावधान किया जाता है और खास कर जयपुर जिले में। आज जयपुर जिले में एक जमवारामगढ़ बांध है जो बहुत पुराना है और एक कानोता बांध है, इन दो के अलावा बहुत कम राशि यहां पर खर्च हुई है। जयपुर और दौसा जिले डार्क जोन में आते हैं। वर्तमान में पानी का लेवल नीचे चले जाने से 35 प्रतिशत हैण्ड पम्प सूख गये हैं, आज उनमें पानी नहीं है। पानी के बिना बहुत समस्या है। जयपुर में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है और यह स्थिति हर वर्ष रहती है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदया को सुझाव देना चाहूंगा कि यदि सरकार हरियाणा सरकार से समझौता करके यमुना कैनाल का जो पानी धारुहेड़ा में आता है वह धारुहेड़ा बांध से अलवर, बहरोड से होता हुआ कोटपूतली और आपके क्षेत्र बैराठ से होता हुआ जयपुर के जमवारामगढ़ बांध तक लाया जाए, जमवारामगढ़ से ढूंड नदी से होता हुआ यदि कानोता बांध में डाला जाए और उसके बाद मोयल बांध में वह पानी चला जाता है तो उससे अलवर, जयपुर और दौसा तीनों जिले लाभान्वित होंगे। उसके बाद वह पानी वहां से बनास में चला जाता है और बनास से चम्बल तक चला जाता है तो इससे भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, दौसा और करौली जिलों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। माननीय मंत्री महोदया, अगर आप इस पर ध्यान दें तो अच्छा रहे। आप सिंचाई के मामले में अपने आपको हर कार्य में अग्रणी मानती हैं इसलिए जयपुर और अन्य जिलों का ध्यान रखते हुए आप हरियाणा सरकार से समझौता करके यमुना कैनाल का जो पानी धारुहेड़ा बांध में आता है उस पानी को यहां पर लाने का कष्ट करें। यदि आप इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाना चाहते हैं जैसी आपकी मंशा भी है, तो इसको अतिआवश्यक समझते हुए आप लागू करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के तहत गत वर्ष आपने बहुत सारे छोटे छोटे एनीकट्स मेरे क्षेत्र में दिये लालगढ़ हालियावास, खारली बांध, रलावता और भटेरी, मगर उन कामों में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनमें से एक काम को भी पूरा नहीं किया गया है। हालियावास बांध

(श्री कन्हैया लाल)

क्षतिग्रस्त हो गया आज के 4 वर्ष पहले, उस पर 35-40 लाख तक का खर्चा आ गया। इसमें सिंचाई विभाग ने काम जरूर करवाया है अकाल राहत के तहत, लेकिन अब कहते हैं कि हम इसमें मरम्मत नहीं करा सकते हैं, पंचायत समिति इसका काम करें। अब पंचायत समिति के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इसकी मरम्मत करा सके। ऐसे एनीकट या बांध जिन पर 35 लाख से 50 लाख, 60 लाख तक का खर्चा अकाल राहत कार्य के तहत सिंचाई विभाग के द्वारा किया हुआ है, मेरा निवेदन है कि आप इसमें ऐसा प्रावधान करें कि जो काम सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य करवाये जायें चाहे वे अकाल राहत के काम हों, या अन्य कोई काम हों, उन कामों को सिंचाई विभाग ही देखें। मुझे आशा है कि आप इस कार्य के लिए आदेश देंगे। साथ ही गत वर्ष अकाल राहत के तहत अधूरे बने एनीकट पड़े हुए हैं उनको पुनः चालू करने के लिए आदेश दें।

मेरा निवेदन है कि आगरा रोड पर खानियों के पास में बहुत पुराना बांध बना हुआ था जिसमें जयपुर से उधर का सारा पानी भरता था। उसमें मात्र 25 लाख का खर्चा है, मैंने एस्टीमेट बनवाया है। आज उसका जो पानी है वह पूरा का पूरा निकल जाता है और ढूंढ नदी में चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका पानी रोका जाये। पक्का बांध है, बहुत पुराना बांध है, राजा-महाराजाओं के वक्त का है, लेकिन एक कोने में करीब 50 फीट यह टूट गया है, टूट जाने से आज उसमें पानी एक बूंद भी नहीं रुकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांध को रुकवाने की कोशिश करें।

साथ ही निवेदन है कि आज जयपुर में भी पानी के लिए जमवारामगढ़ या कानोता बांध से पानी के लिए भटकते रहते हैं जबकि झालाना पर बहुत सारा पानी आता है। यह दो पहाड़ों के बीच में है, बहुत कम खर्चे में आप एक बहुत बड़ा बांध अपने यहां बना सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस झालाना के पानी को भी रुकवाने की व्यवस्था करें।

साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बनेड़ा के पास गढ़ा का एक बांध है राजा-महाराजाओं के टाइम का बना हुआ है जहां इस समय करीब 500 तो शीशम के बहुत पुराने और बहुत बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं। उस बांध को आज तक चालू नहीं किया गया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांध को भी आप चालू करवाने का आदेश प्रदान करें।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खारली बांध जो अकाल राहत के तहत बनाया गया था, बहुत बड़ा बांध बनकर तैयार हो गया। उस बांध में कई गांव आ गये जैसे मेरे क्षेत्र का एक गांव है दामोदरपुरा, दामोदरपुरा गांव के करीब तीन सौ लोग, उनकी पूरी खातेदारी और पूरा का पूरा गांव उसमें आ गया। आज करीब पांच साल हो गये, अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है न उनके बसने की कोई व्यवस्था की गयी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन गांव वालों को मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था

करवायें। मैं इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : सभापति महोदय, मांग संख्या-46 और 22 पर सदन में चर्चा चल रही है, मैं भी अपने आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए आपके माध्यम से माननीया मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह एक ऐसा क्षेत्र है जो कमाण्ड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र में एक तरफ चम्बल नदी है तो दूसरी तरफ मेज नदी बहती है और बीच में मेरा क्षेत्र आता है। सभापति महोदय, चम्बल नहर की एल एम सी की कापरेन ब्रांच, पाटन ब्रांच तथा इसकी वितरिकाओं के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि विगत वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले सी. ए. डी. को पर्याप्त बजट के अभाव में हमारी अन्नदात्री नहरों की दशा अत्यन्त दयनीय हो रही है। राजस्थान में सम्मानीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारी सम्माननीय सिंचाई मंत्री महोदया ने स्वयं कोटा जाकर हमारी नहरों की स्थिति का अवलोकन किया और सी. ए. डी. सभागार में समस्त जन-प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक ली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदया को कि विगत भारतीय जनता पार्टी सरकार की तुलना में इन्होंने हमारी नहरों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए अधिक बजट दिया। लेकिन, सभापति महोदय, जो बजट दिया गया वह भी पर्याप्त नहीं था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि फरवरी, 1999 में यहां से एक हाई पावर कमेटी कोटा गयी थी उसने वहां की नहरों का अवलोकन किया था और यह माना था कि नहरों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, अत्यधिक खराब हो रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चम्बल सी. ए. डी. को पर्याप्त बजट मुहैया कराया जाये। आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन नहरों के आधुनिकीकरण हेतु 200 करोड़ की योजना की जो फाइल केन्द्र सरकार के पास अटकी हुई है उस फाइल को वहां से एप्रूव करवा कर यहां मंगवाया जाये।

सभापति महोदय, चम्बल नहर की कापरेन ब्रांच, पाटन ब्रांच और इसकी समस्त वितरिकाओं में अभी माननीय सिंचाई मंत्री महोदया द्वारा कुछ काम करवाये गये हैं, कुछ अभी अकाल राहत के तहत कार्य चल रहे हैं। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पर साथ ही अनुरोध करना चाहता हूं कि ओ. एफ. डी. की मशीनें अभी फालतू पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं हम ओ. एफ. डी. की मशीनों द्वारा उन नहरों में काम करवायें। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अगर ओ.एफ.डी. की मशीनों द्वारा नहरों में काम करवाया जाता है तो इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की सहभागिता के आधार पर सभी नहरों और माइनरों में जल-प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है तथा नहरों के

(श्री घासीलाल मेघवाल)

रख-रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी उन जल प्रबन्धन समितियों को दी गयी है जिसके अच्छे परिणाम आये हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के टेल पोर्शन की नयागांव, हांडीखेरा आदि ऐसी अनेक जल प्रबन्धन समितियां हैं जिनमें अभी तक बजट नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी 30-40 समितियां हैं उनको बजट उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही, केशोरायपाटन क्षेत्र में विगत वर्षों से भूमि सुधार का कार्यक्रम चल रहा है और अभी जारी है। सभापति महोदय, भूमि सुधार का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, लेकिन एक-दो जगह जो खामियां सामने आयीं हैं वे मैं आपके मार्फत मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं। भूमि सुधार कार्यक्रम, जलोदा, भूमि सुधार कार्यक्रम कापरेन और अड़ीदा फर्स्ट इनमें इस प्रकार की कमियां सामने आयी हैं कि गरीब काश्तकार जिसके पास 10 बीघा जमीन है उसके पास 5 बीघा जमीन रह गयी और बड़े काश्तकार जिनके पास 50 बीघा जमीन है उनके पास 70 बीघा जमीन हो गयी। ऐसी खामियों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे गरीबों को फायदा मिले।

सभापति महोदय, अभी पूरे राजस्थान में अकाल की छाया मंडरा रही है, मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि किसानों को पानी नहीं दिया गया, जब बांध में ही पानी नहीं रहेगा तो किसानों को पानी कहां से दिया जायेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार का नियम है कि जब तक गेहूं की फसल को तीन पानी नहीं दिये जाते हैं तब तक गेहूं की फसल नहीं होती है। यदि सरकार द्वारा गेहूं की फसल को पानी नहीं दिया गया तो मैं निवेदन करना चाहूंता हूं कि किसानों से पिलाई माफ की जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कांसखेड़ा एक गांव है जहां पर मेज और कुरेर नदी का संगम होता है। यदि वहां पर बांध बना दिया जाता है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे और यह बहुउद्देशीय परियोजना होगी। एक तो इससे जो निरन्तर पानी का जल स्तर डाउन होता जा रहा है, घटता जा रहा है वह लेवल पर आ जायेगा और दूसरा जो टेल की समस्या है मेरे क्षेत्र में, वह दूर होगी। एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वहां से रामगढ़ अभयारण्य की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है, यदि यहां पर बांध बनता है तो रामगढ़ अभयारण्य का तीव्र गति से विकास होगा। साथ ही इस बांध के बना दिये जाने से बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। साथ ही इस बांध द्वारा आसपास के दर्जनों गांवों की सैकड़ों बीघा जमीन को सिंचित किया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा। सभापति महोदय, केशोरायपाटन ब्रांच के

(श्री घासीलाल मेघवाल)

अन्दर घाट का बराणा गांव एक ऐसा गांव है जहां से चम्बल नदी की दूरी केवल मात्र एक किलोमीटर पड़ती है। यदि वहां से चम्बल नदी से पानी लिफ्ट करके घाट का बराणा के पास पाटन ब्रांच में डाल दिया जाता है तो जो टेल पोर्शन की समस्या है, चाहे वह बड़ा खेड़ा हो, चाहे पापड़ी हो, चाहे माखीड़ा हो, इस टेल की समस्या से निजात पायी जा सकती है। साथ ही एक बाजड़ का खाल है जो हमेशा बहता रहता है, यदि इस बाजड़ के खाल में लिफ्ट योजना लागू कर दी जाती है तो एबरा, जुआसा, खानेड़ा ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें पानी पहुंचता है और उन गांवों की समस्या को दूर किया जा सकता है।

सभापति महोदय, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से यही निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल सिंचित क्षेत्र की जो हमारी नहरें हैं, जो अन्नदात्री नहरें कहलाई जाती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध करवाया जाये। साथ ही आधुनिकीकरण की जो योजना बनायी गयी है, जो फाइल केन्द्र सरकार के पास अटकी पड़ी है उसको यहां मंगाया जाये और काश्तकारों को राहत प्रदान की जाये। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री भरोसी लाल जाटव। (अनुपस्थित) माननीय श्री सोहन नायक।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-46 सिंचाई पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए सर्वप्रथम राजस्थान के लोकप्रिय युवा मुख्य मंत्री और माननीय वरिष्ठ सिंचाई मंत्री डाक्टर कमलाजी का मेरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी गंग कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए 446 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनाई और उसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरे क्षेत्र की कुछ सिंचाई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंग कैनाल के पानी की पंजाब क्षेत्र के अन्दर खुले आम चोरी हो रही है, इसे चोरी नहीं कहेंगे, डाका कहेंगे कि रात और दिन पम्प सैटों से पानी को लिफ्ट करके पंजाब के किसान हमारे किसानों का हक लूट रहे हैं। जब भी हमारे अधिकारियों ने उसे रोकने की चेष्टा की, कई बार उनके साथ मारपीट की गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके पुख्ता इंतजाम किये जायें जिससे हमारे हक का पानी पंजाब के किसान चोरी नहीं कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों सम्भाग की रैगुलेशन कमेटी के अन्दर समस्त अधिकारियों ने यह माना कि हमें पंजाब 7000 क्यूसेक्स की अपेक्षा मात्र 5000 क्यूसेक्स पानी दे रहा है फरवरी माह के अन्दर। उनके रिकार्ड में 7000 क्यूसेक्स है जबकि हमारे गेज उसे 5000 क्यूसेक्स दर्शा रहे हैं। यह हक हमारे किसानों का था, यह पंजाब ने सरे आम हमें नहीं दिया। इस

(श्री सोहन नायक)

प्रकार हमारे क्षेत्र के किसान का हक पंजाब नहीं लूटे, इसके पुख्ता इंतजाम किये जायें।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से ट्यूबवैल से सिंचित खेती पर आबियाना जो लिया जा रहा है, उसको नहीं लेने का निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य और हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि नाली बैड के अन्दर जो घग्घर नदी का बहाव है, उस पर पिछले विधान सभा सत्र के टाइम में एक निर्णय लिया गया था कि तीन बीघा बहाव क्षेत्र के अन्दर ही बंधे बनवाये जायें, परन्तु हाई कोर्ट के किसी डिसीजन की वजह से वह सही तरीके से इम्प्लीमैंट नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तीन बीघा का जो बहाव क्षेत्र है उसके तहत बंधे बनवाने का कार्य करने के विभाग को निर्देश फरमायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की कुछ सिंचाई वितरिकाओं के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भोमपुरा माइनर का वर्तमान वाटर डिस्चार्ज 1.28 है, जबकि गंग कैनाल का सिस्टम 2.56 का है, तो भोमपुरा माइनर का वाटर डिस्चार्ज भी 2.56 किया जाये। इसी प्रकार समेड़ा नहर जिसका वर्तमान वाटर डिस्चार्ज 3.34 है, इसको भी गंग कैनाल के सिस्टम के साथ मिलाते हुए 2.56 करें। सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारी इसका वाटर डिस्चार्ज ज्यादा होने के नाम पर किसानों को एक माह और सवा माह के बीच पानी उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसानों को बहुत हानि होती है। इस कारण से इसका वाटर डिस्चार्ज भी 2.56 करते हुए गंग कैनाल के सिस्टम के साथ ही जोड़ा जाये।

मेरे क्षेत्र की एक लक्खा माइनर जो कि पिछले 7-8 वर्षों से लाइनिंग के इन्तजार में निर्माणाधीन है, उसका कार्य शुरू करवाने का माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एल.एम.पी. के समस्त टेल की माइनरों की सिंचाई सुविधा दुरुस्त करने की भी मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, जब एल.एम.पी. नहर का री-मॉडलिंग किया गया था, उस समय तत्कालीन उप सिंचाई मंत्री महोदय ने जो कि हैड पर काश्त करते थे, मनमर्जी से टेल के किसानों को बरबाद किया और उसकी री-माडलिंग नहीं होने दी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एल.एम.पी. की समस्त टेल की माइनरों की सिंचाई सुविधा सही करवाने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, गंग कैनाल क्षेत्र के अन्दर अधिकारी मनमर्जी तरीके से समय-समय पर आउटलैट्स से छेड़-छाड़ करते रहते हैं और किसानों को परेशान करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आउटलैट्स सही करने का एक समय तय किया जाये और उस क्षेत्र के रकबे के अनुसार वाटर डिस्चार्ज तय किया जाये। इसको एक अभियान के रूप में लेकर समस्त आउटलैट्स को एक साथ ठीक करने का कार्य किया जाये ताकि बार-बार किसानों को परेशान नहीं होना पड़े।

(श्री सोहन नायक)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय के पास राजस्व विभाग भी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कि 1993 के अन्दर किसानों को झांसा दिया गया था कि आपके खालों की किस्तें माफ कर दी जायेंगी। आज वे किस्तें 5000 की बजाय 40-40 हजार हो चुकी हैं और किसान उन किस्तों को भरने में असमर्थ हैं। आर.एल.डी.सी. ने तो किसानों के खालों की किस्तें माफ कर दीं लेकिन दूसरी वित्तीय संस्थाएं, चाहे वह स्टेट बैंक हो या बैंक आफ इण्डिया हो या अन्य कोई वित्तीय संस्था हो, उनकी किस्तें माफ नहीं की गईं। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के समस्त किसानों के खालों की किस्तें माफ की जायें।

सभापति महोदय, जिस प्रकार गंग कैनाल को ठीक करने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति से पैसा लिया गया है, इसी प्रकार इन्दिरा गांधी नहर की कुछ वितरिकाओं अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ ब्रांच के लिए भी कृषि उपज मण्डी समिति से पैसा लेकर सिल्ट निकालने का और मेंटीनेंस का कार्य करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा क्योंकि मंत्रीजी के पास राजस्व विभाग भी है और राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेरे क्षेत्र की एक विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 10586 बीघा भूमि टी.सी. पर काश्त की जा रही है। डिवीजनल स्तर पर एक मीटिंग हुई थी जिसके तहत जन-प्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर रेट रिवाइज करने की बात कर रहे थे। उस मीटिंग के अन्दर मैं और मेरे साथ करणपुर के माननीय सदस्य गुरमीत सिंह जी और टिब्बी के माननीय सदस्य आदराम जी उपस्थित थे। उस मीटिंग के अन्दर हम जनप्रतिनिधियों ने यह विरोध किया था कि जो रेट आप तय कर रहे हैं वह किसान नहीं दे पायेंगे, परन्तु फिर भी अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण वही रेट जो अधिकारियों ने मनमर्जी से तय किये थे, वह लागू कर दिये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के किसान टीसी के काश्तकार हैं और वे पाकिस्तान के बोर्डर पर गंग नहर के टेल एण्ड के क्षेत्र हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं वह टीब्बा क्षेत्र है, लक्खा टीब्बा इस क्षेत्र का नाम है। जब टीब्बा क्षेत्र है इसका मतलब वहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही निम्न है। वह टाइड कमाण्ड एरिया है फिर भी वहां पर 492 हैक्टेयर भूमि टीसी पर काश्त है। अधिकारियों ने मंत्री महोदया को गलत तथ्य प्रस्तुत किये कि गंग कैनाल क्षेत्र का 25 लाख रुपये का मुरब्बा है। माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि 25 लाख रुपये का हो सकता है, गंग कैनाल का जो मुल्ड का क्षेत्र है, जो गंगानगर के आस-पास का क्षेत्र है वह पच्चीस लाख का हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान बोर्डर पर रायसिंहनगर का जो टेल एण्ड है, चाहे वह आर.बी. नहर का हो, चाहे सपेजा नहर का हो, टोटल का टोटल यह क्षेत्र टेल एण्ड का है, यहां टाइड कमाण्ड है, वाटर डिस्चार्ज भी आपको जिस तरह पूर्व में

(श्री सोहन नायक)

बताया, 1.28 है। उस क्षेत्र का इन्होंने आठ लाख रखा है जो किसान कभी भर ही नहीं पायेंगे और उनको हाई कोर्ट की या किसी भी माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, जिससे न तो सरकार को कोई आय होगी और किसानों को बरबाद और होना पड़ेगा। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अधिकारियों ने जो टीसी के रेट रिवाइज किये हैं इस पर पुनर्विचार करें। गंगानगर में जब मंत्री महोदय पधारे थे, मंत्री महोदय ने अधिकारियों के सामने यह माना था कि यह रेट बहुत ज्यादा है। हम विशेष आर्बटन साढ़े तीन लाख में कर रहे हैं, जबकि किसानों ने अपने खून-पसीने से उस जमीन को तैयार किया है और आज काश्त के लायक बनाया है, उनको हम आठ लाख में दे रहे हैं, यह उनके साथ अन्याय है।

इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम चौधरी। यह पांच-सात मिनट में, मतलब की बात कहते हैं, बहुत कम बोलते हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे बांध हुए, नदियां हुई, ये हमारे तीर्थ स्थान हैं। जैसे गंगा नदी को हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, वैसे ही रेगिस्तान में इन्दिरा नहर का आना जलविहीन रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बना है। लेकिन पिछले सालों से और खास तौर से गये साल इन्दिरा नहर क्षेत्र में जैसलमेर में किसानों को 28 फरवरी के बाद सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया गया। फलस्वरूप क्या हुआ? सारी फसल बरबाद हो गई। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि पंजाब सरकार से बात करें या अपने प्रयत्न करें कि पानी कम क्यों आया। उन किसानों को पूरा नहीं मिला पानी। तब हमारी नहरों का रख-रखाव कैसे हो? खालों का रख-रखाव कैसे हो? यह सारी स्थिति है, इसको इन्दिरा कैनाल विभाग और सिंचाई विभाग करता है।

मुझे तो इस बात का बड़ा भय है कि भविष्य के अंदर बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा होगी और स्थिति यहां तक होगी कि पीने का पानी के लिए लोग लड़ेंगे। आप देख रहे हैं, हमारी लूणी नदी में पानी नहीं। जोजरी जो सैकड़ों वर्ष पहले हमारे बाड़मेर जिले के अंदर रेगिस्तानी धरती पर चलती थी, वह पानी मुलतान गया। इसका दोबारा सर्वे कराना चाहिए कि यह नदी किस प्रकार से पुनः चालू हो, मुलतान पानी क्यों गया, किसने उसको रोका। जहां घना पैदा होता था, आज भी केल्हू वहां मौजूद पड़े हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, सभापति महोदय, ज्योग्राफी के नक्शे के अंदर उसका नाम है पच भदरा। भदरा कहते हैं संस्कृत में नदियों को, जहां पांच नदियों का संगम होता था।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, कोरम नहीं होने की वजह से...

श्री सभापति : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोरम नहीं है, साहब।

श्री सभापति : कोरम है, कोरम पूरा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोरम कहां है, साहब ?

श्री सभापति : कोरम पूरा है, माननीय सदस्य, निगाह है हमारी भी। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिये इनको।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोरम कहां है ? बोलने तो दीजिये पर कोरम कहां है, साहब ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, कोरम की घंटी बजाइये, आ जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोरम पूरा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोरम के लिए कितने मैम्बर चाहिए, साहब, उतने मैम्बर ही नहीं हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बिराजमान हैं। एक अकाली एक लाख के बराबर होता है, आप भी बहुत हो गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को इस बात की चिंता बहुत है। कोरम पूरा है, आप इनको बोलने दीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कहां है, साहब, कोरम पूरा ? कितने मैम्बर चाहिए कोरम के लिए ?

श्री सभापति : कोरम पूरा है, गिन लीजिये आप, पूरा कोरम है। कोरम पूरा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोरम के लिए बीस मैम्बर चाहिए, बीस नहीं हैं, साहब, यहां।

श्री सभापति : कोरम पूरा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कहां है, साहब, गिन लीजिये आप।

श्री सभापति : कोरम पूरा है, चालू रखिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं है कोरम पूरा। नहीं, नहीं, कोरम के अभाव में तो यह मीटिंग गलत चल रही है।

श्री सभापति : कोरम के अभाव में नहीं चल रही है, पूरे कोरम के साथ चल रही है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यह आ गये, आ गये। आ गये अब तो।

श्री सभापति : आप चालू रखिये, साहब। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : क्या करते हैं, कोरम तो हो पूरा। यह मीटिंग ही गलत चल रही है, कोरम तो होना चाहिए न ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापतिजी, मैटर तो बहुत ही सीरियस है, जब कोरम नहीं हो तो यह तो बात बड़ी गम्भीर ही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मीटिंग गलत नहीं है, कोरम पूरा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोई मंत्री नहीं है।

श्री सभापति : कोरम पूरा है, कोरम पूरा है। गम्भीर किस बात की है ?

श्री मदन दिलावर : कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति : कोरम पूरा है।

श्री मदन दिलावर : कोरम पूरा नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोरम पूरा कहां है, साहब ? यह हाउस ही गलत चल रहा है।

श्री मदन दिलावर : कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति : अब बिराजें, कोरम पूरा है। कोरम से ज्यादा हैं, आप बिराजें। माननीय अमरारामजी, आप बोलिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अब हो गया, अब हो गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप स्वयं को गिन लो, हो जाएगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम पचभदरा आज कहते हैं लेकिन उसका नाम है पचपदरा। भदरा कहते हैं संस्कृत में नदी को, जहां पांच नदियों का संगम होता था। वह हमारी पांचों नदियां लुप्त हो गईं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां गईं?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : एक लूणी जो चल रही थी उस पर भी इतने बांध बन गये हैं कि जिसके कारण से पूरा गांधव तक का एरिया अब वीरान हो गया। कुओं से पानी इतना नीचे चला गया, हमें तो डर लग रहा है कि पीने का पानी भी हमको मिलेगा कि नहीं। जालौर जिले के अन्दर भी जवाई नदी नहीं आने से यह सायला वाला एरिया है इसका भी पानी इतना नीचे चला गया है कि कोड़ वगैरह थोड़े दिनों के अन्दर बिलकुल वीरान एरिया हो जायेगा। यह हालत है हमारी। बहुत ज्यादा बांध बन गये और पाली जिले के अंदर तो अंधाधुंध बांध बना दिये। नेड़ बांध और बना दिया। मैं यह कह रहा हूं कि भूमि का कटाव जहां होता हो, अधिक पानी हो, वहां तक तो रोकना ठीक है, लेकिन पूरी नदी के बहाव में एक बार भी पानी नहीं जाये तो फिर हालत क्या होगी? बहुत गम्भीर हालत हो जायेगी। समदड़ी के अंदर इन्दिरा कैनाल का पानी लाने की बात हो रही है पीने को, जहां समदड़ी के अन्दर बगीचे लगे होते थे वे सब चले गये। पानी नीचे भी गया और खारा भी हो गया। बिटूजा जो सबसे अच्छा एरिया बालोतरा का कहलाता है, जहां पचास हजार रुपये बीघा जमीन मिलती है, वहां 24 लाख के अन्दर एक कुंआ सेठ साहब ने खरीदा था, पिछले साल मीठा पानी था इस साल तो नमक जैसा ही हो गया। यह हालत बड़ी गम्भीर हो रही है। सिंचाई विभाग को सर्वे करके यह सोचना होगा कि हमारी नदियां जो हमारी धरोहर हैं, वे नदियां अविरल रूप से कैसे बहें और वह एरिया कैसे बढ़िया हो। नहर बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों किनारों पर बसे हुए जो गांव हैं, किसानों का खेती का और पीने का सब बढ़िया जो इंतजाम था वह आज बिलकुल ही नष्ट हो गया। लीग नदी जो बनियाना होते हुए जैसलमेर हमारे यहां आती थी, वह नदी लुप्त हो गयी, हमेशा के लिए लुप्त हो गयी। उस नदी के किनारे-किनारे जो लोग बसे हुए हैं हजारों साल पहले से, लोग अपनी बेरियां खोदकर पानी पीते हैं और अपना जीवनयापन करते हैं। स्थिति ऐसी खराब हो रही है। जो काम करने चाहिए वह सिंचाई विभाग नहीं कर रहा है। आप सिवाना तहसील के अंदर गांव डाबली और खंडव के किनारे एक खड़ीन का निर्माण कर रहे हैं। खांडव वाले कह रहे हैं कि ये पानी रुकेगा और हमारे घर तबाह हो जाएंगे। डाबली वाले कह रहे हैं कि ये खड़ीन पक्की नहीं है, टूटेगी और हमारा गांव बह जायेगा। इसके साथ-साथ उसके बहाव से क्या होगा कि ऊपर जमीन, माननीय सभापति महोदय, दो-तीन फीट ही ठीक है

(श्री अमराराम चौधरी)

खेती के लायक, नीचे तो नमक पड़ा है, वह भी क्षारयुक्त हो जायेगी। सिंचाई विभाग बिना सोचे-समझे, बिना उसका सर्वे किये हुए इस प्रकार खड़ीन का निर्माण कर रहा है सिर्फ इसलिए कि एक्सईएन. को काम मिले। अब सिवाना में जो काम होगा वही मिलेगा। हमारे बाड़मेर में कहा कि सिंचाई विभाग वाले यह काम कर देंगे? कैसे करेंगे? धोरों के अन्दर कैसे काम होगा? नाड़ी खोदने का काम धोरों में हो जायेगा? ऐसे सरकारी धन का दुरूपयोग करके किसानों को बरबाद करने हेतु खड़ीन बनाना भी ठीक नहीं है। हमने कहा कि कल्याणपुर की खड़ीन टूटी हुई है, दो साल से कह रहे हैं उस टूटी हुई खड़ीन को ठीक नहीं किया। इस खड़ीन से लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। पहले तो, साहब, फेमिन में हमने बनायी थी, चार लाख रुपये लगेंगे। यही है जिससे बागावास के अन्दर पूरा गांव पानी पी रहा था। कुआ एक था। हमें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत नहीं है, इन खड़ीनों से पीने का पानी उपलब्ध होता है। आपने टूटी हुई खड़ीन को बागावास में ठीक नहीं किया कि यह तो हमने नहीं बनायी थी। खड़ीन तो आपके चाहे भू-संरक्षण बनाये, चाहे सिंचाई बनाये, इस खड़ीन को आप कर दें।

तालाबों का आप काम कर रहे हैं, हमारे यहां जोरवाड़ा तालाब है गंगावास का तालाब जिसमें दो-दो साल पीने के लिए पानी रहता है। हजारों मवेशी वहां आते हैं, पानी पीते हैं। उसका काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम है। लेकिन वरिया एनीकट के लिए अभी जो सर्वे हुआ था तो कहा कि 50 लाख रुपये लगेंगे। कई बार हम कह चुके हैं कि जमीन का कटाव हो रहा है और यह एनीकट बनाने से कम से कम आधी तहसील को तो पानी पीने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है। असोदरा के अन्दर टपकणिया वाकर और मोरड़िया वाकर एनीकट आप कराने नहीं जा रहे हैं। किरणोद के अन्दर एक एनीकट बना था उससे 100 कुओं को लाभ हुआ है, सौ कुओं से मीठे पानी से खेती हो रही है। लेकिन एक और एनीकट है उस एनीकट का सिंचाई विभाग अभी निर्माण नहीं कर रहा है। क्या मालूम कहां पैसा लग रहा है? गलत जगह खड़ीन बना रहे हैं। किसानों की जमीन बरबाद हो, डूबने के लिए हो, वहां तो काम हो रहा है। मेड़ी के अन्दर जहां नानेरी बांध बना दिया, अब पूछो, मेड़ी बांध जो आपने 18 फीट बनाया है, किसान रो रहे हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसका पानी आप डाइवर्ट कर रहे हैं और वह वहां भी काम नहीं आ रहा है। कमिटमेंट यह हुआ था पहले कि इसका

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किवड़िया खोल कर इससे नहर जो निकाली है उसमें पानी आयेगा, लेकिन वह भी पानी है नहीं। उसके लिए भी सिंचाई विभाग जागरूक नहीं है, इसके कारण से इस साल मेड़ी बांध में पानी नहीं है। किसानों की खेती बरबाद हो गयी। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि चाहे इन्दिरा कैनाल हो, किसानों को यदि आपने भूमि आबंटन की है तो पूरा पानी मिले। आपने इतने बांध बना दिये हैं अंधा-धुध कि एक बार में हमारे पूर्व स्पीकर

(श्री अमराराम चौधरी)

साहब के साथ ट्रेन में जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जसवंत सागर बांध बना हुआ है, अमराराम, मेरा तो कुआं लूणी नदी के किनारे पर है, क्या करूं? रात को जाकर या ऐसा कोई वो सांडा होता है न जो बिल कर दे और उसको फोड़ कर लूणी नदी में पानी बहा दे, बाकी क्या है कि जसवंत सागर में पानी आगे पूरा भरे तब तक वहीं है। तो ये लूणी नदी आती नहीं और मेरा कुआं बिलकुल नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि खेती लायक नहीं रहा। कारण? कि लूणी नदी नहीं आयी।

धुंधाड़ा में पानी की समस्या हो रही है भयंकर। दोनों किनारों पर सेलावास में सारे कुएं सूख गये। आखिर इन्दिरा कैनाल का पानी जोधपुर में आप पिला देंगे, लेकिन किनारे पर बसने वाले खेतगांधव तक के लोग, उनकी क्या

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हालत होगी? इस बात को सिंचाई विभाग के अधिकारी पुनः सर्वे करें। पहले नदियां थीं, हम हरे-भरे थे, इतने पेड़ थे, सब कुछ था। अब पेड़ों का कटाव भी हुआ है। वर्षा का कम हुआ है। अनावृष्टि और अतिवृष्टि, यह बात बिलकुल सही है कि नेचर को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। हमको यह सोचना चाहिए आज 50 साल के बाद कि जो नदियां हमेशा 4-4 महीने चलती थीं वे बन्द क्यों हुईं। 4-4 महीने तक नदियां चलती थीं, पीने के पानी की नदियां थीं। सरस्वती नदी थी, यह जो सर्वे हुआ है ठीक है। अण्डर ग्राउण्ड पानी हमारे वहां शिव में है, गोटन में है। थोड़ा बहुत हुआ है जिससे पीने के लिए पानी हुआ है, थोड़ी खेती के लिए है। लेकिन इनको पूरा सर्वे करना चाहिए और सर्वे करके जो भी हो सके रचनात्मक काम करें जिससे भविष्य में जो हमारे लिए खतरा पैदा होने वाला है उस खतरे से हम बच सकें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-46 पर आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में सम्भवतः पहली बार ही मैं बोलने की हिम्मत जुटा पाया हूं और अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं। मैं सबसे पहले मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की 38 वर्ष पुरानी समस्या का निराकरण आदरणीया मंत्री महोदया ने अभी 28 अप्रैल को किया। गम्भीरी बांध के कमाण्ड का एक एरिया था जहां बांध बनने के बाद एक बूंद भी पानी नहीं बहा और क्षेत्र के लोग काफी समय से परेशान थे। राजस्व विभाग भी आपके पास में है और सिंचाई विभाग भी आपके पास ही है, काफी अर्से से उस क्षेत्र के अन्दर बड़े-बड़े लोग प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और उस क्षेत्र के लोग हमेशा यह मांग उठाते रहे थे कि हमको कमाण्ड का पैसा देना पड़ता है इसलिए हमें कमाण्ड क्षेत्र से निकाला जाये। मेरे से पूर्व राजस्थान के मुख्य मंत्री के दामाद भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भाजपा सरकार के सिंचाई मंत्री विजय सिंह जी झाला उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

हैं और महारावल साहब लक्ष्मण सिंहजी भी चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं लेकिन इस समस्या का निराकरण इस सरकार के अन्दर हुआ। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मुख्य मंत्रीजी को अनुरोध करने पर, आदरणीया श्रीमती कमला जी को अनुरोध करने पर उस क्षेत्र को डीकमाण्ड किया गया। आज चित्तौड़ का वह क्षेत्र इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश है और ग्रामीण तबका जो इतने वर्षों से प्रताड़ित था उसको न्याय मिल सका है।

दूसरा धन्यवाद मैं आदरणीय मंत्री महोदया को देना चाहता हूं कि आप जब पिछली एक जून को चित्तौड़ पधारी थीं उस वक्त अकाल राहत कार्य के माध्यम से जो एनीकटों के कार्य चल रहे थे, आपने एनीकटों के ऊपर विशेष ध्यान दिया। उस क्षेत्र की विशेष मांग थी। इस क्षेत्र के बीसलपुर के कैचमेंट में आने की वजह से चित्तौड़ का सारा पानी बहकर बीसलपुर में जाता है और चित्तौड़ में एनीकटों पर प्रतिबंध था। लेकिन सारे जन-प्रतिनिधियों की मांग पर आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने और सिंचाई मंत्री महोदया ने इस पर ध्यान दिया और आज हमारे क्षेत्र में काफी सारे एनीकट बन रहे हैं। पिछले वर्ष जो एनीकट बने उससे क्षेत्र के आस-पास का भूमिगत जल-स्तर काफी बढ़ा। चित्तौड़ शहर में एक बांगल्या एनीकट बनाया, उस एनीकट के बनने की वजह से चित्तौड़ शहर में पेयजल की समस्या पर काफी काबू पाया जा सका है। वहां आज जलदाय विभाग एक घंटा नियमित रूप से आपूर्ति कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सिंचाई विभाग ने एनीकट बनाया। मंत्री महोदया ने खुद भी देखा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने काफी अच्छे एनीकट उस क्षेत्र में बनाये। राजस्थान में पहली बार सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। वहां काफी सारी तलाइयां, नाड़ियां उस समय बन चुकी थीं लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया। आज जगह-जगह पर तलाई गहरी कराने का कार्य चल रहा है, जगह-जगह बड़े तालाबों के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। इससे उस क्षेत्र की जनता को यह महसूस हुआ है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति कृत संकल्प है, उसने हमारी इस वाजिब समस्या पर ध्यान दिया है। पानी और बिजली दोनों तरफ सरकार का ध्यान है और सिंचाई के ऊपर तो विशेष ध्यान देने से इस समस्या का निराकरण हुआ है। सभापति महोदय, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और जनता यह महसूस करेगी कि आज जो यह सरकार कार्य करवा रही है उसका आगे जाकर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जब उदयपुर पधारीं दो वर्ष पूर्व, पूरे सम्भाग के जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर आपने मीटिंग की और हमसे प्रस्ताव मांगे कि आप अपने क्षेत्र में उन लम्बित योजनाओं के बारे में बतायें जो उस क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं, जो पूरी नहीं हो रही हैं और जिनकी मंजूरी भी आवश्यक है। हम सब वहां पर इकट्ठे हुए, हमने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित किया। चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में एक सांखलखेड़ा परियोजना है भाटा क्षेत्र में, सभापति महोदय,

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों और मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सांखलखेड़ा योजना को मंजूरी नहीं मिली इसके पहले ही हमारे पूर्व के विधायक थे उन्होंने जाकर उसका शिलान्यास भी कर दिया। प्रशासनिक स्वीकृति नहीं, वित्तीय स्वीकृति नहीं, कुछ नहीं हो पाया था लेकिन चुनाव का वक्त नजदीक था इसलिए उस सांखलखेड़ा परियोजना का रातों-रात जाकर शिलान्यास करके आ गये। मंत्री महोदया को कहा कि यह योजना स्वीकृत नहीं हुई है और सिर्फ एक राजनीतिक धोखा-धड़ी उस क्षेत्र के साथ हुई है इसलिए मेहरबानी करके आप न्याय करें। मुझे खुशी है कि मैं मंत्री महोदया से आज से कुछ दिन पूर्व मिला तब उन्होंने मुझे बताया कि सांखलखेड़ा योजना को हमने ले लिया है। यह एक मध्यम लघु सिंचाई योजना है जो कि 4 करोड़ 87 लाख की है। अगर वह योजना बन जाती है तो उसके माध्यम से करीब 1100 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध है कि सांखलखेड़ा योजना को स्वीकृत करने की कृपा करें।

दूसरा, उसी घाटा क्षेत्र में एक गुणेर परियोजना है जिसके बारे में भी मैंने आपसे निवेदन किया था। उसमें मामूली-सा 1.35 करोड़ का खर्चा आयेगा लेकिन उस क्षेत्र के किसान काफी लाभान्वित होंगे। जब आप भड़क्या बांध के उद्घाटन पर पधारीं थी तब पूरे क्षेत्र के किसानों ने आपसे अनुरोध किया था कि सांखलखेड़ा योजना और गुणेर योजना आप स्वीकृत कर देंगी तो यह क्षेत्र जो कि घाटा कहलाता है, वह काफी लाभान्वित होगा। सभापति महोदय, वहां पर आज तक स्थिति यह थी कि लोग अपनी बेटी का भी ब्याह नहीं करते थे क्योंकि वह घाटा है और वहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद ध्यान दिया गया और वहां पर विकास के कार्य कराये गये। आज वह क्षेत्र चमन हो रहा है, मंत्री महोदया ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये दोनों योजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं तो इस घाटा क्षेत्र के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया को करबद्ध निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने की कृपा करें।

मंत्री महोदया, जिस विभाग की आप मंत्री हैं उस पर आपका पूरा का पूरा कमाण्ड है। एक-एक चीज से आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता चाहे अधिकारी हो, चाहे जन-प्रतिनिधि हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि चित्तौड़ में 4-5 ऐसे बांध हैं जिनका सुदृढ़ीकरण करवाया जाना बहुत आवश्यक है। एक गम्भीरी बांध है जो कि उस क्षेत्र का काफी बड़ा बांध है, वह भी सुदृढ़ीकरण के इंतजार में है। समय रहते अगर इस बांध पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसका कैचमेंट एरिया भी काफी है और नीचे चित्तौड़ शहर बसा हुआ है। इसी तरीके का एक मोरड़िया महादेव बांध है, एक सादी बांध है और एक तुंगड़िया बांध है, इनका भी सुदृढ़ीकरण करवाया जाना बहुत आवश्यक है। ये बड़े बांध हैं इस वजह से अकाल राहत

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

में ये कार्य पूरे हो नहीं सकते। इसके लिये चाहे आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लें, चाहे नाबार्ड से, लेकिन इन बांधों का मजबूती का कार्य करवाया जाना बहुत आवश्यक है। ये बांध हमेशा भरते आये हैं, लेकिन पिछले साल कुछ अकाल पड़ा इसकी वजह से अभी ये बांध खाली चल रहे हैं। समय रहते इन पर ध्यान दे दिया गया तो उस क्षेत्र के साथ आप न्याय करेंगी और एक कृपा करेंगी। जिस तरह से, मंत्री महोदया, आपने कंजरखेड़ा, घटियाबली क्षेत्र के किसानों के साथ न्याय किया है और एक बहुत बड़ी परेशानी से उनको छुटकारा दिलाया है, उसी तरीके की परेशानी यह है। मोरड़िया महादेव बांध जो घाटा क्षेत्र में है, वहां पर डूब में आये किसानों ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है, इसको बने हुए 30-32 वर्ष हो गये हैं। उसका कारण यह रहा कि उस वक्त वन कानून लागू नहीं हुआ था और उनको यह कह दिया गया था कि आपको बाद में आस-पास में उपलब्ध करा देंगे। लेकिन राजस्व विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग के बीच में यह कार्य चलता रहा, जितने में फोरेस्ट एक्ट लागू हो गया। जिनकी जमीन डूब में आई उस मोरड़िया महादेव के बांध में, उन्होंने न तो मुआवजा लिया और न उनको अभी तक अलाटमेंट हुआ है। वे काश्तकार इतने वर्ष से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने आपका भी ध्यान आकर्षित किया था, आपने उसकी इन्क्वायरी भी की और वह चल भी रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के काश्तकारों को आप इस परेशानी से छुटकारा दिला देंगी तो चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा उपकार करेंगी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभाति महोदय, मैं मांग संख्या-46 और 22 पर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, भारतवर्ष में कृषि उत्पादन की आजादी के बाद जो स्थिति रही, और जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसका मुख्य कारण यही था कि हमने अपने सिंचाई के साधनों को सुदृढ़ किया और इस देश को अनाज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाया। पण्डित नेहरू के ये शब्द थे कि भाखड़ा और नांगल हमारे देश के नये मंदिर हैं, इनके दर्शन करें। उसकी प्रेरणा उन्होंने आजादी से पूर्व सिंध नदी पर सक्खर बैरेज बना था उससे ली थी। जो कृषि क्रान्ति उस क्षेत्र में हुई उसके कारण हमने उससे सीख ली और भारतवर्ष में बड़े बांध, बांध कर हमने सिंचाई में अपनी क्षमता हासिल की।

राजस्थान में अभी जो सतही जल उपलब्ध है 145 लाख एकड़ फीट, उसमें सबसे बड़ा योगदान रावी-व्यास नदी का है। यह नेहरू जी की ही सूझ थी कि वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में भारत और पाकिस्तान की नदियों के पानी का समझौता हुआ। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन हो, वहां पानी पहुंचे, उस हिसाब से रावी व्यास का 8.56

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान के पश्चिमी भाग रेगिस्तान में प्राप्त हो रहा है। उससे दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली इन्दिरा गांधी नहर आज अपनी चरम सीमा में पहुंच चुकी है। करीब-करीब 2/3 काम पूर्ण

(19.00 बजे)

हो चुका है। 19 लाख हैक्टेयर भूमि इसके इर्रिगेशन सिस्टम में आ रही है। मुझे लगता है कि ऐसे विकट क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना विश्व में शायद ही कहीं होगी मैं धन्यवाद दूंगा हमारे इंजीनियर्स को कि वे उस मरूभूमि में जहां 47 डिग्री, 50 डिग्री टैम्परेचर गर्मियों में रहता है वहां पर काम करके जल ले आये। आज से 40 वर्ष पूर्व हमारा मजाक उड़ाया जाता था जब हमने इसकी कल्पना की थी। इस नहर का 1958 में शिलान्यास पंत जी के द्वारा किया गया तब यह कहा गया था कि नहर का पानी इस राजस्थान में आयेगा। हमें विश्वास था हमारे इंजीनियर्स पर, हमारे कर्णधारों पर और वह पानी आया। कल मैं सीमावर्ती क्षेत्र में था, 153 हैड पर आलीशान बंगला देखा। पर दुःख इस बात का है कि इसमें कुछ कमियां रहीं। पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विषय पर कहने से पूर्व मेरे जिले में जो दूसरी इर्रिगेशन की व्यवस्थाएं हैं उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा।

हमारी पल्लीवाल संस्कृति रही है। हमारे जिले में 84 गांवों में हमने खड़ीन का कन्सैप्ट दिया, बालोतरा से आने वाले विधायक कह रहे थे कि खडीन ऐसा कन्सैप्ट है जिसमें बरसात के पानी की एक-एक बूंद कन्जर्व करके रखी जा सकती है। उससे रबी की फ़सल पैदा करते थे, पेटाकाश्त करते थे। पानी का इर्रिगेशन नहीं था। पानी को रोकते, दो महीने पानी वहां खड़ा रहता और बाद में उसमें काश्त करते, यह सिस्टम हमने इंवोल्व किया। उस समय का रिवोल्यूशन हमारा कृषि का जैसलमेर में यह रहा जहां औसत वर्षा 6 इंच से 9 इंच हुआ करती थी, परन्तु उसमें विशिष्टता थी। अभी हमारे विधायक महोदय कह रहे थे, हमारे अधिकारी यह नहीं सोचते कि कहां पर खडीन बनाना है। पहले जहां खडीन बनता था, निश्चित ही उस जगह की पहले जमीन देखते थे। अभी मैंने कई खडीन देखे जहां नीचे लाइम कंकर है, पानी परकोलेट होता है। एक तो गर्मी के इस टैम्परेचर में हमारे क्षेत्र में पानी इवेपोरेट होता है और यदि लाइम कंकर नीचे है तो पानी सोखता भी है। फिर भी वहां खडीन बनायें जा रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है, आप अधिकारियों को पाबंद करें कि खडीन केवल उस स्थान पर बनाएं जहां मोइस्चर हो, जहां मोइस्चर रुक सके, अदरवाइज खडीन न बनायें।

दूसरा मेरे क्षेत्र में कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी लुप्त हुई है, वह बहती थी। अण्डर ग्राउण्ड पानी का बहुत बड़ा स्रोत मेरे जिले में मिला है। सन् 1955 का राजस्थान विधान सभा का बजट भाषण मैंने पढ़ा, हरिभाऊ उपाध्याय ने वित्त मंत्री के नाते कहा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूबवैल जैसलमेर जिले के चानन क्षेत्र में है। इतने वर्षों के बाद इन दो-तीन वर्षों में हमने देखा कि वहां क्रांति आई है। चार बड़े-बड़े जोंस बन चुके हैं।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

जहां राजस्थान के अन्य जोन डार्क जोन होने जा रहे हैं, हमारे पानी का स्तर बढ़ा है और कई सैकड़ों हजारों ट्यूबवैल वहां काम कर रहे हैं। दो तरह का इर्रिगेशन एक खडीन का इर्रिगेशन और दूसरा अण्डर ग्राउण्ड इर्रिगेशन। तीसरा इन्दिरा गांधी नहर का बहुत बड़ा जाल भी बिछा हुआ है। इन्दिरा गांधी नहर के बारे में मुझे विधान सभा में दो तरह के जवाब मिलते हैं। मंत्री महोदय, एक जवाब मुझे नवम्बर में मिला कि इंदिरा गांधी नहर का कार्य दो तिहाई पूरा हो चुका है, एक तिहाई कार्य बाकी है। अभी विधान सभा में मैंने प्रश्न उठाया कि यह जो इंदिरा गांधी नहर मण्डल बना हुआ है, यह बहुत भारी भरकम हो चुका है। तो कहा कि यहां 55 प्रतिशत काम हुआ है, 45 प्रतिशत काम शेष है। ये दो तरह के बयान आते हैं तो मुझे लगता है कि आपके अधिकारियों के बीच में कुछ चर्चा है, इस तरह का जवाब देकर वे हमें भ्रमित करना चाहते हैं। मैंने यह क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि गत वर्ष राजस्थान के बजट में 120 करोड़ का प्रावधान किया गया और 90 करोड़ तक हमको बांध दिया गया, दिसम्बर तक केवल 90 करोड़ तक हमको बांध दिया गया, दिसम्बर तक केवल 90 करोड़ का प्रावधान किया गया। जब बहुत शिकायत हमने की तो इसको बढ़ा कर 115 करोड़ किया गया, जबकि दो वर्ष पूर्व 1999-2000 में हमने 200 करोड़ का प्रोविजन किया था। 200 करोड़ के प्रोविजन के साथ में केन्द्र सरकार ने भी 1999-2000 में बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम से आठ करोड़ रुपये दिये और 50 करोड़ रुपये एडीशन में दिये। इस तरह रिसोर्सेज लेकर हम चाहते हैं कि 2005 तक सारे प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट करें। इसे हम सन् 1972 में कम्प्लीट करना चाहते थे, उसके बाद फिर डेट दी गयी, और दिनों-दिन हमारी डेट्स बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा मंत्री महोदया से निवेदन है कि कृपया तय करें, ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई होगा। आपके बयानात ही यह बता रहे हैं कि 2100 करोड़ रुपये की लागत में प्रतिवर्ष 1700 करोड़ कृषि उत्पादन कर रहे हैं। 2000 करोड़ लगाने पर 1600-1700 करोड़ का प्रति वर्ष उत्पादन हो, ऐसे वायबल प्रोजेक्ट में भी हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट या वित्त विभाग कटौती करता है तो दुर्भाग्य है। आपने तारीख मुझे दी है कि 2005 तक कम्प्लीट हो जायेगा और वहां आप लिख रहे हैं कि 45 प्रतिशत शेष रह गया, तो फिर 2005 में कैसे पूरा करेंगे? यदि 55 प्रतिशत हुआ है तो कृपया स्पष्ट नीति बतायें और कमिटमेंट करें। सारा प्रोजेक्ट 2005 तक कम्प्लीट होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

मान्यवर, नहर के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं विभाग ने, वह देखकर वास्तव में हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमने कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त की है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने इन्टरप्ट किया जब वह बोल रहे थे, मैंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर की हमारी क्षमता फर्स्ट फेज में साढ़े तीन है, सैकण्ड फेज में तीन है और लिफ्ट इर्रिगेशन में दो है। यह हमारी तय की हुई है। 5.23 फर्स्ट फेज में सिर्फ इसलिए दी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

गयी थी क्योंकि हमने सैकण्ड फेज नहीं खोला था। सैकण्ड फेज खोलने के बाद फर्स्ट फेज की 3.5 रह गयी, सैकण्ड फेज की 3 रह गयी और लिफ्ट की दो रह गयी। यह एक क्लियर नीति थी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यदि उनको इन्टेन्सिटी कम कर दी गयी तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों में आन्दोलन होगा, तो कृपया स्पष्ट बताएं ताकि यह कन्फ्यूजन क्रिएट न हो कि एक्चुअली पानी कितना है। टोटल बैराज में पानी है। यदि 19 लाख हैक्टेयर जमीन को इर्रिगेट करना है और गडरा रोड तक पानी ले जाना है तो हमारी इन्टेन्सिटी भी तय होगी, वाटर एलाउंस भी तय होगा। यह सारा निश्चित करके आप कृपया बता दें ताकि हम आपस में चर्चा में मतभेद पैदा न करें।

मेरे क्षेत्र में जैसलमेर की बात करूंगा। मैंने अभी आंकड़े इनमें से लिये हैं, संस्थापन और निर्माण दोनों के आंकड़े बराबर हैं। मैं बोर्ड की इसलिए बात करता हूं कि बोर्ड का दो करोड़ का प्रतिवर्ष खर्चा है। दो करोड़ कुछ पैसे उनके अकाउंट के हैं, वह सारा डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे निर्माण पर डाला जाता है। इस तरह संस्थापन खर्चा और निर्माण खर्चा बराबर आ जाता है। यदि ये आंकड़े हैं तो मैं कहूंगा कि वह संस्थापन का है। 12.11 करोड़ निर्माण का और 13.86 करोड़ इसका, इस तरह के आंकड़े यदि मेरे क्षेत्र में हैं तो मैं कहूंगा कि वे अच्छे नहीं है। निर्माण में यदि शत-प्रतिशत हमारा संस्थापन लग जाए तो वह वायबल नहीं माना जाएगा इसलिए उसको कम करना है।

पीने के पानी के लिए जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे, गत वर्ष 18000 नये किसानों का सामान्य और विशेष आबंटन में हमने जमीन दी। आज बिना पानी के सारे किसान वापस चले गये, आज हमारे मुरब्बों का कोई खरीददार नहीं है। हरिके बैराज में इस वर्ष पानी नहीं है, ईश्वर करे वर्षा हो जाए और अगले वर्ष पानी हो जाए। मुझे लगता है कि जो सपना इस प्रोजेक्ट ने लिया है उसे यह पूर्ण कर पाएगा। 200 क्यूसेक्स पानी हम

(19.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पीने के लिए दे रहे हैं। पीने के लिए आज जोधपुर शहर को पानी मिल रहा है, जैसलमेर शहर को पानी मिल रहा है, फलौदी को पानी मिल रहा है, इस तरह सारे पश्चिमी राजस्थान के बड़े-बड़े कस्बे और गांवों की पेयजल व्यवस्था इसी पर निर्भर है। तो इन्दिरा गांधी नहर केवल इर्रिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, वह हमारी डिफेंस कैनाल भी है, हमारा पेयजल का स्रोत भी है। यह एक मल्टी परपज प्रोजेक्ट है इसलिए इसको केवल इर्रिगेशन से जोड़कर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको मेरा निवेदन है कि कृपया उस ओर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ध्यान न दें। मैं एक सैकण्ड बात कहकर समाप्त करूंगा।

दो वर्ष पूर्व अधिक वर्षा हुई, पानी भर गया और नहर टूटनी शुरू हो गई। एक्वाडेंट्स बनने थे, मुझे उत्तर मिलता है कि फण्ड्स नहीं हैं इसलिए एक्वाडेंट्स रुके हुए हैं। काम चालू है। दो वर्ष से यदि हम किसी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

काम को पूरा नहीं कर पाएं तो बड़ी निराशा होती है।

रामगढ़ क्षेत्र में एक माइनर है टिबरा, टिबरा से कालराबनी। कालरा से टूली निकाली है और टूली से बी.के.एस. गया। एक माइनर से दूसरी माइनर, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। मंत्री महोदय ने वहां दौरा किया, चेयरमैन हमारे वहां थे उन्होंने कहा कि 35 लाख स्वीकृत करता हूं, अभी ठीक करें। डेढ़ साल हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं। बड़ी निराशा होती है इस तरह के आश्वासनों से। जो बात कहें उस बात को पूरा करें तो बहुत मेहरबानी होगी।

हमारे क्षेत्र में दो-तीन एस्केप छोड़े हुए हैं। कहीं पानी बढ़ जाता है तो एस्केप का निर्णय करना चाहिए कि एस्केप कितना होगा, क्यों होगा। जहां अधिक पानी आए या एस्केप है तो उसको लिमिटेड एरियाज में लें जिससे सारा एरिया खराब नहीं हो। कृपया इस ओर भी ध्यान दें।

गडरा ब्रांच सात किलोमीटर पक्की बंधी हुई है। बीच में दो-तीन रिजीस छोड़ी हुई है। कल भी मैं उस क्षेत्र में गया था, लोग प्यासे मर रहे थे। रेत भरी हुई थी, हमारे मवेशी तड़प रहे थे। यदि पानी पहुंच जाता तो निश्चित सात किलोमीटर पानी पहुंच जाता। हमारे दो-तीन एक्वाडेंट्स या दो-तीन रिजीस उसमें बंद पड़ी हुई हैं, वे पूर्ण होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आज जो नहर की व्यवस्था है, फाइनेंस की हो या कुछ भी हो, यह किसी एक का कमिटमेंट्स नहीं हो तो यह नहर कभी पूरी होगी नहीं, यह प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक मशीनरी डिवीजन है। मशीनरी पड़ी हुई है। पूरा चीफ इंजीनियर है। मैं पूछ रहा हूं कि इतनी हैवी मशीनरी को रखकर क्या कर रहे हैं, यदि उपयोगी नहीं है तो दे दीजिए। मशीन और कहीं उपयोग हो जाएगी। मैं यहां देखता हूं, हमने ख़रीदी हुई हैं बड़ी-बड़ी मशीनरीज और वह मशीनरीज अनुपयोगी पड़ी हुई हैं उस ओर आप ध्यान करें।

मेरा बोर्ड के बारे में विशेष निवेदन है कि नहर बनाता है नहर डिपार्टमेंट, खाले बनाता है सी.ए.डी., अलाटमेंट करता है उपनिवेशन और बाद में आता है किसान। नहर और खाले बनाने वाला सी.ए.डी., आपस में कोआर्डिनेशन ही नहीं है। उनके लेवल का ही पता नहीं है। किसान बड़ा परेशान है। इसलिए क्यों नहीं नहर वाले ही खाले बनाते? मैं बराबर कह रहा हूं कि सी.ए.डी और नहर को आपस में मिला दीजिए क्योंकि सी.ए.डी के पास दूसरा कुछ काम रहा नहीं। बार फुट प्रोग्राम में सारे काम थे गांव बसाना, सड़कें बनाना, डिग्गियां बनाना, वे हो गये। अब सिर्फ खाले बनाने के अलावा कुछ काम नहीं है। फिर भी नहर अलग, माइनर्स अलग और खाले अलग बनाते हैं। अब बीच में सर्वे के लिए वेपकोस को काम दिया गया। मैं बारबार पूछ रहा हूं कि यह वेपकोस है क्या। सन् 1980 में इनको दिया कि 390 रुपये पर हैक्टेयर ज़मीन आपको सर्वे रिपोर्ट में दी जाती है। यह सी.ए.डी. की चर्चा मैं कर रहा हूं। और उनको

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कहा कि 8 परसेंट प्रतिवर्ष आपका बढ़ेगा। अभी तक 390 रुपये पर हैक्टेयर पर कमाण्ड का पैसा ले रहे हैं और वह सर्वे कर रहे हैं। मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम बंद कर रहे हैं, हम ठेके पर देंगे। वेपकोस का आया हुआ चार्ट, वे सिर्फ कमाण्ड एरियाज का पैसा लेते हैं और अनकमाण्ड जमीन को कमाण्ड घोषित करके चले जाते हैं। जब हम अलाट करते हैं किसान को तो किसान लड़ता है कि वहां तो शिफ्टिंग ड्यूज पड़ी है। पर वेपकोस के उस लाइट को तो यह सारी...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : एक दो मिनट मुझे दीजिए, यह मेरा विषय है। इन्दिरा गांधी नहर का सबसे ज्यादा इफैक्ट जैसलमेर जिले में है, यदि मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे? इसलिए कृपया दो मिनट मुझे और दीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

तो आप वेपकोस के बगैर ठेके की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि वेपकोस को क्यों दिया क्योंकि सी.ए.डी. खाले बना रही है तो कहा, हमारे पास स्टाफ नहीं है। नहर के सारे सर्वे हमारे इंजीनियर्स भी कर सकते हैं। सी.ए.डी. कर सकती है। वेपकोस को दिया और अब ठेके पर देने की चर्चा करते हैं। कृपया ऐसा उत्तर नहीं दें। विधान सभा से मुझे ऐसा जवाब मिलता है, बड़ी निराशा होती है। विधान सभा में जब...

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह रामू। माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज। आप बिराजो, आप बिराजो। श्री यशवन्त सिंह रामू।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : एक सैकण्ड, एक विषय में और कहूंगा। 221 नई बस्तियां बसानी हैं मेरे जिले के अन्दर। नो मैंस लैण्ड है, कल्पना कीजिए कि 221 नई बस्तियां बसाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नई सड़कें चाहिए, डिग्गियां चाहिए, स्कूलें चाहिए, औषधालय चाहिए। सी.ए.डी. के पास फण्ड नहीं है, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि ये 221 बस्तियां बसाने के लिए फण्ड बाहर से लाइये। वर्ल्ड बैंक से, कहां से भी पैसा लाइये, मेरे एरिया में ये बस्तियां बसनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह रामू।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई की मांग पर वाद-विवाद में समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त जल्दी करना, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं जल्दी समाप्त कर दो, दो ही लाइनों में समाप्त कर देता हूं। आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जितने भी सदस्यों ने आज इस चर्चा में भाग लिया, क्या एनीकटों की या नहरों की मरम्मत कराने के लिए माननीय मंत्री महोदय के पास बजट है? बजट है तो बात करने का फायदा है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने जितने

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

क्वेश्चन लगाये उनमें मंत्रीजी कहती हैं कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है। जब वित्तीय संसाधन ही उपलब्ध नहीं हैं तो इसमें बहस करने से कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। पिछले ढाई साल से + + + रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय साइड पर जाकर खुद मानकर आई, माननीय बृजेन्द्र सिंहजी सूपा भी साथ गये, कुकुण्द नदी है जहां से पांच हजार बीघा जमीन वेस्ट होती हैं, खराब होती है। मात्र 20-25-30 लाख रुपये की लागत का काम है। 15-20 गांव ऐसे हैं जब पानी आता है तो वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। कांग्रेसी सदस्य माननीय बृजेन्द्र सिंहजी सूपा साहब इसलिए नहीं बोल सकते कि इनको कह रखा है पार्टी में अनुशासन रखो, नहीं तो पार्टी से निकाल दिये जाओगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ऐसी बात नहीं है। बिलकुल नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : झूठ कह रहा हूं? आपके दिल की पीड़ा नहीं है यह? माननीय मंत्री महोदय को नहीं पता लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान का, इस पूर्वी राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाने वाला भरतपुर उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। एक भी पैसा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली के लिए नहीं है। माननीय मुख्य सचेतकजी बोल रहे हैं, उनके दिल की पीड़ा इनसे पूछो कि इनको कितना पैसा मिलता है। लेकिन इनको क्या है? कांग्रेस में पद है, बोलने की आदत है, पूर्वी राजस्थान के साथ हर डिपार्टमेंट चाहे इरिगेशन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो और चाहे यातायात हो, हमेशा से भेदभाव करते आये हैं।

डा. करण सिंह यादव : बिलकुल सही बोल रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : लेकिन इतना + + + के बावजूद इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इनका जमीर मर चुका है। पार्टी छोड़ो, + + + जनता आगे पूछेगी कि आपने पांच साल में क्या किया तो आप क्या जवाब देंगे? यहां कहते हैं माननीय गहलोत साहब, + + +, + + + इन ढाई साल में एक इंच सड़क बनी नहीं, एक इंच नहरों की खुदाई हुई नहीं, एक पुलिया बनी नहीं। मैं माननीय मंत्रीजी को और माननीय स्टाफ को जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, कहूंगा कि मेरे तीन गांव ऐसे हैं जो अगर नहर चल जाए तो इधर के इधर रहते हैं और उधर के उधर रहते हैं; लेकिन बारबार लिखवाने के बाद भी आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उम्मीद भी मत करना आप।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मुझे उम्मीद नहीं है काम होने की, लेकिन जनता ने चुनकर भेजा है इसलिए मेरा कर्तव्य है कि अपनी बात को मैं यहां पर रखूं।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो बजट को लीक कराने में ही लगे रहे। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : नहीं, यमुनाजी के पानी से ...(व्यवधान) शेखावत साहब आये न तो हाथ धोकर आये थे डीग में, लेकिन अब तक पानी नहीं आया है। उसकी भी तो बात करो। हाथ धो आये और पानी के लिए कह आये कि यह यमुना का पानी आया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कहें कि यमुना का पानी नहीं आया, इस कांग्रेस सरकार ने किंचित मात्र भी पहल नहीं की कि यमुना का पानी भरतपुर लाया जायें। कम से कम प्रतिपक्ष के नेता ऐसे तो थे जो हाथ धोकर आये। आपने तो झांक कर आज तक नहीं देखा। 300 क्यूसेक्स पानी ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : नल के पानी से धोकर आये हैं, वैसे नहीं आये। यमुना का पानी नहीं आया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : 3210 क्यूसेक्स पानी भरतपुर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर आना था, लेकिन एक क्यूसेक्स पानी आज तक नहीं आया। पचास क्यूसेक्स आता है, हम कहते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है क्योंकि मरम्मत के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब कह रहे हैं, मैंने बात की, अभी कहना नहीं चाहता मैं, दूसरी तरफ नये सिरे से इस पर समझौता हो रहा है। यह सरकार पूरे ढाई साल में चली जाएगी।

एक माननीय सदस्य : वापस आएगी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : चाहे वापस आएगी। सरकारें आती-जाती रहती हैं, सरकार का सवाल नहीं है, लेकिन यमुना के पानी के लिये पिछले पचास साल से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, इन्होंने आज तक कोई नहीं की। (व्यवधान) वह भैरोंसिंहजी ले आये। आपकी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक बांध बारेठा है जिसके पानी को पी.एचईडी. को भेजते हैं। मेरी मांग है कि बांध बारेठा की दीवार दो फीट ऊंची करायी जायें और जो उससे निकलने वाली नहरें हैं, जिनसे कि पांच और दस हजार बीघा के बीच में नुकसान होता है, उस पर दीवार खिंचवाई जाए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ऊंची कराने से तो नुकसान होगा। नहर पक्की करायी जायें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : दीवार खिंचवाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे नदबई क्षेत्र की दो-चार समस्याएं मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आज तो तैयारी करके नहीं आये हो, यूं ही टल्ले मार रहे हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अगर बजट हो तो तैयारी करके आयें। पैसा ही नहीं है तो तैयारी करने का कोई सैंस ही नहीं है। आप ही नहीं पढ़ कर आते, हम से क्या बात कर रहे हो? मेरे नदबई की दो-चार समस्याएं हैं अगर इनके पास बजट हो तो इनको देख लेना, अदरवाइज उम्मीद तो कम है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बजट तो आप लीक कर चुके।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बजट आप ले तो गये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ऐसे में इस बजट को बजट ही नहीं मानता। वित्त मंत्री मैं हूं, बजट मैंने पेश पहले किया। मुझे पता है क्या होना जाना है। उसमें होना-जाना तो कुछ है नहीं।

मेरे यहां तीन कैनाल-धरसोणी कैनाल, नदबई माइनर और पथेना कैनाल, इनमें सिल्ट जमा हो चुका है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इनकी खुदाई करवायी जाये जिससे नदबई की जनता को, क्योंकि पानी खारा हो चुका है, थोड़ी राहत मिल सके। और दो-चार पुलियाएं हैं, उनको बनवाने का कष्ट करें। बाकी ज्यादा उम्मीद नहीं है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगातार तीन वर्षों से भयंकर अकाल है और ऐसे समय पर सिंचाई की चर्चा करना अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, बेगूं विधान सभा क्षेत्र से, जो बहुत ही लम्बा-चौड़ा है। 200 किलोमीटर लम्बा और कम से कम 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। नदियां, पहाड़ और वन बहुत अधिक हैं। नदियां और नाले इतने हैं कि यदि अलग से उसका मास्टर प्लान बनाया जाए तो मैं सोचता हूं बहुत अच्छी प्रगति वहां हो सकती है। मैं इस मौके पर माननीय गहलोत साहब और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने हर सम्भाग पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेकर हमारी समस्याओं को सुना। खास तौर से माननीया डा. कमलाजी का आभारी हूं कि इन्होंने सम्भाग स्तर पर विधान सभा क्षेत्रों के बांधों की विस्तृत जानकारी ली और हाथों-हाथ बांध स्वीकृत किये। मैं विशेष आभारी इसलिए हूं कि केवल मेरे बेगूं क्षेत्र में इन्होंने सात बांध स्वीकृत किये और एक बांध भूजड़ा का शिलान्यास किया। मैं सोचता हूं शीघ्र ही उस पर काम शुरू होने वाला है। आठ साल तक भारतीय जनता पार्टी के राज में एक बांध पर भी काम शुरू नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि किस मुंह से यह इस तरह से शब्द बोलते हैं? + + + इन लोगों को। मैं तो आभारी हूं कमलाजी का कि मेरे क्षेत्र में भूजड़ा, जलसागर, पीपला, झांझड़ा, कोकीरपतलोई जैसे महत्वपूर्ण बांधों की आपने स्वीकृति दी और शीघ्र ही इन पर काम शुरू होने वाला है। (व्यवधान) अभी हो जाएगा। आप निश्चित रहे, होंगे शुरू। शुरू होंगे, आप निश्चित मानकर चले। मेरा निवेदन है कि इस भीषण अकाल के समय वित्तीय संकट होने के बावजूद भी रूपारेल के लिये सात करोड़ रुपये की लागत से बांध बना। जो बांध दो साल में पूर्ण होने वाला था, माननीया कमलाजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भरपुर बजट देकर उस बांध को कम्प्लीट कराया है एक साल पूर्व। मुझे कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अब उसमें केवल मुआवजा बाकी है, माननीया मैडम से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घनश्याम जैन)

मैं कहूंगा कि उन किसानों को मुआवजा दिलाने का कष्ट करें।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे बांध हैं जो वन क्षेत्र में आते हैं जैसे मेनाली, भूजर का नाका, सांकर का नाका, आदि, लेकिन उनकी ज्यादा जमीन नहीं डूबती। यदि आप कोशिश करें, राज्य सरकार की ओर से अगर इन तीनों बांधों की स्वीकृति मिल जाती है तो मैं सोचता हूं कि मेरा पूरा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। इसमें ज्यादा वन क्षेत्र नहीं डूबता है, थोड़ा बहुत वन क्षेत्र डूबने पर भी वन विभाग वाले इसमें बहुत ही आब्जेक्शन करते हैं। जैसे भूजर का बांध स्वीकृतशुदा है, लेकिन उस पर रोक आने की वजह से उस पर कार्य पूर्ण नहीं हो सका। मैं माननीया मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस क्षेत्र के इन बांधों को स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें।

इसके आलावा मेरे क्षेत्र में कुछ पुराने बांध हैं जैसे ओराई, डोराई, कालादेह, मडेसरा बांध, यदि इनको एक-एक, दो-दो, तीन-तीन फीट ऊंचा कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इनकी जल क्षमता बढ़ेगी और मेरे क्षेत्र के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओराई बांध बने 35 वर्ष हो गये लेकिन आज भी उसकी नहरें पक्की हैं। अभी वर्ल्ड बैंक से इसके माडर्नाइजेशन के लिए स्कीम चल रही है, मैं माननीया मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इसमें आप विशेष ध्यान देकर इसकी शीघ्र ही स्वीकृति करावें, ताकि इस क्षेत्र को बहुत ही जल्दी लाभ मिल सके।

मेरे क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध है, मैं सोचता हूं इस क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन इस बांध में डूबी है। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे क्षेत्र को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस क्षेत्र से जो सिंचाई हो रही है, जो बिजली मिल रही है उससे पूरे राजस्थान को फायदा है, चाहे आर.ए.पी.पी. के माध्यम से हो, चाहे पन योजना राणा प्रताप सागर से हो। लेकिन हमीरे क्षेत्र के आदिवासी जिनकी जमीन डूबी, वे आज भी परेशान हैं और रोटी-रोजी के मोहताज हैं। जिन लोगों को उस समय बसाया गया, उनसे वायदा किया गया था दो-चार पंचायतों में कि आपकी जो डूब में जमीन आयी है, आप यहां बस जाइये, हम आपको लिफ्ट से पानी देंगे। कांग्रेस के राज में लिफ्ट इर्रिगेशन के माध्यम से इनको पानी दिया भी गया, लेकिन मुझे अफसोस है कहते हुए कि ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया, उन लिफ्टों को बन्द कर दिया गया और आज सिंचाई की बात तो छोड़ो आप, वे पीने के पानी के भी मोहताज हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों से किस मुंह से बात करते हैं। किसानों के हित की बात करना दूर रहा, उनकी लिफ्ट इर्रिगेशन से सिंचाई इन्होंने बंद कर दी। आज वे पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि लिफ्ट इर्रिगेशन को वापस चालू कराया जाये। यदि लिफ्ट इर्रिगेशन चालू नहीं होती तो उनकी तरफ उस जवाहर नगर...

श्री मदन दिलावर : कहां-कहां बंद की है? कैसे चलती थी? वह चलाने के क्या-क्या निर्देश गवर्नमेंट ने दिये थे? वह कैसे बंद हुई? कौन-कौनसी बन्द हुई?

श्री घनश्याम जैन : कोई निर्देश नहीं थे। मुफ्त पिलाई होगी। जवाहर नगर पंचायत में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भगवान के नाम पर सच बोलो। आगे कहना पड़ेगा।

श्री घनश्याम जैन : भगवान का नाम तो आप लो। असत्य बोले हो इसलिए बैठे हो 33 पर सिमट कर। किस मुंह से बोल रहे हो? यह प्रूफ की बात है, उसमें देख लो न कब आपने बन्द की लिफ्ट इर्रिगेशन।

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान) योजना बनाकर राष्ट्र को समर्पित करते हैं...(व्यवधान)

श्री घनश्याम जैन : बातें करने से काम नहीं चलता।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां और वो कहां? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को क्यों टोक रहे हैं? कोई लेना-देना नहीं है बेगूं विधान सभा क्षेत्र से। और आप किस हैसियत से टोकाटोकी कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और आपको पता ही नहीं है...(व्यवधान) योजना होती है, कैसे चलती है।

श्री सोहन नायक : माननीय सदस्य, आप मेहरबानी करके बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक धेले का काम किया नहीं, जनता को लूटा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपको 10 प्रोजेक्ट के नाम बता दूं जो बी.जे.पी. के ही राज में चालू हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस राजस्थान की जनता को...(व्यवधान) लूटने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सिंचाई के मामले में जो किया है बी.जे.पी. ने ही किया है।

श्री घनश्याम जैन : कुछ नहीं किया है बी.जे.पी ने लिफ्ट इर्रिगेशन को बंद किया। आज हमारा किसान पानी-पानी के लिए मोहताज है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंघवीजी, बिराजो।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी के राज में ही बंद हुई।

श्री सोहन नायक : गांवों में जाओ, गांवों में मालूम पड़ेगा, लोगों की आज आस्था मजबूत हुई है इस सरकार के प्रति। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दीं, काम एक नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आज पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बहबूदी की जा रही है। (व्यवधान) एनीकट बनाये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा बिराजिये।

श्री सोहन नायक : गलतबयानी कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सिंघवीजी, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : इस राजस्थान की जनता के साथ इतना धोखा किया है इस सरकार ने आने के बाद, जितना धोखा कभी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिये, कहने दीजिये अपनी बात। आपने बहुत कह दिया। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बिलकुल गलत बोल रहे हैं, साहब, बी.जे.पी. के राज में (व्यवधान)

श्री घनश्याम जैन : आपने जो कुछ किया, अच्छा करते तो उधर नहीं बैठते। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और सिंचाई शुल्क दोगुना कर दिया। कहा था कि नहरों की मरम्मत करेंगे, नहरों की साफ-सफाई करेंगे, क्या हुआ साफ-सफाई का? क्या हुआ मरम्मत का? कुछ किया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अगर कुछ अच्छा काम किया होता तो यहां क्यों बैठे होते? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : जितना झूठ बोले, जितना गुमराह किया आपने, पिछले 8 साल में किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्यामजी, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र में पधार जाओ और वहां देखो, सिंचाई विभाग ने कितने मजबूती से और अच्छे काम किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्यामजी, आप बोलिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हमारे समय के तो काफी गिना सकता हूं, कहो तो मैं बता दूं?

श्री उपाध्यक्ष : सिंघवीजी, प्लीज, आप मेहरबानी करके बिराजो। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे पड़ौसी हो, मैं तो वैसे ही ध्यान रखता हूं आपका।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान रखते हो तो फिर बैठो।

श्री घनश्याम जैन : दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डूब विस्थापितों को जहां बसाया गया और पैराफेरी में 90 किलोमीटर सड़क वहां बनायी गयी, आज उसकी बड़ी दुर्दशा है। 8 साल के दरमियान एक भी पैसा उस सड़क पर नहीं लगा। मेरा निवेदन है कि इरिगेशन के माध्यम से जो सड़क बने, उसके लिए पैसा दिलाया जाये।

एक मेरा निवेदन है कि कुण्डाल क्षेत्र है जहां राणा प्रताप सागर से एक ही पंचायत को पिलाई होती है केवल गाडोलिया पंचायत को। उसकी नहरें भी बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इसलिए मेहरबानी करके उस जावरा नहर के लिए पैसा दिलाया जाये। दूसरा, राणा प्रताप सागर को बनाने में हमारे

(श्री घनश्याम जैन)

क्षेत्र के लोगों का योगदान है, उनकी जमीनें गयीं। कुण्डाल क्षेत्र जो अटैच है रामगढ़ मण्डी के और एकलिंगपुरा साइड में जो तीन-चार पंचायतें उस क्षेत्र की हैं वहां जमीन बहुत अच्छी है लेकिन पानी नहीं है, राणा प्रताप सागर से अगर पानी को लिफ्ट करके उस कुण्डाल को दिया जाये तो मैं समझता हूं कि वह जमीन इतनी बढ़िया है कि गंगानगर को भी मात कर सकती है। इतनी काली जमीन है वह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय घनश्यामजी, इधर। और कुछ?

श्री घनश्याम जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं सिंचाई मंत्रीजी का कि अब की बार इन्होंने पुराने बांधों को हाथ में लिया और उस पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस मौके पर और निवेदन करूं कि बेगूं विधान सभा क्षेत्र में स्टेट के समय के करीब 100 बांध ऐसे हैं जिन पर अगर हम वित्तीय सहायता से काम चलाएं तो उस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। इनकी बड़ी मेहरबानी है, मैं आग्रह करूंगा कि जो पुराने बांध हैं उनके लिए बजट दिलाया जाये, जो पुराने बांध हैं उनको ऊंचा किया जाये और राणा प्रताप सागर की मैंने जो तकलीफ बतायी है उसकी पूर्ति करायी जाये। इन्हीं भावनाओं के साथ जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग संख्या-46 और 22 के संदर्भ में चर्चा करते हुए मैं अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर किसानों के लिए चाहे पेयजल के लिए पानी हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी हो, सरकार पैसे को पानी की तरह बहाने तक के लिए कृत संकल्प है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उनकी कोताही की वजह से सरकार को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सिंचाई मंत्रीजी से कि अजमेर जिले की लाइफ लाइन है बीसलपुर बांध परियोजना। अजमेर जिले के प्रत्येक गांव, मजरे, ढाणी और शहर के अन्दर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए बीसलपुर बांध की स्थापना की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसकी कुल भराव क्षमता 316.5 आर.एल. मीटर है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसका मुआवजा प्रकरण तय नहीं हो पाया है, उसके कारण से इसकी भराव क्षमता का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विगत दो सालों से लगातार, मैं भी, अजमेर जिले के अन्दर जब-जब भी कलक्टर के सानिध्य में बैठक होती है, मुआवजा प्रकरण तय करने के लिए मांग करते आ रहे हैं, राजस्थान की राज्य सरकार जनता के प्रति पूर्णतया संवेदनशील है लेकिन कलक्टर की उदासीनता के कारण आज तक वहां का मुआवजा प्रकरण तय नहीं हो पाया है। मेरे केकड़ी तहसील के 17 गांव डूब क्षेत्र के अन्दर आने के कारण 316.5 आर.एल. मीटर पानी उसमें नहीं भर सकते हैं। पिछली बार पानी 308 से ज्यादा भरने

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

की चेष्टा की गयी तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, आदरणीय अशोकजी गहलोत से निवेदन किया गया कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के 17 गांव डूब में आ जाएंगे, कृपया 308 पर पाबन्दी लगवाइये। तो 308 के ऊपर से भरने वाले पानी के लिए चादर खोली और 308 पर पाबन्दी लगायी गयी। लेकिन नीचे के कुछ अधिकारी जो जयपुर में बैठ कर राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं, अब के उन्होंने 311 तक भरने के लिए एक फैसला ले लिया है। आज के तीन-चार दिन पहले ही चीफ सैक्रेटरी के सान्निध्य में अजमेर सम्भाग की बैठक हुई, उसमें अधिकारियों ने कहा कि हम लोग दो महीने के अन्दर मुआवजा प्रकरण तय कर लेंगे और अभी से 311 की भराव क्षमता के लिए फैसला ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, बडी दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया और जिला कलक्टर की हठधर्मिता के कारण 311 की भराव क्षमता का फैसला किया गया। 15 सालों से अजमेर जिले का भू-संशोधन बिगड़ा हुआ है, 15 साल तक हम उसका फैसला नहीं कर पाये, आज दो महीने में कैसे भू-संशोधन हम निपटा लेंगे? स्थिति यह है कि मौके पर उनकी चाही जमीन है और भू-संशोधन के अन्दर उनकी बारानी जमीन लिखी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृपया जो 311 का फैसला है उसको सार्वजनिक नहीं करें, उसको रोके और सबसे पहले जो 17 गांव डूब क्षेत्र में हैं उनका मुआवजा प्रकरण तय करें। मुआवजा तय करने से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, विस्थापितों के लिए योजना बनायी जानी चाहिए। रीति-नीति यह कहती है। आज तक उन विस्थापितों के लिए किसी प्रकार की कोई भी विस्थापित योजना नहीं बनायी गयी है तो किस प्रकार से उसका मुआवजा प्रकरण तय किया जायेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहूंगा कि इस 311 भराव क्षमता को रोका जाए अन्यथा अजमेर जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ने का पूरा पूरा अंदेशा है। क्योंकि 309 में पिछली बार चोतला गांव डूब क्षेत्र में आ गया था, दो नदी के बीच में एक गांव था, फिर पूरा प्रशासन लग कर उसके बाद नाव के माध्यम से गांव को बाहर निकाला गया। वहां एक्सईएन., एईएन. वगैरह मौके पर गये, उनको दो दिन तक नजरबंद कर दिया गया था। मौके पर जाकर रिक्वेस्ट करके मैंने उन लोगों को छुड़वाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 311 का फसैला किया गया, उसको रद्द किया जाये और पहले केकड़ी तहसील के जो 17 गांव डूब क्षेत्र में हैं उसका फैसला अजमेर जिला कलक्टर के माध्यम से करवाया जाये। 17 गांव डूब क्षेत्र में हैं केकड़ी तहसील के जो जिला अजमेर के अन्तर्गत आते हैं। उसका फैसला टोंक कलक्टर के माध्यम से किस प्रकार हो सकता है? इसीलिए आज तक विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर पहलू है, अजमेर जिले की समस्या है। यदि इनकी विस्थापित योजना बना दी जाए, इनकी जमीन की जो किस्म है उसके अनुसार मुआवजा दे

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

दिया जाये और उसके बाद अगर हम 316.5 आर.एल. मीटर का सदुपयोग करते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर अजमेर जिला तो क्या साथ में चार-चार जिलों को हम पेयजल मुहैया करा सकते हैं।

साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर परियोजना बनते समय यह प्रावधान था कि 308 तक का पानी पेयजल के लिए लिया जायेगा और इससे ऊपर का पानी सिंचाई के लिए दिया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करके 309 के अन्दर से सिंचाई के लिए पानी खोल दिया गया, जिससे मानव जीवन के लिए भविष्य में कभी भी संकट गहरा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि येन केन प्रकारेण 311 पर पाबन्दी लगायी जाये, पहले उनको मुआवजा दिलवाया जाये और योजना के अनुसार विस्थापियों को बसाया जाये। जिला कलक्टर की उदासीनता के कारण डिले हुआ अन्यथा दो साल पहले अगर इसका मुआवजा प्रकरण तय कर दिया जाता तो मैं समझता हूं...

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 309 तक का था, एग्रीमेंट था 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत का और 315 की भराई। कोई 309 का डिमार्केशन नहीं है। और 72 करोड़ तो मुआवजा आपका बंट चुका 311 के हिसाब का। आपको इसकी पूरी जानकरी नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो भी मुआवजा बंटा है वह मात्र टोंक जिले के अन्दर ही बंटा है। अजमेर जिले के अन्दर...

श्री दिग्विजय सिंह : अजमेर का भी बंट चुका है। आपके केवल दो गांव हैं जिनका बाकी है। पहली दफा में उन गांवों को भी मिल जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान) बोलो, बोलो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप क्यों बुरा मान रहे हैं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। चलने दो बात।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल कटु सत्य है कि अजमेर जिले के केकड़ी तहसील के 17 गांव डूब क्षेत्र में हैं, विस्थापितों के लिए आज तक रीति-नीति ही नहीं बनी। विस्थापित योजना ही नहीं बनी तो मुआवजा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सबसे पहले विस्थापित योजना बनती है, फिर उनको विस्थापित करने के बाद में उनकी जिस किस्म की जमीन है उसके अनुसार मुआवजा तय होता है। आज तक उनका मुआवजा तय नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कलक्टर की निष्क्रियता के कारण से आज अजमेर जिले के...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, कलक्टर के लिए चार दफा तो कह दिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : केकड़ी क्षेत्र के 17 गांव उनके कारण से बस नहीं पाये, 316.5 आर.एल. मीटर का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नादानी की वजह से कांग्रेस सरकार की बदनामी हो रही है, राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। अगर उनको समय पर हम लोग भुगतान कर देते तो निश्चित तौर पर इस मानसून के अन्दर हम 316.5 आर.एल. मीटर पानी भरते और निश्चित तौर पर चार जिलों को उसका फायदा मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया। बाबूलालजी, हो गया बिराजो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सिर्फ एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में नारसागर, पीपलाज, अम्बापुरा सिंचाई परियोजनाएं काफी समय से अपूर्ण चल रही हैं। उन पर पांच सौ करोड़ रुपये लग चुके हैं, मात्र चालीस-चालीस और पचास-पचास लाख रुपया अगर इन योजनाओं पर और लग जाये तो ये योजनाएं चालू हो जाएं और वहां पर सैकड़ों काश्तकारों को जमीन का फायदा मिले। जिस प्रकार से नारसागर, पीपलाज परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उसी प्रकार अम्बापुरा सिंचाई अधूरी पड़ी है, करोड़ों रुपये लग चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उम्मेद सागर, गढ़ियाली परियोजनाएं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया, वे भी अधूरी पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से बिसुन्नी बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये लग गये लेकिन यह भी अधूरी पड़ी है। इसी प्रकार से गुदली सिंचाई परियोजना के लिए हम निवेदन कर चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लाखों रुपये और लगाकर तत्काल प्रभाव से इन योजनाओं को अगर चालू करते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को हर प्रकार से फायदा मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया। एक मिनट, टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। माननीय मंत्री महोदय।

मांग संख्या-22 व 46 पर विचार

डा. श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद प्रेषित करती हूं कि उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान अनेक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव भी दिये, कुछ तकलीफों की बाबत ध्यान भी आकर्षित किया और अपना आक्रोश भी जाहिर किया। इस तरह की चर्चाओं का हमेशा से विभाग को

(डा. श्रीमती कमला)

लाभ मिलता रहा है और बहुत-से कार्यों की शुरूआत, बहुत-से कार्यों का सम्पादन और बहुत-सी नयी योजनाओं की शुरूआत इन चर्चाओं के माध्यम से हुई भी है।

जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह एक तथ्य प्रतिपादित है कि वायु अगर प्राण है तो जल जीवन है। मनुष्य के जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यकता वायु की है लेकिन जीवित रहने के लिए उसी के समान जल की आवश्यकता भी है। पिछले कुछ वर्षों में सारे विश्व में, हमारे देश में और हमारे राज्य में भी जल के बाबत आम व्यक्ति भी बहुत चिन्तित है, राज्य सरकारें भी चिन्तित हैं और देश की सरकार भी चिन्तित है। हमारे जो जल विशेषज्ञ हैं उन्होंने काफी समय पूर्व से मानव और राज्यों को आगाह करना शुरू कर दिया था कि यदि राज्यों ने और समाज ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय जल का भारी संकट पैदा करेगा और उसके लिए अभी से अगर व्यवस्थाएं नहीं की गयीं तो हमें बहुत गम्भीर त्रासदी का सामना भी करना पड़ सकता है। राजस्थान में 237 हमारे जो ब्लाक्स हैं उनमें से 34 ग्रे-जोन में चले गये हैं जहां पानी का बहुत संकट शुरू हो गया है। 26 डार्क जोन घोषित हुए हैं और 41 ऐसे हैं जो अत्यधिक दोहन के कारण से अपने आप सूखे की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त की है। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहती हूं कि हमें अपने राज्य के साल दर साल पड़ते अकाल को दृष्टिगत रखते हुए, जल स्तर के तेजी से घटते हुए स्तर को देखते हुए और बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जो कम हो रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए यह सर्वाधिक प्राथमिकता का विषय है कि हम जल संग्रहण के लिए और जल की एक-एक बूंद की बचत के लिए जो कुछ भी अधिकाधिक ढंग से तत्परता के साथ कर सकते हैं वह हम करें।

हमारे राज्य में वैसे तो कुल सतही जल 21.17 बी.सी.एम है लेकिन इसमें से कुछ पानी ऐसा है जिसको हम बांध नहीं सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो जो काम में लिया जा सकने वाला हमारे पास जल है वह 17.88 बाहरी जल है जो हम अन्तरराज्यीय समझौतों से ले रहे हैं। 16.05 बी.सी.एम. हमारे यहां का सतही जल है और 7.413 बी.सी.एम. भू-जल है। जो हमारा बाहरी परन्तु सतही जल है उसका हम अब तक की हमारी परियोजनाओं के जरिये से जो उपयोग कर पाये हैं वह लगभग 52 प्रतिशत है, लेकिन जो भू-जल है उसका दोहन हम बहुत अधिक-145 प्रतिशत तक कर चुके हैं जो बहुत ही चिन्ताजनक और विचारणीय विषय है। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस बात की चेष्टा की कि पिछले दो ढाई साल में जितना भी बजट मिले उसको हम ज्यादा से ज्यादा हमारी इन परियोजनाओं को उपयोगी बनाने के काम में खर्च करें। 1950 से लेकर अब तक कुल जो योजनाएं तैयार हुई हैं वे 4867 योजनाएं हैं। इनसे कुल सिंचाई क्षेत्र जो अब तक सृजित हुए उनका क्षेत्रफल 28.83 लाख हैक्टेयर है और उन पर जो कुल व्यय अब तक हुआ वह 5500

(डा. श्रीमती कमला)

करोड़ रुपये है। इसके बावजूद भी हम अभी सिर्फ आधे के करीब ही पानी का संग्रहण कर पाये हैं। इसलिए राज्य को इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम साल दर साल अधिक से अधिक बजट इस मामले में दें और अधिक से अधिक योजनाएं बनाकर चाहे वृहत् योजना हो, चाहे मध्यम योजना हो, चाहे लघु सिंचाई योजना हो, चाहे एनीकट हो, चाहे गंवई तालाब हो, चाहे हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हो, उन सबके माध्यम से हम किसी न किसी तरह से जो बरसात का पानी आता है उसको रोकें। जो बाहर से हम जल ला रहे हैं उसका भी भरपूर उपयोग हो। नहरों से सीपेज बचे, किसी प्रकार से भी ओवरड्राव्रल न हो और हमारी व्यवस्थाएं इस तरह की हों कि हम उनके माध्यम से राज्य में इसी पानी का और अधिक उपयोग कर सकें। पिछले सालों में जो बड़ी योजनाएं हमारी पूर्व से चली आ रही हैं, हमने कोशिश की कि उनको हम आगे बढ़ाएं।

हमारी मौजूदा योजनाओं में माही एक बहुत बड़ी योजना है। इस माही योजना में बहुत कुछ काम तो हमारा पूरा हो चुका है। जो इसकी वितरिकाएं हैं वे लगभग अस्सी प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं और जो दोनों नहरें हैं उनका एक का काम 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है लेकिन फर्स्ट फेज के कुछ काम इसके ऐसे हैं कि जिनको हमको लेना जरूरी था। उसके बिना जो इसका गठन हुआ, काम प्रारम्भ हुआ वह अधूरा रहता। इसलिए प्रथम चरण के कुछ शेष कार्य हमने अभी चालू कर रखे हैं। नरवाली, जगपुरा, भूंगडा इन नहरों का काम आगे चल रहा है और काफी कुछ पूरा हो चुका है। इसके साथ हमने जो जरूरी दो आइटम थे वे जोड़े हैं-एक आनंदपुरी नहर को हमने जोड़ा है और एक जगपुरा का विस्तार कार्य हमने लिया है। जाखम के बीच में शायद डूंगरपुर से सागवाड़ा नहर का एक इलाका है उसको हमने इसके अन्दर लिया है, क्योंकि सागवाड़ा और उसके अन्य कार्यों का जो सैकण्ड फेज का काम है उसका प्रस्ताव अभी सी.डब्ल्यू.सी. में है और उसकी फिजिबिलिटी अभी बैठ नहीं रही है। इसलिए उसको मंजूर होने में समय लगेगा। तो हमने ये दो कार्य जो सैकण्ड स्टेज के लिए छोड़े हुए थे, वे हमने फर्स्ट स्टेज में ही ले लिये हैं और इनको हम फर्स्ट स्टेज के साथ ही पूरा कर देंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है।

बीसलपुर परियोजना का जो मामला है वह जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, मुआवजे का काफी कुछ काम बाकी है। 308 तक पेयजल के लिए सुरक्षित है, उससे ऊपर का पानी सिंचाई के लिए सुरक्षित है। अभी तक हम सिंचाई के लिए बहुत मामूली-सा पानी इकट्ठा कर पाये हैं लेकिन पेयजल का पानी बाकायदा सुरक्षित है। न उसको कहीं सिंचाई में हम लगा रहे हैं और न कोई लगाने का इरादा है। इतना जरूर हम कर रहे हैं कि सिंचाई के निमित्त जो पानी रिजर्व है उस पानी को हम अपनी परम्परागत पद्धति के अनुसार उपयोग न करके स्प्रिंकलर सिस्टम पर उसको ले जाना चाहते हैं जिससे कि इर्रिगेशन का क्षेत्र साधारण पद्धति से जितना लेते हैं उससे ज्यादा हम उसको ले सकें।

(डा. श्रीमती कमला)

इसका जो नया प्रपोजल बनाया है वह अभी विचाराधीन है और उस विचाराधीन प्रपोजल के मुताबिक हम और कुछ गांवों को इसमें जोड़ सकेंगे।

केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आशंका प्रकट की है कि 311 का जो फैसला किया है उससे हम सबको बिना मुआवजा दिये ही बेदखल कर देंगे और वहां के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी, ऐसा कहीं भी किया जाना सम्भव नहीं है। हम उसी जगह से भराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं जबकि उस भराव क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को मुआवजा देकर योजना के अनुसार भली प्रकार से बसा सकें। इसलिए यह जो आपकी आशंका है, मैं समझती हूं आप इसको अपने मन से निकाल दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा नहर का जो काम चल रहा है यह अपने आप में जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का काम गुजरात के क्षेत्र में काफी तेजी से चल रहा है। हमारे यहां पर भी इसमें 74 किलोमीटर की मुख्य नहर आएगी, शीलू गांव के पास से एंटर करेगी। उससे आगे से हमारे क्षेत्र में भी इसका काम चल रहा है। इसके काम के सन्दर्भ में हम इस बात की तैयारी में भी हैं कि हम 2004 तक हमारे क्षेत्र में इसका पानी ले लें और राजस्थान में जो हमने नेटवर्क इसका बनाया है उसको हम उपयोग कर सकें। इसमें दिक्कतें जरूर है कि कुछ हमें जो पैसा देना है उसको देने में हम थोड़ा-सा कमी रखते हैं, उसके बावजूद भी मुझे कहते हुए खुशी है कि गुजरात की तरफ से जो पूरे क्षेत्र में इसका काम होना है उसको बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। कुल 532 किलोमीटर की यह नहर काफी अच्छी तेजी के साथ में बन रही है और जैसा मैंने बताया, 2004 में यह तैयार होकर हमें अपने इलाके में पानी दे देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी योजना जो हमारी सिद्धमुख नहर की है, इस योजना की 309 करोड़ रुपये की लागत है और यह प्रोजेक्ट हरियाणा में लगभग पूरा हो चुका है। इसके नीचे 94 लाख हैक्टेयर्स की सिंचाई क्षमता कायम की हुई है। हमारे क्षेत्र में जितना रतनपुरा वितरिका का काम है वह पिछले साल में नहीं हो सका क्योंकि आखिर में जाकर हमें कुछ पैसा मिला उसको हम लगा नहीं पाये, समय नहीं था इतना। इसलिए रतनपुरा वितरिका का काम भी और सिद्धमुख नहर का काम भी हम इस चालू सत्र में पूरा कर लेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जुलाई, 2001 में हम इस परियोजना का लोकार्पण कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, घग्घर बाढ़ नियंत्रण परियोजना अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, बहुत उलझनभरी भी है। अदालतों के, जन प्रतिनिधियों के और आम कृषकों के बीच में बहुत सारा विवाद भी इसके बारे में चला है। इस घग्घर के माध्यम से जो पानी निकलकर जाता है उसको हनुमानगढ़ टाउन को पहुंचाने के लिए कुछ लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं, जिन्होंने कोर्ट में भी याचिका दायर की है, कि इसका प्रबन्ध किया जाये। नहर के बीच में काश्तकारों ने जो अपने अपने खेत बनाकर

(डा. श्रीमती कमला)

डोले लगा रखे हैं उन डोलों से बाढ़ का पानी सहज गति से निकल नहीं पाता है, क्योंकि न तो इतना चौड़ा उसका पाट बन पाता है और न रूट सीधा बन पाता है। रूट बहुत टेढ़ा-बांका भी है और उसकी चौड़ाई भी बहुत कम है। पहले एक बार कोर्ट में लोग गये, उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि आप प्रस्ताव प्रस्तुत करिये। उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया और फैसला ऐसा दे दिया कि उसमें तुरन्त कार्यवाही करना भी सम्भव नहीं, चाहे लोगों के हितों को देखते हुए, चाहे इतनी धनराशि और इतने विवाद के दृष्टिगत। लेकिन छह बीघा का एक पूरा रूट जो उसमें प्रस्तावित किया हुआ था उसके अनुसार इसको बनाया जाना था। जब कभी भी यह समस्या आती है, कोर्ट ने आर्डर दे रखे हैं, फैसला दे रखा है। समय आता है जब मंत्री जी को, सचिव जी को, अधिकारियों को सबको नोटिस भी आते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन...... समस्या यह है

(20.00 बजे)

कि हम अपनी मशीनों से शुरू से लेकर 163 किलोमीटर तक सीधी लाइन तो खींच दें, लेकिन जो डोले टूटेंगे उनको बनाएंगे कहां से, कैसे बनेंगे? और नहीं बनेंगे तो लोगों के खेत, मकान और बस्तियां सारे उसके अन्दर आपदा में पड़ते हैं। इसलिए बीच में जब मैंने एक बार वहां मीटिंग ली, सारे जन-प्रतिनिधियों को भी बुलाया, अधिकारियों को भी बैठाया और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे उन सबको भी, तब गांव के कृषकों ने यह कहा कि अगर तीन बीघा तक भी आप रखते हैं तो भी सही है, लेकिन छह बीघा तो बहुत बड़ा एरिया आप कवर करते हैं, हम इसको करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप तोड़ते हैं तो आप बनायें। लेकिन काश्तकार की मदद के बिना सरकार उसको कर नहीं सकती। अभी स्थिति यह है कि उसके जो आफिसर इंचार्ज हैं, उनको मैंने कहा है कि आपको इतना समय हो गया, इतने समय में आप अपने उस प्रस्ताव को संशोधित रूप में अगर कोर्ट में पेश कर देते तो कोर्ट उसके हिसाब से फैसला शायद दे देती कि तीन बीघा ही हमें पर्याप्त है और जो रूट है उसमें ये गांव आते हैं, मंदिर आते हैं, श्मशान आते हैं, ये आते हैं इसलिए इस रूट को भी हम संशोधित रूप में आपसे स्वीकृत कराना चाहते हैं। लेकिन चूंकि संशोधित रूप में स्वीकृत कराने की कार्यवाही की नहीं गयी, वह का वह फैसला खड़ा है और नोटिस आये हुए हैं। जब कोर्ट का नोटिस हमें आता है, अधिकारियों को आता है तो अधिकारी आगे कृषकों को भी नोटिस देते हैं। यह समस्या अपने आप में बहुत ही कठिनाई भरी हमारे सामने खड़ी है। इसका किस तरह से रास्ता निकालें और कैसे कोर्ट की भी अवहेलना नहीं हो, ऐसी कार्यवाही करें, उसके अंदर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं।

एक तरफ इसका ओटूवियर विवादास्पद मामला है। यह सही है कि इस ओटूवियर की क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार को हमसे भी पूछना चाहिये था, पहले हमारी सहमति लिये बिना उन्हें नहीं बनाना चाहिए

(डा. श्रीमती कमला)

था लेकिन जिस तरह से सारा राजस्थान जानता है और खास तौर से आप और हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा का रुख और आम तौर से अपस्ट्रीम के जो स्टेट्स होते हैं उनका रुख कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो जो रुख है उसमें उन्होंने न तो बनाने से पहले हमसे सहमति ली और जब हमने उनसे कहा कि आप इसको हमारी सहमति के बिना मत बनाइये, क्योंकि हमारी जो नहर है वह सिर्फ 20 हजार क्यूसेक्स ले सकने की स्थिति में है। उसके नीचे से जो साइफन है, अगर हम तब्दील नहीं करते हैं और आप पहले से इतना बड़ा बनाते हैं तो हमारी नहर के साइफन में भी इतनी गुंजाइश नहीं है इसलिए आप इसको अभी नहीं बनायें। जब उन्होंने नहीं माना तो सरकार ने प्रोटेस्ट किया। हमारे कृषक महा सभा के लोगों ने भी कोर्ट में केस किया। कोर्ट के अंदर और गवर्नमेंट के सामने भी उनको तर्क से और सभी प्रकारों से कोशिश की गयी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया नहीं। बावजूद तकाजा करने के, नोटिस हमारे देने के कि आपको यह अपने लेवल पर करने का अधिकार नहीं है, हमसे पूछकर ही आप कर सकते हैं, उन्होंने उसका 45 हजार क्यूसेक्स का ओटूवियर बनाया। अब स्थिति यह है कि वह बन चुका है और हमें अपने आपको बचाना है। राजस्थान नहर के एक स्पेसिफिक पाइंट पर एक इनटेक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का प्रावधान किया है, वह काम जारी है और उसके लिये प्रावधान भी चार करोड़ रुपये का रखा हुआ है, हालांकि उसका खर्च साढ़े 5 करोड़ का है। फिर भी यह इनटेक स्ट्रक्चर हम बहुत तकाजे के साथ में बना रहे हैं कि आने वाले समय में हम इससे डाइवर्शन कर सकेंगे। और जो हमारी डाइवर्शन कैनाल है उसको भी आगे रीमाडल करने के कुछ प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। यह अपने आपमें इस तरह की एक स्थिति हमारे सामने आयी हुई है। जैसी भी स्थिति है, जैसा भी मौके पर हम उसका निराकरण कर सकते हैं करना लाजिमी है हमारे लिये, वरना हम अपने कस्बे को, अपने गांवों को, अपनी नहर को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें सरकार तत्परता से लगी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस वर्ष हमने एक बहुत बड़ा काम जो अपने हाथ में लिया है, जिसके लिए माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, एक उपलब्धि है वह है गंग नहर जो 22 से 27 के बीच में बनी और 27 से उसमें जल प्रवाह हुआ। वह आज अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी चुकी है। इस पूरी नहर पर पटरी-पटरी जाकर जहां से उद्गम है वहां से लेकर गंगानगर तक दौरा करके आयी हूं, बहुत बुरी हालत में है। कटिंग रीचेज में पानी चल रहा है, उसके बैंक का कहीं-कहीं अता-पता ही नहीं है। उसमें गायें, इंसान सब नहा रहे थे, धो रहे थे। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े-बड़े पेड़ भी खड़े हैं। बहुत पुराने समय में जो परियोजना इसके लिये बनाई गयी थी, जो इतने समय से सी.डब्ल्यू.सी. के अन्दर लम्बित थी, हमारे आने के बाद में अपने अधिकारियों को हमने तकाजा करके भेजा, सी.डब्ल्यू.सी. से उन्होंने

(डा. श्रीमती कमला)

चर्चा की, वहां से उसको एप्रूव कराया, प्लानिंग कमीशन से एप्रूव कराया। 446 करोड़ रुपये की यह परियोजना अपने आपमें राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना है। और यह सिर्फ कोई मरम्मत की योजना नहीं है, सिर्फ सुधार की योजना नहीं है, यह पुनर्निर्माण की, आधुनिकीकरण की योजना है। गंग नहर फिर से नयी बनायेंगे और पहले से भी अच्छी बनायेंगे। पहले जो बनी हुई थी वह तो चूने और कंकरीट से बनी हुई थी और बहुत सारी वितरिकायें और सारी की सारी माइनर कच्ची बनी हुई थीं। इस योजना के तहत यह नहर शुरू से लेकर आखिर तक पक्की बनेगी और सारी की सारी व्यवस्थायें इसकी बहुत सुदृढ़ अवस्था में बनायेंगे। यह इसका पुनर्जन्म है। हम यह समझते हैं कि महाराजा गंगासिंह जिस भावना के साथ इसको उस जमाने में लेकर आये थे, हम नये जमाने में इसको और अधिक स्वस्थता के साथ में, मजबूती के साथ में राजस्थान को सौंप रहे हैं और सौंपेंगे। यह हमारी परिकल्पना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक बहुत बड़ा फैसला यह भी इस वक्त किया कि इन्दिरा गांधी, भाखड़ा, गंग नहर परियोजनाओं में बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो वर्षों से पानी तो ले रहे हैं लेकिन उनकी जमीन अभी भी अनकमाण्ड है। तो पानी हम दे रहे हैं लेकिन जमीन अनकमाण्ड बोल रही है। पैसा राज को आ नहीं रहा है। उनको भी परेशानी और राज को भी परेशानी। इसलिए हमने इस बात का फैसला किया है इन सारे काश्तकारों को जो 27721 की संख्या में हैं, उन सबके क्षेत्रों को कमाण्ड करने की घोषणा की है और उन सबको यह सुविधा प्रदान की है।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य और हम विभाग के लोग भी इस बात से बहुत चिंतित हैं, बहुत भयंकर रूप से इस बात से, हालात से वाकिफ हैं कि हमारे जितने भी सिस्टम बने हुए हैं वे 70-80-90 वर्ष पहले के हैं। सारी की सारी चीजें रख-रखाव की कमी के कारण बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होती जा रही है। बहुत-से उत्तम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कहीं न कहीं किसी की मुख्य नहर कोलैप्स हो जाती है। कई बार यह भी लगता है कि यह सिस्टम कोलैप्स हो गया तो इसका पुनर्निर्माण करना मुश्किल है। इस दृष्टि से हमने यह सोचा कि मौजूदा योजनाओं को हम अच्छे रख-रखाव और अच्छे सुदृढ़ीकरण के साथ में खड़ा कर दें तो उसी पानी से हम और अधिक सिंचाई भी कर सकते हैं। टेल एण्ड तक सारे काश्तकारों को भी हम सैटिस्फाई कर सकेंगे और आने वाले समय में उस प्रोजेक्ट की लाइफ भी बढ़ सकती है। यह सारा दृष्टिगत रखते हुए हमने वर्ल्ड बैंक से बात की कि हमारे जितने पुराने बांध हैं, नहरें हैं, माइनर्स हैं उन सबके लिए ऐसे प्रोजेक्ट बनायें जिससे कि हम उनको वापस सुदृढ़ करके खड़ा कर सकें। तभी हम उससे अच्छी सिंचाई ले सकेंगे और काश्तकारों को टेल एण्ड तक पानी पहुंचा सकेंगे। मैं आपको बहुत खुशी के साथ कहना चाहती हूं कि उन्होंने पूरे देश में दो

(डा. श्रीमती कमला)

राज्यों को ऐसी परियोजना दी है—एक यू.पी. को दी है, एक राजस्थान को दी है। यू.पी. ने उस योजना को नहीं लिया लेकिन हमने उनसे कहा कि आप हमारे लिए योजना तैयार करिये। उन्होंने अपनी तरफ से सारा सर्वे कराया, पांच करोड़ रुपये सर्वे का खर्चा अपनी ओर से लगाया और इस तरह की योजना बनाई। जब वह मंजूर हो जाएगी तो उसके बाद महीनों तक उसका डिटेल वर्क-आउट करने की भी जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में उन्होंने दो-ढाई साल लगाकर उसको तैयार किया है। उस योजना को हमने सी.डब्ल्यू.सी. से एप्रूव करवा लिया है लेकिन वह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। 1970 से पहले की जितनी भी परियोजनायें हैं उन सबके ऊपर इस योजना के माध्यम से काम होगा। इसमें 8 वृहत् योजनायें हैं, 37 मध्यम योजनायें, 46 लघु योजनायें, 16 बांधों का जीर्णोद्धार, इस प्रकार कुल 107 योजनायें हैं, इन सब के लिए यह 733 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बंध बारेठा बांध के जिर्णोद्धार का भी उसमें लिखा है कि नहीं, 16 बांधों का जिसमें दिया है ?

डा. श्रीमती कमला : ऐसा है, मैं अभी आपको डिटेल में बताने की स्थिति में नहीं हूं, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कौन-कौनसे हैं। यह प्रोजेक्ट अपने आप में इतना जरूरी है, इतना उपयोगी है। लेकिन इसका जो रीपेमेंट का मामला है उसमें गवर्नमेंट से 20 प्रतिशत मांगा है, 80 प्रतिशत वर्ल्ड बैंक का है। 20 प्रतिशत में भी 15 प्रतिशत उन्होंने जो आलरेडी हमारा स्टाफ काम कर रहा है, उसी को शामिल कर लिया। बचता है 5 प्रतिशत। इस तरह से राज्य सरकार का अनुदान सिर्फ 5 प्रतिशत है। रीपेमेंट के लिए इसमें ज्यादा भारी भरकम धन राशि नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी इस आशंका के कारण से हम रुके हुए हैं कि अगर पांच-पचास प्रतिशत बढ़ता है इसके रीपेमेंट के लिए, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया माननीय सदस्यगण करेंगे, क्या कृषक करेंगे, आने वाले वक्त में क्या सावधानी बरतें। मैं समझती हूं कि हमें पहले साल में उनको कोई रीपेमेंट नहीं करना है और दूसरे साल में भी जो रीपेमेंट करना है वह इतना नोमिनल होगा कि उसको हम अपने बजट से ही मीटआउट कर सकते हैं। उसके बाद में हमको जो देना है वह पांच वर्ष में, उन्होंने कहा है कि यह आप पर कोई पाबन्दी नहीं है कि पहले साल में इतना करो, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, आप पांच साल के आखिर में भी कर सकते हैं, चार साल में भी कर सकते हैं। तो हम इस बात पर सोच कर रहे हैं कि अगर चौथे साल में कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। पहले दो साल का जो देना है वह अपने आप ही मैनेज कर सकते हैं। (व्यवधान) तो वह विचार-विमर्श के अंदर अभी यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदन दिलावर : ये तो उधार ले लेंगे, साहब, हमको ही चुकाना पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : सुनिये आप। अगर आप काम चाहते हैं, अपने सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं...

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप तो सपने देखो।

डा. श्रीमती कमला : टेल एण्ड तक पानी पहुंचाना चाहते हैं, नहरों का रख-रखाव बढ़िया ढंग से करवाना चाहते हैं तो सालाना बजट में से जितना-सा मिलता आ रहा है उसमें पांच-पच्चीस पैसे बत्ती मिल जायेंगे, बाकी मिलने की कोई स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं आज की स्थिति जो है तीन वर्ष से लगातार अकाल है। हो सकता है कल को भगवान चाहे बरस जाए तो कम रहे, लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम सारे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से परफैक्ट ढंग से तैयार कर लें। इसलिए हमने इस बात को सोचा है, यह हमारे विचाराधीन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वृहत् कार्यक्रमों के अलावा हम इस वक्त...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, भगवान न करे कि चार साल के बाद इनको पेमेंट करने का कष्ट उठाना पड़े।

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जो मध्यम सिंचाई योजनायें चालू हैं हमारी, उनमें से काफी कुछ हम तेजी से सम्पादित करने में लगे हैं। जैसे छापी की हमारी परियोजना है उसमें लगभग 90 प्रतिशत बांध का काम पूरा हो गया, 60 प्रतिशत नहरों का काम पूरा हो गया है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर, 2001 तक हम इसका लोकार्पण कर देंगे। इसके अलावा पांचना का है, इसमें हमारे बांध का काम 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है, नहरों का काम 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है। हमें उम्मीद है कि 2002 तक इसको पूरा करके इसका भी लोकार्पण कर देंगे। चवली सिंचाई योजना...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय मंत्री महोदया, पांचना बांध कितना साल पुराना है, यह तो बतायें?

डा. श्रीमती कमला : हां, हां, पुराना है, बहुत पुराना है। वह तो चलता ही रहता है, उसमें क्या है? कोई न कोई बाधाएं तो आती ही रहती हैं इसलिए कोई ज्यादा लम्बा पड़ जाता है। जिसमें बाधा नहीं आती है, जल्दी तैयार हो जाता है। यह कोई अनोखी बात थोड़े ही है? This is a part of the whole thing.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदया, इसमें अलवर का भी है क्या?

डा. श्रीमती कमला : आप बीच में न बोलें, बाद में खूब पूछ लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर, भरतपुर की भी परियोजना है क्या? (व्यवधान) हम पोजिटिव बात पूछ रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हो आप बाकी लोग? अलवर, भरतपुर से सौतेला व्यवहार हो रहा है।

डा. श्रीमती कमला : आप बतायें, मेरे पास सबके लिए प्रोग्राम है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठीक है।

डा. श्रीमती कमला : सबके लिए भरपूर प्रोग्राम है, आप तसल्ली से सुनें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भरतपुर, अलवर, दोनों जिलों के लिए ?

डा. श्रीमती कमला : हां, दोनों के लिए धौलपुर के लिए भी, बाड़ी के लिए भी।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पहले सुन लीजिए। यह तो गंगानगर से शुरू हुई हैं, नीचे आ रही है, सुनें तो सही आप।

डा. श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चवली की हमारी जो योजना है, उस बांध का काम लगभग 65 प्रतिशत पूरा हो गया है लेकिन नहरों का काम अभी बाकी है थोड़ा-सा। फण्ड जितना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलने से तेजी से वह नहीं बढ़ रहा है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी 2004-2005 तक इसको पूरा कर लेंगे। इसके साथ में लघु सिंचाई की बेथली योजना है, इसमें बांध का काम 90 प्रतिशत हो गया है, नहरों का काम 60 प्रतिशत हो गया है और यह परियोजना 2002 में लोकार्पित कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल 85 लघु सिंचाई योजनायें चल रही हैं और 80 नई योजनायें प्रस्तावित कर रखी हैं जो आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत लगभग स्वीकृत मानकर चलिए, जिनका कि बार-बार जिक्र आ रहा है। मैं सम्भागीय स्तर पर गई थी, मैंने वहां बैठक ली, माननीय जन-प्रतिनिधियों की, अधिकारियों की। उसमें जो फिजीबल हो सकता था उसको हमने आइडेंटीफाई किया था और उनका बी.बी. रेशो निकाल कर फिजीबिलिटी में जो आई उन सबको हमने उन 85 में ले रखा है।

माननीय सदस्यगण, आप पूछेंगे तो मैं उस स्थिति में उनके नाम बता दूंगी। (व्यवधान) मेरे पास सूची है, लेकिन अभी बहुत लम्बा समय लगेगा बताने में। लेकिन वह मेरे पास तैयार है, आप देख सकते हैं।

आर.आई.डी.एफ., इसका दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, इनका तो काम चल रहा है जिनका कि मैं उल्लेख कर रही हूं। सातवें के हमने प्रस्ताव और भेज रखें हैं और आठवें के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि जो रह गये हैं उनको भी हम भेज दें। इसलिए लघु सिंचाई योजनाओं के परिदृश्य को हमने काफी व्यापक पैमाने पर कायम करने की चेष्टा की है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉटर कंजर्वेशन इस प्रदेश में कर सकें।

अभी हमारी स्वीकृत योजनायें 178 हैं उनमें 93 पूर्ण हो चुकी हैं। इसके तहत सिंचाई क्षेत्र 186978 हैक्टेयर तैयार होगा। यह सारा का सारा कार्यक्रम लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत चल रहा है और बहुत मुस्तैदी से चल रहा है। क्षेत्र के लोगों को भी इससे बहुत संतोष है, यह मैं कह सकती हूं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में मैंने यह देखा है कि हम पानी के कंजर्वेशन में कुछ उतनी गम्भीरता से काम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि इस बाबत एक कमेटी बनाई जाए और एक ऐसी हाई पावर कमेटी बनाई जाए जो पानी के मसले को बहुत गम्भीरता से देखे और उसको क्रियान्वित करने की कोई योजना

(डा. श्रीमती कमला)

बनायें। उन्होंने राज्य स्तरीय जल संसाधन स्थायी समिति का गठन किया जिसमें तमाम विभागों के सचिव, ग्राउण्ड वाटर के महानिदेशक, कई शिक्षाविद्, जल विशेषज्ञ, एनजी.ओज. के प्रतिनिधि, जन-प्रतिनिधि शामिल हैं। इस हाई पावर कमेटी की बैठक के दौरान हमने यह तय किया कि हमें सारे राज्य की चप्पा-चप्पा जमीन के बूंद-बूंद का सर्वेक्षण करके एक मास्टर प्लान हर एक जिले का बनाना चाहिए ताकि जैसे-जैसे धन उपलब्ध हो हम उसका उपयोग कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मेरे पूरे विभाग ने और मैंने स्वयं ने भी छह-सात महीने लगातार लगकर इस काम को सम्पादित करने की चेष्टा की। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि मैंने जब सबसे पहले पंचायत समिति स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया, जिसमें पंचायत समिति और नगरपालिका के लोग भी थे, उन सारे के सारे तकनीकी अधिकारियों ने पंचायत समिति की पंचायत के पास में बैठकर एक-एक गांव में जाकर सर्वेक्षण किया। उस वक्त मैंने आप सबको चिट्ठियां लिखीं कि इस तरह का यह कार्य प्रारम्भ हुआ है, मेहरबानी करके देख लें ताकि आपके क्षेत्र में यह काम अच्छी तरह से सम्पादित हो जाए। जब वो लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली तब मैंने फिर आपको एक चिट्ठी लिखी कि इस तरह से हमारे विभाग ने सूची तैयार की है प्रोजेक्ट्स की, मेहरबानी करके देख लीजिए कि कोई बचा तो नहीं। उसके बाद जब जिला स्तर पर इस सूची की समीक्षा करके पूरी लिस्ट तैयार कर हमने कलक्टर्स को और अधिकारियों को दी तब फिर माननीय सदस्यों को लिखा कि अभी यह सूची जिला स्तर पर आ चुकी है, आप इसमें जो प्राथमिकता तय करें वह बता दें और अभी भी कोई आपका प्रोजेक्ट रह गया हो तो वह भी हमें इंगित करें। मैं आपको खुशी के साथ कहना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम के तहत हमने 35 हजार प्रोजेक्ट्स तैयार किये हैं।

श्री मदन दिलावर : ये चिट्ठियां किसको लिखी थीं?

डा. श्रीमती कमला : आपको, सबको लिखी हैं, चाहे कांग्रेस के थे...(व्यवधान) आप सुनिए तो सही।

श्री मदन दिलावर : हमें नहीं लिखी हैं, न हमको बुलाया है।

डा. श्रीमती कमला : आप मेरी सुनिए तो सही। तमाम विधायकों को, तमाम प्रधानों को, तमाम जिला प्रमुखों को, तमाम संसद सदस्यों को, चाहे कांग्रेसी थे, चाहे गैर कांग्रेसी थे सबको तीन-तीन बार चिट्ठियां लिखी हैं। यह मेरे पास रेकार्ड है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रयत्न का एक सुफल हमें तुरन्त ही ऐसा मिला कि या तो हमारी स्थायी समिति के सचिवगण थे, कुछ कह रहे थे कि आप सर्वे करा रही हैं, पैसा है नहीं, काम काहे से कराओगे? मैंने यही कहा कि जब काम आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तब मैं सर्वे कराना शुरू करूंगी तो मेरा तो 8-10 महीना इसी में बरबाद हो जाएगा। इसलिए मैं सर्वे कराकर

(डा. श्रीमती कमला)

रखूंगी और जब कभी पैसा आएगा, अपडेटिंग करके मैं वे काम शुरू कर दूंगी। मुझे खुशी के साथ कहना होता है कि जैसे ही हमने यह काम सम्पादित किया, इलेवंथ फाइनेंस कमीशन से तुरन्त हमें 53 करोड़ रुपया मिला जिसके तहत आज हर एक पंचायत में, पंचायत समिति में गांववाइज तालाबों का व्यापक पैमाने पर कार्य चल रहा है। ये सबके सब काम इस बात के द्योतक हैं कि हम वाटर कंजर्वेशन के लिए जो काम करना चाहते हैं उसकी शुरूआत हमने अच्छी की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नाबार्ड के द्वारा हमने एनीकट का भी प्रोग्राम चला रखा है। ये सारे के सारे ऊपर जो मैंने बताये वे तो सब थे इर्रिगेशन डिपार्टमैंट की सिंचाई योजनायें और या फिर टी.ए.ई.एफ.सी. की योजना। अभी नाबार्ड से हमने 676 एनीकट का कार्य प्रारम्भ किया है जिसमें से मार्च, 2000 तक 194 पूरे हो चुके हैं। तो यह अपने आप में साथ के साथ एक बहुत बड़ा काम विभाग की तरफ से राज्य में किया जा रहा है। इसके साथ अकाल राहत कार्यों के अंदर भी लगभग 1464 कार्य विभाग की तरफ से सम्पादित किये जा रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि राज्य सरकार की यह नीति है और बहुत गहराई से चिंता के साथ में इस काम को हम सम्पादित करना चाहते हैं कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा जल जल्दी से जल्दी हम संग्रहण कर सकें और हमारा जो भू-गर्भ जल है उसके स्तर को ऊंचा उठा सकें। गांवों में पेयजल की सुविधा कर सकें और जो गम्भीर समस्या हमारे सामने अकाल की पड़ती है उसमें भी कुछ कमी ला सकें। इस संदर्भ में हमने ये काम किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विभाग ने कुछ विशेष उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जैसे हमने राज्य की जल नीति घोषित की। पिछले साल में ही कर दी थी। उसके अन्तर्गत ये सारे कार्यक्रम हमने तैयार किये हैं। राज्य की जल संसाधन योजना, कितने हमारे बेसिन हैं, कितने उप बेसिन हैं।, 14 बेसिंस के, 59 उप बेसिंस के और शेष हमारे जो नदी-नाले हैं उन सबको किस तरह से हम आने वाले वर्षों में बांधेंगे, उनकी योजनायें बनाएंगे, काम में लेंगे, यह सब उसमें मौजूद है। सबसे बड़ा उपयोग हमने इस वक्त में यह किया कि वर्ल्ड बैंक के सुझाव के साथ जो नयी परियोजनायें शुरू कर रहे हैं उनमें शुरू से ही जो भी कृषक हैं उनकी कृषक सहभागिता समितियां बनायीं। वे अपने आप उस प्रोजेक्ट को सम्भालेंगे, जो कुछ वसूल करना है वह अपने आप करेंगे, संधारण करना है वे करेंगे और आगे भी अगर ज्यादा काम कराना चाहते हैं तो वह भी उनको छूट होगी। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं हम उन प्रोजेक्ट्स को भी सही करके हमारी जो कृषक सहभागिता एसोसिएशंस हैं उनको सौंपेंगे। और सौंपे हैं, काम कई जगह पर बहुत अच्छा चल भी रहा है। इस चर्चा के दौरान भी कुछ माननीय सदस्यों ने उसका जिक्र किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे सामने यमुना जल का मामला है। जो हमारे कुछ काम अभी बाकी रह रहे हैं उनके बारे में मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगी।

(डा. श्रीमती कमला)

यमुना जल के बाबत गुड़गांव में हम 500 क्यूसेक्स पानी ले रहे हैं और भरतपुर फीडर से हम 300 क्यूसेक्स पानी ले रहे हैं। 100 क्यूसेक्स हम...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कय्यूम साहब, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मंत्रीजी को क्यों नहीं कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : गलत जगह कय्यूम साहब बैठे हैं, मंत्रीजी नहीं बैठे हैं।

डा. श्रीमती कमला : हम यह चाहते हैं कि हमारा जो बचा हुआ पानी है वह हम हरियाणा से हर हालत में लें। उसके तहत हम यह चाहते थे कि 500 क्यूसेक्स अतिरिक्त हम गुड़गांव से लें और बाकी जो बचा हुआ है उसे जवाहरलाल कैनाल से आगे नरवाली तक लेकर अपना एक अलग पैरेलल फीडर झुंझुनूं के बार्डर तक ले जाकर उस पानी का उपयोग करें। इसके बाबत एक परियोजना संशोधित करके हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं स्वयं जाकर मिली थी, उनसे मैंने यही कहा कि पानी हमारा है। हमारा पानी देना आपका दायित्व है और हमारा अधिकार है। इसलिए आप हमारा पानी किधर से कैसे दे सकते हैं वह चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे यही कहा कि जहां भी टैक्निकली फिजीबल है उस रास्ते से आप अपना पानी ले जाइए, हमें इस बाबत में कोई एतराज नहीं है। अभी मैंने अपने अधिकारियों की टीम दो बार वहां पर भेजी—पहले सैक्रेटरी और इंजीनियर-इन-चीफ के साथ में जाकर बात की थी। उसके बाद में उनके अधिकारी बदल गये तो दुबारा अभी 2 तारीख को हमारे अधिकारी उनसे मिलकर आये हैं। अभी मैं स्वयं और सचिव महोदय जाने को हैं। हम मिलकर इसका जल्दी से जल्दी फैसला कराना चाहते हैं कि हमारा पानी हमें गुड़गांव नहर में और उधर झुंझुनूं के बार्डर पर हमें किसी तरह से मिलना चाहिए। और उसके लिए हम तत्परता से कार्यरत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में और हमारे बीच में जो चम्बल का पानी 50:50 है, उसके बाबत में हमारी उनके साथ में सहमति हुई थी कि हम अपने जल में 10 परसेंट एबव तक जिसमें उनका कोई भी गांव या कोई इलाका सबमरजेंस में न आवे, उसके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमने काफी समय से एक मास्टर प्लान का कंसेप्ट उनको दिया हुआ है। उनका कोई उत्तर अभी इसमें आया नहीं है, कभी जाकर उनसे बात करके उस बाबत में भी फैसला करेंगे। लेकिन हमारे उस तयशुदा मामले के अन्तर्गत हमने कुछ सिंचाई परियोजनाओं की शुरूआत कर दी और उनको हमने तैयार किया है। उस सम्बन्ध में मैं यह जानती हूं कि हमारी जो एक वृहत् परियोजना है और 6 मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं—वृहत् योजना तो कालीसिंध की है और मध्यम सिंचाई योजनायें हैं गोलांडी गागरी है, हिंगलोट, हाथीदेह, करेंगी, दांदेरी। ये हमारी छह मध्यम परियोजनायें हैं और 10 लघु सिंचाई योजनायें हैं। इनका पूरा सर्वे करके इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्टस हमने लगभग तैयार की हुई हैं और जून, 2001 तक विभाग की

(डा. श्रीमती कमला)

तरफ से ये प्रस्तुत हो जाएंगे जिससे चम्बल वाटर्स पर हमारा ज्यादा से ज्यादा जो हक बनता है उसको हम लेने की स्थिति में आ जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया था कि गुड़गांव नहर से अभी तक हमारे हिस्से में भरतपुर के किसी इलाके में आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचा था। इस बार हमने हरियाणा को इसकी सफाई के लिए पैसा दिया, मुख्य नहर की सफाई हुई और ठेठ पहाड़ी के क्षेत्र के अंतिम छोर पर हमने पानी पहुंचाया। अभी हमने कुम्हेर के इलाके में 46 पोखरों को भी गुड़गांव नहर के पानी से भरा है। इसी तरह से हम जो और रह रहे हैं हमारे कामां के और दूसरी जगह के, उनके भी पोखरों में पानी भरने की कार्यवाही जारी रख रहे हैं।

इन सब बातों को देखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने चेष्टा यह की है कि राज्य के जितने जल संसाधन हैं, सीमित संसाधनों के अन्दर हम अधिक से अधिक किस प्रकार से उनका दोहन करके, उनकी परियोजनायें बनाकर पानी का संग्रहण कर सकें। इसके अलावा हमने सिंचाई विभाग की एक वैबसाइट जारी की है 'परिकल्पना-2045' तक क्या करना चाहिए हमें और किस प्रकार का परिदृश्य होगा, यह हमने तैयार किया है। इंटरनेट की व्यवस्था कायम कर रखी है और नागरिक अधिकार पत्र भी हमने जारी किया है। तो ये सारे मुद्दे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किये हैं।

इसके साथ ही, कुछ हमारी समस्याएं जो दूसरे राज्यों के साथ में चलती हैं उनमें विशेषतः पंजाब के साथ में और हरियाणा के साथ में हैं। दशमलव 60 पानी 1981 में हमने पंजाब को सिर्फ इसलिए दिया था कि जब तक हमारा नीचे का नैटवर्क तैयार नहीं हो जाता तब तक आप इसका उपयोग करें। 1990 से लेकर अब तक लगातार हम उनको तकाजा कर रहे हैं, भारत सरकार से कर रहे हैं, अनेक अन्तरराज्यीय मीटिंगों में और प्रधान मंत्री की बैठकों में भी बार-बार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि पंजाब हमारा यह पानी हमको नहीं लौटा रहा है, इसे पाबंद किया जाए कि हमें हमारा पानी दे। एक तरफ तो मोटा बिन्दू अभी यह है। इसके साथ ही सबसे बड़ा बिन्दू आज तक यह चला आता है कि बी.बी.एम.बी. का, हैड वर्क्स का कंट्रोल आज भी पंजाब लिये बैठा है। वही सबसे बड़ी समस्या है। चाहे कितने ही राज आ गये, कितने ही चले गये लेकिन पंजाब सरकार का रुख वही रहता है। वह न भारत सरकार की मानने को तैयार है, न राज्य के साथ अपना रैपर्ट रखने को तैयार है। नतीजा यह है कि उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जहां से पानी डिस्चार्ज होता है वहां अपने यहां के तो कम गेज दिखाएंगे और हमारे यहां ज्यादा रिलीजेज का गेज दिखाएंगे। वास्तव में हमारे यहां कम होता है और उनके यहां ज्यादा होता है। सरहिन्द फीडर से डाइवर्ट कर लेंगे, भाखरा एरिया में ले जाएंगे, पानी के अन्दर पोल्यूटेड वाटर डाल देंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उन पर हम हर वक्त उनसे बातचीत करने के

(डा. श्रीमती कमला)

लिए कहते रहते हैं। चिट्ठियां लिखकर भी कहते रहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री और हम टाइम लेकर उनसे मिलने भी जाने की सोच रहे हैं, पर जिस प्रकार से वे प्रधान मंत्रीजी और केन्द्र सरकार की भी सुनने का मन नहीं रखते, क्या नतीजा निकलेगा, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी इस मामले में नहीं रख रही है कि हम अपनी समस्या को सुलझाएं। बाकी यह जो ओटूवियर वाला है, मैंने आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट किया है तो मैं समझती हूं कि आप इस बाबत में समझेंगे कि जो कार्यवाही हमने इस दौरान की वह काफी कुछ हमारी क्षमता के अनुरूप की है और आगे भी हमारा विचार है कि हम ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उस नहर के बारे में कहना चाहती हूं जिसको हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोग पूजनीय मानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्दिरा गांधी नहर जो पूर्व में राजस्थान नहर कहलाती थी, वह अपने आप में विश्व की एक सबसे बड़ी नहर है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि 30 मार्च, 1958 को इस देश की धरती पर एक ऐसी घटना घटी जो अपने आप में एक अद्‌भुत इतिहास बनाने वाली थी। शायद शिलान्यास करने वाले, निर्माण करने वाले और जिनका श्रम लगा वे भी यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम आज जिस चीज की शुरूआत कर रहे हैं उसका आखिर में जाकर क्या स्वरूप बनेगा। इतनी अद्‌भुत और विस्मयकारी यह एक घटना अपने आप में इतना बड़ा स्वरूप लिये हैं कि आज हम सोचते हैं कि क्या सचमुच में यह सही है। राजस्थान के गडरा रोड से हजारों-हजार किलोमीटर दूर गर्वीले पर्वतराज हिमालय की उत्तुंग बर्फ से आच्छादित चोटियों का वह निर्मल बर्फ पिघलकर धीरे-धीरे इन्द्रदेव की वर्षा के साथ मिलता हुआ हजारों-हजार किलोमीटर चलता-चलता रेगिस्तान के तपते धोरों को सींचता और यहां की आबादी को खुशहाल करता हुआ इतना लम्बा दौरा कर सकेगा। यह अपने आप में एक अकल्पनीय चीज थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी सपने से यथार्थ बहुत विस्मयकारी होता है। सपने से, कल्पना से यथार्थ बहुत विस्मयकारी होता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी आंख मानने को तैयार नहीं, मन समझने को तैयार नहीं कि क्या सचमुच में यह हिमालय की उन चोटियों का वही निर्मल जल है जिसको आज हम ठेठ बाड़मेर के टीबों के अन्दर ले जा रहे हैं। मैं जब इस नहर के मंत्री के रूप में काम करती थी तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत भयंकर तापमान 48-49 डिग्री सेल्शियस के अन्दर भी मैं उस नहर में जरूर जाती थी और माइनस 2 डिग्री सेल्शियस के अन्दर भी एक बार जरूर जाती थी, नार्मली तो जाती ही जाती थी। जब कभी मैं उसके किनारे पर खड़ी होकर दूर तक देखती तो यों लगता था कि इतने ऊंचे-ऊंचे तपते रेत के टीले और उसमें अपनी बांहें पसारे हुए मरू गंगा, यह महानदी किस तरह से चुपचाप बह रही है। कैसे हल्का-सा संगीत, हल्की-सी तरंगित होती हुई इस राजस्थान की धरती को निर्मल, पवित्र

(डा. श्रीमती कमला)

और पूरी तरह से अमृतमय जल से सिंचित कर रही है। एकदम रोमांचित हो जाती हूं। मैं यह कहने के लिए नहीं कह रही हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न मैं कोई काव्य रचना कर रही हूं, लेकिन मैं जब कभी इस नदी के किनारे गयी हूं तो मैं हमेशा इस बात को सोचकर रोमांचित हुई हूं कि क्या सचमुच में यह वही पानी है, क्या यह मरू गंगा वह है कि जिसने...

श्री मानिक चन्द सुराना : आज तो काव्य रचना ही कर दी आपने वाकई में।

डा. श्रीमती कमला : नहीं, यह एक करिश्मा है। यह हमारे इंजीनियर्स का करिश्मा है, यह हमारे श्रमिकों का करिश्मा है। यह हमारे राष्ट्र निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू की सुनहरी कल्पना का एक साकार रूप है जिसकी पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने अपनी करनी से शुरूआत की। तो यह सामान्य चीज नहीं है। लेकिन हम इसकी कीमत, इसका इतना बड़ा रहस्यमय जाल या उसका समापन, उसका हम कोई वजूद नहीं मानते। लेकिन जब इसका आखिरी छोर पूरा किया था मोहनगढ़ के पास में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, यों लगता है इस कल्पना को साकार करने में सिर्फ आपका ही योगदान है। आप यह कहना चाहती हो कि 8 साल में कोई योगदान नहीं रहा?

डा. श्रीमती कमला : मेरा बहुत बड़ा योगदान है, आप इसको क्यों भूलते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इतना मियां मिट्ठू मत बनिये।

डा. श्रीमती कमला : मैं दो बार इसकी मंत्री रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही हो। यों लगता है, आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही हो। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आपकी आवाज का दर्द बता रहा है, माननीय राजेन्द्रजी। माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी, आपकी आवाज का दर्द बता रहा है कि आपका कोई योगदान नहीं है इसमें।

डा. श्रीमती कमला : मैं ही ऐसा सोचती हूं, आप उसके किनारे पर खड़े होंगे तो आपको कोई रोमांच नहीं होगा।

श्री संजीव कुमार : जनता स्वीकार कर रही है इस बात को।

डा. श्रीमती कमला : मैं यह नहीं कह रही हूं, मैंने बनाया यह सारा। मैं यह कह रही हूं कि जब मैं उसके किनारे पर खड़ी होती थी तो मुझे ऐसा रोमांच होता था। वह आपको नहीं हो सकता क्योंकि आप इसको जान ही नहीं सकते।

श्री संजीव कुमार : आप कभी जाकर वहां खड़े हुए ही नहीं, इनको क्या पता?

श्री ज्ञानदेव अहूजा : + + + एक हो।

डा. श्रीमती कमला : इस तरह की फालतू बातें बोलना बन्द करिये हाउस में। + + + किसको कह रहे हो आप? सोचिये जरा, आप भी चुने हुए हैं, हम भी चुने हुए हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : + + + क्या होता है, + + + क्या होता है, बताइये?

डा. श्रीमती कमला : कि आपने आदत डाल ली है बोलने की?

श्री संजीव कुमार : और आप हमेशा इस तरह की बात करते हैं हाउस में। + + + का अर्थ क्या समझते हो आप? (व्यवधान) वह सुबह से बार-बार + + + कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार + + + शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मजाक कर रहे हैं हाउस में? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनकी बात पर ध्यान देना बंद करिये, यह + + + क्या होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इतनी गम्भीर चर्चा हो रही है, मेहरबानी करके सुनिये इसको।

श्री सोहन नायक : इतना बढ़िया मंत्री महोदय हमको इस नहर के बारे में अवगत करा रही हैं सिंचाई परियोजना के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बैठिये आप।

डा. श्रीमती कमला : मैं आपको इस नहर का जो हमारे राज्य के लिए महत्व है वह बता रही हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नहर के क्षेत्र में लगभग 29 लाख हैक्टेयर जमीन आती है, उसमें से लगभग 19 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होने वाली है। उसमें से अब तक हम लगभग 12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र निर्माण के माध्यम से वितरिकाएं और माइनर्स बनाकर खोल चुके हैं। और जो हम खोल चुके हैं 12 लाख, उसमें से लगभग 10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो चुका है। इतने समय में जो धीरे-धीरे करके बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जैसलमेर तक पहुंचते-पहुंचते यह जो पहुंची है हमारी नहर, इसने इतने इलाकों को सरसब्ज किया है। अभी तक जितना इलाका खुला है और उसमें जितना नहर का क्षेत्र आया है उससे लगभग 13 हजार करोड़ का उत्पादन हो चुका है। जब यह पूरी हो जाएगी उस वक्त लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का प्रति वर्ष इसके अन्दर उत्पादन होगा और साढ़े 37 लाख टन का प्रति वर्ष इसमें उत्पादन होगा। यह एक अकेली नहर अपने आप में इतना बड़ा वरदान है कि जिसको हम जितना ही नमन करें और जितना ही गुणगान करें, उतना ही कम है।

लेकिन मैं यह जानती हूं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे हमने जो 12 लाख हैक्टेयर एरिया खोला हुआ है उसमें हम अभी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. श्रीमती कमला)

तक सिंचित क्षेत्र 10 लाख ही बना पाये हैं। सिंचित क्षेत्र में भी जो हमने खाले बनाये हैं उन खालों का हालांकि हम ब्यौरा इतना ही दे सकते हैं कि इतने हमने बनाये, लेकिन वास्तव में जो कार्य प्रणाली है धोरों की, वह इतनी अपने आप में अभी है नहीं क्योंकि कोई धोरे सही ढंग से नहीं बने। आंधियां आ जाती हैं उससे वे बुर जाते हैं, फिर उनको मिट्टी निकालकर वापस तैयार किया जाता है। कहीं उनका लेवल सही नहीं हो पाता है इसलिए रह जाता है।

तो मैं आपसे इस मौके पर यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस राजस्थान नहर, इन्दिरा गांधी नहर की परियोजना ठेठ गडरा रोड तक पहुंचते-पहुंचते चार हजार करोड़ रुपये की योजना है। जो 2200 करोड़ अब तक हम लगा चुके हैं उस 2200 करोड़ के पेटे हम अभी तक 13 हजार करोड़ का उत्पादन ले चुके हैं। इसलिए जो हमारा प्रयास है, हमारी जो उपलब्धियां हैं वे कोई कम नहीं हैं, बावजूद इसके कि उस रेगिस्तानी इलाके में आंधी में, अंधड़ में और परेशानी भरे क्षेत्र में खालों की पूरी तरह से चकबंदी नहीं हो पाती है, बावजूद इसके कि कई तरह की समस्याएं आती हैं। जो कमी रहती है उसमें संसाधन भी बहुत बड़ी कमी है। आज हमारी यह मंशा है कि अगर हमें संसाधन पूरी तरह से मिले तो हम पूरी परियोजना को ठेठ गडरा रोड तक 2005 में पूरा कर सकते हैं। यह हमारी तैयारी है। हमारे पास मैनपावर की कमी नहीं है, मशीनरी की कमी नहीं है, टैक्नोलोजी की कमी नहीं है, लेकिन राज्य में संसाधन सीमित हैं। इस बात को देखते हुए यह सोचते हैं कि हम इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके कम से कम समय में इस ऐतिहासिक नहर को पूरा करें, यह हमारी मंशा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी. ए. डी. का जो कार्य है उसमें इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पानी ठीक नहीं मिलता, मोगे सही नहीं हैं, डाइवर्जन हो जाता है और काश्तकारों को काफी परेशानी होती है—इसको देखना है। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कहीं, मैंने सारी नोट की हैं और बाकी आपने अपने कट-मोशंस के माध्यम से भी दिया है। आपने जितने सुझाव दिये हैं और जितनी तकलीफें बतायी हैं उनके सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर हम उनको सम्पादित कर सकते हों, समस्या का निराकरण कर सकते हों, वह सब हम करेंगे और आपको सूचित भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि मेरी मांगें पास की जाएं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : दीपक के तले तो आपने अंधेरा ही रखा। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जयपुर का आपने कुछ नहीं किया दो बार मंत्री रहने के बावजूद भी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, एक मिनट। कन्हैया लालजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्री महोदया ने बड़े विस्तार से राजस्थान के सभी हिस्सों के बारे में जो सिंचाई की योजना है उसके बारे में कहा है और बहुत वाइड स्केल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इन्होंने कवर किया है। माननीय मंत्री महोदया या तो भूल गयी हैं कि सूरतगढ़ के डिप्रेशंस को और अनूपगढ़ शाखा तक वह पानी आ सकता है या नहीं आ सकता है और करणीजी लिंक में डिप्रेशन 16 और 12 का मैंने मुद्दा उठाया था, यदि राज्य सरकार के कोई बात विशेषतौर से ध्यान में हो तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदया कुछ कहें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आप कुछ पूछ रहे हैं? आप विराजें प्लीज। आपका कोई लेना-देना नहीं है।

डा. श्रीमती कमला : आप तो काफी कह चुके। मैं आपका जवाब दे दूं पहले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन डिप्रेशंस के पानी को हम किस योजना से नहर में वापस डालें या इनको एक-दूसरे से कनैक्ट करके आगे कहीं डायवर्ट करके चैनलाइज करें, इस बाबत में समय-समय पर योजनायें बनीं। अभी भी एक योजना तैयार की हुई है। उस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है कि हम किस प्रकार से सारे डिप्रेशंस को एक साथ अगर खाली करने की स्थिति में नहीं आ सकते तो कुछ जो नहर के नजदीक हैं उनको हम कैसे करें, कुछ जो नहर से दूरी पर हैं उनको कैसे करें। यह सारा कई बार वर्क-आउट हुआ है लेकिन अभी इसका कोई अंतिम निर्णय किया नहीं है। आज जितना उसके बारे में चिंता से बता रहे हैं, सचमुच में वह चिंता का विषय हैं। बड़ापाल, मागकथेड़ी और सूरतगढ़ इनके आसपास का इलाका बहुत बरबाद हो चुका है। अभी मेरे पास में एक प्रस्ताव आया था कि हम इससे पानी लेना चाहते हैं और इसके एक डिप्रेशन को रिजर्व करना चाहते हैं अपना जो फार्म है गवर्नमेंट आफ इंडिया का, मैंने उसके लिए अभी एक बार ना किया है कि एक तरफ हम डिप्रेशन को किस तरह से खतम करना चाहते हैं और एक हम परमानेंट डिप्रेशन बना देंगे तो क्या स्थिति बनेगी। इसके ऊपर हमें विचार करके ही करना पड़ेगा इसलिए वह सरकार के ध्यान में है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल रहा था तो माननीय मंत्री महोदया ने मुझे इंटरवीन किया था और आपने यह फरमाया था कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत न करें। उस वक्त मैंने यह कहा था कि ओटूवियर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गये हैं। आपने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में कंसीड कर लिया कि आपका राइट नहीं है। तो आपने कंसीड किया या नहीं किया, यह पूछना चाहता हूं मैं?

डा. श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा सरकार ने जो किया है उसको हमने प्रोजेक्ट भी किया है और जो कोर्ट ने फैसला किया है उसको भी हमनें कंटैस्ट किया है। उसको हम नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : (व्यवधान) यह फैसला है कोर्ट का। आपने यह (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : ...आप जिस अधिकारी ने कहा उनसे..(व्यवधान) दिखाइये न।

मांग संख्या-46 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–46-सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,65,23,59,000/- (बारह अरब, पैंसठ करोड़, तेइस लाख, उनसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–22-क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,82,40,53,000/- (एक अरब, बयासी करोड़, चालीस लाख, तिरेपन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 8 मई, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.48 बजे मंगलवार, 8 मई, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-442 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

धौलपुर उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड धौलपुर द्वारा वर्ष 1991-92 से 1999-2000 तक किये गये व्यवसाय का विवरण (आडिट रिपोर्ट के आधार पर)

(राशि लाखों में)

वर्ष	थोक नियंत्रित व्यवसाय	रिटेल	नियंत्रित व्यवसाय		
	चीनी	चीनी	केरोसीन	गेहूं	चावल
1991-92	—	5.36	2.35	15.77	0.11
1996-97	—	6.11	4.01	14.26	0.14
1997-98	238.51	5.29	2.25	5.81	—
1998-99	208.24	4.93	2.38	2.53	0.33
1999-2000	239.03	6.03	2.93	0.63	(वार्षिक नक्शों के आधार पर)

भंडार द्वारा अनियंत्रित व्यवसाय किये जाने की जानकारी उपलब्ध रिकार्ड से नहीं होती है।

—

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पंचायत समिति मुख्यालय भदेसर (चित्तौड़गढ़) में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

450. श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय भदेसर क्षेत्र के व्यक्तियों के 2000 मुकदमों का अविलम्ब निस्तारण हेतु मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, हां। चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति, भदेसर में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) सृजन का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष वित्तीय वर्ष 2001-2002 में खोले जाने वाले न्यायालयों के स्थानों के चयन हेतु विचाराधीन है।

राज्य के किसी स्थान पर नवीन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। अतः माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति, भदेसर में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करना सम्भव हो सकेगा।

पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त मैचिंग ग्रांट का उपयोग

451. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों को सुदृढ़ करने, नवीनीकरण करने, कार्यक्षमता बढ़ाने, सहुलियतें बढ़ाने आदि की योजना में राजस्थान को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक राजस्थान को कितना आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है तथा मैचिंग ग्रांट के रूप में राजस्थान को कितनी राशि आबंटित की है ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? क्या केन्द्र सरकार से मिलने वाली सम्पूर्ण राशि का व्यय किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या बाधाएं इसमें रहीं तथा कितनी राशि राजस्थान को वर्ष 2001-2002 के अन्त में केन्द्र को सरण्डर करनी पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्य पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं कार्य क्षमता बढ़ाये जाने के परिप्रेक्ष्य में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान

(गृह मंत्री)

कर रही है, जिसमें राजस्थान का पुलिस विभाग भी सम्मिलित है। भारत सरकार से 50 प्रतिशत ऋण स्वरूप तथा 50 प्रतिशत अनुदान स्वरूप प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्राप्त राशि को नानरेकरिंग खर्चा राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से 2000-2001 तक जो राशि स्वीकृत/व्यय की गई है, का विवरण परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि/व्यय की सूचना का विवरण बिन्दू संख्या एक के अनुसार ही है। जहां तक सम्पूर्ण राशि के व्यय करने का प्रश्न है, इस संदर्भ में निवेदन है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में समयावधि व्यतीत होने के कारण स्वीकृत राशि का पूर्णरूपेण व्यय उसी वित्तीय वर्ष में करना सम्भव नहीं हो पाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के अन्त में जो राशि अप्रयोजित रह जाती है, उस राशि की पुनः वैधकरण (रि-वेलीडेशन) की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी कर दी जाती है। वर्ष 2000-2001 में राज्य पुलिस को भारत सरकार द्वारा 28.57 करोड़ रुपये पुलिस आधुनिकीकरण योजना में स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष के अन्त में अप्रयोजित राशि को सरण्डर नहीं करना पड़ता है। उक्त राशि आगामी वर्षों में व्यय की जाती है। व्यय के लिए भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो जाती है।

परिशिष्ट-ए

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि का विवरण	व्यय की गई राशि
1	1990-91	90,38,000	71,15,333
2	1991-92	1,22,60,805	1,18,29,239
3	1992-93	81,77,565	65,47,882
4	1993-94	1,71,22,000	1,56,56,326
5	1994-95	1,19,69,000	90,41,000
6	1995-96	—	—
7	1996-97	2,54,20,000	2,43,32,584
8	1997-98	2,37,80,900	1,94,09,185
9	1998-99	2,04,07,815	17,43,665
10	1999-2000	1,86,47,815	1,57,22,883
11	2000-2001	29,24,932	

1998-99 की अप्रयोजित राशि = $\frac{16,335}{29,41,267}$

चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में भारत सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्ष में रही अप्रयाजित राशि रुपये 29,41,267 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने वर्ष 2000-2001 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 28.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है। उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में किया जाएगा।

आवासन मण्डल की राशि का नियम विरुद्ध व्यय

452. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के धन का उपयोग जयपुर के विभिन्न बाजारों के सौन्दर्यकरण, जोधपुर में बरकततुल्ला खां स्टेडियम, मण्डौर गार्डन, अशोक टेक्नोलोजी पार्क व उम्मेद उद्यान जो कि मण्डल की योजना के क्षेत्रों में नहीं आते पर किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक व्यय की गई राशि एवं आगे व्यय की जाने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यय किन नियमों के तहत किया जा रहा है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल का गठन राज्य में आवासी समस्या को निबटाने एवं संतुष्ट करने के कदम उठाने के लिए किया गया था?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट-1970 की धारा 38 में बोर्ड के जो अन्य कर्तव्य दर्शाये गये हैं उनमें इस तरह के कार्य करने का कोई प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो बोर्ड एक्ट के विरुद्ध इस तरह के कार्य क्यों किये जा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट-1970 की धारा-41 व 42 जो कि बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड के फण्ड के उपभोग के नियमों से सम्बन्धित है, का भी उक्त कार्यों पर किये जा रहे व्यय से उल्लंघन होता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसा सरकार के निर्देशों पर किया जा रहा है?

(6) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट-1970 की धारा 60 के तहत राज्य सरकार आवासन मण्डल को एक्ट में घोषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही निर्देश दे सकती है? यदि हां, तो उद्देश्यों के विरुद्ध निर्देश जारी करने के क्या कारण है? क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध निर्देशों को वापस लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो अब तक किये जा चुके व्यय की भरपाई सरकार द्वारा आवासन मण्डल को कब तक की जावेगी?

(7) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल "बिना लाभ हानि के सिद्धान्त" पर मकान बनाकर बेचता है? यदि हां, तो मण्डल उद्देश्यों के विपरीत उक्त कार्यों पर व्यय की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जा रही राशि की वसूली किस तरह एवं कहां से की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जयपुर में बापू बाजार, नेहरू बाजार व इन्दिरा बाजार में सौन्दर्यकरण का कार्य करवाया गया है तथा इन कार्यों में क्रमशः बापू बाजार में 66.37 लाख, नेहरू बाजार में 22.65 लाख व इन्दिरा बाजार में 4.90 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस प्रकार कुल व्यय 93.92 लाख का हो चुका है तथा अगले चरण में नेहरू बाजार में 29.33 लाख रुपये व्यय किये जाने हैं। इसी प्रकार जोधपुर में बरकततुल्ला खां स्टेडियम, मण्डोर गार्डन, उम्मेद उद्यान व अशोक टेक्नोलोजी पार्क, बनानें में भी राशि व्यय की जा रही है, टैक्नोलोजी पार्क, राजस्थान आवासन मण्डल को जोधपुर शहर की चौपासनी योजना के क्षेत्र में ही बनाया जा रहा है। अब तक जोधपुर में उक्त प्रकरण में किये गये कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण निम्नप्रकार से है:—

1. जोधपुर शहर में मण्डोर उद्यान के सौन्दर्यकरण पर व्यय की गयी राशि
   रुपये 100.00 लाख
2. जोधपुर शहर में उम्मेद उद्यान के सौन्दर्यकरण पर व्यय की गयी राशि
   रुपये 30.00 लाख
3. जोधपुर शहर के बरकततुल्ला खां स्टेडियम के कार्यों पर व्यय की गयी राशि
   रुपये 60.25 लाख
4. अशोक उद्यान, राजस्थान आवासन मण्डल चौपासनी योजना, जोधपुर
   रुपये 11.15 लाख

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्यों पर आगे व्यय की जाने वाली सम्बन्धित राशि का विवरण

1. बरकततुल्ला खां स्टेडियम के पश्चिम के पश्चिम पवेलियन कोमेंट्रेटर बाक्स व शेष बचा हुआ कार्य के निर्माण पर व्यय की जाने वाली राशि
   रुपये 157.14 लाख
2. पुराने स्टेडियम परिसर में पवेलियन निर्माण व रोशनी व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि
   रुपये 10.00 लाख
3. अशोक उद्यान योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण
   रुपये 165.00 लाख

(2) उक्त व्यय राज्य सरकार के अनुरोध/निर्देश क्रमांक : निस/शास/नवि/2000-2001/500 दिनांक 28.3.2000 एवं क्रमांक पीएस/एसयूई/2000 दिनांक 13.3.2000 तथा शासन सचिव नगरीय विकास विभाग के अ.शा. पत्र दिनांक 11.7.2000 के अनुसार उक्त कार्य नगरीय विकास मंत्री एवं मुख्य मंत्री द्वारा मण्डल से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। की अनुपालना में किया गया है। उक्त निर्देश पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(3) जी, हां।

(4) मण्डल राजकीय उपक्रम होने के कारण राज्य सरकार के अनुरोध/निर्देशों की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अनुपालना करता है, तदनुसार उक्त कार्य करवाये गये तथा इसकी पुष्टि संचालक की 186वीं बैठक दिनांक 4.8.2000 में भी की जा चुकी है।

(5) जी, हां। धारा 41 व 42 के प्रावधानों के लिए प्रश्न में उल्लेखित बात सही है। उपरोक्तानुसार कार्य राज्य सरकार के अनुरोध/निर्देशों से किये जा रहा है जिसकी पुष्टि मण्डल द्वारा 186वीं बैठक में भी की जा चुकी है।

(6) धारा 60 के अनुसार एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। यह बात सही है किन्तु जिन शहरों में आवासन मण्डल की योजनाएं हैं उन शहरों के सौन्दर्यकरण एवं जनसुविधाओं के लिये जनहित में यदि मण्डल अपनी ओर से राज्य सरकार के सुझावों पर व्यय करता है तो उसे जन आकांक्षाओं के अनुरूप माना जाना चाहिए। मण्डल द्वारा इस प्रयोजन के लिए किये गये व्यय की भरपाई राज्य सरकार नहीं करती मण्डल में उन शहरों में जनहित के कार्य करवाये गये हैं जहां उनकी योजनाओं के उपभोक्ताओं को भी इस से सुविधाओं पर लाभ अर्जित होगा। मण्डल द्वारा किया गया व्यय स्थानीय निकायों के जनसुविधाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आपसी सहयोग के लिये की गयी पहल की द्योतक है।

(7) जी, हां। आवासन मण्डल "बिना लाभ हानि" के सिद्धान्त पर मकान बनाकर देता है। इन कार्यों पर व्यय की आने वाली राशि की पूर्ति के लिए विभिन्न वाणिज्यक योजनाओं की क्रियान्विति करने में राज्य सरकार उपाय सुझाकर करवाने का प्रयास करेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को बोर्ड कर्मचारियों के समान लाभ

453. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डी समितियों में प्राप्त मण्डी शुल्क का कुछ प्रतिशत कृषि विपणन बोर्ड को अंशदान के रूप में बोर्ड संचालन व बोर्ड में कार्यरत. अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बोनस एक्स ग्रेसियां व अन्य खर्च हेतु मण्डी समितियों से बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाता है?

(2) कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों व मण्डी समितियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को गत पांच वर्षों में कितनी सुविधा दी है?

(3) क्या यह सही है कि कृषि विपणन निदेशालय के निदेशक द्वारा गत चार-पांच वर्ष पूर्व मण्डी समिति कर्मचारियों को कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारियों के समान ही सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अपनी अभिशंसा कर उक्त संबंध में पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या निर्णय लिया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि मण्डी समिति की राशि से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

निर्माण कार्य पर सुपरवीजन चार्ज लिया जाता है? यदि हां, तो कितना व इसका उपयोग किस कार्य पर किया जाता है?

(5) क्या अब सरकार मण्डी समितियों के कर्मचारियों को बोर्ड कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) गत पांच वर्षों से कृषि विपणन बोर्ड एवं मण्डी समिति के अधिकारी/कर्मचारी को दी गई सुविधाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) जी, हां। विचारोपरान्त मण्डी कर्मचारियों को सुविधाएं स्वीकृत की गई, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" के क्रमांक 1 के अनुसार है।

(4) जी, हां। सुपरवीजन चार्ज निर्माण लागत का दस प्रतिशत है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों की देख-रेख में नियुक्त अभियांत्रिकी शाखा पर व्यय किया जाता है।

(5) जी, नहीं। विपणन बोर्ड एवं मण्डी कर्मचारी पृथक-पृथक सेवा नियमों से शासित होते हैं।

मण्डी समिति कर्मचारियों को गत पांच वर्षों में निम्न सुविधाएं दी गई है:

1. 1) (अ) सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल, जयपुर में चिकित्सा हेतु सम्पूर्ण खर्च का पुनर्भरण।

(ब) साइकिल सवार भत्ता।

1- विशिष्ट "अ" श्रेणी की मण्डियों में 100 रु. प्रतिमाह।

2- "ब" श्रेणी की मण्डियों में 75 रु. प्रतिमाह।

3- "स" श्रेणी की मण्डियों में 50 रु. प्रतिमाह।

(स) रात्रि विश्राम सुविधा (आर.टी.डी. होटल में)–टी

1. 1200/- रु. तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को डोर मेटरी।

2. 1200/- रु. से अधिक वेतन पाने वाले को साधारण रूम।

2) राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति सेवा (पेंशन) नियम 1995 द्वारा पेंशन का लाभ।

3) राजस्थान कृषि विपणन मण्डी समिति सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996 के अन्तर्गत भविष्य निधि राशि का लाभ।

4) अग्रिम जोखिम निधि नियम, 1997 के अन्तर्गत जोखिम निधि का लाभ।

5) मण्डी समिति कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों का लाभ/चयनित वेतनमान का लाभ/बोनस का लाभ राज्य कर्मचारियों के समान दिया जा रहा है।

2. कृषि विपणन बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई गत पांच वर्षों में सुविधाएं:— अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुसार निवास पर दूरभाष, समाचार पत्र, मनोरंजन भत्ता, विभिन्न निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा, एक्सग्रेसिया भुगतान, राजस्थान पर्यटन विकास निगम में ठहरने की सुविधा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वर्दी आदि की सुविधा प्रदान की गई है।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत

454. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितने पेयजल हेतु बोरिंग एवं हैण्ड पम्प लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बोरिंग एवं हैण्ड पम्प अब तक खराब पड़े हुए हैं ? यदि नहीं, तो वर्तमान में कौन-कौन से बोरिंग एवं हैण्ड पम्प चालू स्थिति में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन्हें चालू कराने तथा ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक पेयजल हेतु 11 गांवों में 12 पावर पम्प नलकूप (बोरिंग) एवं 99 गांवों में 122 हैण्ड पम्प लगाये गये। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। उक्त सभी नलकूप सफल है एवं माह अप्रैल, 2001 तक इनमें से 9 नलकूपों को चालू किया जा चुका है। शेष 3 नलकूपों पर विद्युत सम्बन्ध होना बकाया है। सभी 122 हैण्ड पम्प वर्तमान में चालू अवस्था में हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है।

(3) जी, हां। शेष 3 नलकूपों को भी विद्युत सम्बन्ध लेकर इसी ग्रीष्म ऋतु में चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक स्थापित नलकूपों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	संख्या	वर्तमान स्थिति
1.	पेहल	94	मण्डावर	1	चालू
2.	जिदोली	131	मण्डावर	1	चालू
3.	बहरोज	136	मण्डावर	1	चालू
4.	सोडावास	89	मण्डावर	1	चालू
5.	गादूवास	10	मण्डावर	1	चालू
6.	करनीकोट सस्पराराय	44	मण्डावर	1	चालू
7.	ततारपुर	122	मण्डावर	1	चालू
8	धुनगड़ा अहीर	42	मण्डावर	1	चालू
9.	मैनपुर	125	मण्डावर	1	चालू
10.	पेहल	94	मण्डावर	1	विद्युत संबंध शेष, चालू नहीं।
11.	जाट बहरोड़	18	मण्डावर	1	विद्युत संबंध शेष, चालू नहीं।
12.	अजरका	27	मण्डावर	1	विद्युत संबंध शेष, चालू नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में वर्ष 1999 (1.4.99) से फरवरी, 2001 तक खोदे गये एवं चालू हैण्ड पम्पों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	निर्माण वर्ष	कोड नं.	तहसील	संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	दूनवास	1.4.1999 से 31.3.2000	119	मण्डावर	1	चालू
2.	अजीजपुर	1.4.1999 to 31.3.2k	135	मण्डावर	2	चालू
3.	सोरवाकलां	1.4.1999 to 31.3.2k	141	मण्डावर	1	चालू
4.	नांगलबावला	1.4.1999 to 31.3.2k	103	मण्डावर	2	चालू
5.	गोपीपुरा	1.4.1999 to 31.3.2k	108	मण्डावर	2	चालू
6.	हदूंडी	1.4.1999 to 31.3.2k	87	मण्डावर	2	चालू
7.	रसगन	1.4.1999 to 31.3.2k	98	मण्डावर	2	चालू

1	2	3	4	5	6	7
8.	जिंदोली	1.4.99 to 31.3.2k	131	मण्डावर	1	चालू
9.	मुंडियाखेड़ा	1.4.99 to 31.3.2k	63	मण्डावर	1	चालू
10.	चूड़ला	1.4.99 to 31.3.2k	110	मण्डावर	1	चालू
11.	चांदपुर	1.4.99 to 31.3.2k	62	मण्डावर	1	चालू
12.	अजरका	1.4.99 to 31.3.2k	27	मण्डावर	1	चालू
13.	अहीर भगोला	1.4.99 to 31.3.2k	28	मण्डावर	1	चालू
14.	सिहाली खुर्द	1.4.99 to 31.3.2k	53	मण्डावर	1	चालू
15.	भानोत	1.4.99 to 31.3.2k	36	मण्डावर	1	चालू
16.	माजरा	1.4.99 to 31.3.2k	37	मण्डावर	1	चालू
17.	हुलमाना खुर्द	1.4.99 to 31.3.2k	13	मण्डावर	1	चालू
18.	मानका	1.4.99 to 31.3.2k	03	मण्डावर	1	चालू
19.	झझारपुर	1.4.99 to 31.3.2k	90	मण्डावर	1	चालू
20.	पलावा	1.4.99 to 31.3.2k	08	मण्डावर	2	चालू
21.	दरबारपुरा	1.4.99 to 31.3.2k	34	मण्डावर	1	चालू
22.	राजवाड़ा	1.4.99 to 31.3.2k	46	मण्डावर	1	चालू
23.	बिरसंगवारा	1.4.99 to 31.3.2k	61	मण्डावर	1	चालू
24.	बकोरिया	1.4.99 to 31.3.2k	142	मण्डावर	1	चालू
25.	सरायकलां	1.4.99 to 31.3.2k	23	मण्डावर	1	चालू
26.	ततारपुर	1.4.99 to 31.3.2k	122	मण्डावर	1	चालू
27.	रसगन	1.4.99 to 31.3.2k	98	मण्डावर	2	चालू
28.	माजरीभांडा	1.4.99 to 31.3.2k	45	मण्डावर	1	चालू
29.	भीखावास	1.4.99 to 31.3.2k	47	मण्डावर	2	चालू
30.	चांदपुर	1.4.99 to 31.3.2k	62	मण्डावर	1	चालू
31.	मउ	1.4.99 to 31.3.2k	75	मण्डावर	1	चालू
32.	नांगलरानिया	1.4.99 to 31.3.2k	78	मण्डावर	2	चालू
33.	चिरुनी	1.4.99 to 31.3.2k	86	मण्डावर	1	चालू
34.	हट्टूण्डी	1.4.99 to 31.3.2k	87	मण्डावर	1	चालू
35.	रानोठ	1.4.99 to 31.3.2k	105	मण्डावर	1	चालू
36.	भजनवास	1.4.99 to 31.3.2k	114	मण्डावर	1	चालू
37.	नांगलबावला	1.4.99 to 31.3.2k	103	मण्डावर	1	चालू
38.	छापर	1.4.99 to 31.3.2k	69	मण्डावर	1	चालू
39.	मातौर	1.4.99 to 31.3.2k	126	मण्डावर	1	चालू

1	2	3	4	5	6	7
40.	ततारपुर	1.4.99 to 31.3.2k	122	मण्डावर	1	चालू
41.	उलाहेड़ी	1.4.99 to 31.3.2k	77	मण्डावर	1	चालू
42.	जिंदोली	1.4.99 to 31.3.2k	131	मण्डावर	1	चालू
43.	बड़ी	1.4.99 to 31.3.2k	129	मण्डावर	1	चालू
44.	जाट बहरोड़	1.4.99 to 31.3.2k	18	मण्डावर	2	चालू
45.	मण्डावर	1.4.99 to 31.3.2k	84	मण्डावर	4	चालू
46.	पाकननगर	1.4.2k से 28.2.2001	68	मण्डावर	2	चालू
47.	श्योपुर	1.4.2k से 28.2.2001	83	मण्डावर	1	चालू
48.	नगलीओझा	1.4.2k से 28.2.2001	101	मण्डावर	1	चालू
49.	बहरोज	1.4.2k से 28.2.2001	136	मण्डावर	1	चालू
50.	श्रीकृष्णनगर	1.4.2k से 28.2.2001	92	मण्डावर	1	चालू
51.	नांगल संतोड़ा	1.4.2k से 28.2.2001	87	मण्डावर	1	चालू
52.	दांतला	1.4.2k से 28.2.2001	99	मण्डावर	1	चालू
53.	बघीन	1.4.2k से 28.2.2001	117	मण्डावर	1	चालू
54.	जिंदोली	1.4.2k से 28.2.2001	131	मण्डावर	1	चालू
55.	जाटबहरोड़	1.4.2k से 28.2.2001	18	मण्डावर	1	चालू
56.	सबलगढ़	1.4.2k से 28.2.2001	93	मण्डावर	1	चालू
57.	पहल	1.4.2k से 28.2.2001	94	मण्डावर	1	चालू
58.	छाबड़ीवास	1.4.2k से 28.2.2001	116	मण्डावर	2	चालू
59.	श्योपुर	1.4.2k से 28.2.2001	83	मण्डावर	2	चालू
60.	मढा	1.4.2k से 28.2.2001	81	मण्डावर	1	चालू
61.	लामचपुर	1.4.2k से 28.2.2001	07	मण्डावर	1	चालू
62.	पलावा	1.4.2k से 28.2.2001	06	मण्डावर	1	चालू
63	कालीपहाड़ी	1.4.2k से 28.2.2001	106	मण्डावर	1	चालू
64.	सोरखा खुर्द	1.4.2k से 28.2.2001	131	मण्डावर	1	चालू
65.	मण्डावर	1.4.2k से 28.2.2001	84	मण्डावर	3	चालू
66.	मिंहाली कलां	1.4.2k से 28.2.2001	55	मण्डावर	1	चालू
67.	शाहपुर	1.4.2k से 28.2.2001	100	मण्डावर	1	चालू
68.	बहरोज	1.4.99 से 28.2.2001	136	मण्डावर	1	चालू
69.	रैनागिरी	1.4.99 से 28.2.2001	95	मण्डावर	1	चालू
70.	पीपली	1.4.99 से 28.2.2001	74	मण्डावर	1	चालू
71.	मैनपुर	1.4.99 से 28.2.2001	91	मण्डावर	2	चालू

1	2	3	4	5	6	7
72.	मातौर	1.4.99 से 28.2.2001	126	मण्डावर	1	चालू
73.	बासनी	1.4.99 से 28.2.2001	33	मण्डावर	1	चालू
74.	सानोली	1.4.99 से 28.2.2001	36	मण्डावर	1	चालू
75.	करनीकोट	1.4.99 से 28.2.2001	44	मण्डावर	1	चालू
76.	बीजवाड़चौहान	1.4.99 से 28.2.2001	11	मण्डावर	1	चालू
77.	नांगलउदिया	1.4.99 से 28.2.2001	22	मण्डावर	1	चालू
78.	बीरोढ	1.4.99 से 28.2.2001	09	मण्डावर	2	चालू
79.	माजरी भांडा	1.4.99 से 28.2.2001	45	मण्डावर	1	चालू
80.	पदमाड़ाकलां	1.4.99 से 28.2.2001	65	मण्डावर	1	चालू
81.	सुहेटा	1.4.99 से 28.2.2001	140	मण्डावर	1	चालू
82.	पदभाड़ाखुर्द	1.4.99 से 28.2.2001	70	मण्डावर	1	चालू
83.	मण्डावर	1.4.99 से 28.2.2001	84	मण्डावर	2	चालू
84.	राजवाड़ा	1.4.99 से 28.2.2001	46	मण्डावर	1	चालू
85.	रैनागीर	1.4.99 से 28.2.2001	95	मण्डावर	1	चालू
86.	सुरेटा	1.4.99 से 28.2.2001	140	मण्डावर	2	चालू
87.	सरायकलां	1.4.99 से 28.2.2001	23	मण्डावर	1	चालू
88.	मण्डावर	1.4.99 से 28.2.2001	84	मण्डावर	1	चालू
89.	मोहम्मदपुर	1.4.99 से 28.2.2001	96	मण्डावर	1	चालू
90.	दांतला	1.4.99 से 28.2.2001	99	मण्डावर	1	चालू
91.	जागीवाड़ा	1.4.99 से 28.2.2001	49	मण्डावर	1	चालू
92.	पीपली	1.4.99 से 28.2.2001	74	मण्डावर	1	चालू
93.	कालूका	1.4.99 से 28.2.2001	73	मण्डावर	1	चालू
94.	कालीपहाड़ी	1.4.99 से 28.2.2001	106	मण्डावर	1	चालू
95.	जाट बहरोड़	1.4.99 से 28.2.2001	18	मण्डावर	1	चालू
96.	पेहल	1.4.99 से 28.2.2001	75	मण्डावर	1	चालू
97.	नांगलमालिया	1.4.99 से 28.2.2001	82	कोटकासिम	1	चालू
98.	मधा माजरा	1.4.99 से 28.2.2001	79	कोटकासिम	1	चालू
99.	धीरधोका	1.4.99 से 28.2.2001	75	कोटकासिम	2	चालू
				योग	122	

नोट : उपरोक्त सभी हैण्ड पम्प वर्तमान में चालू अवस्था में है।

अधिशासी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

खण्ड-बहरोड

ग्राम पंचायत लटूरी (कोटा) के तालाब के पास हो रहे खनन की जांच

455. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला प्रशासन कोटा के निर्देशों पर जुलाई, 2000 के बाद खनिज विभाग द्वारा लटूरी ग्राम पंचायत (सांगोद) क्षेत्र में स्थित तालाब के नजदीक हो रहे खनन के सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्ध में क्या तहसीलदार सांगोद द्वारा भी जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खनन आबादी से पैंतालीस मीटर दूर होना चाहिए तथा तालाब की सीमा से भी 45 मीटर दूर होना चाहिए परन्तु नियमानुसार इसकी पालना नहीं हो रही है? यदि हां, तो उक्त खनन लीज को क्यों नहीं अभी तक निरस्त किया गया? अब कब-कब तक इसको निरस्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। माह जुलाई, 2000 के बाद विभाग के खनिज कार्यदेशक एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा पृथक-पृथक दिनांक 20-11-2000 को, राजस्व विभाग तहसील सांगोद के कानूनगो, हल्का पटवारी, लटूरी व खनिज कार्यदेशक द्वारा संयुक्त जांच दिनांक 9-1-2001 को तथा खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 26.3.2001 को जांच की गई है। जांच रिपोर्ट को प्रतियां परिशिष्ट "अ" "ब" "स" व "द" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। यह सही है कि खनन कार्य आबादी एवं तालाब की सीमा से नियमानुसार पैंतालीस मीटर दूर होना चाहिए। नियमों की पालना नहीं होने पर पट्टेधारी को 15/45 दिवसीय नोटिस क्रमांक 3133 दिनांक 27.11.2000 को जारी किया गया था। लेकिन लीजधारक द्वारा इससे पूर्व एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 28.11.2000 को आगामी पेंशी तक मौके की यथास्थिति, यथावत रखी जाने का आदेश प्राप्त कर लिया। मामले में आगामी पेशी दिनांक 29.5.2001 को है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुष्कर सरोवर व आनासागर झील का शुद्धिकरण

456. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तीर्थराज पुष्कर सरोवर एवं आनासागर झील का पानी प्रदूषण रहित है? यदि नहीं, तो प्रदूषण स्तर कितना है?

(2) क्या उक्त दोनों झीलों के शुद्धिकरण एवं रख-रखाव की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या व उसको कब तक क्रियान्वित किया जावेगा?

उत्तर

(1) पुष्कर के पानी की बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (बी.ओ.डी.) 3.5 से 7.5 मिली ग्राम प्रति लीटर पाई गई है, जो निर्धारित सीमा, 3 मिली ग्राम प्रति लीटर से अधिक है। इसके अतिरिक्त इस झील में कैमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (सी.ओ.डी.) की मात्रा 53.77 से 90.8 मिली ग्राम प्रति लीटर पाई गई है। आनासागर झील में कैमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (सी.ओ.डी.) की मात्रा 22 से 84 मिली ग्राम प्रति लीटर पाई गई है। झीलों के लिए कैमिकल आक्सीजन डिमाण्ड (सी.ओ.डी.) का कोई निर्धारित मानक नहीं है।

(2) नगर परिषद्, अजमेर द्वारा दिनांक 27.7.2000 को आना सागर झील को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

करौली स्टैण्ड से संचालित बसें

457. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली में नये बस स्टैण्ड की स्थापना हो चुकी है? यदि हां, तो नया बस स्टैण्ड बनाने से पूर्व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रतिदिन होने वाली हानि क्या थी तथा अब नये बस स्टैण्ड के बनने पर प्रतिदिन की आमदनी क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000-2001 में कैला देवी मेले में पथ परिवहन निगम की बसों से कितनी आमदनी हुई?

(3) करौली बस स्टैंड से किन-किन स्थानों के लिए बसें चल रही हैं और उक्त मार्गों पर चल रही गाड़ियां किस-किस वर्ष के मॉडल की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। करौली नये बस स्टैण्ड से निगम बसों का पूर्ण रूप से संचालन दिनांक 10.1.2001 से प्रारम्भ किया गया था। नया बस स्टैण्ड बनने से पूर्व एवं नये बस स्टैण्ड बनने के बाद पूर्ण रूप से किये गये संचालन से प्रतिदिन प्राप्त हो रही आमदनी का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है परिशिष्ट "1"। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुराने बस स्टैण्ड की तुलना में नये बस स्टैण्ड से वाहनों के संचालन से प्रतिदिन आय में अपेक्षित वृद्धि हुई है।

(2) वर्ष 2000-2001 (मेला अवधि दिनांक 1.4.2000 से 15.4.2000 तक) में कैला देवी मेले से 147.91 लाख रुपये की आमदनी हुई तथा इसी वर्ष में ही कैला देवी मेला दिनांक 21.3.2001 से 5.4.2001 तक सम्पन्न हुआ, जिसमें निगम को 179.71 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई।

(3) करौली बस स्टैण्ड से एवं करौली होकर विभिन्न स्थानों के लिये संचालित बस सेवाओं का मार्गवार एवं उन पर संचालित बसों का मॉडल वर्ष दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "2".

परिशिष्ट-1

करौली में नया बस स्टैण्ड बनने से पूर्व एवं नये बस स्टैण्ड बनने के बाद पूर्ण रूप से किये गये संचालन से प्रतिदिन प्राप्त आय का मानचित्र

क्र.सं.	दिनांक	बस स्टैण्ड बनने से पूर्व प्रतिदिन की आमदनी वर्ष 2000	नया बस स्टैण्ड बनने के पश्चात् प्रतिदिन की आमदनी वर्ष 2001	अन्तर
1	2	3	4	5
1.	10.1	7296	14349	+7053
2	11.1.	8346	23084	+15788
3.	12.1.	8740	26665	+17925
4.	13.1.	12229	30037	+17808
5.	14.1.	6879	14598	+7719
6.	15.1.	7954	18625	+10671
7.	16.1.	8442	20621	+12179
8.	17.1.	5712	19946	+14234
9.	18.1.	8842	20608	+11766
10.	19.1.	6423	17431	+11008
11.	20.1.	9954	23893	+13939
12.	21.1.	10441	16743	+6302
13.	22.1.	7846	13947	+6101
14.	23.1.	9235	13438	+4203
15.	24.1.	9535	30997	+21462
16.	25.1.	7117	15439	+8322
17.	26.1.	9394	16545	+7151
18.	27.1.	7304	18024	+10720
19.	28.1.	10307	21057	+10750
20.	29.1.	6968	17543	+10575

1	2	3	4	5
21.	30.1.	7824	19380	+11556
22.	31.1.	9381	19692	+10311
23.	1.2.	14566	17790	+3224
24.	2.2.	7090	18900	+11810
25.	3.2.	11585	22665	+11080
26.	4.2.	9286	16900	+11614
27.	5.2.	9169	20879	+11710
28.	6.2.	7800	22814	+15014
29.	7.2.	7780	24447	+16667
30.	8.2.	8718	25620	+16902
31.	9.2	9211	20581	+11370
32.	10.2.	6958	19590	+12632
33.	11.2.	7060	21198	+14138
34.	12.2.	9053	23615	+14562
35.	13.2.	6768	24677	+17909
36.	14.2.	6526	27106	+20580
37.	15.2.	7086	19816	+12730
38.	16.2.	9265	20098	+10833
39.	17.2.	9472	19127	+9655
40.	18.2.	11997	18109	+6112
41.	19.2.	6364	19256	+12892
42.	20.2.	7366	23454	+16088
43.	21.2.	5473	17777	+12304
44.	22.2.	6143	26203	+20060
45.	23.2.	9901	29540	+19639
46.	24.2.	7615	29021	+21406
47.	25.2.	7691	26551	+18860

1	2	3	4	5
48.	26.2.	7895	28288	+20393
49.	27.2.	11230	22206	+10976
50.	28.2.	8985	24425	+15440
51.	29.2.	8125	—	—
52.	1.3.	10110	22244	+12334
53.	2.3.	8788	21024	+12236
54.	3.3.	8329	26207	+17878
55.	4.3.	10291	23415	+13124
56.	5.3.	14598	25740	+11142
57.	6.3.	13494	22919	+9425
58.	7.3.	10491	30841	+20350
59.	8.3	9895	33027	+23132
60.	9.3.	8588	12784	+4196
61.	10.3.	8486	होली	होली
62.	11.3.	11313	17341	+6028
63.	12.3	9445	23847	+14402
64.	13.3.	8691	26628	+17937
65.	14.3	9218	24818	+15600
66.	15.3.	8750	22941	+14191
67.	16.3.	7373	24806	+17433
68.	17.3	10772	42693	+20469
69.	18.3.	11452		
70.	19.3.	6356	20302	+13946

परिशिष्ट-2

करौली बस स्टैण्ड से एवं करौली होकर विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों का मार्गवार एवं माडल वर्ष दर्शाते हुए विवरण

क्र.सं.	मार्ग	संचालित बस का मॉडल वर्ष
1.	भरतपुर-कैलादेवी	1994
2.	भरतपुर-आगरा	1995
3.	आगरा-कैलादेवी	1995
4.	केलादेवी-भरतपुर	1995
5.	भरतपुर-बयाना	1995
6.	धौलपुर-कैलादेवी	1996
7.	धौलपुर-करौली	1994
8.	जयपुर-ग्वालियर वाया गंगापुर-करौली	1997 एवं 1998
9.	करौली-कैलादेवी	1993
10.	करौली-टोडाभीम	1993
11.	कैलादेवी-मथुरा	1994
12.	कैलादेवी-जयपुर	1994
13.	कैलादेवी-हिण्डौन	1994
14.	करौली-अलवर	1995
15.	करौली-गंगापुर	1997
16.	कैलादेवी-दिल्ली	1997
17.	महावीरजी-सोनागिरी	1998
18.	सपोटरा-दिल्ली	2000
19.	करौली-जयपुर	1993
20.	केलादेवी-सौरों	1999
21.	करौली-खेड़ली	1992
22.	करौली-सवाईमाधोपुर	1995

उप खण्ड बाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना

458. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप खण्ड बाड़ी की विभिन्न अदालतों में कितने मुकदमे लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपखण्ड बाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उपखण्ड बाड़ी की विभिन्न अदालतों में उपखण्ड बाड़ी क्षेत्र के लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उपखण्ड बाड़ी जिला धौलपुर में नवीन अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना इस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर, न्यायालय की स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन उपलब्ध होने पर तथा माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। उप खण्ड बाड़ी क्षेत्र के 489 प्रकरण लम्बित है जो नवीन अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्ड से बहुत कम है। इसलिए नवीन अपर जिला एवं सैशन न्यायालय की फिलहाल स्थापना करने की सम्भावना नहीं है।

परिशिष्ट "क"

उप खण्ड बाड़ी जिला धौलपुर के विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 31.3.2001 को लम्बित प्रकरणों की संख्या

(अ)		बाड़ी न्याय क्षेत्र से संबंधित सैशन प्रकरण :—	
	1.	दंगा एवं डकैती प्रकरण	47
	2.	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार प्रकरण	180
	3.	अन्य सैशन प्रकरण	188
	4.	अपील	9
	5.	रिवीजन प्रकरण	65
		कुल प्रकरण	489
(ब)		सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, बाड़ी में लम्बित प्रकरणों की संख्या	2002
(स)		सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बाड़ी में लम्बित प्रकरण	2104

जिला श्री गंगानगर के वायरलैस सैट चोरी की जांच

459. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्रीगंगानगर जिले में पुलिस विभाग के वायरलैस सैट गुम होने की घटना घटित हुई है ? यदि हां, तो किस-किस थाना या अधिकारी के सैट गायब हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सैट चोरी हुए थे ? यदि हां, तो पुलिस को कितने अर्से के बाद गायब सैटों को चोरी जाने का पता चला ? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है ? यदि हां, तो उसका नतीजा बाद जांच क्या रहा ?

(3) क्या उक्त सैट किसी षडयंत्र के तहत तो गायब नहीं किये गये हैं ? क्या यह आई.एस.आई. की कारगुजारी का अंश तो नहीं है ?

(4) क्या उक्त वायरलैस सैट की चोरी या गुम होने की घटना का सम्बन्ध पुलिस की संचार व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की साजिश तो नहीं है ?

उत्तर

(1) जी, हां। थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर से एक वायरलैस हैण्डसैट गुम हुआ है।

(2) जी, हां। उक्त वायरलैस सैट दिनांक 27.1.2001 से 29.1.2001 के मध्य चोरी हुआ, जिसका पता दिनांक 29.1.2001 को सायं 7 बजे चला। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 56/2001 धारा 380 भादस में पंजीबद्ध किया गया। अपराध अन्वेषणाधीन है।

(3) अभियोग में अब तक के अनुसंधान से कोई षडयंत्र या आई.एस.आई. का हाथ होना नहीं पाया गया है।

(4) उक्त सैट गुम होने के पुलिस संचार व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री गंगानगर में प्रेस क्लब की स्थापना हेतु भवन

460. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर पर पत्रकारों के विचार-विनिमय हेतु कोई कार्यालय/भवन नहीं है ? क्या सरकार जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में प्रेस क्लब स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि सूचना केन्द्र के निर्माण के समय उक्त परिसर के कोने पर स्थित भवन आरक्षित किया गया था ? क्या उक्त भवन पर पुलिस ने कब्जा करके ट्रेफिक थाना बना रखा है ?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा प्रेस क्लब के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जिला मुख्यालय पर प्रेस क्लब स्थापना हेतु नगर परिषद् विचार रखती है, परन्तु परिषद् के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने से क्रियान्विति नहीं हो पा रही है।

(2) जी नहीं। ट्रेफिक पुलिस ने 15 वर्ष से कब्जा कर रखा है।

(3) जी, हां। उक्त स्थल पर स्थित चुंगी नाका को प्रेस क्लब को दिये जाने बाबत परिषद् द्वारा अपनी साधारण बैठक दिनांक 18.5.91 व दिनांक 28.5.1993 में प्रस्ताव पारित किया गया था, चूंकि उक्त भवन (चुंगी नाका) पर ट्रेफिक पुलिस का कब्जा होने के कारण प्रेस क्लब को आबंटन करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। ट्रेफिक पुलिस से भवन को खाली करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है, खाली होने पर आबंटन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

जिला भरतपुर की प्रस्तावित योजनाएं

461. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वर्ष 1989 से उक्त विभाग कार्यरत है? यदि हां, तो उक्त में कुल कितने पद कहां-कहां हैं? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें। उक्त में कितने पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या उक्त विभाग के कुछ कर्मचारी/अधिकारी अन्यत्र कहीं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(3) क्या उक्त विभाग जिले एवं प्रांत के लिए कोई योजना रिपोर्ट तैयार करता है? यदि हां, तो अब तक बनाई गई किन-किन योजनाओं पर अमल किया गया? यदि नहीं, तो फिर उक्त विभाग का क्या औचित्य है?

(4) उक्त विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों की स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति क्या है? क्या उक्त पर अमल हो रहा है?

(5) उक्त विभाग द्वारा भरतपुर के लिए अब तक कितनी योजना बनाई गई? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जिले की वर्ष 1989 से अब तक बनी योजनाओं पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में वर्ष 1989 से आयोजना (जिला योजना) विभाग कार्यरत है। जिलेवार स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पदों की सूचना, कौनसा पद कब से रिक्त है, उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आयोजना (जिला योजना) विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अन्यत्र कहीं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं है।

(3) जी, हां। उक्त विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला योजना जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित

(राज्य मंत्री, आयोजना)

बजट के आधार पर प्रतिवर्ष योजना मात्र ही तैयार करवायी जाती है।

जिला वार्षिक योजना के प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों द्वारा जिला आयोजना प्रकोष्ठ को भिजवाये जाते हैं। प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति सम्बन्धित विभागों द्वारा ही की जाती है।

मुख्य आयोजना अधिकारी (जिला योजना प्रकोष्ठ) द्वारा जिले की वार्षिक योजना तैयार करने के अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम ग्रामीण विकास केन्द्रों/लघु ग्रामीण विकास केन्द्रों का परीविक्षण विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजना कार्यों की त्रैमासिक प्रगति परीवीक्षण विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं जिलों में उपलब्ध समस्त विभिन्न संसाधनों का विश्लेषण इत्यादि कार्य भी सम्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला योजना समिति की बैठकें एवं अन्य आयोजना सम्बन्धी कार्य एवं जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों का सम्पादन भी किया जाता है। अतः जिला आयोजना प्रकोष्ठ का बने रहना औचित्यपूर्ण है।

(4) विभाग की अलग से कोई स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति नहीं है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति का ही विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

(5) भरतपुर जिले की जिला वार्षिक योजना वर्ष 1990-91 से प्रत्येक वर्ष तैयार की गई। इस जिला वार्षिक योजना के अन्दर विभागाध्यक्षों द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को जो राशि आबंटित की जानी है, उसके प्रस्ताव सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा जो मुख्य आयोजना अधिकारी को दिये जाते हैं। उनको जिला वार्षिक योजना में शामिल किया जाकर जिला आयोजना समिति से अनुमोदन करवाकर जिला वार्षिक योजना तैयार की जाती है।

(6) जिले की वार्षिक योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार तैयार की जाती रही है। अतः प्रस्तावित योजना पर अमल भी विभागों द्वारा किया जाकर प्रगति अपने विभागाध्यक्ष को भिजवाई जाती है जो कि राज्य स्तर के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में परिलक्षित होती है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	जिलों के नाम	मुख्य योजना अधिकारी					सांख्यिकी सहायक				
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त है	प्रतिनियुक्ति पर अगर है तो कहां कब से और क्यों	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं	प्रतिनियुक्ति पर अगर है तो कहां, कब से और क्यों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	1	—	1	जनवरी, 2001	—	2	2	—	—	—
2.	अलवर	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
4.	बाड़मेर	1	—	1	जुलाई, 1999	—	2	2	—	—	—
5.	बारां	1	—	1	नवम्बर, 1999	—	2	2	—	—	—
6.	भरतपुर	1	—	1	अक्टूबर, 2000	—	2	2	—	—	—
7.	भीलवाड़ा	1	1	—	—	—	2	—	2	जून, 2000	—
8.	बीकानेर	1	—	1	अक्टूबर, 2000	—	2	1	1	जून, 1999	—
9.	बून्दी	1	1	—	—	—	2	1	1	अगस्त, 2000	—
10.	चित्तौड़गढ़	1	—	1	मई, 1998	—	2	2	—	—	—
11.	चूरू	1	1	—	—	—	2	1	1	अगस्त, 2000	—
12.	दौसा	1	—	1	मई, 2000	—	2	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	धौलपुर	1	1	—	—	—	1	—	1	दिसम्बर, 2000	—
14.	डूंगरपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
15.	श्रीगंगानगर	1	—	1	मार्च, 1998	—	2	2	—	—	—
16.	हनुमानगढ़	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
17.	जयपुर	1	—	1	जनवरी, 1999	—	2	2	—	—	—
18.	झालावाड़	1	—	1	मार्च, 1998	—	2	1	1	जुलाई, 2000	—
19.	जैसलमेर	1	—	1	जुलाई, 1999	—	2	1	1	सितम्बर, 1998	—
20.	जालौर	1	—	1	अक्टूबर, 1997	—	1	1	—	—	—
21.	झुंझुनूं	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
22.	जोधपुर	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
23.	कोटा	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
24.	नागौर	1	—	1	नवम्बर, 2000	—	2	1	1	जुलाई, 2000	—
25.	पाली	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
26.	राजसमन्द	1	1	—	—	—	2	1	1	दिसम्बर, 1994	—
27.	सवाईमाधोपुर	1	—	1	सितम्बर, 1997	—	2	2	—	—	—
28.	सीकर	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
29.	सिरोही	1	—	1	सितम्बर, 1997	—	2	1	1	जून, 1998	—
30.	टोंक	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
31.	उदयपुर	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—
कुल योग		31	16	15			57	46	11		

क्र.सं.	जिलों के नाम	संगणक (सांख्यिकी)					शीघ्र लिपिक				
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त है	प्रतिनियुक्ति पर अगर है तो कहां कब से और क्यों	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं	प्रतिनियुक्ति पर अगर है तो कहां, कब से और क्यों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
2.	अलवर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	1	—	1	अप्रैल, 1989	—
4.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	1	—	1	अप्रैल, 1992	—
5.	बारां	1	—	1	जुलाई, 1997	—	1	1	—	—	—
6.	भरतपुर	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
7.	भीलवाड़ा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
8.	बीकानेर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
9.	बून्दी	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	—	1	—	1	सितम्बर, 1992	—
11.	चूरू	—	—	—	—	—	1	—	1	जुलाई, 1999	—
12.	दौसा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
13.	धौलपुर	—	—	—	—	—	1	—	1	फरवरी, 1999	—
14.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	श्रीगंगानगर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
16.	हनुमानगढ़	1	—	1	जून, 1995	—	—	—	—	—	—
17.	जयपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
18.	झालावाड़	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
19.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	1	—	1	जनवरी, 1994	—
20.	जालौर	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
21.	झुंझुनूं	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
22.	जोधपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
23.	कोटा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
24.	नागौर	—	—	—	—	—	1	—	1	अक्टूबर, 1996	—
25.	पाली	—	—	—	—	—	1	—	1	जनवरी, 1994	—
26.	राजसमन्द	1	—	1	अप्रेल, 1992	—	1	—	1	अप्रैल, 1992	—
27.	सवाईमाधोपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
28.	सीकर	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
29.	सिरोही	—	—	—	—	—	1	—	1	मई, 1995	—
30.	टोंक	—	—	—	—	—	1	—	1	सितम्बर, 1995	—
31.	उदयपुर	1	—	1	अगस्त, 1995	—	1	1	—	—	—
कुल योग		14	10	4			30	19	11		

क्र.सं.	जिलों के नाम	कनिष्ठ लिपिक					चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
		स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त है	प्रतिनियुक्ति पर अगर है तो कहां कब से और क्यों	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं ?	प्रतिनियुक्ति पर अगर है तो कहां, कब से और क्यों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
2.	अलवर	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
4.	बाड़मेर	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
5.	बारां	1	–	1	दिसम्बर, 1998	–	1	1	–	–	–
6.	भरतपुर	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–
7.	भीलवाड़ा	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
8.	बीकानेर	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–
9.	बून्दी	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	चित्तौड़गढ़	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—
11.	चूरू	1	—	1	अगस्त, 2000	—	1	1	—	—	—
12.	दौसा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
13.	धौलपुर	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—
14.	डूंगरपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
15.	श्रीगंगानगर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
16.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	जयपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
18.	झालावाड़	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
19.	जैसलमेर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
20.	जालौर	2	1	1	मार्च, 2000	—	1	1	—	—	—
21.	झुंझुनूं	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—
22.	जोधपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	कोटा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
24.	नागौर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
25.	पाली	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
26.	राजसमन्द	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
27.	सवाईमाधोपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
28.	सीकर	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—
29.	सिरोही	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
30.	टोंक	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—
31.	उदयपुर	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
कुल योग		38	35	3	—	—	30	30	—	—	—

सहायक अभियन्ता बहरोड़ (अलवर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

462. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर के खण्ड बहरोड़ के सहायक अभियन्ता बहरोड़ ने वर्ष 2000-2001 में सामान सहित कितने हैण्ड पम्प लगाये गये ?

(2) उक्त हैण्ड पम्प किस ठेकेदार द्वारा लगाये गये हैं ? क्या उक्त बाबत अधिशासी अभियन्ता बहरोड़ को कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही या जांच की गई ? यदि नहीं, तो जांचकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार अधिशासी अभियन्ता के अलावा किसी और अधिकारी से जांच करवाने का विचार रखती है ?

(3) उक्त शिकायत क्या व कब की थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर के खण्ड बहरोड़ के सहायक अभियन्ता ने उनके कार्य क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 में आदेशित 15 हैण्ड पम्पों का निर्माण सामान सहित करवाया गया।

(2) उक्त 15 हैण्ड पम्पों में से 5 हैण्ड पम्प मैसर्स कुन्दन लाल शर्मा, अलवर तथा 10 हैण्ड पम्प मैसर्स सोनी बोर वैल्स, शाहपुरा (जयपुर) द्वारा लगाये गये। जी हां, माह सितम्बर, 2000 में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड बहरोड़ को एक शिकायत मैसर्स कुन्दन लाल शर्मा द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों के बारे में प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत हैण्ड पम्पों में लगाये गये पाइप के बारे में थी। शिकायत की जांच कनिष्ठ अभियन्ता, शाहजहांपुर तथा कनिष्ठ अभियन्ता, भण्डार एवं कनिष्ठ अभियन्ता, शाहजहांपुर एवं सहायक अभियन्ता, बहरोड़ द्वारा क्रमशः दिनांक 21.11.2000 एवं 26.3.2001 को की गई एवं इसकी जानकारी अधिशासी अभियन्ता, खण्ड बहरोड़ को दी गई। उक्त दोनों ही जांच के अनुसार हैण्ड पम्पों में लगाया गया सभी सामान विभागीय विशिष्टियों एवं मापदण्ड के अनुसार सही पाया गया। चूंकि हैण्ड पम्पों में लगाया गया सामान विभागीय विशिष्टियों के अनुसार है अतः किसी अन्य स्तर से जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(3) उक्त शिकायत माह सितम्बर, 2000 में की गई थी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायत दिनांक 25.9.2000 में जिन हैण्ड पम्पों के निर्माण एवं तदनुसार खराब हैण्ड पम्प लगाने का जिक्र था, उन कार्यों का प्रारम्भ दिनांक 2.11.2000 (ले-आउट की दिनांक) अर्थात शिकायत के लगभग 1 माह से अधिक समय पश्चात् किया गया। तथापि शिकायत की जांच प्रश्न के भाग संख्या-2 के उत्तर के अनुसार करायी जा चुकी है।

परिशिष्ट-"अ"

जगमाल सिंह यादव
सदस्य राज. वि. सभा एवं
प्रदेश अध्यक्ष रा.ज.द.

B-17, एम.एल.ए. क्वार्टर
गोपीनाथ मार्ग, एम.आई. रोड
जालूपुरा, जयपुर।
2374072, 2368189 जयपुर
01469-222051 तिजारा

क्रमांक :35-जन. स्वा. अभि. वि. रा/00 दिनांक : 25.9.00

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
अलवर।

महोदय,

आपका ध्यान कुन्दन शर्मा नामक ठेकेदार द्वारा तहसील बहरोड़ में किये गये हैण्ड पम्प्स की ओर आकर्षित करता है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि उक्त ठेकेदार ने जो हैण्ड पम्प लगाये हैं उनमें P.H.E.D. के निर्धारित मापदण्ड से हल्की पाइप लगाई है। कृपया इन सब हैण्ड पम्प की जांच कर, की गई जांच से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें। मेरी जानकारी में लाया गया है कि कई हैण्ड पम्पों में ऊपर तो पाइप हांलाकी हल्की लगाई है लेकिन नीचे तो पाइप बिलकुल ही हल्की लगाई है। यह शिकायत मैंने P.H.E.D. मंत्री एवं अधिकारियों से भी की है। अगर आपने बिना जांच के अगर कोई भुगतान किया तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। विदित रहे कि इस प्रकरण को विधान सभा में भी उठा रहा हूं।

सादर

जगमाल सिंह यादव
सदस्य राज. विधान सभा

कोटा स्थित गडेपान फैक्टरी से जल प्रदूषण

463. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गडेपान जिला कोटा में सी.एफ.सी.एल. से निकलने वाले प्रदूषित जल से उस इलाके का भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की है?

(2) उक्त गडेपान फैक्टरी के आसपास स्थित गांवों के भूमिगत जल के नमूने गत तीन वर्षों में कब-कब लिये गये और क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकार के भूमिगत जल के नमूनों को एकत्र करने का कोई मानक निर्धारित किया हुआ है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उद्योग द्वारा निकाले जाने वाला उच्छिष्ट उपचारित करने के बाद ही वाहित किया जाता है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।

(2) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सामान्यतया उद्योग से निकलने वाले उच्छिष्ट के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण का ही कार्य करता है उक्त फैक्टरी के आसपास के गांवों के भूमिगत जल के नमूने माह अप्रैल, 2001 में लिये गये। नमूनों की जांच के परिणाम का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भूमिगत जल के नमूनों को एकत्रित करने का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

गडेपान कोटा में कार्यरत मै. चम्बल फर्टिलाइजर्स व केमिकल्स लिमिटेड के आसपास क्षेत्र के हैण्ड पम्प से एकत्रित जल के नमूनों के विश्लेषण परिणाम का विवरण

क्र. सं.	लैब संख्या	गांव का नाम	पी. एच.	कंडक्टिविटी मि. म्हो 25^0C पर	एल्कलिनिटी (टोटल) CaCo3 के रूप में	क्लोराइड्स प्ल के रूप में	सलफेट्स So4 के रूप में	टोटल हार्डनैस CaCo3 के रूप में	कैल्शियम Ca के रूप में	मैग्नीशियम Mg के रूप में	डिसॉल्वड आक्सीजन	सी. ओ. डी.	बी. ओ. डी. (3 दिन 27^0C पर)	टोटल डिसॉल्वड सॉलिड्स	अमोनिकल नाइट्रोजन N के रूप में	नाइट्राइड्स N के रूप में	नाइट्रेड्स N के रूप में	टी.के.एन. N के रूप में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	4897	अमोरा	7.32	1.93	352	88	960	420	110.4	35.1	4.32	9.6	0.41	1340	0.02	0.002	1.4	1.68
2.	4898	खेरली माहू-दीप	7.35	0.78	244	40	170	232	81.6	6.8	3.68	12.0	0.23	520	—	0.001	0.8	1.4
3.	4899	भोनरा	7.15	1.19	340	44	325	348	60.8	47.8	2.39	18.4	0.64	852	0.02	0.002	2.2	1.54
4.	4900	बल्लभपुरा	7.03	0.79	292	56	100	288	62.4	32.2	4.32	7.4	0.37	540	0.02	0.011	4.0	2.66
5.	4901	पचेरा	7.06	1.10	316	68	235	364	65.6	48.8	4.60	15.2	0.23	788	0.02	0.027	10.5	2.52
6.	4902	पचेरा की झोंपड़ियां	7.29	1.47	276	72	610	384	92.8	37.1	4.42	34.4	0.28	1048	—	—	1.34	1.96
7.	4903	गड़ेपान	6.89	0.91	264	96	110	356	78.4	39.0	4.23	49.6	0.18	636	0.08	0.0004	2.8	1.68
8.	4904	बमोरी	7.79	0.86	420	36	40	316	57.6	42.0	4.60	27.2	0.23	602	—	0.014	1.4	3.22
9.	4905	रूघी	7.33	0.90	380	60	50	360	92.8	31.2	4.42	55.2	0.60	618	—	0.0004	3.15	2.66
10.	4906	कचनावडा	7.33	2.90	592	260	760	260	65.6	23.4	2.67	31.2	0.23	2204	—	0.0004	0.92	1.96
11.	4907	मोती कुआ	7.34	1.33	612	60	70	308	67.2	34.2	2.30	27.2	0.60	904	0.02	0.0004	0.94	2.94
12.	4908	नागदा	6.83	3.10	444	148	1340	660	15.6	65.9	2.02	26.4	0.46	2284	0.04	0.002	0.74	0.84
13.	4909	भोज्याखेरी	7.4	0.55	276	32	20	324	76.8	32.2	4.6	39.2	0.23	392	—	0.004	5.6	3.64

जिला चित्तौड़गढ़ यातायात सलाहकार समिति की बैठक में पारित निर्णय की पालना

464. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला स्तर परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक व जन आकांक्षा के अनुरूप बनाने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय यातायात सलाहकार समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ में उक्त समिति की बैठक कब आयोजित की गई?

(2) क्या उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना की गई है?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला चित्तौड़गढ़ की यातायात सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14.12.2000 को आयोजित की गई थी।

(2) जी, हां। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की आंशिक अनुपालना की गई है। शेष पर विधिवत कार्यवाही जारी है।

उप तहसील मुख्यालय सूरजगढ़ में मुंसिफ एवं ज्यूडिशियल न्यायालय की स्थापना

465. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी में तहसील मुख्यालय चिड़ावा पर एक मुंसिफ एवं ज्यूडिशियल न्यायालय पहले से कार्यरत है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कोई मुंसिफ एवं ज्यूडिशियल न्यायालय सरकार द्वारा अब तक नहीं खोली गई है?

(3) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ उप तहसील मुख्यालय व पंचायत समिति का मुख्यालय है और अजमेर विद्युत वितरण निगम का सहायक अभियन्ता कार्यालय, डिग्री कालेज, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, नगरपालिका कार्यालय, रेफरल हास्पिटल, अनाज मण्डी का प्रमुख केन्द्र व कृषि उपज मण्डी का केन्द्र है?

(4) क्या यह भी सही है कि सूरजगढ़ में पुलिस थाना 50 वर्षों से स्थित है और वर्तमान में वहां के मुकदमों की संख्या चिड़ावा तहसील में सबसे अधिक है?

(5) क्या सरकार चिड़ावा उप तहसील मुख्यालय सूरजगढ़ में मुंसिफ एवं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र, पिलानी में तहसील मुख्यालय, चिड़ावा पर एक सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) पहले से कार्यरत है।

(2) जी, हां। यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कोई सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) अब तक नहीं खोला गया है।

(विधि मंत्री)

(3) जी, हां। यह सही है कि सूरजगढ़ में उप तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय है और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सहायक अभियन्ता कार्यालय, डिग्री कालेज, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, नगरपालिका कार्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनाज मण्डी व कृषि उपज मण्डी का केन्द्र है।

(4) जी, हां। यह सही है कि जिला झुंझुनूं का पुलिस थाना सूरजगढ़ में सन् 1922 से कार्यरत है। यह सही नहीं है कि चिड़ावा तहसील के अन्य थानों के मुकाबले मुकदमों की संख्या सूरजगढ़ में सबसे अधिक है।

(5) जी, हां। विधि विभाग के पत्र क्रमांक 1 (7) न्याय/90 दिनांक 7.10.1998 द्वारा सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं में मुंसिफ कोर्ट खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया था, किन्तु मा. उच्च न्यायालय से परामर्श सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण सूरजगढ़ में मुंसिफ कोर्ट नहीं खोला जा सका है।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/सहमति प्राप्त होने पर सूरजगढ़ में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ-खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) खोलना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चारा डिपो हेतु लाइसेन्स

466. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 2000-2001 में कुल कितने चारा डिपो खोले गये तथा कितने चारा डिपो खोले जाने के आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से किन-किन व्यक्तियों को उक्त लाइसेन्स जारी किये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अकाल को देखते हुए चारा डिपो खोले जाने के स्थानों का सर्वे करवा कर चारा डिपो खुलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) उक्त चारा किस राज्य से मंगवाया जा रहा है तथा ये किस भाव से खरीदा जा रहा है उसमें सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 10 चारा डिपो स्वीकृत किए गए हैं। इनके अतिरिक्त पंचायत समिति स्तर से चारा डिपो प्रारम्भ करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए, चारा डिपो हेतु कोई लाइसेन्स जारी नहीं किया जाता है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र से और चारा डिपो खोले जाने की मांग प्राप्त होने पर डिपो स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

(3) क्षेत्र में चारे की मांग का आकलन कराये जाने पर समुचित मात्रा में चारा उपलब्ध होने के कारण अभी तक किसी अन्य राज्य से चारे का क्रय नहीं किया गया है। केवल एहतियात के तौर पर डिपो स्वीकृत किए गए हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर बिना विलम्ब चारे की समुचित व्यवस्था हो सके। राज्य के बाहर से आने वाले चारे पर 60/- रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाती है।

उदयपुर नगर परिषद् में नियुक्त अभियन्ताओं के निर्माण कार्यों की जांच

467. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् उदयपुर में लम्बे समय से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर ले रखा है?

(2) क्या सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता लम्बे समय से प्रतिनियुक्ति पर है? क्या इनका ग्रहणाधिकार (लियन) उनके पैतृक विभाग में है?

(3) क्या सरकार उक्त अभियन्ताओं द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद् उदयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक अधिशासी अभियन्ता लगभग दो वर्ष आठ माह से तथा एक सहायक अभियन्ता लगभग चार वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं।

(2) प्रश्न के बिन्दु संख्या एक के उत्तर में अंकित अभियन्ताओं के अतिरिक्त राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से एक सहायक अभियन्ता लगभग दो वर्ष आठ माह से तथा एक कनिष्ठ अभियन्ता लगभग दो वर्ष से नगर परिषद्, उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं। इनका ग्रहणाधिकार (लियन) उनके पैतृक विभाग में है।

(3) निर्माण कार्यों बाबत शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जावेगी।

मंत्रियों/अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राओं पर व्यय

468. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक अप्रैल, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक किस-किस अधिकारी व मंत्रियों ने कहां-कहां, कब-कब किस-किस कार्य के लिए विदेशों की यात्राएं की तथा उक्त पर कितना-कितना व्यय हुआ?

(2) उक्त यात्रा किस उद्देश्य से की गई और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार एक अप्रैल, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक 65 अधिकारियों एवं 2 मंत्रियों ने परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची के अनुसार विदेश यात्राएं की। इन विदेश यात्राओं पर राज्य सरकार द्वारा 10.73 लाख रुपयों की राशि व्यय की गई। अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर विदेश यात्राएं की गई।

(2) यात्रा जिस उद्देश्य से की गई एवं जिस सीमा तक सफलता प्राप्त की गई उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न सूची के अनुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नावां व कुचामन सिटी हेतु पुनर्गठित जलप्रदाय योजना

469. श्री हरीशचन्द (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुचामन सिटी व नावां शहर के लिये पुनर्गठित जलदाय योजनाएं कब-कब स्वीकृत हुई? उक्त योजनाओं में कितनी राशि स्वीकृत की गई उक्त में से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है?

(2) कुचामन सिटी की पुनर्गठित जलदाय योजना में नई टंकी द्वारा किस-किस क्षेत्र को पानी सप्लाई किया जाना प्रस्तावित है? उक्त योजना का काम कब तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या कुचामन सिटी क्षेत्र में छाबड़ों की गली, सूरजी की डूंगरी, धनजी का बाग क्षेत्र, डीडवानियां की गली, शाहजी का बगीचा, न्यू कालोनी में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति कम मात्रा में हो रही है? उक्त बस्तियों में पानी सप्लाई में सुधार के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं जो कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे?

(4) क्या नांवा शहर में वार्ड नं. 13 व 14 में श्मशान में नलकूप द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है परन्तु इसका जल स्तर काफी नीचे चला गया व वहां पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है? क्या वार्ड नं. 7 की बस्ती ऊंचाई पर होने से वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है? क्या उक्त कारण उक्त बस्तियों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है? उक्त संकट के समाधान के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं और उक्त समस्या का समाधान कब तक करा दिया जावेगा?

(5) नावां शहर की पुनर्गठित जलदाय योजना में क्या-क्या कार्य व कितनी-कितनी पाइप लाइन डालना स्वीकृत किये गये थे तथा नावां शहर में अब तक उक्त स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी पाइप लाइन कहां-कहां डाली जा चुकी है?

उत्तर

(1) कुचामन सिटी व नावां शहर की पुनर्गठित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति, योजनाओं की स्वीकृत राशि व इन योजनाओं पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत माह व वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि (3/2001 तक)	विशेष विवरण
			(रु. लाखों में)		
1.	पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना, कुचामन सिटी	7/97	274.32	273.72	योजना 5/2001 में पूर्ण करना प्रस्तावित
2.	पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना, नावां	9/95	120.45	117.09	योजना 3/1998 में पूर्ण

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) कुचामन सिटी की स्वीकृत पुनर्गठित जल योजना के अन्तर्गत पहाड़ी पर बनाई गई नई टंकी से दो क्षेत्रों (ऊपरी व निचले) में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ऊपरी क्षेत्र को इस टंकी से जोड़ा जाकर मापदण्डों के अनुरूप पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है। निचले क्षेत्र में पाइप लाइन डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसे माह मई, 2001 में जोड़ा जाकर टंकी से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना लक्षित है। इस क्षेत्र को वर्तमान में सीधे बूस्टिंग से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) कुचामन सिटी के क्षेत्र छाबड़ों की गली व धनजी का बाग में वर्तमान में पेयजल वितरण विभागीय मापदण्डों के अनुरूप है। शेष क्षेत्र क्रमशः सूर्य भगवान की डूंगरी, डीडवानियां की गली, शाहजी का बगीचा व न्यू कालोनी में वर्तमान में कम दबाव से पेयजल वितरित हो रहा है। इन क्षेत्रों को इसी माह के अन्त तक नई टंकी से जोड़ा जाकर उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(4) जी, हां। नावां शहर के वार्ड नं. 13 व 14 में श्मशान स्थित नलकूप से सीधे बूस्टिंग द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। गत तीन वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण इस नलकूप का भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण भूजल आवक क्षमता में कमी आई है, जिसके कारण उक्त वार्डों में कम दबाव से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वार्ड नं. 7 को भी इसी नलकूप से कम दबाव से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उक्त बस्तियों में विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो सके, इस हेतु नये पेयजल स्रोत के चयन हेतु भू-जल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है। सही स्रोत के चयन के उपरान्त, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाना सम्भव हो सकेगा।

(5) नावां शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना में स्वीकृत पाइप लाइन व अन्य कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पाइप लाइन डाले जाने का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-"अ"

नावां शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पाइप लाइन व अन्य कार्यों का विवरण

क्र.सं.	योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण	कराये गये कार्यों की स्थिति	अनुमानित व्यय (राशि रु. लाखों में)
1	2	3	4
भाग प्रथम			
1.	स्रोत का निर्माण-नलकूप 200 एम.एम. व्यास पांचोता, रोड नं. 9 नग	पूर्ण	24.00
2.	विद्युत संबंध 11 के वी ए डाइरेक्ट फीडर नावां पांचोता 6 कि.मी.	पूर्ण	12.00

1	2	3	4
3.	पम्प एवं मशीनरी 3.75 एलपीसी 60 एम.हैड एवं इंस्टालेशन 13 नग	पूर्ण	6.30
4.	पाइप लाइन		
	1. 250 एम.एम.एसी, सी.एल, सीएल-10 7140 मी.	पूर्ण	
	2. 200 एम.एम.एसी, सीएल-10 डिस्ट्रीब्यूशन 444 मीटर	पूर्ण	
	3. 125 एम.एम. एसी, सीएल 10 राइजिंगमैन 1200 मी. डिस्ट्रीब्यूशन 450 मी. कुल = 1683 मीटर	पूर्ण	
	4. 110 एएमएम पी.वी.सी., सीएल-3 डिस्ट्रीब्यूशन 1127 मी.	पूर्ण	
	5. 90 एम.एम. पी.वी.सी., सी.एल.-3 डिस्ट्रीब्यूशन, 1800 मी. राइजिंगमैन 3565 मी. कुल 5474 मी.	पूर्ण	
	6. 75 एम.एम.पी.वी.सी सीएल-3 डिस्ट्रीब्यूशन 6176 मी.	पूर्ण	
	7. सी. आई. स्पेशल-ई.डब्ल्यू-रोड कटिंग एस.वी.चैम्बर इत्यादि	पूर्ण	48.00
भाग द्वितीय			
1.	आर. सी. सी. उच्च जलाशय क्षमता 3.50 लाख कि. ली. 18 मी. स्टेजिंग-1 नग नांवा	पूर्ण	9.20
2.	आर.सी.सी. स्वच्छ जलाशय क्षमता 2.30 लाख कि.लो. पांचोता-1 नग	पूर्ण	3.30
3.	सी.आई., स्पेशल	पूर्ण	2.75
4.	स्विच बोर्ड रूम 4 नग	पूर्ण	1.00
5.	आवासीय क्वार्टर टाइप-5, 2 सैट	पूर्ण	4.59
6.	पम्प हाउस 1 नग	पूर्ण	1.00
7.	आवासी क्वार्टर टाईप-4, 1 नग	पूर्ण	1.75
8.	बाउण्डरीवाल पांचोता एवं नांवा हैडवर्क्स	पूर्ण	3.00
9.	अन्य (विविध)	पूर्ण	0.20
			117.09

परिशिष्ट-"ब"

नावां शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना के अन्तर्गत कराये गये पाइप लाइनों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	पाइप लाइन की साइज	डाली गई पाइप लाइन की लम्बाई
1	पांचोता हैडवर्क्स से नये उच्च जलाशय तक एवं उच्च जलाशय से तहसील कार्यालय तक।	250 एम एम एसी सीएल-10	7040 मीटर
2	तहसील कार्यालय से पुराना बस स्टैण्ड तक।	200 एमएम एसी सीएल-10	444 मीटर
3	पांचोता स्थित ट्यूबवैल 8, 9 से सीडब्लूआर तक ट्यूबवैल नं. 7,6,5 से सीडब्लूआर तक तथा ट्यूबवैल 8 से सीडब्लूआर तक।	125 एमएम एसी सीएल-10	1683 मीटर
4	ट्यूबवैल नं. 1, 2 से सीडब्लूआर तक तथा ट्यूबवैल नं. 4 से सीडब्लूआर तक तथा ट्यूबवैल नं. 7 (पुराना) से लेकर रेलवे फाटक तक।	110 एमएम पीवीसी सीएल-3	1127 मीटर
5	सांभर मोड़ से मिवडा नाडा, मोरनालो की ढाणी तथा मीण्डा नाडा से रेलवे पुलिया तक तथा गणेश कुमार के कुएं से सहमत नगर वार्ड नं. 13 में सांड शाला में बिजाराम जाट के मकान तक, होडूराम कुम्हार के मकान से बोदूराम कुम्हार के मकान तक, वार्ड नं. 14 से गंगाराम कुम्हार के मकान से कुन्दनमल कुम्हार के मकान तक, सुभाष कालोनी, व्यास कालोनी रेगर मौहल्ला, वार्ड नं. 12 से पीरवाला की दरगाह तक।	90 एमएम पीवीसी सीएल-3	5472 मी.
6	रामलक्ष्मण कालोनी में रामखिलाड़ी के मकान तक, भारत साल्ट तक वार्ड नं. 14 से श्मशान जी.एल.आर. से पुसाराम कुमावत के मकान तक, गंगाराम कुमावत के मकान से भीमाराम कुमावत के मकान तक, गोपीनाथ के मकान से काननाथ के मकान तक सहमत नगर रेलवे फाटक से अन्तिम पूर्वीछोर तक।	75 एमएम. पीवीसी सीएल-3	6176 मी.

मतदाता परिचय पत्रों में हुई अनियमितता की जांच

470. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान के सभी जिलों में मतदाताओं के परिचय पत्र मय फोटे के बनाये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परिचय पत्र मय फोटो के अस्पष्ट एवं अनेक त्रुटियों के थे?

(3) क्या उक्त प्रकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी श्री वी.आई. राजगोपालन को जांच के लिये मुकर्रर किया गया था? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जांच के आधार पर सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त जांच में कोई अधिकारी दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या सरकार ने उक्त परिचय-पत्रों में त्रुटियों की सुधार की है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में मतदाताओं के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाये गये हैं।

(2) हां, कुछ परिचय पत्र त्रुटिपूर्ण मय फोटो के अस्पष्ट पाये गये थे।

(3) जी, हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के मेज पर रख दी है।

(4) जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की है, जिसका क्रियान्वयन किया जाना हो।

(5) जी, नहीं। जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

(6) जी, हां। 44,982 त्रुटिपूर्ण मतदाता परिचय पत्रों में त्रुटियों का सुधार करवाया गया है। त्रुटिपूर्ण परिचय पत्रों के सुधार के संबंध में विभाग के दिशा निर्देश एफ6(1)(7)प्रथम/निर्वा/99/7154 दिनांक 24.01.2000 एवं एफ3/111/ए/निर्वा/आई डीकार्ड्स/2000/11627 दिनांक 27.09.2000 की प्रति परिशिष्ट एक एवं दो सदन की मेज पर रख दी हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना देवली (टोंक) में दर्ज प्रकरण संख्या 452/2000

471. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2000 को थाना देवली जिला टोंक में मुकदमा संख्या 452/2000 दर्ज हुआ था? यदि हां, तो किसके द्वारा कौन-कौनसी धाराओं

(श्री दिग्विजय सिंह)

में? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट किन किन व्यक्तियों के विरूद्ध थी? मुलजिमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन विकास अधिकारी देवली पर हमला किया गया था जिसमें उनकी नाक की हड्डी टूटना बताया है? क्या इसकी एक्स-रे रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो क्या दर्शाया है? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अभी तक भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जानबूझकर उक्त प्रकरण में देर की जा रही है? क्या इसमें प्रधान पंचायत समिति देवली व उसके साथी भी हैं?

(5) क्या उक्त मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मालपुरा (टोंक) कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या प्रगति है, जांच कब से लम्बित है और दोषियों को गिरफ्तार कर चालान कब तक प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

(6) क्या यह सही है कि तत्कालीन विकास अधिकारी देवली ने जिले में उच्च अधिकारियों को भी उक्त संबंध में लिखा था? क्या एक राजपत्रित अधिकारी से उक्त प्रकार की घटना पंचायत समिति कार्यालय में प्रधान द्वारा की गई? यदि हां, तो उक्त संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 8.11.2000 को मु.नं. 452/2000 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 452, 323, 379 भादसं में थाना देवली पर श्री रविन्द्र पाल सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली द्वारा दर्ज कराया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट में 1. श्रीमती रामकुरी मीणा प्रधान, 2. रमेश 3. बाबूलाल 4. मायाराम 5. प्रभूलाल सैनी 6. राजेन्द्र बागड़ी 7. उदयलाल गुर्जर 8. सत्यनारायण अभियुक्त बताये गये हैं।

(3) जी, हां। एक्स-रे रिपोर्ट में नाक की हड्डी में फ्रेक्चर आना बताया गया है। एक्स-रे रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है।

(4) जी, नहीं। अभियुक्त मायाराम मीणा व बाबूलाल खाती को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधान पंचायत समिति देवली का पुत्र रमेश मीणा मारपीट में लिप्त पाया गया है प्रधान श्रीमती रामकुरी मीणा की भूमिका के बारे में अन्वेषण जारी है।

(5) जी, हां। इस प्रकरण का अनुसंधान दिनांक 22.11.2000 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मालपुरा कर रहे हैं। इस अवधि में उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मुस्तगीस रविन्द्रपाल सिंह, उनकी पत्नी व पुत्रों

(गृह मंत्री)

से तफ्तीश की गई। श्री चन्द्र बिहारी मेडिकल ज्यूरिष्ट, श्री जग्गा गूर्जर, श्री रामलाल, श्री संजय पाराशर, श्री नारायण जैन, श्री बद्रीलाल, श्री प्रताप माली, श्रीमती सावित्री, श्री कौशल किशोर पारीक, श्री सत्यनारायण अग्रवाल, श्री विमल कुमार जैन, श्री भंवर लाल गुर्जर, श्री रामचन्द्र मीणा, श्री दिनेश गौतम व श्री पुरुषोत्तम शर्मा, के बयान लिये गये हैं। अनुसंधान शीघ्र पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया जावेगा।

(6) जी, नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

एशियन डवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण से सवाईमाधोपुर में विकास कार्य

472. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एशियन डवलपमेंट बैंक से शहरों एवं नगरों में निर्माण के लिये गत दो वर्षों में कितना ऋण किन शर्तों पर लिया गया है? उक्त स्वीकृत ऋण में से कितनी राशि प्राप्त हो गई तथा शेष कब तक प्राप्त हो जायेगी?

(2) उक्त ऋण में से किन-किन शहरों एवं नगरों पर कितनी कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(3) क्या यह भी सही है कि 10 शहरों के विकास पर 30 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त राशि उक्त 10 शहरों में कितनी-कितनी बांटी गई है तथा कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

(4) क्या उक्त 10 शहरों में सवाईमाधोपुर शहर भी है? यदि हां, तो उक्त योजना में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) एशियन विकास बैंक से राज्य के 6 प्रमुख शहरों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर तथा अजमेर) में आधारभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु 1055 करोड़ रुपये (250 मिलियन डालर) ऋण स्वीकृत हुआ है यह ऋण 18 जनवरी, 2000 से प्रभावी है। उक्त ऋण की शर्तें संलग्न है (परिशिष्ट "क")। स्वीकृत ऋण में से खर्च के आधार पर 27.41 लाख रुपये का पुनर्भरण राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। शेष राशि खर्च के आधार पर प्राप्त होगी।

(2) उक्त ऋण में से परियोजना प्रबंधन इकाई, जयपुर एवं बेसमेप तैयार करने हेतु जनवरी, 2000 से फ़रवरी, 2001 तक 190.80 लाख रुपये व्यय किये गये।

(3) जी, नहीं। एडीबी. की 10 शहरों के विकास पर 30 करोड़ रुपये व्यय की कोई योजना नहीं है।

(4) जी, नहीं। इस प्रकार की योजना नहीं है। अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट "क"

एशियाई विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए ऋण अदायगी की मुख्य शर्तें

(1) राज्य सरकार के द्वारा जो ऋण राशि नगर स्थानीय निकायों के परियोजना कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, उसके लिये राज्य सरकार एवं संबंधित स्थानीय निकाय के मध्य ऋण समझौता हस्ताक्षरित होगा एवं उसकी मुख्य शर्तें में संशोधन अथवा समाप्त करना बिना बैंक की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) सलाहकारों की नियुक्ति एवं निर्माण अथवा सामग्री हेतु अनुबन्ध आदि बैंक की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही किया जायेगा।

(3) परियोजना क्रियान्वयन व्यवस्था

(क) मंत्री, नगरीय विकास की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन एवं उस समिति को राज्य सरकार की आवश्यक शक्तियां प्रदान करना।

(ख) इस परियोजना की कार्यपालन एजेन्सी नगरीय विकास विभाग होगा, जो इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।

(ग) इस परियोजना का प्रबन्धन एवं समन्वय परियोजना प्रबन्धन इकाई के द्वारा होगा। इस इकाई का प्रमुख परियोजना निदेशक होगा जिसकी सहायता के लिये योग्य व अनुभवी स्टाफ लगाना एवं यह परियोजना अवधि के लिये नियुक्त होंगे।

(घ) प्रत्येक परियोजना शहर में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी जो परियोजना का क्रियान्वयन करेगी।

(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विस्तृत अभिकल्पन (design) के 15 माह पश्चात् तक उस कार्य हेतु समस्त आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। परियोजना की पुनर्वास योजना में शामिल नहीं होने वाले अपरिहार्य अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रबन्धन के लिये नीतियों एवं प्रक्रियाओं को तदानुरूप परिवर्तित करें।

(5) बैंक द्वारा सुझाये गये नीतिगत, संस्थागत एवं वित्तीय सुधारों को, तय की गई समय सारणी अनुसार राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित करना।

(6) राज्य सरकार द्वारा जन-सहभागिता बाबत एक नीति क्रियान्वित की जायेगी जिसमें कच्ची बस्तियों में महिलाओं के लिये लघु ऋण, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम एवं जनता द्वारा नागरिक सेवाओं के उपयोग हेतु भुगतान करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करना शामिल हो।

(7) परियोजना शहरों के स्थानीय निकायों के राजस्व सुधार हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें निम्न भी शामिल होंगे:—

(क) गृहकर एवं भूमि व भवन कर का यौक्तिकीकरण (rationalisation) करना। गृहकर की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार जिससे कि वार्षिक किराये मूल्य में संशोधन एवं आत्म मूल्यांकन (Self assessment) को बाध्य किया जा सके।

(ख) नगर निगम/परिषद् की राजस्व में बढ़ोतरी हेतु अन्य उपाय जैसे कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, नगर निगमों/परिषदों की समत्तियां, जो किराये पर दी गई हो, बाजारी दर पर किराया वसूल करना।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त परियोजना शहरों की नगर निगमों/परिषदों का क्लोजिंग बेलेन्स 2004 तक सकारात्मक हो।

(8) राज्य सरकार के द्वारा जल आपूर्ति में अनुदान घटाया जाये जिससे कि परियोजना शहरों की जलदाय योजनाएं वित्तीय सम्पोषणता (Financial sustainability) प्राप्त कर सकें। इसके लिये निम्न कार्य अपेक्षित है :—

(क) ऐसे उपाय किये जाय जिससे कि मार्च, 2004 तक गैर राजस्व जल घटकर 30 प्रतिशत से अधिक न हो। इनमें कलेक्शन एफिशिएंसी (Collection Efficiency) में सुधार कर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने एवं जल आपूर्ति विच्छेद नीति के क्रियान्वयन जैसे उपाय शामिल हों।

(ख) जल की दर में इस प्रकार वर्ष 2001 से निरन्तर वृद्धि की जाये जिससे कि मार्च, 2005 तक पूर्ण संचालन संधारण लागत की वसूली उपभोक्ताओं से हो सके एवं वर्ष 2011 तक संचालन अनुपात (operation ratio) 1.2 प्राप्त किया जा सके।

(9) राज्य सरकार के द्वारा परियोजना शहर के सिवरेज व्यवस्था के संचालन संधारण व्यय हेतु पर्याप्त कर राजस्व सुनिश्चित कर इसके लिये विशेष रूप से आवंटित की जायेगी।

(10) उच्च अधिकार प्राप्त समिति एवं बैंक की सहमति से परियोजना शहरों की क्षमता निर्माण हेतु एक योजना नवम्बर, 1999 तक तैयार की जाय जो निर्धारित समय सारिणी के अनुसार क्रियान्वित हो।

(11) निम्न परिस्थितियों में बैंक के द्वारा ऋण निरस्त किया जा सकता है:—

(अ) यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में जैसे सामग्री क्रय, सलाहकारों की नियुक्ति या कार्य क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है अथवा आपत्तिजनक प्रक्रिया अपनाई गई हो एवं इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा समय पर एवं समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

(ब) यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में ऋण समझौते में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

(12) ऋण खाते में से राशि निकालने की अंतिम तारीख 30 जून, 2005 होगी, अथवा अन्य दिनांक जो बैंक एवं भारत सरकार की सहमति से निर्धारित की जायें।

(13) इस परियोजना के लेखों का अलग से संधारण होगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद परियोजना लेखों का अंकेक्षण बैंक की सहमति से नियुक्त स्वतंत्र अंकेक्षणकर्ता के द्वारा कराया जाकर बैंक को प्रेषित करना होगा।

भोपल-बवनगवां सड़क के निर्माण में अनियमितता की जांच

473. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां की भोपल से बवनगवां कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़क के कार्य पर कितनी राशि स्वीकृत हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण में की गई अनियमितताओं के बारे में किस किस अधिकारी को दोषी पाया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच व प्रधान के द्वारा की गई थी ? क्या शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया ? यदि हां, तो उसने क्या जांच की तथा किसे दोषी पाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां की भोपल से बवनगवां सड़क के निर्माण पर राशि रु. 186.00 लाख स्वीकृत हुई है।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी, हां। यह सही है कि इस सड़क के बाबत सरपंच एवं प्रधान की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच अधिकारी द्वारा शिकायत में वर्णित कमियों की जांच शिकायतकर्ता के साथ की गई तथा यह पाया कि जो कमियां शिकायत में बताई गई थीं, उन कमियों को पूर्व में ही विभाग द्वारा सम्वेदक से ठीक करा लिया गया। जब भी कार्य में किसी प्रकार की कमी पाई गई उसे तत्परता से ठीक कराया गया है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में किसी अधिकारी को दोषी नहीं बताते हुए यह अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता स्वयं इन सुधारों से सन्तुष्ट हैं। मौके पर कार्य संतोषजनक स्तर का करवाया गया।

जांच हेतु जांच अधिकारी मुख्यालय से भेजे गये तथा क्षेत्र के अधिकारियों ने भी

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

अपने स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के लिये मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच के लिये भेजा।

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में आपणी योजना से पेयजल आपूर्ति

474. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में आपणी योजना में कितने ग्रामों को पानी दिया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे ग्रामों को आपणी योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के आपणी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत सभी 22 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) शेष रहे ग्राम चूंकि आपणी योजना के वर्तमान में स्वीकृत प्रथम चरण में शामिल नहीं है। अतः वर्तमान में इन्हें इस योजना से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट "क"

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के आपणी योजना से लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	माह जिसमें लाभान्वित किया गया
1.	सिद्धमुख	जुलाई, 2000
2.	भीमसाना	मई, 2000
3.	बागढ़ा	जून, 2000
4.	ढाणी छोटी	मई, 2000
5.	सादपुरा	दिसम्बर,2000
6.	ढाणी बड़ी	मई, 2000
7.	सरदारपुरा	मई, 2000
8.	राजपुरिया	मई, 2000
9.	मालड़	जुलाई, 2000
10.	रेजड़ी	जून, 2000
11.	रामसरा ताल	जून, 2000
12.	टुण्डा खेड़ी	जुलाई, 2000
13.	धनोठी छोटी	जून, 2000
14.	रामसरा टिब्बा	जून, 2000
15.	ताम्बा खेड़ी	जून, 2000
16.	किसनपुरिया	जून, 2000
17.	धोलिया	जून, 2000
18.	चुबकिया गढ़	जून, 2000
19.	धानोठी बड़ी	जुलाई, 2000
20.	न्यांगल छोटी	अगस्त, 2000
21.	न्यांगल बड़ी	जुलाई, 2000
22.	दुमकी	जुलाई, 2000

ह०/-
मुख्य अभियन्ता
परियोजना प्रबन्ध प्रकोष्ठ
जन स्वा. अभि. विभाग, चूरू

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-448 का विवरण)

परिशिष्ट-क

इण्डिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट में रणथम्भौर बाघ परियोजना में करवाये जाने वाले कार्य एवं वर्षवार व्यय का विवरण

कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा/टेबिल नम्बर	आबंटन		व्यय (लाखों में)					
	मूल आबंटन (लाखों में)	संशोधित आबंटन (लाखों में)	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	योग
107-इम्प्रूव्ड पी. ए. मैनेजमेंट	929.70	650.00	9.67	10.70	35.38	139.77	144.35	339.87
207-विलेज ईको डवलपमेंट प्रोग्राम	2595.50	1490.00	2.51	6.69	4.16	131.72	380.12	525.20
307-एनवायरमेंटल एजूके. एण्ड अवेयरनेस केम्पेइन	77.80	93.00	0.00	0.00	0.50	0.06	2.55	3.11
407-इनपेक्ट मानीटरिंग एण्ड रिसर्च	226.30	42.00	0.53	0.00	2.10	3.72	4.58	10.93
501-इनफोरमेशन टैक्नोलोजी इक्यूपमेंट	8.80	10.00	0.00	0.28	0.00	0.00	3.81	4.09
योग	3838.10	2285.00	12.71	17.67	42.14	275.27	535.41	883.20

परिशिष्ट-ख

विश्व बैंक ने इस परियोजना के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् मिड टर्म रिंव्यू (निरीक्षण) 25 अप्रैल, 2000 से 19 मई, 2000 तक किया। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का निरीक्षण 18 मई एवं 19 मई, 2000 में किया गया।

विश्व बैंक द्वारा मिड टर्म रिंव्यू के परिणामों एवं फाइंडिंग्स का विवरण अपने पत्र दिनांक 1.6.2000 द्वारा सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार को प्रेषित की। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में सातों साइट्स पर संयुक्त रिपोर्ट एवं प्रत्येक साइट पर पृथक-पृथक रिपोर्ट दी है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक की रिपोर्ट निम्नानुसार रही :—

(ए) 1. पार्क मैनेजमेंट :—ड्राफ्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। यह प्लान स्टेट एक्सपर्ट्स भारत सरकार एवं विश्व बैंक की टिप्पणियों के अनुसार रिवाइज एवं रिव्यू किया जावेगा। पार्क मैनेजमेंट मद में व्यय यथासम्भव स्टाफ एप्राइजल रिपोर्ट के वित्तीय प्रावधानों की सीमा तक रखा जावेगा एवं ऐसी नई गतिविधि आरम्भ नहीं की जावेंगी जिनका प्रावधान स्टाफ एप्राइजल रिपोर्ट में नहीं था। स्टाफ बिल्डिंग, रोड इम्प्रूवमेंट, वाटर कंजरवेशन वर्क्स में प्रावधान नहीं बढ़ाए जावेंगे।

2. मैनेजमेंट प्लान के ड्राफ्ट में काफी सुधार की आवश्यकता है।

3. मैनेजमेंट प्लान डाटा कलेक्शन, मेप्स एवं स्टडीज के पश्चात् तथा स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के पश्चात् पुनः लिखा जावेगा। मैनेजमेंट प्लान 30.12.2000 तक पूर्ण कर दिया जावे।

(बी) ईको डवलपमेंट :—

4. 31 ग्रामों के माइक्रोप्लान तैयार है जिनमें 20 को क्रियान्वित किया गया है। राजस्थान वन विभाग 60 माइक्रोप्लान से अधिक नहीं बनाएगा एवं ये माइक्रोप्लान 30.9.2000 तक अनुमोदित होने चाहिये। इससे स्टाफ एप्राइजल रिपोर्ट के लक्ष्य 112 ग्रामों से घट गये हैं। रणथम्भौर बाघ परियोजना में समुचित फण्ड फ्लो नहीं होने के कारण ईको डवलपमेंट गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त स्टाफ कम एवं तकनीकी सहायता की कमी के कारण भी प्रगति प्रभावित हुई है। ईको डवलपमेंट इनवेस्टमेंट की बड़ी राशि वाटर कंजरवेशन वर्क्स पर खर्च की जा रही है। क्योंकि पानी की कमी स्थानीय उत्पादकता में मेजर व्यवधान है। किन्तु स्टाफ को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि ग्रामीण इन कार्यों के एवज में वनों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए अन्यथा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। राजस्थान वन विभाग से निम्न सहमति हुई :—

(ए) माइक्रोप्लान में कार्यों की कंजरवेशन लिंकेज का ध्यान रखा जावेगा या कंजरवेशन के प्रभावी कदमों का प्रावधान होगा।

(बी) इ.डी.सी. को माइक्रोप्लान बनाने एवं क्रियान्वयन करने में तकनीकी सहायता में सुधार किया जावेगा।

(सी) इ.डी.सी. को फण्ड फ्लो में सुधार किया जावेगा विशेषतः वन अग्रिम समय पर उपलब्ध कराया जावेगा।

(डी) इ.डी.सी. की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जावेगा एवं इ.डी.सी. के रिवोल्विंग फण्ड के प्रभावी प्रबन्धन की व्यवस्था की जावेगी।

(इ) 30 जून, 2000 तक रणथम्भौर बाघ परियोजना में 20 अतिरिक्त स्टाफ का पदस्थापन किया जावेगा।

(एफ) भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाए प्लानिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन की परिक्रियाओं में सुधार पर ध्यान दिया जावेगा।

(ज़ी) छह माह की अवधि में फोरेस्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से इको डवलपमेंट की ट्रेनिंग का आयोजन किया जावेगा।

(सी) बजट कंसट्रेंट्स

5. फण्ड फ्लो की समस्याओं के मध्येनजर राजस्थान सरकार से निम्न सहमति हुई :—

(ए) राजस्थान सरकार भारत सरकार द्वारा रिवेलिडेट की हुई राशि का 53 लाख रिलीज़ करेगी।

(बी) राजस्थान सरकार 31.5.2000 तक वार्षिक-योजना अनुमोदित कर देगी।

(सी) राजस्थानी सरकार रणथम्भौर बाघ परियोजना को प्रथम बजट आबंट 30 जून, 2000 तक कर देगी।

(डी) वार्षिक योजना की कुल राशि रणथम्भौर बाघ परियोजना को 31.12.2000 तक उपलब्ध करा दी जावेगी।

6. विश्व बैंक जुलाई, 2000 में पुनः रिव्यू कर रणथम्भौर बाघ परियोजना में इण्डिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट में सहयोग का निर्णय लेगा।

(डी) कंसल्टेंसी सर्विसेज :—

7. राजस्थान सरकार ने एक भी कंसल्टेंसी का अनुमोदन नहीं किया है। यह राजस्थान सरकार का योजना के प्रति कमिटमेंट एवं जिम्मेदारी का परिचायक है। विशेषतः मिशन को चिन्ता है कि इसके बावजूद राजस्थान सरकार इन कंसल्टेंसीज की आवश्यकता पर जोर देती है जबकि योजना राजस्थान वन विभाग की राय से तैयार की गई थी एवं जिसे योजना की लीगल डाक्यूमेंट्स में राजस्थान सरकार की ओर से हस्ताक्षर कर कनफर्म किया गया था। इस रोशनी में एवं फण्ड फ्लो की समस्या को देखते हुए विश्व बैंक राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के प्रति कमिटमेंट एवं अपनत्व पर प्रश्न करता है। बैंक द्वारा योजना में सहयोग जारी रखा जावे इसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान सरकार अपने एटीट्यूट में

परिवर्तन करे एवं 30.6.2000 तक मिडटर्म रिव्यू के दौरान सहमत हुए एक्शन पर कार्यवाही कर सहयोग दे। कंसल्टेंसीज के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि क्रिटिकल कंसल्टेंसीज विशेषतः वे जो कई महीनों से लम्बित हैं उन्हें 30.6.2000 तक फाइनेलाइज करे। अन्य कंसल्टेंसीज जैसे इम्पेक्ट मानीटरिंग, फांइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी 30.9.2000 तक फाइनेलाइज की जावे।

(ई) इक्यूपमेंट एवं व्हीकल्स :—

8. राजस्थान सरकार ने वाहन, कम्प्यूटर एवं स्पेशियलाइजड इक्यूपमेंट के क्रम में सहयोग नहीं दिया है। राजस्थान सरकार राजकीय पत्राचार द्वारा विश्व बैंक को 31.5.2000 तक सुनिश्चित कराए कि वाहन, इक्यूपमेंट एवं स्पेशियलाइज इक्यूपमेंट को तत्काल क्रय करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

(एफ) ट्रेनिंग :—

9. यह सहमति हुई कि राजस्थान सरकार 31.5.2000 तक विश्व बैंक को लिखित में सूचित करेगी कि राज्य के बाहर एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण पर राज्य सरकार के तत्कालीन प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। प्रथम राज्य के बाहर स्टाफ एवं ग्रामीण स्टडी टूर 30.6.2000 तक किया जावेगा।

(जी) एनवायरमेंट एजुकेशन एण्ड अवेयरनेस :—

10. सेन्टर फोर एनवायरमेंट एजुकेशन ने रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए स्टेटेजी बनाई थी किन्तु बाघ परियोजना द्वारा कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम संचालित नहीं किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग एजुकेशन एवं अवेयरनेस प्रोग्राम के प्रबन्ध कर प्राथमिकता से इसे संचालित करेगा।

(एच) इंपेक्ट मानीटरिंग एण्ड रिसर्च :—

11. इस कम्पोनेंट में कोई कार्य नहीं किया गया है। मिशन चाहता है कि निम्न कार्य प्राथमिकता से किए जावें :—

(ए) इंपेक्ट मानीटरिंग का स्वतंत्र कार्यक्रम संचालित किया जावे ताकि प्रोजेक्ट के इम्पेक्ट की जानकारी हो।

(बी) डिसेमिनेशन स्टेटेजी तैयार की जावे ताकि योजना के पाठ एवं सफलताओं को लेखाबद्ध कर प्रसारित किया जा सके। स्टेटेजी 31.12.2000 तक तैयार कर दी जावे।

(सी) राजस्थान वन विभाग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी स्टडी करे ताकि प्रोजेक्ट की गतिविधियां प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी चालू रखी जा सकें। स्टेटेजी 31.12.2000 तक तैयार कर दी जावे।

(आई) राज्यादेश

12. ईको डवलपमेंट के आदेश के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। परिणामस्वरूप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कोर्डीनेशन एवं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अभाव से बाधा उत्पन्न हुई है। राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि 30.6.2000 तक स्टेट लेवल कोर्डीनेशन कमेटी एवं हाई लेवल इम्पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया जावे।

(जे) रिलोकेशन स्टडी :—

13. वोलेंटरी रिलोकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत तभी किया जावेगा जबकि स्वतंत्र वेरीफिकेशन एवं रिलोकेशन प्लान जो कि विश्व बैंक को स्वीकार हो 31.12.2000 तक पूर्ण कर लिया जावे।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-766 की सूची)

परिशिष्ट-"ए"

नगर निगम, जयपुर में कचरा परिवहन पर वर्ष 1995 से 2000 तक कुल व्यय

	वर्ष	व्यय (लाखों में)
1.	1995-96	231.00
2.	1996-97	312.82
3.	1997-98	371.19
4.	1998-99	448.76
5.	1999-2000	307.01

परिशिष्ट-"बी"

निगर निगम, जयपुर में रखे गये सुरक्षा कर्मियों पर वर्ष 1995 से 2000 तक व्यय

	वर्ष	व्यय (लाखों में)
1.	1995-96	14.23
2.	1996-97	147.13
3.	1997-98	200.00
4.	1998-99	198.52
5.	1999-2000	128.28

परिशिष्ट-"सी"

नगर निगम, जयपुर में वाहनों पर वर्ष 1995 से 2000 तक व्यय

	वर्ष	व्यय (लाखों में)
1.	1995-96	183.54
2.	1996-97	281.81
3.	1997-98	257.82
4.	1998-99	292.18
5.	1999-2000	236.73

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-770 की सूची)

APPENDIX TWO

NOTIFICATION OF 16.8.1976

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Urban
Development of Housing

Jaipur the 16th August, 1976

No. F.1(5)TP/72:—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 read with Item X of Sub Section (1) of Section 2 of Rajasthan Urban Improvement Act (Act No. 35 of 1959) and in partial modification of this Department Notification No. F.1(2)TP/64 dated the 4th April, 1966 the State Government hereby declare that Urban Area of Ajmer will include the following revenue villages :—

S.NO.	Name of Village	S.NO.	Name of Village
1.	Chorsiawas (Chorciawas)	2	Lohagal
3.	Ghugra (Ghughra)	4.	Gowanri
5.	Narcli	6.	Rasulpura (Rusoalpura)
7.	Madarpura	8.	Kankarda Bhona Ba
9.	Thoktelyan (Ajmer Thok Teliyan)	10.	Nosar (Norad Ratidang)
11.	Kotra	12.	Hathikhera
13.	Kazipura (Boraj Quazipura)	14.	Thokmalyan (Ajmer Thok Maliyan)
15.	Kiranipura	16.	Barlia
17.	Balram	18.	Sedaria
19.	Parbatpura	20.	Khanpura
21.	Somalpura (Samatpura)	22.	Dorai
23.	Bargoan (Bargeon)	24.	Makhupura
25.	Khajpura	26.	Hatundi
27.	Tabiji		

By Order of the Governor
Sd/- (Vijay Verma)
Secretary to the Government

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : एफ1(5)नविआ/72　　　　जयपुर, दिनांक : 27.9.1995

संशोधन अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए अजमेर नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम क्रमवार और सम्मिलित किये जाते हैं :—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम
26.	माकडवाली
27.	गगवाना
28.	कामड़

ह०/-
(एन. के. वर्मा)
शासन सचिव

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर (राज.)

क्रमांक/क अ/राजस्व/94/27 दिनांक : 10.2.1998

कार्यालय आदेश

साधारणतया यह देखा गया है कि नगर विकास न्यास के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी किये जाते हैं तथा भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जाती है। इस बिन्दू को कानूनी रूप से परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि एक बार क्षेत्र नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 का धारा (3) में विज्ञप्ति होने के बाद ग्राम पंचायत उस क्षेत्र में पट्टे जारी नहीं कर सकता और न ही भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर सकता हैं। नगर विकास न्यास में क्षेत्र नगर विकास न्यास अधिनियम की धारा (3) के द्वारा विज्ञप्ति होकर नगर विकास न्यास में सम्मिलित होता है। नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 की धारा (3) में विज्ञप्ति होने के बाद उस क्षेत्र में नगर विकास न्यास के प्रावधान लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1140/89 बालकिशन बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा अन्य प्रकरणों में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अतः नगर विकास न्यास क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जाता है कि जो क्षेत्र नगर विकास न्यास, अजमेर में सम्मिलित हो गया है, उसमें न तो वे पट्टे जारी करें और न ही किसी प्रकार की भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करें। यदि इस प्रकार की कार्यवाही की गई तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवकों के विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अभी तक जिन लोगों ने पट्टे आदि जारी कर दिये हैं, सम्बन्धित विकास अधिकारी उसकी सूचना संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि सम्बन्धित ग्राम सेवकों/सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की अधिसूचना दिनांक 16.8.76 व 27.9.95 की प्रतियां संलग्न है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-781 का विवरण)

ठेकेदारों के नाम

	मै. प्रहलाद चौधरी काबरिया	मै. सुरभी कंस्ट्रक्शन केकड़ी	मै. कुलदीप कुमार भट्ट सरवाड़	मै. श्याम सुन्दर गर्ग अजमेर	मै. रघुवीर सिंह राठौड़ चम्पापुर	मै. अलादीन कंस्ट्रक्शन, सरवाड़
प्रथम वर्ष	9,60,000/-	8,96,000/-	8,98,000/-	9,24,000/-	10,50,000/-	7,07,786/-
द्वितीय वर्ष	10 % अधिक	11 % अधिक	4.99 % अधिक	15 % अधिक	5 % अधिक	17 % अधिक
तृतीय वर्ष	20 % अधिक	19 % अधिक-	7.99 % अधिक	20 % अधिक	10 % अधिक	21 % अधिक

	पराक्रमित दर	मै. एम. आई. कंस्ट्रक्शन मेड़ता सिटी	मै. रतन कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स रामपुरा	मै. रमेश चन्द वैष्णव, सलारी	मै. एस.डी. कंस्ट्रक्शन अजमेर
प्रथम वर्ष	—	68,000/- प्रतिमाह ×12 =8,16,000/-	8,40,000/-	7,25,000/-	8,99,900/-
द्वितीय वर्ष	10 % अधिक	15 % अधिक	8 % अधिक	10 % अधिक	5 % अधिक
तृतीय वर्ष	15 % अधिक	18 % अधिक	—	15 % अधिक	5 % अधिक

अधिशासी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड, अजमेर

~~परिशिष्ट-7~~

~~परिशिष्ट "अ"~~

परिशिष्ट "ध"

परिशिष्ट—7
(अतारांकित प्रश्न संख्या-783 का विवरण)

अध्यक्ष विकास समिति घाटवा द्वारा दिये गये ज्ञापन का विवरण

क्र. सं.	मांग	समाधान सम्बन्धी कार्यवाही
1.	नलकूप पर बिजली डाइरेक्ट फीडर से जोड़ी जावे।	नलकूप पर खोरण्डी फीडर से डाइरेक्ट विद्युत लाइन से विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है।
2.	ग्राम घाटवा की पाइप्ड योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। स्वीकृति करावें।	योजना वर्तमान में तकनीकी जांच में विचाराधीन है।
3.	घाटवा क्षेत्र की 3 जनता जल योजना पिछले 2 वर्षों का भुगतान दिलावें।	1. जनता जल योजना घाटवा, सरपंच ग्राम पंचायत 2. अध्यक्ष, ग्राम विकास परिषद् गांधी ग्राम घाटवा 3. अध्यक्ष ग्राम विकास समिति, मानजी की ढाणी ग्राम पंचायत घाटवा क्रम सं. एक का भुगतान 31.3.2000 तक दे दिया गया है व 2, 3 का भुगतान 31.3.2001 तक दे दिया गया है।
4.	ग्राम केहर मोहल्ले गली में पानी की नियमित सप्लाई हो उसके लिए सम्पूर्ण पाइप लाइन की जांच तथा अवैध मुख्य लाइन के कनेक्शन हटाये जावे।	अवैध जल सम्बन्ध हटाये जा चुके हैं। पाइप की चौकिंग ठीक कर जोनवाइज जल वितरण नियमित कर दिया गया है।
5.	नई टंकी से नलकूप तक पाइप लाइन डालकर टंकी चालू की जावे।	घाटवा की पाइप्ड योजना वर्तमान में तकनीकी जांच में विचाराधीन है। स्वीकृत के बाद कार्यवाही की जा सकेगी।
6.	पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप के लिए कर्मचारी/पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जावे।	पूर्व सैनिक नियुक्त कर समाधान कर दिया गया है।
7.	जब तक पेयजल आपूर्ति सुचारू न हो तब बिलों की वसूली नहीं की जावे।	बिलों की वसूली न करना नीतिगत सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "ब"

ग्रामीण जल योजना मीण्डा तहसील नावां (खण्ड मकराना)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य स्थिति
1.	नलकूप (200 एमएम 100मी. गहराई) 6 नग	पूर्ण
2.	आर.सी.सी. (सीडब्ल्यूआर) 210 कि.ली. 1 नग	पूर्ण
3.	पम्प हाउस 1 नग	पूर्ण
4.	पम्प सैट 6 एच.पी. 8 नग	पूर्ण
5.	पम्प सैट 20 एच.पी. 2 नग	अपूर्ण
6.	राइजिंगमैन 1. 90 एम.एम पी.वी.सी. 700 मी. 2. 110 एम.एम. पी.वी.सी. 600 मी. 3. 125 एम.एम. एसी. 300 मी. 4. 200 एम.एम. एसी. 100 मी.	अपूर्ण
7.	एस.वी. चैम्बर 6 नग	अपूर्ण
8.	डिस्ट्रीब्यूशन 80 एमएम सीआई, एल.ए. 400 मी. 90 एम.एम पी.वी.सी. 8700 मी. 200 एम.एम एसी सीएल-10, 980 मी.	अपूर्ण
9.	एस.वी. चैम्बर-10 नग	अपूर्ण
10.	आर.सी.सी. उच्च जलाशय 420 कि.मी. 18 मीटर ऊंचाई, 1 नग	कार्य पूर्ण
11.	आर.सी.सी., एम.आर. को गिराना	अपूर्ण
12.	आर.सी.सी., जी.एल.आर. मय पी.एसपी 1. 50 कि.ली. नया बास, 1 नग 2. 34 कि.ली. डिडिया का बास 1 नग 3. पी.एस.पी. एवं सीडब्लूटी	पूर्ण
13.	जे-2 टाइप क्वार्टर एक सैट	पूर्ण
14.	एस.बी.आर. 5 नग	अपूर्ण
15.	पावर कनेक्शन, ट्यूबवैल एवं पम्प हाउस	पूर्ण
16.	ब्लीचिंग पाउडर डूजी प्लांट	अपूर्ण
17.	यन्त्र एवं औजार	पूर्ण

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-अ-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-787 की प्रतियां)

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 402 दिनांक 12.10.2000 अन्तर्गत धारा 379 भा. द. स. थाना टोडाभीम जिला करौली

परिवादी/- श्री शिवचरण लाल हाल, ए.ईएन. टोडाभीम।

क्र/स.अ./वि.टोडाभीम/स्टोर/प्र-2882 दिनांक 10.10.2000

श्रीमान् थानाधिकारी पुलिस थाना टोडाभीम विषय 33 के. वी. लाइन टी/ओ.एफ. मंडेरू रोड मोड से पाडला के विद्युत तार चोरी होने बाबत। उपरोक्त विषय में लेख है कि 33 के.वी. पाडला के लिए 33. के.वी. लाईन मंडेरू मोड से 6 पोल की दिनांक 8.10.2000 को रात्रि को चोरी चली गई है अधोहस्ताक्षरकर्ता दिनांक 9.10.2000 को करीरी साइट पर जा रहे तब देखा तो पाया कि पूर्व चोरी गई लाइन के अलावा 6 पोल के तीनों तार चोरी चले गये जो कि 1.8 के.एम. है, जिसकी कीमत निगम रेट के अनुसार रु. 63900/- होती है। अतः श्रीमान्जी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें जिससे निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके। एसडी. अपठित शिवचरणलाल शर्मा, शिवचरणलाल शर्मा सहायक अभियन्ता प.व्र.स.ज.नि.वि.नि.लि., टोडाभीम।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट श्री शिवचरण लाल पुत्र कैलीराम शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 52 वर्ष निवासी दाहिना गांव थाना रूपवास जिला भरतपुर हाल एईएन. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टोडाभीम ने हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल अक्षर से की जाकर पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 379 ता. हि. का सरजद होना पाया जाता है। अतः मु. 402/2000 व दफा मजकूर में कायम किया जाकर तफतीश सुपुर्द स.उ.नि. श्री रणधीर सिंह के की गई प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस.डी. शिवचरण लाल

एस.डी. रामस्वरूप यादव
एस.एच.ओ. थाना टोडाभीम
दिनांक 12.10.2000 समय 9.30 ए.एम.

परिशिष्ट-"अ"

प्रतिलिपि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 403 दिनांक 12.10.2000 अन्तर्गत धारा 379 थाना टोडाभीम जिला करौली

परिवादी :—श्री बाबूलाल मीणा जे.ईएन. राजस्थान राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड टोडाभीम, करौली।

कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, पवस जयपुर विद्युत विविनिलि: टोडाभीम क.अभि/ ज.वि.वि.नि.लि. टोडाभीम/प्र.100 दिनांक 12.10.2000 श्रीमान् थानाधिकारी पुलिस थाना टोडाभीम। विषय 11 केवी लाइनों के तार चोरी होने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 9.10.2000 को निगम कर्मचारी श्री दीनमोहम्मद, सहायक प्रथम तथा दिनांक 11.10.2000 को निगम कर्मचारी चन्दन मीणा, सहायक प्रथम द्वारा मौखिक अवगत कराया है कि दिनांक 8.10.2000 एवं 11.10.2000 की मध्य रात्रि में ग्राम भादौली एवं उरदेयन को जाने वाली 11 के.वी लाइनों के तारों को क्रमशः 2400 मीटर 2700 मीटर तारों को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 11 के.वी लाइनों से खोलकर चोरी कर ले गये हैं। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें। चोरी गये तारों की अनुमानित राशि क्रमशः 25920/- रुपये एवं 29108/- है। एस.डी. अपठित बाबूलाल, बी .एस. मीना कनिष्ठ अभियन्ता ग्रामीण आरII ज.वि.वि.नि.ल . टोडाभीम।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तहरीश रिपोर्ट श्री बाबूलाल पुत्र परसादी लाल जाति मीना, उम्र 36 साल निवासी नांगलशेरपुर हाल जे.ईएन.जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टोडाभीम ने हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल अक्षरशः की जाकर पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म थाना 379 ता. हि. का सरजद होना पाया जाता है। अतः मु.नं. 403/2000 न दफा मसकूर में कायम किया जाकर तफतीश स.ऊनि श्री सुरजन सिंह के की गई प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस.डी. बाबूलाल मीना

एस.डी.रामस्वरूप यादव उ.नि.
एस.एच.ओ. थाना टोडाभीम
दिनांक 12.10.2000 समय 9.45 ए.एम.

परिशिष्ट "अ" 3

कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता (ओ. एण्ड एम) ज. वि. वि. नि. लि. टोडाभीम क्रमांक एसपी/दिनांक 12.9.2000 श्रीमान् सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम) जविविनिलि. टोडाभीम। विषय : ग्राम खानपुर में स्थापित 25 के.एम. ट्रांसफार्म के जोब की तीनों कोयल चोरी होने बाबत। उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 12.9.2000 को सहायक प्रथम रामस्वरूप द्वारा लिखित में अवगत कराया है कि ग्राम खानपुर में स्थापित 25 के.एम. के जोब की तीनों कोयल को दिनांक 11.9.2000 की रात्रि में किन्हीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करके ले गये और जोब के सामान को खेतों में डाल गये। अतः दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का श्रम करें ताकि भविष्य में ऐसी घटना पुनः नहीं हो सके। सेवामें रिपोर्ट प्रेषित है। संलग्न श्री रामस्वरूप कर्मचारी द्वारा दी गई साइड रिपोर्ट। एसडी. बाबूलाल मीना 12.9.2000 जे.ईएन. ओ.एण्ड एम. जे.वी.वी.एन. एल. टोडाभीम क्रमांक स.आ.पवस/जविविनिलि/टोडाभीम/स्टोर/प्रे. 2384 दिनांक 14.9.2000 श्रीमान् थाना प्रभारी पुलिस थाना टोडाभीम। विषय : एफ.आई.आर. दर्ज करने के क्रम में कनिष्ठ अभियन्ता की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम सूचना दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें। एस.डी. शिवचरण लाल शर्मा, सहायक अभियन्ता, पवस जविविनि, लि. टोडाभीम।

पुलिस कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री शिवचरण लाल शर्मा एईएन. आर.एसईबी. टोडाभीम की ओर से श्री बाबूलाल मीना जे.ईएन. टोडाभीम ने हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल अक्षरशः की जाकर पढ़कर सुनाई सुन समझ कर सही मान अपने हस्ताक्षर किये। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 379 ता. हि. का सरजद होना पाया जाता है। अतः मु.न. 350/2000 व दफा मजकूर में कायम किया जाकर तफतीश सुपुर्द सहायक उपनि. श्री रणधीर सिंह के की गई प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। एसडी. बाबूलाल मीना. एसडी. रामस्वरूप यादव उनि.एस.एच.ओ. थाना टोडाभीम दिनांक 16.9.2000 समय 8 ए.एम.

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता (ओ. एण्ड एम) जविविनिलि. टोडाभीम क्रमांक 107 दिनांक 29.9.2000 श्रीमान् थानाधिकारी थाना टोडाभीम। विषय : प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 29.9.2000 को निगम कर्मचारी श्री चन्दर मीना, सहायक प्रथम द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 28.9.2000 को रात्रि में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम मोरडा में सत्तावन बीघा के पास से 11 के.वी. लाइन के लगभग 3600 मीटर एल्यूमिनियम तार को चोरी करके ले गये और 11 के.वी. लाइन के दो सीमेंट पोली को तोड़ गये। अतः दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का श्रम करे। एसडी. बाबू लाल मीना, कनिष्ठ अभियन्ता ओ.एण्ड एम. जविविनिलि. टोडाभीम राज.।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री बाबूलाल मीना पुत्र परसादी लाल मीना उम्र 35 साल निवासी नांगल शेरपुर थाना टोडाभीम हाल, जे.ईएन. जविविनिलि. टोडाभीम ने उपस्थित थाना होकर पेश की। रिपोर्ट की नकल उपरोक्त में अक्षरशः की गई मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 379 ताहि. का वक्र में आना पाया जाता है। अतः मु.नं. 377/2000 व दफा मजकूर कायम कर तफतीश श्री सूरज सिंह सउनि. के जिम्मे की गई प्रतियां एफ.आई.आर. जारी हुई। एसडी. बाबूलाल मीना, एसडी. रणधीर सिंह सउनि. इन्चार्ज थाना टोडाभीम दिनांक 29.9.2000 समय 5.15 पी.एम.

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-788 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

हिस्ट्रीशीटर्स सूची जिला जैसलमेर

क्र. सं.	नाम थाना	नाम	पिता का नाम	जाति	निवासी	श्रेणी	दिनांक HS खोलने की	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जैसलमेर	द्वारका दास	पोकर दास	सोनी	जैसलमेर	ए	04.02.1992	तस्कर
2.	जैसलमेर	लाखे खां	सोते खां.	मुसलमान	कुजालडी	ए	30.03.1982	तस्कर
3.	जैसलमेर	सुलेमान	हसल खां	मुसलमान	छप्रैल	बी	10.12.1972	तस्कर
4.	जैसलमेर	नारायण राम	मोहब्बता राम	माली	जैसलमेर	बी	10.04.1980	शराब तस्कर
5.	जैसलमेर	आबार	अदरीम	मुसलमान	छप्रैल	बी	23.09.1976	तस्कर
6.	जैसलमेर	तालब खां.	हमब खां.	मुसलमान	छप्रैल	ए	31.07.1992	तस्कर
7.	जैसलमेर	आगद खां	साइदाद खां	मुसलमान	जैसलमेर	बी	25.09.1996	तस्कर
8.	जैसलमेर	जलाल खां	अदरीम खां	मुसलमान	छप्रैल	ए	20.06.1996	तस्कर
9.	जैसलमेर	जीतमल	छगन लाल	सोनी	जैसलमेर	ए	31.07.1988	तस्कर
10.	जैसलमेर	वेणीदान	लालूदान	चारण	मांडवा	ए	20.07.1992	झगडालू
11.	जैसलमेर	छोटिया उर्फ गाजी खां	जुम्मे खां	मुसलमान	जैसलमेर	ए	24.01.1986	झगड़ालू
12.	जैसलमेर	मेघराज	उदाराम	खत्री	जैसलमेर	ए	02.04.1990	तस्कर
13.	जैसलमेर	गाजी खां	राणे खां	मुसलमान	भागू का गांव	ए	31.07.1987	तस्कर
14.	जैसलमेर	अमरदीन	कासम खां	मुसलमान	कुजालडी	ए	10.12.1973	तस्कर
15.	जैसलमेर	भवानी सिंह	बालसिंह	राजपूत	जैसलमेर	ए	11.03.1993	झगडालू
16.	जैसलमेर	निरसिंगा राम	सांगाराम	बेलदार	बबरमगरा	ए	16.11.1993	झगडालू
17.	जैसलमेर	जुम्मे खां.	जलाल खां.	मुसलमान	जैसलमेर	बी	25.02.1986	तस्कर
18.	जैसलमेर	राजाराम	किशन गोपाल	ब्राह्मण	जैसलमेर	ए	09.05.1987	झगडालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	जैसलमेर	सवाई लाल	धन्नाराम	दिशान्तरी	जैसलमेर	बी	06.03.1993	झगडालू
20.	जैसलमेर	मधू खां	सोने खां	मुसलमान	जैसलमेर	बी	06.03.1993	तस्कर
21.	जैसलमेर	ओमसिंह	लालसिंह	हजूरी	धरुआ	बी	02.08.1987	झगडालू
22.	जैसलमेर	अलशेर खां	उस्मान खां	मुसलमान	सिनावड़ा	बी	14.07.1990	झगडालू
23.	मोहनगढ़	यारिया	आमद खां	मुसलमान	मण्डाउ	बी	8.06.1996	तस्कर
24.	मोहनगढ़	मोयब	तमाची	मुसलमान	मण्डाल	बी	01.08.1993	तस्कर
25.	मोहनगढ़	भागीया	करीम	मुसलमान	बाहला	ए	01.08.1999	तस्कर
26.	मोहनगढ़	मीठिया	सायबद्धीन	मुसलमान	बहाला	ए	1.04.1973	तस्कर
27.	मोहनगढ़	गाजी	बसंत	मुसलमान	चौधरिया	ए	8.07.1990	तस्कर
28.	मोहनगढ़	छुटा	हाजीकता	मुसलमान	बाहला	ए	8.04.1979	झगडालू
29.	मोहनगढ़	अशशेर	कपू	मुसलमान	मोहनगढ़	ए	30.04.1973	झगडालू
30.	मोहनगढ़	जुम्मा	मोती	मुसलमान	सदराउ	ए	21.04.1973	तस्कर
31.	मोहनगढ़	मेहराणिया	महेन्द्रा	मुसलमान	मोहनगढ़	ए	20.09.1973	झगडालू
32.	मोहनगढ़	रतन	अलाबचाया	मुसलमान	मोहनगढ़	ए	15.12.1992	तस्कर
33.	मोहनगढ़	अदर रहमान	गुलाम रसूल	मुसलमान	दईजर	ए	15.12.1992	तस्कर
34.	मोहनगढ़	गुलशेर	सायबदीन	मुसलमान	बाहला	ए	24.06.1975	तस्कर
35.	मोहनगढ़	दायमू	अलाबचाया	मुसलमान	मोहनगढ़	ए	08.08.1995	तस्कर
36.	मोहनगढ़	रजु	रहीम	मुसलमान	मोहनगढ़	बी	01.07.1976	तस्कर
37.	मोहनगढ़	आलमिया	परता	मुसलमान	मोहनगढ़	बी	09.08.1989	तस्कर
38.	मोहनगढ़	बेगू	हमीर	मुसलमान	बाहला	बी	24.06.1975	तस्कर
39.	मोहनगढ़	रहीम	रतन	मुसलमान	मण्डाउ	बी	18.12.1992	तस्कर
40.	मोहनगढ़	आलुड़ा	अरादीन	मुसलमान	बाहला	बी	02.06.1989	तस्कर
41.	मोहनगढ़	अब्दुला	अमीन	मुसलमान	बाहला	बी	02.06.1989	तस्कर
42.	मोहनगढ़	लामू	बागा	मुसलमान	बाहला	बी	22.06.1975	तस्कर
43.	मोहनगढ़	बली मो.	रहीम	मुसलमान	बाहला	बी	20.06.1973	तस्कर
44.	मोहनगढ़	खानिया	छुटा	मुसलमान	बाहला	बी	09.06.1989	तस्कर
45.	मोहनगढ़	जमाल	खैरदीन	मुसलमान	सबराल	बी	10.03.1992	तस्कर
46.	मोहनगढ़	भंवर सिंह	कालूसिंह	राजपूत	मोहनगढ़	बी	24.05.1993	झगडालू
47.	मोहनगढ़	गुलशेर	हकीम	मुसलमान	सबराल	बी	24.06.1976	झगडालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	मोहनगढ़	बचल	रावता	मुसलमान	बाहला	बी	08.06.1995	झगडालू
49.	मोहनगढ़	नेमसिंह	उगसिंह	राजपुत	मोहनगढ़	ए	27.07.1999	झगडालू
50.	मोहनगढ़	मूलसिंह	पहाड़ सिंह	राजपुत	मोहनगढ़	ए	03.08.1999	झगडालू
51.	मोहनगढ़	किशन सिंह	कुशल सिंह	राजपुत	मोहनगढ़	ए	24.07.2002के	झगडालू
52.	मोहनगढ़	गायड सिंह	घुडसिंह	राजपुत	मोहनगढ़	ए	24.07.2002के	तस्कर
53.	मोहनगढ़	किरत सिंह	धुड़सिंह	राजपुत	मोहनगढ़	ए	24.07.2002के	तस्कर
54.	मोहनगढ़	शंभुसिंह	राणीदान सिंह	राजपुत	मोहनगढ़	ए	24.07.2002के	तस्कर
55.	मोहनगढ़	गुगर सिंह	नखत सिंह	राजपुत	तेजमाला	ए	25.01.2002के1	तस्कर
56.	खुहड़ी	बालसिंह	पीरदान	राजपुत	सत्तासर	बी	25.08.1997	नकबजन
57.	खुहड़ी	जेठूसिंह	पन्नेसिंह	राजपुत	सता	ए	23.06.1988	झगडालू
58.	खुहड़ी	तनसिंह	पदम सिंह	राजपुत	पीथला	बी	24.01.1986	तस्कर
59.	खुहड़ी	रहीम	दीनूखां	मुसलमान	हांसुआ	बी	24.01.1986	तस्कर
60.	खुहड़ी	पर्बत सिंह	सगत सिंह	राजपुत	पीथला	ए	19.05.1990	तस्कर
61.	खुहड़ी	तनेराय सिंह	भवर सिंह	राजपूत	पीथला	ए	17.07.1990	तस्कर
62.	खुहड़ी	झब्बर सिंह	पदम सिंह	राजपूत	पीथला	ए	30.09.1992	तस्कर
63.	खुहड़ी	आलम	दाढिया	मुसलमान	पीथेडाई	ए	30.09.1992	तस्कर
64.	खुहड़ी	नारायण	झब्बर सिंह	राजपुत	भोमा	ए	03.01.1994	तस्कर
65.	खुहड़ी	हीराराम	बीरबल राम	—	सोडा	ए	23.07.1996	नकबजन
66.	झिझनयाली	उदय सिंह	बीजराज सिंह	राजपुत	सर्तो		03.01.1970	तस्कर
67.	झिझनयाली	भीखा	रहीम	मुसलमान	खालतों वाला	बी	07.09.1977	तस्कर
68.	झिझनयाली	जय सिंह	रेवत सिंह	राजपुत	तेजमालता	ए	05.03.1988	तस्कर
69.	झिझनयाली	जुगत सिंह	तगसिंह	रा.राजपुत	लाखणियों की ढाणी	बी	08.10.1987	तस्कर
70.	झिझनयाली	वासुदेव	तुलसीदास	माहेश्वरी	म्याजलार	ए	13.06.1993	तस्कर
71.	झिझनयाली	ताजूखां	गनूखां	मुसलमान	गम्भारा	ए	27.06.1995	तस्कर
72.	झिझनयाली	जसवंत सिंह	गुमान सिंह	राजपुत	सिहरार	ए	21.09.1977	झगड़ालू
73.	झिझनयाली	रेवत सिंह	उत्तम सिंह	राजपुत	कुण्डा	बी	24.04.1978	पशुचोर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	सम	पीरूखां	हाजी रोजे	मुसलमान	पीरू की बस्ती	ए	05.02.1966	तस्कर
75.	सम	राणा	दाला	मुसलमान	-	ए	19.12.1966	तस्कर
76.	सम	मीरिया	दीनू	-	केशुओं की बस्ती	ए	28.03.1993	तस्कर
77.	सम	गुलिया	मंगल	मुसलमान	तुर्क की बस्ती	ए	28.03.1993	तस्कर
78.	सम	आदू	अमल	मुसलमान	तुर्क की बस्ती	ए	22.12.1966	तस्कर
79.	सम	गोविंद लाल	कृपालदास	महाजन	दबड़ी	बी	23.08.1980	तस्कर
80.	सम	मेघराज	चुन्नीलाल	महाजन	दबड़ी	बी	02.08.1980	तस्कर
81.	सम	खुदीया	भादू	मुसलमान	धनाना	ए	16.12.1989	तस्कर
82.	सम	सोढिया	पीरु	मुसलमान	पीरु की बस्ती	ए	22.05.1990	तस्कर
83.	सम	हाजीमेणू	अबार	मुसलमान	रहे का बार	ए	04.02.1992	तस्कर
84.	सम	राबरा	जगी	मुसलमान	भुवाना	ए	01.09.1993	तस्कर
85.	सम	सावण	बईया	मुसलमान	मतारे की बस्ती	ए	31.04.1993	तस्कर
86.	सम	कम्भीरा	राणा	मुसलमान	मतारे की बस्ती	ए	05.05.1994	तस्कर
87.	सम	अबार	समाया	मुसलमान	मतारे की बस्ती	ए	25.05.1994	तस्कर
88.	सग	सुगार	जादा	मुसलमान	गुने की बेरी	ए	03.03.1993	तस्कर
89.	सम	बरोच	मुराद	मुसलमान	लुणे की बस्ती	ए	24.11.1993	तस्कर
90.	सम	अमरिया	मिटठा	मुसलमान	गगाणियों	ए	23.03.2002के	तस्कर
91.	सम	हैदर	आमद	मुसलमान	केशुओं की बस्ती	ए	18.12.1999	तस्कर
92.	शाहगढ़	उसे	खैरुखां	मुसलमान	मकने का तला	ए	08.06.1995	तस्कर
93.	शाहगढ़	कारुखां	पांडेखां	मुसलमान	शेखर	ए	03.04.1997	तस्कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.	शाहगढ़	इब्राहीम	बरोचखां	मुसलमान	चान्दराउ	ए	25.11.1999	तस्कर
95.	नाचना	किशन सिंह	बुलीदान सिंह	राजपुत	घटियाली	ए	23.01.1987	तस्कर
96.	नाचना	धायरे खां	अहमद खां	मुसलमान	हरियार	ए	16.01.1981	तस्कर
97.	नाचना	स्वरूप सिंह	खेतसिंह	राजपुत	अवाय	बी	-	झगडालू
98.	नाचना	हुसैन	पीरु	मुसलमान	नाचना	ए	01.02.1992	तस्कर
99.	नाचना	मेहरदीन	अलाबचाया	मुसलमान	अवाय	ए	01.02.1992	तस्कर
100.	नाचना	बविसया	खेते खां	मुसलमान	पांचे का तला	ए	28.09.1974	तस्कर
101.	नाचना	वलिया	खेते खां	मुसलमान	पांचे का तला	ए	01.02.1982	देशद्रोही
102.	नाचना	कायमदीन	साले मो.	मुसलमान	शेखों का तला	बी	17.07.1986	तस्कर
103.	नाचना	अलाबचाया	अलीयार	मुसलमान	भारेवाला	बी	01.02.1992	तस्कर
104.	नाचना	सूजिया	करीम	मुसलमान	कलरों की ढाणी	बी	21.03.1989	तस्कर
105.	नाचना	सीकिया	धोधे खां	मुसलमान	कलरों की ढाणी	बी	04.02.1992	तस्कर
106.	नाचना	भाईडा	करीम	मुसलमान	कलरों की ढाणी	बी	03.06.1995	तस्कर
107.	नाचना	नजीरिया	पीर मो.	मुसलमान	आकल वाला	बी	22.08.1995	देशद्रोही
108.	नाचना	ताज मो.	खैरदीन	मुसलमान	नाचना	ए	26.10.1994	देशद्रोही
109.	नाचना	करमुड़ा	छिनकू	मुसलमान	नाचना	ए	30.09.1978	नकबजन
110.	नाचना	लाखा	गिरधारी	मुसलमान	सांकडिया	ए	11.08.1982	नकबजन
111.	नाचना	समसदीन	नागोदर	मुसलमान	-	ए	23.06.1982	जासूस
112.	नाचना	राधेश्याम	रतन लाल	महाजन	नाचना	ए	10.10.1973	नकबजन
113.	नाचना	इन्द्रदान	मानाराम	-	नाचना	ए	06.03.2002के	झगडालू

परिशिष्ट "ख"

मीसा के तहत नजरबन्द किये व्यक्तियों की सूची

1.	छूटा	हाजी कला	बाहला	मीसा	10.12.1971
2.	राणा	दाल	केशुओं की बस्ती	मीसा	11.12.1971

रासूका के अन्तर्गत नजरबन्द किये व्यक्तियों की सूची

1	2.	3	4	5
गाजी खां उर्फ छोटिया	जुग्गे खां	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
रहीम	दीनू	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
जुम्मे खां	जमाल खां	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
अबार खां	अदरीम खां	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
लाखे खां	सोने खां	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
तालब खां	हमल खां	छत्रैल	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
पीरू खां	हाजीरोजे खां	रागरों की बस्ती	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
गोविन्द लाल	कृपालदास	दबड़ी	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
करमूड़ा	छिनकू	नाचना	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
लाखा	गिरधारी	साकड़िया	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
किशन सिंह	बुलीदान सिंह	घटियाली	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
कायमदीन	साले मोहम्मद	पांचे का तला	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
गुलशेर	हकीम	सदराउ	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
गुलशेर	साहबना	बाहला	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
रजू	रहीम	बाहला	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
उदय सिंह	बीजराज सिंह	सत्तों	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
रेवन्त सिंह	उत्तम सिंह	कुण्डा	रासूका (एनएसए)	07.01.1987
गाजी उर्फ छोटिया	जुम्मे खां	जैसलमेर	एनडीपीएस एक्ट	-

1	2	3	4	5
आमद खां	शोभराज	जैसलमेर	एनडीपीएस एक्ट	- -
द्वारकाप्रसाद	पोकरमल	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	1992
किशन सिंह	बूलीदान सिंह	घंटियाली	रासूका (एनएसए)	1992
भागेखां	करीम खां	बाहला	रासूका (एनएसए)	1992
कंभीरा	कादू	सांगैड	रासूका (एनएसए)	1992
हाजी उर्फ मेणू	अबार खां	सम	रासूका (एनएसए)	1993
यारू	बलाने खां	गमने वाला	रासूका (एनएसए)	1994
छोटिया उर्फ गाजी	जुम्मे खां	जैसलमेर	रासूका (एनएसए)	1994
हाजी मेणू	अबार	सम	रासूका (एनएसए)	1995
गुलिया	मंगल	सम	रासूका (एनएसए)	1995
सुजिया	करीम	बाहला	रासूका (एनएसए)	1997
जमालदीन	खैरदीन	लाठी	रासूका (एनएसए)	1999
सुजिया	करीम	बाहला	रासूका (एनएसए)	2000 27.02.2001 को हाईकोर्ट ने बरी किया।

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-791 की प्रति)

कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण

क्रमांक : 557

दिनांक : 31.3.2001

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
कोटा ग्रामीण।

विषय :—जांच रिपोर्ट परिवाद द्वारा द्वारका लाल, वहिदन बेगम रमेश मंगल पप्पू वगैरहा विरुद्ध हीरालाल पारेता, एस.एच.ओ., थाना बपावर कलां के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—श्रीमान् के पत्र क्रमांक 425 दिनांक 14-2-2001 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यालय श्रीमान् से परिवाद श्री द्वारका लाल आ. प्रभूलाल धाकड़, निवासी डूंगरपुर, वहीदन बेगम मुसलमान निवासी बपावरकलां, पप्पूलाल आ. छीतर लाल धाकड़, निवासी लठूरा एवं रमेश मंगल, निवासी बपावरकलां का वास्ते जांच कार्यालय हाजा में प्राप्त हुआ।

1. परिवादी श्री द्वारका लाल आ. प्रभुलाल धाकड़, निवासी डूंगरपुर ने परिवाद में अंकित किया कि दिनांक 29.6.2000 को गैर सायलान की मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। तफतीश में थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसमें मुलजिमानों के हौंसले और बढ़ गये। मेरे खिलाफ भी मुकदमा कायम कर दिया गया, केस की जांच दूसरे अधिकारी से करवायी जावे ताकि मुलजिमों को सजा दी जा सके इत्यादि।

2. परिवादिया वहीदन बेगम पत्नी अब्दुल कयूम, जाति मुसलमान, उम्र 50 वर्ष, निवासी बपावरकलां ने परिवाद में अंकित किया कि दि. 29.6.2000 को सुबह 7.30 बजे मेरी लड़की के साथ रामकरण व उसके लड़के दिनेश ने मारपीट की जिसकी रिपोर्ट थाना बपावरकलां में दर्ज करवा दी। थानेदार साहब ने मुझे मेडिकल मुआयना के लिए सांगोद भेज दिया पीछे से मुलजिम से पैसे लाकर मेरे खिलाफ व लड़के व लड़की के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर धारा 3 लगाकर 1000/-रुपये की मांग की रिपोर्ट पर जांच करवायी जावे इत्यादि।

3. परिवादी श्री पप्पूलाल आ. छीतर लाल, जाति धाकड़, नि. लठूरा ने परिवाद में अंकित किया कि मेरी पत्नी लाडबाई को गांव वाले डाकन कहकर पुकारते थे इस पर थाना बपावर कलां में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही परन्तु थानेदार साहब ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कि इसके बाद मैंने अदालत में इस्तगासा पेश किया। अदालत से इस्तगासा थाने पर आने पर थानेदार साहब हमारे घर पर

आये जिन्होंने इस्तगासा की जांच के लिये 1000/-रुपये की मांग की। मैंने 500/-रुपये तुरन्त मेरी मां चतरीबाई से थानेदार साहब को दिलवा दिये इसके पश्चात थानेदार साहब ने मुलजिमों का चालान पेश कर दिया बाकी 500/-रुपयें के लिए मुझे रोजाना परेशान करते हैं इत्यादि।

4. परिवादी रमेश चन्द मंगल आ. मदन लाल मंगल, उम्र 51 वर्ष, निवासी बपावरकलां ने परिवाद में अंकित किया कि मेरे पुत्र के साथ दिनांक 29.5.2000 को सादिक आ. जुम्मा मुसलमान निवासी बपावरकलां एवं अन्य चार व्यक्तियों ने मिलकर प्राणघातक हमला कर मारपीट की है।

सादिक मुसलमान आदतन अपराधी है मेरे लड़के के मारपीट में भारी घातक चोट आई थी थानाधिकारी द्वारा अभी तक भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है दोनों मुलजिम बपावरकलां से बाहर के रहने वाले हैं तथा मुझसे उनके नाम पूछे जाते जबकि जिन मुलजिमानों के साथ सादिक ने हमला किया था वह नाम सादिक से नहीं पूछे गये तथा हवालात में पंखा लगाकर रखा गया खाना खिलाया सिर्फ रिमाण्ड का नाम भर लिया गया हथियार भी वास्तविक बरामद नहीं किये गये थानेदार साहब पैसे मांगते हैं इत्यादि।

उक्त चारों परिवाद प्राप्त होने के पश्चात् परिवादी को तलब कर परिवादी द्वारका लाल से अपने द्वारा परिवाद पेश करने के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि डूंगरपुर का रहने वाला हूं मेरे खेत में बिजली के खम्बे की लाइने निकली हुई है मेरे खेत के पास मन्नालाल धाकड़ का खेत है जो मेरे खेत में होकर कनेक्शन लेना चाह रहा था। दिनांक 29.6.2000 को मन्नालाल से मैंने कहा कि मेरे खेत में 8-10 खम्बे पहले ही गडे हुए हैं अब दुबारा खेत में खम्बे क्यों गडवाना चाहता है। मन्नालाल धाकड़ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लग गया। इसकी रिपोर्ट मैंने थाने में की रिपोर्ट तो लिख ली लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि 5-7 दिन बाद मेरे खिलाफ ए.सी.एम. कोर्ट में इस्तगासा पेश कर दिया थानेदार साहब ने मेरे खिलाफ झूंठी कार्यवाही की जिसकी शिकायत मैंने डी.आई.जी. साहब को दिनांक 1.7.2000 को की थी। इसके बाद थाने वाले अब मुझे परेशान नहीं करते हैं ए.सी.एम. सांगोद ने मौके पर जाकर हमारा विवाद समाप्त करा दिया अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। दिनांक 1.7.2000 के पश्चात मैंने कोई रिपोर्ट थानेदार साहब के खिलाफ नहीं दी इत्यादि।

5. परिवादिया वहीदन बेगम पत्नी अ. कयूम मुसलमान, निवासी बपावरकलां द्वारा परिवाद में अंकित तथ्यों की ताइद करते हुए दिनांक 29.6.2000 को उसकी लड़की फरजाना की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा एक हजार रुपये की मांग करना व नहीं देने पर धारा 3 का झूठा मुकदमा दर्ज करना तथा पप्पूलाल धाकड़, निवासी लठूरा से 500/- रुपये की मांग करने पर उसके साथ थानें में जाकर थानेदार साहब से मिलना आदि बताये।

---

6. परिवादी पप्पूलाल पुत्र छीतर लाल, कौम धाकड़, उम्र 28 वर्ष, निवासी लठूरा ने अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की ताइद करते हुए बताया कि गांव लठूरा में मेरी औरत को कुछ लोग डाकन कहकर बदनाम करते हैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने पर गया थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा अदालत में कार्यवाही करने हेतु कहा गया। अदालत से प्राप्त इस्तगासे की जांच में थानाधिकारी द्वारा 1000/- रुपये मांगे 500/- रुपये उसी समय अपनी मां चतरी बाई द्वारा देना व बाद में 500/- रुपये के लिए वहीदन बेगम के पास जाना आदि बताये तथा चतरी बाई पत्नी छीतर लाल जाति धाकड़ ने श्री अपने लड़के पप्पूलाल के बयान की ताइद की।

7. परिवादी रमेश चन्द आ. मदन लाल मंगल, निवासी बपावरकलां ने बताया कि दिनांक 29.5.2000 को 6 बजे करीब शाम की बात है। मैं व मेरा लड़का धीरज मोटर साइकिल पर बैठकर मोइकलां से घर आ रहे थे रास्ते में सादिक अली मुसलमान के मकान के सामने सादिक अली एवं चार व्यक्ति सिकंदर, अलीम व दो व्यक्ति अन्य ने मोटर साइकिल रोक ली, मेरे लड़के धीरज के साथ मारपीट की थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा धारा 323 ता. हि. का मुकदमा दर्ज किया एवं हमलावरों को धारा 107, 151 जा. फो. में गिरफ्तार कर मेरे लड़के का मेडिकल मुआयना पुलिस कानिस्टेबिल द्वारा सांगोद अस्पताल में कराया गया मेरे लड़के के गम्भीर चोटें होते हुए भी मुलजिमानों के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज नहीं किया मैंने इस बारे में एस.पी. साहब, कोटा ग्रामीण से हालात अर्ज किये जब मुलजिमानों के खिलाफ 308 ता. हि. में केस दर्ज किया। मुलजिमानों को गिरफ्तार करने के पश्चात पंखा लगाकर सुलाया गया तथा हथियार भी जब्त नहीं किये केवल साधारण लकड़िया मंगवा कर जब्त की। मैंने इस बारे में एस. एच. ओ. साहब से कहा कि इन लोगों ने षडयंत्र रचकर मेरे बच्चों के साथ मारपीट की है, मैं राजनीति पार्टी का कार्यकर्ता हूं एवं थाना बपावरकलां के कई आदमी मेरे पास आते-जाते हैं। मेरी पत्नी पिछले पांच साल तक सरपंच रही है मुलजिमान बारां की बुलट गेंग के सदस्य हैं एवं पुराने एच.एस. भी हैं इनको एस. एच. ओ. द्वारा संरक्षण प्रदान किया है। जबकि गिरफ्तार मुलजिमानों से शेष रहे दो मुलजिमान से यह नाम पूछ सकते थे मुलजिमान रिमाण्ड पर थाने पर रहे लेकिन शेष दो मुलजिमानों का नाम एस.एच.ओ. ने नहीं पूछा एस.एच.ओ. हीरालाल ने मुझसे दिनांक 29.5.2000 को मुकदमा दर्ज करने के 3 हजार रुपये मांगे थे। मैंने नहीं दिये इस परिवाद के सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी डी.वाई.एस.पी., सांगोद को बयान दिये गये थे जिन पर अधिकतर पुलिस विभाग द्वारा एस.एच.ओ. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई इत्यादि।

परिवादों की जांच के सम्बन्ध में परिवादियों के बयान के अलावा थाने पर इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिकार्ड भी प्राप्त किया एवं इस सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की। परिवादी श्री द्वारका लाल ने अपने परिवाद में अंकित किया कि मेरी रिपोर्ट थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की तथा मेरे खिलाफ ही न्यायालय ए.सी.एम., सांगोद में इस्तगासा पेश किया जहां से मुझे जमानत करवानी पड़ी। यह बात सही है कि द्वारका लाल द्वारा दिनांक 29.6.2000 को मन्ना लाल धाकड़ डूंगरपुर के खिलाफ मारपीट की धमकी देने की रिपोर्ट

दर्ज करवायी थी जो थाना बपावरकलां के रोज आम 1242 दिनांक 29.6.2000 समय 6.30 पी.एम. पर दर्ज है तथा उसी रोज समय 8 पी.एम. पर मन्नालाल आ. चम्पालाल धाकड़, निवासी डूंगरपुर द्वारा द्वारका लाल के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट अंकित करवायी थी जो रपट सं. 1249 पर दर्ज की गई मामला द्वारका लाल के खेत में होकर विद्युत लाइन मन्नालाल के कुएं पर ले जाने का था। दोनों पार्टियों में इस विवाद को लेकर कभी भी झगड़ा हो सकता था। थानाधिकारी द्वारा दोनों पार्टी मन्नालाल आ. चम्पालाल धाकड़ व द्वारका लाल आत्मज प्रभूलाल धाकड़ के खिलाफ धारा 107,116 (3) जा. फो. का इस्तगासा न्यायालय ए. पी. एम., सांगोद में पेश किया परिवादी द्वारका लाल का यह कहना असत्य है कि उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जबकि एस.एच.ओ. द्वारा दोनों पार्टियों के खिलाफ इस्तगासा पेश किया है जो शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु न्यायोचित था जो थानाधिकारी द्वारा किया है परिवाद द्वारका लाल द्वारा पेश किया गया प्रमाणित नहीं है।

परिवादिया वहीदन बेगम के परिवाद के जांच के सम्बन्ध में रेकार्ड का अवलोकन एवं अपरिवादी श्री हीरालाल मेवाड़ा, एस. एच. ओ., बपावरकलां से भी इस बारे में जानकारी की तो पाया कि दिनांक 29.6.2000 को परिवादिया के पुत्र मुजामिल हुसैन द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर प्रकरण संख्या-74/2 के धारा 341, 323, 352, 34 आई. पी. सी. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री शिवराज सिंह, सहायक उप निरीक्षक के सुपुर्द किया जिसके द्वारा वाद अनुसंधान मुलजिम रामकरण आ. कालू लाल, दिनेश कुमार आ. रामकरण खटीक, निवासी बपावरकलां के खिलाफ जुर्म धारा 341, 323, 352 , 34 आई. पी. सी. प्रमाणित पाया जाने पर चार्जशीट नं. 49 दिनांक 30.6.2002 के कता की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। जहां तक परिवादिया वहीदन बेगम व उसके लडके व लडकी के खिलाफ धारा 3 एस.सी/एस.टी. एक्ट में अपराध पंजीबद्ध करने का न है फरियादि रामकरण द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश की है इसलिए थानाअधिकारी का उत्तरदायित्व बनता है कि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करे और थानाधिकारी ने प्रकरण संख्या-75/2000 धारा 323, 504, 34 आई.पी.सी. व धारा 3 एस.सी/एस.टी. एक्ट में पंजीबद्ध कर तफतीश वृताधिकारी वृत सांगोद को प्रेषित की। पैसों के बारे में परिवादिया ने परिवाद में जो आरोप लगाया है महज उसके खिलाफ धारा 3 एस.सी/एस.टी. एक्ट में प्रकरण दर्ज करने से रुष्ट होकर ही लगाया है, जो असत्य है वहीदन बेगम द्वारा यह कहना गलत है कि उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जबकि प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। एफ.आई.आर. एवं चार्जशीट की प्रतियां संलग्न है परिवादिया वहीदन बेगम द्वारा पेश किया गया परिवाद बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जो अप्रमाणित है।

परिवादी पप्पूलाल द्वारा परिवाद पेश किया जिसकी जांच की गई परिवादी व परिवादी की मां चतरी बाई के बयान लेखाबद्ध किये रिकार्ड का अवलोकन किया एवं थानाधिकारी बपावरकलां से भी पूछताछ की तो पाया कि परिवादी पप्पूलाल की पत्नी मुस्मात लाडबाई, कौम

धाकड़, निवासी लठूरा की ओर से न्यायालय में पेश किया इस्तगासा हस्ब दफा 156(3)जा.फो. का थाना बपावरकलां पर प्राप्त हुआ इस्त. के आधार पर मु. नं. 128/99 धारा 500, 504, 143 आई.पी.सी. में पंजीबद्ध कर थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण बलराम, प्रहलाद मूलचन्द, गुलाब शंकर के विरुद्ध आरोप पत्र सं. 91 दिनांक 30.9.1999 को अपराध धारा 447, 500, 504 आई.पी.सी. में चालान न्यायालय में दिनांक 4.10.1999 को पेश किया जो न्यायालय में विचाराधीन है। यह घटना दिनांक 26.9.1999 की है तथा परिवाद 12 माह बाद पेश किया है पप्पूलाल द्वारा परिवाद में अंकित 500/- रुपये प्राप्त करने वाली वाद षडयंत्र रचकर अंकित की है जो प्रमाणित नहीं है।

परिवादी रमेश मंगल द्वारा अपने परिवाद में अंकित किया कि थाना अधिकारी बपावरकलां द्वारा सादिक अली व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की व गिरफ्तार नहीं किया हवालात में पंखा लगाया गया आदि। दिनांक 29.5.2000 को परिवादी रमेश मंगल द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश करने पर इन्चार्ज थाना श्री सत्यनारायण, सहायक उप निरीक्षक द्वारा मु. नं. 61/2000 धारा 147, 148, 223 ता. हि . में खिलाफ सादिक हुसैन मुसलमान, सादिक का लड़का एवं अजीज का लड़का व 6 अन्य व्यक्तियों के दर्ज प्रकरण किया। थानाअधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति को देखते हुए सादिक हुसैन व सलीम को 107, 151 जा. फो. में गिरफ्तार किया मुकदमा नं. 61/2000 में वाद अनुसंधान मूल. सादिक हुसैन, अब्दुल सलीम, सिकन्दर अली के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 307 ता हि. प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर अलाय जरब बरामद किये जाकर अनुसंधान की पूर्व प्रक्रिया के बाद दिनांक 25.6.2000 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। हवालात से जहां तक बाहर निकाल कर पंखा लगाने वाली बात है गर्मी की वजह से हवालात में जी घबराने के कारण हवालात के बाहर पंखा लगाया गया था रिकार्ड से पाया कि जो भी रिपोर्ट परिवादी रमेश मंगल द्वारा की गई है। थानाधिकारी द्वारा समय-समय पर उन पर कार्यवाही की गई परिवादी रमेश मंगल एवं प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण तथा उसकी पत्नी पिछले पांच सालों तक भू.पू. सरपंच रहने से अपना प्रभाव का दुरुपयोग करना चाहता है। जबकि रमेश मंगल के खिलाफ थाना बपावरकलां में मु. नं. 131/86, 84/89, 13/82, 47/85 एवं 9/92 के दर्ज होने का रिकार्ड उपलब्ध है परिवादी रमेश मंगल थानाधिकारी पर हावी होने की गरज से झूठे परिवाद पेश करवाता है।

परिवादीगण द्वारका लाल, वहीदन बेगम, पप्पूलाल धाकड़ एवं रमेश मंगल बपावरकलां द्वारा जो थानाधिकारी बपावरकलां के खिलाफ परिवाद पेश किये गये हैं जो एक ही व्यक्ति की हैण्ड राइटिंग से लिखे जाना प्रतीत होते हैं जबकि सादिक हुसैन को रमेश मंगल की रिपोर्ट पर थानाधिकारी द्वारा समय-समय पर उसके खिलाफ कार्यवाहियां की जाकर गिरफ्तारी अमल में लायी गई है तथा 41/110 जा. फो. में भी गिरफ्तार किया गया है तथा सादिक हुसैन का आपराधिक रिकार्ड बारां एवं अन्य थाने जात से एकत्रित कर दिनांक 26.8.2000 को उसकी

एच.एम., भी खोली जा चुकी है. इन तथ्यों के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता है कि थानाधिकारी द्वारा सादिक हुसैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है परिवादियों द्वारा पेश की गई रिपोर्टों पर थानाधिकारी द्वारा समय-समय पर कानूनी कार्यवाही की गई है जिनका समस्त रिकार्ड संलग्न है।

जांच परिवाद एवं थानाधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई रिकार्ड के अवलोकन से उक्त समस्त चारों परिवाद प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। अतः जांच रिपोर्ट मय पत्रादि अवलोकनार्थ श्रीमान् की सेवा में पेश है।

ह०/-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
कोटा ग्रामीण

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-795 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

खिलाड़ी कोटे में उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति हेतु
गत 2 वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

(1.4.1999 से 31.3.2000)
1.4.2000 से 31.3.2001)

क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	खेल
1.	श्री सीमा सांखला/चन्द्रसिंह सांखला	19.4.1999	23.5.1973	स्नातकोत्तर	कबड्डी
2.	श्री धर्मेन्द्र सांखला/श्री भंवर लाल	27.5.1999	29.12.1975	स्नातक	फुटबाल
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह बीका/श्री मालम सिंह	28.5.1999	3.1.1977	स्नातक	फुटबाल
4.	कु. मन्जु/रणजीत राम	28.5.1999	7.7.1978	स्नातक	शूटिंगबाल
5.	श्री नीरज शर्मा/बी.एम. शर्मा	4.7.1999	16.10.1976	स्नातक	मुक्केबाजी
6.	श्री अकरमवासी/श्री अकबर खां	12.7.1999.	3.6.1974	स्नातक	वालीबाल
7.	श्री राजकमल सिसोदिया/श्री रमेश चन्द	25.1.2000	17.6.1979	स्नातक	शूटिंगबाल
8.	श्री जगदीश कुमार/रामनारायण	29.1.2000	20.5.1972	स्नातक	एथलेटिक
9.	श्री वैभव शुक्ला/जे. पी. शुक्ला	23.2.2000	09.12.1975	स्नातक	एथलेटिक
10.	श्री अमलेश दीक्षित/बी.बी. दीक्षित	23.2.2000	24.12.1975	स्नातक	पावर लिफ्टिंग
11.	श्री संदीप मिश्रा/बी. एम. मिश्रा	22.3.2000	7.10.1974	स्नातक	शूटिंग
12.	श्री दिनेश डीडवानियां/पुखराज	13.3.2000	3.1.1982	स्नातक	जूडो
13.	श्री अविनाश व्यास/सूरजभान	22.5.2000	11.9.1977	स्नातक	वालीबाल
14.	श्री रामावतार शर्मा/नारायण शर्मा	1.7.2000	1.10.1977	स्नातकोत्तर	बाक्सिंग
15.	श्री सुनीता शर्मा/रमेश कुमार शर्मा	12.7.2000	10.6.1979	स्नातक	तैराक
16.	श्री प्रेमचन्द सैनी/रामनारायण सैनी	28.8.2000	1.5.1978	द्वितीय वर्ष	बास्केटबाल
17.	श्री कुलदीप शर्मा/बृज किशोर	29.11.2000	4.9.1977	स्नातक	शूटिंगबाल
18.	श्री सत्येन्द्र सिंह राठौर/मूलसिंह	17.3.2001	15.7.1975	स्नातकोत्तर	भारोत्तोलन

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-797 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 की अवधि में रिश्वत के अपराधों में न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये गये की सूची

क्र. सं.	अपराध संख्या	विरूद्ध	विशेष विवरण
1.	55/99	श्री जीतसिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह, सहायक उप निरीक्षक रोडवेज बस अड्डा, श्रीगंगानगर	विशिष्ट न्यायाधीश भ्र.नि. मामलात, बीकानेर ने दिनांक 14.5.1999 को उक्त गवाह पक्ष द्रोही होने के कारण बरी किया गया है।
2.	136/99	मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री फैज मोहम्मद, जाति मुसलमान, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, एस.डी.एम., खाजूवाला, बीकानेर	भ्र. नि. अधिनियम बीकानेर द्वारा दिनांक 11.12.2000 को गवाहों के उक्त प्रकरण में पक्ष द्रोही होने के कारण बरी किया गया।
3.	44/99	(1) श्री चतुरभुज पुत्र श्री शिवलालदान, राजस्व पटवारी हल्का पिरनवाली चार्ज हल्का 28 बीडी तहसील राजस्व खाजूवाला, बीकानेर। (2) भंवर सिंह पुत्र श्री नरसी सिंह जाति राजपुरोहित, निवासी भाभासर, त. नोका बीकानेर प्राइवेट व्यक्ति	न्यायालय भ्र. नि. अधिनियम बीकानेर द्वारा दिनांक 29.7.2000 को उक्त प्रकरण के मौतबीर गवाहान के पक्ष द्रोही होने पर बरी किया गया है।
4.	26/99	श्री ईश्वर लाल त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक, थाना चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़	विशिष्ठ न्यायाधीश भ्र.नि. अधिनियम उदयपुर ने उक्त प्रकरण में दिनांक 26.9.2000 को मुख्य गवाह पक्ष द्रोही होने के कारण बरी किया गया।
5.	19/99	श्री प्यारचन्द चण्डालिया पटवारी हल्का सगरूण, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमंद	वि. न्यायाधीश भ्र. नि. अ. ने उक्त प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य को गोण मानते हुए एवं रिकार्ड में बोना फाइड मिस्टेक के कारण दिनांक 18.9.2000 को बरी किया गया।
6.	3/99	श्री भंवर लाल पुत्र श्री देवीलाल हाल पटवारी राजस्व भू-अभिलेखाकार कार्यालय, कलेक्ट्रेट, बीकानेर	विशिष्ठ न्यायाधीश भ्र.नि. मामलात, बीकानेर न्यायालय ने दिनांक 13.10.2000 के गवाह के पक्ष द्रोही होने के कारण बरी किया गया।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-799 की सूची)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

वित्तीय वर्ष 1998-1999 में वृत्तिक और विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय मद के अधीन विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किये गये बजट व्यय का विवरण :—

क्र. सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति का नाम	वृत्तिक और विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (पी.पी.एस.एस.) मद के अधीन किया गया व्यय (रुपयों में)
1	2	3
1.	अजमेर	25,700.00
2.	अलवर	14,700.00
3.	बालोतरा	17,600.00
4.	बारां	33,100.00
5.	बांसवाड़ा	93,400.00
6.	भरतपुर	40,500.00
7.	भीलवाड़ा	31,000.00
8.	बीकानेर	15,700.00
9.	बूंदी	6,300.00
10.	चूरू	52,650.00
11.	दौसा	12,200.00
12.	धौलपुर	15,800.00
13.	डूंगरपुर	3,600.00
14.	श्रीगंगानगर	5,600.00
15.	हनुमानगढ़	9,600.00
16.	जयपुर (शहर)	16,800.00
17.	जयपुर जिला	3,800.00
18.	जैसलमेर	6,200.00
19.	जालौर	5,800.00
20.	झालावाड़	24,400.00

1	2	3
21.	झुंझुनूं	14,500.00
22.	जोधपुर	12,550.00
23.	कोटा	20,000.00
24.	करौली	2,700.00
25.	मेड़ता सिटी	18,347.00
26.	पाली	15,900.00
27.	प्रतापगढ़	20,600.00
28.	राजसमंद	9,800.00
29.	सवाइमाधोपुर	41,900.00
30.	सीकर	23,700.00
31.	सिरोही	34,400.00
32.	टोंक	15,100.00
33.	उदयपुर	55,200.00
34.	रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर	2,800.00
35.	उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति, जोधपुर	1,100.00
36.	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर	8,000.00
	कुल व्यय	7,31,047.00

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-805 की प्रति) **परिशिष्ट-1**

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना (नागौर)

क्रमांक : पीए/2001/90 दिनांक : 2.1.2001

श्रीमान् जिला कलक्टर सहायता

नागौर।

विषय : — तहसील लाडनूं की गिरदावरी रिपोर्ट गलत भेजने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : — श्रीमान् का पत्र क्रमांक/सहा/2000/21644 दिनांक 21.12.2000
एवं 327 दिनांक 15.1.2001.

महोदयजी,

उप खण्ड क्षेत्र के तहसील लाडनूं में पटवार मण्डल रींगण के अन्तर्गत दो पंचायतें रींगण व उदरासर है। प्रत्येक पंचायत में तीन-तीन गांव अवस्थित है। रींगण पंचायत में रींगण, रिडमलास एवं समना तथा उदरासर ग्राम पंचायत में उदरासर, कुशलपुरा, रायधना आते हैं। दोनों पंचायतों के ग्राम एक-दूसरे से सटीक हैं।

गिरदावरी रिपोर्ट तहसील लाडनूं से तैयार की जाकर प्रेषित की गई जिसमें ग्राम पंचायत उदरासर के तीनों ग्रामों क्रमशः उदरासर, कुशलपुरा, रायधना को अकाल में गिना गया मगर ग्राम पंचायत रींगण के ग्राम रींगण, रिडमलास एवं समना को अकाल में नहीं दर्शाया गया है।

उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियान की एक हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट दिनांक 14.12.2000 तथा 22.1.2001 को अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हुई, तथा ग्राम पंचायत रींगण के प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 10.12.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। जिसमें सरपंच रींगण, उप सरपंच रींगण, वार्डपंच तथा ग्रामवासियों की यही शिकायत है कि ग्राम पंचायत रींगण के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की गिरदावरी सही नहीं की गई अकाल में घोषित की जाने कि सिफारिश नहीं की है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं ने दिनांक 24.1.2001 को मौके पर जाकर जांच पड़ताल की एवं जानकारी ली। उक्त पंचायत रींगण पटवार मण्डल रींगण के अधीन है तथा ग्राम उदरासर, कुशलपुरा, रायधना भी पटवार मण्डल रींगण के अधीन आते हैं तथा दोनों पंचायतों के ग्राम रींगण, रीडमलास, समना, उदरासर, कुशलपुरा, रायधना एक-दूसरे के चिपते हुए ही हैं तथा तहसीलदार, लाडनूं के अधीन राजस्व कर्मचारियों ने गिरदावरी में ग्राम पंचायत उदरासर के तीनों ग्रामों का खराब-50 से 74 प्रतिशत दिखाया है, जबकि ग्राम पंचायत रींगण के तीनों ग्रामों (रींगण), रिडमलास, समना को 50 प्रतिशत से कम खराबा दिखाया है जो मेरे द्वारा जांच पड़ताल किये जाने से सही नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि तहसील लाडनूं की ग्राम पंचायत रींगण के ग्राम रींगण, रिडमलास, समना की फसल 50 से 74 प्रतिशत खराबा मानते हुए अकाल में घोषित किये जाने की अभिशंसा की जाती है ताकि ग्रामवासिवान को राहत मिल सके। ग्रामवासियान की प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.12.2000, 22.1.2001 मय प्रमाणित प्रस्ताव सं.4 दिनांक 12.12.2000 मूल ही श्रीमान् जी की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न :— तीन

ह०/-
उप खण्ड अधिकारी,
डीडवाना

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), नागौर

क्रमांक : सता/2001 दिनांक : 17.2.2001

प्रेषिति :—

सहायक शासन सचिव,
सहायता विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय : —गिरदावरी रिपोर्ट माल भेजने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : — आपका पत्र संख्या एफ.1(1) () सजा/समावा 2000-2001/23412
दिनांक : 10.11.2000

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट की छायां प्रति संलग्न भेजकर निवेदन है कि तहसील लाडनूं के ग्राम रींगण, रिडमलास व समना को 50 प्रतिशथ से 74 प्रतिशत खराबा मानते हुए अकाल में घोषित कराने की कृपा करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय
ह०/-
जिला कलक्टर (सहायता),
नागौर